ekuuh; ,p lhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

राम चंद्र हंसदा (1498 में)

भारू हंसदा (150 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cri. App. (D.B.) Nos. 1498 of 2003 with 150 of 2004. Decided on 25th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 245 वर्ष 2000 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ IX, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 29 अगस्त, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 3 सितंबर, 2003 के दंडादेश से उद्भूत।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34—हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–समस्त चश्मदीद गवाहों ने अपीलार्थीगण की सह-अपराधिता दर्शाते हुए घटना का संगत विवरण दिया–स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया–उनके द्वारा किसी विरोधाभास के बिना घटना की उत्पत्ति पहले ही बतायी गयी है–चिकित्सीय साक्ष्य भी गवाहों का बयान संपुष्ट करता है–अपीलार्थियों में से प्रत्येक का आशय मृतक की हत्या करना था–अपीलें खारिज। (पैराएँ 23, 26, 27 एवं 28)

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 34—सामान्य आशय–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 का सार परिणाम विशेष प्राप्त करने के लिए दांडिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों की एक साथ मतैक्यता है–इसका पता उस तरीके से लगाया जाना होगा जिस तरीके से अपराध किया गया है–ऐसी मतैक्यता घटनास्थल पर भी विकसित की जा सकती है और तद्द्वारा उन सबों द्वारा आशयित हो सकती है–सामान्य आशय अग्रसर किया जाना तथ्यों एवं अभियुक्तों के आचरण तथा मामले के अन्य एवं संबंधित परिस्थितियों से निकाला जाना होगा। (पैरा 25)

निर्णयज विधि.–(2003) 12 SCC 306—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Sahani, For the Appellants; Mrs. Vandana Bharti, For the Respondent.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–ये दोनों अपीलें सत्र विचारण सं॰ 245 वर्ष 2000 में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ IX, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 29 अगस्त, 2003 के एक ही निर्णय एवं दिनांक 3 सितंबर, 2003 के दंडादेश से उद्भूत होती हैं जिन्हें साथ सुना जा रहा है और इस एक ही निर्णय से निपटाया जाता है।

2. दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और प्रत्येक को 1000/- रुपयों के जुर्माना के साथ आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में, उन्हें आगे तीन माह का सामान्य कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया था।

3. अभियोजन मामला अ॰ सा॰ 5 भुजुराम टुडू के फर्दबयान पर आधारित है जिसमें कथन किया गया है कि वे अन्य ग्रामीणों के साथ गाँव में सरहूल उत्सव मना रहे थे जिसमें प्रत्येक परिवार को 50 रुपया चन्दा का भुगतान करना था। वह कथन करता है कि उसने भी सरहूल उत्सव मनाने के लिए 50

रुपया चन्दा दिया था। उसने कथन किया कि गाँव में यह आज्ञापक था कि प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति उत्सव में भाग लेगा। सूचक ने उत्सव के दौरान अपने परिवार का प्रतिनिधित्व किया किंतु उसके बड़े भाई जगरनाथ टुडू एवं बुध राय टुडू (मृतक) सरहूल पूजा में भाग नहीं ले सके थे क्योंकि वे नशा में थे और समय पर वहाँ नहीं पहुँच सके थे। सरहूल पूजा के दौरान इन दो व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण ग्राम प्रधान विजय हंसदा ने जगरनाथ टुडू एवं बुध राय टुडू (मृतक) दोनों पर 50/ रुपया प्रत्येक का जुर्माना अधिरोपित किया। इन दो व्यक्तियों ने जुर्माना राशि जमा नहीं किया था और चूँकि जुर्माना राशि जमा नहीं की गयी थी, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गाँव में बैठक की गयी थी और जुर्माना राशि का भुगतान किए जाने तक जगरनाथ टुडू एवं बुध राय टुडू के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय किया गया था। ऐसे सामाजिक बहिष्कार के बावजूद बुध राय टुडू ने जुर्माना राशि जमा नहीं किया था। बुध राय टुडू के इस कृत्य से इस सूचक का एक अन्य भाई अर्थात भुगलू टुडू एवं अन्य विरोधी अर्थात् रामचंद्र हंसदा (दांडिक अपील सं॰ 1498 वर्ष 2003 में अपीलार्थी) और भारु हंसदा (दांडिक अपील सं॰ 150 वर्ष 2004 में अपीलार्थी) क्रोधित हो गये और उन्होंने बुध राय टुडू की हत्या करने की धमकी दी।

जब बुधराय टुडू 26.8.1999 को अपराह्न लगभग 11 बजे नाव चलाने के बाद अपने घर लौट रहा था, तब भुगलु टुडू, रामचंद्र हंसदा और भारु हंसदा ने उसे बीच रास्ते रोका और कुल्हाड़ी से उस पर बुरी तरह प्रहार किया। सूचक दावा करता है कि उसने चश्मदीद गवाह के रूप में प्रहार देखा था। प्राथमिकी में आगे यह कथन किया गया है कि मृतक बुध राय टुडू चीखा और चीख सुनने पर सूचक अपने घर से बाहर आया और देखा कि मृतक को धरती पर गिरा दिया गया था और रामचंद्र हंसदा मृतक का पैर पकड़े था और भारू हंसदा मृतक के दोनों हाथ पकड़े था और भुगलु टुडु बुध राय टुडु के शरीर पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। यह घटना देखने पर सूचक चीखा और चीख सुनने पर तीनों अपराधी भाग गए। तत्पश्चात, घायल किसी तरह उठ खड़ा हुआ और घर आया और वहाँ गिर गया। अनेक गाँववाले चीख सुनने के बाद जमा हुए और मृतक की पत्नी भी घटनास्थल पर आयी और मृतक ने उन सबों को घटना बताया। मृतक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का प्रबंध किया गया था, किंतु वह जीवित नहीं रह सका और उसकी मृत्यु हो गयी।

4. पूर्वोक्त फर्दबयान पर, दालभूमगढ़ पुलिस थाना मामला सं॰ 43 वर्ष 1999, जी॰ आर॰ सं॰ 309 वर्ष 1999 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन इन अपीलार्थियों एवं भुगलु टुडु को अभियुक्त के तौर पर उद्धृत करते हुए दर्ज किया गया था।

5. पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र की दाखिली के बाद संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और इसे एस॰ टी॰ सं॰ 245 वर्ष 2000 के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

6. आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल 9 गवाहों का परीक्षण किया है और अनेक दस्तावेजों को प्रदर्शित किया है। अ॰ सा॰ 1 सोना राम हंसदा सह ग्रामीण और मृतक का पड़ोसी है। अ॰ सा॰ 2 रुपय हेम्ब्रम भी ग्रामीण है। अ॰ सा॰ 3 लिपि टुडु मृतक की पत्नी है। अ॰ सा॰ 4 चुनुराम हंसदा भी मृतक का सह ग्रामीण है। अ॰ सा॰ 5 भुजुराम टुडु स्वयं सूचक है। अ॰ सा॰ 6 फागू मुर्मू सह ग्रामीण है। अ॰ सा॰ 7 जगरनाथ टुडू है। अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ ओम शंकर है जिन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया। अ॰ सा॰ 9 सुभाष राय है जो पुलिस अधिकारी है जिसने औपचारिक प्राथमिकी, और हस्ताक्षरों, शव

परीक्षण रिपोर्ट, फर्दबयान, फर्दबयान पर पृष्ठांकन, प्राथमिकी पर पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रदर्शित किया जिन्हें क्रमश: 1, 2, 3, 4, 5, 1/1 एवं प्रदर्श 6 के तौर पर चिन्हित किया गया है।

7. यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि अभियोजन गवाह के रूप में अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन पारित आदेश के बावजूद अभियोजन उसे पेश करने में विफल रहा है। इस प्रकार, इस मामले में अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था।

8. विचारण न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद और साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद और अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया और उनको आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और प्रत्येक पर 1000/- रुपयों का जुर्माना अधिरोपित किया। जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में उन्हें आगे तीन माह का सामान्य कारावास भुगतने का निर्देश आगे दिया गया था।

9. मैंने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को दोनों मामलों में सुना है। मैंने अवर न्यायालय अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

10. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मृतक पर प्रहार का अभिकथन नहीं है क्योंकि किसी ने इसे नहीं देखा है। अपीलार्थियों के मुताबिक, साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि अधिकाधिक इन अपीलार्थियों को घटनास्थल पर खड़ा देखा गया था। यह सुझाया गया है कि अपीलार्थियों ने मृतक का हाथ–पैर पकड़ रखा था, इस प्रकार, स्वीकृत तथ्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उनकी दोषसिद्धि पूर्णत: दोषपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कोई घातक वार नहीं किया था। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू करके दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था। यह निवेदन किया गया है कि न तो किसी स्वतंत्र गवाह और न ही अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण किया गया है जिसने अभियोजन मामला पर प्रतिकूलता कारित किया है। यह निवेदन किया गया है कि रेपो हंसदा जिसके घर के सामने घटना हुई थी, का परीक्षण नहीं किया गया है जो स्वयं घटना के बारे में संदेह सृजित करता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 1, 2, 3, एवं 4 चश्मदीद गवाह नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन द्वारा घटनास्थल स्थापित नहीं किया गया है। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि गाँव में दो समूह है और ये अपीलार्थीगण भिन्न समूह के हैं। अत:, सूचक एवं गवाहों द्वारा उन्हें इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है।

11. विद्वान अपर पी॰ पी॰ निवेदन करते हैं कि उक्त घटना के अनेक चश्मदीद गवाह हैं और उनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि इस प्रभाव का साक्ष्य संगत है कि इन अपीलार्थियों ने मृतक को पकड़ लिया और भुगलु टुडू ने कुल्हाड़ी से मृतक पर प्रहार किया। यह निवेदन किया गया है कि मृतक कुछ ही समय के लिए जीवित था जब उसने गवाहों के समक्ष घटना के बारे में प्रकट किया, इस प्रकार संपूर्ण घटना पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि इन अपीलार्थियों की कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 34 आकृष्ट करेगी और उनकी दोषसिद्धि भी न्यायोचित है।

12. इस मामले में इन दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है। आरोप सिद्ध करने के लिए इस मामले में नौ गवाहों का परीक्षण किया गया था।

13. अ॰ सा॰ 1 सोना राम हंसदा घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। उसने कथन किया कि 27.8.1999 को अपराह्न लगभग 11 बजे वह अपने घर में था जब उसने बुधराय टुडु की चीख सुनी। वह घटनास्थल पर गया और देखा कि रामचंद्र हंसदा ने बुधराय टुडु का पैर पकड़ रखा था और भारु हंसदा बुधराय टुडु का हाथ पकड़े था और भुगलु टुडू कुल्हाड़ी से बुधराय टुडू पर उसकी पीठ, पैर एवं पसली पर वार कर रहा था और उसे घायल किया। उसकी उपहतियों से खून बह रहा था। उसने कथन किया कि जब वह, भुजु टुडू और लिपि टुडू वहाँ पहुँचे, तीनों अपराधी भाग गए। उसने कथन किया कि बुधराय टुडू अपने लड़खड़ाते पैरों पर उठ खड़ा हुआ और अपने घर आया और कहा कि रामचंद्र हंसदा, भारु हंसदा तथा भुगलु टुडू ने उस पर प्रहार किया है और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गयी। उसने कथन किया कि चूँकि मृतक ने सरहूल पूजा के दौरान 50 रुपया चंदा नहीं दिया था, उसे इन अपीलार्थियों द्वारा धमकाया गया था। उसने यह कथन भी किया कि भुगलु टुडू (अभियुक्तों में से एक) बुधराय टुडू (मृतक) का भाई है और उसने इन अपीलार्थियों को पहचाना।

प्रति-परीक्षण में उसने दोहराया कि घायल होने के बाद बुधराय टुडू ने इस गवाह एवं अन्य को कहा कि रामचंद्र हंसदा, भारु हंसदा तथा भुगलु टुडू ने उस पर प्रहार किया है। उसने कथन किया कि राम चंद्र हंसदा एवं भारु हंसादा ने उसको पकड़ लिया और भुगलु टुडू ने उस पर प्रहार किया। उसने कथन किया कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया है और पुलिस को प्रहार तथा शरीर के अंगों जहाँ प्रहार किया गया था के बारे में बताया। बचाव उसके साक्ष्य से अपने पक्ष में कुछ नहीं दे सका था।

14. अ॰ सा॰ 2 रुपय हेम्ब्रम ने कथन किया कि वह घटना के समय पर घर में था जब उसने चीख सुना। वह अपने घर से बाहर आया और देखा कि बुधराय टुडू की हत्या कर दी गयी थी। उसने कथन किया कि भारु हंसदा, रामचंद्र हंसदा एवं भुगलु टुडू ने मृतक की हत्या किया था। वह आगे कथन करता है कि उसने घटना देखा था। रामचंद्र हंसदा पैर पकड़े था, जबकि भारु हंसदा उसका हाथ पकड़े था और भोगलू टुडू कुल्हाड़ी से वार कर रहा था और इस गवाह एवं अन्य को देखने पर ये तीन अपराधी भाग गए। वह कथन करता है कि मृतक को अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी, किंतु इस बीच उसकी मृत्यु हो गयी। उसने यह कथन भी किया कि पचास रुपया चंदा के संबंध में विवाद था जिसका भुगतान सरहूल उत्सव के दौरान किया जाना था, किंतु इसके गैर भुगतान के कारण यह घटना हुई।

प्रति-परीक्षण में वह स्वीकार करता है कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया था। उसने कथन किया कि उसने पुलिस को बताया कि समस्त तीनों अभियुक्त कुल्हाड़ी से लैस थे और मृतक की हत्या किया है। उसने कथन किया कि बुधराय टुडू ने भी उसको बताया कि अभियुक्तों ने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया।

15. अ॰ सा॰ 3 लिपि टुडू मृतक की पत्नी है। वह भी उक्त घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करती है। वह कथन करती है कि घटना की तिथि पर वह घर में थी और अपने पति की चीख सुनने पर वह घटना स्थल पर गयी और रामचंद्र हंसदा, भारू हंसदा तथा भुगुलु टुडू को देखा। उसने कथन किया कि रामचंद्र हंसदा ने मृतक के पैरों को पकड़ा था और भारु टुडू मृतक का हाथ पकड़े था और भुगलु टुडू ने मृतक पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। उसने कथन किया कि सोना राम, रुपय एवं फागू भी वहाँ आए किंतु कोई हमलावरों को पकड़ने में सक्षम नहीं हुआ था और हमलावर भाग गए। वह कथन करती है कि वह घायल को घर लायी किंतु उसे अस्पताल नहीं ले जा सकी थी क्योंकि उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने भी घटना की उत्पत्ति बताया कि चूँकि सरहूल उत्सव के दौरान पचास रुपया चंदा नहीं दिया गया था, इन हमलावरों ने मृतक की हत्या की।

प्रति–परीक्षण में वह दोहराती है कि बुध राय टुडू ने उसको बताया कि किसने प्रहार किया था और उसने कथन किया कि बुधराय टुडु से पूछने पर उसने उसको हमलावरों का नाम बताया।

16. अ॰ सा॰ 4 चुन्नु राम हंसदा चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। उसने कथन किया कि वह घर में था जब उसने चीख सुना। वह बाहर आया और घटना स्थल पर गया और देखा कि रामचंद्र हंसदा ने मृतक के पैरों को पकड़ रखा था, भारु हंसदा ने मृतक के हाथों को पकड़ रखा था और भुगलु टुडू कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। उसने कथन किया कि बुधराय टुडू प्रहार के बाद घर लौटे। और इन व्यक्तियों का नाम हमलावरों के रूप में बताया। वह कथन करता है कि बुधराय टुडू आधा घंटा तक जीवित था और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गयी। उसने कथन किया कि रामचंद्र हंसदा, भारु हंसदा एवं भुगलु टुडू भिन्न समूह से आते हैं जबकि गवाह अर्थात् भुजु राम टुडू (सूचक), लिपि टुडू और सोना राम हंसदा एवं मृतक भिन्न समूह के हैं। उसने कथन किया कि वह घर में था जब घटना हुई थी और जब उसने लिपि टुडू तथा भुजुराम टुडू की चीख सुनी, तब वह बाहर आया। उसने कथन किया कि उसके घटना स्थल पर पहुँचने के पहले हमलावर भाग गए। उसने इस तथ्य से इनकार किया कि वह हमलावरों को आलिप्त कर रहा है क्योंकि वे भिन्न समूह के हैं।

17. अ॰ सा॰ 5 भुजुराम टुडू इस मामले का सूचक है। उसने प्राथमिकी में अपने बयान का समर्थन किया है और कहा है कि जब उसने चीख सुना, वह बाहर आया और भुगलु टुडु, रामचंद्र हंसदा एवं भारु हंसदा को मृतक पर प्रहार करते देखा। भुगलु टुडू कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहा था और प्रहार बायीं जांघ पर एवं पीठ पर किया गया था। उसने कथन किया कि जख्मों से खून बह रहा था और रामचंद्र हंसदा तथा भारु हंसदा ने मृतक को पकड़ रखा था। उसने कथन किया कि वह मृतक को बचाने गया किंतु हमलावर भाग गए। वह संपुष्ट करता है कि अन्य ग्रामीण भी घटना स्थल पर आए। वह घटना होने का कारण देता है कि चूँकि मृतक ने सरहूल उत्सव के लिए पचास रुपया चंदा नहीं दिया था, घटना हुई।

अपने प्रति परीक्षण में वह कथन करता है कि भुगलु टुडू कुल्हाड़ी पकड़े था और भारु हंसदा के हाथ में हथियार नहीं था और रामचंद्र हंसदा कुल्हाड़ी लिये था। वह कथन करता है कि रामचंद्र हंसदा और भारु हंसदा ने मृतक पर प्रहार नहीं किया था। वह कथन करता है कि प्रहार पीठ पर किया गया था। वह कथन करता है कि भुजुराम हंसदा एवं लिपि टुडू भी घटनास्थल पर थे। अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया कि वह घटना का चश्मदीद गवाह था।

18. अ॰ सा॰ 6 फागू मुर्मू कथन करता है कि वह मल मूत्र त्याग करने गया था किंतु चीख सुन कर वह बुध राय टुडू के घर पहुँचा जहाँ उसने बुध राय टुडू को आंगन में घायल दशा में देखा। वह कथन करता है कि उसने बुधराय टुडु से पूछा कि वह घायल कैसे हुआ, तब बुधराय टुडू ने उसको बताया कि भुगलु टुडू, रामचंद्र हंसदा एवं भारु हंसदा ने उस पर प्रहार किया है, तत्पश्चात बुधराय टुडू बेहोश हो गया। उसने कथन किया कि समय के उस बिंदु पर सोनाराम हंसदा, रुपय हेम्ब्रम, नरेन्द्र नाथ सोरेन और लिपि टुडू भी वहाँ उपस्थित थे। वह कथन करता है कि बुधराय टुडू को अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया जा रहा था। किंतु उसकी मृत्यु हो गयी। वह कथन करता है कि पुलिस घर आयी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्टें पर हस्ताक्षर पहचाना जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है। वह कथन करता है कि उसने सोनाराम हंसदा, रुपय हेम्ब्रम, नरेन्द्र नाथ सोरेन एवं लिपि टुडू को बताया जो मृतक ने उससे कहा था। वह कथन करता है कि मृतक उसका दूर का संबंधी था। बचाव के पक्ष में उसके प्रति परीक्षण में कुछ भी नहीं है।

19. अ॰ सा॰ 7 जगरनाथ टुडू है। उसने कथन किया कि 26.8.1999 को अपराह्न लगभग 11 बजे जब बुधराय टुडू गुगलु घाट से लौट रहा था, इन अपीलार्थियों अर्थात् भारु हंसदा, रामचंद्र हंसदा तथा भुगलु टुडू ने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और उसकी हत्या की। उसने कथन किया कि उसने इस घटना के बारे में चुन्नु राम हंसदा, फागू एवं अन्य को सूचित किया। उसने कथन किया कि रामचंद्र हंसदा एवं भुगलु टुडू ने मृतक पर कुल्हाड़ी से प्रहार नहीं किया था। उसने कथन किया कि रामचंद्र हंसदा एवं भुगलु टुडु कुल्हाड़ी नहीं लिए हुए थे। उसने कथन किया कि भुगलु टुडू ने पीठ, जांघ एवं छाती पर प्रहार किया। उसने कथन किया कि घटना स्थल उसके घर से 100 फीट दूर है और समय के उस बिंदु पर बिजली थी वह आगे कथन करता है कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया था।

20. अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ ओम शंकर डॉक्टर है जिन्होंने मृतक का शव-परीक्षण किया। उन्होंने कथन किया कि मृतक के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पायी गयी थी:

(i) rt èkkj oky gfFk;kj }kjk dkfjr 3cm x 2cm Qfl ;k rd xgjk] yVjy vij pLV ij rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dk t[eA

(ii) t[e d rRle ck, mijh Hkkx ij dkQh [ku cgrk gvk tufg;k 'kk dV d lkFk 1.5 cm x 2mm x ekl i'kh rd xgjk ck; mij tk?k ij efM;yh rt èkkjnkj gfFk;kj l dVu dk t[eA

(iii) dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjr vMjykbu gekVkek ,o Fkk;jk;M dkfVyt d dV;tu d lkFk xnu d ck, Hkkx ij 2..5 cm x 1.5cm dk [kjkpA

(iv) 'kjhj feVVh l fyiVk FkkA

प्रति परीक्षण में उन्होंने कथन किया कि उपहति सं॰ 2 मृत्यु का मुख्य कारण है।

21. अ॰ सा॰ 9 सुभाष राम पुलिसकर्मी है, जिसने दरोली पुलिस थाना के तत्कालीन अधिकारी अशोक कुमार का लेखन एवं हस्ताक्षर पहचाना है। हस्ताक्षर एवं लेखन प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया है। उसने प्राथमिकी एवं औपचारिक प्राथमिकी पर हस्ताक्षरों को सिद्ध किया जो नरेश चौधरी के लेखन में था और उक्त दस्तावेज प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था। उसने उक्त दस्तावेज पर तत्कालीन अधिकारी अशोक कुमार का हस्ताक्षर सिद्ध किया जिसे प्रदर्श 1/1 चिन्हित किया गया था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उसके द्वारा प्रदर्शित की गयी थी जिसे प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया है।

अपने प्रति-परीक्षण में उसने कथन किया कि वह अशोक कुमार के साथ काम करता था, किंतु स्वीकार किया कि दस्तावेज उसकी उपस्थिति में तैयार नहीं किए गए थे। जैसा पहले उल्लेख किया गया था, इस मामले में अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

22. साक्ष्य बंद करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थियों का बयान दर्ज किया गया था।

23. साक्ष्य के विश्लेषण से, मैं पाता हूँ कि अ॰ सा॰ 1, 2, 3, 4, 5 घटना के चश्मदीद गवाह हैं। इन समस्त गवाहों ने घटना का संगत विवरण दिया और उन सबों ने कथन किया है कि रामचंद्र हंसदा ने मृतक का पैर पकड़ रखा था और भारु हंसदा ने मृतक के हाथों को पकड़ रखा था और तत्पश्चात, भुगलु टुडू ने मृतक के शरीर पर कुल्हाड़ी से वार किया। इन गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया कि जब वे घटना स्थल पहुँचे, उन्होंने प्रहार देखा और चीखे जिसके परिणामस्वरुप हमलावर घटनास्थल से भाग गए। इन समस्त गवाहों ने अभिसाक्ष्य दिया था कि मृतक किसी तरह घर पहुँचा जहाँ उसने बताया कि इन दोनों अपीलार्थियों ने भुगलु टुडू के साथ उस पर प्रहार किया है। इन समस्त गवाहों ने कथन किया है कि

उसको डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी की जा रही थी, किंतु उपहतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। इन गवाहों का साक्ष्य संगत है और बचाव उनके साक्ष्य से कोई अंतर नहीं निकाल सका था। उन पर अविश्वास करने के लिए उनके साक्ष्य में कुछ नहीं है। अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 4 मृतक के पड़ोसी एवं सह ग्रामीण हैं और स्वतंत्र गवाह हैं। उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया। घटना की उत्पत्ति पहले ही उनके द्वारा किसी विरोधाभास के बिना बतायी गयी है। अ॰ सा॰ 6 चश्मदीद गवाह नहीं है, किंतु वह इस मामले का अतिमहत्वपूर्ण गवाह है। मृतक ने इसी गवाह के समक्ष बताया था कि उसने किस प्रकार उपहति पायी और वे व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने उपहतियाँ कारित किया। उसके साक्ष्य के मुताबिक, यह स्पष्ट है कि जब वह मृतक के घर गया, मृतक घायल दशा में आंगन में पड़ा था। इस गवाह द्वारा पूछे जाने पर, मृतक ने बताया कि अपीलार्थियों ने भुगलु टुडू के साथ उस पर प्रहार किया है। उसने कथन किया कि तत्पश्चात मृतक बेहोश हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गयी। उस पर अविश्वास करने के लिए उसके प्रतिपरीक्षण में कुछ नहीं है। मृतक द्वारा इस गवाह को दिया गया विवरण बिल्कुल वही है जैसा अन्य गवाहों ने अभिसाक्ष्य दिया है। यह इस गवाह की विश्वसनीयता बढ़ाता है। चिकित्सीय साक्ष्य भी गवाहों का बयान संपुष्ट करता है जिसने स्पष्टत: कथन किया कि कुल्हाड़ी द्वारा मृतक की पीठ, छाती एवं जांघ पर प्रहार किया गया था।

24. अ॰ सा॰ 7 ने अपने साक्ष्य में प्रहार के बारे में कथन किया कि और यह कथन भी किया कि समय के उस बिंदु पर गाँव में बिजली थी और रोशनी थी। उसका साक्ष्य भी सुझाता है कि अभियुक्तों को पहचानने के लिए पर्याप्त रोशनी थी।

25. यद्यपि इन अपीलार्थियों ने स्वयं मृतक पर प्रहार नहीं किया है, फिर भी उन्हें भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की मदद से धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है।

25-A. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की प्रयोज्यता का संबंध है, इसका पता उस तरीके से किया जाना होगा, जिस तरीके से अपराध किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का सार परिणाम विशेष प्राप्त करने के लिए दांडिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों की एक साथ मतैक्यता है। ऐसी मतैक्यता स्वयं घटना स्थल पर भी विकसित की जा सकती है। और तद्द्वारा उन सबों द्वारा आशयित हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में यथा परिकल्पित ''सामान्य आशय अग्रसर करना'' को तथ्यों एवं अभियुक्तों तथा अन्य के आचरण और मामले की संबंधित परिस्थितियों से निकाला जाना होगा।

26. यदि इस मामले के तथ्यों को देखा जाता है, यह पाया जाएगा कि अपीलार्थी राम चंद्र हंसदा (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1498 वर्ष 2003 में अपीलार्थी ने मृतक का पैर पकड़ रखा था और अपीलार्थी भारु हंसदा (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 150 वर्ष 2004 में अपीलार्थी) ने मृतक का हाथ पकड़ रखा था और तत्पश्चात भुगलु टुडू द्वारा घातक प्रहार किया गया था। ये तथ्य सुझाते हैं कि इन दोनों अपीलार्थियों ने मृतक को स्थिर कर दिया था ताकि भुगलु टुडू आसानी से उस पर उसकी मृत्यु तक प्रहार कर सके। मृतक के शरीर पर अनेक उपहतियाँ थी और ये अपीलार्थीगण घटना स्थल से भाग गए थे जब चश्मदीद गवाह घटना स्थल पर पहुँचे थे। यह सुझाता है कि इन दोनों अपीलार्थियों ने मृतक को स्थिर कर दिया था और अनेक प्रहार किए गए थे जो दर्शाता है कि उनका आशय यह देखना था कि मृतक की मृत्यु हो जाय। आगे साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक एवं अपीलार्थियों के बीच दुश्मनी थी क्योंकि अपीलार्थियों ने पहले चंदा के गैर भुगतान के कारण मृतक को गंभीर परिणामों की धमकी दी थी। संपूर्ण परिस्थिति स्पष्टत: सुझाती है कि उनमें से प्रत्येक का मृतक की हत्या करने का आशय प्रत्येक

को ज्ञात था और उन्होंने इसे साझा किया। यथा पूर्वोल्लिखित अभियुक्तों का आचरण एकत्रित किए गए साक्ष्य पर इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की प्रयोज्यता संपुष्ट करते हैं।

26-A. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पारसा राजा माणिक्याला राव एवं एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2003)12 SCC 306** मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"11. bl èkkjk dk oLrqr% vFkZ g fd ;fn nk vFkok vfèkd 0;fDr vk'k;iod l;Dr :i l lkekU; pht djr g] ;g fcYdy ,l gh g ekuk mue l çR;d u bl 0;fDrxr :i l fd;k FkkA ;g nkfMd fofèk 'kkL= dk lekU; rk çkIr fl)kr g fd U;k;ky; lg "kM;=dkfj;k d chp lfHkUurk ugh dj ldr g vkj u gh o tkp dj ldr g] Hky gh ;g lHko Fkk] fd mue l çR;d dh vijkèk e Hkfedk D;k FkhA tgk i{kx.k lkekU; vk'k; fu"ikfnr dju d lkekU; ç;ktu l tkr gA çR;d 0;fDr viu lkekU; ç;ktu d fu"iknu ,o bl vxlj dju e çR;d d ÑR; d fy, ftEenkj cu tkrk g(pfd ç;ktu lkekU; g] mlh rjg ftEenkjh Hkh lkekU; gkuh gkxhA leLr e[; vijkèk d nk"kh g vkj u fd doy n"çj.k d ?kkrd çgkj d bl çdkj d feJ.k e] ;|fi bl i{k e l fdlh ,d }kjk fd;k x;k g] bl fofèk dh nf"V e mifLFkr çR;d 0;fDr }kjk fd;k x;k vkj n"çj.kki.k le>k tkrk gA fdr vijkèk dju d viu lkFkh d vk'k; l vutku i{k nk;h ugh g ;|fi og fofèkfo#) ÑR; dju d fy, viu lkFkh l tMkA bl èkkjk d vèkhu nkf;Ro dk lkj vijkfèk;k dk lfØ; cuku oky lkekU; vk'k; dk vfLrRo g vkj lkekU; vk'k; vxlj dju e nkfMd ÑR; e Hkkxhnkjh gA lkj ifj.kke fo'k"k çkIr dju d fy, nkfMd dkjokb e Hkkx yu oky 0;fDr;k dh ,d lkFk erD;rk gA ¼n[k% jkekLokeh vk;xj cuke rfeyukM jkT;½ leLr ekeyk e Hkkxhnkjh 'kkjhfjd mifLFkfr }kjk gku dh vko';drk ugh gA 'kkjhfjd fgl k vrxLr dju oky vijkèkk e lkekU;r% vijkèk LFky ij ektnxh vko';d gk ldrh g] fdr vU; vijkèkk d lcèk e ekeyk ,l ugh g tgk vijkèk fofHkUu ÑR;k l xfBr g ftl fofHkUu le;k ,o LFkkuk ij fd;k tk ldrk gA bl èkkjk d vèkhu nk;h cuk, tku d fy, bfllr vijkèkh dh vijkèk LFky ij 'kkjhfjd mifLFkfr çR;d ekey e bldh ç;kT;rk dh 'krk e l ,d ugh gA bl èkkjk d çkoèkkuk d vèkhu fdlh 0;fDr dk fdlh vU; d ÑR; d fy, nk;h vfHkfuèkkfjr fd, tk ldu d igy ;g LFkkfir djuk gkxk fd (i) nkuk d chp io fu;kftr ;ktuk d vFk e lkekU; vk'k; Fkk] vkj (ii) bl çdkj nk;h vfHkfuèkkfjr fd, tku d fy, bfllr 0;fDr u vijkèk xfBr dju oky ÑR; e fdlh rjhd l Hkkx fy;k FkkA tc rd lkekU; vk'k; ,o Hkkxhnkjh nkuk ektn ugh g(;g èkkjk ykx ugh gk ldrh gA

12. ^lkekU; vk'k; io fu;kftr ;ktuk ,o io fu;kftr ;ktuk d vulj.k e ,d lkFk ÑR; djuk foof{kr djrk gA bl èkkjk d vèkhu lfHkUu io ;ktuk d vFk e io erD;rk fl) fd;k tkuk vko';d ugh gA ifj.kke fo'k"k çkIr dju d fy, lkekU; vk'k; fLFkfr dh ifjfLFkfr;k rFkk ekey d rF;k d çfr fun'k e vud 0;fDr;k d chp ?kVukLFky ij fodflr gk ldrk gA ;|fi lkekU; vk'k; ?kVukLFky ij fodflr gk ldrk g] fdr] bl io fu;kftr ;ktuk rFkk io erD;rk n'kku oky vijkèk dh dkfjrk d le; d fcn e igy gkuk gkxkA ¼n[k% Ñ".k xkfoUn ikfVy cuke egkjk"V jkT;½ vejhd flg cuke itkc jkT; e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd lkekU; vk'k; io erD;rk iokuekfur djrk gA mlh vFkok le#i vk'k; dk lkekU; vk'k; d lkFk Hkfer ugh dju dh lkoèkkuh*

*cjruh gkxh(ifDr tk mud lcèk dk foHkkftr djrh g] çk;% iryh gkrh g] fQj Hkh lfHkUurk okLrfod ,o lkjoku g vkj ;fn bl vun[kk fd;k tkrk g] ;g ?kkj vU;k; e ifj.kr gkxkA lkekU; vk'k; xfBr dju d fy, ;g vko';d g fd mue l çR;d dk vk'k; 'k"k lck dk Kkr g vkj mud }kjk lk>k fd;k x;k gA fu%lng] fdlh 0;fDr dk vk'k; Hkh fl) djuk ef'dy pht g vkj] blfy,] 0;fDr;k d leg dk lkekU; vk'k; n'kkuk vkj Hkh ef'dy gA fdr VkLd fdruk Hkh ef'dy D;k u gk] vfHk;ktu dk rF;k] ifjfLFkfr;k ,o vfHk;Drk d vkpj.k dk lk{; nuk gkxk ftul mudk lkekU; vk'k; ljf{kr :i l ,df=r fd;k tk ldrk gA edlnu cuke mO çO jkT; e ;g lçf{kr fd;k x;k Fkk fd vfHk;ktu dk lk{; nuk gkxk ftul vfHk;Drk dk lkekU; vk'k; ljf{kr :i l ,df=r fd;k tk ldrk gA vfèkdk'k ekeyk e bl oreku ekey d ÑR;] vkpj.k ,o vU; çklfxd ifjfLFkfr;k l fu"df"kr fd;k tkuk gkxkA bl fu"d"k ij vku d fy, ifjfLFkfr;k dh li.krk dk fopkj e fy;k tkuk gkxk fd D;k vfHk;Drk dk vijkèk dju dk lkekU; vk'k; Fkk ftld fy, mUg nk"kfl) fd;k tk ldrk gA ekeyk d rF; ,o ifjfLFkfr;k fHkUu gkr g vkj çR;d ekey dk vrxLr rF;k dk è;ku e j[kr g, fofuf'pr fd;k tkuk gkxkA D;k ÑR; lkekU; vk'k; vxlj dju e fd;k x;k g] rF; dh vkj u fd fofèk dh ?kVuk gA Hkkck unk ljek cuke vle jkT; e ;g lçf{kr fd;k x;k Fkk fd vfHk;ktu dk fdlh fu"d"k dk U;k;kfpr Bgjku d fy, rF;k dk fl) djuk gkxk fd ÑR;k d leLr Hkkxhnkjk u nkfMd ÑR; dju dk lkekU; vk'k; lk>k fd;k Fkk ftl vfre :i l ,d vFkok vfèkd Hkkxhnkjk }kjk fd;k x;k FkkA viu lg;kfx;k }kjk vijkèk dh dkfjrk d le; ij fdlh 0;fDr dh mifLFkfr ek= Lo; e mld ekey dk èkkjk 34 d dk;{k= d vèkhu yku d fy, i;kIr ugh g tc rd mld fo#) fMtkbuk dh dE;fuVh fl) ugh dh x;h gA ¼n[k% ey[kku flg cuke mO çO jkT;½ vkDlQkM bxfy'k 'kCn dk"k e 'kCn ^^vxlj djuk** vkx y tku e enn djrh dkjokb d :i e ifjHkkf"kr fd;k x;k gA bl ifjHkk"kk dk viukr g,] jily dgr g fd ^^;g Hkfo"; e çHkko mRiUu dju oky fdlh çdkj dh enn vFkok lgk;rk minf'kr djrk g vkj tkMr g fd fdlh ÑR; dk vfre egkijkèk dk vxlj dju e fd, x, d :i e ekuk tk ldrk g ;fn ;g ^^ml egkijkèk** dk çHkkoh cuku d ç;ktu l** vk'k;iod fy;k x;k dne gA ¼jily vku Økbe 12ok lLdj.k] okY;e I, i"B 487 ,o 488) 'kdj yky dpjk Hkkb cuke xtjkr jkT; e bl U;k;ky; u 'kCn ^^vxlj djuk** dh 0;k[;k ^^c<k, tku ;k çkUufr d :i e fd;k gA***

उस मामले में जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा था, वहाँ भी दो अभियुक्तों ने मृतक को पकड़ रखा था और उसे स्थिर कर दिया था और तत्पश्चात, एक अन्य अभियुक्त ने उसे छूरा मारा और हत्या किया। विचारण न्यायालय ने उन अभियुक्तों जिन्होंने मृतक को पकड़ रखा था को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से विमुक्त कर दिया और उनको संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। राज्य द्वारा दाखिल अपील में, माननीय उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति का निर्णय उलट दिया जहाँ तक उन अभियुक्तों का संबंध है और अभिनिर्धारित किया कि वे अभियुक्तगण भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के दोषी हैं और उनको आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। उन अभियुक्तों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय दोषमुक्ति का आदेश अपास्त करने में न्यायोचित था और तथ्यों पर उन दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से दोषसिद्ध किया जा सकता है।

27. वर्तमान मामला तथ्यों पर कुछ–कुछ समरुप है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पी० आर० एम० राव के मामले (ऊपर)** में विचार किया गया था। आगे, जैसा इस मामले में देखा गया है,

गवाहगण संगत हैं और हत्या की कारिता में इन दोनों अपीलार्थियों की भागीदारी/अंतर्ग्रस्तता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने सही रूप से इन दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया है और उनको आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है यद्यपि उन्होंने घातक वार नहीं किया था। हम इन दोनों अपीलों में गुणागुण नहीं पाते हैं। दोनों अपीलें अर्थात् दांडिक अपील (डी० बी०) सं० 1498 वर्ष 2003 एवं दांडिक अपील (डी० बी०) सं० 150 वर्ष 2004 खारिज की जाती है। अपीलार्थीगण जो अभिरक्षा में हैं को शेष दंडादेश भुगतना है।

28. इस निर्णय की प्रति एवं संपूर्ण अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त विचारण न्यायालय को भेजे जाएं।

एच० सी० मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; vferkHk dekj xIrk] U;k;efr

न्यू इंडिया एश्योरेन्स कं० लि० एवं एक अन्य

cuke

आम्ना खातून एवं अन्य

Misc. Appeal No. 106 of 2012. Decided on 9th May, 2017.

मोटर यान अधिनियम, 1988–धाराएँ 168 एवं 173–मोटर बीमा–पॉलिसी शर्तों का भंग–दुर्घटनावश मृत्यु–जब बीमा कंपनी ने बीमाकृत/स्वामी को वाहन के अपने नुकसान दावा का भुगतान किया है और परमिट की शर्त के उल्लंघन के संबंध में किसी निष्कर्ष की अनुपस्थिति में परमिट की शर्त के उल्लंघन के आधार पर अथवा पॉलिसी के शर्त के उल्लंघन के आधार पर दायित्व से इनकार महत्वहीन है–बीमा कंपनी ने अपने नुकसान दावा के लिए राशि जमा करने का उनको निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती नहीं दिया है और वस्तुतः भुगतान किया है–अपीलार्थी/बीमा कंपनी तृतीय पक्ष को मुआवजा का भुगतान करने के अपने सांविधिक दायित्व एवं संविदात्मक बाध्यताओं से इनकार नहीं कर सकती है–बीमा कंपनी को पहले ही भुगतान की राशि घटाकर अधिनिर्णीत मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया–अपील खारिज। (पैरा 12)

अधिवक्तागण.–M/s Alok Lal, Santosh Kumar, For the Appellant; M/s Rajiv Anand, Laxman Kumar, Nikhil Ranjan, For the Respondents.

आदेश

यह अपील पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, राँची द्वारा मुआवजा मामला सं० 306 वर्ष 2003 के संबंध में पारित दिनांक 21.3.2012 के निर्णय/अधिनिर्णय के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी/ न्यू इंडिया एश्योरेन्स कं० लि० को 19.3.2009 के प्रभाव से भुगतेय 6% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ 2,37,500/- रुपयों के मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. दावेदारों का मामला यह है कि 18.6.2013 को रजिस्ट्रेशन सं० JH 13A-0175 वाली बस यात्रियों को लिए हुए अंगारा पुलिस थाना के अधीन ग्राम सिंगसारी के निकट पहुँची और उलटी दिशा से आते मोटरसाइकिल को धक्का मारा और बाद में सड़क के किनारे लगे पेड़ को धक्का मारा। बस को

काफी नुकसान हुआ था और बस के कुछ यात्रियों ने उपहति पाया और दुर्घटना के कारण पायी गयी उपहति के कारण कुछ की मृत्यु हो गयी। यह अभिकथित किया गया है कि दुर्घटना बस चालक द्वारा लापरवाह एवं उपेक्षापूर्ण चालन के कारण हुई। उक्त दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार अर्थात मो० शमशाद उर्फ बबलू ने आर०आई०आई०एम०एस० में इलाज के क्रम में उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया।

3. मृतका मो० शमशाद की माता आमना खातून ने अपने पुत्र मो० शमशाद उर्फ बबलू की मृत्यु के कारण मुआवजा का दावा करते हुए मुआवजा मामला सं० 306 वर्ष 2003 दाखिल किया।

4. अपीलार्थी बीमा कंपनी ने अधिनिर्णय को चुनौती दिया है। अधिकरण द्वारा नोटिस पर स्वामी एवं बीमा कंपनी/अपीलार्थी उपस्थित हुए और अपने-अपने दायित्वों से इनकार करते हुए दावा का प्रतिवाद किया।

5. स्वामी/बीमाकृत का प्रतिवाद यह था कि बस वैध रूप से बीमा कंपनी के साथ बीमाकृत थी और चालक के पास प्रभावकारी एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और बस वैध परमिट के साथ उक्त रूट पर चलायी जा रही थी।

6. अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने प्रतिवाद किया कि बस के पास रूट जहाँ दुर्घटना हुई थी पर चलाने के लिए वैध परमिट नहीं था। बीमा कंपनी का मामला यह है कि प्राथमिकी के अनुसार दुर्घटना अंगारा से राँची के बीच हुई और बस जोन्हा से आ रही थी जो वाया टाटा राँची से कोलकाता रूट परमिट के अंतर्गत नहीं आता है। यह तर्क किया गया है कि परमिट में बस की टाइमिंग का उल्लेख किया गया था और दुर्घटना के समय पर बस परमिट के मुताबिक प्राधिकृत रूट पर नहीं थी। चूँकि परमिट के निबंधनों का उल्लंघन हुआ है, बीमा कंपनी मुआवजा का भुगतान करने की दायी नहीं है। ब०सा० 1 दीपक कुमार लाल, बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त अन्वेषक, ने कथन किया है कि वाहन को वाया टाटा राँची से कोलकाता रूट परमिट प्रदान किया गया था और इसे दिन में एक बार चलना था। कि दुर्घटना के समय पर बस 80-90 व्यक्तियों को ढो रही थी जो बैठने की क्षमता के परे था। उन्होंने बस सं० JH 13 A–0175 के परमिट का छाया प्रतिलिपि प्रस्तुत किया। जिसे प्रदश-y चिन्हित किया गया है।

ब०सा० 2 भी परिवहन प्राधिकारी, झारखंड द्वारा जारी परमिट सं० PS TS05/2001 का अन्वेषण करने के लिए तैनात किया गया था। परमिट वाया टाटा राँची से कोलकाता तक की थी।

7. अपीलार्थी के प्रतिवाद के उत्तर में, बस स्वामी ने प्रतिवाद किया है कि गजट अधिसूचना के मुताबिक एक और रूट भी है जो वाया सिल्ली टाटा जाती है और इस दशा में अंगारा उक्त रूट के अंतर्गत आता है और परमिट सं० PS TS-05/2001 वाया टाटा राँची से कोलकाता रूट पर चलने के लिए प्रदान किया गया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि इस अभिवचन कि परमिट के निबंधनों का उल्लंघन हुआ था, सिद्ध करने के लिए अपीलार्थी/बीमाकर्ता द्वारा तर्कपूर्ण साक्ष्य नहीं दिया गया है।

8. प्रत्यर्थी/स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के क्रम में बस सं० JH-13A-0175 के स्वामी को अपने नुकसान दावा के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा किए गए भुगतान से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है। बीमाकर्ता/अपीलार्थी द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया है।

9. यह प्रकट है कि अपने नुकसान मामला के लिए प्रत्यर्थी/स्वामी द्वारा विद्वान जिला फोरम, राँची के समक्ष परिवाद मामला सं० 373 वर्ष 2003 दाखिल किया था और विद्वान जिला फोरम ने दस्तावेजी एवं तात्विक साक्ष्य के अधिमूल्यन पर अभिनिर्धारित किया कि परमिट अथवा पॉलिसी के निबंधनों एवं

शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है और बीमा कंपनी/विरोधी पक्षकार को वाहन के दावेदार/स्वामी को अपने नुकसान दावा के मद में भुगतान करने का निर्देश दिया। बीमा कंपनी द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, झारखंड के समक्ष अपील सं० 140 वर्ष 2005 में उक्त निर्णय को चुनौती दी गयी थी जिसने दिनांक 17.10.2005 के आदेश द्वारा अपील खारिज कर दिया। तत्पश्चात बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया जिसे दिनांक 3.8.2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

स्वीकृत रूप से, अभिवचन कि पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन हुआ था, मान्य नहीं पाया गया था और बीमा कंपनी ने जिला फोरम के समक्ष दावा की गयी अपनी नुकसानी राशि जमा किया।

10. अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपभोक्ता फोरम के समक्ष मामला में बीमा कंपनी ने अन्य बातों के साथ इस आधार पर दावा से इनकार किया कि बस पॉलिसी के उल्लंघन में 80-90 यात्रियों से भरा पड़ा था किंतु परमिट के निबंधनों के उल्लंघन के आधार पर विनिर्दिष्टत: जोर नहीं दिया गया था इस प्रकार उपभोक्ता फोरम के पास बस से संबंधित परमिट की वैधता के संबंध में प्रश्न का परीक्षण करने का अवसर नहीं था और परमिट शर्त के उल्लंघन के विवाद पर विचार नहीं किया गया था और न ही इस प्रश्न पर कोई न्याय निर्णयन किया गया था तद्नुसार, अपीलार्थी/बीमा कंपनी परमिट की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर अपने दायित्व को चुनौती दे रही है।

11. अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादित उक्त तर्क तुच्छ और कुस्थापित है क्योंकि अवर न्यायालय ने परमिट एवं पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघन के संबंध में विवाद सं० 5 विरचित किया है और सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि बीमा कंपनी अपने अभिवचन कि पॉलिसी के निबंधनों अथवा परमिट की शर्तों का उल्लंघन हुआ था, सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज अथवा तर्कपूर्ण साक्ष्य देने में सक्षम नहीं हुआ है। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा इस पहलू पर भी संयोगवश विचार किया गया था जैसा निर्णय से स्पष्ट होगा। किसी विपरीत साक्ष्य के अनुपस्थिति में, अधिकरण का निष्कर्ष अभिपुष्ट किया जाता है कि परमिट के निबंधनों का उल्लंघन नहीं हुआ था।

12. प्रत्यर्थी/ स्वामी द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों के परीक्षण एवं परिशीलन पर यह स्वीकार किया जाता है कि बीमा कंपनी ने बस स्वामी को अपना नुकसान दावा का भुगतान किया है। न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में जब बीमा कंपनी ने बीमाकृत/स्वामी को वाहन का अपना नुकसान दावा का भुगतान किया है और परमिट के शर्त के उल्लंघन के संबंध में किसी निष्कर्ष की अनुपस्थिति में, परमिट की शर्त के उल्लंघन के आधार पर अथवा पॉलिसी के शर्त के उल्लंघन के आधार पर दायित्व से इनकार महत्वहीन है। बीमा कंपनी ने अपने नुकसान दावा के लिए राशि जमा करने का निर्देश उनको देने वाले आदेश को चुनौती नहीं दिया है और वस्तुत: भुगतान किया है, अत:, बीमा कंपनी/अपीलार्थी तृतीय पक्ष को मुआवजा का भुगतान करने के अपने सांविधिक दायित्व एवं संविदात्मक बाध्यताओं से इनकार नहीं कर सकता है।

प्रत्यर्थियों/दावेदारों ने कथन किया है कि बीमा कंपनी एवं स्वामी के बीच आपसी विवाद के कारण उन्हें कई वर्षों से मुआवजा राशि से वंचित किया गया है और अधिकरण द्वारा मुआवजा की अल्पराशि अधिनिर्णीत की गयी है।

एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी/न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लि० एम० वी० अधिनियम की धारा 140 के अधीन भुगतान की गयी राशि, यदि हो, धारा का अधिनिर्णय के निबंधनानुसार अधिनिर्णीत मुआवजा राशि का भुगतान करेगा।

रजिस्ट्री को अपीलार्थी/बीमा कंपनी को जमा की गयी सांविधिक राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

नुनुलाल महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5355 of 2006. Decided on 10th July, 2017.

बिहार भूमि सुधार (महत्तम क्षेत्र का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961–धारा 16(3)–अग्रक्रय–यदि याचीगण ने प्रत्यर्थियों द्वारा अधिनियम की धारा 16(3) (i) के अधीन आवेदन दाखिल करने के पहले घर निर्मित किया था, उन्हें अपने दावा में उक्त तथ्य का समर्थन करना चाहिए था–याचीगण ने डी०सी०एल० आर० द्वारा पारित अवरोध आदेश के बावजूद निर्माण पूरा किया–समस्त तीनों अवर न्यायालयों ने याचीगण के विरुद्ध अपना निष्कर्ष दर्ज किया है-उक्त प्राधिकारियों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि प्रश्नगत भूमि पर अग्रक्रयाधिकार का दावा करते हुए अधिनियम की धारा 16(3)(i) के अधीन प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल आवेदन विधिपूर्ण है याचीगण के पास विधि में तथा तथ्यों पर मामला नहीं है–प्रश्नगत भूमि अभी भी भूमि के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है जैसा अधिनियम की धारा 2(f) में प्रावधानित किया गया है–सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश मान्य ठहराया गया-रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–2009 (3) JLJR 533—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Nagmani Tiwari, For the Petitioner; Mr. Sanjay Prasad, For the Respondent Nos. 2 & 3; Mr. J.F. Toppo, For the State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका में, याचीगण ने अग्र क्रय पुनरीक्षण मामला सं० 10/2005 में सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 17.7.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा याचीगण द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज की गयी है।

3. मामले का ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि याचीगण ने ग्राम गर्गे, पी०एस० गोविन्दपुर, जिला धनबाद के भूखंड सं० 384, खाता सं० 18 से संबंधित 39 डिसमिल के कुल क्षेत्र में से 12 डिसमिल भूमि रूपन महतो के पुत्र बिगू महतो ने दिनांक 16.11.2001 के विक्रय विलेख सं० 5552 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा खरीदा था। प्रत्यथी सं० 2 ने बिहार भूमि सुधार (महत्तम क्षेत्र का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 (इसमें इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 16(3)(i) के अधीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता के समक्ष इस आधार पर आवेदन दाखिल किया कि याचीगण न तो विक्रेता के सह अंशधारी थे और न ही विक्रय की गयी भूमि के पार्श्विक रैयत थे और प्रत्यर्थी सं० 2

एवं 3 पार्श्विक रैयत थे और इस दशा में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उक्त भूमि उनको अंतरित की जानी चाहिए। उक्त आवेदन पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद द्वारा याचीगण को नोटिस जारी किया गया था और इस बीच, प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 ने 6.5.2002 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के समक्ष इस प्रभाव की याचिका दाखिल किया कि क्रेता/याचीगण ने भूमि की प्रकृति बदलने के लिए विवादित भूमि पर भवन का निर्माण किया है और उन्हें निर्माण रोकने का निर्देश दिया जाना चाहिए। भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने याचीगण को निर्माण रोकने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया। तत्पश्चात, भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने 20.12.2002 को निजी रूप से स्थल का निरीक्षण किया और उक्त जाँच के क्रम में, वह इस निष्कर्ष पर आए कि स्थल सत्यापन की तिथि से 5–6 माह पहले याचीगण द्वारा निर्माण गतिविधि शुरू की गयी थी। तत्पश्चात्, याचीगण मामला में उपस्थित हुए और इस आधार पर इसका प्रतिवाद किया कि सामान्य क्रम में उक्त भूमि पर कोई निर्माण करने से खरीददारों को अवरूद्ध करने के लिए उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है जब लोगों ने घर बनाने के प्रयोजन से जमीन खरीदा है। उसमें के याचीगण द्वारा यह कथन भी किया गया था कि उक्त अधिनियम में प्रावधान नहीं है, यदि भूमि खरीद के समय पर कृषि भूमि थी, बाद में इसे आवासीय प्रयोजन कि भूमि में संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता है यदि स्थिति अनुमति देती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद ने पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए दिनांक 8.4.2003 के आदेश के तहत मामला अनुज्ञात किया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के आदेश से व्यथित होकर, याचीगण ने अपर समाहर्ता, धनबाद के समक्ष एल॰ सी॰ अपील सं॰ 5/03–04 दाखिल किया और उक्त न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 13.1.2005 के आदेश के तहत अपील खारिज कर दिया। तत्पश्चात, याचीगण ने सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड के न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण मामला सं॰ 10/05 दाखिल किया और विद्वान सदस्य ने दिनांक 17.7.2006 के आदेश के तहत पुनरीक्षण मामला भी खारिज कर दिया।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य निवेदन यह है कि भूमि की प्रकृति इस पर निर्माण करके पहले ही परिवर्तित कर दी गयी है और इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 16(3) के अधीन आवेदन नहीं होगा। यह निवेदन भी किया गया है कि चूँकि याचीगण प्रश्नगत भूमि का उपयोग अपने निवास के रूप में कर रहे हैं, विद्वान सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड का आक्षेपित आदेश गलत होने के कारण अपास्त किया जा सकता है।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद, अपर समाहर्ता, धनबाद एवं सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड द्वारा याचीगण के विरुद्ध समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए जाने पर यह सुस्थापित है कि याचीगण का विधि में और तथ्यों पर मामला नहीं है। समस्त तीनों अवर न्यायालयों ने पक्षों के विरोधी दावों पर विचार किया है और तत्पश्चात उन्होंने याचीगण के विरुद्ध अपना निष्कर्ष दर्ज किया। उक्त प्राधिकारियों ने यह भी अभिनिधारित किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अग्रक्रयाधिकार का दावा करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 16(3) (i) के अधीन दाखिल आवेदन विधिपूर्ण है। अपने उक्त निवेदन के समर्थन में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता ने **मो॰ जस्मुद्दीन अंसारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** 2009(3) JLJR 533 मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है। अंत में निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त पहलूओं पर विचार करते हुए विद्वान सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 17.7.2006 के आक्षेपित आदेश ने इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर तथा अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन के बाद, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 ने 2.2.2000 को भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 16(3) (i) के अधीन आवेदन दाखिल किया जिस पर दिनांक 18.2.2002 के आदेश के तहत याचीगण को नोटिस जारी किया गया था। तत्पश्चात, 18.3.2002 को याचीगण भूमि सुधार उपसमाहर्ता के समक्ष उपस्थित हुए और कारण बताओ का उत्तर दाखिल करने के लिए समय का प्रार्थना किया। बाद में, 6.5.2002 को प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता के समक्ष इस प्रभाव का याचिका दाखिल किया कि याचीगण ने उक्त भूमि पर भवन निर्माण किया है। सच्चे तथ्यों को अभिनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा 20.12.2012 को जाँच की गयी थी और ऐसी जाँच पर वह इस निष्कर्ष पर आए कि याचीगण द्वारा स्थल सत्यापन की तिथि से 5–6 माह पहले निर्माण गतिविधि आरंभ की गयी थी।

7. विद्वान सदस्य, राजस्व बोर्ड ने इस पहलू पर विचार किया है कि क्या याचीगण भूमि की प्रकृति परिवर्तित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 16(3) (i) की गैर प्रयोज्यता का दावा कर सकते हैं। विद्वान सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा संप्रेक्षित किया गया है कि यदि याचीगण ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16(3)(i) के अधीन आवेदन दाखिल करने के पहले घर का निर्माण किया था, उन्होंने अपने दावा में उक्त तथ्य का समर्थन किया होता। आक्षेपित आदेश में यह भी संप्रेक्षित किया गया है कि अग्रक्रय आवेदन दाखिल करने के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 ने भी मामले का अंतिम निपटान लंबित रहते हुए भूमि पर निर्माण करने से याचीगण को अवरुद्ध करने के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के समक्ष याचिका दाखिल किया। बाद में, दो अवसरों पर, प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को सूचित किया कि याचीगण गृह निर्माण करके भूमि की प्रकृति बदलने का प्रयास कर रहे थे। भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने याचीगण को निर्माण रोकने का आदेश भी दिया किंतु उसके बावजूद याचीगण ने निर्माण पूरा किया।

8. इस प्रकार, उक्त तथ्यों के अधीन, मेरे मत में, याचीगण दावा नहीं कर सकते हैं कि भूमि की प्रकृति परिवर्तित हो गयी है। अन्यथा भी, प्रश्नगत भूमि पर उक्त निर्माण 12 डिसमिल भूमि में से 2 डिसमिल पर है और शेष भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन से किया गया है। इस प्रकार, विवादित भूमि के लगभग 90% का उपयोग कृषि प्रयोजन से किया गया है। उक्त ताथ्यिक पृष्ठभूमि के अधीन सदस्य, राजस्व बोर्ड ने सही प्रकार से संप्रेक्षित किया है कि प्रश्नगत भूमि अभी भी भूमि के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है जैसा उक्त अधिनियम की धारा 2(f) में परिभाषित किया गया है। विद्वान सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा यह भी संप्रेक्षित किया गया है कि याचीगण प्रश्नगत भूमि पर निर्मित घर में निवास नहीं कर रहे थे बल्कि वे गाँव में अन्य घर में रह रहे थे जिसे स्थल सत्यापन के क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा पाया गया था। **मो॰ जसमुद्दीन अंसारी बनाम झारखंड राज्य (ऊपर)** में, इस न्यायालय ने समरूप विवाद्यक से संबंधित अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि शुद्धतः तथ्यों पर अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती रिट अधिकारिता में हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं अग्रक्रय पुनरीक्षण मामला सं॰ 10/2005 में सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड द्वारा पारित दिनांक 17.7.2006 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है।

ekuuh; vferkHk xlrk] U;k;efr

मेसर्स इफको टोकियो जेनरल इंश्योरेन्स कं०

cuke

मीना देवी एवं अन्य

M.A. No. 292 of 2010. Decided on 14th February, 2017.

मोटर यान अधिनियम, 1988–धाराएँ 140 एवं 166–मोटर बीमा–पॉलिसी की शर्तों का भंग–दुर्घटनावश मृत्यु–अंतरिम मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व स्वामी अथवा स्वामियों पर संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से है–तृतीय पक्ष दायित्व ऐसे मामले में उद्भूत होगा जहाँ वाहन संक्रमण में था–तृतीय पक्ष की ओर बीमा कंपनी के दायित्व का अधिमूल्यन केवल प्रासंगिक साक्ष्य देने का अवसर पक्षों को देकर पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के संबंध में आरंभिक जाँच करने के बाद किया जा सकता था–एम० वी० अधिनियम की धारा 140 के निबंधनानुसार वाहन का स्वामी दावेदारों को मुआवजा का भुगतान करने का दायी है–इस चरण पर बीमाकर्ता को मुआवजा का भुगतान करने के दायित्व से विमुक्त किया जाता है और स्वामी दावेदारों को भुगतान के लिए राशि की वसूली हेतु अग्रसर होने का दायी है। (पैरा 6)

निर्णयज विधि.–2012 (4) JLJR 254; 2015(4) SCC 213—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Ashutosh Anand, For the Appellant; Mr. Lukesh Kumar, For the Respondent.

आदेश

यह अपील अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट VI–सह–मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, धनबाद द्वारा अभिधान एम० वी० वाद सं० 267 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 29.9.2010 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी/इफ्को टोकियो जेनरल इंश्योरेन्स कं० को मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में ''एम० वी० अधिनियम'') की धारा 140 के अधीन प्रत्यर्थियों/दावेदारों को 50,000/- रुपया के अंतरिम मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

2. विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों का अधिमूल्यन करने के पहले, वर्तमान अपील को उद्भूत करने वाले तथ्यों का संक्षिप्त रूप से कथन करना आवश्यक होगा। दावेदारों का मामला यह है कि मृतक चंद्रिका पासवान आकाश किनारी कोलियरी, पी०एस० कतरास के निकट अवस्थित तालाब के पास दैनिक कर्म से निबटने गया। उसे वाहन टिप्पर सं० JH10M 7062 द्वारा धक्का मारा गया था। उसने गंभीर अपहति पाया और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी। यह अभिकथित किया गया है कि उक्त ट्रक लापरवाही एवं उपेक्षा से चलाया जा रहा था। चालक के विरुद्ध धारा 279 एवं 304A के अधीन प्राथमिकी कतरास पी० एस० केस सं० 282 वर्ष 2008 दर्ज की गयी थी। अन्वेषण करने पर चालक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि बीमा पॉलिसी परिशिष्ट-1, से स्पष्ट होगा कि बीमा प्लांट एवं मशीनरी के लिए था और उक्त बीमा पॉलिसी मोटर यान अधिनियम के अधीन जारी नहीं की गयी थी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया था कि अवर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि घटना वाहन के संक्रमण के दौरान मेसर्स बी०सी०सी०एल० के ऑपरेशनल क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी और प्रतिवादी (वर्तमान अपीलार्थी) द्वारा इनकार नहीं किया गया है कि वाहन ऑपरेशनल प्रयोजन से उपयोग में नहीं था, इस प्रकार, अपवर्जनकारी खंड दावेदार के प्रतिकूल नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एम०वी० अधिनियम, 1988 की धारा 140 मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को तुरन्त राहत पहुँचाने के लिए लाभकारी प्रावधान होने के कारण दोषरहित दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, किंतु एम०वी० अधिनियम की धारा 140 के खंड 1 के निबंधनानुसार मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व स्वामी अथवा स्वामियों पर संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से है। यह तर्क किया गया है कि स्वामी की क्षतिपूर्ति करने का बीमा कंपनी का दायित्व मोटरयान अधिनियम की धारा 145 के अधीन प्रावधानित किया गया है। पॉलिसी के निबंधनों का परिशीलन दर्शाएगा कि पॉलिसी में कतिपय अपवाद अनुबंधित किए गए हैं जिसके द्वारा बीमा कंपनी पर मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता है जहाँ वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक संक्रमण में है जैसा पॉलिसी के खंड 2(h) में प्रावधानित किया गया है। कि जहाँ तक तृतीय पक्ष दायित्व का संबंध है, संविदा में अनुबंधित किया गया है कि तृतीय पक्ष जो गैर कर्मचारी अथवा बीमाकृत के परिवार का गैर-कार्यरत सदस्य है जिसने स्थल पर करार के निबंधनों, परिशिष्ट 1 के मुताबिक ऐसी उपहति पायी थी।

यह तर्क किया गया है कि पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तो के साथ बीमा पॉलिसी दाखिल की गयी थी, किंतु अवर न्यायालय ने निबंधनों एवं शर्तों का अधिमूल्यन किए बिना, बीमाकर्ता/अपीलार्थी को साक्ष्य देने का अवसर दिए बिना कि मृतक की मृत्यु पॉलिसी के अधीन आच्छादित नहीं थी और बीमाकर्ता अपवाद के लाभ का हकदार था और अपीलार्थी/बीमा कंपनी स्वामी की क्षतिपूर्ति करने का दायी नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में अंतर्ग्रस्त दुर्घटना पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों द्वारा आच्छादित नहीं थी, बीमाकर्ता पर दायित्व डाला है। यह तर्क किया गया है कि आवेदन अधिनियम की धारा 166 के अधीन कोई दावा दाखिल किए बिना केवल अधिनियम की धारा 140 के अधीन दाखिल किया गया था और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को यह स्थापित करने के लिए कि बीमाकर्ता पॉलिसी के निबंधनानुसार स्वामी को क्षतिपूर्ति करने का दायी था, आरंभिक जाँच करना चाहिए था।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी/स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधिकरण द्वारा गलती नहीं की गयी है और उसने **1993 ACJ 1219 में प्रकाशित (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लि० बनाम रतन सिंह)** में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि जब वाहन वैध रूप से बीमाकृत है, तब एम०वी० अधिनियम की धारा 140 के अधीन अधिनिर्णीत राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाना है। यह तर्क किया गया है कि यदि पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन था भी, उस पर केवल तब विचार किया जा सकता है जब साक्ष्य दिया जाता है और एम० वी० अधिनियम की धारा 168 के अधीन अधिनिर्णय पारित किया जाता है और न कि इस चरण पर। उन्होंने 2012 (4) JLJR 254 एवं **2015(4) SCC 213** में प्रकाशित निर्णयों पर भी विश्वास किया है।

5. न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कि क्या दावेदारों ने एम०बी० अधिनियम की धारा 166 के अधीन आवेदन दाखिल किया है, प्रत्यर्थी दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: स्वीकार किया है कि एम० वी० अधिनियम की धारा 166 के अधीन आवेदन दाखिल नहीं किया गया है और इसे अंतरिम मुआवजा के भुगतान की प्राप्ति पर दाखिल किया जाएगा।

6. स्वीकृत रूप से आवेदन केवल एम० वी० अधिनियम की धारा 140 के अधीन दाखिल किया गया है। यह सत्य है कि एम० वी० अधिनियम की धारा 140 का प्रावधान नो फॉल्ट दायित्व के सिद्धांत पर आधारित लाभकारी विधान है किंतु एम०वी० अधिनियम की धारा 140 का खंड 1 अनुध्यात करता है कि आंतरिक मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व स्वामी अथवा स्वामियों पर संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से है। यहाँ इसमें संलग्न बीमा पॉलिसी की निबंधनें एवं शर्तें स्पष्टत: अनुबंधित करती हैं कि

तृतीय पक्ष दायित्व उस मामले में उद्भूत होगा जहाँ वाहन संक्रमण में था। अवर न्यायालय ने पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों की व्याख्या करने में गलती किया है और अधिमूल्यन करने में विफल रहा है कि बीमा पॉलिसी मुख्यत: प्लान्ट एवं मशीनरी के संबंध में जारी की गयी थी। तृतीय पक्ष के प्रति बीमा कंपनी के दायित्व का अधिमूल्यन केवल पक्षों को प्रासंगिक साक्ष्य देने का अवसर देकर पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के संबंध में आरंभिक जाँच करने के बाद ही किया जा सकता था। यदि प्रत्यर्थी/दावेदार ने अधिनियम की धाराओं 166 एवं 140 के अधीन कंपोजिट आवेदन दाखिल किया होता, तब बीमा कंपनी पर अधिनियम की धारा 166 के अधीन आवेदन के परिणाम के अध्यधीन मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व डाला जा सकता था। विचारण न्यायालय को बीमाकर्ता पर दायित्व डालने के पहले यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या दुर्घटना पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अपवाद खंड से कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आती है, आरंभिक जाँच के आधार पर अपनी संतुष्टि दर्ज करना चाहिए था। एम०वी० अधिनियम की धारा 140 के मुताबिक वाहन स्वामी दावेदारों को मुआवजा का भुगतान करने का दायी है। तद्नुसार इस चरण पर बीमाकर्ता को मुआवजा का भुगतान करने के दायित्व से विमुक्त किया जाता है जबकि स्वामी दावेदारों को भुगतान के लिए राशि की वसूली हेतु अग्रसर होने का दायी है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले के गुणागुण पर कोई दृष्टिकोण अथवा मत अभिव्यक्त नहीं किया गया है और अवर न्यायालय इसमें उपर किसे गए किसी संप्रेक्षण से प्रभावित नहीं होगा यदि एम०वी० अधिनियम की धारा 166 के अधीन आवेदन दाखिल किया जाता है।

रजिस्ट्री को अपीलार्थी/ बीमा कंपनी को जमा की गयी सांविधिक राशि वापस कराने का निर्देश दिया जाता है।

अपील एतद् द्वारा निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

श्रीमती सारो देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 7140 of 2005. Decided on 30th June, 2017.

बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा क्षेत्र का नियतीकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961–धारा 16(3)–अग्रक्रयाधिकार–याची का प्रतिवाद कि वह भूमिहीन महिला है, इस तथ्य की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसने अवर न्यायालयों के समक्ष अभिवचन नहीं किया था कि उसके पास अपने पति सहित प्रश्नगत भूमि के सिवाए भूमि नहीं थी–तीन अवर न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष है–अंतर्ग्रस्त ताथ्यिक एवं विधिक विवाद्यकों के विस्तारपूर्ण न्यायनिर्णयन पर अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आए कि याची ने विक्रय विलेख जिसे मूल प्रत्यर्थी द्वारा अग्रक्रयाधिकार आवेदन दाखिल किए जाने के 90 दिन बाद निष्पादित किया गया था की प्रति के सिवाए पार्श्वता का अपना दावा सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था और इस दशा में इसे विचार में नहीं लिया जा सकता था–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 6 एवं 10)

निर्णयज विधि.–2011 (2) BBCJ 642—Relied.

अधिवक्तागण.–Md. Imtiaz Khan, For the Petitioner; Mr. Sahil, For the State; Mr. Prashant Pallav, For the Resp. No. 5.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका बोर्ड केस सं॰ 19 वर्ष 2003 में राजस्व बोर्ड, झारखंड के सदस्य द्वारा पारित दिनांक 9.4.2005 के आदेश को अभिखंडित करने एवं एल॰ सी॰ अपील सं॰ XV 61 वर्ष 2001-02 में उपायुक्त, पलामू द्वारा पारित दिनांक 3.2.2003 के आदेश के अभिखंडन के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए दाखिल की गयी है। याची ने भूमि महत्तम सीमा मामला सं॰ 17 वर्ष 2001-02 में उपसमाहर्ता, भूमि सुधार, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 25.2.2002 के आदेश के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है जिसके द्वारा अवर न्यायालयों ने बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा क्षेत्र का नियतीकरण तथा अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के प्रावधानों के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 5 का अग्रक्रयाधिकारी के रूप में दावा अनुज्ञात किया है।

2. वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी सं॰ 5 (बिपत यादव) की मृत्यु हो गयी। मूल प्रत्यर्थी सं॰ 5 के प्रतिस्थापन के लिए उसके उत्तराधिकारियों एवं विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ए॰सं॰ 3503 वर्ष 2007 दाखिल किया गया था। उक्त प्रतिस्थापन याचिका दिनांक 17. 1.2012 के आदेश के तहत अनुज्ञात की गयी थी और तद्नुसार, मूल प्रत्यर्थी सं॰ 5 को उसके उत्तराधिकारियों एवं विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रति स्थापित किया गया था जिनका वर्णन आई॰ए॰ सं॰ 3503 वर्ष 2007 में दिया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ग्राम झारी, पी॰एस॰ पाटन, जिला पलामू अवस्थित 0.691/3 एकड़ क्षेत्रफल के माप वाली खाता सं॰ 117, भूखंड सं॰ 246 की भूमि का किसी श्रीमती बच्ची से दिनांक 6.7.2001 के विक्रय विलेख सं॰ 7020 के तहत खरीदार है। मूल प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने स्वयं का पार्श्व रैयत एवं सहअंशधारी होने का दावा करते हुए बिहार भूमि सुधार (महत्तम सीमा क्षेत्र का नियतीकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 16(3) के अधीन आवेदन दाखिल किया और अग्रक्रयाधिकार के लिए उसका दावा डी॰सी॰एल॰आर॰ पलामू द्वारा अनुज्ञात किया गया था। याची ने उपायुक्त, पलामू के समक्ष अपील दाखिल किया, किंतु उक्त अपील खारिज की गयी थी। बाद में, याची ने सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया जिसे भी दिनांक 9.4.2005 के आदेश के तहत खारिज किया गया था। अतः, याची ने वर्तमान रिट याचिका में अवर न्यायालयों द्वारा पारित समस्त आदेशों को चुनौती दिया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यद्यपि सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड के समक्ष याची द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज की गयी थी, फिर भी सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 9.4.2005 के आदेश से संप्रेक्षित किया गया था कि खतियान एवं वंशावली के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि खाता सं॰ 59 की भूमि किसी शिवचरण अहीर के नाम से दर्ज की गयी थी जो प्रत्यर्थी सं॰ 5 का परदादा ओर याची के पति का भी परदादा है। किंतु आश्चर्यजनक रूप से, याची द्वारा उपसमाहर्ता, भूमि सुधार, पलामू अथवा उपायुक्त, पलामू के समक्ष उक्त अभिवचन नहीं किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि वह भूमिहीन महिला है, जिसने गृह निर्माण के लिए भूमि खरीदा और, इसलिए, समस्त अवर न्यायालयों ने मूल प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में अग्रक्रयाधिकार अनुज्ञात करने में गंभीर गलती किया।

5. समानांतर स्तंभ में, अपने विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जा रहे मूल प्रत्यर्थी सं॰ 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह कार्यवाही के पक्षों का स्वीकृत

मामला है कि याची स्वयं का भूमिहीन महिला के रूप में दावा कर रही है किंतु उसने यह भी अभिवचन किया हैं कि वह भिन्न विक्रय विलेख के माध्यम से पार्श्व भूमि खरीदने के फलस्वरूप पार्श्व रैयत है। उक्त खरीद अग्रक्रयाधिकार कार्यवाही आरंभ होने के बाद की गयी थी। इसके अतिरिक्त, याची का पति अभिलिखित अभिधारी का विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते पहले से ही घर सहित भूमि के एक अन्य टुकड़े पर काबिज था जिसमें वह याची एवं संतानों के साथ रहता था। आगे यह निवेदन किया गया हैं कि विद्वान सदस्य राजस्व बोर्ड, झारखंड ने इस तथ्य को ध्यान में लेते हुए कि उसने स्वयं का भूमिहीन महिला होने का दावा किया, फिर भी साथ-साथ अभिवचन किया कि उसने पार्श्व भूमि खरीदा है जिसे विधि की दृष्टि में और मामले के तथ्यों में भी मान्य नहीं कहा जा सकता है, सही प्रकार से याची का प्रतिवाद अस्वीकार किया है। समस्त अवर न्यायालय स्पष्ट निष्कर्ष पर आए हैं कि याची द्वारा दावा किया गया पार्श्व भूमि का खरीद अधिनियम की धारा 16(3) के प्रावधानों के जाल के अधीन आता है जो याची के लिए यह अभिवचन करने की गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि वह भूमि की सद्भावपूर्ण खरीदार है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि तीन अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। अंतर्ग्रस्त ताथ्यिक एवं विधिक विवाद्यकों के विस्तारपूर्ण न्याय निर्णयण पर अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आए हैं कि याची ने विक्रय विलेख जिसे मूल प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा अग्रक्रय आवेदन दाखिल किए जाने के 90 दिनों बाद निष्पादित किया गया था की प्रति के सिवाए पार्श्वता का अपना दावा सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इस दशा में, इसे विचार में नहीं लिया जा सकता था। दूसरी ओर, मूल प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने तीन विक्रय विलेखों की प्रतियों को प्रस्तुत किया जिनके माध्यम से उसने पार्श्वता का दावा किया। मूल प्रत्यर्थी सं॰ 5 इस तथ्य के प्रमाण में कि वह सह अंशधारी है और पार्श्विक रैयत है, अवर न्यायालयों के समक्ष पर्याप्त दस्तावेज दाखिल करता प्रतीत होता है। दूसरी ओर, याची अपने दावा के समर्थन में कोई ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में बिफल रही। याची का दावा कि वह भूमिहीन महिला है, इस तथ्य की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसने अवर न्यायालयों के समक्ष अभिवचन नहीं किया या कि उसके पास अपने पति सहित प्रश्नगत भूमि के सिवाए भूमि नहीं थी। विद्वान डी॰ सी॰ एल॰ आर॰, डालटेनगंज ने अपने आदेश में संप्रेक्षित किया है कि याची का पति 3.62½ एकड़ भूमि धारण कर रहा है और उसके अतिरिक्त याची ने प्रश्नगत भूमि के सिवाए कुछ भूखंड भी खरीदा है।

7. श्रीमती शांति देवी बनाम बिहार राज्य, 2011(2) BBCJ 642, में पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

^^12- fdr ekeyk fHkUu gkrk ;fn vkond u oLrr% vfHkopu fd;k gkrk fd og Hkfeghu efgyk g vkj mld ifr lfgr mld vFkok mld ifjokj d vU; lnL; d ikl mld }kjk [kjhnh x;h fookfnr Hkfe d flok, vU; Hkfe ugh FkhA iR;fFk;k d fo}ku vfèkoDrk u lgh idkj l fuonu fd;k g fd ey ikfèkdkjh d le{k vFkok bl U;k;ky; d le{k Hkh ,l vfHkopu ugh fd;k x;k Fkk vkj ,l vfHkopu dh vuifLFkfr e vihykFkh dk ;g nf"Vdk.k yu dh vuefr ugh nh tk ldrh g fd mld ikl i'uxr Hkfe d flok, Hkfe ugh gA blh idkj l ;g vkxg fd;k x;k Fkk fd oLrr% vihykFkh d ifr d ikl vkokl ,o df"k Hkfe gA iR;fFk;k d fo}ku vfèkoDrk u ;g Hkh ifrokn fd;k fd vihykFkh viu ifr ,o ifjokj d vU; lnL;k d lkFk ,d lkFk fdlh vU; Hkfe ij jg jgh gA oreku vihykFkh vFkok mld ifr }kjk èkkj.k dh x;h Hkfe ifjokj dh Hkfe d :i

e yh tk,xh t lk Hkfe egÙke {k= vfèkfu;e dh èkkjk 2(ee) d vèkhu ifjHkkf"kr fd;k x;k gA

8. विद्वान सदस्य, राजस्व बोर्ड, झारखंड द्वारा पारित दिनांक 9.4.2005 के आदेश के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त पहलू पर विस्तार से विचार किया गया है और याची तथा प्रत्यर्थी सं॰ 5 की ओर से किए गए परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर आया गया था कि याची पार्श्वता के अधिकार का कोई विधिक दावा करने में सक्षम नहीं हुई है।

9. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

10. रिट याचिका गुणागुणारहित होने के नाते तदनुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

परशुराम टुडु उर्फ पसिया टुडु

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 1001 of 2006. Decided on 13th July, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 201—हत्या एवं साक्ष्य गायब करना—दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील—अंतिम बार साथ देखा गया साक्ष्य—किसी घातक हथियार द्वारा हमला दर्शाता मृतक पर उपहति नहीं पायी गयी—मृतक ने मदिरा सेवन किया था और चिकित्सकीय मत था कि उपहतियाँ संभव थी यदि व्यक्ति मदिरा के प्रभाव में सख्त जमीन पर गिरता है—हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है—संदेह का लाभ देकर अपीलार्थी दोषमुक्त। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.—None, For the Appellant; A.P.P., For the State

आदेश

यह कारा अपील विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ॰टी॰सी॰), दुमका द्वारा एस॰सी॰ केस सं॰ 146 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 13 अप्रिल, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18 अप्रिल, 2006 के दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई करने पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए पाँच वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

2. हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। अपीलार्थी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है, इस दशा में, हमने मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

3. अभियोजन मामला धेनेश्वर पहाड़िया जो मृतक का पुत्र है के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। उसने फर्दबयान में कथन किया है कि 10.12.2003 को अपराहन लगभग 4 बजे अभियुक्त परशुराम टुडु उसके घर आया और उसके पिता श्याम लाल पहाड़िया को इस बहाना पर कि उसने फसल कटाई का पूजा संपन्न किया था, खाने-पिलाने अपने साथ ले गया था। उसका पिता परशुराम टुडु के साथ गया, किंतु रात में वापस नहीं लौटा था। अगली सुबह, झाड़ी के निकट चेहरा पर कुछ उपहतियों के साथ

उसका मृत शरीर पाया गया था और कुछ दाँत भी टूटे हुए थे। उसके मुँह से शराब की बू आ रही थी। यह अभिकथित करते हुए कि अभियुक्त परशुराम टुडु ने उसके पिता की हत्या की थी, फर्दबयान दर्ज किया गया था जिसके आधार पर सरैयाहाट पी०एस० केस सं० 180 वर्ष 2003, जी०आर० सं० 1225 वर्ष 2003 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/201/34 के अधीन अपराध के लिए दर्ज किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने के बाद, अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 201 के अधीन आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर और विचारण किए जाने का दावा किए जाने पर उसका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन द्वारा मृतक की पत्नी, सूचक और डॉक्टर जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था सहित ग्यारह गवाहों का परीक्षण किया गया था। मामले के आई०ओ० का परीक्षण नहीं किया गया था।

5. आक्षेपित निर्णय एवं एल०सी०आर० दर्शाते हैं कि यद्यपि अभियोजन द्वारा परीक्षण किए गए गवाहों ने कथन किया है कि अपीलार्थी मृतक को अपने साथ ले गया था और अगले दिन मृत शरीर पाया गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। अपीलार्थी के विरुद्ध केवल अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य है और यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक ने मदिरा सेवन किया था और जब मृत शरीर पाया गया था, शराब की बू उसके मुँह में थी।

6. अ०सा० 11 डॉ० चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा हैं, जिन्होंने 12.12.2003 को मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया था:–

(I) ck, duiVVh d fgLl (ck;k xky) d mij fM¶;TM l tuA

(II) vxeLrd d ck, Hkkx ij ck;h Hko d mij fM¶;TM l tu&foPNnu ij l tu d uhp [ku dk FkDdk ik;k x;kA vkx foPNnu ij ck, ijkbVy vfLFk d tD'ku d fudV ck, Hkkx ij ÝVy vfLFk VVh gb ik;h x;h FkhA vkx foPNnu ij cu efutl fonh.k ik;k x;k rFkk Øfu;e d Hkhrj [ku ik;k x;kA

(III) mijh tcMk e nk dnh; bulkbtj ,o ,d ck;k yVjy bulkbtj xk;c ik;k x;k Fkk vkj lkdV [ku d FkDdk l Hkjk FkkA

vYdkgy ijh{k.k d fy, jklk;fud fo'y"k.k d fy, erd dk foljk ljf{kr fd;k x;k FkkA

इस गवाह ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने स्पष्टत: कथन किया है कि उपहतियाँ संभव थीं यदि व्यक्ति मदिरा के प्रभाव के अधीन नशे की हालत में सख्त जमीन पर गिरता है।

7. आक्षेपित निर्णय स्पष्टत: दर्शाता है कि बचाव आरोप से इनकार का है और अभिवचन किया गया था कि मृतक ने मदिरा के प्रभाव के अधीन जमीन पर गिरने के कारण उपहति पाया था और उसकी मृत्यु हो गयी थी। अवर न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, विशेषकर अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के अधीन अपराध का दोषी पाया है और उसको इसके लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है।

8. अ०सा० 11 डॉ० चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा के चिकित्सकीय साक्ष्य और प्रदर्श 3 के रूप में उनके द्वारा सिद्ध किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट के परिशीलन पर, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि यह सुझाने के लिए कि उस पर किसी घातक हथियार द्वारा प्रहार किया गया था, मृतक के शरीर पर ऐसी उपहति नहीं पायी गयी थी। यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक ने मदिरा सेवन किया था और डॉक्टर ने स्पष्टत: कथन किया है कि उपहतियाँ संभव थी यदि व्यक्ति मदिरा के प्रभाव के अधीन सख्त जमीन पर गिरता है। चूँकि शराब की बू थी, मृतक का विसरा भी अलकोहल परीक्षण के लिए रासायनिक विश्लेषण के लिए संरक्षित किया गया था। इस प्रकार, मदिरा के प्रभाव के अधीन कड़ी सतह पर गिरने के कारण मृतक की मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और हमारे सुविचारित मत में, इसका लाभ अभियुक्त अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए था। हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियुक्त के विरुद्ध केवल अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य है। वस्तुत: अपने प्रतिपरीक्षण में सूचक अ०सा० 7 धनेश्वर पहाड़िया और उसकी माता अ०सा० 6 शांति देवी ने स्वीकार किया है कि मृतक एवं अभियुक्त का मित्रवत एवं मुलाकाती संबंध था। अ०सा० 6 शांति देवी ने यह कथन भी किया है कि घटना के पीछे कारण नहीं था।

9. पूर्वोक्त कारणों से, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है और एस०सी०सं० 146 वर्ष 2004 में विद्वान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), दुमका द्वारा पारित दिनांक 13 अप्रिल, 2006 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दिनांक 18 अप्रिल, 2006 का दंडादेश विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है जिसे एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी परशुराम टुडु ऊर्फ पसिया टुडु को संदेह का लाभ दिया जाता है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी अभिरक्षा में है। उसे निर्मुक्त किया जाए और तुरन्त स्वतंत्र किया जाए यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

10. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। संबंधित न्यायालय को इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

नेपाल राम प्रजापति

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 1399 of 2007. Decided on 5th July, 2017

बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973—धाराएँ 14, 15 एवं 16–नामांतरण–संविधि द्वारा प्रदत्त ऐसी किसी शक्ति की अनुपस्थिति में प्राधिकारी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है–यदि मूल आदेश अंचलाधिकारी द्वारा पारित किया गया था, उक्त आदेश भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष अपील किए जाने योग्य था–राजस्व अभिलेख में परिशुद्धि करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता को अनुशंसा करने में अंचलाधिकारी द्वारा की गयी प्रक्रियात्मक गलती घातक प्रकृति की नहीं कही जा सकती है क्योंकि भूमि सुधार उप समाहर्ता अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी है–किंतु, जहाँ तक सबडिविजनल अधिकारी द्वारा अधिकारिता धारण किए जाने का संबंध है, यह पूर्णत: अवैध है क्योंकि पुनरीक्षण की

शक्ति का प्रयोग केवल जिला समाहर्ता द्वारा किया जा सकता है–रजिस्टर II में प्रथम दृष्टया प्रक्षेपांश दर्शाता राजस्व अभिलेख प्रविष्टि की परिशुद्धि से संबंधित आदेशों का उलटा जाना अधिकारिता के बिना सबडिविजनल अधिकारी द्वारा पारित किए जाने पर विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार अपास्त। (पैराएँ 13, 17 एवं 18)

निर्णयज विधि.–(2003) 2 SCC 111; (2007) 6 SCC 35; (2003) 2 SCC 533—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajiv Kumar, For the Petitioner; Mr. B.K. Dubey, For the Respondent No.; Mr. J.C. to S.C. (L&C), For the State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी सं०3 द्वारा पारित दिनांक 31.1.2007 के आदेश के अभिखंडन के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किए जाने के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने विविध मामला सं० 50/2005-06, 4/2006-07 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा द्वारा पारित दिनांक 12.12.2006 के आदेश के विरुद्ध अधिकारिता धारण किया और रजिस्टर II में प्रथम दृष्टया प्रक्षेपांश दर्शाते राजस्व अभिलेख प्रविष्टि की परिशुद्धि से संबंधित आदेश अपास्त कर दिया।

3. मामले का ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि खाता सं० 26, खेसरा सं० 237, क्षेत्रफल 0.05 एकड़, खेसरा सं० 238, क्षेत्रफल 0.07 एकड़, खेसरा सं० 239, क्षेत्रफल 0.72 एकड़ और खेसरा सं० 271, क्षेत्रफल 0.04 एकड़ अर्थात कुल क्षेत्रफल 0.88 एकड़ के अधीन पी०एस० सं० 175, ग्राम चतरा अवस्थित भूमि जमीन्दार धानु खलीफा द्वारा याची के पूर्वज अर्थात बंधन कुम्हार के पक्ष में बंदोबस्त की गयी थी और वह पूर्वोक्त भूमि के लगान का भुगतान कर रहा था। जमीन्दारी निहित होने के बाद, बंधन कुम्हार का नाम रजिस्टर II के वाल्यूम II पृष्ठ सं० 34 में प्रविष्ट किया गया था और वह सरकार को लगान का भुगतान करने लगा था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि खाता संख्या से संबंधित रजिस्टर II में कुछ प्रक्षेपांश को ध्यान में लिया गया था जैसा परिशिष्ट 2 के परिशीलन से प्रकट होगा कि खाता सं० 26 काटा गया है और 31 के रूप में लिखा गया है। किंतु, रजिस्टर II के एक अन्य कॉलम में खाता सं० 26 के रूप में सामने आता है। तदनुसार, याची ने अभिलेख की परिशुद्धि के लिए याचिका दाखिल किया जिसे विविध मामला सं० 50/2005-06 के रूप में दर्ज किया गया था। अंचलाधिकारी, चतरा ने जाँच करने के बाद एवं पक्षों को सुनने पर दिनांक 28.6.2006 के आदेश के तहत याचिका अनुज्ञात किया और रजिस्टर II में खाता सं० की आवश्यक परिशुद्धि करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, चतरा को अनुशंसा किया। तत्पश्चात, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चतरा ने दिनांक 12.12.2006 के आदेश के तहत अंचलाधिकारी, चतरा की अनुशंसा सारवान रूप से अनुमोदित किया और 2.94 एकड़ माप वाले क्षेत्र के सिवाए जिसकी जमाबंदी धानु खलीफा, एनुल हक आदि के पक्ष में सृजित की जानी आदेशित की गयी थी, 0.88 एकड़ के संबंध में याची के पक्ष में जमाबंदी जारी रहना अभिनिर्धारित किया। आश्चर्यजनक रुप से, प्रत्यर्थी सं० 3 ने प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा दाखिल आवेदन पर अंचलाधिकारी, चतरा के कार्यालय से मामले का अभिलेख मंगाया और पुनरीक्षण प्राधिकारी की अधिकारिता धारण करते हुए इस निर्देश के साथ कि संबंधित भूमि की जमाबंदी प्रत्यर्थी सं० 4 एवं 5 तथा अन्य के पूर्वजों के पक्ष में होनी चाहिए, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा और अंचलाधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 31.1.2007 का आक्षेपित आदेश पारित किया।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं० 3 ने राजस्व अभिलेख में परिशुद्धि से संबंधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अंचलाधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप

करके अपनी अधिकारिता/प्राधिकार का उल्लंघन किया। याची के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि सबडिविजनल अधिकारी, चतरा को बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973 (इसमें इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) के प्रावधान के अधीन दिनांक 31.1.2007 का आक्षेपित आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है। उक्त अधिनियम की धाराओं 14, 15 एवं 16 के प्रावधानों के मुताबिक, मूल प्राधिकारी अंचलाधिकारी है, अपीलीय प्राधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता है और पुनरीक्षण प्राधिकारी समाहर्ता है। इस दशा में, सब डिविजनल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित दिनांक 31.1.2007 का आदेश पूर्णतः अधिकारिताविहीन है और विधि की दृष्टि में अविद्यमान है और यह अपास्त किए जाने का दायी है।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सबडिविजनल अधिकारी मुख्य राजस्व अधिकारी है और इस दशा में उसे अंचलाधिकारी अथवा भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता देखने के लिए किसी राजस्व अभिलेख को मंगाने की शक्ति है।

7. प्रत्यर्थी सं॰ 4 से 6 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सबडिविजनल अधिकारी राजस्व अभिलेख में आवश्यक परिशुद्धि करने के लिए सम्यक रूप से सशक्त हैं और इसलिए उन्होंने इसकी शुद्धता का परीक्षण करने के लिए अंचलाधिकारी, चतरा से राजस्व अभिलेख मंगाया जो पूर्णतः विधिपूर्ण है और सबडिविजनल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित दिनांक 31.1.2007 के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि याची द्वारा दाखिल आवेदन पर अंचलाधिकारी, चतरा ने दिनांक 28.6.2006 के आदेश के तहत रजिस्टर II में प्रश्नगत भूमि के खाता सं॰ की आवश्यक परिशुद्धि करने के लिए अनुशंसा किया और इसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चतरा के कार्यालय भेजा गया था। अभिलेख की प्राप्ति पर और दोनों पक्षों को सुनने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, चतरा ने दिनांक 12.12.2006 के आदेश के तहत सारवान रूप से अंचलाधिकारी की अनुशंसा स्वीकार किया और 2. 94 एकड़ माप वाली भूमि के सिवाए जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं अन्य के पक्ष में प्रविष्ट करने का निर्देश दिया गया था, याची के पक्ष में संबंधित खाता के 0.88 एकड़ के संबंध में जमाबंदी जारी रखने का आदेश दिया। प्रत्यर्थी सं॰ 4 के आवेदन पर मामला अर्थात विविध मामला सं॰ 50/2005-06 एवं 4/2006-07 का अभिलेख तत्पश्चात प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा मंगाया गया था और उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा तथा अंचलाधिकारी, चतरा के आदेशों को अपास्त करते हुए दिनांक 31.1.2007 का आक्षेपित आदेश पारित किया और आगे प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं अन्य के पक्ष में जमाबंदी का सृजन तथा राजस्व अभिलेख में परिशुद्धि का आदेश दिया। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया मुख्य विवाद्यक प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा स्वयं को पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में मानते हुए प्रयोग की गयी अधिकारिता के संबंध में है।

9. अभिधारी लेजर रजिस्टर में नामांतरण/परिवर्तनों से संबंधित प्राधिकार एवं अधिकारिता बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973 में विहित की गयी है। उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:-

*^^14- **ukekrj.k ekeyk dk ryc ,o fuiVku-**&(i) èkkjk vk 4] 5] 6] 7] 8] 9 ,o 10 d vèkhu ukfVl vFkok èkkjk vk 11 ,o 12 d vèkhu vkonu vFkok*

èkkjk 13 d vèkhu fjikV dh ikfIr ij vpykfèkdkjh ukekrj.k dk;okgh vkjHk djxk vkj bl ukekrj.k ekeyk jftLVj ftl fofgr :i e j[kk tk,xk e ifo"V dju d ckn ,lk tkp fd;k tkuk dkfjr djxk tlk vko';d le>k tk ldrk g&

*15. **vihy**-&(1) èkkjk 14 dh mièkkjk (2) d vèkhu ikfjr vpykfèkdkjh d vkn'k d fo#) Hkfe lèkkj milekgrk d le{k vihy dh tk ldrh g ;fn bl vihy fd, x, vkn'k dh frFk ls rhl fnuk d Hkhrj nkf[ky fd;k x;k g-----***

*16- **iujh{k.k**-&ftyk lekgrk bl fufeÙk mldk fn, x, vkonu ij vFkok fdlh ikfèkdkjh vFkok vfèkdkjh }kjk bl vfèkfu;e vFkok mld vèkhu cuk;h x;h fu;ekoyh d vèkhu ikfjr fdlh vkn'k dh oèkrk vFkok vkfpR;rk d ifr Lo; dk lr"V dju d i;ktu l ,l ikfèkdkjh vFkok vfèkdkjh d le{k yfcr vFkok mld }kjk fuiVk, x, fdlh ekey dk vfHky[k exk ldrk g ,o ijh{k.k dj ldrk g vkj ,lk vkn'k ikfjr dj ldrk g tlk og l;kX; le>rk g-----***

10. उक्त अधिनियम की धाराओं 14, 15 एवं 16 के परिशीलन पर यह स्पष्ट होगा कि नामांतरण मामला के तलब तथा निपटान के लिए मूल प्राधिकारी अंचलाधिकारी है। उक्त अधिनियम की धारा 15 के मुताबिक, भूमि सुधार उपसमाहर्ता अपीलीय प्राधिकारी है और उक्त अधिनियम की धारा 16 के मुताबिक समाहर्ता पुनरीक्षण प्राधिकारी है।

11. बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख–रखाव) अधिनियम, 1973 की धारा 2(t) के अधीन सबडिविजनल अधिकारी परिभाषित किया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*^^(t) ^^lcfMfotuy vfèkdkjh** l vfHkir g ftyk d lcfMfotu d flfoy i'kklu dk iHkkjh vfèkdkjhA***

12. उक्त परिभाषा की दृष्टि में, सबडिविजनल अधिकारी उक्त अधिनियम के प्रयोजन से जिला के सबडिविजन के सिविल प्रशासन का प्रभारी अधिकारी है। किंतु, सबडिविजनल अधिकारी उक्त अधिनियम की धाराओं 14, 15 एवं 16 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकारी नहीं है।

13. यह सुस्थापित है कि प्राधिकारी की शक्ति/अधिकारिता संविधि द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधि द्वारा प्रदत्त ऐसी किसी शक्ति की अनुपस्थिति में प्राधिकारी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है।

14. भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पालिताना सूगर मिल (प्रा०) लि० (2003)2 SCC 111 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^40-------- ;g lLFkkfir g fd tc fdlh lkfofèkd ikfèkdkjh d fy, rjhdk fo'k"k e dkb pht djuk vko';d g] bl mlh rjhd l fd;k tkuk gkxk vFkok fcYdy ughA jkT; ,o vU; ikfèkdkjhx.k mDr vfèkfu;e d vèkhu ÑR; djr g, doy lofèk dh mRifÙk gA mUg bldh pkjnhokj d Hkhrj dR; djuk gkxkA***

15. कुर्मांचल डिग्री एवं डिप्लोमा संस्थान बनाम चांसलर, एम० जे० पी० रोहिलाखंड विश्वविद्यालय, (2007)6 SCC 35 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^20-------vèkhuLFk foèkku vfèkdkjrhr gkxk ;fn ;g e[; vfèkfu;e d ikoèkkuk dk mYy?ku djrk gA (n[k okIno flg cuke Hkkjr l?k] (2006)12 SCC 753 : (2006)11 Scale 108) ;g lKkr g fd lkfofèkd ikfèkdkjh dk lofèk dh pkjnhokj d Hkhrj ÑR; djuk gkxkA fu'p; gh bl {k=kfèkdkj d Hkhrj dk; djuk

*gkxk ftld Hkhrj bl lfofèk d vèkhu dk; djuk gA fo'ofo|ky; dh ,lh {k=h; vfèkdkfjrk cuk;h j[kh tkuh gkxh D;kfd vU;Fkk vjktdrk lftr gkxhA ;fn ,lh idfr d njLFk f'k{kk ikR lkfgr dh tkuh g] ,dek= jkLrk vfèkfu;e d ikoèkku dk mi;Dr :i l l'kkfèkr djuk gkxk***

16. इंडियन चार्ज क्रोम लि॰ बनाम भारत संघ, (2003)2 SCC 533, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

*^^27. dn ljdkj ,o jkT; ljdkj lkfofèkd ikfèkdkj gA mUg bl idkj lfofèk dh pkjnhokj d vrxr dR; djuk gkxk tc dkb vkn'k jkT; ljdkj vFkok dnh; ljdkj }kjk ikfjr fd, tku d fy, vk'kf;r g] bl mld fy, l{ke ikfèkdkjh }kjk ikfjr djuk gkxkA vkn'k ftl ikfèkdkj d fcuk vfèkdkjh }kjk ikfjr fd;k x;k g] vfo|eku gkxkA vr% dn ljdkj ml ij dR; ugh dj ldrh Fkh fo'k"kr% tc Lo; jkT; u ,lk nf"Vdk.k fy;kA ;g ml fopkj e yu e foQy jgk fd fnukd 30-6-2001 dh vfèkIpuk okil fy, tku d pyr vc ioÙk ugh FkhA***

17. स्वीकृत रूप से, उक्त अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण अधिकारी जिला समाहर्ता है। उक्त अधिनियम के अधीन सबडिविजनल अधिकारी पर ऐसी शक्ति प्रदत्त नहीं की गयी है। वर्तमान मामले में, यदि मूल आदेश अंचलाधिकारी, चतरा द्वारा पारित किया गया था, उक्त आदेश भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष अपील किए जाने योग्य था। यद्यपि अंचलाधिकारी ने राजस्व अभिलेख में परिशुद्धि करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, चतरा को अनुशंसा करने में प्रक्रियात्मक गलती किया, फिर भी उक्त प्रक्रियात्मक गलती घातक प्रकृति की नहीं कही जा सकती थी क्योंकि भूमि सुधार उपसमाहर्ता उक्त अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी है। किंतु, जहाँ तक सबडिविजनल अधिकारी, चतरा द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिता धारण करने का संबंध है, यह पूर्णत: अवैध है क्योंकि पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग केवल जिला समाहर्ता द्वारा किया जा सकता है।

18. उक्त चर्चा एवं न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में, मेरे मत में, किसी अधिकारिता के बिना प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित किए जाने पर दिनांक 31.1.2007 का आक्षेपित आदेश विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और इसे एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश अधिकारिता के विवाद्यक तक सीमित है और प्रश्नगत भूमि के संबंध में पक्षों के परस्पर दावा के संबंध में संप्रेक्षण नहीं किया गया है। पक्षों को समुचित रास्ता जैसा विधि के अधीन प्रावधानित किया गया है, लेने की छूट है।

20. तद्नुसार, यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के निबंधनानुसार निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vfer kHk dekj xlrk] U;k;efr

अजय कुमार सोनी उर्फ अजय सोनी एवं अन्य

cuke

अब्दुल रशीद एवं अन्य

Misc. Appeal No. 171 of 2013. Decided on 9th May, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 22 नियम 2 एवं 3–परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–वाद का प्रशमन–मृतक पक्ष के विधिक उत्तराधिकारियों का गैर-प्रतिस्थापन–आदेश 22 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का अर्थ कठोर मामले या सिद्धांत के रूप में नहीं लगाया जाना है बल्कि न्याय के प्रशासन में सुविधा के लचीले औजार के रूप में देखा जाना होगा–प्रक्रिया न्याय की अनुचारिणी के रूप में देखी जानी है और न कि न्याय के हित को अवरुद्ध करने अथवा घोर अन्याय करने के लिए–जिस सीमा तक अपील संपूर्ण रूप से उपशमनित हो गयी है आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है क्योंकि अन्य अपीलार्थियों के हित जीवित हैं–अवर न्यायालय गुणागुण पर अपील सुनेगा जहाँ तक अन्य अपीलार्थियों का संबंध है और गुणागुण पर मामला न्यायनिर्णीत। (पैरा 4)

निर्णयज विधि.–(2003) 3 SCC 272; 2016(1) JBCJ 461; AIR 1977 SC 2029; AIR 2003 AP 486—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Afaque Ahmed, For the Appellants; M/s S.K. Sharma, Awnish Shankar, For the Respondents.

आदेश

यह अपील जिला न्यायाधीश VI, हजारीबाग द्वारा अभिधान अपील सं॰ 38 वर्ष 2008 में पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी सं॰ 2 द्वारिका साव के प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 2 एवं 3 के अधीन दाखिल प्रत्यास्थापन के लिए याचिका अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने अपनी संतुष्टि दर्ज किया कि 3 वर्ष 2 माह 22 दिन बाद याचिका दाखिल करने में विलंब के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिया गया था और अपील संपूर्ण रूप से उपशमनित हो गयी थी।

2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा है कि दिनांक 25.7.2003 का विक्रय विलेख सं॰ 11691 शून्य एवं अकृत तथा वादी पर अबाध्यकारी घोषित करवाने के लिए वादीगण द्वारा वाद दाखिल किया गया था। इस न्याय निर्णयन एवं घोषणा के लिए भी अनुतोष इप्सित किया गया था कि दिनांक 5.12.1951 के विक्रय विलेख सं॰ 6375 में उल्लिखित भूखंड सं॰ 3131 गलत है और इसका पठन भूखंड सं॰ 3121 के रूप में किया जाना चाहिए। यह तर्क किया गया है कि इप्सित किया गया अनुतोष अविभाज्य नहीं था, अतः परिसीमा अवधि के भीतर अपीलार्थी सं॰ 2 के विधिक उत्तराधिकारियों का गैर-प्रतिस्थापन अपील के संपूर्ण रूप से प्रशमन का आधार नहीं हो सकता है।

विद्वान अधिवक्ता ने **सरदार अमरजीत सिंह कालरा बनाम प्रमोद गुप्ता, (2003)3 SCC 272,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए तर्क किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश XXII के उद्देश्य पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता न्याय की अनुचारिणी है और इसकी व्याख्या सारवान न्याय करने के लिए उदारतापूर्वक की जानी चाहिए। यह तर्क किया गया है कि अपील पक्षों में से एक के विरुद्ध उपशमनित हो सकती है और अभिलेख पर मौजूद पक्षों का हित संरक्षित किया जाना चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम प्रताप करण एवं अन्य, 2016(1) JBCJ 461** में उक्त निर्णयाधार अनुसरित एवं लागू किया गया है। उन्होंने प्रतिवाद किया कि सुस्थापित विधिक अवस्था की दृष्टि में आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

3. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस॰के॰ शर्मा ने प्रतिवाद किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने **मतिन्डु प्रकाश (मृतक) बनाम बचन सिंह एवं अन्य, AIR 1977 Supreme Court 2029,** में

अभिनिर्धारित किया है कि क्या अपील संपूर्ण रूप से उपशमनित हो गयी ताकि संपूर्ण अपील की खारिजी आवश्यक बनाए, ऐसा मामला था जिस पर अभिवचनों की प्रकृति, इप्सित अनुतोष एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के परिशीलन पर विचार किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय ने अभिवचनों एवं इप्सित अनुतोष पर विचार किया है जिसे आक्षेपित निर्णय में स्पष्ट रूप से परिवर्णित किया गया है और जैसा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है।

यह तर्क किया गया है कि अभिवचनों एवं इप्सित अनुतोष के अधिमूल्यन पर अवर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दोनों विक्रय विलेख निकट रूप से संबंधित है और अनुतोष विभाज्य नहीं है और सही प्रकार से संपूर्ण अपील खारिज कर दिया। यह तर्क किया गया है कि प्रत्यास्थापन याचिका दाखिल करने में विलंब के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण अथवा पर्याप्त कारण नहीं दिया गया था और न ही विलंब की माफी के लिए अथवा उपशमन अपास्त करवाने के लिए अपीलार्थियों/याचीगण द्वारा कोई आवेदन दाखिल किया गया था। कि अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों का लापरवाह रवैया तथा उपेक्षापूर्ण आचरण बयान में लिया गया है जिसने मामले में कठोर दृष्टिकोण लिया और सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया कि अपील संपूर्ण रूप से उपशमनित हो गयी थी। विद्वान अधिवक्ता ने अपना तर्क पुख्ता करने के लिए **नेहरा चिट्स (प्रा०) लि० बनाम बी० रामाचंद्रा रेड्डी एवं अन्य, AIR 2003 Andhra Pradesh 486** में निर्णय पर विश्वास किया है।

4. अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सं० 2 के विधिक उत्तराधिकारियों के लिए प्रतिस्थापन याचिका समय के भीतर दाखिल नहीं किया गया था। परिसीमा अधिनियम की धारा 3 न्यायालयों पर वाद जो परिसीमा द्वारा वर्जित है खारिज करने का कर्तव्य एवं बाध्यता डालती है। धारा 5 आवेदन अथवा अपील दाखिल करने में विलंब की माफी प्रावधानित करती है यदि न्यायालय संतुष्ट है कि पर्याप्त कारण दिया गया है, तब यह विलंब माफ करने के लिए अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकती है। अवर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पर्याप्त कारण अथवा युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, तद्नुसार विलंब की माफी के लिए एवं उपशमन अपास्त करने के लिए आवेदन अस्वीकार किया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **सरदार अमरजीत सिंह कालरा (ऊपर)** मामले में और **आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम प्रतापकरण एवं अन्य (ऊपर)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXII प्रभावशाली न्यायनिर्णयण द्वारा विवाद जारी रखने तथा समाप्त होने को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक, प्रभावकारी एवं सारवान न्याय करने के उद्देश्य और न कि कार्यवाही की प्रगति आगे रोकने और तद्द्वारा अन्य समस्थित व्यक्तियों को वादहीन बनाने के उद्देश्य से बनायी गयी थी जबतक संपत्ति के प्रति उनका सुभिन्न एवं स्वतंत्र अधिकार अथवा कोई दावा बना रहता है और कार्यवाही में एक या दूसरे की मृत्यु के कारण सदा के लिए गवाँ नहीं दिया जाता है। यह सुस्थापित प्रतिपादना है कि आदेश XXII में अंतर्विष्ट प्रावधान का अर्थ कठोर मामले अथवा सिद्धांत के रूप में नहीं लगाया जाना है बल्कि इसे न्याय के प्रशासन में सुविधा के लचीले औजार के रूप में देखा जाना होगा।

प्रक्रिया को न्याय की अनुचारिणी के रूप में देखा जाना है और न कि न्याय का उद्देश्य अवरुद्ध करने अथवा न्याय का हनन करने के लिए। अत: सुस्थापित प्रतिपादना की दृष्टि में, उस सीमातक कि अपील संपूर्ण रूप से उपशमनित हो गयी है, आदेश अपास्त किया जाता है क्योंकि अन्य अपीलार्थियों का हित जीवित है, तदनुसार अवर न्यायालय, जहाँ तक अन्य अपीलार्थियों का संबंध है, गुणागुण पर अपील सुनेगा और इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से प्राथमिकत: छह माह के भीतर गुणागुण पर मामला न्यायनिर्णीत करेगा।

पक्षगण मामले की शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई में सहयोग करेंगे जिसमें विफल होने पर अवर न्यायालय आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के साथ, अपील उपर उपदर्शित सीमा तक अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

बख्शीश हुसैन खान

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 4695 of 2006. Decided on 10th July, 2017.

संथाल परगना अभिधृति (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949–धारा 38(1)–झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004–नियम 5(2)–खनन लाइसेंस की समयपूर्व समाप्ति–संपोषणीयता–भूमि की प्रकृति सरकार द्वारा संधारित राजस्व अभिलेख के आधार पर मानी जानी है–जब तक भूमि की प्रकृति राजस्व अभिलेख में गोचर भूमि के रूप में उल्लिखित की गयी है, किसी राजस्व प्राधिकारी की रिपोर्ट महत्वहीन है–खनन देयों की वसूली के लिए याची के विरुद्ध प्रमाण पत्र मामला भी दाखिल किया गया है–पार्श्व भूमि के संबंध में खनन पट्टा रद्द किया गया है–खान आयुक्त द्वारा पारित आदेश अभिपुष्ट किया गया–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7, 10, 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.–(2011) 2 SCC 591—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Kanti Kumar Ojha, For the Petitioner; Md. M.S. Akhter, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका में, याची ने पुनरीक्षण मामला सं॰ 50 वर्ष 2004 में खान आयुक्त, झारखंड द्वारा पारित दिनांक 3.5.2006/24.5.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा याची के खनन लाइसेंस की समयपूर्व समाप्ति का आदेश मान्य ठहराया गया है। इसे विचार में लेकर कि याची को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक सत्यापन एवं आवश्यक जाँच करने के बाद प्रश्नगत भूमि पर पट्टा प्रदान किया गया था, नए खनन पट्टा के प्रदान के लिए याची के मामले पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश जारी करने की प्रार्थना अन्य बातों के साथ की गयी है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जिला दुमका के मौजा कुलकुल्ली दंगल के अधीन अवस्थित 3 एकड़ क्षेत्रफल भूमि वाले भूखंड सं॰ 393 (भाग) के संबंध में पत्थर के लिए खनन पट्टा अंचलाधिकारी, शिकारीपाड़ा द्वारा संचालित समस्त औपचारिकताओं, आवश्यक जाँच एवं सत्यापन का पालन करने के बाद पाँच वर्षों की अवधि के लिए वर्ष 1994 में प्रदान किया गया था। अंचलाधिकारी, शिकारीपाड़ा ने दिनांक 3.12.1993 की अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को अभिपुष्ट किया कि प्रश्नगत क्षेत्र को अधिकार अभिलेख में गोचर भूमि के रूप में दर्ज किया गया है जो वन क्षेत्र के बाहर है और यह चट्टानी भी है। अंचलाधिकारी द्वारा यह भी रिपोर्ट किया गया है कि प्रश्नगत भूमि से पत्थर निकालने के

कारण खड्डा हो गया है और यह गोचर योग्य नहीं है। याची पूर्वोक्त पट्टा के आधार पर पत्थर खोदने के व्यवसाय में लगा हुआ था और सरकार को नियमित रूप से रॉयल्टी का भुगतान कर रहा है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत पट्टा 10 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात 10.1.1999 से 9.1.2009 तक के लिए आगे नवीकृत किया गया था और अंतिम नवीकरण के समर्थन में याची ने पट्टा विलेख (परिशिष्ट 2) के उद्धरण की प्रति दाखिल किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि समय के क्रम में, भूमि की प्रकृति गोचर से 'खड्डा' में परिवर्तित हो गयी और प्रश्नगत भूमि के पार्श्व क्षेत्र में भी अनेक पट्टे प्रदान किए गए थे जिनमें से कुछ अभी भी विद्यमान है। प्रश्नगत भूमि के पार्श्व क्षेत्र में संबंधित मामलों में से एक में, पुनरीक्षण मामला सं० 188/88 में खान आयुक्त, पटना द्वारा पारित आदेश के फलस्वरूप पट्टा अभी भी विद्यमान है। यह निवेदन भी किया गया है कि खनन पट्टा के निबंधनानुसार याची सरकार के पास रॉयल्टी जमा कर रहा था, किंतु अपनी खराब वित्तीय दशा के कारण याची दिसंबर, 2000 से मई, 2003 की अवधि के दौरान रॉयल्टी की राशि जमा नहीं कर सका था और तद्नुसार उसके विरुद्ध अच्छी खासी राशि बकाया थी। याची 1994 से कार्यरत था और उक्त अवधि के पहले भी भूमि की प्रकृति अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की जा रही अवैध खनन गतिविधियों द्वारा परिवर्तित हो गयी थी। किंतु उपायुक्त, दुमका ने दिनांक 13.2.2004 के आदेश के तहत याची का खनन पट्टा जिला खनन अधिकारी, दुमका की गुमराह करने वाली रिपोर्ट जिसमें यह कथन किया गया था कि पट्टा पहले याची को गोचर भूमि पर प्रदान किया गया था और बकायों के गैर भुगतान के आधार पर भी समाप्त किया गया था जिसे जिला खनन अधिकारी, दुमका के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 11.3.2004 के पत्र के तहत संसूचित किया गया था। जिला खनन अधिकारी, दुमका के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 11.3.2004 के पत्र सं० 472 में अंतर्विष्ट आदेश से व्यथित होकर याची ने खान आयुक्त, झारखंड, राँची के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया। किंतु, खान आयुक्त, झारखंड ने दिनांक 3. 5.2006/24.5.2006 के आदेश के तहत याची का पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया। याची ने वर्तमान रिट याचिका में खान आयुक्त, झारखंड द्वारा पारित दिनांक 3.5.2006/24.5.2006 के आदेश को चुनौती दिया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन भी करते हैं कि खान आयुक्त ने प्रश्नगत भूमि को ''गोचर'' भूमि के रूप में मानने में गंभीर गलती किया। विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि में कि पत्थर तोड़ने का खनन पट्टा आरंभ में याची को अंचलाधिकारी, शिकारीपाड़ा की जाँच रिपोर्ट के अनुसरण में प्रदान किया गया था। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक, यद्यपि भूमि गोचर भूमि के रूप में दर्शायी गयी थी, फिर भी यह रिपोर्ट भी किया गया था कि समय के क्रम में अज्ञात व्यक्तियों ने उक्त भूमि से सतह के पत्थरों को हटाकर इसे खड्डा के रूप में संपरिवर्तित कर दिया है और इस प्रकार यह चरागाह के लिए उपयुक्त नहीं है।

6. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से किए गए प्रतिवादों का विरोध करते हुए निवेदन करते हैं कि याची को दुमका जिला के शिकारी पाड़ा पुलिस थाना के मौजा कुल कुइ दंगल की 3 एकड़ भूमि के क्षेत्र पर गोचर भूखंड सं० 393/ पर पत्थर तोड़ने के लिए 10.1.1994 से 9.1.1999 तक की पाँच वर्षों की अवधि के लिए खनन पट्टा प्रदान किया गया था और आगे 10. 1.1999 से 9.1.2009 तक की दस वर्षों की अवधि के लिए आगे नवीकृत किया गया था)। यह निवेदन किया गया है कि तत्पश्चात यह पाया गया था कि शिकारीपाड़ा पुलिस थाना की मौजा कुलकुइ दंगल की भूखंड सं० 393 की भूमि गोचर के रूप में दर्ज की गयी है और संथाल परगना अभिधृति अधिनियम, 1949 की धारा 38 के अनुसार, गोचर के रूप में दर्ज भूमि गोचर से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से खेती के अधीन बंदोबस्त अथवा लायी अथवा उपयोगित नहीं की जा सकती है। आगे यह निवेदन किया गया

है कि यह भी ध्यान में लिया गया था कि गोचर भूमि पर खनन पट्टा का प्रदान बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 (झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के तत्सम) के नियम 5(2) के अधीन निर्बंधित भी है। यह भी निवेदन किया गया है कि इसके अतिरिक्त, याची के विरुद्ध 1,66,233/– रुपयों की राशि बकाया खनन देयों के रूप में पायी गयी थी। तत्पश्चात जिला खनन अधिकारी, दुमका द्वारा दिनांक 26.12.2003 के पत्र सं॰ 1676/M के तहत याची को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। याची ने 16.1.2004 को अपना उत्तर दाखिल किया किंतु उसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया था, अत: उपायुक्त, दुमका ने याची को प्रदान किया गया खनन पट्टा समाप्त कर दिया। आदेश में यह संप्रेक्षित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि (मौजा कुलकुलीदंगल का भूखंड सं॰ 393) गोचर भूमि है। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि खान आयुक्त, झारखंड द्वारा पारित दिनांक 3.5.2006/24.5. 2006 का आक्षेपित आदेश पूर्णत: विधि के अनुरूप है और इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि यद्यपि वर्ष 1994 में याची को खनन पट्टा प्रदान करने के पहले उपायुक्त, दुमका द्वारा अंचलाधिकारी, शिकारीपाड़ा से रिपोर्ट मंगायी गयी थी, फिर भी उक्त रिपोर्ट के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि अंचलाधिकारी, शिकारीपाड़ा द्वारा की गयी अनुशंसा स्वयं अस्पष्ट थी। एक ओर, यह रिपोर्ट किया गया था कि प्रश्नगत भूमि गोचर भूमि है और दूसरी ओर यह भी रिपोर्ट किया गया था कि समय के क्रम में उक्त भूमि पर पड़े पत्थरों को हटाया गया है जिसने खड्डा सृजित किया है, अत: यह गोचर के लिए उपयुक्त नहीं है। यह सुस्थापित है कि भूमि की प्रकृति सरकार द्वारा संधारित राजस्व अभिलेख के आधार पर मानी जानी है। जबतक भूमि की प्रकृति का उल्लेख गोचर भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में किया गया है किसी राजस्व–प्राधिकारी की रिपोर्ट परिणामहीन है। संथाल परगना अभिधृति (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 की धारा 38(1) का पठन निम्नलिखित है:–

*^^38- **xkpj Hkfe dh [krh ugh dh tk,xh-**&(1) xkexkpj Hkfe vFkok xkpj d :i e nt Hkfe fdlh d }kjk xkpj l fHkUu fdlh i;ktu l [krh d vèkhu cnkcLr ;k yk;h ;k mi;kfxr ugh dh tk,xhA***

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम पाकुड़ जागरण मंच एवं अन्य, (2011)2 SCC 591,** में पैराग्राफ सं॰ 24 एवं 25 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^^24 tc dHkh fdlh ykd i;ktu l (ftl tlk dFku mij fd;k x;k g dk vfre lgkjk d :i e fy;k tkuk pkfg,) fdlh xkpj Hkfe dk vukjf{kr djuk vifjgk; vFkok vko';d cu tkrk g] fofu;e 24 ,o 25 rFkk èkkjk 38(2) e vuè;kr fuEufyf[kr ifØ;k dk dBkjrkiod vulj.k fd;k tkuk pkfg,%

(a) vfèkdkfjrki.k mik;Dr dkj.k nr g, fVIi.kh@fjikV r;kj djxk fd D;k xkpj fdlh xj&xkpj ykd i;ktu l fpfUgr fd;k x;k g vkj ,l ykd i;ktu d fy, vU; mi;Dr Hkfe dh vuiyCèkrk nt djxkA mik;Dr vukj{k.k d fy, mDr iLrko jkT; ljdkj dk bldh io etjh d fy, HktxkA

(b) jkT; ljdkj xkpj dk mí'; vkj xke {k= d U;ure ikp ifr'kr dk xkpj d :i e cuk, j[ku dh vko';drk dk è;ku e j[kr g, etjh d

vujkèk ij fopkj djxk vkj etjh inku dju d igy xkeh.kk l l>ko@vkifÙk ekxxkA

(c) ;fn jkT; ljdkj etjh inku djrh g] mik;Dr vfèkdkj vfHky[k e lefpr ifof"V djd vkj bl i;ktu ftld fy, bl vukjf{kr fd;k x;k Fkk] iuoxhdr djd xkpj vukjf{kr djrk vkn'k ikfjr dju d fy, vxlj gkxkA

(d) tc dHkh xke e xkpj vukjf{kr fd;k tkrk g vkj xj&xkpj mi;kx d fy, foe[k dj fn;k tkrk g] rRi'pkr jkT; lkFk&lkFk vFkok de l de rjUr bl rjhd l vkj bl lhek rd odfYid Hkfe xkpj d :i e miyCèk djk,xk fd xkpj xke dh dy lhek d 5% l U;u ugh cuk jgrk g tlk vfHkèkfr vfèkfu;e dh èkkjk 38(2) d vèkhu ikoèkkfur fd;k x;k gA

*25- tc xkpj ljdkjh Hkfe ugh g] cfYd xkeh.kk e vkj u fdlh ljdkj e fufgr xko dh lkekU; Hkfe g] xke ièkku ,o tekcnh j;rk@xkeh.kk ftue Hkfe fufgr dh x;h g fd vuefr vukj{k.k rFkk xkpj d mi;kx d foe[kdj.k d igy iklr dh tkuh gkxhA***

9. आगे, गोचर भूमि पर खनन पट्‌टा भी बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 (झारखंड लधाु खनिज रियायत नियमावली, 2004 में तत्सम) के नियम 5(2) के अधीन निर्बंधित हैं।

10. दिनांक 3.5.2006/24.5.2006 के आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि खान आयुक्त, झारखंड ने संथाल परगना अभिधृति (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 की धारा 38(1) एवं बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 (झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के तत्सम) के नियम 5(2) के प्रावधानों की प्रयोज्यता सहित पूर्वोक्त पहलू पर सम्यक रूप से विचार किया है। इसके अतिरिक्त, विद्वान आयुक्त ने भी आक्षेपित आदेश में संप्रेक्षित किया है कि खनन देयों की वसूली के लिए याची के विरुद्ध प्रमाण पत्र मामला भी दाखिल किया गया है।

11. जहाँ तक याची के प्रतिवाद का संबंध है कि खान आयुक्त के आदेश के फलस्वरूप पार्श्व भूमि में खनन पट्‌टा अभी भी जारी है, प्रतिशपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि उक्त मामला खान आयुक्त, झारखंड, राँची द्वारा मामला सं॰ 127 वर्ष 2002 में पुनः सुना गया था और दिनांक 8.10.2003 के आदेश के तहत मामला नए सिरे से विचार किए जाने के लिए उपायुक्त, दुमका को प्रतिप्रेषित किया गया था और उपायुक्त, दुमका ने आर॰एम॰पी॰ केस सं॰ 22/03–04 में पार्श्व भूमि का खनन पट्‌टा रद्‌द कर दिया।

12. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं पुनरीक्षण मामला सं॰ 50 वर्ष 2004 में खान आयुक्त, झारखंड द्वारा पारित दिनांक 3.5.2006/24.5.2006 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ। रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण तद्‌नुसार खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñlhñ feJk ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

राकेश कुमार अग्रवाल

cuke

श्रीमती सुनीता अग्रवाल

F.A. Nos. 50 of 2015, I.A. Nos. 1885 of 2016 with 4743 of 2017. Decided on 19th June, 2017.

वैवाहिक वाद सं० 2 वर्ष 2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 27.2.2015 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955–धारा 19(1)(i) एवं (iii)–तलाक याचिका–पोषणीयता–कुटुंब न्यायालय द्वारा तलाक आवेदन की खारिजी–चूँकि विवाह न तो कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत संपन्न किया गया था और न ही पक्षगण ने अंतिम बार वहाँ साथ निवास किया था–इस दशा में, वाद जमशेदपुर के कुटुंब न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के अधीन बिलकुल पोषणीय नहीं था–वाद गलत रूप से जमशेदपुर में कुटुंब न्यायालय द्वारा गलत रूप से ग्रहण किया गया था–आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री उपांतरित।

(पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s Rahul Gupta & Baleshwar Yadav, For the Appellant; Mr. Pradip Modi, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी ने भरण–पोषण राशि की वृद्धि के लिए अंतर्वर्ती आवेदन आई०ए०सं० 4743 वर्ष 2017 दाखिल किया है और वह उक्त आवेदन पर जोर देना चाहता है।

3. यह अपील वैवाहिक वाद सं० 2 वर्ष 2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 27.2.2015 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा तलाक की डिक्री द्वारा पक्षों के बीच विवाह के विघटन के लिए अपीलार्थी पति द्वारा दाखिल वाद एकपक्षीय निर्णय द्वारा खारिज किया गया है क्योंकि प्रत्यर्थी पत्नी अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई थी।

4. आक्षेपित निर्णय दर्शाता है कि पक्षों के बीच विवाह 29.11.2008 को झदेश्वर मंदिर विकास प्रसाद में हिंदू रीति–रिवाजों के मुताबिक संपन्न किया गया था, और बाद में विवाह 1.1.2009 को विवाह अधिकारी, झारसुगुड़ा के समक्ष विशेष विवाह अधिनियम के अधीन दर्ज किया गया था। स्वीकृत रूप से, दोनों पूर्वोक्त स्थान अर्थात मंदिर जहाँ विवाह संपन्न किया गया था और कार्यालय जहाँ विवाह दर्ज किया गया था, उड़ीसा राज्य में अवस्थित हैं। यद्यपि याचिका में यह कथन किया गया है कि विवाह के बाद दोनों पक्ष जमशेदपुर में रह रहे थे और जमशेदपुर में साहचर्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और यह कथन भी किया गया है कि वे अंत में जमशेदपुर में साथ रहे, किंतु याचिका में आगे कथन किया गया है कि दिसंबर, 2009 में ससुरालवालों के निमंत्रण पर याची पति प्रत्यर्थी पत्नी को झारसुगुडा में अपनी साली के विवाह समारोह में भाग लेने अपने ससुराल ले गया। उक्त समारोह के बाद प्रत्यर्थी और उसके माता–पिता ने याची से प्रत्यर्थी को कुछ दिनों तक झारसुगुड़ा में रहने देने का अनुरोध किया जिसके लिए याची सहमत हुआ और अपने पुत्र के साथ वापस आया। प्रत्यर्थी तत्पश्चात वापस नहीं लौटी थी। याची पति का विनिर्दिष्ट मामला है कि तत्पश्चात उसकी पत्नी जमशेदपुर वापस कभी नहीं आयी और पत्नी द्वारा क्रूरता एवं अभित्यजन के आधारों पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए पति द्वारा वाद दाखिल किया गया था।

5. अवर न्यायालय द्वारा वाद ग्रहण किया गया था, किंतु, हमारे सुविचारित मत में, अवर न्यायालय को उक्त वाद ग्रहण करने की अधिकारिता बिलकुल नहीं थी। स्वीकृत रूप से, विवाह उड़ीसा राज्य में हुआ था और उड़ीसा राज्य में दर्ज भी किया गया था और याचिका में दिए गए बयान द्वारा दिसंबर, 2009 में याची प्रत्यर्थी पत्नी को उड़ीसा राज्य में झारसुगुडा में अपनी साली के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए अपने ससुराल ले गया और तत्पश्चात प्रत्यर्थी पत्नी अपने दांपत्य गृह वापस कभी नहीं आयी, यह प्रकट है कि वे अंतिम बार उड़ीसा राज्य में झारसुगुडा में साथ रहे। अवर न्यायालय में अपने साक्ष्य में भी याची पति ने इन्हीं तथ्यों का कथन किया जैसा कथन अपनी याचिका में किया था।

6. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 का पठन निम्नलिखित है:–

*"19. **U;k;ky; ftlesa ;kfpdk i'k dh tk;xh-**&(1) bl vfèkfu;e d vUrxr gj ;kfpdk ftyk U;k;ky; d le{k i'k dh tk;xh ftldh lkèkkj.k vkjfEHkd flfoy vfèkdkfjrk dh LFkkuh; lhekvk d vUnj&*

(i) fookg dk vu"Bku gvk Fkk] ;k

(ii) iR;Fkh] ;kfpdk dk i'k dju d le;] fuokl djrk g] ;k

(iii) fookg d i{kdkj vfUre ckj ,d lkFk jgr Fk] ;k

(iii-a) tgk ;kph iRuh dk ml n'kk e ;kfpdk i'k dju d fnukd ij fuokl djrh gk] ;k

*(iv) ;kph ;kfpdk dk i'k dju d le; fuokl dj jgk g] ml ekey e] tc iR;Fkh ml le; ij ,l jkT;{k= d ckgj fuokl djrk g ftl ij bl vfèkfu;e dk foLrkj g ;k ml d thfor gku d ckj e lkr o"k ;k ml l vfèkd dh dkykofèk rd mUgku dN ugh luk g] ftUgku ml d ckj e] ;fn og thfor gkrk rk] LoHkkor% luk gkrkA***

7. वर्तमान वाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19(1)(i) एवं (iii) द्वारा पूर्णत: आच्छादित है। चूँकि, विवाह न तो कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन संपन्न किया गया था और न ही वे वहाँ साथ रहे थे, वाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के अधीन कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर में बिलकुल पोषणीय नहीं था जिसे कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा गलत रूप से ग्रहण किया गया था।

8. किंतु तथ्य बना रहता है कि वाद खारिज किया गया है यद्यपि गुणागुण पर। चूँकि वाद स्वयं पोषणीय नहीं था, हम वैवाहिक वाद सं० 2 वर्ष 2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पारित दिनांक 27.2.2015 का आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अधिकारिता की कमी के कारण वाद खारिज करने के रूप में परिवर्तित करते हैं।

9. तदनुसार, यह अपील पूर्वोक्तानुसार डिक्री में उपांतरण के साथ निपटायी जाती है।

10. परिणामस्वरूप, अतिरिक्त साक्ष्य देने के लिए अपीलार्थी द्वारा दाखिल आई०ए०सं० 1885 वर्ष 2016 एवं भरण पोषण राशि की वृद्धि के लिए प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आई०ए०सं० 4743 वर्ष 2017 भी खारिज किया जाता है।

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

सुभाष चौधरी महतो एवं अन्य

cuke

चरकू महतो एवं अन्य

W.P. (C) No. 3784 of 2007. Decided on 18th July, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 14 नियम 2(2)–आरंभिक विवाद्यक पर वाद का निपटान–आवेदन का अस्वीकरण–आधार कि आवेदन किसी शपथपत्र द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, सुधार्य त्रुटि थी–विचारण न्यायालय पूर्व वाद के प्रासंगिक अभिलेखों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए मांग सकता है कि क्या याचीगण द्वारा की गयी न्यायनिर्णीत की आरंभिक आपत्ति सुआधारित थी या नहीं–याचिका अनुज्ञात।

(पैराएँ 6, 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s Rajnandan Sahay, Yashvardhan, S.P. Mahto, For the Petitioners; Mr. Sanjeev Thakur, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका अभिधान (पी०) सं० 26 वर्ष 2003 में उप-न्यायाधीश, प्रथम, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 14.2.2007 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके बाद सी०पी०सी० के रूप में निर्दिष्ट) के आदेश XIV नियम 2(2) के अधीन याचीगण (वाद में प्रतिवादीगण) द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार किया गया है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण ने आरंभिक विवाद्यक पर वाद के निपटान के लिए विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष सी०पी०सी० के आदेश XIV नियम (2)(2) के अधीन आवेदन दाखिल किया। उक्त आवेदन दाखिल करने का मुख्य कारण यह था कि वर्तमान वाद न्यायनिर्णीत के सिद्धांत द्वारा वर्जित था क्योंकि उसी विवाद्यक पर पूर्व वाद अभिधान (पी०) सं० 102/87 गुणागुण पर उप-न्यायाधीश, बोकारो द्वारा खारिज किया गया था और उक्त आदेश के विरूद्ध अभिधान अपील सं० भी दिनांक 10.3.2003 के आदेश के तहत वापस ले लिए गए के रूप में ए०डी०जे० IV, बोकारो द्वारा खारिज की गयी थी। इसके अतिरिक्त, पुनर्विलोकन याचिका भी 19.6.2003 को खारिज की गयी थी। विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि विद्वान उप-न्यायाधीश I, बोकारो द्वारा सी०पी०सी० के आदेश XIV नियम 2(2) के अधीन दाखिल याचीगण का आवेदन याचीगण को यह स्थापित करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना अस्वीकार किया गया था कि वर्तमान वाद अर्थात अभिधान (पी०) सं० 267 वर्ष 2003 में वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाया गया विवाद्यक पहले ही उन्हीं पक्षों के बीच अभिधान (पी०) सं० 102/87 में न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत किया गया है जिसने अंतिमता प्राप्त कर लिया है। किंतु, दोनों वादों की समरुपता के विवरण पर विचार किए बिना, विद्वान उप-न्यायाधीश-I, बोकारो ने दिनांक 14.2.2007 के आक्षेपित आदेश के तहत याचीगण का आवेदन अन्य बातों के साथ यह संप्रेक्षित करते हुए अस्वीकार कर दिया कि उक्त आवेदन अस्पष्ट है। विद्वान विचारण न्यायालय को याचीगण को कम से कम सी०पी०सी० के आदेश XIV नियम 2(2) के अधीन दाखिल आवेदन के माध्यम से उठाए गए तथ्य को स्थापित करने का अवसर देना चाहिए था और संक्षिप्त रूप से आवेदन अस्वीकार नहीं करना चाहिए था।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सी०पी०सी० के आदेश XIV नियम 2(2) के अधीन याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन सही प्रकार से

अस्वीकार किया है क्योंकि पूर्व वाद अभिधान (पी०) सं० 102/87 उसी विवाद्यक से संबंधित नहीं था जिसके लिए वर्तमान वाद दाखिल किया गया था, इस दशा में विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद में आरंभिक विवाद्यक के रूप में न्यायनिर्णीत के विवाद्यक को वाद में आरंभिक विवाद्यक के रूप में विनिश्चित करना समुचित नहीं पाया था। दिनांक 14.2.2007 का आक्षेपित आदेश पूर्णत: न्यायोचित है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक अभिलेख का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि विद्वान उपन्यायाधीश, I, बोकारो ने दिनांक 14.2.2007 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचीगण का आवेदन मुख्यत: दो आधारों पर अस्वीकार कर दिया। प्रथमत:, सी०पी०सी० के आदेश XIV नियम 2(2) के अधीन याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन किसी शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं था और द्वितीयत: उक्त आवेदन अस्पष्ट था। मेरे सुविचारित मत में, विद्वान विचारण न्यायालय सी०पी०सी० के आदेश XIV नियम 2(2) के अधीन दाखिल याचीगण का आवेदन संक्षिप्त रूप से अस्वीकार करने में न्यायोचित नहीं था।

6. जहाँ तक इस आधार पर कि आवेदन किसी शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं था, आवेदन अस्वीकार करने के प्रथम कारण का संबंध है, यह सुधार्य त्रुटि थी। जहाँ तक द्वितीय कारण का संबंध है अर्थात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याचीगण का आवेदन अस्पष्ट पाया गया था; विद्वान विचारण न्यायालय को विवाद्यक कि क्या याचीगण द्वारा उठाया गया न्याय निर्णीत की आरंभिक आपत्ति सुआधारित थी या नहीं, विनिश्चित करने के लिए पूर्व वाद अर्थात अभिधान (पी०) सं० 102/87 के प्रासंगिक अभिलेखों तथा अन्य संबंधित अभिलेख को मंगाने की छूट सदैव थी।

7. इस प्रकार, अभिधान (पी०) सं० 26 वर्ष 2003 में उप-न्यायाधीश-I, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 14.2.2007 का आक्षेपित आदेश विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है जिसे तद्नुसार अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

8. विद्वान उप-न्यायाधीश, बोकारो को आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुती की तिथि से दो सप्ताह के अंतर्गत आदेश XIV नियम 2(2) के अधीन याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन सुनने और उक्त आवेदन के विनिश्चयकरण के लिए समस्त प्रासंगिक दस्तावेजों, और यदि आवश्यक हो, पूर्व वाद अर्थात अभिधान (पी०) सं० 102/87 का अभिलेख मंगाकर उन पर विचार करने के बाद तार्किक आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। सी०पी०सी० के आदेश XIV नियम 2(2) के अधीन दाखिल उक्त आवेदन पर आदेश तत्पश्चात प्राथमिकत: छह सप्ताह की अवधि के भीतर किसी अनुचित विलंब के बिना पारित किया जाएगा।

9. दिनांक 18.3.2009 का अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है।

10. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देशों के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

मेघन महतो

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 4765 of 2004. Decided on 5th July, 2017.

बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973-धाराएँ 14, 15 एवं 16-नामांतरण-लंबे अरसे से चली आ रही जमाबन्दी का रद्दकरण-संविधि द्वारा प्रदत्त ऐसी

किसी शक्ति की अनुपस्थिति में प्राधिकारी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है–चूँकि याची के चाचा के नाम में जमाबंदी 50 वर्षों से अधिक से चली आ रही है, लंबे अरसे से चली आ रही जमाबंदी के रद्दकरण के लिए आवेदन ग्रहण करना राजस्व प्राधिकारियों के लिए समुचित नहीं है बल्कि पक्षों के लिए समुचित उपचार समुचित सिविल न्यायालय के समक्ष जाना है चूँकि यह पक्षों के बीच अभिधान विवाद का मामला है–रिट याचिका अनुज्ञात।

(पैराएँ 11, 16, 17 एवं 18)

निर्णयज विधि.–(2003) 2 SCC 111; (2007) 6 SCC 35; (2003) 2 SCC 533; 2013 (1) JCR 571—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Bhaiya Vishwajeet Kumar, For the Petitioner; Mr. Laljee Sahay, For the Resp. No.6; Mr. Ashish Kumar Thakur, For the State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका विविध अपील सं॰ 15/2003 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 3. 8.2004 के अंतिम आदेश जिसके द्वारा काली महतो (याची का चाचा) के नाम में लंबे अरसे से चली आ रही जमाबंदी रद्द करके नामांतरण अपील अनुज्ञात की गयी थी, सहित संपूर्ण कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है।

3. मामले का ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि किसी महेन्द्र कुमार दांगी एवं अन्य ने ग्राम डंगूरी, थाना चौपारन सं॰ 11, खाता सं॰ 3 की 1.96 एकड़ कुल क्षेत्रफल माप वाली भूमि के संबंध में काली महतो के नाम में लंबे अरसे से चली आ रही जमाबंदी के रद्दकरण के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष आवेदन दाखिल किया था जिसे दिनांक 19.10.2001 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 1) के तहत अस्वीकार किया गया था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने पुनः उक्त भूमि से संबंधित जमाबंदी के रद्दकरण के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष विविध मामला सं॰ 78/2002 दाखिल किया जिसमें याची उपस्थित हुआ और अपनी आपत्ति दाखिल किया और पक्षों को सुनने के बाद, उक्त आवेदन भी अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए कि चूँकि काली महतो के नाम में लंबे अरसे से जमाबंदी चली आ रही है, मामला जमाबंदी के रद्दकरण का प्रतीत नहीं होता है, बल्कि यह पक्षों के अभिधान से संबंधित विवाद्यक है जिसमें राजस्व प्राधिकारियों की अधिकारिता नहीं है, दिनांक 8.7.2003 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट–2) के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। उसमें यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि पक्षगण समुचित सिविल न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। बाद में, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने विविध मामला सं॰ 78/2002 में प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित दिनांक 8.7.2003 के आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष विविध अपील सं॰ 15/2003–04 दाखिल किया। उक्त अपील प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए कि चूँकि याची सादे करार के फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि पर काबिज था, काली महतो के नाम में चली आ रही जमाबंदी जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, दिनांक 3.8.2004 के आदेश के तहत अनुज्ञात की गयी थी और, इस प्रकार, प्रश्नगत भूमि से संबंधित जमाबंदी रद्द की गयी थी। प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा विविध अपील सं॰ 15/ 2003–04 में पारित दिनांक 3.8.2004 के आदेश में व्यथित होकर, याची ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नामांतरण कार्यवाही बिहार अभिधारी धृति (अभिलेखों का रख–रखाव) अधिनियम, 1973 (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) के प्रावधानों द्वारा विनियमित होती है। सब डिविजनल अधिकारी अभिधारी लेजर रजिस्टर में नामांतरण/परिवर्तनों से उद्भूत होने वाले किसी विवाद पर विचार करने का उक्त अधिनियम के अधीन प्राधिकार नहीं है। यह

सुस्थापित है कि अनेक वर्षों से किसी व्यक्ति विशेष के नाम से चली आ रही जमाबंदी संक्षिप्त कार्यवाही में दावेदार की प्रेरणा पर रद्द नहीं की जा सकती है। दावेदार के लिए समुचित रास्ता समुचित अनुतोष के लिए सक्षम अधिकारिता के सिविल न्यायालय के पास जाना है और इसलिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 3.8.2004 का आक्षेपित आदेश पूर्णतः अधिकारिताहीन है। और विधि की दृष्टि में अविद्यमान है, अतः इसे अपास्त किया जा सकता है।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। किंतु, प्रतयर्थी सं॰ 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विविध अपील सं॰ 15/2003-04 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 3.8.2004 का आदेश पूर्णतः विधि के अनुरूप है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 5 की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में विक्रय करार नारायण महतो एवं चोवा महतो द्वारा काली महतो के पक्ष में 'संवत 2004 साल (इंगलिश कैलेन्डर से 1948) में निष्पादित किया गया था किंतु विक्रय विलेख निष्पादित कभी नहीं किया गया था और सादा करार के आधार पर जमाबंदी खोली गयी थी जो 2001-02 तक जारी रही। राज्य के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने जमाबंदी के रद्दकरण के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया था, बल्कि यह प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध विविध अपील थी जिस पर प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा जमाबंदी के रद्दकरण का आदेश पारित किया गया था।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि अभिधारी लेजर रजिस्टर में नामांतरण/परिवर्तन से संबंधित प्राधिकारियों की अधिकारिता बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973 में विहित की गयी है। उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:-

> *^^14- **ukekrj.k ekeyk dk ryc ,o fuiVku-**&(1) èkkjk vk 4] 5] 6] 7] 8] 9 ,o 10 d vèkhu ukfVl vFkok èkkjk vk 11 ,o 12 d vèkhu vkonu vFkok èkkjk 13 d vèkhu fjikV dh ikfIr ij vpykfèkdkjh ukekrj.k dk;okgh vkjHk djxk vkj bl ukekrj.k ekeyk jftLVj ftl fofgr :i e j[kk tk,xk e ifo"V dju d ckn ,lk tkp fd;k tkuk dkfjr djxk tlk vko';d le>k tk ldrk g&*
>
> *15. **vihy**-&(i) èkkjk 14 dh mièkkjk (2) d vFkhu ikfjr vpykfèkdkjh d vkn'k d fo#) Hkfe lèkkj milekgrk d le{k vihy dh tk ldrh g ;fn bl vihy fd, x, vkn'k dh frfFk ls rhl fnuk d Hkhrj nkf[ky fd;k x;k g-----***
>
> *16- **iujh{k.k-**&ftyk lekgrk bl fufeÙk mldk fn, x, vkonu ij vFkok fdlh ikfèkdkjh vFkok vfèkdkjh }kjk bl vfèkfu;e vFkok mld vèkhu cuk;h x;h fu;ekoyh d vèkhu ikfjr fdlh vkn'k dh oèkrk vFkok vkfpR;rk d ifr Lo;a dk lr"V dju d i;ktu l ,l ikfèkdkjh vFkok vfèkdkjh d le{k yfcr vFkok mld }kjk fuiVk, x, fdlh ekey dk vfHky[k exk ldrk g ,o ijh{k.k dj ldrk g vkj ,lk vkn'k ikfjr dj ldrk g tlk og l;kX; le>rk g-----***

8- उक्त अधिनियम की धाराओं 14, 15 एवं 16 का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होगा कि नामांतरण मामला के तलब तथा निपटान के लिए मूल प्राधिकारी अंचलाधिकारी है। उक्त अधिनियम की

धारा 15 के मुताबिक, भूमि सुधार उपसमाहर्ता अपीलीय प्राधिकारी है और उक्त अधिनियम की धारा 16 के मुताबिक समाहर्ता पुनरीक्षण प्राधिकारी है।

9- बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973 की धारा 2(t) के अधीन सबडिविजनल अधिकारी परिभाषित किया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*^^(t) ^^lcfMfotuy vfèkdkjh** l vfHkir g ftyk d lcfMfotu d flfoy i'kklu dk iHkkjh vfèkdkjhA***

10- उक्त परिभाषा की दृष्टि में, सबडिविजनल अधिकारी उक्त अधिनियम के प्रयोजन से जिला के सबडिविजन के सिविल प्रशासन का प्रभारी अधिकारी है। किंतु, सबडिविजनल अधिकारी उक्त अधिनियम की धाराओं 14, 15 एवं 16 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकारी नहीं है।

11. यह सुस्थापित है कि प्राधिकारी की शक्ति/अधिकारिता संविधि द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधि द्वारा प्रदत्त ऐसी किसी शक्ति की अनुपस्थिति में प्राधिकारी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है।

12. भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पालिताना सूगर मिल (प्रा०) लि० (2003)2 SCC 111 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^40-------- ;g lLFkkfir g fd tc fdlh lkfofèkd ikfèkdkjh d fy, rjhdk fo'k"k e dkb pht djuk vko';d g] bl mlh rjhd l fd;k tkuk gkxk vFkok fcYdy ughA jkT; ,o vU; ikfèkdkjhx.k mDr vfèkfu;e d vèkhu ÑR; djr g, doy lfofèk dh mRifÙk gA mUg bldh pkjnhokj d Hkhrj dR; djuk gkxkA***

13- कुर्मांचल डिग्री एवं डिप्लोमा संस्थान बनाम चांसलर, एम० जे० पी० रोहिलाखंड विश्वविद्यालय, (2007)6 SCC 35 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^20-------vèkhuLFk foèkku vfèkdkjkrhr gkxk ;fn ;g e[; vfèkfu;e d ikoèkkuk dk mYy?ku djrk gA (n[k okl no flg cuke Hkkjr l?k] (2006)12 SCC 753 : (2006)11 Scale 108) ;g lKkr g fd lkfofèkd ikfèkdkjh dk lfofèk dh pkjnhokj d Hkhrj ÑR; djuk gkxkA fu'p; gh bl {k=kfèkdkj d Hkhrj dk; djuk gkxk ftld Hkhrj bl lfofèk d vèkhu dk; djuk gA fo'ofo|ky; dh ,lh {k=h; vfèkdkfjrk cuk;h j[kh tkuh gkxh D;kfd vU;Fkk vjktdrk lftr gkxhA ;fn ,lh idfr d njLFk f'k{kk ikRlkfgr dh tkuh g] ,dek= jkLrk vfèkfu;e d ikoèkku dk mi;Dr :i l l'kkfèkr djuk gkxk**

14- इंडियन चार्ज क्रोम लि० बनाम भारत संघ, (2003)2 SCC 533, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

*^^27. dn ljdkj ,o jkT; ljdkj lkfofèkd ikfèkdkj gA mUg bl idkj lfofèk dh pkjnhokj d vrxr dR; djuk gkxk tc dkb vkn'k jkT; ljdkj vFkok dnh; ljdkj }kjk ikfjr fd, tku d fy, vk'kf;r g] bl mld fy, l{ke ikfèkdkjh }kjk ikfjr djuk gkxkA vkn'k ftl ikfèkdkj d fcuk vfèkdkjh }kjk ikfjr fd;k x;k g] vfo|eku gkxkA vr% dn ljdkj ml ij dR; ugh dj ldrh Fkh fo'k"kr% tc Lo; jkT; u ,lk nf"Vdk.k fy;kA ;g ml fopkj e yu e foQy jgk fd fnukd 30-6-2001 dh vfèklpuk okil fy, tku d pyr vc ioÙk ugh FkhA***

15. वर्तमान मामले में, यह स्वीकृत तथ्य है कि विविध केस सं॰ 4/ 2001–02 में अंचलाधिकारी ने काली महतो के नाम में चली आ रही जमाबंदी के रद्दकरण के लिए किसी महेन्द्र कुमार डांगी का आवेदन खारिज करते हुए स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया कि चूँकि जमाबंदी 50 वर्षों से अधिक से काली महतो के पक्ष में चली आ रही है, ऐसे मामलों में जमाबंदी के रद्दकरण के लिए अनुशंसा करने में राजस्व प्राधिकारियों को सावधान रहना चाहिए। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने इसी भूमि के रद्दकरण के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष विविध मामला सं॰ 78/2002 दाखिल किया और प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मामले के तथ्यों में यह जमाबंदी के रद्दकरण का मामला प्रतीत नहीं होता है बल्कि यह पक्षों के बीच अभिधान विवाद का मामला है, दिनांक 8.7.2003 का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने प्रतयर्थी सं॰ 2 के समक्ष अपील दाखिल किया और पक्षों को सुनने पर काली महतो के नाम में चली आ रही जमाबंदी रद्द करते हुए दिनांक 3.8.2004 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

16. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मेरे मत में, न तो प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष विविध मामला सं॰ 78/2002 और न ही प्रत्यर्थी सं॰ 2 के समक्ष विविध अपील सं॰ 15/2003–04 उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दाखिल किया गया था, प्रत्यर्थी सं॰ 3 उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी है। किंतु, उन्होंने विविध मामला सं॰ 78/2002 में प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा दाखिल मूल आवेदन ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा दाखिल विविध अपील सं॰ 15/2003–04 ग्रहण किया जो पूर्णत: अधिकारिता के बिना है, क्योंकि सब–डिविजनल अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में उक्त अधिनियम के अधीन शक्ति नहीं है। प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 ने अपने समक्ष परस्पर पक्षों द्वारा दाखिल आवेदन/अपील ग्रहण करने में अधिकारिता की गंभीर गलती किया। तद्नुसार, विविध अपील सं॰ 15/ 2003–04 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित 3.8.2004 का आक्षेपित आदेश अधिकारिताहीन होने के कारण विधित: संपोषणीय नहीं कहा जा सकता है और इसे एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। यद्यपि विविध मामला सं॰ 78/2002 में प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित दिनांक 8.7.2003 का आदेश वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन नहीं है, फिर भी इस तथ्य का न्यायिक ध्यान लेते हुए कि यह भी अधिकारिताहीन है, यह भी अपास्त किया जाता है। अभिलेख पर मौजूद एकमात्र आदेश जिसे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के निबंधनानुसार वैध कहा जा सकता है, विविध मामला सं॰ 04/2001–02 में प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित दिनांक 19.10.2001 का आदेश है जिसमें यह संप्रेक्षित किया गया था कि चूँकि काली महतो के नाम में जमाबंदी 50 वर्षों से अधिक से चली आ रही है, लंबे अरसे से चल रही जमाबंदी के रद्दकरण के लिए आवेदन ग्रहण करना राजस्व प्राधिकारियों के लिए समुचित नहीं है बल्कि पक्षों के लिए समुचित उपचार समुचित सिविल न्यायालय के समक्ष जाना है।

17. महाबीर महतो बनाम झारखंड राज्य, 2013(1) JCR 571, में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख रखाव) अधिनियम के अधीन राजस्व प्राधिकारियों की शक्ति की सीमा पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *^^29. mDr ikoèkkuk dh ;ktuk l ;g Li"V g fd ukekrj.k d fy, vkonu] tk Li"Vr% tkjh [kfr;ku ,o vfHkèkkjh y tj jftLVj e ifof"V;k d ifjoru d fy, g] dk nkok 0;fDr ft l dk uke jktLo vfHky[k e ifo"V fd;k x;k g d*

*fcYdy ifrdy fgr j[ku oky 0;fDr }kjk ugh fd;k tk ldrk g] vr%] bl nkok d lkFk fd mud vfèkdkj dk lkr Lor= g vkj Lo; iR;fFk;k@fjV ;kphx.k d ifrdy g] vihykfFk;k d ukek dh ifof"V d fy, nkf[ky vkonu ik"k.kh; ugh FkkA ;g irhr gkrk g fd le; chru d lkFk ukekrj.k dk;okgh ftldk lhfer foLrkj g vkj tk vfèkfu;e o"k 1973 d vèkhu vpykfèkdkjh dk lhfer vfèkdkfjrk nrk g] viu foLrkj l ij pyh x;h vkj 0;ogkj e 0;fDr] tk ml 0;fDr ftldk uke jktLo vfHky[k e nt fd;k x;k g d ekè;e l vfèkdkj dk nkok dj jgk g vkj ey nt 0;fDr dh eR; d QyLo:i nt 0;fDr dk mÙkjkfèkdkjh gku d dkj.k vFkok vrj.k] fofue;] djkj] 0;oLFkkiu] iVVk] cèkd] nku d QyLo:i vFkok fdlh vU; lkèku }kjk vFkok U;k;ky; dh fMØh d QyLo:i vFkok Hknku ;K dfeVh }kjk Hkfe d inku d QyLo:i vFkok Hkfe vtu vfèkfu;e vFkok vU; lfofèk;k d vèkhu Hkfe d vtu d ifj.kkeLo:i vfèkdkj dk nkok dj jgk g] d uke dk ifo"V dju d fy, dk;okgh e fojkèkh okn cu x;h fdr fofèkr% vpy vfèkdkjh dk vfèkfu;e dh èkkjk 3 l 13 d vèkhu ikoèkkfur l fHkUu ifrdy nkok dk fofuf'pr dju dh vfèkdkfjrk ugh gA***

18. पूर्वोक्त चर्चाओं एवं न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में, रिट याचिका, तद्नुसार, निपटायी एवं अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,pñlhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

राजू खोया

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 1235 of 2007. Decided on 26th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 44 वर्ष 2005 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, XVI, राँची द्वारा पारित दिनांक 21.7.2007 के दोष सिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.7.2007 के दंडादेश के विरुद्ध।

डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999–धाराएँ 3/4–भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 302 सहपठित धारा 84–आयुध अधिनियम, 1959–धारा 27–हत्या–जादू-टोना का संदेह–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील–अभियोजन मामला सूचक जो चश्मदीद गवाह है के साक्ष्य द्वारा पूर्णतः समर्थित है–मृतका की हत्या के पहले अभियुक्त उसे डायन बताया करता था–गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा पूर्णतः संपुष्ट किया गया–मानसिक पागलपन का बचाव अभिवचन असिद्ध बना रहा–अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति से पूर्णतः अवगत था–अपीलार्थी का मामला भा॰दं॰सं॰ के अध्याय IV के अधीन सामान्य अपवादों के अधीन नहीं आता है–अभियोजन सिद्ध करने में सक्षम हुआ है कि अपीलार्थी ने इस बहाना पर कि वह जादू-टोना कर रही थी, मृतका की हत्या की–अपीलार्थी अपराध करने के समय पर पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति था–अपील खारिज। (पैराएँ 14 से 19)

निर्णयज विधि.–2003 (1) East Cr C 607 (Jhr)—Distinguished. (2002) 1 SCC 219—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Nilesh Kumar, For the Appellants; A.P.P., For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के ए०पी०पी० सुने गए।

2. एकमात्र अपीलार्थी सत्र विचारण सं० 44 वर्ष 2005 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, XVI, राँची द्वारा पारित दिनांक 21.7.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.7.2007 के दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 तथा डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश की बिंदु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए 5000/–रुपयों के जुर्माना के साथ आजीवन कठोर कारावास और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन दोनों अपराधों के लिए तीन माह की अवधि का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन मामला किसी पुतुल देवी जो मृतका रुकमणि देवी की बहु है, के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया है। घटना 3.8.2004 को हुई थी और यह कथन किया गया है की सास धान का बीज बोने के बाद वापस लौटी थी। सास–बहु दोनों घर के दरवाजा पर बैठी थीं और कुछ समय बाद सास अपने पैर से मिट्टी धो रही थी जब अचानक अभियुक्त राजू खोया पिस्तौल से लैस होकर आया। उसकी सास भागने लगी, किंतु राजू खोया ने पिस्तौल से उसपर गोली चलायी, उसकी छाती को घायल किया और भाग गया। वह घर के दरवाजा पर गिर गयी। सूचक ने कपड़ा से अपनी सास का जख्म बांधा और अन्य व्यक्तियों की मदद से उसे अस्पताल ले जा रही थी, किंतु रास्ते में अभियुक्त पुनः पिस्तौल से लैस होकर आया जिसपर वे भागने लगे। उसकी सास ने भी भागने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्त ने पुनः उसकी सास की पीठ पर गोली चलायी। ग्रामीणों ने अभियुक्त का पीछा करने एवं पकड़ने का प्रयास किया किंतु उसने पिस्तौल से उनको धमकाया और तत्पश्चात वह भाग गया। उसकी सास को आर०आई०एम०एस०, राँची लाया गया था, जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। सूचक ने फर्दबयान में यह कथन भी किया कि अभियुक्त बीमार रह रहा था और उसने संदेह किया कि वह उसपर उसकी सास द्वारा किए गए जादू–टोना के कारण बीमार था। यह भी अभिकथित किया गया है कि पिछली रात को भी अभियुक्त उनके घर आया था और बाहर से दरवाजा लगा दिया था और कहा कि वे उसको मानसिक रूप से बीमार बनाकर शांतिपूर्वक सो रहे थे, किंतु अभियुक्त को उसकी पत्नी द्वारा यह कहते हुए ले जाया गया था कि वह मानसिक रूप से बीमार बन गया था और विगत दो रातों से सोया नहीं था। यह अभिकथित करते हुए कि अभियुक्त ने जादू टोना करने के बहाना पर उसकी सास की हत्या की थी, सूचक पुतुल देवी द्वारा फर्दबयान दिया गया था जिसके आधार पर बरियातू (गोंडा) पी०एम०केस सं० 127 वर्ष 2004, जी०आर०सं० 2278 वर्ष 2004 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, आयुध अधिनियम की धारा 27 और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने

एवं विचारण किए जाने का दावा किए जाने पर उसका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन ने आई०ओ० एवं डॉक्टर सहित नौ गवाहों का परीक्षण किया, जिसमें से अ०सा० 1 कुंदन खोया पक्षद्रोही हो गया है। किंतु उसने यह कथन करते हुए कि इसे सादा कागज पर प्राप्त किया गया था, फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है, जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया था।

5. अ०सा० 7 पुतुल देवी मामले की सूचक है। उसने कथन किया है कि घटना 3.8.2004 को अपराह्न लगभग 4.30 बजे हुई थी जब उसकी सास धान की बीज बोने के बाद वापस आयी थी, और अपना हाथ-पैर धो रही थी, जब राजू खोया दौड़ते आया और उसकी सास हल्ला करते हुए भागने लगी, किंतु राजू खोया ने रिवाल्वर से उस पर गोली चलायी और वह भाग गया। हल्ला किए जाने पर, अनेक व्यक्ति जमा हुए और उसकी सास को छाती में घायल पाया। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, राजू खोया आया और उसने पुनः उसकी सास की पीठ पर प्रहार किया जिस कारण वह गिर गयी, तत्पश्चात उसे आर०आई०एम०एस० राँची लाया गया था जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। पुलिस ने उसका फर्दबयान आर०आई०एम०एस० राँची में दर्ज किया, जिसे उसको पढ़ कर सुनाया और स्पष्ट किया गया था और इसे सत्य पाते हुए उसने इस पर अपना हस्ताक्षर किया जिसे उसकी पहचान पर प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। उसने यह भी कथन किया कि पुलिस ने घटना स्थल का दौरा भी किया था, जहाँ उसका पुनर्बयान लिया गया था। इस गवाह ने यह भी कथन किया कि राजू खोया अभिकथित किया करता था कि उसकी सास डायन थी और इसलिए उसने उसकी हत्या की थी। इस गवाह ने अभियुक्त को न्यायालय में पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि अभियुक्त घटना के कुछ दिन पहले से मृतका को डायन बताया करता था। उसने यह कथन भी किया है कि अभियुक्त उसको भी डायन बताया करता था और किसी ने राजू खोया को पकड़ा नहीं था, क्योंकि उसके पास रिवाल्वर था। उसने यह कथन भी किया है कि उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उक्त आग्नेयास्त्र बरामद किया गया था। इस गवाह ने इस सुझाव से इनकार किया कि मृतक की हत्या इस गवाह के अवैध संबंध के कारण की गयी थी और अभियुक्त जो पागल था, को मामले में झूठा आलिप्त किया गया था।

6. अ०सा० 2 सुशील टोप्पो उर्फ ओराँव, अ०सा० 4 संजय लिंडा एवं अ०सा० 5 महेश लिंडा ने कथन किया है कि 3.8.2004 को शाम में उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी और राजू खोया को अपने हाथ में पिस्तौल लिए भागते देखा। वे राहुल टोप्पो के घर गए और रुक्मणि देवी को घायल दशा में दरवाजा पर गिरा पाया। रूक्मणि देवी की बहु एवं अन्य व्यक्ति उसे अस्पताल ले जा रहे थे और वे भी उनके साथ गए। रास्ते में, राजू खोया पुनः आया और वे डर से भागने लगे, किंतु रुक्मणि देवी भाग नहीं सकी थी। अ०सा० 2 सुशील टोप्पो उर्फ ओराँव ने गोली चलने की आवाज सुनी। उन दोनों ने कथन किया है कि राजू खोया ने पुनः रुक्मणि देवी पर प्रहार किया था और भाग गया था। अ०सा० 4 संजय लिंडा ने कथन किया है कि अभियुक्त को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया गया था उसने पिस्तौल से उनको धमकाया। वे रूक्मणि देवी को आर०एम०सी०एच०, राँची लाए जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। पुतुल देवी (सूचक) ने सूचित किया कि जादू-टोना के अभिकथन पर अभियुक्त ने उसकी सास पर प्रहार किया है। उन्होंने अभियुक्त को न्यायालय में पहचाना है। अ०सा० 2 सुशील टोप्पो उर्फ ओराँव ने कथन किया है कि सूचक का फर्दबयान उसकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर भी किया था जिसे उसने पहचाना एवं इसे प्रदर्श 1/1 चिन्हित किया गया था। उनके प्रतिपरीक्षण में अधिक महत्व का कुछ नहीं है, सिवाए इसके कि अ०सा० 4 संजय लिंडा ने कथन किया है कि उसने किसी को मृतका पर प्रहार करते नहीं देखा था और अ०सा० 5 महेश लिंडा ने स्वीकार किया है कि एकबार

राजू खोया पागलखाना गया था किंतु उसे जानकारी नहीं थी कि क्या उसे पुनः पागलखाना में भरती किया गया था।

7. अ०सा० 3 महेश खलको घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है बल्कि उसने मृतका को अस्पताल लाये जाते देखा था और अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया था। उसने कथन किया है कि उसे राहुल टोप्पो एवं पुतुल देवी द्वारा सूचित किया गया था कि राजू खोया द्वारा इस बहाना पर कि वह जादू टोना कर रही थी, मृतका पर आग्नेयास्त्र से प्रहार किया गया था। वह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है और उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था।

8. अ०सा० 6 राहुल टोप्पो मृतका का पुत्र है। उसने कथन किया है कि वह कर्तव्य पर गया था और वह सायं लगभग 6 बजे लौटा था। उसे उसकी पत्नी द्वारा सूचित किया गया था कि राजू खोया ने आग्नेयास्त्र से उसकी माता पर प्रहार किया था। उसे राजू खोया द्वारा किए गए अन्य प्रहार के बारे में भी सूचित किया गया था जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था और कि उसकी माता को अस्पताल में मृत घोषित किया गया था। उसने कथन किया है कि राजू खोया ने इस अभिकथन पर कि वह जादू टोना कर रही थी, उसकी माता पर प्रहार किया था। इस गवाह ने कथन किया है कि आर०आई०एम०एस०, राँची में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी, जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था और उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 2/1 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने अभियुक्त को न्यायालय में पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

9. अ०सा० 8 डॉ० अजित कुमार चौधरी है जिन्होंने स्वर्गीय डॉ० शंभु शरण जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था के हस्तलेखन एवं हस्ताक्षर में मृतका के शव परीक्षण रिपोर्ट को सिद्ध किया है। इस गवाह ने कथन किया है कि चूँकि उन्होंने स्वर्गीय डॉ० शंभुशरण के साथ काम किया था, वह उनका हस्तलेखन एवं हस्ताक्षर पहचानता था। उनकी पहचान पर शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 4 के रुप में चिन्हित किया गया था।

10. अ०सा० 9 सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव मामले का अन्वेषण अधिकारी हैं और कथन किया है कि 3.8.2001 को वह गोंडा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था जब उसे सूचित किया गया था कि ग्राम हातमा डाहू टोली में किसी रुक्मणि देवी पर आग्नेयास्त्र से प्रहार किया गया था और आर०आई०एम०एस०, राँची में उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने सूचना के बारे में सनहा प्रविष्टि किया और आर०आई०एम०एस०, राँची गया जहाँ उसने पुतुल देवी का फर्दबयान दर्ज किया। उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में फर्दबयान पहचाना है और इसे प्रदर्श 5 के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने फर्दबयान पर पृष्ठांकनों को भी सिद्ध किया है जिन्हें प्रदर्श 5/1, एवं 5/2 चिन्हित किया गया था। इस गवाह द्वारा औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध की गयी थी जिसे प्रदर्श 6 चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया था, जिसे प्रदर्श 7 चिन्हित किया गया था। उसने सूचक का पुनर्बयान दर्ज किया था। उसने दोनों घटनास्थलों का विवरण दिया है, और उसने कथन किया है कि 6.8.2004 को गुप्त सूचना के आधार पर उसने राजू खोया को गिरफ्तार किया, जिसने अपना दोष स्वीकार किया और कथन किया कि उसने मंदिर के निकट नाला में आग्नेयास्त्र छुपाया था जिसे स्वयं अभियुक्त द्वारा नाला से बाहर निकाला गया था जो एक देशी पिस्तौल, दो जीवित कारतूस एवं एक चलाया गया कारतूस था जिसके लिए एक अन्य पुलिस मामला संस्थित किया गया था। उस मामले की अभिग्रहण सूची इस मामले में सिद्ध नहीं की गयी थी। इस गवाह ने कथन किया है कि उसने उस दिन भारी बरसात के कारण दोनों घटना स्थलों पर खून का धब्बा अथवा हिंसा का कोई निशान नहीं पाया था। अन्वेषण पूरा करने के बाद उसने आरोप-पत्र दाखिल किया। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया

है कि उसने दोनों स्थानों पर हिंसा का कोई निशान नहीं पाया था और उसने यह भी कथन किया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय पर वह मानसिक बीमारी से पीड़ित था। इस गवाह ने दोषपूर्ण अन्वेषण करने के सुझाव से इनकार किया है।

11. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अवर न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया है और पूर्वोक्तानुसार अपराधों के लिए उसे दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। यह निवेदन किया गया है कि अ०सा० 7 पुतुल देवी के सिवाए, कोई भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है क्योंकि अन्य गवाह गोली चलने की आवाज सुनने के बाद घटनास्थल पर जमा हुए थे। द्वितीय घटनास्थल पर, गवाहगण स्वीकृत रूप से अभियुक्त को देखकर भाग गए थे और इस दशा में उन्हें द्वितीय प्रहार का चश्मदीद गवाह भी नहीं कहा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि स्वयं प्राथमिकी में यह आया है कि अभियुक्त मानसिक रूप से बीमार था और वह विगत दो रातों से सोया नहीं था। एक गवाह अ०सा० 5 महेश लिंडा ने यह भी स्वीकार किया है कि एक बार उसे पागलखाना में भी भरती किया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्त मानसिक रूप से बीमार था और उसका मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अपवाद के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अपीलार्थी घटना के समय पर अस्वस्थ चित्त का व्यक्ति था और भले ही गवाहों ने कथन किया है कि अभियुक्त ने आग्नेयास्त्र से मृतका पर प्रहार किया था, अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध बनता नहीं कहा जा सकता है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **झारखंड राज्य बनाम मद्रास नायक, 2003(1) East Cr. C.607 (Jhr.)** में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें अस्वस्थ चित्त वाले अभियुक्त ने प्रहार किया था और कुल्हाड़ी से सात व्यक्तियों की हत्या की थी और किसी कारण के बिना अनेक अन्य व्यक्तियों पर भी प्रहार किया था एवं उनको घायल किया था, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का लाभ दिया गया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का लाभ दिया जाना चाहिए था।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है एवं निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है, क्योंकि अ०सा० 7 पुतुल देवी जो सूचक है घटना का चश्मदीद गवाह है और उसने मामले का पूर्णतः समर्थन किया है कि अभियुक्त घटनास्थल पर पिस्तौल के साथ आया और मृतका पर प्रहार किया और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में वह पुनः आया और मृतका पर प्रहार किया। अन्य गवाहों अर्थात अ०सा० 2 सुशील टोप्पो उर्फ ओराँव, अ०सा० 4 संजय लिंडा एवं अ०सा० 5 महेश लिंडा, यद्यपि वे प्रथम प्रहार के चश्मदीद गवाह नहीं हैं बल्कि वे गोली चलने की आवाज सुनने पर घटनास्थल पर आए थे और वे इस तथ्य के गवाह थे कि जब मृतका को अस्पताल ले जाया जा रहा था वह पुनः आग्नेयास्त्र के साथ वापस आया और जब ये लोग भागने लगे, उसने पुनः मृतका पर गोली चलायी और उसकी पीठ में उपहति कारित किया जो घातक सिद्ध हुआ। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य शव

परीक्षण रिपोर्ट द्वारा पूर्णतः संपुष्ट किया गया है जिसे अ॰सा॰ 8 डॉ॰ अजित कुमार चौधरी द्वारा प्रदर्श 4 के रूप में पूर्णतः संपुष्ट किया गया था जो दर्शाता है कि मृतका की मृत्यु आग्नेयास्त्र उपहतियों के कारण हुई थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेहों के परे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

14. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर तथा अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अभियोजन मामला अ॰सा॰ 7 पुतुल देवी द्वारा पूर्णतः समर्थित है जो सूचक एवं मृतका की बहु और चश्मदीद गवाह है। अन्य गवाहों अर्थात अ॰सा॰ 2 सुशील टोप्पो उर्फ ओराँव, अ॰सा॰ 4 संजय लिंडा एवं अ॰सा॰ 5 महेश लिंडा गोली चलने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर जमा हुए थे, किंतु वे द्वितीय घटना के भी गवाह हैं जब अभियुक्त पुनः आग्नेयास्त्र के साथ आया और मृतका पर प्रहार किया और तत्पश्चात उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। यद्यपि अ॰सा॰ 4 संजय लिंडा ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने किसी को मृतका पर प्रहार करते नहीं देखा था, किंतु यह तथ्य बना रहता है कि उसने यह भी देखा था कि जब मृतका को अस्पताल ले जाया जा रहा था, अभियुक्त पुनः आग्नेयास्त्र से लैस होकर ऐसी दशा में आया कि भय के कारण उन्हें भागना पड़ा था। मृतका जो भाग नहीं सकी थी पर अभियुक्त द्वारा प्रहार किया गया था जो अंततः घातक सिद्ध हुआ। इन गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य शव परीक्षण रिपोर्ट जिसे प्रदर्श 4 के रूप में चिन्हित किया गया था, द्वारा पूर्णतः संपुष्ट किया गया है जो दर्शाता है कि मृतका की मृत्यु आग्नेयास्त्र की उपहतियों के कारण हुई थी। यद्यपि शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर का परीक्षण इस तथ्य के कारण नहीं किया जा सका था कि उनकी मृत्यु हो गयी थी, और शव परीक्षण रिपोर्ट में निष्कर्षों का विवरण सिद्ध नहीं किया जा सका था, किंतु शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 4 दर्शाती है कि मृतका की मृत्यु आग्नेयास्त्र उपहतियों के कारण हुई थी। मामले के अन्वेषण अधिकारी अ॰सा॰ 2 सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव ने कथन किया है कि जब उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया, उसने अपना दोष स्वीकार किया और सूचित किया कि आग्नेयास्त्र मंदिर के निकट नाला में छुपाया गया था और स्वयं अभियुक्त ने नाला से आग्नेयास्त्र निकाला और इसे पुलिस अधिकारी को सौंपा। यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी मानसिक बीमारी से पीड़ित था और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के लाभ का हकदार है, किंतु तथ्य बना रहता है कि बचाव द्वारा यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया गया था कि घटना के समय पर अपीलार्थी अपने कृत्य की प्रकृति अथवा, यह कि उसका कृत्य गलत अथवा विधि के विपरीत था जानने में अक्षम था। अभियुक्त की कार्रवाई स्पष्टतः दर्शाती है कि घटना के समय पर वह उस सीमा तक किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं था क्योंकि उसने केवल एक लक्ष्य अर्थात मृतका पर और न किसी अन्य पर दोनों अवसरों पर प्रहार किया था। वह यह तथ्य जानता था कि उसने अपराध किया था और उसने आग्नेयास्त्र नाला में छुपाया था जिसे उसने स्वयं नाला से निकाला और आई॰ओ॰ को सौंपा।

15. भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का पठन निम्नलिखित है:–

*"84. **foÑrfpÙk 0;fDr dk dk;Z**&dkbZ ckr vijk/k ugha gS tks ,sls 0;fDr }kjk dh tkrh gS] tks mls djrs le; fpÙk&foÑfr ds dkj.k mlss dk;Z dh izÑfr] ;k ;g fd tks dqN og dj jgk gS og nks"kiw.kZ ;k fof/k ds ifrdwy gS] tkuus esa vleFkZ gSA"*

अभिलेख से हम पाते हैं कि यह दर्शाने के लिए साक्ष्य में कुछ नहीं है कि अपराध करने के समय पर अपने अस्वस्थ चित्तता के कारण अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति जानने में अक्षम था अथवा वह यह समझने योग्य नहीं था कि उसका कृत्य गलत अथवा विधि के विपरीत था, बल्कि साक्ष्य स्पष्टत: दर्शाता है कि अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति से पूर्णत: अवगत था। इस संबंध में विधि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **टी०एन० लक्ष्मय्या बनाम कर्नाटक राज्य, (2002)1 SCC 219,** में सुस्थापित किया गया है जिसमें निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:–

^^10- eO iO jkT; cuke vgenYyk e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k fd **iek.k dk Hkkj fd vfHk;Dr dh ekufld n'kk le; d fu.kk;d fcn ij] tlk ml èkkjk e of.kr fd;k x;k g] vfHk;Dr ij g tk lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 105 [mnkgj.k (q)] d rgr bl NV d ykHk dk nkok djrk gA fofèk dh lLFkkfir voLFkk ;g g fd iR;d 0;fDr dk le>nkj ,o viu dR;k d fy, ftEenkj gku d food dh i;klr fMxh j[ku okyk mièkkfjr fd;k tkrk g tc rd foijhr fl) ugh fd;k tkrk gA vfHk;Dr dk rnopu ek= vè;k; IV d vèkhu viokn dk ykHk yu d fy, i;klr ugh gA**

11- ,l ekey e tgk Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 84 d vèkhu viokn dk nkok fd;k tkrk g] U;k;ky; dk fopkj djuk gkxk fd D;k vijkèk dh dkfjrk d le; ij vfHk;Dr vLoLFk fpÙkrk d dkj.k l viu dR; dh idfr vFkok fd og tk dj jgk g xyr vFkok fofèk d foijhr g tkuu e vleFk FkkA vijkèk dh dkfjrk d le; l l= dk;okgh d ikjHk gku d le; rd vfHk;Dr dk li.k vkpj.k ;g vfHkfuf'pr dju d i;ktu l ikLfxd g fd D;k fd;k x;k vfHkopu lnHkkoi.k] okLrfod ;k vFkok ckn e lkpk x;k fopkj FkkA ikxyiu d vfHkopu] HkkOnO lO dh èkkjk 84 d foLrkj] vku"kfxd ifjfLFkfr;k vkj iek.k d Hkkj ij fopkj djr g, bl U;k;ky; u Mkg;k Hkkb NXxu Hkkb BDdj cuke xtjkr jkT; e vfHkfuèkkfjr fd;k% (AIR pp 1566-66 Para 5) (AIR 1964 SC 1563)

^^------ fdr Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 84 ikoèkkfur djrh g fd dN Hkh vijkèk ugh g ;fn vfHk;Dr ml dR; dk dju d le; ij vLoLFk fpÙkrk d dkj.k viu dR; dh idfr vFkok tk og dj jgk Fkk xyr vFkok fofèk d foijhr Fkk] tkuu e v{ke FkkA **bld viokn gku d ukr] lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 105 d vèkhu] mDr viokn d vrxr ekey dk yku okyh ifjfLFkfr;k dk vfLrRo fl) dju dk Hkkj vfHk;Dr ij gkxk vkj U;k;ky; ,lh ifjfLFkfr;k dh vuifLFkfr mièkkfjr djxkA lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 105 lgifBr mldh èkkjk 4 e ^^mièkkfjr djxk** dh ifjHkk"kk d vèkhu U;k;ky; ,lh ifjfLFkfr;k dh vuifLFkfr fl) d :i e ekuxk tc rd ;g viu le{k iLrr ekeyk ij fopkj dju d ckn ;g fo'okl ugh djrk g fd mDr ifjfLFkfr;k fo|eku Fkh vFkok mudk vfLrRo bruk vfèklHkkO; Fkk fd food'khy 0;fDr dk ekeyk fo'k"k dh ifjfLFkfr;k d vèkhu bl èkkj.kk ij dR; djuk pkfg, fd o fo|eku FkhA vU; 'kCnk e] vfHk;Dr dk mièkkj.kk [kfMr djuk gkxk fd ,lh ifjfLFkfr fo|eku ugh Fkh-----**** (tkj fn;k x;k)

16. मद्रास नायक के मामले (ऊपर) में, जिसपर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विश्वास किया, हम पाते हैं कि बचाव द्वारा अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए साक्ष्य लाया गया था कि अभियुक्त मानसिक रूप से बीमार था, किंतु वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि यद्यपि दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन दर्ज अपने बयान में अभियुक्त ने अभिवचन किया है कि वह वर्ष 2004 में मानसिक रूप से बीमार

था, किंतु बचाव द्वारा यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं लाया गया है कि अपीलार्थी मानसिक रूप से बीमार था। वस्तुतः, अभियुक्त अपीलार्थी की कार्रवाई, जैसा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से प्रकट हुआ, स्पष्टतः दर्शाती है कि अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता के अध्याय IV के सामान्य अपवादों के अधीन नहीं आता है। अपीलार्थी भार का निर्वहन करने में विफल रहा है कि उसका मामला भारतीय दंड संहिता के अध्याय IV के अधीन आता है। इस भार के निर्वहन की अनुपस्थिति में, यह उपधारित करना होगा कि अभियुक्त अपराध करने के समय पर बिलकुल स्वस्थ चित्त का था।

17. इस मामले के तथ्यों में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम रहा है और यह ये सिद्ध करने में सक्षम हुआ है कि अपीलार्थी ने इस बहाना पर कि वह जादू टोना कर रही थी, आग्नेयास्त्र से मृतका की हत्या की।

18. पूर्वोक्त कारणों से हम सत्र विचारण सं॰ 44 वर्ष 2005 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त, XVI, राँची द्वारा पारित दिनांक 21.7.2007 के दोष सिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 23.7.2007 के दंडादेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं और इसे एतद् द्वारा अभिपुष्ट करते हैं। अपीलार्थी राजू खोया अभिरक्षा में है और दंडादेश भुगत रहा है।

19. इस अपील में गुणागुण नहीं है, तथा तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

कोशिला देवी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 4344 of 2005. Decided on 19th July, 2017.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 21 एवं 226–कारा में बंदी की मृत्यु–मृतक की विधवा द्वारा 10 लाख रुपयों के मुआवजा का दावा–मृतक मदिरा सेवन का आदी था और मिर्गी से भी पीड़ित था–कारा प्राधिकारियों के विरूद्ध परिवाद नहीं था–वर्तमान तथ्यपरक स्थिति में विचाराधीन बंदी की मृत्यु का अन्वेषण किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किए जाने की आवश्यकता नहीं है–किंतु, मृतक की मृत्यु विचारण के अधीन कैदी के रूप में न्यायिक अभिरक्षा में हुई–झारखंड सरकार की नीति/योजना के निबंधनानुसार याची विधवा को उपयुक्त मुआवजा के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश महानिरीक्षक (कारा) को दिया गया। (पैराएँ 5, 6, 7, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(2010) 3 SCC 571; (2014) 5 SCC 252; (2009) 14 SCC 644—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s V. Shivnath, Niraj Kishore, For the Petitioner; M/s Sahid Khan, Nikhil Kumar Mahto, For the Respt.-State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका विचारणाधीन कैदी विजय नायक जिसकी मृत्यु बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, राँची में हुई, की मृत्यु के कारण 10 लाख रुपयों के मुआवजा के प्रदान के लिए दाखिल की गयी है। याची ने सी०आई०डी०/सी०बी०आई० के माध्यम से विजय नायक की मृत्यु के संबंध में अन्वेषण करने की प्रार्थना भी किया है।

3. मामले की ताथ्यिक पृष्ठभूमि, जैसा रिट याचिका से पता चलता है यह है कि मृतक विजय नायक को चूटिया पी०एस० केस सं० 47 वर्ष 2003 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और 21.5.2005 को स्वस्थ दशा में श्री आर०के० सहाय, अपर न्यायिक आयुक्त, एफ०टी०सी०, राँची के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पाँच दिन बाद, याचीगण को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, राँची के अधीक्षक द्वारा दिनांक 26.5.2005 के मेमो के तहत सूचित किया गया था कि विचारणाधीन कैदी विजय नायक को उसकी अचानक बीमारी के कारण आर०आई०एम०एस०, राँची में भरती किया गया था जहाँ उसे 26.5.2005 को पूर्वाहन लगभग 3.50 बजे मृत घोषित किया गया था।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि परिस्थिति जिनमें विजय नायक की मृत्यु हुई, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, राँची के कारा प्राधिकारियों के आचरण पर गंभीर संदेह सृजित करती है। याचीगण ने प्रभारी अधिकारी, हरिजन प्रकोष्ठ, राँची एवं गृह विभाग, झारखंड सरकार राँची को अभ्यावेदन दिया। उन्होंने विजय नायक की मृत्यु के संबंध में अन्वेषण करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नयी दिल्ली के समक्ष भी आवेदन दिया। किंतु, कुछ भी नहीं किया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि विचारणाधीन कैदी के जीवन की सुरक्षा करना राज्य एवं इसके अधिकारियों का कर्तव्य है और किसी दुर्घटना की स्थिति में, गलती करने वाले अधिकारियों को निष्पक्ष एजेंन्सी द्वारा जाँच का सामना करना होगा। इसके अतिरिक्त, मृतक के परिवार के सदस्य उपयुक्त मुआवजा के हकदार भी हैं।

5. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विजय नायक को भा०दं०सं० की धाराओं 147/148/149/341/323/325/448/302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए चुटिया पी०एस० केस सं० 47 वर्ष 2003 के संबंध में 21.5.2005 को अपराह्न लगभग 12.30 बजे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, राँची भेजा गया था। कारा प्राधिकारियों द्वारा 22.5.2005 को उसे बीमार रिपोर्ट किया गया था और तत्पश्चात इलाज के लिए कारा अस्पताल में भरती किया गया था। उसकी स्वास्थ्य दशा 26.5.2005 को पूर्वाह्न लगभग 3.50 बजे गंभीर हो गयी और उसे आर०आई०एम०एस०, राँची ले जाया गया था जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। पाँच डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा 27.5.2005 को शव परीक्षण किया गया था। मेडिकल बोर्ड के मत के मुताबिक, टिशुओं के हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट की कमी के कारण मृत्यु का कारण आरक्षित रखा गया था। बाद में, यह तथ्य कि विजय नायक की मृत्यु किडनी, हार्ट एवं ब्रेन जटिलताओं के संयुक्त प्रभाव के कारण हुई, प्रकट करते हुए उक्त हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी। कारा अस्पताल में रखे गए बेडहेड टिकट के मुताबिक, मृतक को कारा अस्पताल में भरती के समय पर मदिरा का आदी पाया गया था। इसके अतिरिक्त, मृतक मिर्गी से भी पीड़ित था। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जाँच की गयी थी, जिन्होंने अन्वेषण के बाद 22.11.2005 को अपना जाँच रिपोर्ट दाखिल किया। उक्त जाँच रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की मृत्यु का कारण लिवर में वसा परिवर्तन, किडनी का टुबुलर पतन दर्शाने वाला अंशतः ऑटोलाइज्ड टिशु पाया गया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया था कि विजय नायक की मृत्यु के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए जाँच पहले ही की गयी थी जिसमें यह पाया गया था कि उसकी मृत्यु खराब स्वास्थ्य के कारण हुई थी। पूर्वोक्त तथ्यों के अधीन, किसी एजेन्सी द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए वर्तमान मामला को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जैसी प्रार्थना याचीगण द्वारा वर्तमान रिट याचिका में दी गयी है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि मृतक विजय नायक को 21.5.2005 को अपराह्न 12.30 बजे विचारणाधीन कैदी के रूप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, राँची में रखा गया था। उसे 22.5.2005 को बीमार रिपोर्ट किया गया था और तत्पश्चात कारा डॉक्टर ने अपने पर्यवेक्षण के अधीन इलाज के लिए उसको कारा अस्पताल में भरती किया था। विजय नायक की स्वास्थ्य दशा 26.5.2005 को पूर्वाह्न 3.50 बजे अचानक गंभीर हो गयी और कारा डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए तुरन्त आर०आई०एम०एस० राँची भेजा जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। मृतक की मृत्यु समीक्षा 26.5.2005 को कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा की गयी थी। शव परीक्षण 27.5.2005 को आर०आई०एम०एस०, राँची के पाँच डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया था, जिसकी विडियो रिकॉर्डिंग भी की गयी थी और, तत्पश्चात, मृतक का मृत शरीर दिनांक 27.5.2005 की रसीद के तहत उसके भाई अर्थात अजय नायक को सौंपा गया था। संपूर्ण अभिलेख के परिशीलन पर, मैं शव परीक्षण रिपोर्ट में कोई छलसाधन नहीं पाता हूँ क्योंकि इसे पाँच डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पारदर्शी तरीके से किया गया था जिसकी विडियो रिकॉर्डिंग भी की गयी थी। चूँकि यह विचारणाधीन कैदी की मृत्यु का मामला था, जाँच का आदेश भी दिया गया था जिसे किसी विजय कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा किया गया था जिन्होंने 22.11.2005 को अपना रिपोर्ट दिया। जाँच रिपोर्ट (प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट जी०) के परिशीलन पर यह पता चलता है कि कारा अधीक्षक, कारा के अन्य अधिकारियों एवं सहबंदियों के बयान भी लिए गए थे। जाँच अधिकारी द्वारा यह पाया गया था कि विजय नायक की मृत्यु के पहले कारा प्राधिकारियों के विरूद्ध परिवाद नहीं था। समस्त सह बंदियों ने लगातार कथन किया कि विजय नायक आदतवश शराबी था और कारा के भीतर मिर्गी के दौरे से भी पीड़ित हुआ था। उक्त जाँच रिपोर्ट में, जाँच अधिकारी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया था जो याचीगण द्वारा वर्तमान रिट याचिका में दिए गए अभिकथन का समर्थन कर सकता था।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्याय पीठ ने **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम जनतांत्रिक अधिकार संरक्षण कमिटी, (2010)3 SCC 571,** में पैराग्राफ 70 पर किसी मामले जिसमें स्थानीय प्राधिकारियों/पुलिस के विरुद्ध अभिकथन किया गया है का अन्वेषण करने का निर्देश सी०बी०आई० को जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के अधीन गुंजाइश पर विचार करते हुए इसके विस्तार एवं अनुज्ञेयता को स्पष्ट किया जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *-^^70 ekey l vyx gku d igy] ge ;g tkj nuk vko';d le>r g fd lfoèkku d vuPNnk 32 ,o 226 }kjk inÙk 0;kid 'kfDr;k d ckotn] dkb vkn'k ikfjr djr g, U;k;ky; dk bu loèkkfud 'kfDr;k d i;kx ij dfri; Lo&vfèkjkfir ifjlhekvk dk è;ku e j[kuk gkxkA mDr vuPNnk d vèkhu 'kfDr dh 0;kidrk bld i;kx e vR;fèkd lrdrk vko';d cukrh gA tgk rd fdlh ekey e vUo"k.k dju d fy, lh0 ch0 vkb0 dk fun'k tkjh dju d i'u dk lcèk g] ;|fi ;g fofuf'pr dju d fy, fd D;k ,lh 'kfDr dk i;kx fd;k tkuk pkfg, ;k ugh] dkb dBkj fn'kk fun'k vfèkdfFkr ugh fd;k tk ldrk g fdr ckj&ckj ;g nkgjk;k x;k g fd ,lk vkn'k :Vhuor vFkok ek= blfy, fd fdlh i{k u LFkkuh; ifyl d fo:) vfHkdFku fd;k g] ikfjr ugh fd;k tkuk gA bl vlkèkkj.k 'kfDr dk i;kx fdQk;r l] lrdrkiod ,o vkiokfnd fLFkfr;k e fd;k tkuk gkxk tgk vUo"k.k dk fo'oluh;rk inku djuk vkj ble fo'okl LFkkfir djuk vko';d cu tkrk g vFkok tgk ?kVuk d jk"Vh; ,o vrjk"Vh; ifj.kke gk ldr g vFkok tgk i.k U;k; dju d fy, vkj ey vfèkdkj iofrr dju d fy, ,lk vkn'k vko';d gk ldrk gA vU;Fkk lh0 ch0 vkb0 ij ekeyk dh fo'kky l[;k dk ck> Mky fn;k tk,xk vkj lhfer llkèkuk l ;g*

*xHkhj ekeyk dk Hkh lefpr :i l vUo"k.k djuk Hkh ef'dy ik ldrk g vkj bl ifØ;k e vlr"ktud vUo"k.k d dkj.k viuh fo'oluh;rk rFkk i;ktu [kk ldrk gA***

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मो० हारून बनाम भारत संघ, (2014)5 SCC 252,** में यही सिद्धांत दोहराया गया है।

9. मोहम्मद यासिन बनाम राज्य (दिल्ली का एन०सी०टी०) एवं अन्य, (2009)14 SCC 644 में, समरूप तथ्यपरक स्थिति होने पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सी०बी०आई० द्वारा अन्वेषण के लिए अथवा दांडिक मामला के दर्जकरण के लिए भी मामला निर्दिष्ट करने से इनकार किया है।

10. वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और उक्त निर्दिष्ट मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित मापदंडों पर विचार करते हुए, मैं नहीं पाता हूँ कि वर्तमान मामले की तथ्यपरक स्थिति में विचारणाधीन बंदी अर्थात विजय नायक की मृत्यु का अन्वेषण किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किए जाने की आवश्यकता है जैसी प्रार्थना याचीगण द्वारा की गयी है।

11. किंतु, यह स्वीकृत तथ्य है कि विजय नायक की मृत्यु विचारणाधीन कैदी के रूप में न्यायिक अभिरक्षा में हुई, मैं प्रत्यर्थी सं०2 (महानिरीक्षक (कारा), झारखंड, राँची) को इस संबंध में झारखंड सरकार की नीति/योजना को विचार में लेते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 1 (कोशिला देवी, स्व० विजय नायक की विधवा) को उपयुक्त मुआवजा के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देना समुचित समझता हूँ।

12. तद्नुसार, पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

रोशन एक्का एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 1459 of 2007. Decided on 14th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 33 वर्ष 2005 श्री अमिताभ कुमार, सत्र न्यायाधीश, पश्चिम बंगाल, चाइबासा द्वारा पारित दिनांक 18 अगस्त, 2007, दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 21 अगस्त, 2007 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 364A, 302/34 एवं 201–अपहरण, हत्या एवं साक्ष्य का मिटाया जाना–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील–अभियोजन मामला चिकित्सीय रिपोर्ट एवं एफ०एस०एल० रिपोर्ट द्वारा संपुष्ट किया गया–बाल गवाह का साक्ष्य भी विश्वसनीय है–परिस्थितियाँ केवल यह उपदर्शित करती हैं कि अभियुक्त अपीलार्थी सं॰ 1 ने मृतक का अपहरण एवं हत्या किया और तत्पश्चात अपने आंगन में मृत शरीर दफन कर दिया–अभियुक्त अपीलार्थी सं०1 की दोषसिद्धि पूर्णतः न्यायोचित है और उसी तरह उस पर अधिरोपित दंडादेश भी–किंतु, इस मामले में अपीलार्थी सं० 2 को आलिप्त करने के लिए सामग्री नहीं है–किसी

साक्ष्य की अनुपस्थिति में भा०दं०सं० की धाराओं 302/34 एवं 201 के अधीन उसकी दोषसिद्धि संपोषित नहीं की जा सकती है–अपीलार्थी सं०2 आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का दायी है-दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशतः अभिपुष्ट। (पैराएँ 32 से 37)

अधिवक्तागण.–Mr. Nishant Kumar Roy, For the Appellants; Mr. Sudhanshu Kumar Deo, For the Respondent.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–इन दो अपीलार्थियों ने इस अपील को दाखिल करके जी०आर० सं० 433 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं० 33 वर्ष 2005 में सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम, चाइबासा द्वारा पारित दिनांक 18 अगस्त, 2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 21 अगस्त, 2007 के दंडादेश को चुनौती दिया है।

2. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी रोशन एक्का को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364A, 302 एवं 201 के अधीन अपराध का दोषी और अपीलार्थी राजेश एक्का को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं 201 के अधीन अपराध का दोषी पाने के बाद उनको भारतीय दंड संहिता की उक्त धाराओं के अधीन दोषसिद्ध किया। अपीलार्थी रोशन एक्का को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A के अधीन अपराध के लिए 25,000/- रुपयों के जुर्माना के साथ कठोर आजीवन कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए 25,000/- रुपयों के जुर्माना के साथ कठोर आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए 5000/- रुपयों के जुर्माना के साथ तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। अपीलार्थी राजेश एक्का को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए 15,000/- रुपयों के जुर्माना के साथ आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए 5000/- रुपयों के जुर्माना के साथ तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. प्राथमिकी राजेन्द्र प्रसाद (अ०सा० 4) के फर्दबयान पर आधारित है। उसने मुफ्फसिल पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष उसमें यह कथन करते हुए लिखित रिपोर्ट दाखिल किया कि 3.10.2004 को सायं लगभग 5 बजे उसका पुत्र विशाल अन्य बालकों के साथ अपने घर के निकट खेल रहा था। खेलने के बाद सारे बालक लौट गए, किंतु उसका पुत्र नहीं लौटा था। तलाश की गयी, किंतु विशाल का पता नहीं लगाया जा सका था। शाम में उस प्रभाव की सूचना पुलिस को दी गयी थी। रात में तलाश जारी रही, किंतु बालक का अता पता अज्ञात बना रहा। पुनः अगले दिन 4.10.2004 को पूरे दिन तलाश जारी रही, जब उन्हें जानकारी हुई कि 3.10.2004 को जहाँ विशाल खेल रहा था, रोशन एक्का (अपीलार्थी सं० 1) को संदेहास्पद तरीके से देखा गया था और अंधेरा होने तक विशाल के मित्र द्वारा उसे बालक के साथ देखा गया था और तुरन्त तत्पश्चात बालक गायब हो गया। प्राथमिकी में सूचक उल्लेख करता है कि रोशन एक्का संदेहास्पद चरित्र का है। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि सूचक एवं अन्य रोशन एक्का के घर गए, जब रोशन एक्का का बड़ा भाई अर्थात बॉबी एक्का, उसकी माता कुसुम एक्का और उसके भाई रंजीत एक्का एवं राजेश एक्का (अपीलार्थी सं०2) उनको देख कर चिंतित हो गए और पूछा कि वे उनके घर क्यों आए हैं। इन अपीलार्थियों के परिवार के सदस्यों का व्यवहार संदेहास्पद था। उक्त व्यवहार देखकर सूचक ने विश्वास किया कि बुरे आशय से रोशन एक्का एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है और शायद उसकी हतया कर दी जाएगी।

4. उक्त लिखित रिपोर्ट पर, आरंभ में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364/34 के अधीन अपराध के लिए मुफ्फसिल पुलिस थाना मामला सं० 114 वर्ष 2004 दर्ज किया गया था। अन्वेषण के दौरान,

पुलिस ने बालक का मृत शरीर बरामद किया, इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 6.10.2004 को जोड़ी गयी थी। पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364, 302, 201 एवं 120B के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया। संज्ञान लिया गया था और चूँकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसे सुपुर्द किया गया था। विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों रोशन एक्का एवं राजेश एक्का के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं धारा 201 तथा धारा 120B के अधीन आरोप विरचित किया। रोशन एक्का (अपीलार्थी सं० 1) को आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 364 एवं 364A के अधीन अपराध करने के लिए आरोपित किया गया था। अपीलार्थियों ने आरोप के प्रति निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

5. अभियोजन मामला सिद्ध करने के लिए 21 गवाहों का परीक्षण किया गया था अ०सा० 1 भोला प्रसाद है, अ०सा०2 किशोर प्रसाद है, अ०सा० 3 डॉ०बी०के० सिंह है, अ०सा० 4 इस मामले का सूचक राजेन्द्र प्रसाद है, अ०सा० 5 अनूप प्रसाद है, अ० सा० 6 शक्ति प्रसाद है, अ० सा० 7 जॉर्ज बंकीरा है, अ० सा० 8 देवनारायण मुंडा है, अ० सा० 9 राधा देवी है, अ० सा० 10 डॉ० ए० के० मिश्रा है, अ० सा० 11 डॉ० बी० के० साहनी है, अ० सा० 12 रंजीत प्रसाद है, अ० सा० 13 सुनील प्रसाद है, अ० सा० 14 मो० अफरोज है, अ०सा० 15 अमूल्य धबाल है, अ० सा० 16 बेबी कुमारी है, अ० सा० 17 मनोज कुमार महंती है, अ० सा० 18 राजीव चावला है, अ० सा० 19 संजय चावला है, अ० सा० 20 तारानन्द सिंह है और अ० सा० 21 सुरेन्द्र पासवान है।

6. इसके अतिरिक्त, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेज एवं सामग्री भी प्रदर्शित किए गए थे। निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं:-

in'k 1 fyf[kr fjikV g

in'k 1@1 fyf[kr fjikV ij jktUn ilkn dk gLrk{kj gA

in'k 2 'ko ijh{k.k fjikV gA

in'k 2@1 'ko ijh{k.k fjikV ij MkO chO dO lkguh dk gLrk{kj gA

in'k 2@2 'ko ijh{k.k fjikV ij MkO ,O dO feJk dk gLrk{kj gA

in'k 3 eR; leh{kk fjikV ij jktUn ilkn dk gLrk{kj gA

in'k 3@1 eR; leh{kk fjikV ij vui ilkn dk gLrk{kj gA

in'k 3@2 eR; leh{kk fjikV ij jk'ku ,Ddk dk gLrk{kj gA

in'k 3@3 vfHkxg.k lph e vui ilkn dk gLrk{kj gA

in'k 3@4 vfHkxg.k lph e eukt dekj ekgrh dk gLrk{kj gA

in'k 3@5 vfHkxg.k lph e jk'ku ,Ddk dk gLrk{kj gA

in'k 3@6 vfHkxg.k lph e vui ilkn dk gLrk{kj gA

in'k 3@7 vfHkxg.k lph e Hkkyk ilkn dk gLrk{kj gA

in'k 3@8 vfHkxg.k lph e jk'ku ,Ddk dk gLrk{kj gA

in'k 3@9 vfHkxg.k lph e vui ilkn dk gLrk{kj gA

in'k 3@10 vfHkxg.k lph e Hkkyk ilkn dk gLrk{kj gA

in'k 3@11 vfHkxg.k lph e jk'ku ,Ddk dk gLrk{kj gA

in'k 4 vkipkfjd ikFkfedh gA

in'k 5 fyf[kr fjikV e i"Bkdu gA

in'k 6 eR; lehkk fjikV gA

in'k 7 vfHk;Dr jk'ku ,Ddk dk bdcky;k c;ku gA

in'k 8 uhyh thUl iV dh vfHkxg.k lph gA

in'k 8@1 l[k jDr dh vfHkxg.k lph gA

in'k 8@2 xrk] dnky] ych eB okyk ykg d lCcy dh vfHkxg.k lph gA

in'k 9 in'kk dk ,Q0 ,l0 ,y0 Hktu d fy, ryc (vuefr i=) gA

in'k 9@1 fun'kd] ,Q0 ,l0 ,y0] jkph dk vkonu (dkcu ifr) gA

in'k 9@2 fnukd 5-1-2005 dk ,Q0 ,l0 ,y0 d fy, dkcu ifØ;k l fd;k x;k vkonu gA

in'k 10 dnh; ,Q0 ,l0 ,y0 fjikV gA

7- अभियोजन की ओर से तात्विक प्रदर्श निम्नलिखित हैं:–

rkfRod in'k I dkB dk cDlk gA

rkfRod in'k I l I@3 egjcn fyQkQ gA

rkfRod in'k I@4 QyiUV gA

rkfRod in'k I@5 egjcn ckry gA

rkfRod in'k II xrk gA

rkfRod in'k II@1 dnky gA

rkfRod in'k II@2 lCcy gA

8. अभियुक्त रोशन एक्का की संस्वीकृति के सिवाए समस्त दस्तावेज एवं तात्विक प्रदर्श आपत्ति के बिना साक्ष्य में ग्रहण किए गए थे।

9. साक्ष्य बंद करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थियों का बयान दर्ज किया गया था।

10. विचारण न्यायालय में साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के बाद और तर्कों को सुनने के बाद अपीलार्थी रोशन एक्का को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364A, 302 एवं 201 के अधीन अपराध का दोषी पाया और अपीलार्थी राजेश एक्का को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं 201 के अधीन अपराध का दोषी पाया और तद्नुसार उनको दोषसिद्ध किया। अपीलार्थी रोशन एक्का को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A के अधीन अपराध के लिए 25000/– रुपयों के जुर्माना के साथ आजीवन कठोर कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए 25,000/– रुपयों के जुर्माना के साथ कठोर आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए 5000/– रुपयों के जुर्माना के साथ तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। अपीलार्थी राजेश एक्का को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए 15000/–रुपयों के जुर्माना के साथ आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए 5000/– रुपयों के जुर्माना के साथ तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

11. इन अपीलार्थियों पर अधिरोपित दोषसिद्धि के उक्त निर्णय एवं दंडादेश को चुनौती देते हुए दोनों अपीलार्थियों द्वारा वर्तमान अपील दाखिल की गयी है।

12. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितियाँ इतनी कमजोर हैं कि अपीलार्थियों को इस मामले में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था। यह निवेदन किया गया है कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और किसी ने नहीं देखा है कि अपीलार्थीगण सूचक के अवयस्क पुत्र विशाल को ले गए थे अथवा उसका अपहरण किया था। वह निवेदन करते हैं कि अभियोजन ने अभियुक्त अपीलार्थी रोशन एक्का की संस्वीकृति पर भारी विश्वास किया है, जो पूर्णत: अवैध है क्योंकि उसके द्वारा दिए गए बयान का उपयोग उसके एवं सह अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि नि:संदेह मृत शरीर उस घर से बरामद किया गया था जहाँ ये अपीलार्थीगण रहते थे, किंतु मृत शरीर की बरामदगी मात्र इन अपीलार्थियों पर दोष की उंगली इंगित नहीं करती है क्योंकि अनेक व्यक्ति थे जो उस घर में रह रहे थे। यह तर्क भी किया गया है कि प्राथमिकी अन्य गवाहों के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं की गयी है। यह तर्क भी किया गया है कि केवल संदेह के आधार पर इन दोनों अपीलार्थियों को इस मामले में दोषसिद्ध किया गया है। अंत में निवेदन किया गया है कि इस मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है, इस प्रकार एक मात्र निष्कर्ष जिस पर विचारण न्यायालय आ सकता था इन दोनों अपीलार्थियों की निर्दोषिता के बारे में है, अत: उन्हें दोषमुक्त किया जाना चाहिए था।

13. राज्य के विद्वान ए०पी०पी० निवेदन करते हैं कि अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध किया है। यह तर्क किया गया है कि यद्यपि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, फिर भी परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है और समस्त परिस्थितियाँ केवल एक निष्कर्ष अर्थात इन दोनों अपीलार्थियों के दोष की ओर ले जाती है। यह तर्क किया गया है कि बालक का शरीर इन दोनों अपीलार्थियों के परिसर से बरामद किया गया था और तात्विक प्रदर्शों एवं न्यायालयिक रिपोर्ट के साथ डॉक्टर का साक्ष्य स्पष्टत: सुझाता है कि अपीलार्थियों ने ही उसका अपहरण करने के बाद मृतक की हत्या की है। विद्वान ए०पी०पी० ने गवाहों के साक्ष्य पर विश्वास किया है जिन्होंने कथन किया है कि मृतक को गायब होने के तुरन्त पहले अंतिम बार अपीलार्थी रोशन एक्का के साथ देखा गया था और अगली तिथि पर ही उसका शरीर उसके घर से बरामद किया गया था, जो स्पष्टत: सिद्ध करता है कि अपीलार्थी ने ही उसका अपहरण करने के बाद मृतक की हत्या की है। वह अंत में निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय ने सही रूप से अपीलार्थियों को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है।

14. हमने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना है और सावधानीपूर्वक मामले के अभिलेखों का संवीक्षण किया है और अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य का परिशीलन किया है।

15. अ०सा० 1 भोला प्रसाद है जो मृतक का चाचा है। उसने कथन किया कि घटना की तिथि को वह शहर में नहीं था। उसने कथन किया कि जब वह लौटा, उसे पता चला कि उसका भतीजा विशाल गायब है और खेलने के बाद नहीं लौटा था। उसने कथन किया कि अपीलार्थी सं०1 अगले दिन आया और विशाल के बारे में पूछा और उनको समाचार पत्र में गुमशुदा रिपोर्ट प्रकाशित करवाने का सलाह दिया और इसे टेलीविजन आदि के माध्यम से इसकी घोषणा करवाने का भी सलाह दिया। उसने कथन किया कि उसे विशाल के दोस्त से जानकारी हुई कि 3.10.2004 को वे खेल रहे थे और तत्पश्चात, विशाल एवं रोशन एक्का रोशन के घर की ओर जाते देखा गया था।

16. अ०सा० 2 किशोर प्रसाद है। उसने कथन किया कि विशाल गायब हो गया। उसने कथन किया कि बालक की माता ने उसी शाम पुलिस थाना को सूचित किया था। उसने आगे कथन किया कि विशाल के मित्र ने उसे बताया था कि वे खेल रहे थे, अपीलार्थी सं० 1 रोशन एक्का को संदेहास्पद तरीके से

उनके निकट देखा गया था और तत्पश्चात उसने अपीलार्थी सं॰ 1 को विशाल के साथ अपीलार्थी सं॰ 1 के घर जाते देखा था। वे अपीलार्थियों के घर गए, किंतु वहाँ से कोई प्रत्युत्तर नहीं पाया था। उनका व्यवहार देखकर, इस गवाह को संदेह हुआ। इस गवाह ने लिखित रिपोर्ट सिद्ध किया है जो औपचारिक प्राथमिकी का आधार निर्णित करता है।

17. अ॰सा॰ 3 डॉ॰ बी॰के॰ सिंह हैं जो मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे जिसने मृतक का शव परीक्षण किया था। उन्होंने कथन किया कि मृतक के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पायी गयी थी:–

ckg ;

(1) 'ko dh vdMu vuifLFkr FkhA 'kjhj l tk gvk] oL=k ,o 'kjhj ij dhpM&cky ektn FkkA iV ,o Nkrh ij gj] dky jx dh cnjxh (2) ukd l [ku cg jgk FkkA (3) xnu d bn fxn dkyk gjk jx dk [kjkp ektn Fkk] 1.75cm pkMk] 5" yckA [kjkp f{kfrt h; Fkh (4) xnk l ey dk yhdt ektn FkkA tk?k ,o ifjfu;e ij migfr è;ku e ugh yh x;h FkhA

foPNnu dju ij

eLrd ,o xnu&xnu e vèkLRoph; mÙkd ij [ku ektn g] [kjkp fu'kku d Bhd uhp] ikp Vfp;y fjX l VV FkA Vfp;k e [ku FkkA

FkkjD l & QQMk dtLVM FkkA

ân; & nk;k pEcj Hkjk] ck;k [kkyh

iV&vuipk nky HkkrA fyoj] Liyhu] fdMuh&,u0 ,0 MhO ;fujh CykMj [kkyhA

उन्होंने अपने साक्ष्य में कथन किया कि मृत्यु दम घुटने से हुई थी और शायद गला दबाए जाने के कारण हुई थी और मृत्यु का समय 48–96 घंटा के बीच है। उन्होंने कथन किया कि शव परीक्षण 6.10.2004 को किया गया था। उन्होंने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि उपहतियाँ प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं, शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था और अन्य डॉक्टरों के हस्ताक्षर क्रमशः प्रदर्श 2/1 एवं 2/2 चिन्हित किए गए थे।

18. अ॰सा॰ 4 राजेन्द्र प्रसाद है जो इस मामले का सूचक है और मृतक का पिता है। उसने कथन किया कि उसका पुत्र 3.10.2004 को गायब हो गया था और उसने उक्त सूचना अपने कर्तव्य से लौटने के बाद पाया। उसने अन्य के साथ बालक का तलाश किया, किंतु असफल रहा। उसने कथन किया कि उसने पुलिस को रिपोर्ट किया। उसके साक्ष्य के मुताबिक, 5.10.2004 को, मृत शरीर अपीलार्थियों के आंगन में दफनाया पाया गया था उसने कथन किया कि मृत शरीर अपीलर्थी रोशन एक्का के बयान पर बरामद किया गया था। उसने कथन किया कि अपीलार्थी सं॰ 2 ने अपीलार्थी सं॰ 1 की उपस्थिति में मिट्टी खोदने के बाद शरीर बाहर निकाला। इस गवाह का हस्ताक्षर अनुप प्रसाद के हस्ताक्षर के साथ मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में प्रदर्श 3 के रूप में प्रदर्शित किया गया था उसकी उपस्थिति में, अपीलार्थी सं॰ 1 ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अपना हस्ताक्षर किया था जिसे प्रदर्श 3/2 चिन्हित किया गया था। उसने अपीलार्थियों को पहचाना जो न्यायालय में उपस्थित थे। लिखित रिपोर्ट में हस्ताक्षर भी प्रदर्श 1/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

19. अ॰सा॰ 5 अनूप प्रसाद है जिसने अभियोजन मामले का समर्थन किया। उसने कथन किया कि उसने सूचना पाया कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थी सं॰ 1 रोशन एक्का के साथ देखा गया था और लोग बालक की तलाश में अपीलार्थी सं॰ 1 के घर गए जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था।

उसने कथन किया कि रोशन एक्का गिरफ्तार किया गया था और तत्पश्चात उसने अपना दोष संस्वीकार किया और उसकी संस्वीकृति के बाद और–उसकी प्रेरणा पर मृत शरीर बरामद किया गया था, जिसे रोशन एक्का के आंगन में दफनाया गया था। वह मृत्यु समीक्षा के गवाहों में से एक था। उसने कथन किया कि मिट्टी खोदने में प्रयुक्त अनेक सामग्रियाँ एवं औजार रोशन एक्का की प्रेरणा पर अपीलार्थियों के घर से बरामद किए गए थे। उसने अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर पहचाना, जिसे पुलिस द्वारा तैयार किया गया था। उसके बयान के मुताबिक, न केवल औजार जब्त किए गए थे बल्कि रक्तरंजित मिट्टी एवं खून के धब्बों के साथ नीले रंग का जीन्स पैन्ट भी जब्त की गयी थी।

20. अ०सा० 6 मृतक का भाई शक्ति प्रसाद है, जिसने विवरण दिया है कि उसके भाई की हत्या की गयी है। उसने कथन किया कि उसका भाई गायब हो गया। उसने आगे कथन किया कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया था। उसने कथन किया कि रोशन अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं है। उसने अपीलार्थी सं० 1 को पहचाना जो न्यायालय में उपस्थित था।

21. अ०सा० 7 जॉर्ज बंकीरा है जो मृतक का मित्र था और उसके साथ खेल रहा था। वह बाल गवाह है। न्यायालय ने इस गवाह को अभिसाक्ष्य देने में पर्याप्त रूप से सक्षम पाया क्योंकि वह प्रश्नों को समझता था जो उससे पूछे गए थे। उसने कथन किया कि वे फुटबॉल खेल रहे थे और विशाल वहाँ बैठा था। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी सं० 1 विशाल (मृतक) के ठीक पीछे बैठा था। उसने कथन किया कि अपराह्न 6.30 बजे वे अपने–अपने घर चले गए और विशाल भी चला गया।

22. अ०सा० 8 देवनारायण मुंडा है। वह भी बाल गवाह है। उसे भी न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने योग्य पाया गया था। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, किंतु प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया कि रोशन जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था द्वारा विशाल की हत्या की गयी थी।

23. अ०सा० 9 राधा देवी मृतक की माता है। उसने अभियोजन मामले का समर्थन किया और कथन किया कि उसका पुत्र 3.10.2004 को गायब हो गया और उसने पुलिस को सूचना दिया। उसने कपड़ों का विवरण दिया, जिसे विशाल ने पहन रखा था जब वह गायब हो गया।

24. अ०सा० 10 एवं 11 क्रमश: डॉ०ए० के० मिश्रा एवं डा० बी० के० साहनी हैं। वे दोनों मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट में अपने–अपने हस्ताक्षरों को पहचाना और परिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अ०सा० 3 के साथ शव परीक्षण किया है।

25. अ०सा० 12 रंजीत प्रसाद है। उसने कथन किया कि उसने सूचना पाया कि विशाल गायब है। उसने कथन किया कि जॉर्ज ने सूचित किया था कि जब बच्चे खेल रहे थे, अपीलार्थी सं० 1 विशाल के साथ बैठा था। न्यायालय के एक प्रश्न के प्रति उसने कथन किया कि रोशन आपराधिक प्रकृति का था।

26. अ० सा० 13 सुनील प्रसाद है। उसने कथन किया कि उसने सूचना पाया था कि विशाल को अंतिम बार रोशन एक्का के साथ देखा गया था। वह विशाल के घर गया जहाँ पूछने पर उसे सूचित किया गया था कि विशाल नहीं पाया गया था।

27. अ० सा० 14 मो०युसूफ है। वह पक्षद्रोही हो गया। उसने कथन किया कि उसे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। वह नहीं जानता है कि उक्त दस्तावेज का विषयवस्तु क्या था।

28. अ० सा० 15 अमूल्य धवल निविदत्त गवाह है।

29. अ० सा० 16 बेबी कुमारी मृतक की बहन है। उसने कथन किया कि विशाल खेलने बाहर गया था किंतु लौटा नहीं था। उसने कथन किया कि अन्य बालकों ने कथन किया था कि रोशन एक्का

विशाल के साथ बैठा था। वह अन्य व्यक्तियों के साथ रोशन एक्का के घर गयी और जब उन्होंने विशाल के बारे में पूछताछ किया, अपीलार्थी की माता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने कथन किया कि उस बिन्दु पर उसने संदेह किया कि इन अपीलार्थियों का लड़के के गायब होने में हाथ है।

30. अ० सा० 17 मनोज कुमार महन्ती है। उसने कथन किया कि उसकी उपस्थिति में विशाल का शरीर अपीलार्थियों के घर से बरामद किया गया था। उसने कथन किया कि मिट्टी खोदने के बाद शरीर बरामद किया गया था। उसने आगे कथन किया कि मिट्टी खोदने में प्रयुक्त कुदाल तथा अन्य औजारों को इन अपीलार्थियों के घर से बरामद किया गया था। वह स्वीकार करता है कि वह अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह स्वीकार करता है कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया था।

31. अ० सा० 18 राजीव चावला एवं अ०सा० 19 संजय चावला निविदत्त गवाह हैं।

32. अ० सा० 20 तारानन्द सिंह अन्वेषण अधिकारी है। उसने औपचारिक प्राथमिकी एवं इस पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया। उसने कथन किया कि अन्वेषण अपने हाथ में लेने के बाद उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसने कथन किया कि अन्वेषण ने प्रकट किया कि रोशन एक्का बैठा था और बालकों को खेलता देख रहा था। अपने जॉर्ज बंकीरा (अ०सा० 7) एवं देवनारायण मुंडा (अ०सा० 8) का बयान दर्ज किया जो विशाल (मृतक) की उपस्थिति में खेल रहे थे। वह परीक्षण के लिए रोशन एक्का (अपीलार्थी सं० 1) को अपने साथ ले गया, जिसने पूछताछ के बाद अपना दोष संस्वीकार किया और कथन किया कि उसने बालक का अपहरण किया और तत्पश्चात उसकी हत्या की। उसने कथन किया कि उसकी संस्वीकृति दर्ज की गयी थी। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि रोशन एक्का ने संस्वीकार किया कि गला दबाकर हत्या करते हुए खून बाहर आया और उसके पैन्ट पर खून के धब्बे थे जिसे उसने अपने घर में रखा था। उसने संस्वीकार किया कि उसने अपने परिसर में मृत शरीर दफनाया। उसने यह कथन भी किया कि सामग्रियों जिनका उपयोग उसने मिट्टी खोदने में किया था, उसके द्वारा अपने घर में छुपायी गयी है जिन्हें बरामद किया जा सकता है। उसने कथन किया कि उसने यह सब मृतक के परिवार से धन लेने के लिए किया। उसे इस गवाह द्वारा अपने घर ले जाया गया था जहाँ उसके इंगित करने पर शरीर बरामद किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि अपीलार्थी सं० 1 द्वारा इंगित किए जाने पर खून के धब्बों के साथ नीली जीन्स पैन्ट भी बरामद की गयी थी जिसे भी जब्त किया गया था उसने खून के धब्बों को भी जब्त किया जो जमीन पर गिरे थे। उसके द्वारा इन समस्त सामग्रियों को जब्त किया गया था और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। तत्पश्चात, उसने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा और शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया और अनेक गवाहों के बयानों को दर्ज किया। उसने कथन किया कि उसने मृतक का खून नमूना प्राप्त किया और इसे अपीलार्थी सं० 1 के रक्तरंजित पैन्ट के साथ न्यायालयिक/डी०एन०ए० परीक्षा के लिए कोलकाता भेजा। उसने कथन किया कि उसने राजेश एक्का एवं रोशन एक्का को गिरफ्तार किया और उनको न्यायालय में पेश किया और अन्य के विरुद्ध अन्वेषण खुला रखते हुए इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। उसका स्थानांतरण किया गया था और अपने स्थानांतरण के पहले उसने सहदेव प्रसाद को अन्वेषण सौंपा। उसने यह कथन भी किया कि कुदाल एवं खोदने वाली सामग्रियों के सिवाए अन्य समस्त सामग्रियाँ जिन्हें उसने जब्त किया था न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजी गयी थी। उसने कथन किया कि समस्त सामग्रियाँ मालखाना में रखी हुई थी जिसे वह अपने परीक्षण की तिथि पर प्रस्तुत नहीं कर सका था क्योंकि मालखाना का प्रभारी अवकाश पर था। उसने कथन किया कि गवाह देवनारायण मुंडा ने भी अन्वेषण के दौरान उसको कहा था कि रोशन एक्का मृतक के साथ बैठा था जब वे खेल रहे थे। उसने कथन किया कि उसने प्रदर्शों को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजने के लिए न्यायालय से

अनुमति लिया था। उसने फारवार्डिन्ग लेटर दिखाया जिसके माध्यम से सामग्रियाँ भेजी गयी थी। उसने कथन किया कि उसने केस डायरी के पैराग्राफों 28 एवं 29 में दर्ज किया है कि रोशन एक्का ने कथन किया है कि उसने अपीलार्थी सं॰ 2 की जानकारी में इसे देने के बाद बालक की हत्या की। उसने कथन किया कि रोशन एक्का का बयान दर्ज किया गया था और उसका हस्ताक्षर लिया गया था।

33. अ॰ सा॰ 21 सुरेन्द्र पासवान है जिसने न्यायालयिक प्रयोगशाला, कोलकाता से रिपोर्ट प्राप्त किया और इसे आरक्षी अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया। उसने उक्त रिपोर्ट पहचाना और इसे प्रदर्श 10 चिन्हित किया गया था। उसने इस मामले में सामग्रियों, दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तथा प्रदर्शों को पहचाना जिसे न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा लौटा दिया गया था। फुल पैन्ट, एफ॰एस॰एल॰ रिपोर्टो को अंतर्विष्ट करते लिफाफे, रिपोर्ट, रक्त नमूनों को अंतर्विष्ट करने वाले टेस्ट ट्यूब भी प्रदर्शित किए गए थे। उसने कुदाल एवं मिट्टी खोदने वाले अन्य औजारों को भी प्रस्तुत किया जिन्हें भी प्रदर्श चिन्हित किया गया था।

34. साक्ष्य जिसे अभियोजन द्वारा दिया गया है का विश्लेषण करने के बाद हम पाते हैं कि गवाहों अर्थात अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 4, अ॰ सा॰ 6, एवं अ॰ सा॰ 9 ने स्पष्टत: कथन किया है कि विशाल दोपहर में खेलने गया, किंतु लौटा नहीं था। उन्होंने कथन किया कि तलाश की गयी थी और वे अपीलार्थियों के घर गए जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। साक्ष्य में भी यह आया है कि रोशन एक्का मृतक के साथ बैठा देखा गया था जब बालक खेल रहे थे। गवाहों ने यह भी कथन किया कि जॉर्ज बंकीरा (अ॰ सा॰ 7) ने उनको बताया कि विशाल (मृतक) रोशन एक्का के साथ जाता देखा गया था। जॉर्ज बंकरा (अ॰सा॰ 7) ने कथन किया है कि अपीलार्थी रोशन एक्का विशाल के साथ तब भी बैठा था जब वे सब घर की ओर गये। अ॰सा॰ 7 एवं अ॰सा॰ 8 ने भी यही कहा है कि रोशन एक्का विशाल के साथ बैठा देखा गया था यद्यपि अ॰सा॰ 8 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, फिर भी प्रतिपरीक्षण के क्रम में हम पाते हैं कि उसने कथन किया कि रोशन एक्का ने विशाल की हत्या किया था। इस प्रकार, अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य में आ रहा है कि विशाल को 3.10.2004 को अंतिम बार अपीलार्थी सं॰ 1 के साथ देखा गया था। बालक के गायब होने के बारे में रिपोर्ट माता द्वारा स्वयं शाम में पुलिस को दी गयी थी। तलाश 4.10.2004 को की गयी थी, किंतु बालक का अता-पता अभी भी अज्ञात था, इस प्रकार, अ॰सा॰ 4 ने मामला पुलिस को रिपोर्ट किया जो प्राथमिकी है। पुलिस तुरन्त हरकत में आयी और अनेक व्यक्तियों से पूछताछ करने लगी और उस दिन शाम में रोशन एक्का को पूछताछ के लिए ले गयी। अभियोजन का मामला है कि रोशन एक्का ने दोष संस्वीकार किया और वह पुलिस को अपने घर ले गया जहाँ से मृत शरीर बरामद किया गया था। शरीर रोशन एक्का के आंगन में दफनाया गया था जिसे केवल उसकी प्रेरणा पर खोदकर निकाला गया था गवाहों के साक्ष्य में यह भी आया है कि रोशन एक्का के घर से रक्तरंजित जीन्स पैंट भी बरामद की गयी थी जो उसकी थी। रोशन एक्का द्वारा इंगित किए जाने पर उसके घर से जमीन खोदने के औजार भी बरामद किए गए थे। अन्वेषण अधिकारी ने भी अपने साक्ष्य में पूर्वोक्त तथ्य का समर्थन किया है। इन समस्त सामग्री को परीक्षण के लिए भेजा गया था। मृत शरीर का शव परीक्षण किया गया था। शव परीक्षण रिपोर्ट सुझाती है कि मिट्टी एवं बालू वस्त्रों पर और शरीर पर भी मौजूद था और नाक से खून बह रहा था। यह स्पष्टत: इस तथ्य को सिद्ध करता है कि शरीर खोद कर निकाला गया था। जैसा पहले उल्लिखित किया गया है, उसका शरीर अपीलार्थी सं॰ 1 रोशन एक्का की प्रेरणा पर खोद कर बाहर निकाला गया था। अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया कि उक्त रोशन एक्का ने संस्वीकार किया था कि उसने मृतक का गला दबाया और उसकी

हत्या की और ऐसा करते हुए खून बाहर आया और उसकी पैन्ट पर चिपक गया। यह पैन्ट उसकी प्रेरणा पर रोशन एक्का के घर से बरामद किया गया था। शव परीक्षण रिपोर्ट यह भी सुझाती है कि शरीर की नाक से खून बाहर आ गया था। इस प्रकार, पूर्वोक्त तथ्य एवं अभियुक्त के बयान की संपुष्टि होती है। डॉक्टर ने यह भी पाया कि बालक की मृत्यु शायद गला दबाने के कारण हुई हो जो अभियोजन का मामला भी है। एफ॰एस॰एल॰ रिपोर्ट जो प्रदर्श 10 है अभिलेख पर लाया गया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्श 'A' नीली जीन्स पैन्ट पर खून का धब्बा है, 'प्रदर्श B' रूई के फाहा में लिया गया खून का निशान है और प्रदर्श C मृतक विशाल के खून का नमूना है, प्रदर्श D राधा देवी (मृतक की माता) का रक्त नमूना है और प्रदर्श E पिता राजेन्द्र प्रसाद का रक्त नमूना है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रक्त नमूनें मृतक से संबंधित है।

35. इस प्रकार, इस मामले की परिस्थितियाँ पर्याप्त रूप से मजबूत हैं जो केवल इस निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि अभियुक्त अपीलार्थी रोशन एक्का ने मृतक का अपहरण किया और उसकी हत्या की और तत्पश्चात साक्ष्य गायब करने के लिए मृत शरीर अपने आंगन में दफना दिया। इस प्रकार, अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूर्णतः न्यायोचित थी और इसी प्रकार उस पर अधिरोपित दंडादेश भी।

36. जहाँ तक अपीलार्थी सं॰2 राजेश एक्का का संबंध है, संपूर्ण साक्ष्य का संवीक्षण करने के बाद हम पाते हैं कि इस अपीलार्थी को इस मामले में आलिप्त करने के लिए सामग्री नहीं है। एकमात्र सामग्री जो इस अपीलार्थी के विरुद्ध आयी है, यह है कि अभियुक्त अपीलार्थी रोशन एक्का ने अपनी संस्वीकृति में कथन किया है कि बालक का अपहरण एवं उसकी हत्या करने की उसकी योजना इस अपीलार्थी (राजेश एक्का) के साथ थी और हत्या किए जाने के बाद उसे इसकी सूचना दी गयी थी। एक अन्य सामग्री जो इस अपीलार्थी के विरुद्ध है, यह है कि उसने उनके आंगन से मृतक का शरीर खोद निकालने में भाग लिया। ये दोनों साक्ष्य इस अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकाधिक यह कहा जा सकता है कि इस अपीलार्थी (राजेश एक्का) के समक्ष अभियुक्त अपीलार्थी रोशन एक्का ने अपना दोष संस्वीकार किया। इस प्रकार, कल्पना की किसी सीमा तक अपीलार्थी सं॰ 2 (राजेश एक्का) को इस मामले में अभियुक्त नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 एवं 201 के अथीन उसकी दोषसिद्धि किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में संपोषित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी सं॰ 2 की दोषसिद्धि दोषपूर्ण है और वह आरोप से दोषमुक्त किए जाने का दायी है।

37. जो चर्चा उपर की गयी है, उसके आधार पर हम अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी सं॰ 1 (रोशन एक्का) की दोषसिद्धि न्यायोचित है और सत्र विचारण सं॰ 33 वर्ष 2005 में सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम, चाइबासा द्वारा पारित दिनांक 18 अगस्त, 2007 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 21 अगस्त, 2007 का दंडादेश मान्य ठहराया जाता है जहाँ तक अपीलार्थी सं॰1 (रोशन एक्का) का संबंध है। जहाँ तक अपीलार्थी सं॰ 2 (राजेश एक्का का संबंध है, उसके विरुद्ध सामग्री नहीं है, इस दशा में उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उसे तुरन्त अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाना चाहिए यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी सं॰ 1 अभिरक्षा में है, उसे दंडादेश भुगतना चाहिए।

38. इस प्रकार, अपील अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति एवं अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय भेजे जाए।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

ekuuh; Mkñ ,lñ,uñikBd] U;k;efr

जयराम ओराँव

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 6778 of 2013. Decided on 3rd August, 2017.

सेवा विधि–वसूली–सेवानिवृत्ति पश्चात वसूली नहीं की जा सकती है, वह भी सेवानिवृत्ति की तिथि से पाँच वर्ष बीतने के बाद–याची के सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली का आदेश पारित करते हुए विधि के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है–प्रक्रिया का अनुसरण करके गलती सुधारी जा सकती है किंतु वर्तमान मामले में यह नहीं किया गया है–लाभ जिसे उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा प्रदान किया गया है, अवैध एवं मनमाने रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 6, 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2015) 4 SCC 334; (2007) 4 SCC 502—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Sanjay Kumar Tiwari, For Petitioner; Mr. Deepak Kr. Dubey, For Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची ने दिनांक 22.6.2013 के मेमो सं० 2439 में यथा अंतर्विष्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पारित दिनांक 22.6.2013 के कार्यालय आदेश सं० 126 तथा डिविजनल वन अधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित दिनांक 24.7.2013 के फॉलो अप कार्यालय आदेश सं० 137 के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा याची से वसूली का आदेश पारित किया गया है। आगे ए० सी० पी० के प्रदान के बाद 6500–10500 के वेतनमान में वेतन का नियतकरण करने की प्रार्थना की गयी है।

ताथ्यिक मैट्रिक्स

3. याची को 18.2.1980 को वन प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.7.2008 को सेवा निवृत्त हुआ। याची ने निष्कलंक करिअर के साथ 28 वर्षों की सेवा पूरा किया। याची का मामला यह है कि उसे प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ प्रदान नहीं किया गया था और इस दशा में याची डब्लू० पी० एस० सं० 3621 वर्ष 2012 में इस न्यायालय के पास आया है। माननीय न्यायालय ने संप्रेक्षण एवं प्रत्यर्थियों को विधि के अनुरुप किसी केदारनाथ मिश्रा के साथ याची के मामले पर विचार करने के निर्देश के साथ रिट आवेदन निपटाया। इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने पहले ही प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० के लाभ के प्रदान के लिए याची के मामला पर विचार किया है और याची का वेतन मान 6500–10500/– रुपया के वेतनमान में नियत भी किया है। याची का आगे मामला यह है कि इस माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वेतनमान के नियतकरण और प्रथम तथा द्वितीय ए०सी०पी० के लाभों के प्रदान के बाद प्रत्यर्थियों का दृष्टिकोण था कि ए०सी०पी० का उक्त लाभ तथा वेतनमान का नियतकरण याची को अवैध रूप से प्रदान किया गया है और इस दशा में उन्होंने याची की सेवानिवृत्ति के पाँच वर्ष बीतने के बाद क्योंकि याची

31.7.2008 को सेवानिवृत्त हुआ दिनांक 24.7.2013 के आदेश के तहत वसूली का आदेश पारित किया। वसूली के उक्त आदेश से व्यथित होकर याची ने इस रिट याचिका को दाखिल किया है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार तिवारी तर्क करते हैं कि यद्यपि याची को डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3621 वर्ष 2012 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश की दृष्टि में प्रथम एवं द्वितीय ए॰सी॰पी॰ का लाभ प्रदान किया गया था, यद्यपि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने ए॰सी॰पी॰ का लाभ प्रदान किया, उन्होंने अवैध एवं मनमाने रूप से वसूली का आदेश पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क करते हैं कि **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह, (2015)4 SCC 334,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की दृष्टि में वसूली नहीं की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि **नंबूदरीपाद बनाम भारत संघ, (2007)4 SCC 502,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक, वसूली का आदेश अवैध और अपास्त एवं अभिखंडित किए जाने योग्य है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार दूबे जोरदार रूप से याची के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि राज्य किसी भी चरण पर विषमता दूर करने के लिए सशक्त है, यदि यह पाया जाता है कि प्रत्यर्थियों ने लाभ दिया है जिसके वे हकदार नहीं थे। इस दशा में, गलती जो याची के वेतनमान के नियतकरण में हुई है सही प्रकार से सुधारी गयी है।

6. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची के मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। सेवानिवृत्ति पश्चात वसूली नहीं की जा सकती है, वह भी सेवानिवृत्ति की तिथि से पाँच वर्ष बीतने के बाद। याची के सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली का आदेश पारित करते हुए विधि के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। गलती, यदि हो, प्रक्रिया का अनुसरण करके राज्य द्वारा सुधारी जा सकती है किंतु वर्तमान मामले में यह नहीं किया गया है। लाभ जिन्हें इस न्यायालय के आदेश द्वारा प्रदान किया गया है, अवैध एवं मनमाने रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है। किसी अवैध लाभ जिसे गलती से कर्मचारियों को दिया गया है के लिए प्रक्रिया अधिकथित की गयी है। वर्तमान मामले में उन प्रक्रियाओं को प्रत्यर्थियों द्वारा दरकिनार कर दिया गया है।

7. पूर्वोक्त नियमों, मार्गनिर्देशों, न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण, मैं एतद् द्वारा दिनांक 22.6.2013 के मेमो सं॰ 2439 में यथा अंतर्विष्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पारित दिनांक 22.6.2013 के आदेश सं॰ 126 तथा डिविजनल वन अधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित दिनांक 24.7.2013 के फॉलो-अप कार्यालय आदेश सं॰ 137 को अभिखंडित एवं अपास्त करता हूँ। जहाँ तक वसूली का संबंध है, याची उस वेतनमान का हकदार है जिसे इस न्यायालय के आदेश की दृष्टि में दिया गया था और प्रत्यर्थियों ने अपने प्रतिशपथ पत्र में भी उल्लिखित किया है कि याची 6500-10,500/- रुपयों के वेतनमान का हकदार है जो अक्षुण्ण बना रहेगा।

8. परिणामस्वरूप, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

रघुनाथ राम

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (L) No. 2733 of 2016. Decided on 24th July, 2017.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947–धारा 33C(2)–पूर्वविद्यमान अधिकार का प्रवर्तन–अधिनियम की धारा 33C(2) के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन इस कारण से पोषणीय नहीं पाया गया था कि प्रत्यर्थियों से कोयला की ऐसी मात्रा का दावा करने के लिए याची का पूर्व विद्यमान अधिकार नहीं है क्योंकि याची जनवरी, 1997 से प्रतिमाह कोयला की उक्त विनिर्दिष्ट कोटा का हकदार उसको बनाने वाला कोई परिपत्र अभिलेख पर नहीं लाया था–यदि याची अपने निजी कारणों से कोयला के उक्त कोटा को संग्रहित नहीं कर सका था, प्रबंधन को उसके लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है–श्रम न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं अधिनियम की धारा 33C(2) के विस्तार पर विस्तारपूर्वक विचार किया है और तत्पश्चात याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार किया है–याची को अधिनियम की धारा 33C(2) के अधीन दाखिल आवेदन के माध्यम से दावा के लिए लाभ अथवा अधिकार हो सकता था किंतु वह इसके लिए किसी पूर्व विद्यमान अधिकार अथवा लाभ को सिद्ध करने में विफल रहा–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 5, 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–(1974) 4 SCC 696; (2001) 1 SCC 73—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Abdul Kalam Rashidi, For the Petitioner; Mr. A.K. Das, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, धनबाद द्वारा एम० जे० केस सं० 15 वर्ष 2015 में पारित दिनांक 8.4.2016 के निर्णय के अभिखंडन के लिए एवं जनवरी, 1997 से फरवरी, 2014 तक के प्रभाव से प्रति माह 12 टोकरी के निबंधनानुसार घरेलू कोयला आपूर्ति के देयों का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 2 को निर्देश देने के लिए दाखिल किया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसमें इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 33C(2) के अधीन पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, धनबाद के समक्ष आवेदन एम० जे० केस सं० 15 वर्ष 2015 इस तथ्य का कथन करते हुए दाखिल किया था कि वह पी०बी० क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र सं० VII, धनबाद में वरीय लेखाकार के पद पर पदस्थापित मेंसर्स बी०सी०सी०एल० का स्थायी कर्मचारी था और 28.2.2014 को सेवानिवृत्त हुआ। वह राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के प्रावधानों के मुताबिक जनवरी, 1997 से फरवरी, 2014 तक प्रतिमाह 12 टोकरी के निबंधनानुसार घरेलू उपयोग के लिए कोयला का अपना मासिक कोटा नहीं पा सका था। इस प्रकार, याची 137 टन छह टोकरी के समतुल्य 2472 टोकरियों की सीमा तक घरेलू उपयोग के लिए नि:शुल्क कोयला आपूर्ति अथवा इसके बदले में धन के भुगतान का हकदार है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान श्रम न्यायालय, धनबाद ने दिनांक 8.4.2016 के आदेश के तहत अधिनियम की धारा 33C(2) के अधीन दाखिल याची का आवेदन अस्वीकार कर दिया जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि विद्वान श्रम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 33C (2) के अधीन दाखिल याची का आवेदन अस्वीकार करने में गंभीर गलती किया क्योंकि कोयला का कोटा आसानी से धन के निबंधनानुसार संगणीय था और याची का उक्त आवेदन श्रम न्यायालय के समक्ष पोषणीय था। चूँकि याची ने 1997 से घरेलू प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए कोयला के मासिक कोटा की सुविधा का लाभ नहीं लिया था, वह कोयला के 137 टन जो उसके पक्ष में प्रोद्भूत हुआ के बदले जनवरी 1997 से फरवरी 2014 तक धन के भुगतान का हकदार है। उक्त परिस्थिति के अधीन, श्रम न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 8.4.2016 का आक्षेपित निर्णय गलत है और यह अपास्त किए जाने का दायी है।

4. प्रत्यर्थी सं॰ 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विद्वान श्रम न्यायालय, धनबाद ने दिनांक 8.4.2016 के अपने निर्णय में अधिनियम की धारा 33C(2) के विस्तार एवं याची द्वारा किए गए दावा के ताथ्यिक पहलू पर विचार किया है और तत्पश्चात निष्कर्ष पर आया है कि अधिनियम की धारा 33C(2) के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन विधि में अथवा तथ्यों में पोषणीय नहीं है। आक्षेपित निर्णय के पूर्णत: वैध एवं न्यायोचित होने के कारण इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि याची ने जनवरी, 1997 से फरवरी, 2014 तक घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए कोयला के मासिक कोटा के कारण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार के मुताबिक कोयला के 137 टन के बदले धन के भुगतान के लिए श्रम न्यायालय, धनबाद के समक्ष अधिनियम की धारा 33C(2) के अधीन दावा किया। विद्वान श्रम न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के परिशीलन पर यह पता चलता है कि अधिनियम की धारा 33C(2) के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन इस कारण से पोषणीय नहीं पाया गया था कि प्रत्यर्थियों से कोयला की ऐसी मात्रा का दावा करने के लिए याची को पूर्व विद्यमान अधिकार नहीं है क्योंकि याची ने जनवरी 1997 से प्रतिमाह कोयला की उक्त विनिर्दिष्ट कोटा के लिए उसको हकदार बनाता कोई परिपत्र अभिलेख पर नहीं लाया था। किंतु, पत्र सं॰ 158(H) 14/19-8-1997 को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान श्रम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि उक्त पत्र प्रकट करता है कि संबंधित अधिकारी को याची को कोयला के घरेलू कोटा की आपूर्ति के लिए निर्देश दिया गया था, फिर भी सामान्य प्रथा में कर्मचारी अपने घरेलू आवश्यकता के मुताबिक विहित कोटा के अधीन कोयला संग्रहित करने के लिए घोषित बिन्दु पर जाया करते थे। किंतु, यदि याची अपने निजी कारणों से कोयला के उक्त कोटा को संग्रहित नहीं कर सका था, प्रबंथन उसके लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है। विद्वान श्रम न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षित किया कि याची द्वारा दाखिल दो पत्र अर्थात दिनांक 29.6.2005 एवं 21.05.2010 का पत्र केवल न्यायालय के समक्ष मामला बनाने के लिए छल साधित किए गए थे। विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह भी संप्रेक्षित किया गया है कि याची द्वारा यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं लाया गया था कि वह पद ग्रहण करने की तिथि से 1996 तक किस प्रकार उक्त सुविधा का लाभ ले रहा था। कोयला निर्गमन कार्ड की प्रति ने प्रकट किया कि इसे जनवरी, 2012 में जारी किया गया था किंतु उक्त कार्ड की कोई प्रविष्टि भरी नहीं पायी गयी थी। आक्षेपित निर्णय पर सम्यक् विचार करने पर, मैं पाता हूँ कि विद्वान श्रम न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं अधिनियम की धारा 33C(2) के विस्तार पर पूरी तरह विचार किया है और तत्पश्चात याची द्वारा दाखिल आवेदन खारिज किया है। अधिनियम की धारा 33C(2) के विस्तार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की श्रृँखला में विचार किया गया है जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जाते हैं:

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सेन्ट्रल इनलैन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम कर्मकार, (1974)4 SCC 696,** में अभिनिर्धारित किया है:–

^^12 vc ;g lLFkkfir g fd èkkjk 33C(2) d vèkhu dk;okgh lekU;r% fu"iknu dk;okgh dh idfr dh dk;okgh g ftle Je U;k;ky; dedkj dk mld fu;kDrk l n; èku dh jkf'k lxf.kr djrk g vFkok ;fn dedkj fdlh ykHk dk gdnkj g tk èku d fucèkukulkj lx.kh; g] Je U;k;ky; èku d fucèkukulkj ykHk lxf.kr dju d fy, vxlj gkrk gA ;g lx.kuk bld igy gh vkdfyr

vFkok vU;Fkk lE;d :i l ikoèkkfur fd, tku dh nf"V e èku vFkok ykHk d fo|eku vfèkdkj ij vuqfjr gkrh gA e[; [kuu vfHk;Urk] bLV bfM;k dy d0 fy0 cuke jke'oj e ;g nkgjk;k x;k Fkk fd èkkjk 33C(2) vèkhu dk;okgh fu"iknu dk;okgh d ln'k gkrh g vkj dedkjk }kjk nkok fd, x, ykHk dh èku d fucèkuku lkj lx.kuk dju d fy, dgk x;k Je U;k;ky; ,l ekeyk e fu"iknu U;k;ky; dh voLFkk e gA ;g Hkh nkgjk;k x;k Fkk fd ykHk dk vfèkdkj ftl lxf.kr fd;k tkuk bfllr fd;k x;k g] fo|eku vfèkdkj gkuk gkxk] vFkkr] tk igy gh U;k; fu.khr vFkok ikoèkkfur fd;k x;k gk vkj vk|kfxd dedkj ,o mld fu;kDrk d chp lcèk d Øe e vkj lcèk e mnHkr gkrk gkA

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम रामचंद्र दूबे एवं अन्य, (2001)1 SCC 73** में पैराग्राफ सं॰ 8 पर यही सिद्धांत दोहराते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^8. nkuk i{kk e l fdlh d }kjk fufn"V fu.k;k e ifrikfnr fl}kr fuEufyf[kr :i l lf{kIr fd, tk ldr g%

*tc dHkh Hkh dedkj viu fu;kDrk l dkb èku vFkok dkb ykHk iku dk gdnkj g tk èku d fucèkuku lkj lx.kh; g vkj ftl og viu fu;kDrk l ikIr dju dk gdnkj g vkj ml ,l ykHk l budkj fd;k tkrk g] og vfèkfu;e dh èkkjk 33C(2) d vèkhu Je U;k;ky; tk ldrk gA vfèkfu;e dh èkkjk 33C(2) vèkhu iofrr fd, tku d fy, bfllr ykHk vko';dr% io fo|eku ykHk vFkok io fo|eku vfèkdkj l iokfgr ykHk gA ,d vkj io fo|eku vfèkdkj vFkok ykHk vkj nljh vkj] vfèkdkj vFkok ykHk ftl U;k;kfpr ,o mfpr le>k tkrk g d chp vrj egRoi.k gA igy okyk vfèkfu;e dh èkkjk 33C(2) d vèkhu 'kfDr;k dk i;kx dju oky Je U;k;ky; dh vfèkdkfjrk d vrxr vkrk g tcfd ckn okyk ugh@oreku ekey e vfèkfu.k; l ;g ugh dgk tk ldrk g fd dedkj dk ,l k vfèkdkj vFkok ykHk iknHkr gvk g D;kfd inku fd, x, vurk"k dk fofufn"V i'u fiNyh etnjh d ifr dN vkj dg fcuk doy iucgkyh rd lhfer gA vr% ml vurk"k l budkj fd;k x;k le>k tkuk gkxk] D;kfd ftl dk nkok fd;k tkrk g fdr inku ugh fd;k Tkkrk g vko';dr% U;kf;d vFkok U;kf;ddYi dk;okgh e budkj dj fn;k tkrk gA vkx tc fiNyh etnjh d fy, nkok d U;k;fu.k;u d ifr i'u mnHkr gkrk g] leLr ikIfxd ifjfLFkfr;k ftu ij fopkj fd;k tkuk gkxk ij U;k;kfpr rjhd l fopkj fd;k tkuk gA vr% lefpr Qkje ftl e fiNyh etnjh dk ,l k i'u fofuf'pr fd;k tk ldrk Fkk] doy dk;okgh e g ftl d ifr vfèkfu;e dh èkkjk 10 d vèkhu fun'k fd;k x;k gA ;g dFku djuk fd ek= iucgkyh ij dedkj vfèkfu.k; d fucèkuk d vèkhu oru ,o Hkh?rk d viu leLr cdk;k dk gdnkj gkxk] xyr gkxk D;kfd ;g irk yxku d fy, fd D;k dedkj fiNyh etnjh dk vkj fdl lhek rd gdnkj g] vud dkjdk ij fopkj fd;k tkuk gkxk tl k igy dFku fd;k x;k g--------***

8. वर्तमान मामले में, याची को अधिनियम की धारा 33C(2) के अधीन दाखिल आवेदन के माध्यम से दावा के लिए अधिकार अथवा लाभ हो सकता था, किंतु वह इसके लिए कोई पूर्व विद्यमान अधिकार अथवा लाभ सिद्ध करने में विफल रहा। एक और अधिकार अथवा लाभ तथा दूसरी ओर पूर्व विद्यमान अधिकार अथवा लाभ के बीच अंतर विस्तारपूर्वक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भ**ारतीय स्टेट बैंक बनाम रामचंद्र दूबे एवं अन्य (ऊपर)** मामले में स्पष्ट किया गया है।

9. तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं एम० जे० केस सं० 15 वर्ष 2015 में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 8.4.2016 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

अशोक दूबे एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. App. (DB) No. 928 of 2006. Decided on 8th August, 2017.

सत्र विचारण सं० 608 वर्ष 1993 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चतरा द्वारा पारित दिनांक 21.6.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.6.2006 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 307/149 एवं 302/149–हत्या एवं हत्या का प्रयास–विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील–फरसा द्वारा प्रहार के बिंदु पर संगत साक्ष्य है–चिकित्सीय साक्ष्य ने स्थापित किया कि मृतक की मृत्यु मस्तक की उपहति के कारण हुई–शव परीक्षण रिपोर्ट ने भी संपुष्ट किया कि उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी–किंतु, हमलावरों का मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था, क्योंकि हमलावरों द्वारा तेज धार वाले हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया था–पक्षगण एक-दूसरे से संबंधित हैं–भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन मामले के तथ्यों पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने की दायी है–अपीलार्थियों को भा०दं० सं० की धारा 304 (भाग I) के अधीन दोषसिद्ध किया गया और 10,000/-रुपयों के जुर्माना के साथ 10 वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया। (पैराएँ 24, 25, 28, 30 से 33)

निर्णयज विधि.–(2012) 10 SCC 402; 1995 Supp.(3) SCC 515; 2003 Supp. (4) SCC 218—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. P.C. Tripathy, Mrs. M. Upadhyay, For the Appellant; Mr. A.P.P., For the State.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर पी०पी० सुने गए।

2. अपीलार्थियों ने यह अपील सत्र विचारण सं० 608 वर्ष 1993 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चतरा द्वारा पारित दिनांक 21.6.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.6.2006 के दंडादेश के विरुद्ध दाखिल किया है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 एवं 302/149 के अधीन अपराध करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है। आगे, अपीलार्थियों अशोक दूबे एवं जसवंत दूबे को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन आरोप का दोषी पाया गया है और अभियुक्तों हिमांशु कुमार दूबे तथा अजय कुमार दूबे को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दोषी पाया गया है। उक्त दोषसिद्धि के बाद, उन्हें आजीवन कठोर कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन आरोप के लिए प्रत्येक को 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में उन्हें आगे छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। दोष सिद्ध अशोक कुमार दूबे तथा जसवंत कुमार को आगे भारतीय दंड संहिता

की धारा 148 के अधीन आरोप के लिए प्रत्येक को दो वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और दोषसिद्ध हिमांशु कुमार दूबे एवं अजय कुमार दूबे को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन आरोप के लिए प्रत्येक को एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश आगे दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था। यह निर्देश दिया गया था कि दंडादेश समवर्ती रूप से चलाए जाएँ।

3. अभियोजन मामला सूचक राजेश कुमार दूबे (अ॰सा॰ 3) के फर्दबयान पर आधारित है जिसने कथन किया कि 29.6.1992 को प्रातः लगभग 8 बजे वह अपने घर के पश्चिम में अवस्थित भूमि में मकई का बीज बो रहा था जब उसका पिता अलख नारायण दूबे (मृतक) गाँव में मजदूर बुलाने गया। सूचक ने अपने पिता का शोर सुना और दौड़ता हुआ वहाँ आया और उसने लाठी से लैस अभियुक्त रघुवर दूबे (विचारण के दौरान मृत), जसवंत कुमार दूबे एवं अशोक कुमार दूबे को फरसा से लैस (तेज धारवाला हथियार) और हिमांशु कुमार दूबे को तलवार से लैस और अजय कुमार दूबे छूरा एवं लाठी से लैस होकर उसके पिता को गाली दे रहे थे। सूचक ने विरोध किया और अभियुक्तों को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जिस पर रघुबर दूबे ने अन्य अभियुक्तों को सूचक के पिता की हत्या करने का आदेश दिया। ऐसी आज्ञा पाने पर, अशोक कुमार दूबे एवं जसवंत कुमार दूबे ने फरसा से उसके पिता के मस्तक पर प्रहार किया जिसका परिणाम कटने की उपहति में हुई। अजय कुमार दूबे तथा रघुवर दूबे ने लाठी से उसके पिता की पीठ पर प्रहार किया जिसने भी उपहति कारित किया। सूचक ने कथन किया कि उसने अपने भाई दिनेश कुमार दूबे के साथ अपने पिता को बचाने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्तों ने फरसा से उनपर भी प्रहार किया। जब शोर किया गया था, गाँववाले अर्थात धमन सिंह, राजदेव सिंह, चंद्रबसु दूबे और अन्य घटना स्थल पर आए और उनको आगे प्रहार से बचाया। सूचक अपने पिता को चतरा अस्पताल ले गया जहाँ उसके पिता एवं भाई का इलाज किया गया था और उसका पिता अभी भी बेहोश है।

4. पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर चतरा पी॰एस॰ केस सं॰ 113 वर्ष 1992 अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 323, 324, 307 के अधीन दर्ज किया गया था जिसमें रघुवर कुमार दूबे तथा सुधांशु कुमार दूबे को अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया था, किंतु उनकी मृत्यु विचारण के दौरान हो गयी।

5. इलाज के क्रम में, अलख नारायण दूबे की मृत्यु आर॰ एम॰ सी॰ एच॰, राँची में हो गयी, इस प्रकार, अन्वेषण अधिकारी की प्रार्थना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गयी थी।

6. पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और अन्वेषण पूरा करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 323, 307 एवं 302 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया। पूर्वोक्त अपराधों का संज्ञान लिया गया था और तत्पश्चात चूँकि मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसे विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किया और चूँकि उन्होंने आरोपों के प्रति 'निर्दोषिता' का अभिवचन किया, उनका विचारण किया गया था।

8. अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया गया था। अभियोजन द्वारा अनेक हस्ताक्षरों सहित मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट प्राथमिकी प्रदर्शित की गयी थी।

9. अभियोजन गवाहों का साक्ष्य बंद करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों का बयान दर्ज किया गया था।

10. बचाव ने भी एक गवाह पेश किया है।

11. अभियुक्तों एवं राज्य की ओर से किए गए तर्कों को सुनने के बाद और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के बाद विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया और उनको भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/149 एवं 302/149 के अधीन अपराध करने के लिए दंडादेश दिया। आगे अपीलार्थियों अशोक कुमार दूबे तथा जसवंत कुमार दूबे को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन आरोप का दोषी पाया गया है और अभियुक्तों हिमांशु कुमार दूबे और अजय कुमार दूबे को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दोषी पाया गया है। दोषसिद्धि के उक्त निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर इन अपीलार्थियों ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष इस अपील को दाखिल किया है।

12. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता, श्री पी०सी० त्रिपाठी ने निवेदन किया कि मामले के तथ्यों पर और साक्ष्य पर, जिसे इस मामले में एकत्रित किया गया है, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था। वह निवेदन करते हैं कि अ०सा० 3 का अभिसाक्ष्य स्पष्टत: सुझाता है कि किसी भी अपीलार्थी की ओर से मृतक की हत्या करने का आशय नहीं था। वह आगे निवेदन करते हैं कि उपहति रिपोर्ट तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी सुझाती है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला नहीं बनता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि मामले का सूचक अ०सा० 3 विश्वसनीय गवाह नहीं है क्योंकि बयानों से यह स्पष्ट है कि उसका बयान संगत नहीं है। आगे यह तर्क किया गया है कि सूचक के बयान के मुताबिक वह भी घटना में घायल हुआ था किंतु यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि वह सचमुच घायल था। आगे अ०सा० 2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होगा कि सूचक अभिकथित प्रहार के बाद घटनास्थल पर पहुँचा, इस प्रकार, इस बिंदु पर कि वह चश्मदीद गवाह था, अ०सा० 3 का संपूर्ण साक्ष्य भंजित हो जाता है। यह निवेदन किया गया है कि पक्षों के बीच स्वीकृत भूमि विवाद था, इस दशा में, सूचक की प्रेरणा पर अपीलार्थियों को झूठा आलिप्त करने का अवसर है। वह निवेदन करते हैं कि यद्यपि गवाहों ने कथन किया है कि अनेक गाँववाले घटनास्थल पर जमा हुए थे किंतु किसी भी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है। अंत में यह निवेदन किया गया है कि मामले के तथ्यों एवं दर्ज साक्ष्य पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त किए जाने के दायी हैं।

13. विद्वान अपर पी०पी० निवेदन करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है। यह निवेदन किया गया है कि स्वीकृत रूप से अपीलार्थियों ने विधिविरुद्ध जमाव निर्मित किया और वे घातक हथियारों से लैस थे जो सुझाता है कि इन अपीलार्थियों की ओर से मृतक की हत्या करने का आशय था। वह निवेदन करते हैं कि रघुवर दूबे द्वारा आदेश दिए जाने के बाद प्रहार किया गया था यह भी अपीलार्थियों के मृतक की हत्या करने का इरादा होने का सुझाव देता है। यह निवेदन किया गया है कि लघु विरोधाभास भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से अपीलार्थियों को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है। यह निवेदन किया गया है कि गवाहों के साक्ष्य संगत हैं जो स्पष्टत: मृतक की हत्या करने में अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता सुझाते हैं। इस आधार पर यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थियों को सही प्रकार से दोषसिद्ध किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/149 एवं 302/149 के अधीन अपराध करने के लिए दंडादेशित किया गया है। आगे अपीलार्थीगण अशोक कुमार दूबे तथा जसवन्त कुमार दूबे को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन आरोप का दोषी पाया

गया है और अभियुक्तों हिमांशु कुमार दूबे तथा अजय कुमार दूबे को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दोषी पाया गया है।

14. जैसा यहाँ उपर उल्लिखित किया गया है, अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए आठ गवाहों का परिक्षण किया है।

अ०सा० 1 धमन सिंह उर्फ घनश्याम सिंह है जिसने कथन किया कि घटना वर्ष 1992 की है और उस समय पर वह अपना खेत जोत रहा था। वह कथन करता है कि उसने चीख सुना और अशोक कुमार दूबे तथा जसवंत दूबे को अलख नारायण दूबे पर लाठी से प्रहार करते देखा। उसने कथन किया कि फरसा तेज धार वाला हथियार) लाठी से जुड़ा था किंतु प्रहार दूसरे हिस्से अर्थात पिछले भाग से और न कि तेज धार वाले हिस्से से किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि सुधांशु दूबे एक अजय दूबे ने भी लाठी से प्रहार किया। उसने यह कथन भी किया कि जब अलख नारायण दूबे के पुत्रों अर्थात राजेश दूबे एवं दिनेश दूबे अपने पिता को बचाने आए, उन पर भी प्रहार किया गया था। राजेश दूबे पर लाठी से प्रहार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर से खून बहने लगा। अलख नारायण दूबे बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया था जहाँ से उसे राँची निर्दिष्ट किया गया था। दो दिनों के बाद अलख नारायण दूबे का मृत शरीर गाँव लाया गया था। पैराग्राफ सं० 14 में उसने कथन किया कि सूचक राजेश दूबे तथा अभियुक्तगण गोत्रज थे और भूमि के बँटवारा के संबंध में उनके बीच विवाद नहीं है। उसने कथन किया कि जसवंत दूबे सेना में है। उसने कथन किया कि प्रहार के बाद गाँव वाले घटना स्थल पर आए। उसने कथन किया कि उसने पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया था। बचाव द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण में उससे कुछ और नहीं निकलवाया जा सकता था।

15. अ०सा० 2 राजदेव सिंह है जिसने कथन किया कि घटना वर्ष 1992 की है और वह घटना स्थल पर उपस्थित था। उसने कथन किया कि अलख नारायण दूबे, अशोक दूबे, हिमांशु दूबे साथ साथ गाँव की ओर जा रहे थे। उसने कथन किया कि वह भी उनके साथ था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि तब अशोक कुमार दूबे ने लाठी से अलख नारायण दूबे पर प्रहार किया। उसने कथन किया कि हिमांशु दूबे ने भी लाठी से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया और वह बेहोश हो गया। उसने कथन किया कि अभियुक्तगण अजय दूबे, जसवंत दूबे तथा सुधांशु दूबे भी वहाँ थे। वे लाठी से लैस थे। उसने कथन किया कि अलख नारायण दूबे के पुत्रों अर्थात राजेश कुमार दूबे तथा दिनेश दूबे घटनास्थल पर आए। अभियुक्तों ने राजेश पर भी उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने मस्तक के पृष्ठ भाग पर उपहति पाया और खून बह रहा था। उसने आगे कथन किया कि उसने भी अपने बाएँ पैर पर उपहति पाया, क्योंकि उसने सूचक को बचाने का प्रयास किया था। उसने कथन किया कि दिनेश भी जसवंत द्वारा उस पर किए गए प्रहार के कारण घायल हुआ। अलख नारायण दूबे को चतरा अस्पताल ले जाया गया था और इस गवाह को मालूम हुआ कि उसे तब राँची निर्दिष्ट किया गया था। उसने कथन किया कि अगले दिन, अलख नारायण दूबे का मृत शरीर गाँव में लाया गया था। उसने कथन किया कि अलख नारायण दूबे, अशोक दूबे तथा हिमांशु दूबे गाँव की ओर जा रहे थे। वह कथन करता है कि राजेश कुमार दूबे तथा दिनेश दूबे घटना के 15 मिनट बाद आए और समय के उस बिंदु पर अलख नारायण दूबे जीवित था। वह नहीं देख सकता था कि किसने राजेश एवं दिनेश पर प्रहार किया, किंतु उसने उनके शरीरों से खून बहते देखा।

16. अ०सा० 3 राजेश कुमार दूबे सूचक है। उसने कथन किया कि घटना 29.6.1992 को हुई थी। उसने कथन किया कि उसका पिता मजदूर की तलाश में गाँव गया था और वह अपने खेत में मकई

का बीज बो रहा था जब अचानक उसने अपने पिता की चीख सुनी और वह दौड़ कर घटना स्थल पर गया। उसने रघुबर दूबे को लाठी से लैस, जसवंत दूबे को फरसा से लैस, अशोक दूबे फरसा से लैस, हिमांशु दूबे हाथ में लाठी तथा कमर में तलवार बांधे, अजय कुमार दूबे लाठी से लैस और सुधांशु कुमार दूबे भाला से बंधे लाठी से लैस था। उन सबों ने उसके पिता को घेर रखा था और गाली दे रहे थे। जब सूचक ने अभियुक्तों का सामना किया, तब रघुवर दूबे ने उसकी हत्या करने की आज्ञा दी। ऐसा आदेश सुनने पर अशोक दूबे ने फरसा से प्रहार किया और तत्पश्चात पुनः फरसा के पिछले हिस्से से प्रहार किया गया था। जब उसका पिता जमीन पर गिर गया, हिमांशु दूबे ने लाठी से उस पर प्रहार किया और अजय दूबे तथा सुधांशु दूबे अलख नारायण दूबे पर लाठी से प्रहार करने लगे। उसने कथन किया कि अभियुक्तों ने सूचक एवं उसके भाई का पीछा किया। अशोक कुमार दूबे ने फरसा से सूचक के मस्तक पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने मस्तक के पिछले भाग पर उपहति पाया। उसने कथन किया कि इस बीच अनेक गाँव वाले वहाँ जमा हुए थे और तत्पश्चात अभियुक्तगण अपने घर भाग गए। उसके पिता को चतरा अस्पताल ले जाया गया था जहाँ सूचक का बयान दर्ज किया गया था। घायल को बेहतर इलाज के लिए आर॰ एम॰ सी॰ एच॰ राँची निर्दिष्ट किया गया था। सूचक का पिता बेहोश था। अंततः 30.6.1992 की मध्य रात्रि में उसकी मृत्यु हो गयी। शव परीक्षण के बाद, मृत शरीर गाँव में लाया गया था जहाँ इसका दाह-संस्कार किया गया था। उसने कथन किया कि 9.7.1992 को एम॰ सी॰ सी॰ द्वारा अभिकथित रूप से लिखा गया पत्र प्राप्त किया गया था जिसमें यह लिखा गया था कि यदि कोई भी इस मामले में साक्ष्य देता है, उसकी हत्या कर दी जाएगी। उसने कथन किया कि जसवंत दूबे सेना में है और उसने सूचक के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था और वे सूचक को साक्ष्य देने से अवरुद्ध कर रहे थे। उसने कथन किया कि उसे भी धमकी दी गयी थी और पहले आग्नेयास्त्र से हमला किया गया था, किंतु उक्त घटना में उसके साला की आग्नेयास्त्र उपहति से मृत्यु हो गयी। उसने कथन किया कि दोनों अभियुक्त अशोक दूबे एवं हिमांशु दूबे चतरा पी॰ एस॰ केस सं॰ 178 वर्ष 2003 के संबंध में अभिरक्षा में हैं। उसने कथन किया कि वह नियमित रूप से अभियुक्तों से धमकी पा रहा है। उसने फर्दबयान पर हस्ताक्षर पहचाना, जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया कि बँटवारा के संबंध में पंचायती हुई थी और ऐसे भूमि विवाद के कारण उसके पिता की हत्या की गयी थी। उसने स्वीकार किया कि अभियुक्तगण एवं मृतक गोत्रज हैं और पिछले एक साल से भूमि के बँटवारा के संबंध में उनके बीच विवाद चल रहा था। वह कहता है कि वह भूमि की उस सीमा से अवगत नहीं था जिसे उसके पिता ने बेचा था, किंतु उस भूमि के बारे में कह सकता है जो बेची नहीं गयी है। उसने आगे कथन किया कि यद्यपि हिमांशु तलवार लिए था, किंतु उसने लाठी से मस्तक पर प्रहार किया। उसने कथन किया कि फरसा के पिछले भाग से उसके पिता पर प्रहार किया गया था। उसने कथन किया कि उसने भी उपहति पाया था। उसका इलाज चतरा अस्पताल में किया गया था और उसे वहाँ भरती नहीं किया गया था। उसने कथन किया कि उसके शरीर पर केवल एक उपहति है। उसने कथन किया कि उसके पिता का इलाज चतरा अस्पताल में किया गया था और तत्पश्चात उसे राँची ले जाया गया था उसका पिता बेहोश था। उसने घटना स्थल का वर्णन भी किया है।

17. अ॰सा॰ 4 चंद्रबसु दूबे ने कथन किया है कि घटना की तिथि पर वह अपना खेत जोत रहा था जब उसने गाँव में शोरगुल सुना। वह वहाँ पहुँचा और देखा कि रघुवर दूबे, जसवंत दूबे, अशोक दूबे, हिमांशु दूबे, सुधांशु दूबे, अजय दूबे अलख नारायण दूबे को घेरे हुए थे। रघुवर दूबे अलख नारायण दूबे की हत्या करने के लिए कह रहा था। अशोक दूबे ने फरसा के पिछले हिस्से से अलख नारायण दूबे के

मस्तक पर प्रहार किया। पुनः जसवंत दूबे ने फरसा के पिछले हिस्से से हत्या करने के आशय से अलख नारायण दूबे पर प्रहार किया। हिमांशु दूबे तलवार और लाठी लिए था किंतु उसने लाठी से प्रहार किया। सुधांशु दूबे भाला लिए था, किंतु उसने लाठी से प्रहार किया। राजेश दूबे अपने पिता को बचाना चाहता था, किंतु उसपर रघुवर दूबे, जसवंत दूबे एवं अजय दूबे द्वारा प्रहार किया गया था, तब उसने राजेश धमन सिंह के घर में आसरा लिया। घायल अलख नारायण दूबे को चतरा अस्पताल ले जाया गया था जहाँ से उसे राँची निर्दिष्ट किया गया था। उसने कथन किया कि अगले दिन मृत शरीर गाँव में लाया गया था। उसने यह कथन भी किया कि पक्षों के बीच भूमि विवाद था। उसने कथन किया कि अशोक दूबे का भाई उसको साक्ष्य नहीं देने के लिए धमकी दे रहा है। यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण राजेश दूबे की भी हत्या करने आए, किंतु गलती के कारण उन्होंने सुरेश कुमार दूबे की हत्या कर दी जिसके लिए पृथक मामला दर्ज किया गया था। उसने कथन किया कि राजेश कुमार दूबे उसका भतीजा है। उसने कथन किया कि वह अलग रह रहा है किंतु आंगन एक ही है। उसने कथन किया कि अभियुक्तगण उसके गोत्रज हैं। उसने कथन किया कि भूमि के बँटवारा को लेकर विवाद नहीं है। उसने कथन किया कि पक्षों के बीच मौखिक बँटवारा हुआ था उसने कथन किया कि भूमि जिसमें वह रह रहा है, घटना स्थल से लगभग 200-250 गज दूर है। उसने कथन किया कि अशोक दूबे ने फरसा के पिछले हिस्से से प्रहार किया। उसने कथन किया कि हिमांशु दूबे, अजय दूबे एवं सुधांशु दूबे ने अनेक अवसरों पर लाठी से प्रहार किया। उसने कथन किया कि अलख नारायण दूबे को मस्तक पर उपहति आयी। उसने कथन किया कि उस पर प्रहार नहीं किया गया था। उसने कथन किया कि भाला की काठ की लाठी से अलख नारायण दूबे पर प्रहार किया गया था। अलख नारायण दूबे का चतरा अस्पताल में इलाज किया गया था और तत्पश्चात उसे राँची ले जाया गया था। उसने कथन किया कि अगले दिन मृत शरीर गाँव में लाया गया था। वह पक्षों के साथ अपने संबंध को बताता है।

18. अ०सा० 5 दिनेश कुमार दूबे है जिसने कथन किया कि रघुवर दूबे, जसवंत दूबे एवं अजय दूबे उसके पिता को गाली दे रहे थे जब वह धमन सिंह उर्फ घनश्याम सिंह के दरवाजा पर पहुँचा। इस बीच रघुवर दूबे ने अभियुक्तों को उनकी हत्या करने का निर्देश दिया। तब अशोक दूबे एवं जसवंत दूबे ने फरसा के पिछला हिस्सा से उसके पिता पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप उसने उपहति पाया और गिर गया। अजय दूबे, सुधांशु दूबे, हिमांशु दूबे ने भी उस पर लाठी से प्रहार किया। इस गवाह ने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया किंतु अजय दूबे एवं सुधांशु दूबे ने लाठी से उसके पैर एवं पीठ पर प्रहार किया। राजेश दूबे पर जसवंत दूबे एवं अशोक दूबे द्वारा भी प्रहार किया गया था। उसका पिता बेहोश हालत में घर ले जाया गया था और जहाँ से उसे कान्हा चारी ले जाया गया था और तब उसे चतरा अस्पताल ले जाया गया था। बेहतर इलाज के लिए उसे आगे राँची ले जाया गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। उसके पिता पाँच भाई हैं। समस्त भाई की रसोई अलग है, किंतु प्रत्येक एक-दूसरे से जुड़ा है। वह नहीं कह सकता था कि परिवार के प्रत्येक के हिस्से में भूमि की सीमा क्या थी। उसने घटना स्थल का वर्णन दिया। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि जसवंत दूबे ने उसके पिता के मस्तक पर एक या दो लाठी का वार किया और अजय एवं सुधांशु ने उसके पिता पर लाठी का एक-दो वार किया। उसने कथन किया कि उसके पिता के शरीर से खून बह रहा था। उसने कथन किया कि जसवंत दूबे अरसे से सेना में है। उसने कथन किया कि घायल को कान्हा चारी ले जाया गया था जहाँ डॉ० बिक्रम बाबू आए और घायल को बड़ा अस्पताल ले जाने को कहा। पीड़ित की दशा गंभीर थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि एम०सी०सी० द्वारा लेवी मांगा गया था।

19. अ०सा० डॉ० नित्यानन्द मंडल ने अलख नारायण दूबे का परीक्षण किया। उन्होंने निम्नलिखित सिला हुआ जख्म पाया:–

(I) ,0ih0 funf'kr fonh.k ekftu e LdkYi ij flyu dk t[e flykb gVku ij t[e 5"×¼" LdkYi rd xgjk] yky jx dkA

(II) fonh.k t[e 6"×¼" LdkYi rd xgjk] yky jx dkA oVDV d chp ij ,0 ih0 funf'kr nkuk mDr t[e 1½ njh ij FkA

उन्होंने यह भी पाया कि मरीज पूरी तरह बेहोश था और लक्षण मस्तक उपहतियाँ सुझा रही थी। उन्होंने कथन किया कि प्रयुक्त हथियार कड़ा एवं भोथरा पदार्थ था और सुझाया कि यह फरसा के उलटे हिस्से से हो सकता है। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कथन किया कि जख्म जिन्हें सिला गया था उनके परीक्षण के पहले से थे। उन्होंने कथन किया कि उन्होंने केवल अलख नारायण दूबे का परीक्षण किया था और उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों का परीक्षण नहीं किया है और न ही ऐसे परीक्षण की कोई रिपोर्ट है।

20. अ०सा० 7 इंद्रदेव सिंह है, जो मामले का अन्वेषण अधिकारी था। उसने प्रदर्श 5 के रूप में फर्दबयान प्रदर्शित किया और फर्दबयान पर पृष्ठांकन प्रदर्श 5/1 चिन्हित किया गया था। औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 6 चिन्हित की गयी थी। उसने सूचक का पुनर्बयान दर्ज किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसने घटना स्थल की चौहद्दी दिया। उसने कथन किया कि मृतक की मृत्यु आर० एम० सी० एच०, राँची में हुई। उसने कथन किया कि उसने भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 147, 148, 149, 323, 324, 307 एवं 302 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया। उसने कथन किया कि उसने रक्तरंजित मिट्टी जब्त नहीं किया था। उसने कथन किया कि वह अभियुक्तों के घर में कोई हथियार नहीं पा सका था। उसने कथन किया कि घटना भूमि विवाद के कारण हुई थी। उसने कथन किया कि चंद्र बसु दूबे ने उसको नहीं कहा था कि हिमांशु तलवार लिए था।

21. अ०सा० 8 डॉ० रेणु बाला है, जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया। उसने कथन किया कि मृतक पर पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

(1) nk, ijkbVy vkj eLrd d ijkbVy {k= ij mèo :i l vofLFkr (fonh.k) flyk t[e 7×1 cm

(2) ugh flyk gvk] mèo :i l vofLFkr eLrd d ÝVy {k= ij 9×1 cm dk fonh.k t[eA

(3) vkrfjd migfr%&

(i) LdkYi d ÝVy ijkbVy ,o VEikjy {k= dk dV;tu

(ii) nk, Hkkx ij dkjkuy lP;j d iFkDdj.k d lkFk 11cm eki okyk nk, dkjkuy ,o VEikjy vfLFk dk Ød ÝDpjA

(iii) nkuk Hkkxk ij tkjh 8 cm×2 2/2 cm eki okyk ck; ÝVy vfLFk dk Ød ÝDpjA

(4) 9 cm eki okyk ck, VEikjy ,o ijkbVy vfLFk ij Ød ÝDpjA

(5) cu d nkuk Hkkxk ij bVk ,o lcT;uy CyhfMx Fkk ij ck, Hkkx ij vfèkdA

(6) cu d ck, ÝVy ykc dh fonh.krk Fkh vkj ck, VEikjy {k= d {k= e 30 xke [ku d FkDdk dh ektnxhA

डॉक्टर के मत के मुताबिक मृत्यु का कारण मस्तक उपहति थी। यह मत दिया गया था कि उक्त समस्त उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित मृत्यु पूर्व थी।

22. बचाव ने भी एक गवाह अर्थात अवधेश उपाध्याय पेश किया है, जिसने कथन किया कि भाइयों के बीच भूमि विवाद था और उसने अभिसाक्ष्य देने का प्रयास किया कि एम०सी०सी० (प्रतिबंधित संगठन) की घटना में भूमिका थी।

23. अभियोजन द्वारा दिए गए पूर्वोक्त साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप को सिद्ध करने में सक्षम हुआ है या नहीं?

24. अ०सा० 1, 2, 3, 4 एवं 5 के साक्ष्य से यह बिलकुल स्पष्ट है कि मृतक पर प्रहार किया गया था। अ०सा० 3 कहता है कि वह खेत में था जब उसने अपने पिता की चीख सुनी। वह घटनास्थल पर पहुँचा और प्रहार देखा। दूसरी ओर, अ०सा० 1 कहता है कि वह मृतक के साथ था जब घटना हुई थी। उसने यह कथन भी किया कि अभियुक्तगण और मृतक एक साथ गाँव की ओर जा रहे थे जब घटना हुई थी। वह कहता है कि अ०सा० 3 जो सूचक है घटनास्थल पर कुछ समय बाद पहुँचा। अ०सा० (सूचक) कहता है कि अपीलार्थियों द्वारा उस पर प्रहार किया गया था जब उसने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया। समरूप बयान अ०सा० 5 सूचक के भाई का है। संगत साक्ष्य है कि अशोक दूबे एवं जसवंत दूबे ने फरसा के पिछले हिस्सा से मृतक पर प्रहार किया। इस प्रकार, प्रहार के बिन्दु पर संगत साक्ष्य है और इसे त्यक्त नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य से यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक पर प्रहार नहीं हुआ था। अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने इस बिंदु पर तर्क करने का प्रयास किया कि अभिकथन सामान्य प्रकृति के हैं और किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध विनिर्दिष्ट भूमिका नहीं बतायी गयी है। यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन गवाहों ने प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभायी गयी भूमिका के बारे में स्पष्टत: कथन किया है। अभियोजन मामला यह भी है कि मृतक को चतरा अस्पताल ले जाया गया था और तत्पश्चात, उसे राँची निर्दिष्ट किया गया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। बचाव ने इस न्यायालय को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि घटना एम०सी०सी० समूह की प्रेरणा पर एवं उनके द्वारा हुई थी किंतु उनका दावा सिद्ध करने के लिए ऐसा साक्ष्य नीं है बल्कि साक्ष्य में आया है कि भूमि के बँटवारा के संबंध में पक्षों के बीच कुछ विवाद था। समस्त गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया कि पक्षगण गोत्रज होने के नाते एक-दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार, विवाद नहीं है कि अपीलार्थियों ने मृतक पर प्रहार किया है।

25. डॉक्टर (अ०सा० 6), जिन्होंने पहले मृतक का जाँच किया जब वह जीवित किंतु बेहोश था, ने कथन किया कि पहले से सिले हुए जख्म थे। इसका अर्थ है कि इस गवाह के पास आने के पहले घायल का कहीं और इलाज किया गया था। यह गवाह कहता है कि मृतक के माथा पर उपहति थी। डॉक्टर (अ०सा० 8) जिन्होंने शव परीक्षण किया और रिपोर्ट सिद्ध किया; भी कथन करते हैं कि मृतक की मृत्यु मस्तक पर प्रहार के कारण हुई। इस प्रकार, पूर्वोक्त तथ्यों एवं अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु मस्तक उपहति के कारण हुई।

26. जहाँ तक अ०सा० 3 एवं अ०सा० 5 पर प्रहार का संबंध है, केवल मौखिक साक्ष्य है यद्यपि इन गवाहों ने कथन किया है कि उन पर भी प्रहार किया किया गया था किंतु यह दर्शाने के लिए कागज का टुकड़ा भी नहीं है कि प्रहार के कारण उनके द्वारा पायी गयी उपहतियों के लिए उनका इलाज किया

गया था। इन गवाहों ने कथन किया है कि वे डॉक्टर के पास गए थे किंतु साक्ष्य नहीं दिया गया है। अ०सा० 6 ने विनिर्दिष्टत: कथन किया कि उसने केवल मृतक का परीक्षण किया, किंतु उन्होंने परिवार के किसी सदस्य का परीक्षण नहीं किया था। इस प्रकार, इस तथ्य से यह कहना मुश्किल है कि हत्या करने के आशय से अ०सा० 3 एवं अ०सा० 5 पर प्रहार किया गया था। अभियोजन द्वारा उपहतियों की प्रकृति एवं इसकी सीमा सिद्ध नहीं की गयी है जहाँ तक अ०सा० 3 एवं अ०सा० 5 का संबंध है। यह अभियोजन की ओर से ढिलाई है।

27. अब पूर्वोक्त पृष्ठभूमि पर यह देखा जाना है कि क्या मृतक की हत्या करने का आशय अपीलार्थियों का था?

28. समस्त गवाहों ने विनिर्दिष्टत: एवं स्पष्टत: कथन किया कि मृतक पर लाठी एवं फरसा तथा भाला के पिछले हिस्से से प्रहार किया गया था। फरसा एवं भाला स्वीकृत रूप से तेज धार वाले हथियार हैं। गवाहों ने यह कथन भी किया कि हिमांशु दूबे अपने साथ तलवार लिए था, किंतु उसने मृतक पर तलवार से प्रहार नहीं किया था, बल्कि उसने उस पर लाठी से प्रहार किया था। इस प्रकार, यह स्वीकार किया गया है कि किसी ने भी मृतक पर तेज धार वाले हथियार से प्रहार नहीं किया था यद्यपि वे इसे रखे थे। शवपरीक्षण रिपोर्ट भी सुझाती हैं कि समस्त उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा है। प्रहार अंधधुंध किया गया था जो मृतक की मृत्यु में परिणत हुआ, किंतु तथ्य बना रहता है कि प्रहार तेज धार वाले हथियार द्वारा नहीं किया गया था बल्कि लाठी अथवा फरसा के पिछले हिस्सा से किया गया था यद्यपि अपीलार्थीगण द्वारा तेज धारवाले हथियार का उपयोग किया जा सकता था।

29. सेलवन बनाम तमिलनाडु राज्य, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, (2012)10 Supreme Court Cases 402, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयुक्त है। उस मामले में भी अभियुक्त द्वारा प्रहार किया गया था किंतु हथियार के तेज भाग से नहीं बल्कि भोथरे भाग एवं लाठी से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में **पंजाब राज्य बनाम तेजिन्दर सिंह, 1955 Supp (3) SCC 515,** मामले पर विश्वास करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि विचारण न्यायालय तथ्यों में अपीलार्थी को भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन दोष सिद्ध करने में सही नहीं था, बल्कि दोषसिद्धि भा०दं०सं० की धारा 304 भाग I के अधीन की जानी चाहिए थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित समरूप मामला **राम आश्रय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2003 Supp (4) Supreme Court Cases 218,** में उपहतियों की प्रकृति एवं प्रहार के तरीका पर विचार करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है बल्कि दोषसिद्धि भा०दं०सं० की धारा 304 भाग I के अधीन होनी चाहिए।

30. वर्तमान मामले में, जैसी चर्चा पहले की गयी है, मैं पाता हूँ कि यद्यपि अभियुक्तों के हाथों में तेज धारवाले हथियार थे, किंतु उन्होंने तेजधार वाले हथियार से मृतक पर प्रहार नहीं किया था, बल्कि उलटे भाग से और लाठी से भी मृतक पर प्रहार किया। इन स्वीकृत तथ्यों से, यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि हमलावरों का मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि मामले के तथ्यों पर भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने का दायी है।

31. इस प्रकार, भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अपास्त की जाती है किंतु अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की धारा 304(भाग I) के अधीन दोषसिद्ध किए जाने के दायी हैं। तद्नुसार, अपीलार्थियों (1) अशोक दूबे, (2) अजय कुमार दूबे, (3) जसवंत दूबे, और (4) हिमांशु दूबे की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध करने के लिए दोषसिद्धि और कठोर

आजीवन कारावास भुगतने का उनका दंडादेश अपास्त किया जाता है और अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग I) के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और उन्हें 10,000 (दस हजार) रुपयों के जुर्माना के साथ 10 वर्षो का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है।

32. अपीलार्थी सं॰ 1 अशोक दूबे तथा अपीलार्थी सं॰ 3 जसवंत दूबे पहले से ही 10 वर्षों से अधिक से अभिरक्षा में हैं। इस प्रकार, उन्हें तुरन्त अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाना चाहिए, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक अपीलार्थी सं॰ 2 अजय दूबे तथा अपीलार्थी सं॰ 4 हिमांशु दूबे का संबंध है, वे जमानत पर हैं और दस वर्ष का अभिरक्षा पूरा नहीं किया है। इस प्रकार, अपीलार्थी सं॰ 2 अजय दूबे एवं अपीलार्थी सं॰ 4 हिमांशु दूबे के जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और उन्हें शेष दंडादेश भुगतने के लिए आज के दिन से तीन सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय दंडादेश भुगतने के लिए उनका आत्मसमर्पण/पेशी अनिवार्य करने के लिए आदेशिका जारी करेगा।

33. इस प्रकार, अपील उक्त उपदर्शित सीमा तक अंशतः अनुज्ञात की जाती है और सत्र विचारण सं॰ 608 वर्ष 1993 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चतरा द्वारा पारित दिनांक 21.6.2006 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 23.6.2006 का दंडादेश तद्नुसार उपांतरित किया जाता है।

34. इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त विचारण न्यायालय को भेजे जाएँ।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

जॉन एन्ड्रयू ओस्टा

cuke

मेसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि॰ एवं अन्य

W.P. (S) No. 5521 of 2016. Decided on 2nd August, 2017.

सेवा विधि–प्रोन्नति–वरीयता एवं धनीय लाभ के प्रदान के लिए दावा–जन्मतिथि के आधार पर याची के मामला पर विचार नहीं किया गया था- प्रत्यर्थी–सी॰सी॰एल॰ के पास इसका उत्तर नहीं है कि क्यों प्रोन्नति के लिए कनिष्ठों पर विचार किया गया है और याची को प्रोन्नति से इनकार किया गया है-उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रत्यर्थियों ने उस तिथि जिससे कनिष्ठों पर विचार किया गया है से याची के मामले पर विचार नहीं किया है-प्रत्यर्थियों को उस तिथि जिससे कनिष्ठों पर विचार किया गया है और प्रोन्नति प्रदान की गयी है से प्रोन्नति देने के लिए याची के मामला पर विचार करना चाहिए- रिट याचिका अनुज्ञात।

(पैराएँ 6, 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.—Mr. A.K. Sahani, For Petitioner; Mr. Anoop Kumar Mehta, For Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची प्रत्यर्थी सं॰ 6 के हस्ताक्षर के अधीन दिनांक 17/30.3.2016 के मेमो सं॰ JKG/OC/DPC/Promotion/38/47 के तहत जारी कार्यालय आदेश को उपांतरित करने और इसे दिनांक

1.11.2012 से प्रभावी बनाने तथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वरीयता एवं धनीय दोनों जैसी प्रोन्नति के पारिणामिक लाभों के प्रदान की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आया है। आगे उस तिथि जिससे उसके कनिष्ठों को प्रोन्नति प्रदान की गयी है से प्रोन्नति के लिए याची के मामला पर विचार करने की प्रार्थना की गयी है।

<u>ताथ्यिक मैट्रिक्स</u>

3. रिट आवेदन में वर्णित तथ्य ये हैं कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में यथा दर्ज याची की जन्मतिथि 18.1.1960 है। याची को प्रथमत: क्लर्क ग्रेड III के पद पर और द्वितीयत: अपर डिविजन क्लर्क के पद पर क्रमश: 1987 एवं 2000 में प्रोन्नतियाँ प्रदान की गयी थी। सीनियर क्लर्क (विशेष ग्रेड) के पद पर प्रोन्नति का उसका मामला 1.11.2012 को देय था, क्योंकि उस तिथि पर उसके जूनियरों को प्रोन्नति दी गयी थी। याची का मामला यह है कि उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज उसकी जन्म तिथि 18. 1.1960 है। किंतु, सेवा पुस्तिका में इसे गलत रूप से 28.6.1960 दर्ज किया गया है। अपनी सेवा पुस्तिका में गलत प्रविष्टि के बारे में जानकारी होने पर, याची ने मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र के निबंधनानुसार उसकी जन्मतिथि के संबंध में आवश्यक शुद्धि करने का अनुरोध उनसे करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष 30. 9.2010 को अभ्यावेदन दिया।

4. ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने याची की जन्मतिथि के संबंध में ऐसी विषमता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कहते हुए दिनांक 28.9.2010 का पत्र जारी किया। तद्नुसार, याची ने प्रत्यर्थियों के समक्ष अपना स्पष्टीकरण दिया कि वह वर्ष 1977 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित उसकी जन्म तिथि 18.1.1960 है। याची का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि उसने अपनी नियुक्ति के समय पर अपना मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया किंतु फिर भी चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर उसकी सेवा पुस्तिका में गलत जन्मतिथि प्रविष्ट की गयी थी और इसलिए, उसने प्रत्यर्थी सं॰ 4 से इसे सुधारने का अनुरोध किया।

5. आगे यह कथन किया गया है कि दिनांक 1.11.2012 के मेमो सं॰ 162 के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने याची के मामले पर विचार किए बिना याची के जूनियरों सहित कुल 10 कर्मचारियों के संबंध में सीनियर डिविजन क्लर्क के पद से सीनियर क्लर्क (विशेष ग्रेड) के पद पर अन्तिम प्रोन्नति आदेश जारी किया। जब जन्मतिथि के आधार पर याची के मामला पर विचार नहीं किया गया था, याची डब्लू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 366 वर्ष 2014 दाखिल करके इस माननीय न्यायालय के समक्ष आने के लिए मजबूर हुआ। इस माननीय न्यायालय ने पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद दृष्टिकोण अपनाया कि प्रत्यर्थियों को उसकी बढ़ी अर्हता के आधार पर याची के मामले पर इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से 16 सप्ताह के भीतर युक्तिसंगत समय के भीतर संबंधित स्रोत से प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट होने पर विचार करना चाहिए।

6. किंतु, जब याची माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ प्रत्यर्थियों के पास आया, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने दिनांक 27/30.6.2016 का आदेश (परिशिष्ट 5) पारित किया। यद्यपि प्रत्यर्थियों ने याची के मामला पर विचार किया, यह संप्रेक्षित किया गया था कि प्रोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगा जिससे याची उच्चतर पद धारण करेगा। किंतु, यह उल्लेख किया गया था कि उसकी आपसी वरीयता प्रोन्नत पद पर उसके पदग्रहण की तिथि को ध्यान में लिए बिना उसी क्रम में बनी रहेगी जैसा अनुमोदित

पैनल में हैं। उक्त विचार से व्यथित होकर, याची पुनः वर्तमान रिट आवेदन दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

7. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ए० के० साहनी निवेदन करते हैं कि पूर्व अवसर पर भी यही विवाद्यक इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया था और अब वर्तमान रिट याचिका में वही विवाद्यक उठाया गया है। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची प्रत्यर्थियों का प्रतिवाद स्वीकार करता है कि याची अपने मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के आधार पर जन्मतिथि की शुद्धि इप्सित नहीं करेगा। किंतु, वह जोर देते हैं कि प्रोन्नति के मामले में उसकी बढ़ी हुई अर्हता पर विचार किया जाना चाहिए। पूर्व रिट याचिका में भी प्रत्यर्थियों ने याची के प्रतिवाद का उत्तर नहीं दिया था और आज भी प्रत्यर्थीगण इस प्रतिवाद पर मौन है। बल्कि प्रत्यर्थियों का निवेदन है कि सेवा पुस्तिका में उसकी जन्मतिथि की गलत प्रविष्टि के कारण प्रोन्नति मामला पर विचार नहीं किया गया था।

8. विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि यद्यपि याची को प्रोन्नति प्रदान की गयी है किंतु इसे उस तिथि से प्रदान किया जाना चाहिए था जिस तिथि से उसके जूनियरों को प्रोन्नति प्रदान की गयी थी जैसा इस माननीय न्यायालय ने प्रोन्नति प्रदान करने के लिए पूर्व रिट याचिका में अभिनिर्धारित किया गया है यदि कोई अन्य विधिक अवरोध नहीं है। अब पुनः, वही दृष्टिकोण दोहराया जा रहा है और इस दशा में, प्रत्यर्थियों को उस तिथि से जब उसके जूनियरों पर प्रोन्नति के लिए विचार किया गया है याची के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाए और तदनुसार दिनांक 30.3.2016 का प्रोन्नति आदेश उस सीमा तक उपांतरित किया जाए।

9. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रत्यर्थी सी० सी० एल० के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि जन्मतिथि के संबंध में विवाद है, उस तिथि जिससे उसके जूनियरों पर प्रोन्नति के लिए विचार किया गया है, याची को प्रोन्नति प्रदान नहीं की गयी थी। इस दशा में, याची के प्रोन्नति आदेश में अवैधता नहीं है।

10. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि प्रत्यर्थियों को उस तिथि जिससे जूनियरों पर प्रोन्नति प्रदान करने के लिए विचार किया गया था और 1.11.2012 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गयी थी (परिशिष्ट 9), याची को प्रोन्नति दिए जाने पर विचार करना चाहिए। परिशिष्ट 8 जो पुनरीक्षित वरीयता सूची है के परिशीलन से यह प्रकट है कि व्यक्ति जिनका नाम क्रमांक सं० 26 से 30 पर है याची के जूनियर हैं। परिशिष्ट 9 के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि याची के जूनियर जिनका नाम क्रमांक 7 से 10 पर आता है, पर विचार किया गया है और प्रोन्नति दिनांक 1.11.2012 के प्रभाव से प्रदान की गयी है। प्रत्यर्थी सी० सी० एल० के पास विद्वान अधिवक्ता के उक्त प्रतिवाद का उत्तर नहीं है कि क्यों जूनियरों पर 1.11.2012 के प्रभाव से प्रोन्नति के लिए विचार किया गया है और याची को प्रोन्नति से इंकार किया गया है। प्रत्यर्थियों का उत्तर जन्मतिथि की गलत प्रविष्टि के संबंध में है, जिस पर याची द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष पहले दाखिल डब्लू० पी० एस० सं० 366 वर्ष 2014 में विचार किया गया था। इस न्यायालय के आदेश के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने उस तिथि से याची के मामले पर विचार नहीं किया है जिससे जूनियरों पर विचार किया गया है।

11. पूर्वोक्त नियमों, दिशा निर्देशों, विधिक प्रतिपादनाओं के समेकित प्रभाव के परिणामस्वरूप, चूँकि जन्म तिथि की गलत प्रविष्टि को विचार में लिए बिना, याची के मामले पर विचार करने के लिए डब्लू० पी० एस० सं० 366 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 11.8.2015 का आदेश पहले ही थी, प्रत्यर्थियों

को 17/30.3.2016 को जारी प्रोन्नति आदेश उस सीमा तक उपांतरित करने का निर्देश दिया जाता है कि यह 1.11.2012 से प्रभावी होगी जब जूनियरों को प्रोन्नत्ति पर विचार किया गया था और इसे प्रदान किया गया था।

12. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ यह रिट आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

टेकलाल महतो

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 1569 of 2006. Decided on 24th July, 2017.

एस०टी०सं० 310 वर्ष 2004/67 वर्ष 2005 में षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.7.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 302–हत्या–आजीवन कारावास–सिवाए एक अ०सा० के समस्त गवाह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं–उन्होंने केवल मृतक का मृत शरीर देखा था और पिछली घटना, जिसमें अभियुक्त को मृतक द्वारा गाँव की लड़की के साथ अभिकथित रूप से पकड़ा गया था जिसके लिए उस पर जुर्माना अधिरोपित किया गया था और उस कारण उसकी मृतक से दुश्मनी थी, के कारण अभियुक्त पर संदेह किया–अ०सा० का एकमात्र साक्ष्य भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है–अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 12, 13 एवं 14)

अधिवक्तागण.–Mr. Arwind Kumar, For the Appellant; Mr. Satish Kumar Keshri, For the State.

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थी एस०टी०सं० 310 वर्ष 2004/67 वर्ष 2005 में विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.7.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को उक्त अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने एवं 500/- रुपया जुर्माना देने का दंडादेश दिया गया है।

3. अभियोजन मामला के अनुसार, घटना 22/23.1.2004 की रात्रि के बीच हुई। पवन कुमार महतो जो मृतक हरधन महतो का भाई है के फर्दबयान के आधार पर फर्दबयान दर्ज किया गया था, जिसने कथन किया कि 22.1.2004 को उसका मृतक भाई कनकनी कोलियरी में काम करने गया था, किंतु शाम में वापस नहीं लौटा था। सूचक को 23.1.2004 की सुबह उसके पड़ोसी सुनील कुमार महतो द्वारा सूचित किया गया था कि उसके भाई का मृत शरीर तालाब के बगल में पड़ा था, जिस पर सूचक एवं अन्य ग्रामीण वहाँ गए और अनेक उपहतियों के साथ मृतक का मृत शरीर देखा। उसने कथन किया कि घटना

के कुछ माह पहले हरधन महतो ने टेकलाल महतो को अपने गाँव की लड़की के साथ आपत्तिजनक दशा में पकड़ा था, जिसपर उसने शोर किया था जिसपर गाँववाले आए थे और उसपर प्रहार किया था। पंचायती भी की गयी थी जिसमें उसपर 2000/- रुपयों का जुर्माना अधिरोपित किया गया था, टेकलाल महतो एवं उसका पिता मनि राम महतो उक्त तथ्य से व्यथित थे और वे हरधन महतो की हत्या करने की धमकी देते थे। सूचक ने 22.1.2004 को टेकलाल महतो को तालाब के निकट देखा था। यह अभिकथत करते हुए कि उक्त दुश्मनी के कारण इन अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या की गयी थी, फर्दबयान दिया गया था जिसके आधार पर गोविन्दपुर (बरवाड़ा) पी॰ एस॰ केस सं॰ 22 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ सं॰ 1212 वर्ष 2004 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्तों टेकलाल महतो एवं उसके पिता मनिराम महतो के विरुद्ध संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण पश्चात पुलिस ने अभियुक्त टेकलाल महतो के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया।

4. सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किए जाने के बाद, अभियुक्त टेकलाल महतो के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त के निर्दोषिता का अभिवचन करने और विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से दस गवाहों का परीक्षा किया गया था। मामले में अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

5. अ॰ सा॰ 10 पवन कुमार महतो सूचक और मृतक का भाई है। इस गवाह ने कथन किया था कि 22.1.2004 को उसका भाई हरधन महतो कनकनी कोलियरी में काम करने गया था, किंतु वापस नहीं लौटा था। अगले दिन सुनील महतो ने उसको सूचित किया कि मृत शरीर तालाब के बगल में पड़ा था जिस पर यह गवाह एवं अन्य गाँववाले घटनास्थल पर गए और उसपर उपहतियों के साथ मृत शरीर पाया। उसने कथन किया है कि घटना के पहले हरधन महतो ने टेकलाल महतो को अपने गाँव की लड़की के साथ आपत्तिजनक दशा में देखा था और शोर किया था जिस पर पंचायती की गयी थी जिसमें टेकलाल महतो पर 2000/- रुपयों का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। टेकलाल महतो एवं उसका पिता मनिराम महतो उक्त तथ्य के कारण व्यथित थे और वे हरधन महतो की हत्या करने की धमकी देते थे। इस गवाह ने कथन किया कि 22.1.2004 को उसने टेकलाल महतो को तालाब के निकट देखा था। उसने कथन किया कि उसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था, जिसे उसकी पहचान पर प्रदर्श 2/1 चिन्हित किया गया था। यद्यपि इस गवाह का विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया था किंतु उसके प्रतिपरीक्षण पर अधिक महत्व का कुछ भी नहीं है।

6. अ॰सा॰ 1 सुनील कुमार महतो, अ॰ सा॰ 2 चोला राम महतो, अ॰ सा॰ 3 हरि राम महली, अ॰सा॰ 4 उजार महली, अ॰सा॰ 7 भुवन महतो, अ॰सा॰ 8 सूरजी देवी, मृतक की माता और अ॰सा॰ 9 लिलू महतो ने न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया है कि सूचना पाने पर वे तालाब गए थे और उसके शरीर पर उपहतियों के साथ मृतक का मृत शरीर देखा था। उन्होंने यह कथन भी किया कि मृतक ने अभियुक्त टेकलाल महतो को गाँव की लड़की के साथ आपत्तिजनक दशा में देखा था, जिस पर अभियुक्त पर गाँववालों द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया गया था, और उस दुश्मनी के कारण वह मृतक को धमकी दिया करता था। इन गवाहों में से कोई भी हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। अ॰सा॰ 1 सुनील कुमार महतो और अ॰सा॰ 2 चोला राम महतो मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के गवाह भी हैं और उन्होंने

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 1 और 1/1 चिन्हित किया गया था। अ०सा० 2 चोला राम महतो फर्दबयान का गवाह भी है और उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था।

7. अ०सा० 6 दुर्गा राय घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है, किंतु इस गवाह ने केवल यह कथन किया है कि उसने मृतक एवं अभियुक्तों टेकलाल महतो तथा मनिराम महतो के बीच झगड़ा देखा था। उसने कथन किया कि टेकलाल महतो टांगी से लैस था और मनि राम महतो लाठी से लैस था। उसे भी अभियुक्तों द्वारा धमकी दी गयी थी, जिस पर वह भाग गया। अगले दिन उसने सुना कि हरधन महतो की हत्या कर दी गयी थी और उसने मृतक का मृत शरीर भी देखा था। इस गवाह ने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने गाँव में किसी को सूचना नहीं दिया था।

8. अ०सा० 5 डॉ० शैलेन्द्र कुमार चिकित्सा अधिकारी हैं जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और उसने मृतक के मृत शरीर पर कुल सात कटे हुए मृत्यु पूर्व जख्म और एक खरोंच पाया था, जिसका विवरण उन्होंने अपने साक्ष्य में दिया है। उन्होंने शव परीक्षण में निष्कर्षों का अन्य विवरण भी दिया है और अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था।

9. जैसा कथन पहले किया गया है, इस मामले में अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश पूर्णत: अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अ०सा० 6 दुर्गा राय के सिवाए कोई भी गवाह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। अन्य समस्त गवाहों जिन्होंने अभियोजन मामला का समर्थन किया है के साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध केवल संदेह है। केवल अ०सा० 6 ने घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है और उसने यह कथन भी किया है कि उसने केवल मृतक और अभियुक्तों के बीच झगड़ा देखा था और तत्पश्चात, वह घटनास्थल से भाग गया था। उसने किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध प्रहार का कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किया है, यद्यपि यह अभिकथित किया गया है कि दो व्यक्ति मृतक के साथ झगड़ा कर रहे थे। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने गाँव में किसी ग्रामीण को इस घटना के बारे में सूचित नहीं किया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वस्तुत: हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अपीलार्थी के विरूद्ध केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य है जो भी अपीलार्थी की दोषसिद्धि सुरक्षित करने के लिए अत्यन्त कमजोर है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह सुयोग्य मामला है जिसमें अपीलार्थी को कम से कम संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। यह निवेदन किया गया है कि अ०सा० 1 से 4 और अ०सा० 7 से 10 सबों ने मृतक का शरीर देखा है और उन सबों ने घटना के हेतु के बारे में कथन किया है। यद्यपि ये गवाह हत्या की घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, किंतु इन गवाहों ने कथन किया है कि इस तथ्य के कारण कि अभियुक्त अपीलार्थी को मृतक द्वारा गाँव की लड़की के साथ आपत्तिजनक दशा में देखा गया था, अभियुक्त अपीलार्थी मृतक को उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। अ०सा० 10 पवन कुमार महतो ने मृतक को घटना के दिन

पर तालाब के निकट गाँव में देखा था। बाद में, मृतक का मृत शरीर पाया गया था। अ०सा० 6 दुर्गा राय घटना का चश्मदीद गवाह है, जिसने कथन किया है कि अभियुक्त अपीलार्थी टांगी से लैस था और अभियुक्त एवं मृतक के बीच झगड़ा चल रहा था। उसे अभियुक्त द्वारा धमकी दी गयी थी और वह भाग गया और अगले दिन, उसने मृतक का मृत शरीर देखा। यह निवेदन भी किया गया है कि तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित अनेक मृत्यु पूर्व उपहतियाँ मृतक के मृत शरीर पर पायी गयी थी और इस दशा में अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

12. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अ०सा० 6 दुर्गा राय के सिवाए समस्त गवाह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्होंने केवल मृतक का मृत शरीर देखा था और पूर्व घटना, जिसमें अभियुक्त को मृतक द्वारा अभिकथित रूप से गाँव की लड़की के साथ आपत्तिजनक दशा में पकड़ा गया था जिसके लिए उस पर जुर्माना अधिरोपित किया गया था और उसके चलते उसकी मृतक से दुश्मनी थी, के कारण अभियुक्त पर संदेह किया था। यद्यपि अ०सा० 6 ने घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है और कथन किया है कि अभियुक्त टांगी से लैस था और उसने मृतक एवं अभियुक्त के बीच हो रहे झगड़ा को देखा था, किंतु उसने अपीलार्थी के विरुद्ध प्रहार का कोई विनिर्दिष्ट कथन नहीं किया था, क्योंकि उसने अभिकथत किया है कि दो व्यक्ति मृतक के साथ झगड़ा कर रहे थे और विनिर्दिष्टत: स्वीकार किया है कि उसने उक्त घटना के बारे में गाँववालों को सूचित नहीं किया था।

13. हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि यद्यपि अ०सा० 6 दुर्गा राय ने घटना का चश्मदीद गवाह होने का प्रयास किया है किंतु उसके द्वारा अपने साक्ष्य में प्रहार के किसी विनिर्दिष्ट कथन की अनुपस्थिति में, और उसके स्वीकरण की दृष्टि में कि उसने गाँववालों को कोई सूचना नहीं दिया था, केवल अ०सा० 6 दुर्गा राय का साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार था और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश को विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

14. पूर्वोक्त कारणों से, एस० टी० सं० 310 वर्ष 2004/67 वर्ष 2005 में विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ० टी० सी०, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.7.2006 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी टेकलाल महतो को संदेह का लाभ दिया जाता है और उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी अभिरक्षा में है। उसको तुरन्त निर्मुक्त एवं स्वतंत्र किया जाए यदि किसी अन्य मामले में उसका निरोध आवश्यक नहीं है।

15. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। अवर न्यायालय अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ तुरन्त वापस भेजे जाएँ।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

राम गोपाल

cuke

प्रवीण कुमार मेहता एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 3023 of 2007. Decided on 13th July, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 6 नियम 17 सहपठित आदेश 1, नियम 10 (4)—वाद पत्र का संशोधन–संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद–संशोधन अधिनियम 22/2002 के बाद आदेश 6 नियम 17 का उद्देश्य तुच्छ आवेदनों को रोकना है जिन्हें विचारण में विलंब करने के लिए दाखिल किया जाता है–जहाँ प्रतिवादी जोड़ा जाता है, वाद पत्र ऐसे तरीके से संशोधित किया जाएगा जैसा आवश्यक हो सकता है–यदि संशोधन जैसा याची द्वारा इप्सित किया गया है अनुज्ञात नहीं किया जाता है, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए उसके द्वारा दाखिल वाद का कोई प्रभावकारी उद्देश्य नहीं होगा–आक्षेपित आदेश अपास्त–रिट याचिका अनुज्ञात।

(पैराएँ 6, 8 एवं 12)

निर्णयज विधि.–(2005) 6 SCC 344; (2005) 6 SCC 733; (2010) 7 SCC 417—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s J.J. Sanga, For the Petitioner; M/s A.K. Shukla, Arvind Kumar, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका अभिधान वाद सं॰ 173 वर्ष 1997 में उप न्यायाधीश I, राँची द्वारा पारित दिनांक 19.4.2007 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसमें इसके बाद 'सी॰ पी॰ सी॰' के रूप में निर्दिष्ट) आदेश VI नियम 17 के अधीन एवं आदेश I नियम X सहपठित धारा 151 के अधीन वादी/याची द्वारा दाखिल दिनांक 25.1.2007 का आवेदन अस्वीकार किया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपनी भूमि के विक्रय के लिए अपने पुत्र एवं मुख्तारनामा धारक सुधीर कुमार मेहता (प्रत्यर्थी सं॰ 2) के माध्यम से किसी सुशीला कुमारी मेहता (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) एवं याची के बीच 27.5.1990 को करार निष्पादित किया गया था किंतु वह इसे निष्पादित करने में विफल रही। तत्पश्चात, याची ने प्रत्यर्थियों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दाखिल किया। उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, उक्त सुशीला कुमारी मेहता ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 के साथ मौनानुकूलता में 20.9.2002 को किसी मनरखन महतो के पक्ष में सामान्य मुख्तारनामा निष्पादित किया और उक्त मुख्तारनामा के बहाना पर मन रखरखन महतो ने 3.3.2004 को दो निर्बंधित विक्रय विलेख, एक अपने पुत्र मनोज कुमार और दूसरा अपनी पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी के पक्ष में निष्पादित किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने 25.1.2007 को उक्त वाद में मनरखन महतो एवं मनोज कुमार तथा उर्मिला देवी को पक्ष प्रतिवादी बनाने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन एवं आदेश I नियम 10 सहपठित धारा 151 के अधीन आवेदन दाखिल किया क्योंकि वे भी वाद के लंबित रहने के दौरान हुए पश्चातवर्ती घटनाक्रम के कारण याची के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के दायी थे। किंतु, याची का उक्त आवेदन विद्वान उप न्यायाधीश I, राँची द्वारा अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए कि याची काफी पहले से सुधीर कुमार मेहता द्वारा मुख्तारनामा के निष्पादन से अवगत थी और इसलिए सही चरण पर वाद पत्र में संशोधन करने के लिए याची की ओर से तत्परता नहीं थी, पारित दिनांक 19.4.2007 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। विद्वान उप न्यायाधीश I, राँची द्वारा अन्य बातों के साथ यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में केवल पक्षों के बीच हुए संविदा की प्रवर्तनीयता विनिश्चित की जानी है और इसलिए प्रस्तावित प्रतिवादीगण वाद के आवश्यक पक्ष नहीं हैं क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में भी कोई प्रभावकारी डिक्री पारित की जा सकती थी। विद्वान उप न्यायाधीश I ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चूँकि वादी पहले ही तीन गवाहों का परीक्षण कर चुका है और यह स्थापित करने में विफल रहा है कि उसे वाद के लंबित रहने के दौरान हुए पश्चातवर्ती घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी, संशोधन आवेदन विचारण आरंभ होने

के बाद आरंभ नहीं किया जा सकता है। याची के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य पर जोर देते हैं कि यद्यपि किसी मन रखन महतो के पक्ष में सुधीर कुमार मेहता (प्रत्यर्थी सं॰ 2) द्वारा मुख्तारनामा के निष्पादन की जानकारी उसको थी, फिर भी उक्त मन रखन महतो द्वारा अपने पुत्र मनोज कुमार एवं पत्नी उर्मिला देवी के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। वस्तुतः, मन रखन महतो द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन के बाद याची की ओर से वाद में मन रखन महतो एवं मनोज कुमार एवं उर्मिला देवी को पक्ष प्रतिवादियों के रूप में पक्षकार बनाना आवश्यक बन जाता है जिनकी अनुपस्थिति में याची के वाद में वादी होने के कारण उसके द्वारा प्रार्थना की गयी डिक्री परिणामहीन होगी और इस प्रकार वाद में प्रतिवादियों के रूप में उनका योग वाद के प्रभावकारी न्यायनिर्णयण के लिए आवश्यक है।

3. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान उप–न्यायाधीश I, राँची द्वारा पारित दिनांक 19.4.2007 के आक्षेपित आदेश का बचाव करते हुए निवेदन करते हैं कि विद्वान अवर न्यायालय ने सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन तथा आदेश I नियम 10 सहपठित 151 के अधीन दाखिल आवेदन की सुनवाई के दौरान याची की ओर से दिए गए समस्त ताथ्यिक पहलूओं पर विचार किया है और तत्पश्चात इस निष्कर्ष पर आया है कि वादी/याची को मन रखन महतो के पक्ष में प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा मुख्तारनामा के निष्पादन की जानकारी थी और इसलिए विवाद्यकों की विरचना एवं वादी के तीन गवाहों के परीक्षण के बाद ऐसा आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। विद्वान अवर न्यायालय ने सही प्रकार से यह भी संप्रेक्षित किया है कि मनरखन महतो एवं उर्मिला देवी वाद में आवश्यक पक्ष नहीं हैं, क्योंकि वे सुशीला कुमारी मेहता द्वारा अपने मुख्तारनामा धारक प्रत्यर्थी सं॰ 2 के माध्यम से निष्पादित करार के पक्ष नहीं थे। अतः प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि विद्वान उप न्यायाधीश I, राँची द्वारा पारित दिनांक 19.4.2007 के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों को सुनने पर तथा अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर, यह प्रतीत होता है कि 27.5.1990 को याची (वाद में वादी) और अपने पुत्र एवं मुख्तारनामा धारक सुधीर कुमार मेहता (प्रत्यर्थी सं॰ 2) के माध्यम से सुशीला कुमारी मेहता के बीच प्रश्नगत भूमि के लिए करार किया गया था। याची ने 10.11.1997 को दिनांक 27.5.1990 की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए सुशीला कुमारी मेहता एवं सुधीर कुमार मेहता (वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 2) (वाद में क्रमशः प्रतिवादी सं॰ 1 एवं 2) के विरुद्ध अभिधान वाद सं॰ 173 वर्ष 1997 दाखिल किया। उक्त अभिधान वाद सं॰ 173 वर्ष 1997 याची के पक्ष में एक पक्षीय रूप से 13.8.2001 को विनिश्चित किया गया था। तत्पश्चात सुशीला कुमारी मेहता एवं सुधीर कुमार मेहता (प्रत्यर्थी सं॰ 2) ने 5.6.2003 को सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश IX नियम 13 के अधीन आवेदन दाखिल किया जिसे विविध मामला सं 13 वर्ष 2003 के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त विविध मामला सं॰ 13 वर्ष 2003 दिनांक 13.7.2004 के आदेश के तहत खारिज किया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर, ए॰ जे॰ सी॰ IV, राँची के न्यायालय में सुशीला कुमारी मेहता एवं सुधीर कुमार मेहता (प्रत्यर्थी सं॰ 2) द्वारा विविध अपील सं॰ 12 वर्ष 2004 दाखिल किया गया था जिसे अभिधान वाद सं॰ 173 वर्ष 1997 को इसके मूल फाइल पर पुनर्स्थापित करके दिनांक 28.2.2005 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। बाद में याची ने इस न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण सं॰ 46 वर्ष 2005 दाखिल किया किंतु इसे दिनांक 28.6.2005 के आदेश के तहत खारिज किया गया था। बाद में याची ने अतिरिक्त तथ्यों कि प्रत्यर्थियों ने आपसी मौनानुकूलता में 20.9.2002 को किसी मन रखन महतो के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित किया और उक्त मन रखन

महतो ने अपने पुत्र मनोज कुमार एवं पत्नी उर्मिला देवी को दिनांक 3.3.2004 के दो विक्रय विलेखों के माध्यम से भूमि बेचा, अभिलेख पर लाने के लिए उप न्यायाधीश I, राँची के न्यायालय में सी० पी० सी० के आदेश VI नियम 17 एवं आदेश I नियम 10 सहपठित धारा 151 के अधीन याचिका दाखिल किया। किंतु, दिनांक 19.4.2007 के आक्षेपित आदेश के तहत विद्वान उप-न्यायाधीश-I, राँची ने अभिवचन में संशोधन इप्सित करता एवं मन रखन महतो, मनोज कुमार एवं उर्मिला देवी को मुख्यत: इस आधार पर कि याची को विविध मामला 13 वर्ष 2003 की सुनवाई के समय पर मन रखन महतो के पक्ष में मुख्तारनामा धारक के निष्पादन के बारे में जानकारी थी, प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाने के लिए दिनांक 25.1.2007 का याची का उक्त आवेदन अस्वीकार कर दिया है।

5. अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि याची ने विविध मामला सं० 13 वर्ष 2003 में दाखिल आपत्ति में इस प्रभाव का कोई बयान नहीं दिया था कि उस मन रखन महतो द्वारा अपने पुत्र मनोज कुमार एवं पत्नी उर्मिला देवी के पक्ष में विक्रय विलेखों के निष्पादन की जानकारी थी। वस्तुत:, उक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन की जानकारी ने याची को उनको पक्ष प्रतिवादियों के रूप में वाद कार्यवाही में पक्षकार बनाने के लिए वाद हेतुक उद्भूत किया था जिसकी अनुपस्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रभावकारी डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वाद पत्र में मूलत: की गयी विनिर्दिष्ट पालन की प्रार्थना उक्त प्रस्तावित प्रतिवादियों पर शिफ्ट हो जाएगी। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया कि याची ने विविध मामला सं० 13 वर्ष 2003 में मन रखन महतो द्वारा मनोज कुमार एवं उर्मिला देवी के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन के संबंध में किसी तथ्य का कथन कभी नहीं किया। इसके अतिरिक्त, याची द्वारा 25.1.2007 को दाखिल आवेदन भी सी० पी० सी० के आदेश I नियम 10 के अधीन था। विवाद्यक के बेहतर अधिमूल्यन के लिए, सी० पी० सी० के आदेश I नियम 10 (4) को यहाँ नीचे उद्धत किया जाता है:-

> *(4) tgk ifroknh tkMk tk, ogk okni= dk l'kks/ku fd;k tkuk-&tgk dkbZ ifroknh tkMk tkrk g] ogk tc rd U;k;ky; vU;Fkk fufn"V u dj okni= dk ,d idkj l'kks/ku fd;k tk,xk] tSlk vko';d gk] vkj leu dh vkj okni= dh l'kks/kr ifr;k dh rkehy u, ifroknh ij] vkj ;fn U;k;ky; Bhd le> rk ey ifroknh ij dh tk,xhA*

6. सी०पी०सी० के आदेश I नियम 10(4) के प्रावधानों के सादे पठन पर यह स्पष्ट होगा कि जहाँ प्रतिवादी जोड़ा जाता है, वाद पत्र उस तरीके से संशोधित किया जाएगा जैसा आवश्यक हो सकता है। वर्तमान मामले में, मन रखन महतो द्वारा विक्रय विलेखों के निष्पादन के कारण वाद में याची की ओर से मन रखन महतो, मनोज कुमार एवं उर्मिला देवी का योग आवश्यक बन गया था और इसलिए वाद पत्र को भी तद्नुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सालेम एडवोकेट बार एशोसिएशन, तमिलनाडू बनाम भारत संघ, (2005)6 SCC 344,** में सी०पी०सी० के आदेश VI नियम 17 के उद्देश्यों एवं प्रतिपादनाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

> *^^27- lfgrk dk vkn'k VI fu;e 17 vfHkopuk d l'kks/ku ij fopkj djrk gA l'kks/ku vfèkfu;e 46 o"k 1999 }kjk ;g ikoèkku foykfir fd;k x;k FkkA bl l'kks/ku vfèkfu;e 22 o"k 2002 }kjk iu% iuLFkkfir fd;k x;k g fdr fopkj.k vkjHk gku d ckn l'kks/ku vuKkr fd, tku d fy, vkonu dk jkdu d fy,*

tkM x, ijUrd d lkFk tc rd U;k;ky; bl fu"d"k ij ugh vkrk g fd lE;d rRijrk d ckotn i{k fopkj.k vkjHk gku d igy ekeyk mBk ugh ldk FkkA ijUrd] dN lhek rd fdlh Hkh pj.k ij l'kkèku vuKkr dju dk li.k Lofood de djrk gA vc ;fn fopkj.k d ckn vkonu nkf[ky fd;k tkrk g] ;g n'kk;k tkuk gkxk fd lE;d rRijrk d ckotn , lk l'kkèku igy bfllr ugh fd;k tk ldrk FkkA ***mí'; rPN vkonu jkduk g ftUg fopkj.k e foyc dju d fy, nkf[ky fd;k tkrk gA*** *ikoèkku e voèkrk ugh gA***

8. सालेम एडवोकेट बार एशोसिएशन, तमिलनाडू बनाम भारत संघ (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित निर्णयाधार के आधार पर यह अर्थ लगाया जा सकता है कि संशोधन अधिनियम 22/2002 के बाद आदेश VI नियम 17 का उद्देश्य तुच्छ आवेदनों को रोकता है जिन्हें विचारण विलंबित करने के लिए दाखिल किया जाता है। किंतु, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद का विचारण विलंबित करने का याची की ओर से कोई आशय रहा था। इसके अतिरिक्त, विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष सी०पी०सी० के आदेश VI नियम 17 एवं आदेश I नियम 10 सहपठित धारा 151 के अधीन दाखिल आवेदन में याची द्वारा विनिर्दिष्टत: अभिवचन किया गया था कि उसे केवल दिसंबर, 2006 में मन रखन महतो द्वारा अपने पुत्र मनोज कुमार एवं पत्नी उर्मिला देवी के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन की जानकारी हुई थी। इसके अतिरिक्त, यदि संशोधन जैसा याची द्वारा इप्सित किया गया है अनुज्ञात नहीं किया जाता है, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए उसके द्वारा दाखिल वाद किसी प्रभावकारी प्रयोजन का नहीं होगा।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कस्तूरी बनाम इय्यम पेरूमल एवं अन्य, (2005)6 SCC 733** में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^7- gekj nf"Vdk.k e] bl ikoèkku vFkkr lhOihOlhO d vkn'k 1 fu;e 10 mifu;e (2) dk dkjk iBu Li"Vr% n'kk,xk fd ***lfonk d fofufn"V ikyu d fy, okn e vko';d i{k lfonk d i{k g vkj ;fn mudh eR; gk x;h g] mud fofèkd ifrfufèkx.k vkj 0;fDr Hkh ftUgku foØrk l lfonk dh x;h lifÙk [kjhnk Fkk] gA*** *lkE;k e ,o fofèk e Hkh] lfonk vfèkdkj xfBr djrh g vkj i{kk dk nkf;Ro Hkh fofu;fer djrh gA [kjhnkj vko';d i{k g D;kfd og iHkkfor gkxk ;fn mlu lfonk d ukfVl d lkFk vFkok bld fcuk [kjhnk Fkk] fdr 0;fDr tk foØrk d nkok d ifrdy nkok djrk g] vko';d i{k ugh gA mDr l] vc ;g Li"V g fd i'u fd dku vko';d i{k g fofuf'pr dju d fy, nk ijh{kk, dh tkrh gA ; ijh{kk, g& (1) dk;okgh e vrxLr fookn d lcèk e ,l i{k d fo#) dN vurk"k dk vfèkdkj gkuk gkxk((2) ,l i{k dh vuifLFkfr e iHkkodkjh fMØh ikfjr ugh dh tk ldrh gA*

13- iokDr ppk l] ;g Li"V g fd vko';d i{k o 0;fDr g ftu dh vuifLFkfr e U;k;ky; }kjk fMØh ikfjr ugh dh tk ldrh g vFkok dk;okgh e vrxLr fookn d lcèk e fdlh i{k d fo#) dN vurk"k dk vfèkdkj gkuk gkxk vkj lefpr i{k o g ftudh U;k;ky; d le{k mifLFkr U;k;ky; dk okn e vrxLr leLr i'uk dk iHkkodkjh :i l ,o i.kr% U;k; fu.khr dju d fy, ,o ly>ku d fy, l{ke cuku d fy, vko';d gkxhA ;|fi ,l 0;fDr d fo#) okn e vurk"k dk nkok ugh fd;k x;k gA

10. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्रा०) लि० बनाम रिजेंसी कंवेंशन सेन्टर एवं होटल्स (प्रा०) लि०, (2010)7 SCC 417, में इसी सिद्धांत को दोहराते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 19 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

^^19- fofufn"V ikyu d fy, oknk dk fufn"V djr g, bl U;k;ky; u dLrjh e vfHkfuèkkfjr fd;k fd ***fuEufyf[kr 0;fDr;k dk vko';d i{k ekuk tkuk gS*** *(i) lfonk ftl iofrr fd;k tkuk bfllr fd;k x;k g d i{k vFkok mud fofèkd ifrfufèkx.k] (ii)* ***lifÙk tk lfonk dh fo"k; oLr g dk vrfjrhA*** *bl U;k;ky; u ;g Hkh Li"V fd;k g fd 0;fDr ftldk foØ; djkj d fofufn"V ikyu d fy, okn d fo"k; oLr e iR;{k fgr g dk mld lhOihOlhO d vkn'k ıfu;e 10 d vèkhu vkonu ij lefpr i{k d :i e i{kdkj cuk;k tk ldrk gA bl U;k;ky; u fu"df"kr fd;k fd ckn djkj d i'pkr okn lifÙk dk [kjhnkj vko';d i{k gkxk D;kfd og iHkkfor gkxk ;fn mlu bl lfonk d ukfVl d lkFk vFkok bld fcuk [kjhnk Fkk fdr 0;fDr tk ifroknh foØrk d nkok d ifrdy vfèkèkku dk nkok djrk g] vko';d i{k ugh gkxkA**

11. विशेष अनुमति से अपील **(सी०) सं०(S) 31087/2014 में रोबिन रामजी भाई पटेल बनाम आनंदी बाई रामा उर्फ राजाराम पवार एवं अन्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः समरूप विवाद्यक पर चर्चा किया गया है और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

11 iokDr lnHk e] bl U;k;ky; u Hkh lhOihOlhO d vkn'k ıfu;e 10 d ikoèkkuk ij fopkj fd;k vkj ijkxkQ 7 e viuk nf"Vdk.k vfHk0;Dr fd;k fd iklfxd ikoèkku n'kkrk g fd ***foØ; dh lfonk d fofufn"V ikyu d fy, okn e vko';d i{k u doy lfonk d i{k vFkok mud fofèkd ifrfufèkx.k g cfYd og 0;fDr Hkh g ftlu foØrk l lfonk d x;h lifÙk [kjhnk FkkA*** *vkx ;g dgk x;k Fkk fd ^^lkE;k e vkj fofèk e Hkh lfonk vfèkdkjk dk xfBr djrh g vkj i{kk d nkf;Rok dk Hkh fofu;fer djrh gA [kjhnkj vko';d i{k gkxk ;fn mlu lfonk d ukfVl d lkFk vFkok bld fcuk bl [kjhnk Fkk] fdr] 0;fDr tk foØrk d nkok d ifrdy nkok djrk g] vko';d i{k ugh gA mDr l] vc ;g Li"V g fd bl i'u fd vko';d i{k dku g] fofuf'pr dju d fy, nk ijh{kk, dh tkuh gA**

12. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश विधितः संपोषित नहीं किया जा सकता है और परिणामस्वरूप, अभिधान वाद सं० 173 वर्ष 1997 में उप–न्यायधीश I, राँची द्वारा पारित दिनांक 19.4.2007 का आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। रिट याचिका तद्नुसार अनुज्ञात की जाती है।

दिनांक 29.6.2007 का अंतरिम आदेश भी एतद् द्वारा रिक्त किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñlhñ feJk ,o Mkñ ,lñ,uñ ikBd] U;k;efrx.k

शिवलाल साव एवं एक अन्य (121 में)

ईश्वरी भूइंया उर्फ इश्वरी (126 में)

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड) (दोनों में)

Criminal Appeal (DB) Nos. 121 with 126 of 1992 (R). Decided on 26th April, 2017.

सत्र विचरण सं॰ 159 वर्ष 1990 (रांका पी॰एस॰ केस सं॰ 38/1989, जी॰आर॰सं॰ 428 वर्ष 1989 के तत्सम) के संबंध में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 22.6.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34–हत्या–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–परिस्थितिजन्य साक्ष्य–अभियोजन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि आधारित करने के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम नहीं हुआ है-अपीलार्थियों को अभिकथित घटना से जोड़ने के लिए घटनाओं की श्रृंखला की अनुपस्थिति है–चिकित्सीय साक्ष्य भी चाक्षुक विवरण के साथ असंगत है क्योंकि नुकीले हथियार की उपहति नहीं पायी गयी है–रक्तरंजित मिट्टी का गैर-परीक्षण भी अन्वेषण पर प्रश्न उठाता है–महत्वपूर्ण अभियोजन गवाहों के विरोधाभासी बयान अपीलार्थियों की दोषसिद्धि सुरक्षित करने में घातक सिद्ध हुआ है क्योंकि पुलिस के समक्ष और न्यायालय के समक्ष उनके बयान स्वयं विरोधाभासी हैं–अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया गया और आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

(पैराएँ 10 एवं 11)

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Praween Shankar Dayal, Anurag Kashyap, Supriya Dayal, For the Appellant; Mr. Satish Kumar Keshri, For the State.

डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक, न्यायमूर्ति.–पक्षकार सुने गए।

2. दोनों दांडिक अपीलें सत्र विचारण सं॰ 159 वर्ष 1990 के संबंध में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 22.6.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध दाखिल की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और दोष सिद्ध किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि 13.7.1989 को सायं लगभग 4 बजे अपीलार्थी शिवलाल साव सूचक के घर गया और उसके पिता मनबोध यादव (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) को सूचक की बीमार पत्नी को अच्छा करने के लिए ओझई करने अपने घर ले गया। जब सूचक का पिता शाम में घर नहीं लौटा था, सूचक अपीलार्थी शिवलाल साव के घर झगराहा गाँव गया और वहाँ उसने अपने पिता एवं अपीलार्थी इश्वर भूइयाँ को अपीलार्थी शिवलाल साव के घर में बैठा पाया, जो उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा था। अपीलार्थी शिवलाल साव ने सूचक पर भी उनके साथ खाना खाने के लिए जोर दिया किंतु वह सहमत नहीं हुआ था और घर लौट गया। जब सूचक का पिता रात में घर नहीं लौटा था, वह अपने चाचा अलियार यादव (अ॰सा॰ 4) एवं अन्य के साथ अगली सुबह लगभग 7 बजे अपने पिता की तलाश करने अपीलार्थी शिवलाल साव के घर गया किंतु घर का दरवाजा किसी सिकड़ी के बिना बंद पाया और अपीलार्थी शिवलाल साव और उसके परिवार के सदस्य गायब थे संदेह होने पर, सूचक एवं अन्य ने घर का दरवाजा खोला और अपने पिता के मृत पड़ा पाया। उसके मुख से खून बह रहा था और गर्दन सूजी हुई थी। सूचक ने संदेह किया कि अपीलार्थियों द्वारा उसकी गर्दन दबा कर उसके पिता की हत्या की गयी थी। तत्पश्चात, सूचक अपने चाचा (अ॰सा॰ 4) के साथ रांका पुलिस थाना गया और 14.7.1989 को प्रातः 10 बजे प्राथमिकी दर्ज किया।

4. सूचक के फर्दबयान के आधार पर रांका पुलिस थाना मामला सं० 38/1989, जी० आर० सं० 428/1989 के तत्सम, अज्ञात के विरूद्ध भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन दर्ज किया गया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपीलार्थियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया और पूर्वोक्त धाराओं का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और अपीलार्थियों का विचारण किया गया था। आरोप विरचित किए गए थे जिसके प्रति अपीलार्थियों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

5. अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल आठ अभियोजन गवाहों का परीक्षण किया। अ०सा० 1 छट्ठू भूईया है। अ०सा० 2 हिगन प्रसाद यादव है जो मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा के बिन्दु पर और रक्तरंजित मिट्टी आदि की जब्ती के बिन्दु पर गवाह है। अ०सा० 3 विष्णु प्रसाद यादव महत्वपूर्ण गवाह एवं मामले का सूचक है। अ०सा० 4 अलियार यादव सूचक का चाचा है। अ०सा० 5 राम शरण यादव को अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया है। अ०सा० 6 त्रिवेणी राय मामले का अन्वेषण अधिकारी है। अ० सा० 7 समय नाथ श्रीवास्तव न्यायिक दंडाधिकारी है जिसने दं०प्र०सं० की धारा 164 के अधीन अ० सा० 1 का बयान दर्ज किया था। अ० सा० 8 डॉ० भरत माँझी ने मृतक के संबंध में डॉ० ज्वाला प्रसाद सिंह का शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है।

6. विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज ने सत्र विचारण सं० 159 वर्ष 1990 के संबंध में दिनांक 22.6.1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के तहत अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

7. श्री प्रवीण शंकर दयाल, श्री अनुराग कश्यप एवं सुश्री सुप्रिया द्वारा सहायित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए०के० कश्यप ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए तर्क किया कि अभियोजन गवाहों के बयान तात्विक बिंदुओं पर एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं और घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। अपीलार्थियों ने आक्षेपित निर्णय का इस आधार पर विरोध किया है कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। अ० सा० 1 एक गवाह है जिसे इस कारण से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है कि न तो सूचक ने अपने अभिसाक्ष्य में और न ही प्राथमिकी में अभिकथित घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति के बारे में कथन किया है जब वह वहाँ गया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि अ० सा० 3 ने मृतक के शरीर पर उपहतियों के संबंध में पश्चातवर्ती परिवर्तन करके घटना की अतिशयोक्ति किया है। अपीलार्थियों द्वारा आक्षेपित निर्णय का आगे विरोध इस आधार पर किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य भी चाक्षुक साक्ष्य के साथ असंगत है। आगे यह अभिकथित किया गया है कि डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया का परीक्षण नहीं किया गया है। अपीलार्थियों ने आगे अभिकथित किया है कि अन्वेषण लापरवाही से किया गया है और उस आधार पर अपीलार्थियों को दोषसिद्ध तथा आजीवन कारावास से दंडादेशित नहीं किया जा सकता था। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि स्वयं अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया था कि उसे मानव रक्त एवं अन्य रक्त के बीच अंतर का विचार नहीं था और आगे अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया था कि उसने रक्तरंजित मिट्टी को परीक्षण के लिए नहीं भेजा था। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया है कि दरवाजा में सिकड़ी नहीं थी जो सूचक के अभिकथन घटनास्थल के दरवाजा की 'सिकड़ी' खोलने एवं मृतक को पाने के प्रभाव के बयान का विरोध करता है और इसे संदेहपूर्ण बनाता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि यह स्पष्ट मामला

है जहाँ तरीका, समय तथा घटना स्थल गायब है और इस दशा में अपीलार्थीगण दोषमुक्त किए जाने के दायी हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि इन परिस्थितियों में यह सुरक्षित रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि मामला साक्ष्यहीन है और अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे इंगित किया कि शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्टर ने मत दिया है कि मृत्यु का कारण कड़े भोथरे वस्तु के कारण आयी उपहतियाँ थी जबकि प्राथमिकी में अभिकथन था कि अभियुक्तों ने गला दबा कर मृतक की हत्या की जो शव परीक्षण रिपोर्ट के विपरीत है।

8. समानांतर स्तंभ में, विद्वान ए०पी०पी० ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अपीलार्थियों को सही प्रकार से अभिकथित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम रहा है और अभियुक्तों ने अभिकथित घर में मृतक की नियोजित हत्या की। विद्वान ए० पी० पी० ने आगे निवेदन किया कि तात्विक गवाहों के साक्ष्य पर महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है और इसलिए, उनका साक्ष्य अक्षुण्ण है और निष्कर्ष पर आने के लिए त्यक्त नहीं किया जा सकता है और, इसलिए, अभियुक्तों/अपीलार्थियों को अवर न्यायालय द्वारा सही प्रकार से दोषसिद्ध किया गया है।

9. किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले महत्वपूर्ण अभियोजन गवाहों के साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक है।

आठ अभियोजन गवाहों में से अ०सा० 5 राम शरण यादव अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया है और इसलिए, उसके साक्ष्य का विधि की दृष्टि में साक्षियक मूल्य नहीं है। अ०सा० 7 समय नाथ श्रीवास्तव न्यायिक दंडाधिकारी है जिन्होंने दं०प्र०सं० की धारा 164 के अधीन अ०सा० 1 का बयान दर्ज किया था। डॉ० ज्वाला प्रसाद सिंह जिन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया था, उपस्थित नहीं हुए हैं और अ०सा० 8 डॉ० भरत मांझी ने मात्र मृतक के संबंध में अपने द्वारा तैयार की गयी शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है।

अ०सा० 1 छट्ठू भूइयाँ है जिसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना की अभिकथित तिथि पर मृतक अपराहन 5 बजे उसके पास आया था और उसको 'ओझई' के लिए शिवलाल साव के घर चलने के लिए कहा था जिस पर वह उसके घर गया और वहाँ इश्वरी भूइयाँ को बैठा पाया। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि उसने रात का खाना खाया था और मनबोध तथा ईश्वर के साथ पर्याप्त रूप से मदिरा सेवन किया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि सूचक भी वहाँ गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि याधा साव का गोदाम घटना स्थल से लगभग 500 कदम की दूरी पर है और वह वहाँ पूरी रात नहीं गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह सुबह वहाँ गया था और विशुन यादव वहाँ उपस्थित था। उसने आगे कहा कि उसने मुखिया अथवा सरपंच को सूचित नहीं किया था और पुलिस थाना नहीं गया था। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 14 पर इस गवाह ने कथन किया है कि उसने सूचक को घटना के बारे में बताया था जिस पर सूचक ने पुलिस थाना को सूचना दिया था। इस गवाह (अ० सा० 1) का बयान किसी साक्ष्य द्वारा अथवा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी संपुष्ट नहीं किया गया है और इस दशा में घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति भी संदेहपूर्ण है और परिणामस्वरूप संपूर्ण अभियोजन मामले पर संदेह की छाया डालती है। अधिकाधिक, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि यह अंतिम बार देखे जाने का मामला है और उसकी दृष्टि में अपीलार्थीगण संदेह के लाभ के हकदार हैं। हेतु भी नहीं दिया गया है।

हिगन प्रसाद यादव (अ०सा० 2) मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा के बिंदु पर और रक्तरंजित मिट्टी आदि की जब्ती के बिन्दु पर गवाह है।

बिष्णु प्रसाद यादव (अ०सा० 3) महत्वपूर्ण गवाह और वर्तमान मामले का सूचक है। यद्यपि उसने प्राथमिकी में मुँह से खून बहने और सूजी हुई गर्दन के बारे में कथन किया था किंतु न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में उसने छड़ एवं सब्बल द्वारा कारित अग्रमस्तक पर उपहति जोड़ा। उसने कथन किया है कि उसके पिता एवं अपीलार्थियों के बीच दुश्मनी नहीं थी। इस गवाह ने अ० सा० 1 द्वारा स्वयं को सूचित किया जाना स्वीकार किया है। उसने आगे स्वीकार किया कि उसने आई० ओ० के समक्ष कथन किया था कि उसने छट्ठू भूइयाँ को रात्रि 9 बजे शिवलाल साव के घर में बैठा पाया था और कि उसने शिवलाल साव एवं छट्ठू भूइयाँ को अपने पिता को रात्रि भोजन के बाद घर पहुँचाने कहा था। किंतु, उसने इनकार किया कि उसने कभी भी पुलिस के समक्ष कथन किया था कि उसने अपने पिता के अग्रमस्तक पर छड़ की उपहति अथवा भेदने वाली उपहति देखा था। उसने आगे इनकार किया कि उसने पुलिस के समक्ष कथन किया था कि वह अपने पिता को देखने खादू साव के साथ शिवलाल साव के घर गया था।

अलियार यादव (अ० सा० 4) सूचक का चाचा है और न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया कि मृत शरीर देखने के बाद वह बाहर आया और हल्ला किया जिस पर अनेक व्यक्ति जमा हुए और जिनको उसने बताया कि अपीलार्थियों एवं इश्वरी भूइयाँ ने मनबोध यादव की हत्या की थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस के समक्ष यह भी कहा था कि मृत शरीर देखने पर उन्होंने हल्ला किया था। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 9 पर उसने कथन किया कि छट्ठू भूइयाँ तथा शिवलाल साव का महुआ पेड़ों से उद्भूत होने वाला विवाद और शिवलाल साव को उक्त पेड़ के कब्जा की अनुमति नहीं दी गयी थी। अ०सा० 4 के अभिसाक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि मृतक एवं अभियुक्तों के बीच दुश्मनी थी। दुश्मनी दोनों तरफ से थी।

त्रिवेणी राय (अ०सा० 6) मामले का अन्वेषण अधिकारी है। अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 9 पर उसने कथन किया है कि उसे मानव रक्त एवं अन्य रक्त के बीच अंतर करने का विचार नहीं था और उसने रासायनिक परीक्षण के लिए रक्त रंजित मिट्टी भेजे जाने से इनकार किया। उसने आगे मृतक के अग्र मस्तक पर छड़ अथवा सब्बल की उपहति के बारे में सूचक को सूचित करने से इनकार किया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि सूचक ने उसके समक्ष घर में अपराह्न 6 बजे देवन्ती देवी को देखने का कथन नहीं किया था बल्कि पश्चातवर्ती बयानों में ऐसा कहा था। पैरा 15 पर, उसने कहा कि उसने घटनास्थल पर पत्थर आदि पाया था किंतु केस डायरी में उल्लिखित नहीं किया था। इस गवाह ने आगे कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण 14 कि०मी० की दूरी पर मगही गावाँ में रहते है किंतु उसने विनिर्दिष्टत: कथन किया कि स्त्रियाँ पैतृक गृह में रहती हैं।

अ०सा० 8 डॉ० भरत माँझी ने मात्र डॉ० ज्वाला प्रसाद सिंह द्वारा तैयार किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट को सिद्ध किया है। शव परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के शरीर पर उपहतियाँ तेज नुकीले हथियार द्वारा संभव नहीं थी। उन्होंने इंगित किया कि उपहति सं० (i) से (iii) गिरने से संभव नहीं थी किंतु उपहति सं० (iv) गिरने से संभव थी। उन्होंने आगे मत दिया कि कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा विदीर्णता संभव हो सकती है। अत: उन्होंने मृतक का गला दबाने के संबंध में प्राथमिकी में किए गए संदेह को झुठलाया।

10. अभियोजन गवाहों के साक्ष्य से यह पता किया जा सकता था कि घटनास्थल प्राथमिकी से न तो प्रकट है और न ही सूचक अ०सा० 3 ने अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा विनिर्दिष्टत: कथन किया है। घटनास्थल पर अ०सा० 1 छट्ठू भूइयाँ की उपस्थिति भी संदेहपूर्ण है। अपीलार्थियों ने भी इस अ०सा० 3 की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह किया है क्योंकि उसने न्यायालय के समक्ष अपने पश्चातवर्ती बयान में मृतक द्वारा पायी गयी उपहतियों की अतिशयोक्ति करने का प्रयास किया है। अभिलेख पर उपलब्ध

सामग्री के सावधानीपूर्ण परिशीलन करने पर, हम इस निष्कर्ष पर आने में अक्षम हैं कि अभियोजन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि आधारित करने के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम हुआ है। अभिकथित घटना के साथ अपीलार्थियों को जोड़ने के लिए घटनाओं की श्रृँखला की अनुपस्थिति है। चिकित्सीय साक्ष्य भी चाक्षुक साक्ष्य के साथ असंगत है क्योंकि नुकीले हथियार (सब्बल) की उपहति नहीं पायी गयी थी। रक्तरंजित मिट्टी का गैर-परीक्षण भी अन्वेषण पर प्रश्न उठाता है। महत्वपूर्ण अभियोजन गवाहों अर्थात अ०सा० 1 एवं 3 का विरोधाभासी बयान अपीलार्थियों की दोषसिद्धि सुरक्षित करने में घातक सिद्ध हुआ है क्योंकि पुलिस के समक्ष तथा न्यायालय के समक्ष उनका बयान स्वयं विरोधाभासी है। अत: हमारा मत है कि अवर न्यायालय ने विपरीत निष्कर्ष पर आने में गलती किया है और इस दशा में, अपीलार्थीगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

11. इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए, अपीलार्थियों के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश संपोषणीय नहीं है और अपीलार्थीगण संदेह के लाभ के योग्य है। तद्नुसार, सत्र विचारण सं० 159 वर्ष 1990 में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 22.6.1992 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाता है और आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं, उन्हें उनके जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है और स्वतंत्र किया जाता है।

परिणामस्वरूप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजे जाएँ।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; vkuUn lu] U;k;efr

महेश महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 493 of 2003. Decided on 7th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 214 वर्ष 1999 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, बेरमो, तेनुघाट द्वारा पारित दिनांक 27.3.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 28.3.2003 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 307 एवं 498A–हत्या का प्रयास एवं क्रूरता–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील–घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है–प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब स्पष्ट नहीं किया गया–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया–संपूर्ण घटना संदेहपूर्ण प्रतीत होती है–किसी यातना के बारे में पुलिस रिपोर्ट नहीं है जो अभिकथित रूप से घटना के पहले हुई प्रतीत होती है जो भी अभियोजन मामले के प्रति संदेह सृजित करता है- अपीलार्थियों को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त।

(पैराएँ 15, 16 एवं 17)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Sahani, For the Appellants; Addl. P.P., For the State.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–सत्र विचारण सं० 214 वर्ष 1999 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, बेरमो, तेनूघाट द्वारा पारित दिनांक 27.3.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 28.3.2003 के दंडादेश

जिसके द्वारा अभियुक्त अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 एवं 498 A के अधीन अपराध करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है और सात वर्षों का कठोर करावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है से व्यथित होकर अपीलार्थियों अभियुक्त द्वारा यह अपील दाखिल की गयी है।

2. अभियोजन मामला यह है कि पीड़िता गीता देवी का विवाह 18.3.1998 को देबलाल महतो (अपीलार्थी सं॰ 3) के साथ हुआ था। यह अभिकथित किया गया है कि विवाहोपरांत समस्त अपीलार्थीगण जो पति के संबंधी है और स्वयं पति हीरो होन्डा मोटरसाइकिल तथा एक कलर टी॰वी॰ की मांग करने लगे। उक्त मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण उसे नियमित रूप से परेशान किया जाता था और यातना दी जाती थी और उस पर प्रहार भी किया जाता था। यह अभिकथित किया गया है कि जुलाई, 1998 में किसी समय उसे जहर मिश्रित चाय दी गयी थी, जिसे पीने से उसने इनकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसे बांधा गया था और प्रहार किया गया था। जब सूचक 17.10.1998 को अपराह्न 6 बजे घर साफ करने के बाद स्नान कर रही थी, उसका पति वहाँ आया और एक बाल्टी पानी मांगा। जब सूचक (पीड़ित) ने पानी निकालने के लिए कुआँ में बाल्टी डाला, पति ने सूचक से बाल्टी का रस्सी छीन लिया और जबरन उसको कुआँ में धकेल दिया। वह कुछ घास और पौधों जो कुआँ के अंदर थे पकड़ने में कामयाब हुई और वह मदद के लिए चिल्लायी। तब इन अपीलार्थियों ने काठ के लट्ठा तथा ईंट जैसे अन्य वस्तुओं से उस पर प्रहार किया। इन अपीलार्थियों के कृत्यों के कारण कुआँ से बाहर आने का उसका प्रयास असफल रहा। कुछ समय बाद उसने अपीलार्थियों को उसे मृत समझ कर जाते हुए सुना। वह घास एवं ईंट जो कुआँ की दीवार पर थे को पकड़ कर स्वयं को बचाने में सफल हुई। अपराह्न लगभग 9 बजे इस पीड़िता का बड़ा बहनोई (महेन्द्र महतो) किसी दिलीप महतो के साथ वहाँ आया और पीड़ित को जीवित देखकर उसको बचाया और उसे बाहर निकाला। बाहर आने के बाद, पीड़िता ने किसी दिनेश मिस्त्री के माध्यम से अपने माता-पिता को संदेश भेजा।

3. पूर्वोक्त फर्दबयान पर महुआ टांड पी॰एस॰केस सं॰ 44 वर्ष 1998 दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामला का अन्वेषण किया और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। मामले का संज्ञान लेने के बाद इसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्तों ने निर्दोषिता का अभिवचन किया।

4. अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया गया था। मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त प्राथमिकी प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित की गयी है।

5. अभियोजन का साक्ष्य बंद करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए थे।

6. अभियुक्तों द्वारा दो बचाव गवाह भी पेश किए गए थे।

7. तत्पश्चात्, आक्षेपित निर्णय के तहत, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498 A एवं 307 के अधीन अपराध करने का दोषी पाया और उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। चूँकि अभियुक्त अपीलार्थियों को दंड के रूप में सात वर्षों का कारावास प्रदान किया गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A के अधीन अपराध के लिए पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था।

8. मैंने अपीलार्थियों के अधिवक्ता एवं राज्य के ए॰पी॰पी॰ को सुना है।

9. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यदि साक्ष्य का समुचित रूप से संवीक्षण किया जाता है, यह केवल एक निष्कर्ष की ओर ले जाएगा कि ये अपीलार्थीगण निर्दोष हैं। यह निवेदन

किया गया है कि स्वयं प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है जो अभियोजन मामला पर प्रतिकूलता कारित करता है। यह निवेदन किया गया है कि यह तथ्य है कि पीड़िता कुआँ में गिर गयी किंतु उस तरीके से नहीं जैसा उसने बताया है। गवाह स्पष्टत: कथन करते हैं कि वह पानी निकालते हुए स्वयं कुआँ में गिर गयी। यह निवेदन किया गया है कि इस प्रकार, कल्पना के किसी विस्तार द्वारा अपीलार्थियों को उक्त अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि जुलाई, 1998 में चाय में जहर मिलाने का तथ्य किसी साक्ष्य द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है और अवर न्यायालय ने पीड़िता के उक्त बयान पर गलत रूप से विश्वास किया है क्योंकि उक्त घटना किसी को नहीं बतायी गयी थी।

10. विद्वान ए०पी०पी० निवेदन करते हैं कि संगत साक्ष्य है कि अभियुक्तगण दहेज मांग रहे थे जिसके लिए उसे कुआँ में धकेला गया था। यह पीड़िता का भाग्य था कि वह घास एवं पौधों जो कुआँ की दीवार पर थे को पकड़ने में सफल हुई ताकि उसे कुछ समय बाद कुआँ से बाहर निकाला जा सके। यह निवेदन किया गया है कि गवाहों द्वारा यातना सिद्ध की गयी है।

11. अ०सा० 1 गीता देवी है जो सूचक एवं पीड़िता है। अपने प्रति-परीक्षण में उसने संपूर्ण कहानी का समर्थन किया है जिसे उसने प्राथमिकी में कथित किया है। पीड़िता के अभिसाक्ष्य के मुताबिक उसे नियमित रूप से दहेज मांग के लिए यातना दिया जाता था और उसने बताया कि उसे जहर मिली चाय पीने के लिए दी गयी थी जिसे पीने से उसने इनकर कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसे पीटा गया था। उसने कथन किया कि अक्टूबर, 1998 में उसे पानी की बाल्टी लाने के लिए कहा गया था और जब वह कुआँ के निकट आयी और पानी निकालने के लिए बाल्टी कुआँ में डाला, इन अपीलार्थियों ने उसे कुआँ में धकेल दिया। उसे बाहर आने नहीं दी गयी थी क्योंकि इन अपीलार्थियों ने काठ का लट्ठा तथा ईंट फेंका और वह वहाँ लगभग तीन घंटा बनी रही। जब ये अपीलार्थीगण उसको मृत समझकर चले गए, महेन्द्र महतो एवं दिलीप महतो वहाँ आए और उसको बचाया। तत्पश्चात् उसने अपने माता-पिता को मामले की सूचना दी और अपने माता-पिता के घर गयी। इस गवाह अ०सा०1 (पीड़िता) के बयान की सत्यता की परीक्षा के लिए मैं अन्य गवाहों के बयान का परीक्षण करना चाहूँगा।

अ०सा० 4 महेन्द्र महतो है जो अभिकथित रूप से घटना स्थल पर पहुँचा और पीड़िता को बचाया। उसने कथन किया कि उस दिन पर किसी लड़की ने हल्ला किया कि कोई कुआँ में गिर गया है। उक्त समाचार सुनने पर, यह गवाह कुआँ की ओर दौड़ा और एक महिला को कुआँ के अंदर पाया। उसे बचाया गया था और इस महिला (सूचक) ने उसको बताया कि देबलाल ने उसको कुआँ में धकेला था। उसने कथन किया कि कुआँ उसके घर के निकट था और कुआँ के निकट अनेक घर थे और उन घरों में अनेक व्यक्ति रहते थे। कुआँ संपूर्ण समुदाय का है और कुआँ के चारदीवारी की ईंटें अत्यन्त पुरानी हो गयी थीं और काठ का लट्ठा जिसे कुआँ के उपर रखा गया था भी पुराना था। उसने कथन किया कि गाँव की औरतों ने उसे बताया कि गीता देवी कुआँ में गिर गयी जब उसने कुआँ पर रखे काठ के लट्ठा पर पैर रखा क्योंकि वह पुराना एवं जर्जर था। उसने कथन किया कि अनेक व्यक्तियों ने घटना देखा था। उसने कथन किया कि अभियुक्तगण गंगा राम महतो तथा देबलाल महतो समय के उस बिन्दु पर गाँव में उपस्थित नहीं थे। उसने कथन किया कि पीड़िता का गाँव में इलाज किया गया था।

अ०सा० 5 दिलीप कुमार महतो है। उसने कथन किया कि हल्ला सुनने पर कि कोई कुआँ में गिर गया है, वह महेन्द्र महतो के साथ वहाँ गया और अन्य की मदद से रस्सी से गीता देवी को बाहर निकाला। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया था। उसने कथन किया कि कुआँ सामुदायिक कुआँ है और पुराना है और कुआँ की चारदीवारी पुरानी थी और कुआँ पर रखा काठ का लट्ठा भी टूटा था।

अ०सा० 6 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है किंतु उसने कथन किया कि गीता देवी कुआँ में गिर गयी।

अ॰ सा॰ 7 पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

अ०सा० 8 डॉक्टर है जिसने गीता देवी का इलाज किया। उन्होंने 24.10.1998 को गीता देवी का इलाज किया। उन्होंने अग्रमस्तक तथा बायीं भौंह पर सिला जख्म पाया और दायीं छोटी उंगली पर भरा घाव का निशान पाया। उन्होंने कथन किया कि उनके पास आने के पहले गीता देवी का कहीं और इलाज किया गया था।

अ०सा० 3 पीड़िता का पिता है। उसने कथन किया कि सूचक को दहेज मांग के लिए यातना दी गयी थी। उसने कथन किया कि पीड़िता को बांधा गया था और कुआँ में फेंका गया था, बाद में उसे बचाया गया था। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि वह घटना के पहले अपनी पुत्री के ससुराल वालों से नहीं मिला था।

अ०सा० 2 पीड़िता का भाई है। उसने कथन किया कि वह अपनी बहन को इलाज के लिए राँची ले गया।

12. बचाव ने दो गवाहों को पेश करके साक्ष्य दिया है। अ० सा० 1 साइनाथ महतो है और ब०सा० 2 विशेश्वर महतो है।

ब० सा० 1 ने कथन किया कि उसने समय के किसी बिंदु पर नहीं सुना है कि अभियुक्त द्वारा दहेज मांगा गया था। उसने कथन किया कि उसने नहीं सुना है कि पीड़िता को कुआँ में धकेला गया था।

ब० सा० 2 ने कथन किया कि वह पंचायती का भाग था। उसने कथन किया कि पीड़िता के पिता ने 1,00,000/- रुपया मांगा है जिसका भुगतान करने से अभियुक्तों ने इनकार कर दिया। अभिकथित घटना के पहले अनेक बार पंचायती की गयी थी। उसने इस तथ्य से इनकार किया कि समय के किसी बिन्दु पर दहेज मांगा गया था।

13. साक्ष्य से, जिसे अभियोजन की ओर से दिया गया है, एक तथ्य प्रकाश में आया कि गीता देवी कुआँ में गिर गयी और उसे बचाया गया था।

14. अब प्रश्न यह है कि क्या इन अपीलार्थियों द्वारा गीता देवी को कुआँ में धकेला गया था अथवा वह स्वयं कुआँ में गिर गयी।

15. गीता देवी का बयान सुझाता है कि उसे रस्सी से बांधा गया था तथा अपराह्न 6 बजे कुआँ में फेंका गया था। उसके साक्ष्य के मुताबिक उसे अपराह्न 9 बजे बचाया गया था क्योंकि वह घास तथा ईंट जो कुआँ की दीवार पर थे को पकड़ने में सफल हुई। अ०सा० 4 एवं 5 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कुआँ सामुदायिक कुआँ था जिसके इर्द गिर्द अनेक व्यक्तियों के घर हैं। इनमें से किसी व्यक्ति ने इन अपीलार्थियों को पीड़िता को कुआँ में धकेलते नहीं देखा है। पीड़िता के शरीर पर कोई रस्सी बंधी नहीं पायी गयी थी जब उसे बचाया गया था जैसा अभियोजन मामला हैं कि उसे रस्सी से बांधने के बाद कुआँ में फेंका गया था। आगे यह साक्ष्य में आया है कि काठ का लट्ठा जिसे कुआँ पर रखा गया था काफी कमजोर था और गवाहों ने सुना है कि वह गिर गयी जब उसने काठ के लट्ठे पर कदम रखा था। आगे मैं पाता हूँ कि घटना 17.10.1998 को हुई थी, किंतु प्राथमिकी आठ दिन बाद 25.10.1998 को दर्ज की गयी थी। ऐसे विलंब का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे डॉक्टर जिन्होंने पीड़िता का परीक्षण किया था, उसका इलाज करने वाला पहला डॉक्टर नहीं था। उन्होंने कथन किया कि उनके इलाज करने के पहले उसका पहले ही इलाज किया था। इस प्रकार, यह संपूर्ण प्रसंग संपूर्ण घटना के बारे में संदेह सृजित करता है। इस प्रकार मैं पाता हूँ कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध नहीं कर सका था।

16. जहाँ तक दहेज मांग एवं यातना का संबंध है, पीड़िता के पिता के कथन किया है कि वह घटना के पहले अपनी पुत्री के ससुराल वालों से नहीं मिला था। इस प्रकार, उक्त बयान की दृष्टि में, यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि पीड़िता के पिता से कोई दहेज मांगा गया था। आगे, किसी यातना के बारे में पुलिस रिपोर्ट नहीं है, जो अभिकथित रूप से घटना के पहले दी गयी थी जो भी अभियोजन मामला के बारे में संदेह सृजित करता है। इस प्रकार, संपूर्ण रूप से विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध किया है।

17. पूर्वोक्त निष्कर्ष की दृष्टि में, सत्र विचारण सं॰ 214 वर्ष 1999 में विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, बरमों, तेनू घाट द्वारा पारित दिनांक 27.3.2003 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 28.3.2003 का दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थियों को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं, उन्हें उनके जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

18. तद्नुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

इम्तियाज अंसारी (5372 में)

मोजीबुल रहमान उर्फ मोजीबुर रहमान (5596 में)

शकीरूद्दीन (5642 में)

फिरोज आलम (5683 में)

शाहिद आलम (5880 में)

cuke

झारखंड राज्य (सभी में)

B.A. Nos. 5372, 5596, 5642, 5683, 5880 of 2017. Decided on 4th August, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 439–जमानत–भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147/148/149/323/324/307/427/295/120 B के अधीन अभियोजन-दोनों समुदायों के बीच शांति एवं सामंजस्य पुनर्स्थापित करने के लिए स्थानीय प्रशासन की प्रेरणा पर शांति कमिटी गठित की गयी है- अभियुक्तों द्वारा समाज की सेवा की सराहना न केवल दोनों समुदायों द्वारा की जाएगी, यह घायल व्यक्तियों को कुछ दिलासा भी देगा-अंतिम जमानत प्रदान किया गया।

(पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Ravi Prakash (in 5372), M/s B. M. Tripathi, Naveen Kumar Jaiswal (in 5596), Mr. Anupam Anand, (in 5642), M/s R.S. Mazumdar, Nishant Kumar Roy (in 5683), Mr. S. K. Upadhyay, (in 5880), For the Petitioners; Mr. Arun Kr. Pandey (in 5372), Pankaj Kumar (in 5596), Mr. Sanjay Kumar PandeyII (in 5880), For the State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए तथा अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

2. बी॰ए॰ सं॰ 5372 वर्ष 2017 में विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश याची के लिए उपस्थित होते हैं।

3. बी०ए० सं० 5596 वर्ष 2017 में, विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार जायसवाल द्वारा सहायित विद्वान अधिवक्ता श्री बी०एम० त्रिपाठी याची के लिए उपस्थित होते हैं।

4. बी०ए० सं० 5642 वर्ष 2017 में विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम आनन्द याची के लिए उपस्थित होते हैं।

5. बी०ए० सं० 5683 वर्ष 2017 में विद्वान अधिवक्ता श्री निशांत कुमार रॉय द्वारा सहायित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री आर०एस० मजूमदार याचीगण के लिए उपस्थित होते हैं।

6. बी०ए० सं० 5880 वर्ष 2017 में विद्वान अधिवक्ता श्री एस०के० उपाध्याय याची के लिए उपस्थित होते हैं।

7. ये समस्त जमानत आवेदन सदर पी० एस० केस सं० 272 वर्ष 2017 से उद्भूत होते हैं जिसे भा० दं० सं० की धाराओं 147/148/149/323/324/307/427/295/120 B के अधीन अपराधों के लिए 3.6.2017 को दर्ज किया गया था और अब पूर्वोक्त अपराधों को करने के लिए इन छह अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

8. विद्वान ए०पी०पी० ने केस डायरी में अनेक पैराग्राफों को निर्दिष्ट करते हुए और यह निवेदन करते हुए कि एक पाँच वर्षीय बालिका ने गम्भीर मस्तक उपहति पायी है, जमानत के प्रदान के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

9. किसी रामधन साहू की लिखित रिपोर्ट में अभिकथन प्रकट करते हैं कि 37 नामित अभियुक्तों ने 300-350 अज्ञात व्यक्तियों के साथ बारात पार्टी पर हमला किया जिसमें आठ व्यक्तियों को उपहतियाँ आयी, लगभग पाँच वर्षीया किसी सोम्या कुमारी घोर उपहति से पीड़ित हुई है। घायलों को रिम्स एवं मेडिका, राँची में भरती किया गया था। यह कथन किया गया है कि एक अन्य प्राथमिकी सदर पी०एस०केस०सं० 273 वर्ष 2017, 3.6.2017 को भा०दं०सं० की धाराओं 147/148/149/295/427/504 एवं 354 के अधीन अपराधों के लिए दर्ज की गयी थी। इस प्राथमिकी में 42 व्यक्तियों को 40-50 अज्ञात व्यक्तियों के साथ नामित किया गया है जिन्होंने विधिविरूद्ध जमाव निर्मित करके सांप्रदायिक भावना भड़काने का प्रयास किया। एक व्यक्ति के विरूद्ध अभिकथन यह है कि उसने फेसबुक पर एक आपत्तिजनक चित्र शेयर किया। यह कथन किया गया है कि दो समुदायों के लोगों के बीच मामला और प्रतिमामला था। इस प्रकार, घटना स्वीकार की गयी प्रतीत होती है। वर्तमान मामले में संपत्ति तथा धार्मिक स्थानों को भी विनष्ट करने का अभिकथन है। बी०ए० सं० 5372 वर्ष 2017 में याची दावा करता है कि वह व्यवसायी हैं बी०ए०सं० 5596 वर्ष 2017 में याची सी०एम०पी०डी० आई० के अधीन मुख्य ड्राफ्टमैन हैं बी०ए०सं० 5683 वर्ष 2017 में याची सं० 1 कलास्नातक (उर्दू) का छात्र है और याची सं० 2 हृदयरोग वाला लगभग 25 वर्षीय युवक है। समस्त याचीगण 4.6.2017 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। यह प्रतिवाद किया गया है कि किसी भी याची के विरूद्ध विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य नहीं बताया गया है।

10. यह कथन किया गया है कि दोनों समुदायों के बीच शांति एवं सामंजस्य पुनर्स्थापित करने के लिए स्थानीय प्रशासन की प्रेरणा पर शांति कमिटी गठित की गयी है। उक्त तथ्यों में, मेरा मत है कि अभियुक्तों द्वारा समाज की सेवा की सराहना न केवल दोनों समुदायों द्वारा की जाएगी, यह घायल व्यक्तियों को तसल्ली भी देगा। तद्नुसार, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उक्त नामित याचीगण अर्थात् (i) बी०ए०सं० 5372 वर्ष 2017 में इम्तियाज अंसारी, (ii) बी०ए०सं० 5596 वर्ष 2017 में मोजिबुल रहमान उर्फ मुजिबुर रहमान, (iii) बी०ए०सं० 5642 वर्ष 2017 में शकीरूद्दीन, (iv) बी०ए०सं० 5683 वर्ष 2017 में फिरोज आलम तथा मो० अमन और (v) बी०ए०सं० 5880 वर्ष 2017

में साहिद आलम को सदर पी०एस०सं० 272 वर्ष 2017, जी०आर० सं० 2811 वर्ष 2017 के तत्सम, के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची की संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ प्रत्येक के द्वारा 10,000 (दस हजार) रुपया का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अंतिम जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:–

(i) o fo'k"k ifjfLFkfr;k dk NkM dj fu;fer :i l fopkj.k U;k;ky; d le{k mifLFkr gkxA

(ii) o U;k;ky; dh io vuefr d fcuk viuk fuokl LFkku ugh cnyxA

(iii) mue l iR;d fopkj.k U;k;ky; e 15,000@& #i;k tek djxk] ft le l 20,000/- #i;k lkE;k dekjh dk fn;k tk,xk vkj vU; lkr 0;fDr;k e l iR;d dk 10,000/- #i;k fn;k tk,xkA

(iv) o fjEl jkph vèkh{kd d le{k 3-10-2017 rFkk 6-11-2017 dk ikr% 8-30 ct fjikV djx tk bu 0;fDr;k d lefpr lR;kiu ij mUg rhu ?kVk d fy, e[; }kj ij ;krk;kr 0;oLFkk d fy, vFkok vk0ih0Mh0 e ejhtk dk lHkkyu d fy, rukr djxA vèkh{kd] fjEl] }kjk vUo"k.k vfèkdkjh dk fjikV iLrr fd;k tk,xk tk luokb dh vxyh frfFk d igy ;kphx.k d vkpj.k ij 'kiFki= nkf[ky djxkA

11. इन मामलों को 14.12.2017 को रखा जाए। इस आदेश की प्रति फैक्स के माध्यम से विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

12. इस आदेश की प्रति अनुपालन के लिए अधीक्षक, रिम्स, राँची तथा वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची को भेजी जाए।

---

ekuuh; inhi dekj ekgUrh ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

भागवत मंडल

cuke

झारखंड राज्य

Criminal (Jail) Appeal (D.B) No.62 of 2010. Decided on 10th August, 2016.

एस॰ सी॰ सं॰ 45 वर्ष 2004 में सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 10.9.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 302-हत्या-दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील-अभियोजन ने कार्यकल्प की सच्ची स्थिति प्रकट नहीं किया है–घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है- गवाहों ने अभियुक्त को घटनास्थल से भागते नहीं देखा था–हथियार न्यायालय में पेश किया गया था किंतु इसे न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था–अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है- दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त।

(पैराएं 14, 20 से 24)

अधिवक्तागण.–Mr. Ajay Kumar Pathak, For the Appellant; Mr. Gouri Shankar Prasad, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील सत्र मामला सं॰ 45 वर्ष 2004 में सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 10.9.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी

को आजीवन कारावास भुगतने तथा 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और इसके व्यतिक्रम में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि 20.10.2003 को प्रातः 10 बजे सूचक अपनी पुत्री राखी कुमारी के साथ लकड़ी इकट्ठा करने घर से बाहर गयी थी। यह अभिकथित किया गया है कि प्रातः 11.30 बजे जब सूचक अपने घर लौटी और आंगन में घुसी, उसने सूचक की सास अगोरी देवी का हल्ला सुना और तत्पश्चात् सूचक अपनी पुत्री के साथ उस दिशा में गयी जहाँ हल्ला हो रहा था। आगे अभिकथित किया गया है कि सूचक अपने सास के कमरा में घुसी और देखा कि देवर भागवत मंडल (मृतका का पुत्र) दाव' से अगोरी देवी (मृतका) पर प्रहार कर रहा था और मृतका गिर गयी। तत्पश्चात् सूचक एवं उसकी पुत्री चिल्लाने लगी और भागवत मंडल से भी पूछा, जिसपर अभियुक्त ने उत्तर दिया कि उसने अपनी माता अगोरी देवी की हत्या कर दी है। आगे यह अभिकथित किया गया है कि सूचक का हल्ला सुनकर गाँववाले वहाँ जमा हुए और अभियुक्त 'दाव' के साथ अरहर खेत की उत्तरी दिशा की ओर भाग गया। यह अभिकथित किया गया है कि सूचक ने गौर किया कि उसकी सास की मृत्यु हो गयी थी और उसने अपनी गर्दन, बाएँ कान, मस्तक पर उपहति पाया था और खून बह रहा था। आगे अभिकथित किया गया है कि भागवत मंडल मृतका से झगड़ा करता था क्योंकि वह धन मांग रहा था, किंतु मृतका ने इसका भुगतान करने में अपनी अक्षमता दर्शाया।

3. इस पर, पुलिस सब इंस्पेक्टर देवेन्द्र प्रसाद सिंह (अ०सा०12) ने सूचक का फर्दबयान (प्रदर्श 5) दर्ज किया। उक्त फर्दबयान (प्रदर्श 5) के आधार पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 6) लिखी गयी थी और अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला दर्ज किया गया था। देवेन्द्र प्रसाद सिंह (अ०सा० 12) ने स्वयं अन्वेषण किया, जिसके दौरान उसने मृतका अगोरी देवी के मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 1) तैयार किया। तत्पश्चात् मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ० विनय शरण (अ०सा० 11) द्वारा किया गया था जिन्होंने शव परीक्षण करने पर मृत शरीर पर निम्नलिखित उपहति पाया।

(i) xnu d ck,¡ Hkkx ij leLr xgjh ljpuk dkVrk gvk 4" × 2½" × 2" dk dVu dk t[e

(ii) dVu dk t[e 1½" × 1/4" × vfLFk rd xgjk

(iii) dVu dk t[e 1" × 1/4" × vfLFk rd xgjk

(iv) dVu dk t[e 1½" × 1/4" × vfLFk rd xgjk

(v) vMjykbu vfLFk dkVr g, dVu dk t[e 2½" × 1/4"

(vi) dVu dk t[e 2" × 1/4" × vfLFk rd xgjk

(vii) dVu dk t[e 2" × 1/4" × vfLFk rd xgjk

(viii) dVu dk t[e 1½" × 1/4" ekl i'kh rd xgjk

(ix) ck;h vk[k dh leLr ljpuk dkVr g, dVu dk t[e 3"x 1/2" × 1½"

(x) nk;h vk[k d uhp dVu dk t[e 1" × 1/4" vfLFk rd xgjk

(xi) dk.k d fudV efMcy d ck,¡ Hkkx dk ÝDpj

(xii) ckg; ekM d fudV nkuk Hkkxk ij (iv), (v) ,o (vi) il yh dk ÝDpj

विच्छेदन करने पर पेरिकार्डियल कैविटी खून से भरा था। दायाँ एवं बायाँ फेफड़ा विदीर्ण था।

4. डॉक्टर ने इस मत कि मृत्यु का कारण उपहति सं० XII के परिणामस्वरूप आघात एवं हेमरेज था के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 4) जारी किया।

5. मृत्यु कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा और तेज धार वाले हथियार द्वारा भी कारित हुई थी जिसे घातक पाया गया था।

6. इस बीच, अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 8) के अधीन खून से सना रक्तरंजित मिट्टी जब्त किया। उसने गवाहों का बयान भी दर्ज किया।

7. अन्वेषण पूरा होने पर, अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था और अपराध का संज्ञान किया गया था जिसका मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर विचारण किया गया था।

8. बचाव विवरण अपने विरूद्ध लगाए गए आरोप से पूर्ण इनकार का है।

9. अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने डॉक्टर (अ०सा० 11) जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शवपरीक्षण किया सहित कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया। बचाव ने भी पाँच गवाहों का परीक्षण किया है। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन करने के बाद तथा गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने के बाद वर्तमान अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसको आजीवन कारावास भुगतने तथा 1000/– रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और व्यतिक्रम में एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

10. अ०स० 1 कारू मोंडन ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया था, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दुकानदार है और जब वह दोपहर 1.30 बजे अपने घर लौटा, उसने सुना कि भागवत मंडल ने अपनी माता की हत्या कर दी है। अ० सा० 2 भूदेव मंडल अनुश्रुत गवाह है। उसने कहा कि जब वह अपने घर लौटा, उसने सुना कि भागवत मंडल ने अपनी माता की हत्या कर दी है। अ०सा० 3 विनोद मंडल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दुमका में सहग्रामीणों से सुना कि उसकी माता की हत्या कर दी गयी थी और उसकी उपस्थिति में पुलिस ने रक्तरंजित मिट्टी जब्त किया और अभिग्रहण सूची तैयार किया। अ०सा० 4 गोपाल मंडल अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया है। अ०सा० 5 राखी कुमारी जो सूचक की पुत्री है और अ०सा० 6 बिजली देवी जो सूचक है दोनों चश्मदीद गवाह हैं जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था। अ० सा० 7 परमेश्वर मंडल, अ०सा० 8 विनोद यादव, अ०सा० 9 हरधन मंडल, अ०सा० 10 लखपाल मंडल समस्त को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है। अ०सा० 11 डॉ० विनय शरण ने मृतका का शवपरीक्षण किया और अ०सा० 12 देवेन्द्र प्रसाद सिंह इस मामले में अन्वेषण अधिकारी है।

11. सूचक की सास अगोरी देवी का हल्ला सुनने पर सूचक अपनी पुत्री राखी कुमारी (अ०सा० 5) के साथ उस दिशा में गयी जहाँ हल्ला हो रहा था और सूचक अपनी सास के कमरा में गयी और देखा कि देवर भागवत मंडल (मृतका का पुत्र) अगोरी देवी (मृतका) पर 'दाव' से प्रहार कर रहा था और कि मृतका गिर गयी। तत्पश्चात् सूचक एवं उसकी पुत्री राखी कुमारी चिल्लाने लगे और भागवत मंडल से भी पूछा जिस पर अभियुक्त ने उत्तर दिया कि उसने अगोरी देवी की हत्या कर दी है। सूचक के हल्ला करने पर, गाँववाले वहाँ जमा हुए और अभियुक्त 'दाव' के साथ अरहर खेत की उत्तरी दिशा में भाग गया।

12. अभियोजन मामला बंद होने पर, जब अपीलार्थी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसके विरूद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य के बारे में पूछा गया था, उसने इनकार किया।

13. इस पर विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी पाया और दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

14. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार पाठक निवेदन करते हैं कि यद्यपि अभियोजन चश्मदीद गवाहों (अ०सा०5 एवं 6) के माध्यम से इस मामले के साथ आगे आया है कि अपीलार्थी जो अपने हाथ में 'दाव' लिए था, द्वारा अगोरी देवी पर प्रहार किया गया था किंतु उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में मृतका के शरीर पर उपहति के संबंध में एक शब्द नहीं कहा है। डॉ० विनय शरण (अ० सा० 11) जिन्होंने मृतका का परीक्षण किया था और तेज धार वाले हथियार द्वारा तथा कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा भी कारित उपहतियाँ पाया था, तद्द्वारा यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियोजन सच्चे विवरण के साथ नहीं आया है।

15. आगे यह निवेदन किया गया था कि डॉक्टर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने यह कथन कभी नहीं किया था कि उपहति सं० (XII) मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और तद्द्वारा अपीलार्थी भागवत मंडल की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि निश्चय ही दोषपूर्ण है।

16. इसके विरूद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चश्मदीद गवाह अ० सा० 6 सूचक सहित समस्त गवाहों का साक्ष्य और डॉक्टर का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है और तद्द्वारा उन गवाहों का साक्ष्य त्यक्त नहीं किया जा सकता है।

17. वह आगे निवेदन करते हैं कि उपहति जिसे मृतक के शरीर पर कारित किया गया था, 'दाव' (तेज धार वाला हथियार) द्वारा कारित की गयी थी। अत:, अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में अवैधता नहीं है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में पूर्णत: न्ययोचित था जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

18. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर इस अपील को दाखिल किया है।

19. मामले के गुणागुण पर आते हुए, हमने पहले ही गौर किया है कि अभियोजन उस मामले के साथ आया है जिसे गवाहों अ०सा० 5 एवं 6 द्वारा परिसाक्ष्यित किया गया है, यद्यपि अ० सा० 5 एवं 6 चश्मदीद गवाह हैं, किंतु अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने इनकार किया है और पक्षद्रोही हो गए हैं और कथन किया है कि जब वे लौटे और घटना स्थल पर गए, उन्होंने मृत शरीर पड़ा पाया और मृतक के मस्तक पर, उपहति देखा दोनों चश्मदीद गवाहों ने मृतक पर प्रहार के बारे में कुछ नहीं कहा था और इसके अतिरिक्त, उन्होंने घर में किसी को नहीं देखा था। अ०सा० 1 सह ग्रामीण और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है ने प्रदर्श 1 सिद्ध किया है और सह ग्रामीण अ०सा०2 से घटना के बारे में सुना जब वह अपने घर लौटे। अ०सा० 3 मृतका का पुत्र है और अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2) सिद्ध किया है। अ० सा० 2 एवं 7 को गाँववालों से मृतका की हत्या के बारे में जानकारी हुई। अ०सा० 11 ने शव परीक्षण किया

और रिपोर्ट तैयार किया और मत दिया कि मृतका को तेज धारदार हथियार से कटने की उपहति आयी थी और शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 4) सिद्ध किया। अ०सा०12 अन्वेषण अधिकारी है, जिसने गवाहों का परीक्षण किया और मामले का अन्वेषण किया और भा० दं० सं० की धारा 302 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया। हथियार 'दाव' अन्वेषण अधिकारी द्वारा जब्त एवं सिद्ध किया गया था।

20. संपूर्ण साक्ष्य के संवीक्षण से, यह सुस्पष्ट है कि किसी ने घटना नहीं देखा था और दोनों गवाहों अ०सा० 5 एवं 6 ने अभियुक्त को घटनास्थल से भागते नहीं देखा था और हथियार जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था, डॉक्टर के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

21. आगे कथन किया गया है कि हथियार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था किन्तु न्यायायिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। रक्तरंजित मिट्टी के संबंध में न्यायालयिक प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी थी।

22. उक्त साक्ष्य से, यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। अत:, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है।

23. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी जो लगभग 13 वर्षों से अभिरक्षा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

24. इस प्रकार अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

नन्द किशोर दूबे

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 4488 of 2006. Decided on 31st July, 2017.

बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973–धारा 5–किराया रसीदों को चुनौती–राजस्व प्राधिकारी को पक्षों के विरोधी दावा सहित जटिल विधिक विवाद्यकों को विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं है–याची को सक्षम अधिकारिता के समुचित सिविल न्यायालय के समक्ष उपचार इप्सित करने की स्वतंत्रता दी गयी। (पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–2012 (4) JLJR 210—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Sidhartha Roy, For the Petitioner; Mr. Sahil, For the State; M/s Indrajit Sinha, Vipul Poddar, For Resp. No. 4.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका किसी करमा लोहार के पक्ष में प्रश्नगत भूमि के लिए किराया रसीद जारी किए जाने को चुनौती देते हुए दाखिल की गयी है।

3. रिट याचिका में यथा कथित मामले का ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि ग्राम पिर्रा के भूखंड सं० 533, खाता सं० 71 के अधीन 54 डिसमिल भूमि खतियान में मकेश्वर राम दूबे के नाम में दर्ज की गयी थी। उक्त भूमि अधबटाइदार के रूप में किसी बुक्का लोहार के पक्ष में दर्ज की गयी थी। जमीन्दारी

समाप्त होने के बाद, अभिलिखित रैयत ने बुक्का लोहार से भूमि का कब्जा लिया, रिटर्न दाखिल किया और मामला सं॰ 1065 R - 08-1953-56 में स्वर्गीय मकेश्वर राम दूबे के पक्ष में लगान नियत किया गया था। तत्पश्चात्, अभिलिखित रैयत प्रश्नगत भूमि पर काबिज हुआ और याची उक्त स्वर्गीय मकेश्वर राम दूबे का विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते 1956 से प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज है। अद्धबटाईदार के पुत्र करमा लोहार ने अपर समाहर्ता, राँची के समक्ष अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील सं॰ 11 R - 15 1964-65 दाखिल किया। पूर्वोक्त अपील अपोषणीय के रूप में दिनांक 1.3.1966 के आदेश के तहत अस्वीकार की गयी थी। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 तुच्छ आधारों पर दं॰प्र॰सं॰ की धारा 144 के अधीन बार-बार मामलों को दाखिल करके याची को परेशान कर रहा है और सबडिविजनल दंडाधिकारी, राँची ने बार-बार मामले में मध्यक्षेप किया और याची के पक्ष में मामला विनिश्चित किया। प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने उसी भूमि के लिए अभिधान वाद सं॰ 188 वर्ष 2005 दाखिल किया और यह मुंसिफ के न्यायालय, राँची में लंबित है और वाद के लंबित रहने के दौरान, अंचलाधिकारी ने कोई नोटिस जारी किए बिना अथवा कोई कार्यवाही आरंभ किए बिना करमा लोहार के पक्ष में किराया रसीद जारी किया। याची को यह जानकारी भी हुई कि करमा लोहार के उत्तराधिकारी ने दिनांक 4.10.2004 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के फलस्वरूप भूमि-प्रत्यर्थी सं॰ 4 तथा किसी जहीर अंसारी के पक्ष में बेचा। पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 को करमा लोहार के पक्ष में किराया रसीद जारी करने से अवरूद्ध किया जा सकता है।

4. प्रत्यर्थी सं॰ 4 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ ने करमा लोहार के उत्तराधिकारी से दिनांक 4.10.2004 के विक्रय विलेख के फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि खरीदा है जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 4 और किसी जहीर अंसारी के पक्ष में बेचा गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने प्रश्नगत भूमि पर अभिधान की घोषणा के लिए पहले ही अभिधान वाद सं॰ 188 वर्ष 2005 दाखिल किया है जो मुंसिफ के न्यायालय, राँची में लंबित है और इसलिए, प्रत्यर्थी सं॰ 4 प्रश्नगत भूमि का विधिपूर्ण स्वामी है। प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने सही प्रकार से राजस्व अभिलेख में याची का मध्यक्षेप ग्रहण नहीं किया है।

5. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 की ओर से दाखिल प्रति शपथपत्र पर विश्वास करते हुए निवेदन करते हैं कि ग्राम पिरो, पी॰एस॰ राँची (अब रातू), पी॰एस॰सं॰ 93, खाता सं॰ 71, भूखंड सं॰ 533, क्षेत्रफल 54 डिसमिल, खेवट सं॰ 2/8 के अधीन भूमि चरकू लोहार के पुत्र बुक्का लोहार के नाम में कैमी के रूप में दर्ज की गयी है। खतियान में यथा उल्लिखित भूस्वामी का नाम मकेश्वर राम दूबे है। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी मामला सं॰ 45 R8 वर्ष 1960-61 के निर्देश को उल्लिखित करते हुए बुक्का लोहार के पुत्र करमा लोहार और मोहन लोहार के पुत्रों शिवधन लोहार तथा रामचरण लोहार के नाम में रजिस्टर II, वॉल्यूम I, पृष्ठ सं॰ 73 में सृजित की गयी है। रजिस्टर II में यह उल्लिखित किया गया है कि 1984-85 से 2003-04 तक किराया रजिस्टर II के रैयतों से वसूल किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी बुक्का लोहार के पुत्र करमा लोहार तथा मोहन लोहार के पुत्रों शिवधन लोहार तथा रामचरण लोहार के नाम में चल रही है। खरीदारों सज्जाद खान (प्रत्यर्थी सं॰ 4) तथा जहीर अंसारी के नाम में जमाबंदी रजिस्टर II में सृजित नहीं की गयी है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर तथा अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि बुक्का लोहार के पुत्र करमा लोहार तथा मोहन लोहार के पुत्रों शिवधन लोहार एवं रामचरण लोहार के नाम रजिस्टर II में दर्ज किए गए हैं। न तो याची का और न ही प्रत्यर्थी सं॰ 4 का नाम रजिस्टर II में आता है। इसके अतिरिक्त, अभिधान वाद सं॰ 188 वर्ष 2005 प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा दाखिल किया गया है जिसे मुंसिफ के न्यायालय राँची में लंबित बताया जाता है। उक्त स्थिति में, प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने सही प्रकार से करमा लोहार के पक्ष में लगान रसीदों को जारी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका ग्रहण नहीं किया है।

7. इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **''महाबीर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य,** 2012 (4) JLJR 210, मामले में बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख–रखाव) अधिनियम, 1973 (इसमें इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) के प्रावधानों के अधीन राजस्व प्राधिकारी की अधिकारिता पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिधारित किया है;–

> *^^26- lkjr%] ukekrj.k dk;okgh dk lhfer foLrkj g tgk rd blds iHkko dk lcèk g vkj ukekrj.k dk;okgh dk i;ktu Lo; vfèkfu;e o"k 1973 l vR;Ur Li"V g tk lkjoku :i l l>krk g fd ;g jkT; ,o jktLo ikfèkdkfj;k d fgr dh lj{kk dju d fy, dk;okgh g rkfd jkT; Ñf"k Hkfe ij 0;fDr;k dk vfèkdkj tku ld vkj tc ,d ckj jktLo vfHky[k e ukek dk ifo"V fd;k tkrk g] mUg doy vfèkfu;e o"k 1973 dh èkkjkvk 3 l 13 e mfYyf[kr dkj.kk l ifjofrr fd;k tk ldrk gA mDr fufn"V ikoèkku gdnkjh d lcèk e xHkhj fookfnr ekeyk e ?kk"k.kk iku d fy, vk'kf;r ugh g vkj] blfy,] vfèkfu;e o"k 1973 dh èkkjk 5 e fofufn"Vr% ikoèkkfur fd;k x;k g fd tc flfoy ifØ;k lfgrk d vèkhu ?kfr vFkok mld Hkkx dk dCtk fMØh d fu"iknu e fMØh èkkjd dk vFkok U;k;ky; uhykeh foØ; e [kjhnkj dk fn;k x;k g vFkok tc cVokjk d fy, vFkok cèkd d ijkcèk d fy, vfre fMØh ikfjr dh x;h g] fMØh fu"ikfnr dju okyk U;k;ky; vFkok cVokjk ;k ijkcèk d fy, vfre fMØh ikfjr dju okyk U;k;ky; ;FkkfLFkfr] {k= d vpykfèkdkjh dk fofgr Qke e rF; dk ukfVl Hkh nxkA vpykfèkdkjh dk U;k;ky; dh fMØh vkj vfèkfu;e o"k 1973 d vèkhu vFkok vU;Fkk dCtk d ikfj.kkfed iHkko dk ifjofrr vFkk mikrfjr vFkok voKk dju dh vfèkdkfjrk ugh gA dk;okgh dh iÑfr rFkk jktLo vfHky[k e 'kf) dju dh vpykfèkdkjh dh lhfer vfèkdkfjrk ij fopkj djr g,] vpykfèkdkjh dk lifÙk e vfèkdkj] vfHkèkku vFkok fgr dh ?kk"k.kk dh fMØh vFkok vkn'k ikfjr dju vFkok vrj.k vFkok tekcnh d fy[kr dh fofèkdrk ,o oèkrk d ckj e ?kk"k.kk dju vFkok fookfnr mÙkjkfèkdkj ekeyk dk fook|d fofuf'pr dju dh 'kfDr ,o vfèkdkfjrk ugh g tk 'kfDr Hkkjrh; mÙkjkfèkdkj vfèkfu;e d ikoèkkuk d vèkhu flfoy U;k;ky;k e fufgr gA***

8. अब यह सुस्थापित विधि है कि अधिनियम वर्ष 1973 की योजना के अधीन राजस्व प्राधिकारी को पक्षों के विरोधी दावा सहित जटिल विधिक विवाद को विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने पहले ही प्रश्नगत भूमि के लिए अभिधान वाद दाखिल किया है जिसे मुंसिफ के न्यायालय, राँची में लंबित बताया जाता है, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थी सं॰ 3 ने सही प्रकार से करमा लोहार के पक्ष में किराया रसीदों को जारी किए जाने को चुनौती

देते याची के अनुरोध प्रत्युत्तर देने से इनकार किया है, विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि में कि करमा लोहार, शिवधन लोहार तथा रामचरण लोहार का नाम रजिस्टर II में दर्ज किया गया है।

9. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं वर्तमान रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है। याची, यदि उसे सलाह दिया जाता है, सक्षम अधिकारिता के समुचित सिविल न्यायालय के समक्ष उपचार इप्सित कर सकता है। किंतु, यह संप्रेक्षित किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका की खारिजी राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष लंबित अभिधान वाद में किसी पक्ष के मामले पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगी।

---

ekuuh; inhi dekj ekgUrh] e[; U;k;kèkh'k ,o vkuUn lu] U;k;efr

बिमला देवी

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B) No.1261 of 2004. Decided on 7th June, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 37 वर्ष 2004 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय-1 चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 24.6.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 26.6.2004 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 302–हत्या–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील–चश्मदीद गवाह का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया–पक्षद्रोही गवाहों का साक्ष्य पूर्णत: त्यक्त नहीं किया जा सकता है–अभियोजन ने अपीलार्थी का दोष युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है–अपील खारिज। (पैराएँ 10 से 14)

निर्णयज विधि.–(2011) 9 SCC 479—Relied.

अधिवक्तागण.–Ms. Shewta Singh, For the Appellant; Mrs. Sadhna Kumar, For the State.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–वर्तमान दांडिक अपील मुफ्फसिल पी॰एस॰ केस॰ सं॰ 128 वर्ष 2003, जी॰आर॰सं॰ 482 वर्ष 2003 के तत्सम, से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं॰ 37 वर्ष 2004 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट 1, चाइबासा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 24.6.2004 तथा 26.6.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपीलार्थी को हत्या करने का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. दासुन देवी (अ॰सा॰ 6) के फर्दबयान पर आधारित अभियोजन का मामला यह है कि 26.11. 2003 को वह दोपहर लगभग 12 बजे अपनी पुत्री रीता देवी (मृतका) के साथ स्नान करने के लिए खेत्रो तालाब गयी थी। स्नान के बाद उसने रीता देवी की संतान को अपनी गोद में लिया और तालाब के किनारे बैठी हुई थी। जब रीता देवी स्नान कर रह थी, बिमला देवी (सुरेश साव की दूसरी पत्नी) वहाँ आयी और उसको ईंट से मारा किंतु यह उसको नहीं लगा। पुन: बिमला देवी ने एक और ईंट फेंकने का प्रयास किया किंतु रीता देवी वहाँ से भाग गयी और एक आदिवासी के घर में चली गयी। बिमला देवी ने अपने हाथ में चाकू लेकर रीता का पीछा किया और अंतत: उसे पकड़ लिया। सूचक ने रीता को छुड़ाने का प्रयास किया किंतु बिमला ने उसकी छाती पर चाकू से प्रहार किया और भाग गयी। रीता को अस्पताल ले जाया गया था किंतु इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

3. पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, मुफ्फसिल पी०एस०केस सं० 128 वर्ष 2003 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया। अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जिसे एस०टी० सं० 128 वर्ष 2003 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

5. इस मामले में कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया गया था। अभियोजन गवाहों के परीक्षण के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण किया गया था। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दिया था।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अधिमूल्यन के बाद अपीलार्थी को अपराध का दोषी पाया और तद्नुसार, दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया और उसको आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जो यहाँ चुनौती के अधीन है।

7. हमने अपीलार्थीं के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए०पी०पी० को सुना है और मामले के अभिलेख का परीक्षण किया है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का इस आधार पर विरोध किया है कि किसी भी गवाह ने घटना नहीं देखा है बल्कि आदिवासी गृह जहाँ चाकू मारने की घटना हुई के निवासियों को इस मामले में पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि घटनास्थल के संबंध में अभियोजन गवाहों का विवरण एक-दूसरे के विरोधाभासी है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि एक ओर सूचक ने कथन किया कि मृतक पर घर के बाहर प्रहार किया गया था, किंतु इसी समय पर आदिवासी गृह के निवासियों ने कथन किया कि अभियुक्त मृतका का पीछा करते हुए उनके घर में घुसी थी।

9. दूसरी ओर, विद्वान ए०पी०पी० ने अपीलार्थी के तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि जिस तरीके से अ०सा० 3, 4 एवं 5 ने अपना बयान दिया है, वह दर्शाता है कि वे अभियुक्त की सहायता कर रहे थे। उन्होंने आगे कथन किया कि अ०सा० 3, 4 एवं 5 ने कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतका का पीछा किया था और वह बेहोश दशा में उनके घर में पड़ी थी और उन्होंने अन्य व्यक्तियों की मदद से मृतका को उठाया और उसे पेड़ के नीचे रखा जो दर्शाता है कि घटना उनके घर में हुई थी। हत्या के पीछे का हेतु भी अभियोजन गवाहों द्वारा यह कथन करके पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया है कि मृतका अभियुक्त की सौतन थी और अ०सा० 8 उसको भरण-पोषण नहीं दे रहा था जिससे वह मृतका तथा अ०सा० 8 दोनों से चिढ़ी हुई थी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि मृत्यु तेज धार वाले हथियार, शायद चाकू, द्वारा कारित की गयी थी जो अन्य गवाहों का साक्ष्य संपुष्ट करता है। इन निवेदनों पर उन्होंने इस अपील की खारिजी की प्रार्थना किया।

10. अभिलेख से हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि यद्यपि अ०सा० 3 एवं 4 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, फिर भी उन्होंने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि उन्होंने मृतका को अपने घर में बेहोश दशा में देखा और तत्पश्चात उसे घर से बाहर लाया गया था और पेड़

के नीचे रखा गया था। उन्होंने यह कथन भी किया कि उन्होंने इस अपीलार्थी को घर में घुसते देखा है। चश्मदीद गवाह अ०सा० 6 ने घटना का वर्णन दिया है और कथन किया है कि इस अपीलार्थी ने मृतका का पीछा किया और आदिवासी के घर में घुसी। अपीलार्थी भी घर में घुसी और मृतक पर उपहति कारित करने के बाद चली गयी।

11. आगे अ०सा० 3, यद्यपि उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया ने कथन किया कि इस अपीलार्थी ने मृतका का पीछा किया था। इस प्रकार, इस अपीलार्थी द्वारा पीछा करने के बिन्दु पर सूचक एवं गवाह (अ०सा० 3) का साक्ष्य संगत है। चश्मदीद गवाह अ०सा० 6 ने कथन किया कि मृतका की छाती पर चाकू से प्रहार किया गया था। डॉ० ललित मिंज, अ०सा० 7 जिन्होंने शवपरीक्षण किया निम्नलिखित उपहति पाया:–

^^ck, eè; rrh; Dyfody d 2" uhp bfyifIVy gMMh t[e dk vkdkj 1" × 1/2" × 6" xgjk

*foPNnu ijh rrh; ,o prFk ck, dkLVy ilyh d chp ekli'kh dVh gb Fkh] ck, QQM dk ck;k mijh uhpk Hknk gvk ik;k x;k FkkA ifjdkfV;y Lil [ku l Hkjk ik;k x;k FkkA ck;h èkeuh fNfnr ik;k x;k FkkA vU; foljk lekU; ik, x,A iV&ikuh Hkjk] xHkk'k; NkVk pkjk gkFk ij e 'ko dh vdMu ektn***

डॉक्टर ने मत दिया कि मृत्यु चाकू जैसे तेज धार वाली वस्तु द्वारा कारित उपहति के कारण हुई थी।

12. इस प्रकार, हम पाते हैं कि चश्मदीद गवाह अ०सा० 6 का साक्ष्य डॉक्टर के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है।

13. अ०सा० 8 मृतका का पति तथा अपीलार्थी का भी पति है (गौर किया जाए कि अ०सा० 8 की दो पत्नियां थी) जिसने कथन किया कि उसने मृतका को आदिवासी के घर के निकट पेड़ के नीचे घायल दशा में देखा। अ०सा० 6 ने प्रकट किया कि इस अपीलार्थी ने मृतका पर चाकू से वार किया। मृतका आदिवासी के घर के बाहर पेड़ के नीचे पड़ा पाया गया था जो उसके साक्ष्य से भी संपुष्टि पाता है। अ०सा० 3 ने पक्षद्रोही घोषित किए जाने के बाद प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर वह अपनी मित्र मोची कुनकल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी और समय के उस बिन्दु पर एक महिला मदद के लिए चिल्लाती हुई घर में घुसी और चाकू लिए एक अन्य महिला द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। उसने यह कथन भी किया कि दूसरी महिला जो पहली महिला का पीछा कर रही थी ने पहली महिला पर चाकू का वार किया। उसने आगे पुलिस के समक्ष कथन किया कि घायल महिला की माता ने कहा कि बिमला देवी द्वारा रीता देवी पर प्रहार किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि वे घायल को अपने घर के बाहर ले गए और उसे घर के बाहर रखा। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय में अपीलार्थी को उस महिला के रूप में पहचाना जिसने मृतका का पीछा किया था। अ०सा० 3, यद्यपि उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया, का यह बयान त्यक्त नहीं किया जा सकता है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मृणाल दास एवं अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य, (2011) 9 SCC 479,** मामले में पैराग्राफ 67 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^;g lLFkkfir fofèk g fd vijkèk dh dkfjrk d lcèk e i{knkgh xokg dk li"V fd;k x;k lk{; dk Hkkx xg.kh; gA ;g rF; fd ykd vfHk;ktd dh ij.kk ij xokg dk i{knkgh ?kkf"kr fd;k x;k Fkk vkj mUg xokg dk ifrijh{k.k dju dh vuefr nh x;h Fkh] xokg dk lk{; ijh rjg vLohdkj dju d fy, vkfpR; inku ugh djrk gA fdr] U;k;ky; dk vR;Ur lkoèkkuh gkuk gkxk pfd iFke n"V;k

*xokg tk fofHkUu le; ij fofHkUu c;ku nrk g fd lR; d ifr J)k ugh gA lk{; dk iBu rFkk ml ij fopkj li.krk e ;g irk yxku dh nf"V l fd;k tkuk gkxk fd D;k bl dkb vfèkeku fn;k tkuk pkfg,A U;k;ky; dk ,l xokg d ifjlk{; ij ÑR; dju e èkhek gkuk pkfg,] lkekU;r% bl vU; xokgk }kjk lif"V dk è;ku e yuk pkfg,A ek= blfy, fd xokg ikFkfedh e fn, x, c;ku l HkVdrk g] ml dk lk{; i.kr% vfo'oluh; vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk gA bl Li"V djr g,] i{knkgh xokg d lk{; ij de l de ml lhek rd fo'okl fd;k tk ldrk g ftl lhek rd mlu vfHk;ktu ekey dk leFku fd;kA 0;fDr dk lk{; vfHky[k l ek= blfy, ugh feV tkrk g fd og i{knkgh gk x;k g vkj ;g irk yxku d fy, mlu fdl lhek rd vfHk;ktu d ekey dk leFku fd;k g] ml vfHk lk{; dk vR;Ur lrdrkiod ijh{k.k djuk gkxkA***

15. पूर्वोक्त निर्णय से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि गवाह पक्षद्रोही हो गया है, उसका संपूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय के रूप में फेंका नहीं जा सकता है। अ०सा० 3 एवं 6 तथा अ०सा० 7 डॉ० ललित मिंज के साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के संयुक्त पठन से यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया है और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है।

16. हम इस अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।

प्रदीप कुमार मोहन्ती, मुख्य न्यायाधीश.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

जगतारन सिंह (594 में)

दासी देवी (426 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Criminal Appeal (D.B.) Nos. 594 of 2006 with 426 of 2011. Decided on 28th July, 2017.

सत्र विचारण सं० 345 वर्ष 2004 में प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 4 अप्रील, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा 7 अप्रील, 2006 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/120-B एवं 201–हत्या, षडयन्त्र एवं साक्ष्य गायब करना–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील–बाल गवाह के साक्ष्य के सिवाए अपीलार्थियों के विरूद्ध अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है–अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण के कारण मृतक के घर के पीछे रक्त की मौजूदगी तथा स्थान जहाँ मृत शरीर पाया गया था तथा रक्त का निशान भी सिद्ध नहीं किया जा सका था–भा०दं०सं० की धारा 120B के अधीन आरोप सिद्ध करने के लिए अपराध करने के लिए दोनों अभियुक्तों द्वारा कोई दांडिक षडयंत्र करने का साक्ष्य बिल्कुल नहीं है–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध नहीं कर सका था– दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 10 से 13)

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripathi, Nutan Sharma, For the Appellant; None, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–चूँकि दोनों अपीलें एक ही मामले से उद्‌भूत होती है, उन्हें साथ सुना जा रहा है और इसे एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। राज्य की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

3. दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण सत्र विचारण सं॰ 354 वर्ष 2004 में विद्वान प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 4 अप्रैल, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के दंडादेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/120B एवं 201 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करने पर, दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/120 B के अधीन अपराधों के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

4. अभियोजन मामला किसी गंगा महतो जो मृतक सुरेश महतो का भाई है के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। सूचक को 8.2.2004 को उसके गांव के किसी अमर सिंह द्वारा सूचित किया गया था कि उसके भाई सुरेश महतो को मृत शरीर रेल की पटरी के निकट पड़ा था जिसके बाद वह वहाँ गया और अपने भाई को उसके मस्तक पर तेज धारदार हथियार से कटने की उपहतियों के साथ मृत पाया। तत्पश्चात् वह अपने भाई के घर आया और मृतक की पत्नी से मृतक के अता–पता के बारे में पूछा, किंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने मृतक की संतान अर्थात् लगभग 12 वर्षीय शिव महतो से उसके पिता के बारे में पूछा जिस पर बालक ने उसको सूचित किया कि उसका सहग्रामीण जगतराम सिंह पिछली रात लगभग 8 बजे उसके घर आया था और उसके पिता को बुलाया था। उसका पिता बाहर गया और यह बालक भी उनके पीछे गया, किंतु उसे जगतारन सिंह द्वारा घर के अंदर जाने के लिए फटकारा गया था। तत्पश्चात्, सूचक घर के पीछे गया और वहाँ काफी खून पाया। उसने उस स्थान से उस स्थान तक जहाँ मृत शरीर पाया गया था, रक्त का निशान भी पाया। सूचक ने अभिकथित किया है कि जगतारन सिंह का मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध था जिसका मृतक द्वारा विरोध किया गया था और उसके चलते उन दोनों द्वारा घटना की गयी थी और साक्ष्य छुपाने के लिए मृत शरीर फेंक दिया गया था। सूचक के फर्दबयान के आधार पर कर्रा पी॰ एस॰ केस सं॰ 9 वर्ष 2004, जी॰आर॰सं॰ 72 वर्ष 2004 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 120 B/ 201 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया।

5. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/120 B और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्तों के निर्दोषिता का अभिवचन करने पर और विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से केवल चार गवाहों का परीक्षण किया गया था। अन्वेषण अधिकारी का इस मामले में परीक्षण नहीं किया गया है। अ॰सा॰ 4 दिगंबर सिंह पक्षद्रोही हो गया है और इस प्रभाव का साक्ष्य दिया है कि मृतक की मृत्यु रेल दुर्घटना के कारण हुई थी।

6. अ॰सा॰ 1 शिव महतो है जो मृतक का पुत्र है। वह लगभग 12 वर्षीय बाल गवाह है और परिसाक्ष्य देने की उसकी क्षमता के बारे में संतुष्ट होने पर अवर न्यायालय द्वारा उसका परीक्षण किया गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना लगभग एक वर्ष पहले शनिवार को रात्रि लगभग 8 बजे हुई

थी। वह घर में था जब अभियुक्त जगतारन सिंह उसके घर आया और उसके पिता को बुलाया। उसका पिता बाहर गया और इस गवाह ने उनका पीछा किया, जिस पर जगतारन सिंह ने उसको फटकारा और घर के अंदर जाने के लिए कहा। इस गवाह ने कथन किया है कि वह घर में घुसा और देखा कि उसकी माता भी पिछले दरवाजे से घर के बाहर गयी। तत्पश्चात् वह गया और सो गया। अगली सुबह, उसका चाचा गंगा महतो आया और उसके पिता के बारे में पूछा जिस पर उसने उसको बताया कि उसका पिता घर में नहीं था। उसके चाचा ने उसको सूचित किया कि उसके पिता की हत्या कर दी गयी थी और मृत शरीर रेल की पटरी पर था। इस गवाह ने अपने पिता का मृत शरीर भी देखा। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि पुलिस द्वारा उसका बयान लिया गया था। उसने कहा है कि जगतारन सिंह एवं उसकी माता जो न्यायालय में उपस्थित थे द्वारा उसके पिता की हत्या की गयी थी। जगतारन सिंह उसके घर आता–जाता था और जगतारन सिंह एवं उसकी माता के बीच अंत रंगता थी। उसने कथन किया है कि वर्तमान में वह अपने चाचा के साथ रह रहा है। इस गवाह का विस्तारपूर्ण प्रति परीक्षण किया गया था, जिसमें उसका ध्यान उसके द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान की ओर आकृष्ट किया गया था और उसने कथन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष उन बयानों को दिया था, किंतु उसने अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि वह पहली बार न्यायालय में अभिसाक्ष्य दे रहा था कि जगतारन सिंह और उसकी माता द्वारा उसके पिता की हत्या की गयी थी और पहली बार वह न्यायालय में अभिसाक्ष्य दे रहा है कि जगतरन सिंह एवं उसकी माता के बीच घनिष्ठता थी और जगतारन सिंह उसके घर आता–जाता था। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में यह कथन भी किया है कि वह चार भाई है और उसका दादा भी जीवित था और जब जगतरन सिंह द्वारा उसको फटकारा गया था, वह आया और अपने दादा के साथ सोया।

7. अ०सा० 2 गंगा महतो है जो इस मामले का सूचक है। इस गवाह ने भी कथन किया है कि घटना लगभग एक वर्ष पहले शनिवार को हुई थी और रविवार की सुबह उसे किसी अमर सिंह द्वारा सूचित किया गया था कि उसके भाई सुरेश महतो का मृत शरीर रेल की पटरी के बगल में पड़ा था। यह गवाह वहाँ गया और उसके मस्तक तथा शरीर के अन्य भाग पर उपहतियों के साथ अपने भाई का मृत शरीर देखा। वह अपने भाई के घर आया औ दासी देवी से अपने भाई का अता–पता पूछा किंतु उसने उत्तर नहीं दिया था। तत्पश्चात् उसने अपने भतीजा शिव महतो से उसके पिता के अता–पता के बारे में पूछा, जिसपर उसके भतीजा ने सूचित किया कि रात में जगतारन सिंह घर आया था और उसके पिता को बुलाया था जो उसके साथ गया। यह गवाह घर के पीछे गया जहाँ उसने रक्त पाया। उसने उस स्थान से उस स्थान तक जहाँ मृत शरीर पाया गया था, खून का निशान भी पाया। इस गवाह ने कथन किया है कि दासी देवी की अनेक दिनों से जगतारन सिंह के साथ अंतरंगता थी जिस पर सुरेश द्वारा आपत्ति की जा रही थी, जिस कारण उन दोनों द्वारा सुरेश की हत्या की गयी थी। इस गवाह ने कथन किया कि पुलिस उस स्थान पर आयी जहाँ मृत शरीर पाया गया था और उसका फर्दबयान दर्ज किया गया था जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया। उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर पहचाना जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया था और फर्दबयान पर गवाहों के हस्ताक्षर प्रदर्श 1/1 एवं 1/2 चिन्हित किए गए थे। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका पिता जीवित था और घटना के दिन वह मृतक के घर में रह रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने पिता से सुरेश महतो के अता–पता के बारे में पूछा था किंतु उसके पिता कोई उत्तर नहीं दे सका था और उसने अपने भाई से भी पूछा था कि क्या शाम में घर के निकट कोई शोर शराबा हुआ था जिसपर उसके भाई ने उत्तर दिया कि कोई शोर शराबा नहीं हुआ था।

8. अ०सा० 3 डॉ० प्रिंस पिंगुआ चिकित्सा अधिकारी हैं जिन्होंने 8.2.2004 को मृतका के मृत शरीर का शवपरीक्षण किया था और मृतक के मृत शरीर पर अनेक मृत्यु पूर्व विदीर्ण एवं कटने का जख्म पाया था। उन्होंने कथन किया है कि समस्त उपहतियाँ मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी और तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शवपरीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था।

9. जैसा पहले कथन किया गया है, अन्वेषण अधिकारी का इस मामला में परीक्षण नहीं किया गया है और शेष गवाह अर्थात् अ०सा० 4 दिगंबर सिंह पक्षद्रोही हो गया है। मामले में प्राथमिकी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को सिद्ध नहीं किया जा सका था।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को विधि की दृष्टि से संपोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरूद्ध मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। यह निवेदन किया गया है कि हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और यद्यपि बाल गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्त जगतरन सिंह ने उसके पिता को बुलाया था और जब बाल गवाह उनके पीछे जा रहा था, उसे घर के अंदर जाने के लिए फटकारा गया था और तत्पश्चात् मृतक का मृत शरीर पाया गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि बाल गवाह का ध्यान पुलिस के समक्ष उसके द्वारा दिए गए बयान की और आकृष्ट किया गया था। जिसे उसने पुलिस के समक्ष दोहराया है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण उससे आवश्यक विरोधाभास निकाला नहीं जा सका था जिसने बचाव पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है। बाल गवाह ने स्वीकार किया है कि पहली बार वह न्यायालय में अभिसाक्ष्य दे रहा है कि दोनों अभियुक्तों ने मृतक की हत्या की थी और उसकी माता तथा सह अभियुक्त के बीच अंतरंगता थी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि यद्यपि अ०सा० 2 गंगा महतो के साक्ष्य में आया है कि मृतक के घर के पीछे काफी खून था और उस स्थान जहाँ मृत शरीर पाया गया था तक खून का निशान भी था किंतु अन्वेषण अधिकारी के परीक्षण की अनुपस्थिति में यह साक्ष्य संपुष्ट नहीं किया जा सकता था, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले के तथ्यों में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने के लिए व्यवहार्यत: सामग्री नहीं थी और, तद्नुसार, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

11. हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता की मदद से अभिलेख का परिशीलन किया है और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से हम पाते हैं कि बाल गवाह के साक्ष्य के सिवाए कि अभियुक्त जगतरन सिंह रात में घर आया था और उसके पिता को अपने साथ ले गया था और बालक को घर के अंदर जाने के लिए फटकारा था अैर यह साक्ष्य भी कि तत्पश्चात् उसकी माता घर के पिछले दरवाजे से बाहर गयी और सुबह में मृत शरीर पाया गया था, अपीलार्थियों के विरूद्ध अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है। वस्तुत: बचाव ने बाल गवाह का ध्यान उसके द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान की ओर आकृष्ट किया है जिसका उसने सकारात्मक उत्तर दिया था, किंतु बचाव उसके परीक्षण की अनुपस्थिति में अन्वेषण अधिकारी से आवश्यक विरोधाभास पाने का अवसर नहीं पा सका था। इस बाल गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पहली बार वह न्यायालय में अभिसाक्ष्य दे रहा था कि उसकी माता एवं सहअभियुक्त जगतरन सिंह के बीच अंतरंगता थी और उन दोनों ने उसके पिता की हत्या की थी। यद्यपि बाल गवाह तथा अ०सा० 2 गंगा महतो ने स्वीकार किया है कि मृतक का पिता जीवित था और घटना के दिन पर वह मृतक के घर में उपस्थित था, किंतु अभियोजन द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया गया है। अ० सा० 2 गंगा महतो के

प्रति परीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि उसने अपने पिता से सुरेश महतो के अता-पता के बारे में पूछा था किंतु उसका पिता कोई जवाब नहीं दे सका था और उसने अपने भाई से भी पूछा था कि क्या शाम में घर के निकट शोर शराबा हुआ था जिसपर उसके भाई ने उत्तर दिया कि शोर शराबा नहीं हुआ था। मृतक के घर के अंदर रक्त की उपस्थिति और उस स्थान जहाँ मृत शरीर पाया गया था तक खून की मौजूदगी भी अन्वेषण अधिकारी के परीक्षण की अनुपस्थिति में सिद्ध नहीं की जा सकी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 B के अधीन आरोप सिद्ध करने के लिए अपराध करने के लिए दोनों अभियुक्तों द्वारा कोई दांडिक षड्यन्त्र करने का साक्ष्य बिल्कुल नहीं है। हमारा सुविचारित मत है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे दोनों अपीलार्थियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है और यह सुयोग्य मामला है जिसमें दोनों अभियुक्तों को विचारण न्यायालय द्वारा उनको दोषी नहीं पाते हुए दोषमुक्त किया जाना चाहिए था। इस दशा में, अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोष सिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और अपास्त किए जाने योग्य है।

12. पूर्वोक्त कारणों से, सत्र विचारण सं॰ 345 वर्ष 2004 में विद्वान प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 4 अप्रैल, 2006 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 7 अप्रैल, 2006 का दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। दोनों अपीलार्थीयों को दोषी नहीं पाया गया है और उनको आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी दासी देवी जमानत पर है और उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अपीलार्थी जगतरन सिंह अभिरक्षा में है। उसे तुरन्त निर्मुक्त किया जाए यदि किसी अन्य मामले में उसका निरोध आवश्यक नहीं है।

13. तद्नुसार, ये दोनों अपीलें अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त प्रेषित किया जाए।

---

ekuuh; vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

गंगा भट्टाचार्य एवं एक अन्य

cuke

चंद्रशेखर श्रीरामका एवं अन्य

M.A No. 26 of 2011. Decided on 17th April, 2017.

मोटर यान अधिनियम, 1988–धारा 168–मुआवजा राशि से कटौती–मोटर यान अधिनियम के अधीन भुगतेय मुआवजा सांविधिक प्रावधान है–इसका लाभों से सह–संबंध नहीं है जिसका मृतक सेवा से अपनी सेवा-निवृत्ति के बाद अथवा नियोजन के क्रम में अपनी मृत्यु के कारण हकदार है–अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मोटर यान अधिनियम के अधीन भुगतेय मुआवजा से कटौती नहीं की जा सकती है–यदि आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गयी थी, उसे मोटर यान अधिनियम के अधीन भुगतेय मुआवजा राशि से वंचित नहीं किया जाएगा–आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय उपांतरित। (पैराएं 5 से 8)

निर्णयज विधि.–AIR 2016 SC 4465—Referred; (2013 (3) TAC 6—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Purnendu Kumar Jha, For the Petitioners/Appellant; Mr.D.C.Ghosh, For the Resp. No.34; Mr.G.C.Jha, For the Resp. No.6, 7 & 8.

आदेश

वर्तमान अपील एम०ए०सी०टी० केस सं० 71/2007 में जिला न्यायाधीश सह–एम०ए०सी०टी० 2 गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 30.9.2010 के निर्णय एवं अधिनिर्णय के विरूद्ध दाखिल की गयी है।

2. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अधिनिर्णय को इस आधार पर आक्षेपित किया है अवर न्यायालय ने दावेदार–पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर प्राप्त किए गए वेतन की कटौती करके मुआवजा निर्धारित करने में गलती किया है। विद्वान अधिवक्ता ने **रिलायन्स जेनरल इंश्योरेन्स कं० लि० बनाम शशि शर्मा एवं अन्य, AIR 2016 SC 4465,** मामले में निर्णय पर विश्वास किया है और तर्क किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर प्राप्त किए गए लाभों की कटौती मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन भुगतेय मुआवजा राशि से नहीं की जा सकती है। यह निवेदन किया गया है कि मृतक अवर न्यायालय द्वारा यथा संगणित 19, 624.35/- रुपयों का वेतन अर्जित कर रहा था किंतु अधिकरण ने दावेदार–पत्नी, जिसे मृतक के सेवारत रहते हुए मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति दी गयी थी, के वेतन के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया है।

3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं० लि० की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति प्रयोज्य नहीं है क्योंकि उक्त मामले में लाभ जो कटौती किए जाने के दायी नहीं थे, पारिवारिक पेंशन एल०आई०सी० एवं भविष्य निधि के संबंध में थे। कि अनुकंपा नियुक्ति के कारण लाभ की गैर–कटौती के संबंध में निष्कर्ष नहीं है। यह आग्रह किया गया है कि आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय किसी अवैधता अथवा दुर्बलता से पीड़ित नहीं है।

4. सुना गया। दावा मामले के ताथ्यिक पहलू को ध्यान में लेना प्रासंगिक होगा। दावा आवेदन में यह कथन किया गया है कि 7.10.2006 को दावेदार का पति देव रंजन भट्टाचार्य अपने भाई प्रभात रंजन भट्टाचार्य तथा भाई की पत्नी चौताली भट्टाचार्य एवं उनके भतीजा सयान्तन भट्टाचार्य के साथ रजिस्ट्रेशन सं०ओ०आर० 19A – 2901 वाले मार्शल जीप पर यात्रा कर रहा था और वे तलचर से संबलपुर जा रहे थे। उक्त जीप को रजिस्ट्रेशन सं०ओ०ए०एस० 1665 वाले ट्रक द्वारा धक्का मारा गया था। कि उक्त दुर्घटना के कारण उसके पति देवरंजन भट्टाचार्य, उसके भतीजा सयन्तन भट्टाचार्य एवं मार्शल जीप के चालक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी और उसके देवर प्रभात रंजन भट्टाचार्य ने नि:शक्तता की ओर ले जाने वाली उपहति प्राप्त किया।

उक्त दुर्घटना के लिए, जुजुमोरा पी०एस०केस० सं० 72/2006 ट्रक चालक के विरूद्ध भा० दं० सं० की धाराओं 379, 337, 338 एवं 304 के अधीन दर्ज किया गया था।

5. यह विधि की सुस्थापित प्रतिपादना है कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना संगठन जिसमें व्यक्ति नियोजित है के नियमों द्वारा शासित होती है और आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारी के सेवारत रहते मृत्यु होने पर, स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में भी, की जा सकती है जबकि मोटरयान अधिनियम के अधीन भुगतेय मुआवजा सांविधिक प्रावधान है। इसका उन लाभों से सह–संबंध नहीं है जिसका मृतक सेवा से अपनी सेवा–निवृत्ति अथवा अपने नियोजन के क्रम में अपनी मृत्यु के कारण हकदार है। **विमल कन्नौर बनाम किशोर दान, 2013 (3) TAC 6,** मामले में यह स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुकंपा

पर नियुक्ति के लाभ की मोटर यान अधिनियम के अधीन भुगतेय मुआवजा से कटौती नहीं की जा सकती है। स्वीकृत रूप से, अधिकरण ने दावेदार-पत्नी द्वारा अपने पति की सेवारत रहते हुए मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति के कारण प्राप्त किए गए वेतन के आधार पर निर्धारण एवं संगणना करने में गलती किया है। भुगतेय मुआवजा एक संपत्ति है जो इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि क्या उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गयी है या नहीं, आश्रित पर न्यागत होती है।

6. यह प्रश्न कि क्या यदि आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गयी थी, उसे मोटर यान अधिनियम के अधीन भुगतेय मुआवजा राशि से वंचित किया जाएगा– उत्तर निश्चित रूप से ''नहीं'' है। अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान कतिपय अर्हताओं द्वारा शासित होते हैं और प्रत्येक कंपनी का अथवा सरकार का भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता के संबंध में नियम हैं और इस मामले में निश्चितता नहीं है कि क्या आश्रित पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जबकि मोटरयान अधिनियम के अधीन संविधि व्यक्ति की मृत्यु अथवा घातक उपहति की स्थिति में मुआवजा के भुगतान की आज्ञा देती है।

7. अत:, सुस्थापित विधिक अवस्था की दृष्टि में, अधिकरण ने अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर प्राप्त किए गए वेतन के लाभ की कटौती करके मुआवजा संगणित करने में गलती किया है। अधिकरण को मृतक के अर्जन की भावी संभावना की ओर आय का 30% जोड़ कर मृतक का वेतन निर्धारित करना चाहिए था, इस प्रकार मृतक की कुल आय 19,624 रुपया + भावी संभावना की ओर 30% = 25,511 /- रुपया पर संगणित की जाती है और कर की ओर आय की 10% कटौती के बाद मृतक का वास्तविक वेतन 22,960/- रुपया निर्धारित किया जाता है। मृतक अपने पीछे दो आश्रितों को छोड़ गया है। मामले के साक्ष्य एवं परिस्थितियों में, मृतक के निजी व्यय की ओर आय के एक-तिहाई की कटौती करना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त होगा। तद्नुसार, मृतक की वार्षिक आय 22,960 × 12 = 2,75,520/- रुपया निर्धारित की जाती है और आय की एक-तिहाई कटौती के बाद आश्रितता की वार्षिक हानि 1,83,680/- रुपया होती है। मृतक 45 वर्ष की आयु का था, अत: प्रयोज्य गुणक 13 है। आश्रितता की कुल हानि 1,83,680 × 13 = 23,87,840 /- रुपया निर्धारित की जाती है। अंत्येष्टि व्यय की ओर 25000/- रुपयों की एक मुश्त राशि तथा साहचर्य, प्रेम एवं स्नेह, पीड़ा एवं वेदना तथा संपदा की हानि की ओर 2,00,000/- रुपया अधिनिर्णीत की जाती है। इस प्रकार, दावेदारगण 23,87,840 + 25000 + 2,00,000/- रुपयों = 26,12,840/- रुपयों की मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने के हकदार हैं।

8. प्रत्यर्थी यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो माह के भीतर अवर न्यायालय के आदेश के निबंधनानुसार 6% की दर पर ब्याज के साथ 26,12,840/- रुपयों की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें विफल होने पर वे इस न्यायालय के आदेश की तिथि से बकाया राशि पर 9% की दर पर ब्याज का भुगतान करने के दायी होंगे। मुआवजा राशि में से, 50% पुत्री के नाम में तथा दावेदार अपीलार्थी सं॰ 1 गंगा भट्टाचार्य के नाम में 25% पाँच वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में निवेशित किया जाएगा और वह अपने अत्यावश्यक व्यय को पूरा करने के लिए प्रोद्भूत वार्षिक ब्याज को प्राप्त करने की हकदार होगी।

उक्त उपदर्शित सीमा तक आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय उपांतरित किया जाता है और अपील एतद्द्वारा निपटायी जाती है।

ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

नन्द किशोर प्रसाद उर्फ कालटू

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

A.B.A. No. 2319 of 2017. Decided on 31st July, 2017.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 438–अग्रिम जमानत–याची भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन अभियोजन का सामना कर रहा है–याची ने निवेदन किया है कि उसने दहेज की किसी विधिविरुद्ध मांग के लिए परिवादी को क्रूरता के अध्यधीन कभी नहीं किया और इस दशा में याची के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 498 A एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन मामला नहीं बनता है–शर्तों के अध्यधीन अग्रिम जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 2 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Mukesh Bihari Lal, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. Dinesh Kumar, For the O.P. No.2.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा ओ०पी० सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दर्ज मामले के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका कर रहा है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता को 20.7.2017 को याची की वेतन पर्ची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

4. आज जब मामला सुना गया था, याची के विद्वान अधिवक्ता ने याची की वेतन पर्ची दाखिल किया है। यह प्रतीत होता है कि याची का मासिक वेतन 27000/- रुपया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची ने परिवादी को दहेज की किसी विधिविरूद्ध मांग के लिए क्रूरता के अध्यधीन कभी नहीं किया और इस दशा में याची के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 498 A तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन मामला नहीं बनता है।

6. ओ०पी०सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त नामित याची को 30.8.2017 को अथवा इसके पहले अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था और उसकी गिरफ्तारी अथवा आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था और उसकी गिरफ्तारी अथवा आत्मसमर्पण की स्थिति में अवर न्यायालय सी०पी०केस सं० 464 वर्ष 2016 के संबंध में दं०प्र०सं० की धारा 438 (2) के अधीन यथा अधिकथित शर्तों के अध्यधीन एवं अन्य शर्त कि याची को 6000/– रुपया प्रतिमाह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है के अध्यधीन न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद की संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000 (दस हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर याची को जमानत पर रिहा करेगा।

(1) vkx] ;kph dk tykb] 2017 l vxLr] 2017 rd dy nk ekg d rnrfje Hkj.k&ik"k.k d cdk;k vFkkr 12000/-#i;k dk vkRelei.k dh frfFk ij fopkj.k U;k;ky; d le{k tek dju dk fun'k fn;k x;k FkkA

(2) vkx] jkf'k tek dju d ckn fopkj.k U;k;ky; vkOih0 l0 2 dfork noh mQ dfork dekjh dk ukfVl tkjh djxk vkj mldh mifLFkfr ij ,o lR;kiu d ckn] fopkj.k U;k;ky; iokDr jkf'k vk0 ih0 l0 2 dk fueDr djxk vkj vkOih0 l0 2 dk cd [kkrk l[;k fopkj.k U;k;ky; dk iLrr dju dk fun'k Hkh fn;k x;k Fkk vkj ;fn mldk cd [kkrk ugh g] fopkj.k U;k;ky; lfuf'pr djxk fd Mh0 ,y0 ,l0 ,0 d leFku l ièkkue=h tuèku ;ktuk d vèkhu fdlh jk"Vh;Ñr cd e vk0 ih0 l0 2 dk [kkrk [kkyk tk, vkj fopkj.k U;k;ky; lfuf'pr djxk fd flrcj] 2017 l ,o bld vkx vk0 ih0 l0 2 d [kkrk e rnrfje Hkj.k ik"k.k jkf'k tek dh tk,A

(3) vkx] ;kph dk vk0 ih0 l0 2 d [kkrk e bxfy'k dyUMj d 250 fnu rd flrcj 2017 l 6000/-#i;k ifr ekg dh nj ij pky rnrfje Hkj.k ik"k.k jkf'k tek fd, tku dk fun'k fn;k x;k FkkA

(4) iokDr rnrfje Hkj.k ik"k.k dk Hkxrku ekey d fuiVku rd fd;k tk;xkA

(5) vkx] ;fn ;kph nk yxkrkj ekg rd Hkxrku dju e 0;frØe djrk g] ifjoknh dk ;kph d tekur d jnn dj.k d fy, vkonu nkf[ky dju dh NV gkxhA

ओ०पी० सं० 2 को प्रदान किया गया तदंतरिम भरण पोषण का यह आदेश सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणाम के अध्यधीन है।

इस आदेश की प्रति अवर न्यायालय को भेजी जाए।

---

ekuuh; vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

सवर लाल शर्मा उर्फ सरवर लाल शर्मा एवं अन्य

cuke

राज कुमार शुक्ला एवं अन्य

Second Appeal No. 118 of 2014. Decided on 5th May, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 100–द्वितीय अपील–उच्च न्यायालय सी०पी०सी० की धारा 100 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग केवल तब कर सकता है जब विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है–उच्च न्यायालय मात्र इस आधार पर कि दूसरा दृष्टिकोण संभव था, साक्ष्य के पुनर्अधिमूल्यन पर स्वयं अपना निष्कर्ष द्वितीय अपील में पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है–तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप अनावश्यक है जब अवर न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में कोई विकृतता, धूर्तता और मनमानापन नहीं है–तथ्य के गलत निष्कर्ष के आधार पर द्वितीय अपील ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है। (पैराएँ 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(2002)1 SCC 90—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Rohit Roy, B.V.Kumar, Leena Mukherjee, For the Appellants; M/s. A.K.Das, Swati Salini, For the Respondents.

आदेश

यह अपील बेदखली वाद सं॰ 11/2009 में मुंसिफ, चाइबासा के क्रमश: दिनांक-22.12.2010 एवं 7.1.2011 के निर्णय एवं डिक्री, जिसके द्वारा वादी का वाद प्रतिवादियों के व्यतिक्रम एवं निजी आवश्यकता के आधार पर बेदखली के लिए डिक्री किया गया था, अभिपुष्ट करते हुए बेदखली अपील सं॰ 1/2011 में जिला न्यायाधीश-I, पश्चिम सिंहभूम, चाइबासा द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 12.6.2014 एवं 21.6.2014 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध दाखिल की गयी है।

2. वर्तमान अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण थे और प्रत्यर्थीगण वादीगण थे। सुविधा के लाभ के लिए उन्हें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. वादीगण ने यह अभिवचन करते हुए कि उनकी दादी शिव दुलारी देवी खासमहल पट्टाधृत संपत्ति की पट्टाधारी थी, वाद संस्थित किया था। उसने प्रतिवादियों के पिता मदनलाल शर्मा को वाद संपत्ति के एक भाग में किराएदार के रूप में प्रवेश दिया था। कि शिव दुलारी देवी के देहान्त होने पर, उनकी माता मोती देवी पट्टाधृत वाद संपत्ति पर काबिज हुई और मदनलाल किराएदार बना रहा। कि मदन लाल शर्मा की मृत्यु हो गयी और प्रतिवादीगण किराएदार के रूप में बने रहे। कि किराया इंगलिश कैलेन्डर के मुताबिक मासिक आधार पर भुगतेय था और मोती देवी की मृत्यु के बाद, वादीगण विधिक उत्तराधिकारियों के रूप में मकान मालिक बन गए। यह अभिवचन किया गया है कि मोती देवी प्रतिवादी सं॰ 2 के नाम में किराया रसीद प्रदान किया करती थी और प्रतिवादी सं॰ 4 की पत्नी मीना शर्मा किराया रसीद के प्रतिपर्ण के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करती थी।

यह अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादियों ने 16.3.2009 को फरवरी, 2009 में वाद संपत्ति के किराया का अंतिम बार भुगतान किया था और वादीगण द्वारा किराया रसीद सम्यक रूप से प्रदान किया गया था। तत्पश्चात, प्रतिवादीगण मार्च से जून, 2009 तक किराया का भुगतान करने में विफल रहे। प्रतिवादी सं॰ 2 ने दो अवसरों पर दिनांक 12.8.2008 के मनीआर्डर सं॰ 335 तथा दिनांक 3.9.2009 के मनीआर्डर सं॰ 425 के तहत 250/- रुपयों के लिए मनीआर्डर के माध्यम से किराया भेजा था जिसे वादीगण द्वारा लेने से इनकार किया गया था। यह अभिवचन किया गया है कि चूँकि प्रतिवादियों ने दो माह से अधिक के लिए विधिपूर्वक भुगतेय किराया का भुगतान नहीं किया है, वे व्यतिक्रमी बन गए हैं और वाद परिसर से बेदखल किए जाने के दायी हैं और वादीगण मार्च, 2009 से जून, 2009 तक के किराया का बकाया वसूल करने का हकदार हैं।

वादीगण ने आगे अभिवचन किया है कि वे उसी धृति के एक भाग में निवास कर रहे हैं जिसपर वाद परिसर अवस्थित है। कि वादीगण का उनकी पत्नियों एवं पाँच पुत्रों से गठित विशाल परिवार है। कि वादीगण के पुत्र विवाह योग्य आयु के हैं और वादीगण जल्द ही उनका विवाह संपन्न करने का आशय रखते हैं। कि वादीगण के अधिभोग में परिसर के अंतर्गत वास सुविधा की कमी है और वादीगण को अपनी सद्भावपूर्ण आवश्यकता परिपूर्ण करने के लिए अतिरिक्त वास सुविधा की आवश्यकता है और प्रतिवादीगण के अधिभोग में वाद परिसर सर्वाधिक उपयुक्त वास सुविधा है क्योंकि यह वादीगण के वाद परिसर के पार्श्व में अवस्थित है। कि वादीगण की आवश्यकता प्रतिवादियों की आंशिक बेदखली से परिपूर्ण नहीं की जा सकती है और वादीगण सद्भावपूर्ण निजी आवश्यकता के आधार पर प्रतिवादियों के विरुद्ध बेदखली की डिक्री के हकदार हैं।

4. प्रतिवादीगण ने वाद का प्रतिवाद किया और यह कथन करते हुए अपना लिखित कथन दाखिल किया कि वादीगण के पास वाद हेतुक नहीं है और वाद आवश्यक पक्ष के गैर-संयोजन के कारण दोषपूर्ण

है। कि प्रतिवादियों के पिता को समय के किसी बिंदु पर वाद परिसर में किराएदार के रूप में प्रवेश कभी नहीं दिया गया था। कि प्रतिवादियों का पिता शिव दुलारी देवी के घर में पुजारी था और वह पूजा एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया करता था जिस कारण उक्त शिव दुलारी देवी ने प्रेमवश प्रतिवादियों के पिता को 1.2.1975 को दस्तावेज निष्पादित करके वाद परिसर दान में दिया था। प्रतिवादियों का पिता दान के आधार पर वाद परिसर पर काबिज हुआ और उनके पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण अन्य उत्तराधिकारियों के साथ स्वयं अपने अधिकार एवं अभिधान पर प्रश्नगत घर के भाग पर काबिज हुए। कि वाद परिसर प्रतिवादियों के पिता का है और प्रतिवादीगण अभी भी धृति के भाग पर अवस्थित घर में निवास कर रहे हैं। कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच मकान मालिक एवं किराएदार का संबंध नहीं है, अत: किराया के भुगतान में व्यतिक्रम तथा बेदखली का प्रश्न मान्य नहीं है।

प्रतिवादियों ने इनकार किया है कि प्रतिवादी सं० 4 की पत्नी ने कभी भी किराया रसीदों पर हस्ताक्षर नहीं किया था और न ही प्रतिवादी सं०2 ने वाद परिसर के संबंध में किराया के रूप में कोई मनी आर्डर भेजा था। यह कथन किया गया है कि वाद जुलाई, 2009 में संस्थित किया गया था, अत:, सितंबर, 2009 में मनीआर्डर के माध्यम से किराया भेजने के लिए प्रतिवादियों के पास अवसर नहीं था। यह अभिकथित किया गया है कि उक्त बयान पश्चातवर्ती विचार के रूप में संशोधन के रूप में पुर:स्थापित किया गया था। कि वादीगण की वाद परिसर की सद्भावपूर्ण आवश्यकता सही नहीं है क्योंकि वाद परिसर की तुलना में अधिक बड़ा भाग है जिसे किसी छबि रानी कार को किराया पर दिया गया है।

5. पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय ने छह विवाद्यकों को विरचित किया जो निम्नलिखित है:–

^^(i) D;k oreku okn viu oreku Lo:i e vkj nkok fd, x, vurk"k d fy, ik"k.kh; g

(ii) D;k oknhx.k d ikl oèk okn grd g

(iii) D;k okn vko';d i{k d dl;ktu d dkj.k nk"ki.k g

(iv) D;k oknhx.k&ifroknhx.k d chp edkuekfyd&fdjk,nkj dk lcèk g

(v) D;k oknhx.k dk viuh futh lnHkkoi.k vko';drk d fy, okn ifjlj dh vko';drk g vkj D;k okn ifjlj l ifrokfn;k dh vkf'kd cn[kyh oknhx.k dh vko';drk ijh dj ldrh g

(vi) D;k ifroknhx.k u ekp] 2009 l fdjk;k dk Hkxrku ugh fd;k g vkj rn}kjk 0;frØeh cu x, vkj D;k ifrokfn;k d ikl fdjk;k dk cdk;k g

(vii) D;k oknhx.k nkok fd, x, vurk"k d gdnkj g

6. वादीगण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दिया है। उन्होंने छह गवाहों का परीक्षण किया और दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से 1/n श्रंखला दिया जो किराया रसीदों के प्रतिपत्रक हैं; प्रदर्श 2 से 2/e किराया रसीदों सं० 113, 117, 122, 128, 137, 307 के प्रति पत्रकों के पिछले हिस्से पर मीना शर्मा के हस्ताक्षर हैं, प्रदर्श 3 नगरपालिका रसीद सं० 6802 है; प्रदर्श 4 इनकार रजिस्टर में दिनांक 12.8.2009 के मनीआर्डर सं० 355 की प्रविष्टियाँ हैं; प्रदर्श 5 इनकार रजिस्टर में दिनांक 12.8.2009 के मनीआर्डर सं० 425 की प्रविष्टियाँ हैं; प्रदर्श 6 डाकिया के रजिस्टर में 14.8.2009 की प्रविष्टि है; प्रदर्श 7 डाकिया के रजिस्टर में दिनांक 20.8.2009 की प्रविष्टि सं० 5 है; प्रदर्श 8 डाकिया के रजिस्टर में दिनांक 4.9. 2009 की प्रविष्टि सं० 2 है और प्रदर्श 9 डाकिया के रजिस्टर में दिनांक 8.9.2009 की प्रविष्टि सं० 3 है।

7. प्रतिवादियों ने पाँच गवाहों का परीक्षण किया है और उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात प्रदर्श A दिनांक 1.2.1975 का दान विलेख और प्रदर्श B दिनांक 1.2.1975 के दान विलेख पर एस०एम०सारदा का हस्ताक्षर है।

8. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने पाया कि वादीगण–प्रतिवादीगण के बीच मकान मालिक किराएदार का संबंध था और अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादियों ने किराया के भुगतान में व्यतिक्रम किया था और वादीगण को वाद परिसर की सद्भावपूर्ण आवश्यकता थी और तद्नुसार, प्रतिवादियों की बेदखली के लिए वाद डिक्री किया और प्रतिवादियों को रिक्त कब्जा सौंपने का और दो माह के भीतर मार्च से जून, 2009 तक के किराया के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया।

9. व्यथित होकर प्रतिवादियों ने जिला न्यायाधीश–I, चाइबासा के समक्ष अपील दाखिल किया। विद्वान जिला न्यायाधीश ने पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के अधिमूल्यन पर अपने निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को अभिपुष्ट किया जो वर्तमान द्वितीय अपील में इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित है।

10. प्रतिवादियों/अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करके कि प्रतिवादियों/अपीलार्थियों के बीच मकान मालिक–किराएदार का संबंध है, निष्कर्ष में विकृतता कारित किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अवर न्यायालयों द्वारा चर्चा किए गए अ०सा० 6 अर्थात डाकिया के साक्ष्य के परिशीलन पर यह प्रकट होगा कि वादीगण/प्रत्यर्थियों के अभिवचन कि प्रतिवादियों ने दो मनी आर्डर के माध्यम से किराया प्रेषित किया था, सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि अ०सा० 6 ने कथन किया है कि दिनांक 3.9.2009 के मनीआर्डर सं० 425 अर्थात प्रदर्श 8 एवं 9 द्वारा भेजी गयी राशि किसी डी०वी० कार को सौंपी गयी थी और वह उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता है जिसको उसने दिनांक 12.8.2009 के एम०ओ० सं० 335 की दिनांक 20.8.2009 की प्रविष्टि के संबंध में धन लौटाया था।

यह जोरदार तर्क किया गया है कि यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि डाकिया ने प्रतिवादियों को धन नहीं सौंपा था बल्कि इसे किसी डी०वी० कार को सौंपा गया था जो वादीगण का अभिवचन झुठलाता है कि प्रतिवादियों ने दो मनी ऑर्डर के माध्यम से किराया प्रेषित किया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि किराया रसीद (प्रदर्श 2 से 2/e) पर हस्ताक्षर, जिसे प्रतिवादी सं० 4 की पत्नी मीना शर्मा का हस्ताक्षर अभिकथित किया गया है, से उसके द्वारा इनकार किया गया है किंतु विचारण न्यायालय ने विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षर सत्यापित करवाए बिना इस निष्कर्ष को दर्ज करने में प्रकट गलती किया है कि किराया रसीदों पर मीना शर्मा का हस्ताक्षर है।

विद्वान अधिवक्ता ने **राजेन्द्र तिवारी बनाम बासुदेव प्रसाद एवं एक अन्य, (2002)1 SCC 90,** मामले में निर्णय पर विश्वास किया है और तर्क किया है कि किराया नियंत्रण संविधि के अधीन वाद ग्रहण करने के लिए मकान मालिक–किराएदार संबंध अनिवार्य है। यह तर्क किया गया है कि अवर न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहे हैं कि वादीगण यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि मकान मालिक–किराएदार का संबंध था। यह तर्क किया गया है कि अवर न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण शिव दुलारी देवी द्वारा प्रतिवादियों के पिता मदनलाल शर्मा के पक्ष में निष्पादित दान विलेख के आधार पर स्वयं अपने अधिकार एवं अभिधान में वाद संपत्ति पर काबिज थे।

यह तर्क किया गया है कि पक्षों के बीच मकान मालिक किराएदार संबंध के संबंध में किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में अवर न्यायालयों को वाद खारिज कर देना चाहिए था और तथ्य के निष्कर्ष में ऐसी अनुचितता वर्तमान अपील में न्यायनिर्णयन के लिए विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त करती है।

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों/वादीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वादीगण द्वारा दाखिल सी०पी०सी० के आदेश 41 नियम 5 के अधीन अंतर्वर्ती आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि प्रतिवादियों/अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क मान्य नहीं हैं क्योंकि अवर न्यायालयों ने समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मकान मालिक किराएदार का संबंध है और प्रतिवादियों ने किराया के भुगतान में व्यतिक्रम किया है। कि परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के कारण वादीगण को वाद परिसर की सद्भावपूर्ण आवश्यकता है।

12. सुना गया। यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय को द्वितीय अपील सुनते हुए साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन करने की आवश्यकता नहीं है जब अवर न्यायालयों द्वारा तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष है। यह न्यायालय सी०पी०सी० की धारा 100 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग केवल तब कर सकता है जब विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कि अवर न्यायालयों के निष्कर्षों में विकृतता है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अवर न्यायालयों ने अ०सा०6 अर्थात डाकिया के साक्ष्य का अधिमूल्यन किया है जिसने कथन किया है कि उसने गोपाल शर्मा, जिसने उसको सूचित किया था कि उन्होंने मनीआर्डर सं० 335 भेजा था, के परिवार के सदस्यों को प्रदर्श 8 लौटा दिया था। कि प्रतिवादी गोपाल शर्मा ने उसको कहा था कि कन्हैया लाल शर्मा अपने परिवार के सदस्यों के साथ जमशेदपुर में निवास कर रहा था। इस बिन्दु पर अ०सा० 6 का परिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण में छेड़ा नहीं गया है जैसा आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट है।

दोनों अवर न्यायालयों ने विस्तारपूर्वक दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का परीक्षण किया है और निष्कर्ष दर्ज किया है कि मनी ऑर्डरों में से एक प्रतिवादियों के भाई अर्थात कन्हैया लाल शर्मा द्वारा भेजा गया था। अपीलीय न्यायालय ने सी०पी०सी० के आदेश 41 नियम 31 के निबंधनानुसार विनिश्चयकरण के लिए बिंदुओं को निरूपित किया है और सामने आए साक्ष्य के प्रति अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया है और इसपर चर्चा किया है।

अवर न्यायालयों ने किराया रसीदों के अधपन्नों पर प्रतिवादी सं० 4 की पत्नी मीना शर्मा के हस्ताक्षर के संबंध में साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया है और सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि मीना शर्मा ने किराया रसीदों के अधपन्नों पर हस्ताक्षर किया है।

अवर न्यायालय ने प्रतिवादियों के पिता मदन लाल शर्मा के पक्ष में वादीगण की दादी शिवदुलारी देवी द्वारा निष्पादित अभिकथित किए गए तात्पर्यित दान विलेख प्रदर्श A का भी परीक्षण किया है और इस पर चर्चा किया है। साक्ष्य के विस्तारपूर्वक परीक्षण पर यह पाया गया है कि दान विलेख में यह कथन किया गया है कि चूँकि मदन लाल शर्मा लंबे समय से घर में निवास कर रहा था और उसके परिवार की देखभाल करता था, अत: शिव दुलारी देवी ने उसको घर दान में दिया था जबकि दान विलेख पर हस्ताक्षर करने वाले गवाह ब०सा० 4 एस०एम० सारदा ने कथन किया है कि मदन लाल शर्मा पुजारी के रूप में शिव दुलारी देवी के घर में रहता था और उसने पूजा संपन्न करने के लिए मदन लाल शर्मा को वाद संपत्ति में रखा था और दस्तावेज निष्पादित करके उसके अधिभोग में घर का भाग दान में दिया था और उसने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया था। उसका हस्ताक्षर प्रदर्श B चिन्हित किया गया है। प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि वह विलेख लिखने वाले का नाम नहीं जानता है और विलेख के निष्पादन के समय पर शिवदुलारी देवी का कोई पुत्र-पुत्री उपस्थित नहीं था। अवर न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि यह गैर-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख था। इसे बिना स्टाम्प वाले सादे कागज पर लिखा गया था। इस तथ्य के संबंध में परिवर्णन नहीं था कि प्रतिवादी का पिता शिव दुलारी देवी के घर में पूजा संपन्न करता था और शिवदुलारी देवी ने उसके द्वारा पुजारी के रूप में दी गयी सेवा के लिए उसको

संपत्ति दान में दिया था। अवर न्यायालयों ने पाया है और अभिनिर्धारित किया है कि लिप्त लेखन हुआ था और परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में दान विलेख निष्पादित किया गया था। ब०सा० 1 अर्थात गोपाल शर्मा ने अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रदर्श A कथन नहीं करता है कि संपत्ति प्रतिवादियों के पिता को दान में दिया गया है क्योंकि वह शिवदुलारी देवी के घर में पूजा संपन्न किया करता था। कि ब०सा० 2 मीना शर्मा अर्थात ब०सा० 1 की पत्नी ने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसके ससुर की मृत्यु के बाद जब बक्सा खोला गया था, उन्होंने दान विलेख पाया था। ब०सा० 3 कन्हैया लाल शर्मा ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मामला दाखिल करने के बाद उन्होंने दान विलेख में उल्लिखित भूखंड सं० एवं खाता सं० के बारे में पूछताछ किया और उन्हें जानकारी हुई कि यह वाद परिसर के संबंध में था और उसने स्वीकार किया कि वर्तमान वाद के लंबित रहने तक उसे दिनांक 1.2.1975 के दान विलेख के बारे में जानकारी नहीं थी। देबव्रत शर्मा ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने वर्ष 1980–85 में एकबार दान विलेख देखा था।

अवर न्यायालय के इस तथ्य पर भी विचार किया है कि प्रतिवादी सं० 1 ब०सा० 4 जो दान विलेख का गवाह है के फर्म में कार्यरत था किंतु उक्त गवाह ने विलेख के अस्तित्व के बारे में सूचित कभी नहीं किया था क्योंकि ब०सा० 1 ने स्वीकार किया कि उसने केवल मामला की दाखिली के बाद दान विलेख पाया।

आक्षेपित निर्णय में तात्विक साक्ष्य पर पूरी तरह चर्चा की गयी है और संतुष्टि दर्ज की गयी है कि प्रतिवादियों के अभिवचन संपोषणीय नहीं हैं। कि वादीगण ने इस तथ्य को स्थापित करने के लिए साक्ष्य दिया है कि मकानमालिक किराएदार का संबंध है। अवर न्यायालय ने साक्ष्य के विश्लेषण पर अभिनिर्धारित किया कि वादीगण को वाद परिसर की सद्भावपूर्ण आवश्यकता है।

13. यह सुस्थापित विधिक अवस्था है कि उच्च न्यायालय द्वितीय अपील में मात्र इस आधार पर कि एक अन्य दृष्टिकोण संभव था, साक्ष्य के पुनर्अधिमूल्यन पर अपना निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप अनावश्यक है जब अवर न्यायालयों द्वारा तथ्यों के निष्कर्ष में विकृतता, धूर्तता एवं मनमानापन नहीं है। यह सुस्थापित है कि तथ्य के गलत निष्कर्ष के आधार पर द्वितीय अपील ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है और द्वितीय अपील केवल तब ग्रहण की जा सकती है जब विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न शुद्धतः तथ्य के प्रश्न हैं और विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं करते हैं।

14. परिणामस्वरूप, द्वितीय अपील खारिज की जाती है और अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एतद् द्वारा अभिपुष्ट की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

बॉबी देवी उर्फ बेबी एवं अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखण्ड)

Criminal Appeal (D.B.) No. 180 of 1992 (R). Decided on 27th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 86 वर्ष 1990 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 25 जुलाई, 1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से उद्भूत।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34–हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील–अ०सा० अपीलार्थियों द्वारा प्रहार के बिन्दु पर परस्पर रूप से सहमत हैं–चिकित्सीय साक्ष्य भी उनके विवरणों को संपुष्ट करता है–घटनास्थल एक अत्यन्त निर्जन स्थान था जो अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से भी समर्थित है–मृतक की पत्नी एकमात्र चश्मदीद गवाह है और उसपर अविश्वास करने के लिए उसके साक्ष्य में कुछ नहीं है–अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों की सह-अपराधिता सिद्ध किया है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश संपुष्ट–अपील खारिज। (पैराएँ 22 एवं 23)

अधिवक्तागण.–Mrs. Nivedita Kundu, Amicus Curiae, For the Appellants; Mr. Shekhar Sinha, For the Respondent.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–यह अपील चरकू गोप की पत्नी बॉबी देवी उर्फ बेबी, टुम्पा गोप के पुत्र कालिन्दर गोप एवं मोहर गोप के पुत्र चरकू गोप द्वारा सत्र विचारण सं० 86 वर्ष 1990 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 25 जुलाई, 1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्धि के उपरान्त उन्हें आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, चरकू गोप की मृत्यु हो गयी, इस प्रकार दिनांक 18.10.2016 के आदेश के तहत यह अपील उपशमनित हो गयी जहाँ तक चरकू गोप का संबंध है।

3. अभियोजन मामला स्वर्गीय रामू तत्वा के पुत्र रघु तत्वा के फर्दबयान पर आधारित है जिसमें कथन किया गया है कि 16.10.1989 को अपराहन् लगभग 5.30 बजे उसके बड़े भाई जगदीश तत्वा (मृतक) की साली आयी और उसको सूचित किया कि जगदीश तत्वा की हत्या कर दी गयी है। उक्त सूचना की प्राप्ति पर सूचक अपने बड़े भाई द्वारिका तत्वा के साथ घटना स्थल पर गया। घटना स्थल पहुँचने पर उसने देखा कि उसका भाई खेत में मृत पड़ा था। यह देखा गया कि उसके चेहरे के दाएँ भाग एवं अग्रमस्तक पर उपहति थी और वह खून से लथपथ पड़ा था। मृतक की पत्नी (सूचक की भाभी) ने उसे बताया कि करमा उत्सव के बाद मृतक अपनी पत्नी के साथ सूर्यास्त होने पर अपने ससुराल से लौट रहा था और ठेपा लोहरा उसके साथ था। मृतक की पत्नी मृतक के पीछे कुछ दूरी पर चल रही थी। जब वे बाराटांड खेत के निकट पहुँचे, चरकू गोप अपने हाथ में छूरा, चरकू गोप की पत्नी बॉबी देवी अपने हाथ में भारी लाठी और चरकू गोप का साला कालिन्दर गोप अपने हाथ में छूरा लिए जगदीश तत्वा पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। उसने कथन किया कि चूँकि मृतक की पत्नी पुलिस थाना जाने की अवस्था में नहीं थी, सूचक ने उक्त हत्या की सूचना पुलिस को दी। उसने कथन किया कि किस प्रकार घटना हुई इसका विवरण विस्तारपूर्वक मृतक की पत्नी द्वारा दिया जाएगा। उसने कथन किया कि कुछ पूर्व दुश्मनी के कारण अभियुक्तों ने मृतक की हत्या की है।

4. रघु तत्वा के फर्दबयान के आधार पर सिसई पी०एस०केस सं० 111/89 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन दर्ज किया गया था।

5. पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और समस्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया।

6. संज्ञान लेने के बाद, मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था और इसे एस०टी०सं० 86 वर्ष 1990 के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

7. अभियोजन मामला सिद्ध करने के लिए कुल 8 गवाहों का परीक्षण किया गया गया है। अ०सा० 1 विजय कुमार झा है। अ०सा० 2 श्रीमती मुन्नी देवी है। अ०सा० 3 लखन तत्वा है। अ०सा० 4 डॉ० कृष्णा प्रसाद है। अ०सा० 5 श्रीमती पति देवी है। अ०सा० 6 रघु तत्वा है। अ०सा० 7 दुरबल तत्वा है। अ०सा० 8 श्री कृष्ण सिंह है।

8. साक्ष्य बंद होने के बाद, अभियुक्त अपीलार्थियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया था। बचाव की ओर से एक गवाह ब०सा० 1 रमेश तिवारी का परीक्षण किया गया था।

9. विचारण न्यायालय अभियुक्तों के अधिवक्ता तथा विद्वान अपर पी०पी० को सुनने के बाद एवं अभिलेख का परिशीलन करने के बाद अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध करने के लिए दोषसिद्ध किया एवं आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

10. एस०टी०सं० 86 वर्ष 1990 में पारित दिनांक 25 जुलाई, 1992 के दोषसिद्धि के उक्त निर्णय तथा दंडादेश को चुनौती देते हुए दोषसिद्धों द्वारा यह अपील दाखिल की गयी है।

11. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दोषसिद्धि एकमात्र चश्मदीद गवाह जो अत्यन्त हितबद्ध गवाह है के साक्ष्य पर आधारित नहीं किया जा सकता है। वह यह निवेदन भी करती है कि पक्षों के बीच दुश्मनी थी जिसका परिणाम इस मामले में अपीलार्थियों को झूठा आलिप्त करने में हुआ है। यह निवेदन भी किया गया है कि ठेपा लोहरा जो मृतक एवं उसकी पत्नी के साथ था का परीक्षण नहीं किया गया है जो अभियोजन मामले के बारे में संदेह सृजित करता है। वह निवेदन करती हैं कि इन आधारों पर अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाना होगा।

12. राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अ०सा० 2 चश्मदीद गवाह है और उसका परिसाक्ष्य त्यक्त करने के लिए उसके साक्ष्य में कुछ नहीं है। यह भी उल्लिखित किया गया है कि स्थान निर्जन था और वहाँ कोई उपस्थित नहीं था जो साक्ष्य में आया है। यह निवेदन किया गया है कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि पक्षों के बीच पूर्व दुश्मनी थी। यह तर्क किया गया है कि ठेपा लोहरा का गैर परीक्षण घातक नहीं है क्योंकि अ०सा० 2 के साक्ष्य से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने घटना नहीं देखा था।

13. इस मामले में साक्ष्य का विश्लेषण करने के पहले, यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि घटना का केवल एक चश्मदीद गवाह अर्थात मुन्नी देवी (अ०सा० 2) है जो मृतक की पत्नी है। मुन्नी देवी (अ० सा० 2) ने अपने साक्ष्य में उसने कथन किया कि यह सोमवार था और सूर्यास्त पर वह अपने पति के साथ माएके से लौट रही थी। जब वे बाराटांड पहुँचे, उसका पति उससे कुछ कदम आगे था, अचानक चरकू गोप एवं कालिन्दर गोप अपने हाथ में छुरा लिए वहाँ आए और बॉबी देवी छड़ी के साथ आयी और वे सब मृतक पर प्रहार करने लगे। चरकू गोप एवं कालिन्दर गोप ने छुरा से वार किया और बॉबी देवी ने छड़ी से वार किया। इस गवाह ने अभियुक्तों को अपने पति पर प्रहार करने से मना किया किंतु उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। प्रहार के परिणामस्वरूप उसके पति की तुरन्त मृत्यु हो गयी और केवल उसके पति की मृत्यु के बाद ये हमलावर भाग गए। उसने कथन किया कि तत्पश्चात वह अपने दांपत्य

गृह लौटी और अपनी बहन को घटना बताया और पुनः घटनास्थल पर आयी और अपने पति के मृत शरीर के बगल में बैठी। उसने घटना की सूचना देने के लिए अपनी बहन को अपने ससुराल भेजा। उसने आगे कथन किया कि उसका देवर रघु, लखन, सकू, आदि घटनास्थल पर पहुँचे और तत्पश्चात् वे सब सूचना देने पुलिस थाना पहुँचे। उसने कथन किया कि उसके पति के मस्तक पर प्रहार किया गया था और उसकी आँखों को भी नुकसान पहुँचा था। उसने हमलावरों को पहचाना है।

प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि प्रहार स्थल के निकट कोई व्यक्ति नहीं था। काफी दूर पर कुछ व्यक्ति थे, किंतु कोई नहीं पहुँचा था। उसने कथन किया कि घटना होने के पहले रघु लोहरा एवं ठेपा लोहरा उनसे आगे चले गए थे। उसने कथन किया कि घटना स्थल से उसका दांपत्य गृह उसके ससुराल की तुलना में निकट था। उसने कथन किया कि वह नहीं जानती है कि क्या उसके पति जगदीश तत्वा ने पहले बॉबी देवी की माता की हत्या की थी और उस कारण से वह अभिरक्षा में था। उसने कथन किया कि पहले चरकू गोप ने तीन बार छुरा का वार करके प्रहार किया। बॉबी देवी ने भी मस्तक पर पाँच-छह वार किया और कालिन्दर गोप ने भी मृतक पर प्रहार किया। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि मृतक का अनेक व्यक्तियों से बैर था और इन अभियुक्तों को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। उसने इस बात से भी अनकार किया है कि मृतक नशे में था। इस प्रकार, उसके प्रतिपरीक्षण से हम पाते हैं कि बचाव द्वारा उनके पक्ष में अधिक नहीं निकलवाया जा सका था।

14. अ०सा० 3 लखन तत्वा ने कथन किया है कि वह बाजार में था जब अपराह्न लगभग 6.30 बजे रघु जो उसका साला था उसके पास आया और उसे बताया कि उसके भाई की हत्या कर दी गयी थी। तब श्रीमती पति देवी (अ०सा० 5), अ०सा० 2 की बहन आयी और सूचित किया कि चरकू गोप, कालिन्दर गोप एवं बॉबी देवी द्वारा मृतक की हत्या की गयी थी। यह सुनने पर वह, रघु एवं द्वारिका घटना स्थल पर गए और मृतक को खेत में मृत पड़ा पाया और उसकी पत्नी मुन्नी देवी वहाँ बैठी हुई थी। मुन्नी देवी ने उनको घटना बताया और कहा कि जब वे उसके दांपत्य गृह से लौट रहे थे और बाराटांड पहुँचे, अचानक चरकू गोप, कालिन्दर गोप एवं बॉबी देवी आए और मृतक पर हमला किया। चरकू एवं कालिन्दर ने भुजाली से तथा बॉबी देवी ने भारी छड़ी से प्रहार किया। इस गवाह ने चौकीदार को बुलाया और पुलिस थाना गए और तत्पश्चात्, रघु का बयान दर्ज किया गया था जो फर्दबयान है। उसने फर्दबयान पर हस्ताक्षर भी किया जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था और रघु का हस्ताक्षर प्रदर्श 2/1, चिन्हित किया गया था। अगले दिन पुलिस पुनः घटनास्थल पर आयी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी जिस पर भी उसने हस्ताक्षर किया था। उसने अपीलार्थियों को भी पहचाना। उसने कथन किया कि मुन्नी तत्वा मृतक की दूसरी पत्नी है और इस सुझाव से इनकार किया वह मृतक से संबंधित नहीं है। उसने कथन किया कि उसे घटना के बारे में रघु द्वारा सूचित किया गया था और जब वे घटना स्थल पर पहुँचे, उन्होंने मृत शरीर खून से लथपथ देखा। मृतक को अपने मस्तक पर उपहति आयी थी। उसने घटनास्थल का वर्णन दिया। उसने मृतक जगदीश तत्वा के विरूद्ध किसी मामले के बारे में जानकारी से इनकार किया और इससे भी इनकार किया कि उसने बॉबी देवी की माता की हत्या की थी। उसने इस सुझाव के प्रति अपनी अनभिज्ञता दर्शाया कि मृतक को एकबार लड़कियों को छेड़ने के कारण परिरूद्ध किया गया था।

15. अ०सा० 5 श्रीमती पति देवी अ०सा० 2 की बहन है। उसने कथन किया कि उसके बहन-बहनोई उत्सव मनाने के बाद सूर्यास्त होने पर उनके घर से चले गए किंतु कुछ समय बाद उसकी

बहन लौटी और उसको सूचित किया कि चरकू गोप, कालिन्दर गोप एवं बॉबी देवी ने प्रहार किया और मृतक की हत्या की। उसने कथन किया कि चरकू गोप एवं कालिन्दर गोप ने छूरा का वार किया और बॉबी देवी ने भारी छड़ी से उसके मस्तक पर वार किया। सूचना की प्राप्ति पर वह अ०सा० 2 के साथ घटना स्थल पर गयी और मृत शरीर देखा। उसने कथन किया कि अ०सा० 2 ने उसे अपने ससुराल वालों को सूचना देने के लिए भेजा। वह अ०सा० 2 के ससुराल गयी और रघु को मामला सूचित किया, तब रघु और द्वारिका घटनास्थल पर आए।

अपने प्रति परीक्षण में, वह स्वीकार करती है कि उसने पुलिस के समक्ष बयान दिया था और तथ्यों के बारे में कथन किया और उसने यह कथन भी किया कि उसने पुलिस को बताया था कि मृत शरीर से खून बह रहा था। उसने भी घटना स्थल का वर्णन किया।

16. अ०सा० 6 रघु तत्वा सूचक है और मृतक का भाई है जिसने भी कथन किया कि पति देवी आयी और उनको सूचित किया कि अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या की गयी थी। उसने कथन किया कि सूचना की प्राप्ति पर वे घटनास्थल पर गए और मृत शरीर देखा और मृतक की पत्नी को वहाँ बैठे पाया। उसने कथन किया कि अ०सा०2 ने उसे पूरी कहानी बताया कि किस प्रकार घटना हुई थी और कथन किया कि जब वे दांपत्य गृह से लौट रहे थे, खेत के निकट चरकू गोप, कालिन्दर गोप और बॉबी ने मृतक पर छुरा से प्रहार किया जिसका परिणाम मृतक की मृत्यु में हुआ। उसने कथन किया कि वह पुलिस थाना गया और अपना फर्दबयान दर्ज करवाया और अभिस्वीकृत किया कि उसने फर्दबयान पर हस्ताक्षर किया है। उसने इस सुझाव के प्रति अनभिज्ञता दर्शायी कि उसका भाई लड़की छेड़ने के मामले में अंतर्ग्रस्त था। उसने इस सुझाव के प्रति भी अपनी अनभिज्ञता दर्शाया कि उसका भाई बॉबी देवी की माता की हत्या में अभियुक्त था।

17. अ०सा० 7 दुरबल तत्वा मृत्यु समीक्षा का गवाह है। उसने अभिस्वीकृत किया कि उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया था। उसने कथन किया कि रक्त रंजित मिट्टी भी जब्त की गयी थी और लखन एवं उसके द्वारा अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किया गया था।

18. अ०सा० 1 विजय कुमार झा है जो औपचारिक गवाह है जिसने केवल आरोप-पत्र प्रदर्शित किया।

19. अ०सा० 4 डॉ० कृष्ण प्रसाद डॉक्टर हैं जिन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया। उन्होंने कथन किया कि मृतक के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पायी गयी थी:–

(i) nk, dku d ik'o ekftu ij mij tku okyh vkDlhihVy gMMh d nk, Hkkx ij dVu dh migfrA vkDlhihVy gMMh d uhp dh gMMh 3" × 1" × 1/2" c eVj t[e l ckgj vk x;k FkkA

(ii) [kkiMh dh gMMh d uhp vkDlhihVy tD'ku d nk, lkeu fonh.k t[e] 2" × 1½" × 2" dk ÝDpj

(iii) migfr l0 2 d yxHkx 2" ehfM;y 3" × 1/2" × 1/2" dVu dk t[eA

(iv) nk, lik vkfoVy {k= d mij 1" × 1" × 1/2" dh fonh.k migfrA

(v) nkuk ÝVy vfLFk ij 2" × 1/4" × 1/2" dk dVu dk t[eA

उन्होंने मत दिया कि समस्त उपहतियाँ मृत्यु पूर्व थी और उपहति सं० 1 तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी और उपहति सं० 2 कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित की गयी थी। उन्होंने

मत दिया कि उपहति सं० 1 मृत्यु का कारण थी। उन्होंने मत दिया कि उपहति सं० 2 एवं 4 लाठी द्वारा कारित की जा सकती हैं। उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शित किया जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया है।

20. अ०सा० 8 श्री कृष्णा सिंह मामले का अन्वेषण अधिकारी है। उसने कथन किया कि रघु तत्वा से प्राथमिकी पाने के बाद उसने प्राथमिकी लिखा। औपचारिक प्राथमिकी प्रदर्श 5 चिहिन्त किया गया है। उसने आगे कथन किया कि सिसई पी०एस०केस सं० 111/89 दर्ज किया गया था और उसने अन्वेषण प्रारंभ किया। उसने कथन किया कि वह घटना स्थल पर गया और मृत शरीर देखा जो खेत में पड़ा था। उसने कथन किया कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी उसने यह कथन भी किया कि उसने रक्तरंजित मिट्टी जब्त किया। प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि रक्तरंजित मिट्टी की अभिग्रहण सूची तैयार नहीं की गयी थी। उसने रघु तत्वा का बयान दर्ज किया था जिसने कथन किया कि मुन्नी देवी (अ०सा० 2) ने उसको संपूर्ण घटना बताया। उसने लखन तत्वा का बयान भी दर्ज किया। उसने कथन किया कि घटनास्थल निर्जन स्थान था।

21. बचाव ने एक गवाह अर्थात रमेश तिवारी का परीक्षण किया जो तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गुमला का बेन्च क्लर्क है। उसने कथन किया कि उस तिथि पर जब दंडाधिकारी ने दं०प्र०सं० की धारा 164 के अधीन रन्थू लोहरा का बयान दर्ज किया, वह न्यायालय में उपस्थित था। उसने कथन किया कि उसकी उपस्थिति में बयान दर्ज किया गया था और बयान रन्थू लोहरा को पढ़ कर सुनाया गया था जिसने इसे सही पाने के बाद इस पर अपने अंगूठा का निशान लगाया। दं० प्र० सं० की धारा 164 के अधीन बयान प्रदर्श A चिन्हित किया गया है।

22. इस प्रकार, इस मामले में दर्ज साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि उक्त घटना का केवल एक चश्मदीद गवाह अर्थात् अ०सा० 2 है जिसने उस तरीके के बारे में कथन किया जिस तरीके से मृतक की हत्या की गयी थी। उसने कथन किया कि चरकू गोप एवं कालिन्दर गोप ने मृतक पर छुरा का वार किया था और बॉबी देवी ने लाठी से वार किया। उसने कथन किया कि उसने घटना देखा था और तत्पश्चात् वह दांपत्य गृह गयी और अ०सा० 5 को सूचित किया। अ०सा० 5 के बयान से पूर्वोक्त तथ्य संपुष्ट होता है। अ०सा० 5 ने कथन किया कि अ०सा० 2 ने उसे अपने ससुराल वालों को मामला सूचित करने का निर्देश दिया। यह तथ्य अ०सा० 2 के साक्ष्य से भी संपुष्ट होता है। सूचक अ०सा० 6 ने यह भी कहा कि अ०सा० 5 आयी और मृतक की हत्या के बारे में उसे सूचित किया और जब वे घटनास्थल पर गए, अ०सा० 2 ने घटना के बारे में बताया। इन समस्त अ०सा० का विवरण इन अपीलार्थियों द्वारा प्रहार के बिन्दु पर संगत हैं। चिकित्सीय साक्ष्य भी उनका विवरण संपुष्ट करता है। अपीलार्थियों के अधिवक्ता का तर्क कि पक्षों के बीच पूर्व दुश्मनी के कारण इन अपीलार्थियों को इस मामला में झूठा आलिप्त किया गया है, इस सरल कारण से आधारहीन है कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि कोई पूर्व विवाद था। आगे अपीलार्थियों का तर्क कि ठेपा लोहरा जो उनके साथ अ०सा० 2 के दांपत्य गृह से गया, का परीक्षण नहीं किया गया है, अप्रासंगिक है। चश्मदीद गवाह अर्थात् अ०सा० 2 ने स्पष्टत: कथन किया है कि कोई मौजूद नहीं था जब प्रहार किया गया था, बल्कि वह कहती है कि ठेपा लोहरा प्रहार के पहले उनसे आगे चला गया था। घटना स्थल अत्यन्त निर्जन स्थान है जो अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से समर्थित होता है। यद्यपि अ०सा० 2 मृतक की पत्नी है, फिर भी उस पर अविश्वास करने के लिए उसके साक्ष्य में कुछ नहीं है। विशेषत:, जब वह एकमात्र व्यक्ति है जो मृतक के साथ थी और निकट में कोई और व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार, जो चर्चा उपर की गयी है, उससे यह महसूस किया जाता है

कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के बिना इन अपीलार्थियों का दोष सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। हम पाते हैं कि दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है। इस प्रकार, इस अपील में गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश संपुष्ट किया जाता है।

23. अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनका जमानत बंधपत्र एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। उन्हें एक माह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, जो उनको शेष दंडादेश भुगतने के लिए अभिरक्षा में लेगा। अवर न्यायालय को अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लेने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं।

24. यह उल्लेख किया जाता है कि न्यायमित्र श्रीमती निवेदिता कुन्डु ने सक्षमतापूर्वक इस न्यायालय की सहायता किया है। सचिव, एच॰सी॰एल॰एस॰सी॰, राँची को उनको अनुसूची के मुताबिक उनके फीस का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। आवश्यक कार्रवाई के लिए इस निर्णय की प्रति सचिव, एच॰सी॰एल॰एस॰सी॰ को भेजी जाए।

25. इस निर्णय की प्रति और संपूर्ण अवर न्यायालय अभिलेख विचारण न्यायालय को तुरन्त भेजा जाए।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

सुका पाहन उर्फ सुकरा पाहन एवं अन्य

cuke

झारखण्ड राज्य

Criminal Appeal (SJ) No. 505 of 2003. Decided on 17th May, 2016.

श्री एच॰ पी॰ चक्रवर्ती, अपर न्यायिक आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश-षष्टम सी॰ बी॰ आई॰ (ए॰ एच॰ डी॰) राँची द्वारा एस॰ टी॰ केस सं॰ 716 वर्ष 1998 में पारित दिनांक 11 मार्च, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 324/149, 148 एवं 341–गंभीर उपहति एवं दोषपूर्ण परिरोध–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील–सूचक द्वारा अभिकथित रूप से पायी गयी उपहति के लिए चिकित्सीय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया–अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 14 से 19)

अधिवक्तागण.–Mr. Ashok Roy, For the Appellants; Mr. Tapas Roy, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–वर्तमान अपील एस॰टी॰ मामला सं॰ 716 वर्ष 1998 में श्री एच॰पी॰ चक्रवर्ती, अपर न्यायिक आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश VI सी॰बी॰आई॰ (ए॰एच॰डी॰), राँची द्वारा पारित दिनांक 11.3.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश ने समस्त अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 सहपठित 149 के अधीन दोषसिद्ध किया और उनको छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और उन सबों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 एवं 341 के अधीन भी दोषसिद्धि किया किंतु उन धाराओं के अधीन पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था।

2. अभियोजन मामला, जैसा ग्राम सहेदा, लापुंग पुलिस थाना, जिला राँची के स्वर्गीय मंगरा ओराँव के पुत्र गोन्डा ओराँव की लिखित रिपोर्ट में कथित किया गया है यह है कि 11.3.1998 को अपराह्न

लगभग 12.30 बजे उस समय के दौरान वह अपने गाँव से लगभग आधा किलोमीटर दक्षिण में था और घर बनाने में उपयोग किए जाने के लिए जामुन का पेड़ काट रहा था। बालो गोप एवं गढ़वा भगत का पुत्र पेड़ काट रहे थे। उसका एक संबंधी अर्थात् ग्राम फुली, पी० एस० इटकी का बलबीर ओराँव जो उससे मिलने आया था भी बगल में खड़ा था। तभी सुका पाहन, सोमरा पाहन, कन्हुआ पाहन, काशी पाहन, बिलू पाहन, लैडो पाहन, जौर पाहन एवं गंदरू पाहन लोहे की छड़ एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर वहाँ आए और पूछा कि पेड़ क्यों काटा जा रहा था और उन पर प्रहार करने लगा। प्रहार के कारण, उसका रिश्तेदार बलबीर ओराँव घायल हो गया तथा वहाँ गिर गया और वह भी घायल हुआ था। किंतु, किसी प्रकार वह स्वयं को बचा सका था और भागने में सफल हुआ। घटना अर्जुन गोप एवं सोहार गोप द्वारा देखी गयी थी जो दोनों भी लापुंग पुलिस थाने के थे।

3. पूर्वोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, लापुंग पी०एस०केस सं० 11 वर्ष 1998, जी०आर०सं० 561 वर्ष 1998 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 144, 149, 323 एवं 341 के अधीन संस्थित किया गया था। अन्वेषण पूरा करने के बाद, पुलिस ने अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 323, 325, 307 एवं 341 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया। तत्पश्चात्, संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था।

4. समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध भा०दं०सं० की धाराओं 147, 148, 341, 307/149 एवं 324/149 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे। जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया एवं विचारण किए जाने का दावा किया।

5. अभियोजन ने कुल पाँच गवाहों का परीक्षण किया। अ०सा० 1 अर्जुन गोप, अ०सा० 2 इश्वर गोप, अ०सा० 3 सोहन गोप, अ०सा० 4 बालो गोप एवं अ०सा०5 गोअंदा ओराँव सूचक हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख तथा उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया और अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 148, 341 एवं 324/149 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया। अत:, यह अपील की गयी है।

6. अ०सा० 5 गोन्डा ओराँव सूचक है। अपने अभिसाक्ष्य में, उसने कथन किया कि 11.3.1998 को दोपहर 12.30 बजे वह बालो गोप एवं गढ़वा भगत के छोटे पुत्र के साथ जामुन का पेड़ काटने गया था। कि जामुन का पेड़ उसकी बंजर भूमि पर है। उसका संबंधी बलबीर ओराँव भी वहाँ बगल में खड़ा था। तब सुका पाहन, सोमरा पाहन, गंदरू पाहन, काशी पाहन, कान्हुआ पाहन, बिलु पाहन, लेडो पाहन एवं जौर पाहन कुल आठ व्यक्ति आए जब पेड़ काटा जा रहा था और छड़ी/लोहे की छड़ तथा कुल्हाड़ी से प्रहार करने लगे। उसे अपने पीठ एवं छाती पर चोट लगी। बलबीर ओराँव भी घायल हुआ था। उसके दोनों पैर टूट गए थे और उसने अपने मस्तक एवं अपनी पीठ पर भी उपहति पाया। प्रहार के दौरान, अर्जुन गोप, इश्वर गोप एवं सोहन गोप आए जिस पर अभियुक्तगण भाग गए। उसने न्यायालय में लेडो पाहन के सिवाए समस्त अभियुक्तों को पहचाना है और कहा कि वह लेडो पाहन को उसको देखने पर पहचान सकता है। उसने अपने लिखित कथन पर हस्ताक्षर सिद्ध किया है जिसे, प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि बलबीर ओराँव की हत्या की गयी थी। अपने प्रति परीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि देशी पिस्तौल से गंदरू पाहन पर प्रहार करने के लिए उसे एस०टी० मामला सं० 399 वर्ष 1999 में न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पाँच वर्ष का दंडादेश दिया गया था। तब वह कहता है कि गंदरू पाहन पर उसके भाई जगन पाहन द्वारा प्रहार किया गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने मामला सं० 716 वर्ष 1998 संस्थित किया जिसके प्रतिशोध में उसे दंड के लिए मजबूर किया गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह घायल हुआ, वह सेहदा गाँव भाग गया। उसके भाग जाने के बाद प्रहार किया गया था जिसे अर्जुन गोप, इश्वर गोप द्वारा देखा गया था और उन्होंने देखा तथा

बताया। उसने उपहति पाया था और खून बह रहा था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रहार के समय पर वह कमीज एवं लुंगी पहने था और कमीज फट गयी थी जो खून से रंगी थी और कि उसने इन सबों को पुलिस को दिखाया था और उनको दिया भी था। वह घटना के बाद पुलिस थाना गया था और रात भर लापुंग पुलिस थाना में रहा था और तब उसके साथ कोई सहजू समसी भी था। वह अपराहन् 5 बजे पहुँचा। पाँच बजे के बाद उसने पुलिस थाना में अपना बयान लिखवाया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि 11.3.1998 को शाम 5.30 बजे उसे लापुंग अस्पताल में भरती किया गया था और वह अगले दिन लापुंग अस्पताल से लौटा। लौटने पर, अगले दिन पुलिस ने उसका पुनर्बयान लिया था। बलवीर ओराँव के घायल होने के बाद, अगले दिन उसे जानकारी हुई कि उसका भाई उसे मारूति कार में ले गया था। बलवीर ओरॉव पेड़ खरीदने-बेचने का व्यवसाय नही करता था। जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द का क्षेत्र प्राइवेट अमीन और अंचलाधिकारी लापुंग के कार्यालय द्वारा मापा गया था और मापी 21.2.1998 को की गयी थी।

7. अ०सा० 1 अर्जुन गोप है। उसने कहा कि घटना दो वर्ष पुरानी है और उस दिन पर शोर सुनने पर वह घटना स्थल पर गया था, वहाँ बलवीर ओराँव घायल हुआ था और जमीन पर गिर गया था। वहाँ सुका पाहन, लेडो पाहन, सोमरा पाहन, बिलू पाहन, कन्हुआ पाहन, जौर पाहन, काशी पाहन, गंदरू पाहन कुल्हाड़ी बलुआ एवं तीर-धनुष लिए खड़े थे। उसने दो व्यक्तियों जौर पाहन एवं कान्हवा पाहन को बलबीर ओरॉव पर प्रहार करते देखा था। शेष खड़े थे। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि वहाँ जामुन का पेड़ था जिसे कुछ सीमा तक काटा गया था। उसने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका काफी पहले अभियुक्त गंदरू पाहन के साथ भूमि विवाद था। पुलिस ने उसका बयान लिया था। बलबीर ओरॉव जो जख्मी हुआ था उसके गाँव से नहीं है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस को कहा कि उसने दो व्यक्तियों को प्रहार करते देखा था। वह इश्वर गोप एवं अन्य के साथ घटनास्थल पर पहुँचा था। सोहन गोप, बालक गोप और कुछ औरतें भी घटनास्थल पर पहुँचे थे। घटनास्थल मसना बगीचा है जहाँ बलबीर गिर गया था। खेत जिसमें बलबीर गिर गया था पर बुधवा ओराँव तथा गोन्डा ओराँव द्वारा खेती की जाती थी। प्रहार के समय पर, खेत जोते गया था किंतु वहाँ फसल नहीं थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि बलबीर के पैर एवं सिर से खून बह रहा था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा था, उस समय पर गोन्डा वहाँ नहीं था।

8. अ०सा० 2 इश्वर गोप है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना दो वर्ष पहले की दोपहर बारह बजे की है। गोन्डा एवं बलबीर जामुन का पेड़ काटने गए थे और उन पर सुका पाहन, गंदरू पाहन, बिलु पाहन, सोमरा पाहन, कन्हुआ पाहन, लेडो, काशी, जौर आदि द्वारा प्रहार किया गया था। बलबीर एवं गोंडा पर प्रहार किया गया था और बलबीर घायल हो गया था और जमीन पर गिर गया था और गोन्डा प्रहार किए जाने के बाद भाग गया था। उसने न्यायालय में समस्त अभियुक्तों को पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कहा कि घटना के समय पर वह उस स्थान पर था जिसे मसना टाँड़ के रूप में जाना जाता है और कि उसके साथ अर्जुन गोप एवं सोहर गोप थे। उसने नहीं देखा था कि कौन अभियुक्त किस हथियार को लिए था और किसने किस चीज से प्रहार किया था। बलबीर को उसके भाई द्वारा मारूति कार में ले जाया गया था।

9. अ०सा० 3 बिरसा गोप का पुत्र सोहन गोप है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना लगभग तीन वर्ष पहले दोपहर 12 बजे की है। उस समय पर, वह खेत में था और कि गोन्डा एवं बलबीर पेड़ काटने वाले थे जो जामुन का पेड़ था। उसने प्रहार नहीं देखा था। गोन्डा एवं बलबीर घायल हुए थे। उसने न्यायालय

में अभियुक्तों को पहचाना है। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में अभिसाक्ष्य दिया है कि वह खेत में था, अत: वह देखने में सक्षम नहीं था कि किसने किस पर प्रहार किया था। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया है कि बलबीर ओराँव की मृत्यु हो गयी थी।

10. अ०सा० 4 बालो गोप है। उसने कहा है कि घटना साढ़े तीन वर्ष पहले 12 से 12.30 बजे की है। उस दिन पर वह जामुन का पेड़ काटने के लिए मजदूरी पर लिए जाने पर गोन्डा ओराँव के साथ गया था। चार व्यक्तियों को पेड़ काटने के लिए काम पर लगाया गया था। गोन्डा ओरॉव एवं बलबीर ओराँव, गारदी का भगत और वह गए थे। वह नहीं जानता है कि पेड़ किसका था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि बिलू उसकी आज्ञा पर आया था, दोनों मजदूरों ने पेड़ नहीं काटा था और घर चले गए। उसने वहाँ कुछ नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस को नहीं बताया था कि सुका पाहन, बिलू पाहन, लेडो पाहन, संदरु पाहन एवं जौरू पाहन आए और कहा कि गोन्डा एवं उसके आदमियों के उकसावा पर पेड़ काटा जा रहा था और कि छड़ी एवं कुल्हाड़ी लिए अभियुक्तगण प्रहार करने लगे। उसने बचाव द्वारा अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया था।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि कोई भी गवाह चश्मदीद गवाह नहीं है और वस्तुत: अभिकथित अपराध की घटना नहीं देखा है। वह प्राख्यान करता है कि अ०सा० 1,अ०सा० 2 एवं अ०सा० 3 समस्त अनुश्रुत गवाह हैं। अ०सा० 1 अर्जुन गोप के संबंध में यह निवेदन किया गया है कि उसने केवल अभियुक्तों अथवा अपीलार्थियों को वहाँ खड़ा देखा था जिसका अर्थ है कि उसने प्रहार नहीं देखा है बल्कि उसने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 15 में कहा है कि बलबीर पर उपहतियों से खून बह रहा था। अ० सा० 2 इश्वर गोप के बारे में उसने तर्क किया कि वह भी अनुश्रुत गवाह है और चश्मदीद गवाह नहीं है और वह अ०सा० 1 एवं अ०सा० 3 के साथ कहीं और मसनाटांड नामक स्थान पर था, अत: उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अ०सा० 3 अथवा सोहन गोप ने भी अभिकथित प्रहार अथवा घटना नहीं देखा था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि संपूर्ण मामला अपीलार्थी गंदरू पाहन तथा सूचक गोन्डा ओरॉव के अभिसाक्ष्य में उपदर्शित होता है। एक मामले में अ०सा० 5 ने गंदरू पाहन पर प्रहार किया था और पाँच वर्षों के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था। अत: पूर्व दुश्मनी है अत: झूठे मामले में गंदरू पाहन तथा गंदरू के सहयोगियों को फँसाने के लिए सूचक के पास हेतु था। चूँकि इस विवाद में भूमि के उसी भूखंड पर दावा है, दोष पूर्णत: अपीलार्थियों का नहीं है। वस्तुत: दोनों कब्जा के लिए लड़ रहे थे। अधिवक्ता ने आगे कहा है कि यह मामला एवं प्रतिमामला का उदाहरण है और चूँकि मुद्दा भूमि का था, आपराधिक मन:स्थिति नहीं थी।

12. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि अ०सा० 5 सूचक गोन्डा ओराँव है। उसके लिखित रिपोर्ट में इसपर चर्चा नहीं है कि बलबीर ओरॉव के दोनों पैर टूटे हुए थे। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि यदि वह गंभीर रूप से घायल हुआ था, कोई संकेत नहीं है कि उसके दोनों पैर टूटे हुए थे। यदि दोनों पैर टूटे हुए थे, निश्चय ही डॉक्टर का रिपोर्ट अथवा उपहति रिपोर्ट होता किंतु यह बिल्कुल गायब है। इसके अतिरिक्त, अ०सा० 5 के अभिसाक्ष्य के समय पर बलबीर ओराँव की मृत्यु हो चुकी थी, अत:, उसका परीक्षण नहीं किया गया है। अत:, इस प्रकृति की उपहति सिद्ध नहीं की गयी थी। अत:, यह आश्चर्यजनक है। यही कारण है कि दोषसिद्धि भा०द०सं० की धारा 324 के अधीन है और न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 325 एवं 326 के अधीन, अ०सा० 5 ने यह भी उल्लेखित किया कि उसे देशी पिस्तौल से गंदरु पाहन पर प्रहार करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है और प्रहार के लिए पाँच वर्षों का दंडादेश दिया गया है। अत: सूचक के पास वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थियों को

फँसाने का हेतु था। अ०सा० 5 कहता है कि उसके भागने के बाद प्रहार हुआ था जिसे अर्जुन गोप एवं इश्वर गोप द्वारा देखा गया था। अ॰ सा॰ 1 अर्जुन गोप ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने जैतू पाहन एवं कन्हुआ पाहन को बलबीर ओराँव पर प्रहार करते देखा था और शेष वहाँ खड़े थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि पहले अपीलार्थी गंदरु पाहन के साथ भूमि विवाद था, अत: दुश्मनी थी। वह कहता है क घटनास्थल मसना बगीचा है जो उससे अलग है जिसे अ०सा० 2 कहता है जो कहता है कि वे मसना टांड पर थे। अ०सा० अपने अभिसाक्ष्य में प्रहार के लिए अपीलार्थीगण सहित समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध सामान्य अभिकथन करता है। किंतु, अपने प्रतिपरीक्षण में, वह कहता है कि वह अर्जुन गोप (अ०सा० 1 एवं सोहन गोप) के साथ मसना टांड पर था। उसने नहीं देखा था कि कौन अभियुक्त किस हथियार को लिए था और किसने किस पर प्रहार किया था। अ०सा० 3 सोहन गोप ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने प्रहार नहीं देखा था। अ०सा० 4 बालो गोप पेड़ काटने के काम में लगाया गया एक व्यक्ति था, अत: यद्यपि वह घटनास्थल पर था अथवा उसे वहाँ होना चाहिए था, वह कहता है कि वह घर चला गया और कुछ नहीं देखा था।

13. किंतु विद्वान ए०पी०पी॰ ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि एवं दंडादेश समुचित है क्योंकि कम से कम दो चश्मदीद गवाह थे और उनमें से एक घायल था, अत: वह विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण गवाह है, अत: उसका साक्ष्य त्यक्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान ए०पी०पी० ने आगे निवेदन किया है कि गोन्डा ओराँव घायल हुआ था जो स्थापित है क्योंकि उसे अस्पताल में भरती किया गया था। गोन्डा ओराँव ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे लापुंग अस्पताल में भरती किया गया था और इसका अर्थ केवल यह हो सकता था कि वह घायल हुआ था। तब विद्वान ए०पी०पी० ने निवेदन किया कि चूँकि वह घायल गवाह था, यह विश्वास करने का पूरा कारण है कि वह अपने हमलावरों को और न कि किसी अन्य को नामित करेगा। अत:, उसका परिसाक्ष्य पूर्णत: विश्वसनीय है। विद्वान ए०पी०पी० ने तब निवेदन किया है कि अ०सा० 5 के लिखित रिपोर्ट के मुताबिक जिसने उल्लेख किया था कि अर्जुन गोप, इश्वर गोप एवं सोहन गोप भी घटनास्थल पर आए थे और उनकी उपस्थिति स्वाभाविक एवं विश्वसनीय थी। इस प्रकार, उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। तब विद्वान ए०पी०पी० ने प्रतिवाद किया है कि इन समस्त कारणों के आधार पर समस्त अपीलार्थियों की दोषसिद्धि एवं दंडादेश पूर्णत: सिद्ध हुई है और सुयोग्य है।

निष्कर्ष:

14. दोनों अधिवक्ताओं को सुनने पर एवं मामले के अभिलेख का परिशीलन करने पर, यह मामला ऐसा है कि जहाँ इस घटना के पहले भी पक्षों के बीच मतभेद एवं दुश्मनी थी। अ०सा० 5 गोन्डा ओराँव ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे अपीलार्थी सं० 2 गंदरु पाहन पर गोली चलाने के आरोप के लिए एस०टी० मामला सं० 399 वर्ष 1999 में न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा दोषसिद्ध किया गया था और पाँच वर्षों का दंडादेश दिया गया था और आयुध अधिनियम के अधीन तीन वर्षों का दंडादेश दिया गया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि गंदरु पाहन पर उसके भाई जगन पाहन द्वारा प्रहार किया गया था। उसने अपने अभिसाक्ष्य के समय पर यह भी कहा कि बलबीर ओराँव की मृत्यु हो गयी थी। अत: स्वयं अ०सा० 5 के स्वीकरण के अनुसार पक्षों के बीच वर्षों पुराना विवाद था और उसे एक मामले में पाँच वर्षों का दंडादेश भी दिया गया था। अ०सा० 1 अर्जुन गोप ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका अपीलार्थी सं॰ 2 गंदरु पाहन के साथ पुराना भूमि विवाद था। बलबीर ओराँव की मृत्यु हो गयी थी, अत: उसे गवाह नहीं बनाया गया था। सूचक अ०सा० 5 गंदरु पाहन का एक अन्य पहलू यह है कि लिखित रिपोर्ट के माध्यम से उसने कथन किया है मानों उसने प्रहार देखा था किंतु न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में उसने स्पष्टत: कथन किया है कि उसके भाग जाने के बाद प्रहार किया गया था जिसे अर्जुन गोप एवं

इश्वर गोप द्वारा देखा गया था और उन्होंने उसे प्रहार के बारे में बताया था। यह प्रतीत होता है कि गोंडा ओराँव स्वयं किसी प्रहार का गवाह नहीं था। वह सहदा गाँव भाग गया था।

15. अ०सा० 1 अर्जुन गोप ने अभिसाक्ष्य दिया था कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा, गोन्डा ओराँव वहाँ नहीं था। उसने कहा कि उसने दो अभियुक्तों को बलबीर ओराँव पर प्रहार करते देखा था और बाद में वह जख्मी भी हुआ था, किंतु बलबीर ओराँव ने साक्ष्य नहीं दिया है। उसने गंदरु पाहन के साथ विवाद के बारे में अभिसाक्ष्य दिया।

16. अ०सा० 2 इश्वर गोप के अभिसाक्ष्य से, यद्यपि उसने प्रहार के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है, यह निश्चित नहीं है कि क्या वह चश्मदीद गवाह था, बल्कि उसने कहा कि वह अर्जुन गोप एवं सोहन गोप के साथ मसनाटांड पर था और कि उसने नहीं देखा है कि अपीलार्थीगण कौन-सा हथियार लिए थे और किसने किस पर किस हथियार से प्रहार किया था। अत: यह प्रतीत होता है कि वह भी चश्मदीद गवाह नहीं है।

17. अ०सा० 3 सोहन गोप ने भी अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने प्रहार नहीं देखा था अथवा किसने किस पर प्रहार किया था। अ०सा० 2 एवं अ०सा० 3 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अ०सा० 1, अ०सा० 2 एवं अ०सा० 3 मसना टांड अथवा खेत में थे जहाँ से घटना नहीं देखी जा सकती थी। केवल अ०सा० 1 प्रहार देखने का दावा करता है किंतु तब अ०सा० 2 एवं अ०सा० 3 ने प्रहार क्यों नहीं देखा था। अ०सा०1 ने पहले ही स्वीकार किया है कि उसका अपीलार्थी गंदरु पाहन के साथ भूमि विवाद अथवा दुश्मनी थी, अत: अ०सा० 1 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

18. सूचक अ०सा० 5 ने लिखित बयान में कहा कि उसने प्रहार देखा था, किंतु अपने प्रति परीक्षण में उसने कहा कि उसके भागने के बाद प्रहार किया गया था। किंतु, अपने अभिसाक्ष्य में वह कहता है कि उस पर उसकी छाती एवं पीठ पर प्रहार किया गया था। यह नया घटनाक्रम है किंतु इसके लिए चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं है। अ०सा० 5 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन भी किया है कि बलबीर घायल हुआ था और उसके दोनों पैर टूटे हुए थे और उसके मस्तक तथा पीठ पर भी उपहति हुई थी। बलबीर सर्वाधिक तात्विक एवं मुख्य गवाह होता किंतु उसका परीक्षण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, बलबीर की उपहतियों की उपहति रिपोर्ट अथवा चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि उसके दोनों पैर टूटे हुए थे, तब साक्ष्य के लिए उसे न्यायालय लाया जाना अभियोजन मामले की मदद करता। अत: पूर्वोक्त समस्त कारणों से संदेह उद्भूत होता है और अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाता है और एस०टी० मामला सं० 716 वर्ष 1998 में भा०दं०सं० की धाराओं 148, 341 एवं 324/149 के अधीन अपराधों के लिए दिनांक 11 मार्च, 2003 को अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया गया है। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं, उन्हें उनके जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

19. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

धनेश्वर महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 37 of 1992 (R). Decided on 20th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 349 वर्ष 1991 में विद्वान पंचम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 6 मार्च, 1992 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 13 मार्च, 1992 के दण्डादेश के विरूद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 304 B–भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872–धारा 113B –दहेज मृत्यु–अवयव–अभियोजन को न केवल इस तथ्य को सिद्ध करना होगा कि विवाह घटना के सात वर्षों के भीतर हुआ था और मृत्यु के तुरन्त पहले मृतका को दहेज की किसी मांग के लिए अथवा इसके संबंध में क्रूरता एवं परेशानी के अध्यधीन किया जाता था बल्कि अभियोजन को किसी युक्तियुक्त संदेह के परे इस तथ्य को सिद्ध करने की भी आवश्यकता है कि किसी जलन अथवा शारीरिक उपहति के कारण मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी अथवा मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा के अधीन हुई थी–यदि अभियोजन किसी युक्तियुक्त संदेह के परे इन अवयवों में से किसी को सिद्ध करने में विफल रहता है, भा०दं०सं० की धारा 304 B के अधीन अपराध के लिए पति एवं उसके संबंधियों के विरूद्ध धारणा उपबंध आकृष्ट नहीं होगा ताकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अधीन उपधारणा आकृष्ट हो सके और अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए अभियुक्त पर भार डाला जा सके। (पैरा 16)

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 304B एवं 201–दहेज मृत्यु एवं साक्ष्य गायब करना–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील–किसी चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा हितबद्ध गवाहों का मौखिक साक्ष्य संपुष्ट नहीं किया गया–मृत शरीर पर किसी यांत्रिक उपहति का साक्ष्य नहीं था, मृतका के मृत शरीर के नाक, मुँह एवं गला तथा अन्य भागों पर किसी दबाव का साक्ष्य नहीं–अभियोजन यह तथ्य सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हुई और उनको भा०दं०सं० की धारा 304 B के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अभियुक्त अपीलार्थियों के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 304B के अधीन धाराणा आकृष्ट नहीं हो सकता है–संदेह का लाभ देकर अपीलार्थियों को दोषमुक्त। (पैराएँ 17 से 21)

निर्णयज विधि.–(2008) 1 SCC 202; (2015) 3 SCC 724—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Suchitra Pandey, For the Appellants; Mr. Vinay Kumar Tiwary, For the Resp.-State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थियों के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान अधिवक्ता, सुश्री सुचित्रा पांडे एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. अपीलार्थीगण सत्र विचारण सं० 349 वर्ष 1991 में विद्वान पंचम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 6 मार्च, 1992 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 13 मार्च, 1992 के दंडादेश से व्यथित है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण जो क्रमशः मृतका के पति, देवर, ससुर एवं सास हैं को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है। अपीलार्थी सं०1, 2 एवं 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए भी दोषी पाया गया है और इसके लिए दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई पर समस्त अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के अधीन अपराधों के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और उन अपीलार्थियों जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है को उस अपराध के लिए प्रत्येक को तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

3. जीवन महतो जो मृतका का पिता है द्वारा 15.4.1980 को दर्ज प्राथमिकी में वर्णित अभियोजन मामला यह है कि उसकी पुत्री नीलमणि देवी का विवाह घटना के लगभग पाँच वर्ष पहले धनेश्वर महतो

के साथ हुआ था और दहेज की मांग के लिए अभियुक्तों द्वारा उसकी हत्या की गयी थी और मृत शरीर किसी काँची नदी के निकट अंत्येष्टि स्थल पर दफनाया गया था। मृतका के विवाह संबंध से लगभग दो वर्षीया पुत्री भी थी। उसने प्राथमिकी में कथन किया है कि विवाह के तुरन्त बाद समस्त अभियुक्तगण दहेज मांग रहे थे और धन नहीं देने के कारण वे उसकी पुत्री को उसके माएका भेजते थे और धन पाने के बाद वे कुछ समय रखते थे और तत्पश्चात दहेज की मांग के लिए उसपर पुनः अत्याचार किया जाता था। प्राथमिकी में आगे अभिकथित किया गया है कि घटना के कुछ दिन पहले कृषि भूमि खरीदने के लिए धन की कुछ मांग की गयी थी जो वह नहीं दे सका था और पुनः 11.4.1989 को उसके दामाद द्वारा धन की वही मांग की गयी थी जिसे भी इस तथ्य के कारण पूरा नहीं किया जा सका था कि सूचक को अपनी दूसरी पुत्री का विवाह करना था। अगले दिन, उसे किसी काशीनाथ महतो द्वारा सूचित किया गया था कि उसके पुत्री की मृत्यु हो गयी थी और अभियुक्तगण इसे काँची नदी के बगल में दफनाने के लिए मृत शरीर ले जा रहे थे। उसे यह भी सूचित किया गया था कि जब अभियुक्तगण मृत शरीर को चारपाई पर ले जा रहे थे और उनमें से कुछ कुदाल लिए थे, काशीनाथ महतो ने उनसे मृत शरीर के बारे में पूछा जिस पर उन्होंने सूचित किया कि मृत शरीर धनेश्वर महतो की पत्नी का था जिसकी मृत्यु पेट दर्द के कारण हो गयी थी। उसे मृत शरीर देखने की अनुमति नहीं दी गयी थी किंतु वह मृत शरीर से खून गिरते देख सका था और अभियुक्तगण काँची नदी की ओर तेजी से चले गए। चूँकि काशीनाथ महतो सूचक का साला/बहनोई है, वह आया और उसको घटना के बारे में सूचित किया। सूचक ने यह कथन भी किया है कि उसे 10.4.1989 को सूचित किया गया था कि अभियुक्तों द्वारा उसकी पुत्री पर प्रहार किया गया था और उन्होंने उसका गला घोंटकर मार दिया था। सूचक ने दावा किया कि अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई थी और उसका मृत शरीर काँची नदी के निकट दफनाया गया था। सूचक जीवन महतो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सोनाहातू पी० एस० केस सं० 22 वर्ष 1989, जी०आर० सं० 170 वर्ष 1989 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A, 302 एवं 201 के अधीन अपराधों के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद पुलिस ने अपीलार्थियों एवं अन्य सह अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जिनका विचारण किया गया था। यह कथन किया जा सकता है कि आठ अभियुक्तों जिनका विचारण किया गया था में से किसी अभिराम महतो को विचारण के बाद दोषमुक्त किया गया था, दो अभियुक्तों की मृत्यु हो गयी और एक ने कोई अपील दाखिल नहीं किया है। शेष चार दोषसिद्ध अभियुक्तों ने इस अपील को दाखिल किया है।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर, अभियुक्त अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120B एवं 302 के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 201/120B के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए थे और उनके निर्दोषिता के अभिवचन पर एवं विचारण किए जाने का दावा करने पर उनका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन ने इस मामले में 11 गवाहों का परीक्षण किया है जिनमें से अ०सा० 3 सीतामणि देवी एवं अ०सा० 6 जनक महतो को केवल निविदत्त किया गया था। अ०सा० 4 जयमणि देवी पक्षद्रोही हो गयी है। डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया था का इस मामले में परीक्षण नहीं किया गया है और शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 3 के रूप में औपचारिक गवाह अ०सा० 10 बनवारी लाल जायसवाल द्वारा सिद्ध की गयी है। बचाव ने मामले में एक गवाह का परीक्षण किया है।

5. अ०सा०1 जीवन महतो मामले का सूचक है और उसने अभियोजन मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। इस गवाह ने कथन किया है कि उसकी पुत्री का विवाह लगभग 7-8 वर्ष पहले (क्योंकि उसका

साक्ष्य 23.11.1991 को दर्ज किया गया था) अभियुक्त धनेश्वर महतो के साथ हुआ था और उसकी एक संतान भी थी। विवाह के तुरन्त बाद, अभियुक्तगण बरजू महतो, धनेश्वर महतो, बनेश्वर महतो एवं रजनी बाला देवी उस पर अपने माएके से धन लाने के लिए प्रहार करने लगे। उसकी पुत्री प्रायः आया करती थी और धन पाने के बाद वह अपने ससुराल जाती थी। जब तक धन रहता था, उसे समुचित रूप से रखा जाता था और ज्योंही धन समाप्त हो जाता था, उसपर पुनः प्रहार किया जाता था। उसने कथन किया है कि लगभग दो वर्ष पहले धनेश्वर महतो ने उससे धन मांगा था और उसने 2000/- रुपया दिया था। वह पुनः और धन मांगने आया, किंतु उक्त मांग पूरी नहीं की गयी थी क्योंकि इस गवाह को अपनी दूसरी पुत्री का विवाह करना था। अगले दिन, इस गवाह को काशीनाथ महतो द्वारा सूचित किया गया था कि अभियुक्तों ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी थी और वे उसे काँची नदी के निकट दफनाने ले जा रहे थे। काशीनाथ महतो से सूचना पाने पर, वह पुलिस थाना आया और सूचना दिया। एक पुलिस अधिकारी भी उसके साथ गया और उसने मृत शरीर की अंत्येष्टि करने के लिए कहा। इस गवाह ने राँची में उच्चतर पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और पुलिस को मृत शरीर पुलिस थाना लाने का निर्देश दिया गया था। उसने कथन किया है कि उसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था जिस पर उसने हस्ताक्षर किया था और उसने अपने द्वारा दिए गए बयान को पहचाना है जिसे प्रदर्श 1 चिन्हित किया गया है। उसने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने अपनी पुत्री का मृत शरीर देखा था। उसके प्रतिपरीक्षण में अधिक महत्व का कुछ नहीं है।

6. अ०सा० 2 काशीनाथ महतो सूचक का साला/बहनोई है जिसने सूचक को घटना के बारे में सूचित किया था। उसने कथन किया कि एक बालक अहली सुबह उसके घर आया और सूचित किया कि नीलमणि देवी की मृत्यु हो गयी थी जिस पर उसकी पत्नी ने उसको जगाया और उक्त सूचना दिया और उसने यह भी सूचित किया कि अभियुक्तगण मृत शरीर ले जा रहे थे। उसकी पत्नी उस स्थान पर गयी थी तथा उसने शव देखना चाहा जिसपर कुछ अभियुक्तगण भाग गए। उसने यह कथन भी किया है कि दोनों नासिकाओं में रूई ठूंसी हुई थी और उनमें खून था। तत्पश्चात, वह धनेश्वर महतो के साथ मृतका के पिता को सूचित करने गया किंतु धनेश्वर महतो भाग गया। उसने कथन किया है कि धनेश्वर महतो कभी कभार अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। इस गवाह ने भी न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना है।

7. अ०सा० 7 निरूपा देवी अ॰ सा॰ 2 काशीनाथ महतो की पत्नी है और सूचक की बहन है। उसने कथन किया है कि सूचक उसका भाई है जिसकी पुत्री का विवाह उसके गाँव में धनेश्वर महतो के साथ हुआ था। अभियुक्तगण धन मांगा करते थे। लगभग दो वर्ष पहले, उसे सूचित किया गया था कि साँप काटने से मृतका की मृत्यु हो गयी थी। वह भागकर घटनास्थल पर गयी और अभियुक्तों को मृत शरीर चारपाई पर ले जाते देखा और कुछ व्यक्ति शॉल एवं कुल्हाड़ी लिए थे। उसने जबरन मृत शरीर देखा जिसकी दोनों नासिकाओं में रूई ठूसा हुआ था। रक्त बाहर आ रहा था तथा मारपीट के चिन्ह थे। उसका पति एवं देवर भी आए और उन्होंने उनको मृतक के पिता को सूचित करने के लिए कहा। धनेश्वर महतो को भी मृतका के पिता को सूचित करने के लिए कहा गया था, किंतु वह भाग गया। उसने भी न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना। उसने यह कथन भी किया है कि मृतका ने उसको सूचित किया था कि अभियुक्तगण धन मांग रहे थे।

8. अ०सा० 8 प्रयाग महतो अ०सा०7 निरूपा देवी का देवर है और उसने कथन किया है कि उसने उपहतियों के साथ मृत शरीर देखा था। उसने अभियुक्तों के विरूद्ध कुछ नहीं कहा है।

9. अ०सा० 9 सोमनी देवी मृतका की माता है जिसने पूर्णत: अभियोजन मामले का समर्थन किया है और अभियुक्तों द्वारा दहेज मांग के बारे में कथन किया है। उसने कथन किया है कि उसकी पुत्री को मांग पूरा नहीं किए जाने के कारण क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया गया था। उसने कथन किया है कि अपनी पुत्री की मृत्यु के बारे में सूचना पाने पर वह गयी और उसने मृत शरीर देखा और उसने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को पहचाना है। यद्यपि उसका विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है किंतु उसमें अधिक महत्व का कुछ नहीं है।

10. अ०सा० 5 खगेश चंद्र सिंह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची का गवाह है, जिसने मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर और अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है जिसे क्रमश: प्रदर्श 2 एवं 2/1 चिन्हित किया गया है।

11. अ०सा० 11 गोविन्द पाठक अन्वेषण अधिकारी है और उसने कथन किया है कि 15.4.1989 को जब वह सोनाहातू पुलिस थाना के प्रभारी के रूप में पदस्थापित था, सूचक जीवन महतो पुलिस थाना आया और अपना बयान दिया जिसे उसके द्वारा दर्ज किया गया था। उसने संपूर्ण प्राथमिकी पहचाना है जो उसके लेखन एवं हस्ताक्षर में है और इसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि अन्वेषण के क्रम में, उसने गवाहों का बयान दर्ज किया और घटना स्थल पर गया अर्थात मृतक के घर जिसे खून से सना पाया गया था। इस पर, वह अंचलाधिकारी के साथ उस स्थान पर गया था, जहाँ मृतका का मृत शरीर दफनाया गया था और अंचलाधिकारी के आदेश पर मृत शरीर बाहर निकाला गया था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार की गयी थी और अभिग्रहण सूची भी तैयार की गयी थी जिसे उसने पहचाना और उन्हें प्रदर्श चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि उसने शव परीक्षण के लिए मृत शरीर भेजा और उसने शव परीक्षण रिपोर्ट भी पाया और अन्वेषण पूरा करने के बाद, आरोप पत्र दाखिल किया।

12. बचाव ने भी एक गवाह का परीक्षण किया है जो ब०सा०1 नटवर महतो है जिसने अभिसाक्ष्य दिया कि पेट दर्द के कारण मृतका की मृत्यु हुई।

13. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को पूर्वोक्तानुसार विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था।

14. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश बिलकुल अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध करने में विफल रहा है। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है और यद्यपि हितबद्ध गवाहों जो मृतका के माता-पिता एवं अन्य निकट संबंधी हैं ने कथन किया था कि अभियुक्तों द्वारा धन मांगा जाता था और उक्त मांग के लिए उसे क्रूरता के अध्यधीन किया जाता था, किंतु तथ्य बना रहता है कि अभियोजन इस तथ्य को सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी। यह निवेदन भी किया गया है कि मृतका की मृत्यु के बाद मृत शरीर दफनाया गया था और अ०सा० 2 काशीनाथ महतो जो मृतका का निकट संबंधी है के साक्ष्य में आया है कि उसके समुदाय में मृत शरीर दफनाना सामान्य प्रथा है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह दर्शाने के

लिए कि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी, इस मामले में डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया है किंतु शव परीक्षण रिपोर्ट जिसे औपचारिक गवाह के माध्यम से सिद्ध किया गया है दर्शाता है कि उसमें मृत्यु का कारण उल्लिखित नहीं किया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन द्वारा प्रमाण कि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी की अनुपस्थिति में अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है और मामले के तथ्यों में अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ के हकदार हैं।

15. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि उन समस्त गवाहों ने जिन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है, ने कथन किया है कि विवाह लगभग पाँच वर्ष पहले हुआ था और विवाह के तुरन्त बाद उसे दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था और घटना के दो दिन पहले भी दहेज मांग की गयी थी जिसे इस तथ्य के कारण पूरा नहीं किया जा सका था कि सूचक को अपनी दूसरी पुत्री का विवाह करना था और उस मांग को पूरा नहीं किए जाने के कारण पति एवं अन्य संबंधियों द्वारा मृतका की हत्या की गयी थी। गवाहों ने कथन किया है कि उन्होंने नाक में खून के साथ मृत शरीर देखा था और तद्नुसार, अभियोजन यह तथ्य सिद्ध करने में सक्षम रहा है कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किया जाता था और विवाह के सात वर्षों के भीतर रक्त उपहतियों के साथ उसकी अस्वाभाविक मृत्यु हो गयी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 304B का पठन निम्नलिखित है:–

*"304-B. **ngst eR;q**&(1) tgka fdlh L=h dh eR;q fdlh nkg ;k 'kkjhfjd {kfr }kjk dkfjr dh tkrh g ;k mlds fookg ds lkr o"k ds Hkhrj lkekU; ifjfLFkfr;ksa ls vU;Fkk gks tkrh g vkSj ;g nf'kZr fd;k tkrk g fd mldh eR;q ds dqN iwoZ mlds ifr us ;k mlds ifr ds fdlh ukrsnkj us] ngst dh fdlh ekax ds fy,] ;k mlds lEcaèk esa] mlds lkFk Øwjrk dh Fkh ;k mls rax fd;k Fkk ogka ,slh eR;q dks ^^ngst eR;q** dgk tk,xk] vkSj ,sls ifr ;k ukrsnkj mldh eR;q dkfjr djus okyk le>k tk,xkA**"*

***Li"Vhdj.k**&bl mièkkjk ds i;kstuk ds fy, ^^ngst** dk ogh vFkZ gS tks ngst ifr"kèk vfèkfu;e] 1961 (1961 dh èkkjk 28) dh èkkjk 2 esa gSA*

*(2) tks dksbZ ngst eR;q dkfjr djsxk og dkjkokl ls] ftldh vofèk lkr o"kZ ls de dh ugha gksxh fdUrq tks vkthou dkjkokl rd dh gks ldsxh] nf.Mr fd;k tk,xkA**"*

इस प्रकार, इस धारा के सादे पठन से स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के अधीन अपराध के लिए पति एवं उसके संबंधियों के विरुद्ध धारणा उपबंध आकृष्ट करने के लिए अभियोजन को न केवल यह तथ्य सिद्ध करना होगा कि विवाह घटना के सात वर्षों के भीतर हुआ था और मृत्यु के तुरन्त पहले मृतका को दहेज की किसी मांग के लिए अथवा इसके संबंध में क्रूरता एवं परेशानी के अध्यधीन किया जाता था बल्कि अभियोजन को किसी युक्तियुक्त संदेह के परे इस तथ्य को भी सिद्ध करने की आवश्यकता है कि किसी जलन अथवा शारीरिक उपहति के कारण मृतका की मृत्यु हुई थी अथवा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा के अधीन मृत्यु हुई थी। यदि अभियोजन किसी युक्तियुक्त संदेह

के परे इन अवयवों में से किसी को सिद्ध करने में विफल रहता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन अपराध के लिए पति एवं उसके संबंधियों के विरूद्ध धारणा उपबंध आकृष्ट नहीं होगा ताकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अधीन उपधारणा आकृष्ट हो सके और अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का भार अभियुक्तों पर डाला जा सके। (देखे: **विश्वजीत हलदर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2008) 1 SCC 202, शेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2015)3 SCC 724)**

17. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि गवाहों अ०सा०1 जीवन महतो जो सूचक एवं मृतका का पिता है और अ०सा० 9 सोमनी देवी जो मृतक की माता है ने कथन किया है कि मृतका को दहेज मांग के लिए क्रूरता एवं परेशानी के अध्यधीन किया जाता था और घटना के दो दिन पहले भी मांग की गयी थी जिसे पूरा नहीं किया जा सका था और तत्पश्चात उसकी हत्या की गयी थी, किंतु तथ्य बना रहता है कि यह केवल माता–पिता एवं मृतका के अन्य निकट संबंधियों का अभिसाक्ष्य है जो अत्यन्त हितबद्ध गवाह है कि मृतका की खून बहती उपहतियों के साथ अस्वाभाविक मृत्यु हुई। अभियोजन हितबद्ध गवाहों के मौखिक साक्ष्य को किसी चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट करवाने में विफल रहा है क्योंकि डॉक्टर जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था का इस मामले में मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु सिद्ध करने के लिए परीक्षण नहीं किया गया है। यद्यपि, शव परीक्षण रिपोर्ट–औपचारिक गवाह अ०सा० 10 बनवारी लाल जायसवाल की मदद से सिद्ध किया गया है, किंतु तथ्य बना रहता है कि यह केवल इस तथ्य का साक्ष्य है कि मृतका का शव परीक्षण किया गया था, किंतु यह मृतका की मृत्यु के कारण का साक्ष्य नहीं हो सकता है। किंतु, हमने शव परीक्षण रिपोर्ट का परिशीलन किया है, जो दर्शाता है कि मृतका की मृत्यु के कारण के बारे में मत नहीं है, मृत शरीर पर किसी यांत्रिक उपहति का साक्ष्य नहीं है, नाक, मुँह, गला पर किसी दबाव का साक्ष्य नहीं है और मृत शरीर के भाग गायब पाए गए थे क्योंकि शव परीक्षण दफनाए गए मृत शरीर को बाहर निकालने के बाद मृतका की मृत्यु के अनेक दिन बाद शव परीक्षण किया गया था। अ०सा०2 काशीनाथ महतो जो मृतका का निकट संबंधी है ने स्वीकार किया है कि उसके समुदाय में मृत शरीर दफनाने की सामान्य प्रथा है।

18. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन यह तथ्य सिद्ध करने में विफल रहा है कि मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के अधीन धारणा उपबंध आकृष्ट नहीं हो सकता है। इस दशा में, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और अपीलार्थीगण संदेह के लाभ के हकदार हैं।

19. पूर्वोक्त कारणों से, सत्र विचारण सं० 349 वर्ष 1991 में विद्वान पंचम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 6 मार्च, 1992 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं 13 मार्च, 1992 का दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाता है और उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण पहले से ही जमानत पर हैं, तथा उनको उनके परस्पर जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

20. इस निर्णय से अलग होने के पहले हमें दर्ज करना होगा कि हमें अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुचित्रा पांडे जिन्हें न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है द्वारा अत्यन्त सक्षमतापूर्वक

सहायता दी गयी है। हम सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी को उनको विहित पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। आवश्यक कार्रवाई के लिए इस निर्णय की प्रति सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी को भेजी जाए।

21. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजा जाए।

---

ekuuh; ,pñlhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

बीरू यादव एवं अन्य (1661 में)

लखन यादव एवं एक अन्य (1015 में)

शिव प्रसाद यादव उर्फ शिवजी प्र॰ यादव (838 में)

cuke

झारखण्ड राज्य (सभी में)

Criminal Appeal (D.B.) Nos. 1661, 1015 of 2004 with 838 of 2014. Decided on 19th July, 2017.

सत्र केस सं॰ 119 वर्ष 1997/57 वर्ष 2002 में छठे अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰–3 गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 23 जून, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 25 जून, 2004 के दण्डादेश के विरूद्ध। **(1661, 1015 में)।**

एस॰ टी॰ सं॰ 119A वर्ष 1997 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 28, जुलाई, 2014 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 31 जुलाई, 2014 के दण्डादेश के विरूद्ध। **(838 में)।**

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34–हत्या–सामान्य आशय–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील–अभियोजन मामला मृतक के साथ निकट रूप से संबंधित होने के नाते केवल अत्यन्त हितबद्ध गवाहों द्वारा समर्थित है–प्राथमिकी में, समस्त अभियुक्त अपीलार्थियों के विरूद्ध केवल सामान्य अभिकथन हैं–अभियोजन ने घटना की सच्चे उद्‌गम एवं उत्पत्ति को दबाया है–अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त। (पैराएँ 16 से 20)

निर्णयज विधि.–(2016) 13 SCC 171—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Kailash Prasad Deo (in 1661, 1015), Mr. Mahadeo Thakur (in 838), For the Appellants; Mr. Shekhar Sinha (in 1661, 1015), Mr. Asif Khan (in 838), For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–चूँकि ये समस्त तीनों अपीलें एक ही मामला से उद्‌भूत होती हैं, उन्हें साथ सुना जा रहा है और इस एक ही निर्णय से निपटाया जा रहा है।

2. समस्त तीनों अपीलों में अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

3. दांडिक अपील (डी॰बी॰) सं॰ 1661 वर्ष 2004 तथा दांडिक अपील (डी॰बी॰) सं॰ 1015 वर्ष 2014 में अपीलार्थीगण सत्र मामला सं॰ 119 वर्ष 1997/57 वर्ष 2002 में विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰टी॰सी॰ 3, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 23 जून, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं

दिनांक 25 जून 2004 के दंडादेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है और दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई पर उन्हें पूर्वोक्त अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

4. दांडिक अपील (डी॰बी॰) सं॰ 838 वर्ष 2014 में अपीलार्थी एस॰टी॰ सं॰ 119A वर्ष 1997 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 28 जुलाई, 2014 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 31 जुलाई, 2014 के दंडादेश से व्यथित है, जिसके द्वारा इस अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

5. यह कथन किया जा सकता है कि (दांडिक अपील (डी॰बी॰) सं॰ 838 वर्ष 2014 में) अपीलार्थी शिव प्रसाद यादव ने भी सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 1997 में अन्य अपीलार्थियों के साथ विचारण का सामना किया था, किंतु उक्त विचारण में साक्ष्य समाप्त होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के बयानों को दर्ज करने के चरण पर वह फरार हो गया और तदनुसार उसका विचारण पृथक किया गया था और उसके विरूद्ध स्थायी वारन्ट जारी किया गया था। बाद में, उसे गिरफ्तार किया गया था और एस॰टी॰सं॰ 119A वर्ष 1997 में पुनः विचारण किया गया था, जिसमें मूल विचारण में उसकी उपस्थिति में पहले ही दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर विचारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसका बयान दर्ज कराने के चरण से अग्रसर हुआ और उसमें पारित दिनांक 28 जुलाई, 2014 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 31 जुलाई, 2014 के दंडादेश में समाप्त हुआ।

6. अभियोजन मामला किसी मूर्ति देवी जो मृतक छत्तीस यादव की पत्नी है के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। घटना 1.1.1997 को हुई थी और उसके फर्दबयान में कथन किया गया है कि दोपहर लगभग 12 बजे सूचक अपने पति के साथ अपने घर के दरवाजा पर बैठी हुई थी, जब अभियुक्तगण अर्थात बुंदेली यादव, शिवजी यादव, सुदीन यादव, प्रभु यादव, कुलदीप यादव, बीरू यादव, हीरो यादव, रामफल यादव एवं लखन यादव लाठी, फरसा एवं तलवार से लैस होकर आए और धान में हिस्सा मांगा, जिस पर उसके पति द्वारा यह कहते हुए आपत्ति की गयी थी कि यह साल का पहला दिन था और उसे क्यों स्वयं अपने खेत के धान का हिस्सा करना चाहिए। समस्त अभियुक्तगण सूचक के पति पर प्रहार करने लगे, जिस पर वह भागने लगा और अभियुक्तों ने उसका पीछा किया। उसे किसी चोपन सिंह के घर के निकट गड्ढा में धक्का दिया गया था और समस्त अभियुक्तों ने उस पर लाठी, फरसा एवं तलवार से प्रहार किया और उसकी हत्या किया। यह कथन भी किया गया है कि अभियुक्तों ने मृतक का गला भी काट दिया। सूचक ने अपने पति को बचाने का प्रयास किया और उस पर भी अभियुक्तों द्वारा प्रहार किया गया था और उसके दोनों पैरों एवं शरीर के अन्य अंगों को घायल किया गया था। हल्ला करने पर, अनेक व्यक्ति वहाँ आए जिस पर अभियुक्तगण भाग गए। घटना के कारण के संबंध में, उसने कथन किया है कि छह बीघा जमीन के लिए इन अपीलार्थियों के साथ भूमि विवाद था और उक्त भूमि विवाद के कारण पहले भी कुलदीप यादव एवं उसके मृतक पति के बीच दांडिक मामला था। सूचक के फर्दबयान के आधार पर, महेरामा (ठाकुर गंगती) पी॰एम॰ केस सं॰ 1 वर्ष 1997, जी॰आर॰ सं॰ 6 वर्ष 1997 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। यह कथन किया जा सकता है कि यद्यपि समस्त नौ अभियुक्तों को प्राथमिकी में नामित

किया गया था, किंतु केवल छह अभियुक्तों जो हमारे समक्ष अपीलार्थीगण हैं को विचारण के लिए भेजा गया था।

7. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने पर समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्तों के निर्दोषिता के अभिवचन पर और विचारण किए जाने का दावा किए जाने पर उनका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से डॉक्टर जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और मामले के अन्वेषण अधिकारी सहित आठ गवाहों का परीक्षण किया गया था। इन गवाहों में से, दो गवाह अर्थात अ०सा०1 बलराम यादव एवं अ०सा०3 रूपन यादव पक्षद्रोही हो गए थे और अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

8. अ०सा०2 मूर्ति देवी सूचक एवं मृतक की पत्नी है। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना लगभग तीन वर्ष पहले हुई थी। उस दिन बुधवार था और प्रातः 10–11 बजे का समय था। यह वर्ष का पहला दिन था और वह अपने पति के साथ घर में थी। बुंदेली यादव, लखन यादव, कुलदीप यादव, रामफल यादव, बीरबल यादव, हीरो यादव, प्रभु यादव, शिवजी यादव, सहदेव यादव एवं दीवारी यादव कुल नौ व्यक्ति (यद्यपि उसने दस व्यक्तियों को नामित किया है) लाठी, फरसा, भाला, तलवार, गढ़ासा, तीर से लैस होकर आए और उसके पति से धान में हिस्सा मांगने लगे। उसके पति ने धान में हिस्सा देने से इनकार किया जिसके बाद वे उसके पति पर प्रहार करने लगे। उसका पति भागने लगा जिसका पीछा अभियुक्तों द्वारा किया गया था और चोपन के घर के निकट उन्होंने उसके पति को पकड़ लिया और उसका गर्दन काट दिया। जिस कारण उसके पति की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। उसने कथन किया है कि समस्त नामित अभियुक्तों ने उसके पति पर प्रहार किया था। इस गवाह ने यह कथन भी किया है कि उसके पति ने उसकी माता से छह बीघा भूमि पाया था और उस भूमि के लिए अभियुक्तों के साथ उसकी दुश्मनी थी। उसी दिन पर अपराह्न लगभग 3 बजे पुलिस घटनास्थल पर आयी और उसका बयान दर्ज किया और इसे सत्य पाने पर उसने और उसके ससुर ने अपने अंगूठे का निशान लगाया। इस गवाह ने अभियुक्तों को न्यायालय में पहचाना था। बचाव द्वारा इस गवाह का विस्तारपूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया था, जिसमें उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसके पति ने पहले कुलदीप यादव पर प्रहार किया था और उसकी आँख को नुकसान पहुँचाया था, बल्कि उसने कथन किया है कि कुलदीप यादव की आँख को डकैती के क्रम में नुकसान पहुँचा था। उसने इस जानकारी से भी इनकार किया है कि उसके लिए उसके पति पर दांडिक मामला था। उसने इस जानकारी से भी इनकार किया है कि उसके देवर पोटिश यादव ने भी आग्नेयास्त्र से कुलदीप यादव पर प्रहार किया था जिसके लिए पृथक मामला चल रहा था। इस गवाह ने स्वीकार किया है कि शिवजी यादव एवं सुदिन यादव सगे भाई हैं। उसने कथन किया है कि उसके पति के साथ घटना प्रातः लगभग 11 बजे हुई थी। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसी दिन प्रातः लगभग 9 बजे उसके पति ने आग्नेयास्त्र से सुदिन यादव के पेट पर प्रहार किया था जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसने अपने प्रति परीक्षण में यह कथन भी किया है कि घटना के समय पर वह अपने पति के साथ दरवाजा पर बैठी थी और जब उसने अभियुक्तों को आते देखा, उसका पति घर में घुस गया, जिस पर अभियुक्तगण भी घर में घुस गए और घर में पति पर प्रहार किया। उसने यह कथन भी किया है कि अभियुक्तों द्वारा उस पर उसके घर में प्रहार किया गया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि सुदिन यादव की हत्या करने के लिए उसी दिन पर उसके पति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दांडिक मामला संस्थित किया गया था। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि जब

उसके पति ने सुदिन यादव की हत्या की, गाँव के अनेक व्यक्तियों ने उसके पति का पीछा किया था और उस पर प्रहार करके मार दिया था। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया था कि उसने झूठा साक्ष्य दिया था।

9. अ०सा० 4 पोटिश यादव मृतक का भाई है। यद्यपि इस गवाह ने चश्मदीद गवाह के रूप में सूचक द्वारा यथा कथित अभियोजन मामला का समर्थन किया है और दावा भी किया कि उसपर भी घटना में तलवार से प्रहार किया गया था और घायल किया गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि अपने प्रति परीक्षण में उसने पुलिस के समक्ष यह बयान देने के सुझाव से इनकार किया है कि घटना की तिथि पर वह गाँव में उपस्थित नहीं था और जब वह गाँव वापस आया, उसे घटना के बारे में सूचित किया गया था। अन्वेषण अधिकारी सैयद मो० अली रिजवी जिसका परीक्षण अ०सा० 6 के रूप में किया गया था का साक्ष्य दर्शाता है कि अपने प्रतिपरीक्षण में आई०ओ० के कथन किया है कि पोटिश यादव गाँव में उपस्थित नहीं था और उसने उसके समक्ष बयान नहीं दिया था कि उसने घटना देखा था, बल्कि उसने कथन किया था कि जब वह गाँव वापस आया, उसे घटना के बारे में सूचित किया गया था। इस गवाह पर अभिकथित उपहति भी किसी चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा अथवा आई०ओ० के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इस दशा में हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अ०सा० 4 पोटिश यादव का बयान विश्वसनीय नहीं है तथा विचार में नहीं लिया जा सकता है।

10. अ०सा० 5 बदरी यादव मृतक का पिता है और वह भी घटना का चश्मदीद गवाह है। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना लगभग पाँच वर्ष पहले दोपहर लगभग 12 बजे हुई थी। वह अपने घर में था। उसका पुत्र छत्तीश यादव और पुत्रवधु मूर्ति देवी भी घर में थे। उसने यह कथन करते हुए समस्त अभियुक्तों को नामित किया है कि वे आए और छत्तीश यादव से धान में हिस्सा मांगा जिससे इनकार किया गया था। तत्पश्चात, अभियुक्तगण छतीश यादव पर प्रहार करने लगे जो भागने लगा और चोपन सिंह के गढ्ढा में गिर गया, जिसपर शिवजी यादव ने तलवार से उसका गर्दन काट दिया और तत्पश्चात अभियुक्तगण भाग गए। उसने कथन किया है कि पुलिस घटनास्थल पर आयी, फर्दबयान दर्ज किया और मामला संस्थित किया। पुलिस ने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार किया था जिस पर उसने अपने अंगूठे का निशान लगाया। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि सुदिन यादव जो अभियुक्त शिवजी का भाई है की मृत्यु उसी दिन पर आग्नेयास्त्र उपहति से हो गयी, जिसके लिए छत्तीश यादव पर दांडिक मामला संस्थित किया गया था। अभियुक्तों ने आग्नेयास्त्र द्वारा सुदिन पर प्रहार करने के लिए छत्तीश यादव का पीछा किया था। किंतु, उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने इस तथ्य को छुपाया था।

11. अ०सा०7 आशा देवी मृतक की विवाहित बहन है जिसने घटना के दिन पर अपने माएके में उपस्थित होने का दावा किया है। उसने घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन मामला का समर्थन किया है और कथन किया है कि समस्त अभियुक्तगण जो अनेक हथियारों से लैस थे जिसमें शिवजी तलवार से लैस था ने छत्तीश यादव का पीछा किया जो चोपी सिंह के गढ्ढा में गिर गया और उन्होंने गढ्ढा में उस पर प्रहार करके मार दिया। अपने प्रति परीक्षण में, इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसी दिन पर सुदिन यादव के पेट में गोली मारी गयी थी और समस्त अभियुक्तगण यह चिल्लाते हुए कि उसने सुदिन यादव को गोली मारा था, पीछा कर रहे थे।

12. अ०सा० 8 डॉ० अजय कुमार झा चिकित्सा अधिकारी है जिन्होंने 2 जनवरी, 1997 को दोपहर 12.30 बजे मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और मृतक पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहति पाया था:–

(i) vMjykbu vfLFk;k dh dVu dh migfr d lkFk Vkslol :i l nk, vk[k d ik'o dk.k l tkrk eLrd d nk, Hkkx ij 6"x1"x½" dVu dh migfrA

(ii) nk, fiUuk d eè; ij Vkslol :i l 1"×1¼" dh dVu dh migfrA

(iii) pkFkh ,o ikpoh lokbdy oVhck d chp tkrk ekli'kh ,o olYl d Mkbotu d lkFk frjN :i l xnu d ihN dVu dh migfrA

(iv) nk;h tk?k d ckgjh igy ij 4"×1"×1" dh rhu dVu dh migfrA

(v) 4"×1"×1" vkdkj dk vkDlhihVy vfLFk ij eLrd d ihN dVu dh migfrA

(vi) ck, ?kVu d vn:uh igy ij 1"×1" dh dVu dh migfrA

(vii) 2"×2" dk nk, gkFk ij ltu d lkFk [kjkpA

उन्होंने कथन किया है कि मृत्यु का कारण पूर्वोल्लिखित उपहति के कारण हेमरेज एवं आघात था। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शवपरीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था।

13. अ०सा० 6 सैयद मो० अली रिजवी मामले का अन्वेषण अधिकारी है, जिसने कथन किया है कि 1.1.1997 को वह ठाकुर गन्ती पुलिस थाना में प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित था जब उसने अपराह्न लगभग 2.10 बजे सूचना पाया कि गाँव में दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी। तत्पश्चात, उसने सूचना का सनहा प्रविष्टि किया और ग्राम बरैया चक गया और चोपन सिंह के घर के बगल के गड्ढा में छत्तीश यादव का मृत शरीर पाया। मृतक की पत्नी मूर्ति देवी भी वहाँ घायल दशा में थी। उसने मूर्ति देवी का फर्दबयान दर्ज किया जिसे उसको पढ़कर सुनाया गया था, जिसपर उसने अपने अंगूठा का निशान लगाया। उसने फर्दबयान पहचाना है, जिसे प्रदर्श–1 चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया है कि मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और उसने मूर्ति देवी को उसके इलाज के लिए भेजा। उसने घटनास्थल का विवरण दिया है और कथन किया है कि गढ्ढा में पानी नहीं था। उसने गवाहों का बयान दर्ज किया और आरक्षी अधीक्षक द्वारा मामले का पर्यवेक्षण किया गया था। अपने प्रति परीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि उसने उसी दिन पर सुदिन यादव की हत्या का मामला भी संस्थित किया था, जो पुलिस थाना मामला सं०2 वर्ष 1997 था। उसने स्वीकार किया है कि छत्तीश यादव द्वारा सुदिन यादव की हत्या की गयी थी और चूँकि छत्तीश यादव की मृत्यु हो गयी थी उसने उक्त पुलिस थाना मामला सं० 2 वर्ष 1997 में फाइनल फॉर्म दाखिल किया। उसने यह कथन भी किया कि अभियुक्त छत्तीश यादव एक दांडिक मामले में कारा अभिरक्षा में था और केवल 19.12.1996 को कारा से बाहर आया था। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में यह कथन भी किया है कि पोटिश यादव (अ०सा०4) उस दिन पर गाँव में उपस्थित नहीं था और उसने घटना नहीं देखा था। वह अपने गाँव लौटने के बाद घटना के बारे में जाना था।

14. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि एवं दंडादेश पूर्णत: अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियोजन मामला केवल अत्यन्त हितबद्ध गवाहों द्वारा

समर्थित है जो मृतक के निकट संबंधी हैं। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि अभियोजन इस मामला में सच्ची कहानी के साथ नहीं आया है और इस तथ्य को छुपाया है कि मृतक छत्तीश यादव की हत्या अभियुक्त शिवजी यादव के भाई सुदिन यादव की हत्या करने के तुरन्त बाद गाँववालों द्वारा की गयी थी। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि अभियोजन द्वारा सच्ची कहानी छुपायी गयी है और अभियोजन झूठी कहानी के साथ आया है कि घटना अभियुक्तों द्वारा धान में हिस्सा मांगने के कारण हुई थी, अभियोजन द्वारा घटना का तरीका एवं उत्पत्ति छुपाया गया है और इसका लाभ अभियुक्तों को जाना चाहिए। अपीलार्थी शिवजी यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि प्राथमिकी में अभियुक्त शिवजी यादव के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है। प्राथमिकी में नामित समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध मृतक पर प्रहार करने का केवल सामान्य एवं ओमनीबस अभिकथन है किंतु, विचारण के क्रम में, अभियोजन ने मृतक के पिता अ०सा० 5 बदरी यादव के माध्यम से कहानी विकसित किया है कि शिवजी यादव ने तलवार से मृतक का गर्दन काट दिया था। यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी शिवजी यादव के प्रति विचारण के क्रम में यह अभिकथन इस कारण से किया गया है क्योंकि घटना के तुरन्त पहले मृतक छत्तीश यादव द्वारा शिवजी यादव की हत्या की गयी थी। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि चूँकि अभियोजन वर्तमान मामले में शुद्ध हृदय से नहीं आया है, यह अभियुक्त अपीलार्थियों की दोषमुक्ति के लिए सुयोग्य मामला है और किसी भी सूरत में अपीलार्थीगण कम से कम संदेह के लाभ के हकदार हैं।

15. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध एवं निवेदन किया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है। यह निवेदन किया गया है कि घटना पक्षों के बीच धान में हिस्सा के विवाद के कारण हुई थी और यह विनिर्दिष्टत: अभिकथित किया गया है कि जब मृतक छतीश यादव द्वारा हिस्सा से इनकार किया गया था, उस पर समस्त अभियुक्तों द्वारा प्रहार किया गया था। पुन: उसका पीछा किया गया था और चोपन सिंह के गढ्ढा में प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गयी थी। विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि साक्ष्य में यह भी आया है कि अभियुक्त शिवजी यादव जो तलवार से लैस था ने मृतक की गर्दन पर प्रहार किया था। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किया गया है कि यद्यपि अभियोजन मामला केवल उन गवाहों द्वारा समर्थित है जो मृतक के संबंधी हैं, किंतु उनका चाक्षुक साक्ष्य अ०सा०8 डॉ० अजय कुमार झा के चिकित्सीय साक्ष्य तथा उनके द्वारा प्रदर्श 2 के रूप में सिद्ध किए गए शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा पूर्णत: संपुष्ट किया गया है, और तद्नुसार, अभियोजन गवाहों के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है, जिसके आधार पर अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित करने वाले दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं हैं।

16. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन मामला केवल अ०सा०2 मूर्ति देवी जो सूचक एवं मृतक की पत्नी है, अ०सा०5 बदरी यादव जो मृतक का पिता है और अ०सा०7 आशा देवी जो मृतक की बहन है द्वारा समर्थित है और ये समस्त गवाह मृतक के साथ निकट रूप से संबंधित होने के नाते अत्यन्त हितबद्ध गवाह हैं। अ०सा० 4 पोटिश यादव जो मृतक का भाई है ने भी चश्मदीद गवाह बनने का प्रयास किया है किंतु उसका साक्ष्य

पहले ही उपर कथित कारणों से विश्वास उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि वह घटना के दिन पर गाँव में उपस्थित नहीं था और उसे घटना के बारे में तब सूचित किया गया था जब वह गाँव लौटा था। एक भी स्वतंत्र गवाह अभियोजन मामला का समर्थन करने आगे नहीं आया है, यद्यपि घटना दिन दहाड़े गाँव के बीच में हुई थी। यह तथ्य भी बना रहता है कि समस्त अभियुक्तों और तीन अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध घातक हथियारों से लैस होकर घटना स्थल पर आने और मृतक पर प्रहार करने का केवल सामान्य अभिकथन है, किन्तु अभियुक्तों में से किसी के विरूद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है और न ही कोई विनिर्दिष्ट विवरण है कि कौन अभियुक्त किस हथियार से लैस था। केवल विचारण के दौरान हितबद्ध अभियोजन गवाहों ने यह कथन करके कहानी विकसित करने का प्रयास किया है कि अभियुक्त शिवजी यादव तलवार से लैस था और उसी ने मृतक की गर्दन पर प्रहार किया था। हम अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन में बल पाते हैं कि यह अभिकथन बाद में अपीलार्थी शिवजी यादव के मत्थे इस तथ्य की दृष्टि में मढ़ा गया है कि उसी दिन पर उसके भाई की हत्या की गयी थी, और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह प्रकट है कि मृतक छत्तीश यादव द्वारा उसकी हत्या की गयी थी जिसके बाद गाँववालों द्वारा उसका पीछा किया गया था और हत्या की गयी थी। समस्त अभियोजन गवाहों जो मृतक के निकट संबंधी हैं ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसी दिन पर गाँव में सुदिन यादव की हत्या की गयी थी और सुदिन यादव की हत्या करने के लिए अभियुक्तों द्वारा छत्तीश यादव का पीछा किया गया था और उस पर प्रहार किया गया था, यद्यपि अ०सा० 2 मूर्ति देवी द्वारा इस सुझाव से इनकार किया गया है। हम अभिलेख से पाते हैं कि इन गवाहों के अतिरिक्त अ०सा० 1 बलराम यादव जो पक्षद्रोही हो गया है ने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि छत्तीश यादव ने सुदिन यादव पर आग्नेयास्त्र से प्रहार किया था और गाँव के 100–150 व्यक्तियों द्वारा उसका पीछा किया गया था, उनके द्वारा उस पर प्रहार किया गया था और हत्या की गयी थी। यह तथ्य कि सुदिन यादव की हत्या उसी दिन पर छत्तीश यादव द्वारा की गयी थी, भी मामले के अन्वेषण अधिकारी अ०सा० 6 सैयद मो० अली रिजवी द्वारा स्वीकार किया गया है जिसने कथन किया है कि उसी दिन पर सुदिन यादव की हत्या के लिए पुलिस थाना मामला सं० 2 वर्ष 1997 संस्थित किया गया था जिसमें छत्तीश यादव को अभियुक्त बनाया गया था और इस तथ्य के कारण फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया था कि छत्तीश यादव की मृत्यु हो गयी थी। इसके अलावा, नौ अभियुक्तों जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया है में से सुदिन यादव को भी एक अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है जिसकी हत्या उसी दिन पर छत्तीश यादव द्वारा की गयी थी।

17. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य स्पष्टत: दर्शाता है कि अभियोजन ने घटना का सच्चा उद्गम एवं उत्पत्ति का दमन किया है कि छत्तीश यादव की हत्या गाँव की भीड़ द्वारा इस तथ्य के कारण की गयी थी क्योंकि उसने सुदिन यादव की हत्या घटना के ठीक पहले की थी। सच्ची कहानी दबाते हुए अभियोजन झूठी कहानी के साथ आया है कि घटना धान में हिस्सा की मांग के कारण हुई थी। इस संबंध में विधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भगवान सहाय एवं एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य, (2016)13 SCC 171** में विधि सुस्थापित की गयी है जो निम्नलिखित है:–

^^8----- **tc ,d ckj U;k;ky; bl fu"d"k ij vkrk g fd vfHk;ktu u ?kVuk dk mnxe ,o mRifÙk nck;k g vkj vihykfFk;k d firk dh eR; lfgr vfHk;Dr d 'kjhj ij migfr Li"V dju e foQy jgk g] ,dek= lHko ,o vfèklHkk0; jkLrk vihykfFk;k dk lng dk ykHk inku djuk gA** vihykFkhx.k oèk :i l cy i;kx dju d vfèkdkj dk nkok dj ldr

g tc ,d ckj mUgku viu ekrk&firk ij igkj fd;k tkrk gvk n[kk vkj tc oLrqr% ;g n'kk;k x;k g fd ,l igkj ,o migfr d dkj.k ckn e mud firk dh eR; gk x;hA ***fn, x, rF;k e] vfHk;ktu d fo:) dkbZ Li"Vhdj.k] rdlxr dh rk ckr gh nj ugh nu d fy, ifrdy fu"d"k fudkyuk gh gkxk----**** *(tkj fn;k x;k)*

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की दृष्टि में, चूँकि अभियोजन ने घटना का उद्गम एवं उत्पत्ति दबाया है, हमारे पास शेष एकमात्र संभव एवं संभाव्य रास्ता अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देना है।

19. पूर्वोक्त कारणों से, सत्र मामला सं॰ 119 वर्ष 1997/57 वर्ष 2002 में विद्वान षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰टी॰सी॰ 3, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 23 जून, 2004 का दंडादेश और एस॰ टी॰ सं॰ 119 A वर्ष 1997 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 28 जुलाई, 2014 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दिनांक 31 जुलाई 2014 का दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाता है और उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण लखन यादव एवं कुलदीप यादव जमानत पर हैं। उन्हें उनके परस्पर जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अपीलार्थीगण बीरू यादव, प्रभु यादव, बुंदेली यादव एवं शिव प्रसाद यादव उर्फ शिवजी प्रसाद यादव अभिरक्षा में हैं। उन्हें तुरन्त निर्मुक्त किया जाए यदि किसी अन्य मामले में उनका निरोध आवश्यक नहीं है।

20. तद्नुसार, ये समस्त तीनों अपीलें अनुज्ञात की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को वापस भेजे जाएं।

---

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

राजेन्द्र सिंह एवं अन्य

cuke

झारखण्ड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No.1162 of 2008. Decided on 3rd August, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 341/323/379–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482–दोषपूर्ण अवरोध, उपहति एवं चोरी–जाँच गवाहों ने भा॰दं॰सं॰ की धाराओं 341/323/379 के अधीन दंडनीय अपराधों के अवयवों के बारे में स्पष्टतः कथन किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री मजबूत संदेह गठित करने के लिए पर्याप्त हैं–अभिकथन प्रथम दृष्टया वे अपराध गठित करते हैं जिसके अधीन संज्ञान लिया गया है–दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लेने वाले आदेश में दं॰प्र॰सं॰ की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक बनाने वाली अवैधता अथवा अनियमितता नहीं है–दांडिक विविध याचिका खारिज। (पैराएँ 13 एवं 14)

निर्णयज विधि.–1992 Supp. (1) SCC 335; (2000) 2 SCC 636—Referred; AIR 1979 (SC) 1977; (2000) 1 SCC 722; (2014) 10 SCC 663; (2014) 10 SCC 616—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Birendra Kumar, For the Petitioners; Addl.P.P., For the State; Mr. A.K. Kashyap, For the O.P. No.2.

आदेश

यह दांडिक विविध याचिका भा०दं०सं० की धाराओं 341/323/379 के अधीन संस्थित परिवाद मामला सं० 1862 वर्ष 2006 की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही और न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 19.1.2008 के आदेश जिसके द्वारा याचीगण के विरुद्ध समन जारी किया गया है के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दाखिल की गयी है।

2. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अपर पी०पी० और विरोधी पक्षकार सं०2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. परिवादी का मामला संक्षेप में यह है कि 18.11.2006 को प्रातः लगभग 8 बजे अभियुक्तों ने परिवादी को अपनी पत्नी का गर्भपात कराने की सलाह दी। परिवादी इसके लिए सहमत नहीं हुई थी। तत्पश्चात्, अभियुक्तों ने परिवादी को तमाचा मारा और 66,500/- रुपयों का चोरी किया। जाँच के दौरान, परिवादी ने सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर स्वयं का परीक्षण करवाया और कथन किया कि 18.11.2006 को प्रातः लगभग 8 बजे घटना हुई जिसमें अभियुक्तगण उसके घर आए और उस पर प्रहार किया और 66,500/- रुपयों जो ब्रीफकेस में रखा हुआ था का चोरी किया। परिवादी ने जाँच में एक अन्य गवाह का भी परीक्षण किया। परिवाद, परिवादी के एस०ए० और जाँच गवाह के बयान के परिशीलन पर विद्वान दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341/323/379 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया और सी०पी० केस सं० 1862 वर्ष 2006 में दिनांक 19.1.2008/21.1.2008 के आक्षेपित आदेश के तहत परिवादी द्वारा अध्यपेक्षित दाखिल करने पर अभियुक्तों के विरूद्ध आदेशिका जारी करने का निर्देश दिया।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि परिवाद परिवादी की पत्नी द्वारा परिवादी एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध दाखिल मामले, जिसमें दहेज मांग के संबंध में उसके साथ की गयी क्रूरता एवं परेशानी के संबंध में अपराधों की कारिता अभिकथित की गयी थी, में पहले हुए सुलह के विरोध में दाखिल किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवादी की बेईमानी इस तथ्य से स्पष्ट है कि उक्त सुलह के निबंधनों एवं शर्तों से प्रस्थान करते हुए परिवादी ने कुटुम्ब न्यायालय, धनबाद में अभिधान (वैवाहिक) वाद सं० 472 वर्ष 2006 दाखिल किया। और उसमें न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान दंडाधिकारी सामग्रियों जो जाँच के दौरान आयी हैं की सूची उसमें संगणित करते हुए तार्किक आदेश पारित करने में विफल हुए हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवादी याचीगण को परेशान करने पर तुला है क्योंकि वह उनको अपनी पत्नी के साथ कटु संबंध का जिम्मेदार मानता है जो अभिधान वैवाहिक वाद सं० 472 वर्ष 2006 के तहत उसके द्वारा दाखिल न्यायिक पृथक्करण की याचिका से स्पष्ट है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान शपथपत्र (परिशिष्ट 3) की ओर भी आकृष्ट किया है जिसमें परिवादी ने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में अपना दोष स्वीकार किया है और आश्वासन दिया है कि वह स्वयं को सुधारेगा और अपनी गलती नहीं दोहराएगा।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, 1992 Supp (1) SCC 335** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें

पैराग्राफ 102 में माननीय न्यायाधीश ने उदाहरणस्वरूप उन परिस्थितियों को अधिकथित किया है जिसके अधीन प्राथमिकी एवं दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की जा सकती है और निवेदन किया कि यह मामला सातवें बिन्दु द्वारा आच्छादित है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 102 का पठन निम्नलिखित है:–

"102. vè;k; XIV d vèkhu lfgrk d vud çklfxd çkoèkkuk dh 0;k[;k vkj vuPNn 226 d vèkhu v lkèkkj.k 'kfDr vFkok lfgrk dh èkkjk 482 d vèkhu vrfufgr 'kfDr d ç;kx l lcfèkr fu.k;k dh J[kyk e bl U;k;ky; }kjk çfrikfnr fl)krk dh i"BHkfe e] ft l geu mij fudkyk ,o m) r fd;k g] ge mnkgj.kLo#i ekeyk dh fuEufyf[kr dkfV;k nr g ftue fdl h U;k;ky; dh çfØ;k d n#i;kx dk jkdu d fy, vFkok vU;Fkk U;k; dk mí';k ikIr dju d fy, ,l h 'kfDr dk ç;kx fd;k tk ldrk Fkk ;|fi fdl h lVhd] Li"V :i l ifjHkkf"kr ,o i;kIr :i l puyÑr ,o dBkj ekinM vFkok dBkj Qkeyk dk vfèkdfFkr djuk vkj vud çdkj d ekeyk dh lokxh.k lph nuk lHko ugh gk ldrk g ftue ,l h 'kfDr dk ç;kx fd;k tkuk pkfg,%

(1) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFku] Hky gh mUg T;k&dk&R;k fy;k tkrk g vkj mudh li.krk e Lohdkj fd;k tkrk g] çFke n"V;k fdl h vijkèk dk xfBr ugh djr g vFkok vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh cukr gA

(2) tgk çkFkfedh rFkk çkFkfedh e lyXu vU; lkexh] ;fn gk] e vfHkdFku] flok, lfgrk dh èkkjk 155(2) d dk;{k= d vrxr nMkfèkdkjh d vkn'k d vèkhu] èkkjk 156(1) d vèkhu ifyl vfèkdkfj;k }kjk vUo"k.k dk U;k;kfpr Bgjkr g, lK; vijkèk çdV ugh djr gA

(3) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, v[kfMr vfHkdFku vkj bld leFku e lxfgr lk{; fdl h vijkèk dh dkfjrk çdV ugh djr g vkj vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh cukr gA

(4) tgk çkFkfedh e fd, x, vfHkdFku lK; vijkèk xfBr ugh djr g fdr doy v lK; vijkèk xfBr djr g] nMkfèkdkjh d vkn'k d fcuk ifyl vfèkdkjh }kjk vUo"k.k dh vuefr ugh nr g t lk lfgrk dh èkkjk 155(2) d vèkhu vuè;kr fd;k x;k gA

(5) tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFku bru crd vkj vrfufgr :i l vufèkl Hkk0; g ftud vkèkkj ij dkb food'kh y 0;fDr bl fu"d"k ij dHkh ugh igp ldrk g fd vfHk;Dr d fo#) vxlj gku d fy, i;kIr vkèkkj gA

(6) tgk ekey d lLFkiu vkj dk;okgh tkjh j[ku d çfr lcfèkr vfèkfu;e (ft l d vèkhu nkfMd dk;okgh lfLFkr dh x;h g) vFkok lfgrk d çkoèkkuk e l fdl h e mRdh.k dkb vfHk0;Dr fofèkd otuk ugh g vkj@vFkok tgk 0;fFkr i{k dh f'kdk;r d fy, çHkkodkjh çfrrk"k çkoèkkfur djr g, lfgrk vFkok lcfèkr vfèkfu;e e fofufn"V çkoèkku gA

*(7) tgk nkfMd dk;okgh Li"V :i l v lnHkkoi.k g vkj@vFkok tgk dk;okgh vfHk;Dr l çfr'kkèk yu d vrjLFk gr d lkFk vkj çkboV ,o futh n'euh d dkj.k mldk viekfur dju dh nf"V l }"kiod lfLFkr dh x;h gA***

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **जी० सागर सूरी एवं एक अन्य उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (2000) 2 SCC 636,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास किया है और निवेदन किया है कि यह कहा जा सकता है कि संज्ञान लेने वाला आदेश दोषपूर्ण होने के नाते अपास्त किए जाने योग्य है।

7. विरोधी पक्षकार सं० 2 के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए०के० कश्यप निवेदन करते हैं कि यह तथ्य कि परिवादी की पत्नी ने 18.1.2007 को पुत्र को जन्म दिया जैसा याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है परिवादी का मामला संपुष्ट करता है कि उसने गर्भपात के लिए याचीगण की सलाह का विरोध किया, अत: इस मामले से संबंधित घटना हुई। आगे, वह निवेदन करते हैं कि जाँच के दौरान गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि याचीगण ने परिवादी पर प्रहार किया और 66,500/– रुपया भी चुराया। अत:, दंडाधिकारी ने सही प्रकार से भा०दं०सं० की धाराओं 341/323/379 के अधीन दंडनीय अपराध की कारिता के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि परिवाद में यह उल्लेख भी किया गया है कि भा०दं० सं० की धारा 406 के अधीन दंडनीय अपराध भी किया गया है किंतु यह तथ्य कि विद्वान दंडाधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, इस तथ्य से स्पष्ट है कि भा०दं०सं० की धारा 406 के अधीन दंडनीय अपराध की कारिता के संबंध में अभिलेख में सामग्री नहीं थी, अत: विद्वान दंडाधिकारी ने उक्त अपराध का सही प्रकार से संज्ञान नहीं लिया है और इसलिए याचीगण के विरुद्ध संज्ञान लेने वाला आदेश समस्त संबंध में वैध एवं समुचित होने के नाते इसमें इस न्यायालय द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह याचिका गुणागुण रहित होने के नाते खारिज की जाए।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम आई०के०नंगिया एवं एक अन्य, AIR 1979 (SC) 1977,** मामले में विधि का सुस्थापित सिद्धांत दोहराया कि कब दं०प्र०सं० की धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की जा सकती है और उसमें अभिनिर्धारित किया:–

> *^^fcgkj jkT; cuke je'k flg] (1978) 1 SCR 257, e bl U;k;ky; }kjk ;Fkk vfHkdfFkr ijh{kk ;g g fd vkjfHkd pj.k ij ;fn etcr lng g tk U;k;ky; dk ;g lkpu dh vkj y tkrk g fd ;g mièkkfjr dju d fy, vkèkkj g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc U;k;ky; dk ;g dgu dh NV ugh g fd vfHk;Dr d fo#) vxlj gku dk i;klr vkèkkj ugh FkkA***

9. दं०प्र०सं० की धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करते हुए तार्किक आदेश पारित करने की आवश्यकता से संबंधित विधि का सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कांति भ्रदशाह एवं एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2000) 1 SCC 722,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित किया गया है जिसमें पैराग्राफ 12 में माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया:–

> *^^12- ;fn ,lh dkb fofèkd vko';drk ugh g fd fopkj.k U;k;ky; dk vkjki fojfpr dju d fy, dkj.kk dk n'kku okyk vkn'k fy[kuk pkfg,] D;k igy l gh ck> l nc fopkj.k U;k;ky;k ij ,l vfrfjDr dke dk ck> Mkyk tk,A U;k;ky; dh ifØ;kvk dk xfreku cuku d fy, vkj cp tku ;kX; foyc dkfjr dju oky leLr vojkèkk l cpu d fy, mik;k dh :ij[kk cuku d fy, leLr lHko mik;k dk viuku dk le; vk x;k gA ;fn ek= blfy, fd vfèkoDrk leLr pj.kk ij rd lckfèkr djx] nMkfèkdkjh dk fofHkUu pj.kk ij foLrkji.k vkn'k fy[kuk g] fopkj.k U;k;ky;k e dk;okgh dh vR;Ur èkheh ixfr vkx vkj Hkh èkheh gk tk,xhA db i"Bk e fy[k x, nMkfèkdkfj;k ,o l= U;k;kèkh'kk d*

vrorh vkn'kk l gekjk lkeuk gvk gA ge ljkguk dj ldr g ;fn mud le{k dk;okfg;k dk lekIr dju d fy, , lk foLrr vkn'k ikfjr fd;k tkrk gA fdr vknf'kdk tkjh dju] vfHk;Dr dk vfHkj{kk e Hktu] vkjki fojfpr dju] fopkj.k d vxy pj.kk ij tku tl vU; pj.kk ij foLrr vkn'k fy[kuk fcYdy gh vuko';d gA ;g fgrdkjh fn'kk fun'k g fd tc tekur vLohdkj vFkok inku dju oky vkn'k ikfjr fd, tkr g] U;k;ky; dk fookfnr ennk ij ,d ;k nlj rjhd l er vfHk0;Dr dju l cpuk pkfg,] flok, Lokid vk"kfèk ,o eu%iHkkoh inkFk vfHkfu;e] 1985 dh èkkjk 37 d vrxr vku oky ekeyk eA

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भजन लाल मामले (ऊपर)** के पैराग्राफ 103 में अभिनिर्धारित करके दं॰प्र॰सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग के लिए सतर्कता टिप्पणी दिया। माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*^^103- ge bl iHkko dh lrdrk fVIi.kh Hkh nr g fd nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dju dh 'kfDr dk i;kx vR;r fdQk;riod ,o pkdlh d lkFk fd;k tkuk pkfg, vkj og Hkh fojy ekeyk e fojyre e(fd U;k;ky; ikFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dh fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk vFkok vU;Fkk d ifr tkp 'k: dju e U;k;kfpr ugh gkxk vkj fd vlkèkkj.k vFkok vrfufgr 'kfDr U;k;ky;k ij mudh lud vFkok eueth d vulkj dR; dju dh euekuh vfèkdkfjrk inUk ugh djrh gA**

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बिनोद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2014) 10 SCC 663,** मामले के पैराग्राफ 8 में दं॰प्र॰सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग के विस्तार को दोहराया:–

*^^8- nkfMd ifjokn ij lfLFkr dk;okgh e] dk;okgh vfHk[kfMr dju dh vrfufgr 'kfDr dk i;kx doy mu ekeyk e vko';d g tgk ifjokn dkb vijkèk idV ugh djrk g vFkok rPN gA ;g lLFkkfir g fd n0i0l0 dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr dk voyc fdQk;riod ,o pkdlh d lkFk fd;k tkuk pkfg,(bldk i;kx ;g n[ku d fy, fd;k tkuk pkfg, fd fofèk dh ifØ;k dk n#i;kx ugh fd;k tk;A fofèk dk lLFkkfir fl)kr g fd ifjokn@ikFkfedh vfHk[kfMr dju d pj.k ij mPp U;k;ky; dk mle fd, x, vfHkdFkuk dh vfèklHkk0;rk] fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk d ifr tkp 'k: ugh djuk gkA**

12. एन०सौंदरम बनाम पी०के० पौनराज, (2014) 10 SCC 616, मामले में पैराग्राफ 3 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दं॰प्र॰सं॰ की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग से संबंधित विधि के सुस्थापित सिद्धांत के साथ सहमति जताया:–

*^^13- bl U;k;ky; }kjk ekeyk dh J[kyk e lLFkkfir fd;k x;k g fd n0i0l0 dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr dk i;kx fdlh U;k;ky; dh ifØ;k dk n#i;kx jkdu d fy, vkj U;k; d mí'; dk ljf{kr dju d fy, fdQk;riod ,o lrdrkiod djuk gkxkA oèk vfHk;ktu dk xyk ?kkVu d fy, vrfufgr 'kfDr dk i;kx ugh fd;k tkuk pkfg,A mPp U;k;ky; dk iFke n"V;k fu.k; nu l ijgt djuk pkfg, tc rd ,lk dju d vfuok; dkj.k ugh gA vfHkdFkuk ,o ifjokn dk mlh rjg yr g, tl o g] dN Hkh tkM&?kVk, fcuk] ;fn vijkèk ugh curk g] doy rc mPp U;k;ky; n0i0l0 dh èkkjk 482 d vèkhu viuh 'kfDr d i;kx e dk;okgh vfHk[kfMr dju e U;k;kfpr gkxkA vUo"k.k vkjHk e gh cn ugh djuk pkfg, ;fn vfHkdFku e dN lkj gA**

13. संपूर्ण अभिलेख के परिशीलन के बाद, मैं पाता हूँ कि जाँच गवाहों ने भा०दं०सं० की धाराओं 341/323/379 के अधीन दंडनीय अपराधों के अवयवों के बारे में स्पष्टत: कथन किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री मजबूत संदेह गठित करने के लिए पर्याप्त हैं। अत:, पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों और प्रथम दृष्टया अपराध गठित करने वाले अभिकथन जिनके अधीन संज्ञान लिया गया है की दृष्टि में मैं विद्वान दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लेने वाले आदेश में दं०प्र०सं० की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक बनाता कोई अवैधता अथवा अनियमितता नहीं पाता हूँ।

14. तद्नुसार, यह दांडिक विविध याचिका गुणागुण रहित होने के नाते खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

टोपा मल्लाह उर्फ झोरा

cuke

झारखण्ड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 780 of 2010. Decided on 25th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 63 वर्ष 2004 में विद्वान द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुमला श्री आनंद कुमार गुप्ता द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 8.6.2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं 9.6.2006 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 302–हत्या–आजीवन कारावास–गवाहों के बयान में विरोधाभास नहीं है–चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन मामला का समर्थन करता है–अपीलार्थी ने मृतका पर प्रहार किया जो उसकी मृत्यु में परिणत हुआ–कागज का एक टुकड़ा तक नहीं है जो सुझाता है कि अपीलार्थी अस्थिर चित्त का था–किसी गवाह का बयान मात्र किसी व्यक्ति को अस्थिर चित्त वाला घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है–ऐसे बचाव के समर्थन में तर्कपूर्ण साक्ष्य होना होगा जो वर्तमान मामला में गायब है–चाक्षुक साक्ष्य स्पष्टत: चिकित्सीय साक्ष्य से मेल खाता है–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने में सक्षम हुआ है जो अभियुक्त अपीलार्थी की दोषमुक्ति का आधार नहीं बनाता है–अपील खारिज। (पैराएँ 12, 13 एवं 14)

अधिवक्तागण.–Mr. Baleshwar Yadav, For the Appellant; Mr. Satish Kumar Keshri, For the State.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील रायडीह पी०एस० केस सं० 61/2003, जी०आर०सं० 790 वर्ष 2003 के तत्सम, से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं० 63 वर्ष 2004 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 8 जून, 2006 एवं दिनांक 9 जून, 2006 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विद्वान विचारण न्यायालय ने एकमात्र अपीलार्थी को हत्या करने का दोषी पाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसको आजीवन कठोर करावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. सूचक विकास मल्लाह उर्फ झोरा के लिखित कथन के मुताबिक अभियोजन मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि 11.12.2003 की रात में वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर में सोया। सूचक

की माता मृतक अर्थात लोडो देवी, तीन भाई, एक बहन एवं पिता सो रहे थे। सूचक दूसरे कमरा में सो रहा था। सुबह में लगभग 5 बजे 12.12.2003 को उसके छोटा भाई कृष्णा ने हल्ला किया, जिसे सुन कर वह जाग गया और अपनी माता के शयनकक्ष में गया और देखा कि उसका पिता टोपा मल्लाह उर्फ झोरा लोहे का सबल अपने हाथ में लिए खड़ा था जो रक्त रंजित था। उसकी माता (अर्थात् लोडो देवी) मस्तक उपहति के साथ विस्तर पर मृत पड़ी थी। सूचक अपनी चाची (बड़ी माँ) अर्थात् सुकरा देवी के पास गया और उसको बताया कि उसके पिता ने लोहे के सबल से वार करके उसकी माता की हत्या कर दिया था। तब, उसकी चाची और पड़ोसी हल्ला सुनकर जमा हुए। तब पड़ोसियों ने उसके पिता को पकड़ लिया। सूचक के अनुसार, उसकी माता एवं पिता के बीच विवाद यह था कि क्यों उसकी बहन आशा कुमारी को काम करने दिल्ली भेजा गया था।

उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, प्राथमिकी रायडीह पी॰एस॰केस सं॰ 61 वर्ष 2003, जी॰आर॰सं॰ 790 वर्ष 2003 के तत्सम, भा॰दं॰सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दर्ज की गयी थी।

3. अन्वेषण पूरा करने के बाद, अन्वेषण अधिकारी ने भा॰दं॰सं॰ की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। एकमात्र अभियुक्त के विरुद्ध भा॰दं॰सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसे उसे पढ़कर सुनाया एवं स्पष्ट किया गया था किंतु अभियुक्त ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. मामला सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा इस मामला में बारह गवाहों का परीक्षण किया गया था जो अ॰सा॰ 1 मो॰कमरुद्दीन खान, अ॰सा॰ 2 केशवरी साहू, अ॰सा॰3 विकास मल्लाह मामले का सूचक, अ॰सा॰ 4 बहुअरा मल्लाह, अ॰सा॰ 5 सुकुआरो देवी, अ॰सा॰ 6 डॉ॰ए॰डी॰एन॰ प्रसाद, अ॰सा॰ 7 कृष्णा मल्लाह, अ॰सा॰ 8 अर्जुन मल्लाह, अ॰सा॰ 9 रेवती देवी, अ॰सा॰ 10 कैलाश मल्लाह, अ॰सा॰ 11 श्याम प्रसाद एवं अ॰सा॰ 12 मो॰ सैय्यद अंसारी है। कुछ दस्तावेजों को भी प्रदशों के रूप में चिन्हित किया गया था।

5. अभियोजन का साक्ष्य बंद करने के बाद, दं॰प्र॰सं॰ की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का बयान दर्ज किया गया था।

6. विचारण न्यायालय ने पक्षों की ओर से तर्क सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के परिशीलन के बाद दिनांक 8.6.2006 के निर्णय के तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसको आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

7. क्रमशः दिनांक 8.6.2006 तथा दिनांक 9.6.2006 के दोषसिद्धि के उक्त निर्णय एवं दंडादेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने इस अपील को दाखिल किया है।

8. हमने अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर पी॰पी॰ को सुना है। हमने साक्ष्य का संवीक्षण किया है और अवर न्यायालय अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. अपीलार्थी के लिए उपस्थित अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी निर्दोष है और अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल हुआ है। वह आगे निवेदन करते हैं कि घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और अ॰सा॰ 7 को चश्मदीद गवाह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रहार करने के पहले अपीलार्थी द्वारा उसको बाहर भेजा गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि अपीलार्थी अस्थिर दिमाग वाला था और इस प्रकार वह दोषमुक्त होने का हकदार है। वह यह निवेदन

भी करते हैं कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है क्योंकि अपीलार्थी एवं सूचक के बीच मतभेद था। वह अंत में निवेदन करते हैं कि अभियोजन गवाह अत्यन्त हितबद्ध गवाह है और इसलिए उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

10. दूसरी ओर, विद्वान ए०पी०पी० निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी को भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया है क्योंकि गवाहों के साक्ष्य संगत हैं। वह आगे निवेदन करते हैं कि सूचक एवं अपीलार्थी के बीच मतभेद के बावजूद, अपीलार्थी का छोटा पुत्र अ०सा० 7 घटना का चश्मदीद गवाह है। वह यह निवेदन भी करते हैं कि अन्य समस्त गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया कि अपीलार्थी को घटना के तुरन्त बाद हत्या के हथियार के साथ देखा गया था जो रक्त रंजित था और मृतक मृत पड़ा था। वह यह निवेदन भी करते हैं कि यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि अपीलार्थी मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अंत में वह निवेदन करते हैं कि इस मामले में एकत्रित साक्ष्य की दृष्टि में यह अपील खारिज किए जाने की दायी है।

11. जैसा पहले उल्लिखित किया गया है, इस मामले में 12 अभियोजन गवाह हैं जिनका परीक्षण किया गया है।

अ०सा० 1 मो॰ कमरुद्दीन ने कथन किया है कि वह चीख सुनने के बाद सूचक के घर पहुँचा। उसने सूचक की माता को मस्तक उपहति पाया हुआ बिस्तर में पड़ा पाया। उसने आगे देखा कि अभियुक्त को वहाँ उपस्थित व्यक्तियों द्वारा परिरुद्ध किया गया था। उसने यह अभिसाक्ष्य भी दिया कि अपीलार्थी लोहे की छड़ लिए था जो रक्त रंजित था। उसने कथन किया कि सूचक ने उसे बताया कि उसके पिता ने उसकी माता की हत्या किया है। पुलिस ने उसकी उपस्थिति में अभिग्रहण सूची तैयार किया और उसने इस पर अपना हस्ताक्षर किया जिसे प्रदर्श 1 एवं 1/1 चिन्हित किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि उसका घर अभियुक्त के घर से 100 गज दूर है। उसने आगे कथन किया कि यद्यपि उसने वास्तविक प्रहार नहीं देखा है किंतु उसने रक्तरंजित हथियार देखा था जिसे उसकी उपस्थिति में जब्त किया गया था और उसने अभियुक्त अपीलार्थी को भी देखा था जिसे परिरूद्ध किया गया था। उसने यह कथन भी किया कि अनेक अन्य व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित थे।

अ०सा० 2 केश्वरी साहू है जिसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह चीख सुनने के बाद घटनास्थल पर पहुँचा और मृतका को अपने मस्तक पर उपहति के साथ देखा। उसने कथन किया कि अपीलार्थी लोहे की छड़ पकड़े था जो रक्तरंजित था। उसने सूचक से घटना के बारे में सूचना पाया जिसने बताया कि वर्तमान अपीलार्थी ने हत्या किया है। यह गवाह भी अभिग्रहण सूची गवाह है।

अ०सा० 3 विकास मल्लाह इस मामले का सूचक है। इस गवाह ने कथन किया कि वह दूसरे कमरा में सो रहा था और उसके छोटे भाई कृष्णा ने उसे जगाया और वह दूसरे कमरा में गया और अपीलार्थी (उसका पिता) को अपने हाथ में लोहे का सब्बल लिए देखा जो रक्तरंजित था और उसकी माता मृत थी और उसके मस्तक से खून बह रहा था। यह गवाह अपनी चाची के पास गया और कहानी सुनाया। गाँववाले शोरगुल सुन कर वहाँ जमा हुए। उसने कथन किया कि उसने कमरुद्दीन के साथ अपीलार्थी को परिरुद्ध किया और उसे खंभा से बांधा। उसने यह कथन भी किया कि पुलिस वहाँ आयी और रक्तरंजित भूसा जब्त किया। उसने स्वीकार किया कि उसने अपना बयान पढ़ने के बाद इस अंगूठा का निशान लगाया। उसने कथन किया कि उसने वास्तविक प्रहार नहीं देखा था और उसने यह कथन भी किया कि उसका अपने पिता के साथ मतभेद है।

अ०सा० 4 बहुरन मल्लाह ने अ०सा० 1 एवं 2 के समान अभिसाक्ष्य दिया। वह आगे कथन करता है कि उसने अपीलार्थी को अपने हाथ में हत्या का हथियार लिए देखा था और मृतका मृत पड़ी थी। वह

आगे कहता है कि यह अपीलार्थी सदैव अपनी पत्नी के साथ इस कारण से झगड़ा करता था कि अपीलार्थी की पुत्री दिल्ली में रह रही थी जिसे अपीलार्थी पसन्द नहीं करता था और इस मुद्दा पर उनके बीच विवाद था।

अ०सा० 5 सुकुआरो देवी मृतका और सूचक से संबंधित है। वह भी शोरगुल सुनने के बाद घटनास्थल पर पहुँची और मृतका को मृत पड़ा देखा और अपीलार्थी सबल (हत्या के हथियार) के साथ घटनास्थल पर खड़ा था। उसके अनुसार भी, विवाद का कारण यह था कि अपीलार्थी एवं मृतका की पुत्री दिल्ली चली गयी थी जिसका पता नहीं चल रहा था, जिसके लिए अपीलार्थी एवं मृतका प्रायः झगड़ा करते थे। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी संतुलित नहीं था और अनेक व्यक्तियों से सदैव झगड़ा करता था।

अ०सा० 6 डॉ० ए॰ डी० एन० प्रसाद ने मृतका का शवपरीक्षण किया और मृतका के शरीर पर निम्नलिखित उपहति पायाः–

(i) MhiLM ÝDpj ,o cu dh fonh.krk d lkFk [kkiMh d nk, ijkbVy {k= ij 3" × 1" × 1.5" dh fonh.k migfr

(ii) cu dh fonh.krk d lkFk nk, eLVok;M vfLFk ÝDpj d lkFk nk, fiUuk d Bhd ihN 1.5" × 1" × 2" dh fonh.k migfr

(iii) tkbxkefVd vfLFk d ÝDpj d lkFk nk, tkbxkek ij 1.5" × 0.5" × 1" dh fonh.k migfrA

डॉक्टर ने मत दिया कि मृतका की मृत्यु का कारण मस्तक उपहति कारित करते हुए उक्त मृत्युपूर्व उपहति थी। उन्होंने यह मत भी दिया कि उक्त उपहति सबल के कारण संभव हो सकती है।

अ०सा० 7 कृष्णा मल्लाह चश्मदीद गवाह और अवयस्क है। यह न्यायालय उसकी समझदारी की क्षमता से संतुष्ट होने के बाद इस निष्कर्ष पर आया है कि वह अभिसाक्ष्य देने में सक्षम है और केवल तत्पश्चात् उसका अभिसाक्ष्य दर्ज किया गया था।

यह गवाह अपीलार्थी का छोटा पुत्र और सूचक का भाई है। वह अपनी माता के साथ सो रहा था उसने कथन किया कि सुबह जब वह जागा, उसके पिता ने उसे पेशाब करने बाहर भेजा और कमरा का दरवाजा बंद कर दिया। तत्पश्चात् उसके पिता ने उसकी माता के मस्तक पर सबल से वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उसने कथन किया कि उसकी माता के मस्तक से खून बह रहा था। उसने कथन भी किया कि उसने अपने भाई विकास मल्लाह (सूचक) को जगाया। उसने यह कथन भी किया कि उसका चाचा घटना स्थल पर आया था।

प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि जब उसका पिता उसकी माता पर प्रहार कर रहा था, उसने दरवाजा खोला, अंदर गया और घटना देखा।

अ०सा० 8 अर्जुन मल्लाह है जिसने भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने मृतका को मृत पड़े देखा था जब वह उनके घर गया। उसने यह कथन भी किया कि अपीलार्थी अपने हाथ में सबल लिए खड़ा था और उसे परिरुद्ध किया गया था। उसने पति-पत्नी के बीच झगड़ा का कारण भी दिया जो अन्य गवाहों द्वारा दिया गया था। इस गवाह ने स्पष्टतः कथन किया कि अपीलार्थी पागल नहीं था। उसने आगे कथन किया कि उसने वास्तविक प्रहार नहीं देखा था किंतु उसने अपीलार्थी को सबल के साथ खड़ा देखा था। उसने पुलिस थाना में कागज पर हस्ताक्षर किया।

अ०सा० 9 खेबी देवी है जिसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थी को हत्या के हथियार के साथ देखा था। उसने आगे कथन किया कि सूचक एवं अपीलार्थी के बीच अच्छा संबंध नहीं था और यह शायद अपीलार्थी को इस मामले में आलिप्त करने का कारण हो सकता था।

अ०सा० 10 कैलाश मल्लाह जो शोरगुल सुनने के बाद अपीलार्थी के घर पहुँचा और कथन किया कि उसने मृतका को मृत पड़ा देखा था और उसके मस्तक से खून बह रहा था और सूचक ने उसे बताया कि उसके पिता ने मृतका की हत्या किया है। यह गवाह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षरकर्ता है।

अ०सा० 11 श्याम प्रसाद ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने सूचक से घटना के बारे में सुना और इसे सुनकर वह सूचक के घर गया और मृतका को मृत पड़ा पाया। उसने यह कथन किया कि उसने उसके मस्तक से खून बहते देखा और अपीलार्थी साबल लिए खड़ा था जो रक्तरंजित था। यह गवाह गिरफ्तारी मेमों पर हस्ताक्षरकर्ता है। इस गवाह ने कथन किया कि अपीलार्थी की मानसिक दशा अच्छी नहीं थी और अपीलार्थी ने पहले भी कुल्हाड़ी से बालक पर प्रहार किया था। किंतु उक्त घटना के लिए मामला दर्ज नहीं किया गया था।

अ०सा० 12 सैयद अंसारी है जो इस मामले का आई०ओ० है। उसने कथन किया कि 12.12. 2003 को सुबह 8 बजे अफवाह सुनने के बाद कि बर्गीटांड गाँव में एक स्त्री कर हत्या कर दी गयी है, वह घटनास्थल पहुँचा। उसके कथन किया कि उसने थाना डायरी में प्रविष्टि किया। घटना स्थल पहुँचने पर उसने विकास मल्लाह का फर्दबयान दर्ज किया और उसका हस्ताक्षर किया। उसने संपुष्ट किया कि अर्जुन मल्लाह ने फर्दबयन पर हस्ताक्षर किया था जिसे प्रदर्श 7 चिन्हित किया गया था। उसने औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 8) और इस पर पृष्ठांकन प्रदर्श 7/1 प्रदर्शित किया। उसने कथन किया कि गाँववालों द्वारा अभियुक्त को परिरुद्ध किया गया था। उसने कथन किया कि उसने अभिग्रहण सूची तैयार किया जिसे प्रदर्श 9 चिन्हित किया गया है तथा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी बहुरन मल्लाह एवं कैलाश मल्लाह की उपस्थिति में तैयार की गयी थी जिसे प्रदर्श 10 चिन्हित किया गया है। उसने आगे कथन किया कि उसने गिरफ्तारी मेमो तैयार किया जिसे प्रदर्श 11 चिन्हित किया गया है। उसने कमरुद्दीन खान एवं केसरी साहू की उपस्थिति में रक्तरंजित सबल जब्त किया और अभिग्रहण सूची तैयार किया जिसे प्रदर्श 9/1 चिन्हित किया गया है। उसने कथन किया कि रक्तरंजित भूसा भी जब्त किया गया था जिसे प्रदर्श 9/2 चिन्हित किया गया है। तत्पश्चात उसने गवाहों का बयान दर्ज किया और घटना स्थल का वर्णन किया। उसने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर खून फैला हुआ था और बिस्तर खून से सना था।

12. इस प्रकार, साक्ष्यों के विश्लेषण से हम पाते हैं कि गवाह सं० 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, एवं 11 चीख सुनने के तुरन्त बाद घटनास्थल पर आए और उन्होंने मृतका को मस्तक उपहति के साथ खून से सना पड़ा देखा। उन्होंने यह भी देखा कि अपीलार्थी सबल के साथ मृतका के निकट खड़ा था, जिसको गवाहों एवं अन्य ने परिरोध में लिया। पूर्वोक्त बिन्दु पर इनमें से किसी गवाह के बयानों में विरोधाभास नहीं है। अ०सा०3 सूचक है जो कथन करता है कि वह दूसरे कमरा में सोया हुआ था और उसके छोटे भाई ने उसे जगाया और उसे उक्त घटना के बारे में बताया। वह तुरन्त कमरा में गया और मृतका को खून से सना पड़ा देखा और यह अपीलार्थी रक्त रंजित सबल के साथ खड़ा था। अपीलार्थी एवं मृतका के सिवाए कमरा में कोई नहीं था। बाल गवाह (अ०सा० 7) चश्मदीद गवाह है और उसके साक्ष्य के

मुताबिक यह स्पष्ट है कि उसे अपीलार्थी द्वारा कमरा से बाहर भेजा गया था। किंतु वह कमरा में घुस गया जब इस अपीलार्थी द्वारा मृतका पर प्रहार किया जा रहा था। उसके प्रति परीक्षण में, बचाव ने यह बिन्दु निकाल दिया है जो सुझाता है कि यह गवाह (अ०सा० 7) सच बोल रहा था जो उसे चश्मदीद गवाह बनाता है। इस गवाह के बयान में विरोधाभास नहीं है। चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन मामला का समर्थन करता है।

13. इस प्रकार, अभियोजन द्वारा दिए गए पूर्वोक्त साक्ष्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने मृतका पर प्रहार किया है जो उसकी मृत्यु में परिणत हुआ। अपीलार्थी को विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार अपीलार्थी अस्थिर दिमाग का था। यह निवेदन किसी तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और कागज का एक टुकड़ा भी नहीं है जो सुझाता है कि अपीलार्थी विक्षिप्त था। यद्यपि दो गवाहों ने कथन किया है कि अपीलार्थी मानसिक रूप से असंतुलित था किंतु एक गवाह अ०सा० 8 ने कथन किया है कि वह पागल नहीं था। किसी गवाह का बयान मात्र व्यक्ति को विक्षिप्त घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे बचाव के समर्थन में तर्कपूर्ण साक्ष्य होना होगा जो वर्तमान मामला में गायब है। चाक्षुक साक्ष्य स्पष्टत: चिकित्सीय साक्ष्य से मेल खाता है क्योंकि डॉक्टर ने खोपड़ी के पेराइटल क्षेत्र पर उपहति एवं दाएँ मस्ट्वायड अस्थि के फ्रैक्चर के साथ ब्रेन की विदीर्णता पाया है और अभियोजन गवाह संगत है कि मृतक के मस्तक पर प्रहार किया गया था जिसे सिद्ध किया गया है।

14. इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी का दोष सिद्ध करने में सक्षम हुआ है जो अभियुक्त अपीलार्थी को दोषमुक्ति का हकदार नहीं बनाता है। यह अपील गुणागुण रहित है और खारिज की जाती है।

15. अपीलार्थी पहले से ही अभिरक्षा में है। उसे शेष दंडादेश भुगतना है।

16. परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को तुरन्त भेजे जाएँ।

एस॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; vuUr fct ; flg] U;k;efr

मुस्ताक शेख

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W. P. (Cr.) No. 433 of 2010. Decided on 4th October, 2017.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948–धाराएँ 22A, 22(a)–झारखंड न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 2000–नियम 26(1), 26(5A)–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धाराएँ 468, 469 एवं 470–अपराध का संज्ञान–परिसीमा–दं०प्र०सं० की धारा 468 के अधीन परिसीमा की अवधि संगणित करने के प्रयोजन से परिवाद दाखिल करने की तिथि अथवा अभियोजन के संस्थापन की तिथि प्रासंगिक तिथि है और न कि वह तिथि जिसपर दंडाधिकारी ने संज्ञान लिया है–दंडाधिकारी अपराध का संज्ञान केवल तब ले सकता है यदि इसके संबंध में परिवाद अभियोजन दांडिक कार्यवाही विहित परिसीमा अवधि के अंतर्गत दाखिल/संस्थित किया जाता है–परिवादी अथवा

अभियोजन ऐसे समय जो विधितः अपवर्जित किए जाने योग्य है को अपवर्जित करने का हकदार है। (पैरा 25)

निर्णयज विधि.–AIR 2014 SC 448—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s K.K, Ojha, Rakesh Kumar, Sahja Nand Sarswati, For the Appellants; J.C. to S.C. (L & C), For the Respondents.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह दांडिक रिट सं॰ 433 वर्ष 2010 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22(A), 22(a) के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए, अभियोजन रिपोर्ट में यथा उल्लिखित अनियमितताओं को करने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी-सह-इंसपेक्टर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर आरंभ की गयी विद्वान सी॰जे॰एम॰, पाकुड़ के न्यायालय में लंबित संपूर्ण अभियोजन मामला ओ॰सी॰आर॰ केस सं॰ 185 वर्ष 2009/टी॰आर॰ केस सं॰ 682 वर्ष 2009 को अभिखंडित करने और आगे विद्वान सी॰जे॰एम॰, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 22.12.2009 के आदेश, जिसके अधीन परिवाद के आधार पर याची के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है और याची को समन जारी किया गया था, को अभिखंडित करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. वर्तमान मामले को उद्भूत करने वाला तथ्य निम्नलिखित है:–

कि किसी कामेश्वर प्रसाद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पाकुड़ सदर अंचल, पाकुड़ ने विद्वान सी॰जे॰एम॰, पाकुड़ के न्यायालय के समक्ष लिखित रिपोर्ट (आधिकारिक परिवाद) उसमें यह अभिकथित करते हुए दिया कि याची (मुस्ताक अहमद ग्राम रानीपुर, मौजा रामचंद्रपुर अवस्थित स्टोन क्रशर का स्वत्वधारी है और उसे न्यूनतम मजदूरी, उपस्थिति रजिस्टर एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रखे गए मास्टर रॉल्स से संबंधित रजिस्टर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

4. दिनांक 25.2.2009 के कार्यालय मेमो सं॰52 के तहत याची पूर्वोक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22(A) एवं 22(a) के प्रावधानों के उल्लंघन के तुल्य है, अतः संज्ञान लिया गया है।

5. अभियोजन रिपोर्ट का परिशीलन किया गया। यह प्रतीत होता है कि 30.10.2009 को दी गयी पूर्वोक्त याचिका/परिवाद पर विद्वान सी॰जे॰एम॰, पाकुड़ द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पूर्वोक्त धाराओं के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया था।

6. यह दांडिक रिट 8.10.2010 को दाखिल किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 19.11.2011 के आदेश के अधीन राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय इप्सित किया। आगे यह प्रतीत होता है कि दिनांक 17.6.2016 के आदेश के अधीन मामला एक अन्य न्यायपीठ के समक्ष रखे जाने के लिए निर्मुक्त किया गया था और दिनांक 29.6.2016 के आदेश के अधीन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इसे इस न्यायालय के समक्ष 9.9.2016 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। दिनांक 21.10.2016 के आदेश के तहत, अवर न्यायालय अभिलेख मंगाया गया था और तत्पश्चात एस॰सी॰II के जे॰सी॰ के माध्यम से राज्य की ओर से 16.12.2011 को प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया था एवं मामला 25.8.2017 को सुना गया था एवं आदेश सुरक्षित रखा गया था।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए निवेदन किया कि संपूर्ण अभियोजन मामला एवं संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि श्रम

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 23.2.2009 को अपराह्न 3.10 बजे निरीक्षण किया गया था जिसके दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी थी: झारखंड न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 2000 के अधीन भुगतान रजिस्टर और मस्टर रॉल/उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया था और साथ ही श्रमिकों एवं कर्मचारियों का पश्चिम पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो न्यूनतम मजदूरी नियमावली 2000 के नियमों 26(1), 26(5) एवं 26(5)(A) के उल्लंघन में हैं और तद्नुसार, दिनांक 5.7.2009 के पत्र सं० 175 के तहत, पूर्वोक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पाकुड़ सदर अंचल, पाकुड़ ने याची एवं अन्य कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 18 तथा झारखंड न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 2000 के नियमों 26(1), 26(5) एवं 26(5)(A) के उल्लंघन के लिए अभियोजित करने के लिए श्रम अधीक्षक (कृषि–श्रम), साहिबगंज से मजदूरी इप्सित किया।

8. आगे यह निवेदन किया गया है कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पाकुड़ अंचल, पाकुड़ के पूर्वोक्त अनुरोध पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी श्रम अधीक्षक ने मामला सहायक आयुक्त, संथाल परगना डिविजन, दुमका को अग्रसारित किया जिन्होंने दिनांक 10.10.2009 के कार्यालय आदेश सं० 25 के तहत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22(A) एवं 22(a) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए याची को अभियोजित करने के लिए मजदूरी प्रदान किया।

9. आगे यह निवेदन किया गया है कि अभिकथित अपराधों के अधीन याची को अभियोजित करने के लिए मंजूरी के प्रदान के बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के समक्ष 28.10.2009 को उसमें यह अभिकथित करते हुए परिवाद दाखिल किया कि 23.2.2009 को अपराह्न 3.10 बजे किए गए उसके निरीक्षण के क्रम में याची के स्थापन में अनेक अनियमिततायें पायी गयी थी और याची को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, किंतु याची ने न तो कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया और न ही कोई दस्तावेज दाखिल किया और तद्नुसार याची ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22(A) एवं 22(a) के अधीन अपराध किया है और उक्त न्यायालय से याची के विरुद्ध संज्ञान लेने का अनुरोध किया।

10. श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पाकुड़ के पूर्वोक्त परिवाद के आधार पर ओ०सी०आर० केस सं० 185 वर्ष 2009/टी०आर०केस सं० 682 वर्ष 2009 संस्थित किया गया था और बाद में दिनांक 22.12.2009 के आदेश के तहत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22(A) एवं 22(a) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए याची के विरूद्ध संज्ञान लिया गया था और उसकी उपस्थिति के लिए याची को समन किया गया था।

11. यह निवेदन किया गया था कि 22.12.2009 को याची के विरूद्ध संज्ञान लिया गया था किंतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पाकुड़ ने उक्त न्यायालय को संबोधित अपने पत्र सं० 311 द्वारा याची के विरुद्ध संज्ञान नहीं लेने का अनुरोध किया, बल्कि किसी अख्तर हुसैन के विरूद्ध संज्ञान लेने का अनुरोध किया क्योंकि अनवधानता के कारण याची का नाम उसके द्वारा किए गए अन्वेषण के क्रम में एकत्रित की गयी गलत सूचना पर अभियोजन रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया था, किंतु उक्त अनुरोध पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया था बल्कि अवर न्यायालय विधि के अनुरूप अग्रसर हुआ और संज्ञान लिया।

12. आगे यह उल्लिखित किया गया है कि परिवादी को अपने निहित स्वार्थ के लिए पत्थर उद्योग, पाकुड़ के स्वामियों के विरूद्ध झूठा अभियोजन दाखिल करने की आदत है और पहले एक समस्थित मामला में, पत्थर उद्योग के स्वामियों में से एक अर्थात प्रेम कुमार भगत को ओ०सी०आर० केस सं० 185 वर्ष 2009/टी०आर० केस सं० 682 वर्ष 2009 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22(A),

22(a) के अधीन उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5.4.2010 के निर्णय एवं आदेश के तहत विमुक्त किया गया था।

13. पूर्वोक्त प्रतिवाद के समर्थन में, याची ने इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए ओ॰सी॰आर॰ केस सं॰ 185 वर्ष 2009/टी॰आर॰ मामला सं॰ 682 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 5. 4.2010 के निर्णय और दिनांक 22.12.2009 के पत्र की प्रति को निर्दिष्ट किया।

14. पूर्वोक्त निवेदनों की दृष्टि में, संपूर्ण दांडिक अभियोजन को अभिखंडित करने और विकल्प में संज्ञान लेने वाले आदेश को अपास्त करने तथा वर्तमान आवेदन अनुज्ञात करने की प्रार्थना की गयी थी।

15. प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 4 की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है और तर्कों के क्रम के दौरान राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निवेदनों पर विश्वास किया है:–

(a) ;g fuonu fd;k x;k Fkk fd iR;Fkh lO 4 Je ioru vfèkdkjh (dnh;)] lnj vpy gA ;fn ,lk g] li.k fjV ;kfpdk bl dkj.k l [kkfjt fd, tku dh nk;h g fd Je ioru vfèkdkjh (dnh;) ekey e dkjokb doy rc dj ldrk g tc lefpr ljdkj dnh; ljdkj gA ml fLFkfr e] >kj[kM jkT; dk ekeyk d lkFk ljkdkj ugh gkxkA vr%] fjV ;kfpdk i{kk d xyr vr%LFkkiu d nx.k l ihfMr gA tc rd i{kk dk lefpr :i l i{kdkj ugh cuk;k tkrk g] fjV ;kfpdk oreku Lo:i e luh ugh tk ldrh gA

16. तथ्य जो याची के विरुद्ध वर्तमान दांडिक कार्यवाही आरंभ किए जाने का आधार निर्मित करते हैं, निम्नलिखित है:–

(i) fd Je ioru vfèkdkjh] ikdM (l{ki e ,y0b0vk0) u 23-2-2009 dk 0;olk; LFky d depkfj;k dk fujh{k.k fd;k Fkk] vkj >kj[kM U;ure etnjh fu;ekoyh] 2000 d fu;e 26(1)] 26(5A) e vrfo"V ikoèkkuk d fucèkukulkj ikIfxd nLrkotk dk ekxk FkkA

(ii) pfd ,y0b0vk0 d le{k iokDr nLrkot iLrr ugh fd, x, Fk] mUgku jkepnij] ikdM d LVku Ø'kj d Kkr LoRoèkkjh ek0 eLrkd 'k[k dk ukfVl e mfYyf[kr ikIfxd nLrkotk d lkFk 7-3-2009 dk vijkgu 1-25 ct mifLFkr gku d fy, dgr g, fnukd 25-2-2009 d eek lO 52 d vèkhu ukfVl tkjh fd;kA

(iii) iokDr frfFk ij] fu;kDrk vFkok mldk dkb ifrfufèk ,y0b0vk0 d le{k mifLFkr ugh gvk vkj blfy, mlu fjekbUMj d :i e fnukd 18.5.2009 d eek lO 140 d vèkhu ,d vU; ukfVl tkjh fd;kA

(iv) iokDr fjekbUMj d ckotn mud le{k dkb mifLFkr ugh gvkA

(v) pfd iokfYyf[kr ukfVlk e ;Fkk vrfo"V fun'k dk vuuikyu U;ure etnjh vfèkfu;e] 1948 dh èkkjk 18 lgifBr >kj[kM U;ure etnjh fu;ekoyh] 2000 d fu;e 26(1)] 26(5) ,o 26(5)A d mYy?ku d rY; gvk] ,y0b0vk0 u fnukd 5-7-2009 d eek lO 175 (fjV ;kfpdk dk ifjf'k"V 1) d vèkhu tkjh iLrko e ukfer 0;fDr;k d fo:) nkfMd dk;okgh vkjHk dju d fy, dne mBku d iLrko d lkFk Je vèkh{kd (df"k Jfed) dk viuk fjkV fn;kA

(vi) fnukd 10-10-2009 d dk;ky; vkn'k l0 25] nedk (fjV ;kfpdk dk ifjf'k"V&2) d QyLo:i Je mik;Dr] nedk }kjk vfHk;ktu iLrko vuekfnr fd;k x;k FkkA

(vii) fnukd 28-10-2009 d i= l0 287 d QyLo:i ,y0b0vk0 u e[; U;kf;d nMkfèkdkjh] ikdM d le{k vfHk;ktu fjikV nkf[ky fd;kA

(viii) eLrkd 'k[k nk xokgk d lkFk 20-12-2009 dk ,y0b0vk0 d dk;ky; vk;k ml i= ikIr djok;k ft ld }kjk mul LVku Ø'kj dk fujh{k.k dju dk vujkèk fd;k x;k FkkA mDr vkonu e] mlu dFku fd;k fd LVku Ø'kj mldh [kkuk tk fdlh vkj dh Fkh d Bhd cxy e fo|eku FkhA eLrkd 'k[k dk >Bk vkfyIr fd;k x;k FkkA vr%] mldk vujkèk ekeyk lR;kfir djoku dk Fkk rkfd mldk uke vfHk;ktu lph l gVk;k tk ldA

(ix) ek0 eLrkd 'k[k }kjk nkf[ky iokDr vkonu d vkèkkj ij] ,y0b0vk0 u iu% fujh{k.k d i;ktu l 21-12-2009 dk LFky dk nkjk fd;kA fujh{k.k d Øe e] mlu ik;k fd fnukd 20-12-2009 d iokDr vkonu e fn;k x;k c;ku lgh FkkA mUgku ik;k fd LVku Ø'kj dk okLrfod Lokeh vfuly jgeku dk i= vdcj glu FkkA

(x) fujh{k.k d Øe e] mlu viuk fujh{k.k fjikV r;kj fd;k] ftl ij mlu vdcj glu dk gLrk{kj fy;k ftlu cxkyh Hkk"kk e gLrk{kj fd;kA vdcj glu u xyr lpuk fn;k fd okLrfod Lokeh ut:y bLyke FkkA

(xi) vdcj glu d iokDr fojkèkkHkkl h c;kuk u ,y0b0vk0 d fnekx e lng mRiUUk fd;k vkj og mlh frfFk dk [kuu foHkkx d dk;ky; x;k vkj ikIfxd lpuk ikIr fd;kA lpuk d vulkj] ftl Hkfe ij LVku Ø'kj vofLFkr Fkk] nkx l0 202] {k= ,d ch?kk 10 dBBk] ykbl l l0 89@07 d :i e vkofVr fd;k x;k FkkA mDr {k= dk Lokfeo vfu'ky jgeku d i= vdcj glu dk n'kk;k x;k FkkA ,y0b0vk0 u viu fujh{k.k fjikV d uhp mu rF;k dk mYy[k fd;kA

(xii) fnukd 22-12-2009 d i= l0 311 d QyLo:i ,y0b0vk0 u e[; U;kf;d nMkfèkdkjh] ikdM dk uohure lpuk fn;k ftl mlu 22-12-2009 dk fujh{k.k d Øe e ikIr fd;k (fjV ;kfpdk dk ifjf'k"V 3)A

17. पूर्वोक्त निवेदनों के आधार पर, यह निवेदन किया गया था कि वर्तमान (दांडिक) रिट याचिका में गुणागुण नहीं है और यह इस माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है।

18. आगे यह निवेदन किया गया था कि अन्वेषण के क्रम में, यह पता चलता है कि निरीक्षण रिपोर्ट 21.12.2009 को तैयार की गयी थी जिस पर किसी अकबर हुसैन का हस्ताक्षर बंगाली भाषा में किया गया था। श्री अकबर हुसैन ने इस प्रभाव का गलत सूचना दिया कि वास्तविक स्वामी नजरूल इस्लाम था। श्री अकबर हुसैन के पूर्वोक्त विरोधाभासी बयान ने एल०ई०ओ० के दिमाग में संदेह उत्पन्न किया और इसलिए, वह उसी तिथि पर खनन विभाग के कार्यालय गया और प्रासंगिक सूचना प्राप्त किया। सूचना के अनुसार, क्षेत्र जिस पर स्टोन क्रशर अवस्थित था, दाग सं० 202, क्षेत्र एक बीघा 10 कठ्ठा लाइसेंस

सं॰ 89/07 आवंटित किया गया था। उक्त क्षेत्र का स्वामित्व श्री अनिसुल रहमान के पुत्र अकबर हुसैन को दर्शाया गया था। एल॰ई॰ओ॰ ने इन तथ्यों को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के नीचे उल्लिखित किया।

19. यह निवेदन किया गया है कि 21.12.2009 को एल॰ई॰ओ॰ द्वारा किए गए निरीक्षण के परिणामस्वरूप, जब उसने पाया कि अभियोजन रिपोर्ट में गलत व्यक्ति नामित किया गया था, उसने नाम सही करवाना आवश्यक समझा, ताकि अभियोजन रिपोर्ट तद्नुसार सही किया जा सके। अतः, दिनांक 22.12.2009 के पत्र सं॰ 311 के फलस्वरूप एल॰ई॰ओ॰ ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ को नवीनतम सूचना, जिसे उन्होंने प्राप्त किया जैसा निरीक्षण के क्रम में 21.12.2009 को निरीक्षण रिपोर्ट (रिट याचिका का परिशिष्ट 3) में कथन किया गया था, के बारे में सूचित किया।

20. तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यह प्रतिवाद करना गलत है कि कार्यवाही तंग करने वाली थी। अब विचार किया जानेवाला एकमात्र मामला यह है कि क्या प्रथम अभियोजन रिर्पोट में उल्लिखित गलत व्यक्ति के नाम को सही सूचना पर आधारित द्वितीय निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक सही करने की आवश्यकता है।

21. पक्षों की ओर किए गए निवेदन का अधिमूल्यन करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*22. **dfri; vijk/kksa ds fy, 'kfDr;k¡-&dksbZ fu;kstd tks&***

(a) dke ds mls fu;kstd ds oxZ ds fy, fu;retnwjh dh U;wure nj ls U;wu vFkok bl vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds v/khu mlds }kjk ns; jkf'k ls U;wu dks Hkqxrku fdlh deZpkjh dks djrk gS] vFkok

(b) /kkjk 13 ds v/khu cuk, x, fdlh fu;e vFkok fn, x, vkns'k dks mYya?ku djrk gS] vkSj vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds v/khu mldk n; jkf'k ls U;wu dk Hkqxrku fdlh deZpkjh dks djrk gS] vFkok ikp lkS #i; rd ds tqekZus ls n.Muh; gksxk(

ijUrq ;g fd bl /kkjk ds v/khu vijk/k ds fy, dksbZ tekuk vf/kjkfir djus esa U;k;ky; /kkjk 20 ds v/khu dh x;h fdlh dk;Zokgh esa vfHk;qDr ds fo:) igys ls gh vf/kfu.khr fdlh eqvkotk dh jkf'k fopkj esa yxsxkA

*22A. **vU; vijk/kksa ds nM ds fy, lkekU; izko/kku-***&dksbZ fu;kstd tks bl vf/kfu;e dk vFkok mlds v/khu cuk, x, fdlh fu;e vFkok fn, x, vkns'k ds fdlh izko/kku dk mYya?ku djrk gS] ;fn bl vf/kfu;e }kjk ,sls mYya?ku ds fy, nM izko/kkfur ugha fd;k x;k gS] tekuk ftls ikp lkS #i;k rd c<k;k tk ldrk gS ds lkFk n.Muh; gksxkA*

*22B. **vijk/kksa dk laKku-***&(1) dksbZ U;k;ky;&*

(a) /kkjk 22 ds [kaM (a) ds v/khu tcrd fd dksbZ vijk/k xfBr djusokys rF;ksa ds lEcU/k esa /kkjk 20 ds v/khu vkosnu izLrqr u fd;k x;k gks rFkk i.kZr% ,oa va'kr% eatwj ugha fd;k x;k gks rFkk ;Fkkfpr ljdkj ;k bl fufeÙk bldss }kjk izkf/kÑr inkf/kdkjh u ifjokn fd; tkus dk vuqeksnu u dj fn;k gks(

*(b) /kkjk 22 ds [kaM 22 ds [kaM (b) ds v/khu ;k /kkjk 22-A ds v/khu] fujh{kd }kjk fd; x; ifjokn ij ;k bldh etwjh ds fo"k;] *

,sls vijk/k ds fy, fdlh O;fDr ds fo:) ifjokn dk laKku ugha ysxkA

(2) dksbZ U;k;ky; (a) /kkjk 22 ds [kaM (a) vFkok [kaM (b) ds v/khu] tc rd bl /kkjk ds v/khu etwjh ds inku ds ,d ekg ds Hkhrj ifjokn ugha fd;k tkrk gS

(b) èkkjk 22A d vèkhu tc rd frfFk ftl ij vijkèk fd;k x;k vfHkdfFkr fd;k x;k g d Ng ekg d Hkhrj ifjokn ugh fd;k tkrk g] vijkèk dk lKku ugh yxkA

22. धारा 22B जो संज्ञान से संबंधित है का परिशीलन प्रकट करता है कि धारा 22 के खंड (a) एवं (b) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मंजूरी के एक माह के भीतर परिवाद किया जाना है और आगे धारा 22(A) के अधीन परिवाद अभिकथित रूप से किए गए अपराध की तिथि से छह माह के भीतर किया जाना है।

23. अभियोजन मामला के मुताबिक, स्वयं अभियोजन रिपोर्ट प्रकट करता है कि याची के स्थापन का निरीक्षण 23.2.2009 को अपराहन 3.10 बजे किया गया था, किंतु अभियोजन रिपोर्ट 30.10.2009 को अर्थात छह माह से अधिक समय बाद दाखिल की गयी थी।

24. दिनांक 22.12.2009 के आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने अभियोजन रिपोर्ट दाखिल किया था और संज्ञान लेने का प्रार्थना किया था, किंतु कोई आदेश पारित नहीं किया गया था क्योंकि पीठासीन अधिकारी (विद्वान सी॰जे॰एम॰) अवकाश पर थे और दिनांक 19.1.2010 तथा 24.2.2010 के पश्चातवर्ती आदेश प्रकट करते हैं कि दं॰प्र॰सं॰ की धारा 258 के अधीन आवेदन याची की ओर से दाखिल किया गया था जिसे अभिलेख पर रखने का निर्देश दिया गया था और समय-समय पर मामला स्थगित किया गया था और बाद में, 1.2.2011 को जमानती गिरफ्तारी वारन्ट जारी किए जाने का आदेश दिया गया था। 25.7.2011 को गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया था। आगे 27.8.2011 को, तामील रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, याची के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारन्ट जारी किए जाने का आदेश दिया गया था।

25. संज्ञान लेने के लिए परिसीमा से संबंधित विधि दं॰प्र॰सं॰ की धाराओं 468 से 473 के अधीन अनुध्यात की गयी है जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सरथ मैथ्यू बनाम इंस्टीच्यूट ऑफ कार्डियो वस्कुलर डिजीज, इसके निदेशक डॉ॰ के॰एम॰ चेरियंन एवं अन्य, AIR 2014 SC 448,** मामले में पारित निर्णय में विचार किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दांडिक अपराधों से संबंधित परिसीमा के मामलों में निश्चितता की कुछ मात्रा होनी होगी–क्योंकि संज्ञान लेना संदेहित अपराध के प्रति दंडाधिकारी द्वारा विवेक का इस्तेमाल है- यह दृष्टिकोण लेना अयुक्तियुक्त होगा कि मामले का संज्ञान लेने में न्यायालय द्वारा कारित विलंब तत्पर परिवादी को न्याय से वंचित कर सकता था-दं॰प्र॰सं॰ की धारा 468 की ऐसी व्याख्या असंपोषणीय होगी और इसे असंवैधानिक बनाएगी- इसके अतिरिक्त, विषमतापूर्ण स्थिति उद्भूत होगी यदि संज्ञान लेने की तिथि प्रासंगिक मानी जाती है क्योंकि दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान परिसीमा अवधि के बाद लिया जा सकता है यद्यपि परिवाद समय के भीतर दाखिल किया गया है- अतः एकमात्र सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन जिसे दं॰प्र॰सं॰ की धाराओं 468, 469 एवं 470 पर स्थापित किया जा सकता है यह है कि दंडाधिकारी अपराध का संज्ञान केवल तब ले सकता है जब इसके संबंध में परिवाद अभियोजन/दांडिक कार्यवाही विहित परिसीमा अवधि के भीतर संस्थित किया जाता है-इसके अतिरिक्त, परिवादी अथवा अभियोजन ऐसे समय जो विधितः अपवर्जित किए जाने योग्य है को अपवर्जित करने का हकदार है:-

*B. **nM ifØ;k lfgrk] 1973&èkkjk 473**&foyc&èkkjk] 473 e fo;ktd 'kCn ^^vFkok** dk i;kx& D;k l>rk g fd ikoèkku d iFke Hkkx d fy, vFkkr ;g irk yxku d fy, fd D;k foyc Li"V fd;k x;k g ;k ugh] vfHk;Dr dk ukfVl tkjh fd;k tkuk gkxk vkj ckn oky Hkkx d fy, vFkkr ;g fofuf'pr dju d fy, fd D;k U;k; d fgr e lk djuk vko';d g] ukfVl tkjh ugh fd;k tkuk gkxk&er vfHk0;Dr ugh fd;k x;kA*

C. **nkfMd fopkj.k&** lKku&ftl nkgjk;k x;k g&lKku yuk lfnXèk vijkèk d ifr nMkfèkdkjh@U;k;ky; }kjk food dk bLreky g&D;k nMkfèkdkjh u lKku fy;k g ;k ugh] iR;d ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fuHkj djxk (n[k foLrkj e 'kkV ukVl H ,o l uhp)&'kCn ,o okD;k'k& ^^lKku**& nM ifØ;k lfgrk] 1973] èkkjk, 190] 193] 200 l 204] 467 ,o 468

D. **lfofèk dh 0;k[;k&** ey fu;e&;fDr;Dr vFkkUo;u@0;k[;k&fl)kr dh i;kT;rk&vfHkfuèkkfjr] fofèk dk U;k;ky; ikoèkku dh 0;k[;k djxk tk fl)kr tk ikoèkku dk vlik"k.kh; vkj lfoèkku d vfèkdkjkrhr cuk,xk ykx dju d ctk, ;fDr;Dr vFkkUo;u dk fl)kr ykx djd fofèk dh oèkrk likf"kr djxkA

fuEufyf[kr fucèkuk e fun'k dk mÙkj nr g,] lokPp U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k&

;fn frFk ftl ij ifjokn nkf[ky fd;k tkrk g rkfRod d :i e ekuh tkrh g] rc ;fn ifjokn ifjlhek dh vofèk d Hkhrj nkf[ky fd;k tkrk g] bld le; oftr gku dk i'u ugh gA ;fn ifjokn ifjlhek dh vofèk d ckn nkf[ky fd;k tkrk g] ifjoknh n0i0l0 dh èkkjk 473 d vèkhu foyc dh ekQh d fy, vkonu n ldrk gA U;k;ky; dk vfHk;Dr dk ukfVl tkjh djuk gkxk vkj vfHk;Dr rFkk ifjoknh dk luu d ckn fofuf'pr djuk gkxk fd foyc ekQ fd;k tk, ;k ughA ;fn lKku yu dh frFk ikIfxd ekuh tkrh g] rc ;fn U;k;ky; ifjlhek vofèk d Hkhrj lKku yrk g] ifjokn d le; oftr gku dk i'u gh ugh gA ;fn U;k;ky; ifjlhek dh vofèk d ckn lKku yrk g] rc i'u ;g g fd n0i0l0 dh èkkjk 473 fdl idkj dke djxh\ ifjoknh foyc ekQ fd, tku e fnypLih j[kxkA ;fn foyc nMkfèkdkjh }kjk le; ij lKku ugh fy, tku l dkfjr gvk g] ifjoknh l foyc dh ekQh d fy, vkonu nu dh mEehn djuk crdk gA ifjoknh fu'p; gh ml foyc dk Li"V ugh dj ldrk gA rc ,lh fLFkfr e] i'u ;g g fd D;k nMkfèkdkjh dk vfHk;Dr dk ukfVl tkjh djuk gkxk] vfHk;Dr dk Li"V djuk gkxk fd foyc D;k dkfjr fd;k x;k Fkk vkj rc vfHk;Dr dk luuk ,o fofuf'pr djuk gkxk fd foyc ekQ fd;k tk, ;k ughA bldk vFk ;g Hkh gkxk fd nMkfèkdkjh fofuf'pr dj ldrk g fd ml }kjk dkfjr foyc ekQ fd;k tk, ;k ughA ,lh fLFkfr fo"kerk.k gkxh vkj fofèk e ,lh ifØ;k Kkr ugh gA ;g fuonu fd;k x;k Fkk fd n0i0l0 dh èkkjk 473 e fo;ktd ^^vFkok** dk mi;kx l>krk g fd iFke Hkkx d fy, vFkkr ;g irk yxku d fy, fd D;k foyc Li"V fd;k x;k g ;k ugh] vfHk;Dr dk ukfVl tkjh fd;k tkuk gkxk vkj ckn oky Hkkx d fy, vFkkr ;g fofuf'pr dju d fy, fd D;k U;k; d fgr e ,lk djuk vko';d g] ukfVl tkjh ugh fd;k tkuk gkxkA ;g i'u U;k;ky; d le{k iR;{kr% mnHkr ugh gvk gA vr%] dkb er vfHk0;Dr ugh fd;k x;k g fd D;k ukfVl d i;ktu l] n0i0l0 dh èkkjk 473 f}foHkkftr fd;k tkuk gkxk ;k ughA fdr] ;g vfHkfuèkkfjr djuk Li"Vr% crdk gkxk fd U;k;ky; }kjk dkfjr foyc dh ekQh d fy,] bldh vkj l dkfjr foyc Li"V dju d fy, U;k;ky; dk vfHk;Dr dk ukfVl tkjh djuk pkfg, vkj rc foyc ekQ vFkok ugh ekQ djr g, vkn'k ikfjr djuk pkfg,A fofèk dk ,l crdiu e ifjofrr ugh fd;k tk ldrk gA vr%] n0i0l0 dh èkkjkvk] 468] 469 ,o 470 ij ,dek= vFkkUo;u

ftl LFkkfir fd;k tk ldrk g ;g g fd nMkfèkdkjh vijkèk dk lKku doy rc y ldrk g tc bld lcèk e ifjokn ifjlhek vofèk d Hkhrj nkf[ky fd;k tkrk g vFkok nkfMd dk;okgh@vfHk;ktu vkjHk fd;k tkrk gA fdr nMkfèkdkjh ,l le; tk fofèkr% viotu ;kX; g dk vioftr dju dk gdnkj gA ¼ijk 35)

n0i0l0 dh èkkjk 468 d vèkhu ifjlhek dh vofèk lxf.kr dju d i;ktu l ifjokn dh nkf[kyh dh frfFk vFkok vfHk;ktu d lLFkkiu dh frfFk g vkj u fd og frfFk ftl ij nMkfèkdkjh lKku yrk gA bl fu"d"k ij vku e fofèkd lfDr;k l idk'k fy;k tk ldrk gA nkfMd fofèk dk mí'; vijkèk dju okyk dk nfMr djuk gA ;g lKkr lfDr nullum tempus aut locus occurrit regi d lkFk lxr g ftl dk vFk g fd vijkèk dHkh er ugh gkrk gA blh le; ij] tkx:d dh vkj u fd l"kIr dh lgk;rk djuk fofèk dh uhfr Hkh gA bl yfVu lfDr ^^fofèk tkx:d dh lgk;rk djrh g vkj u dh l"kIr dh e vfHk0;Dr fd;k x;k gA n0i0l0 dk vè;k; XXXVI tk vijkèkk d dfri; idkjk ftud fy, derj nMkn'k ikoèkkfur fd;k x;k g d fy, ifjlhek vofèk ikoèkkfur djrk gA bl lfDr l leFku ikIr djrk gA fdr] HkkOn0l0 dh èkkjk 384 vFkok 465 tl dfri; vijkèkk ftud fy, derj nM g d Hkh xHkhj lkekftd ifj.kke gk ldr g] vr%] foyc dh ekQh d fy, ikoèkku cuk;k x;k gA vr% n0i0l0 dh èkkjk 468 d vèkhu ifjlhek lxf.kr dju d fy, ifjokn dh nkf[kyh dh frfFk vFkok dk;okgh vkjHk dju dh frfFk ikIfxd frfFk d :i e ekuuk fofèkd lfDr actus curiae neminen gravabit }kjk lefFkr g ftl dk vFk g fd U;k;ky; dk dR; fdlh 0;fDr ij ifrdyrk dkfjr ugh djxkA ;g nkgjkuk gkxk fd lKku yu e U;k;ky; dh fufØ;rk vFkkr lfnXèk vijkèk d ifr food dk bLreky dju e U;k;ky; dh fufØ;rk dk rRij ifjoknh ij ifrdyrk dkfjr dju dh vuefr ugh nh tkuh pkfg,A fdUr] bl vè;k; d ikoèkkuk dh 0;k[;k doy bu lfDr;k d vkèkkj ij ugh dh x;h gA o doy ekxn'kd fl)kr d rkj ij dk; djr gA (ijk 39)

i'u tk bl fun'k e mnHkr gkr g dk lckfèkr dju d fy, ge n0i0l0 d vè;k; XXXVI d foèkk;h bfrgkl dk n[kuk gkxkA nM ifØ;k lfgrk] 1898 u ifjlhek d fy, lkekU; ikoèkku vrfo"V ugh fd;kA ;|fi ijØkE; fy[kr vfèkfu;e] 1881] VM ,o edUMkbt ekDl vfèkfu;e] 1958] ify l vfèkfu;e] 1861] dkj[kkuk vfèkfu;e] 1948 ,o luk vfèkfu;e] 1950 tlh dfri; fo'k"k fofèk;k d vèkhu vijkèkk d vfHk;ktu d fy, ifjlhek dh vofèk fofgr dju oky ikoèkku g] vU; vijkèkk d vfHk;ktu d fy, ifjlhek dh lkekU; fofèk ugh gA (ijk 9)

*^^lKku** U;k;ky; dk dR; gA 'kCn** ^^lKku** n0i0 l0 e ifjHkkf"kr ugh fd;k x;k gA bl 'kCn dk le>u d fy, nM ifØ;k lfgrk d dfri; ikoèkkuk ij fopkj dju dh vko';drk gA n0i0l0 dk vè;k; xIV dk;okgh vkjHk dju d fy, vè;if{kr ^^'krk** ij fopkj djrk gA bldh èkkjk 190 nMkfèkdkjh dk (a) rF;k tk ,lk vijkèk xfBr djr g dk ifjokn ikIr dju((b) ,l rF;k d ifyl fjikV((c) ifyl vfèkdkjh l fHkUu fdlh 0;fDr l ikIr dh x;h lpuk vFkok Lo; mldh tkudkjh fd ,lk vijkèk fd;k x;k g ij lKku yu d fy, l'kDr cukrh gA vè;k; XV ^^nMkfèkdkjh dk fd;k x;k ifjokn** l lcfèkr gA bldh èkkjk 200 'kiFk ij ifjoknh ,o xokgk dk ijh{k.k ikoèkkfur djrh gA èkkjk 201 ifØ;k ikoèkkfur djrh g ftl dk vulj.k nMkfèkdkjh tk*

lKku yu d fy, le{k ugh g dk djuk gA èkkjk 202 vknf'kdk tkjh dju dk LFkxu ikoèkkfur djrh gA og] ;fn og bl l;kX; le>rk g] , l ekey e tgk vfHk;Dr ml {k= ft le og viuh vfèkdkfjrk dk i;kx djrk g d ij LFkku ij fuokl djrk g vfHk;Dr d fo#) vknf'kdk tkjh fd;k tkuk LFkfxr dj ldrk g vkj ;g fofuf'pr dju d i;ktu l fd D;k dk;okgh d fy, i;kIr vkèkkj g Lo; ekey dh tkp dj ldrk g vkj djxk vFkok ifyl vfèkdkjh }kjk vUo"k.k fd, tku dk fun'k n ldrk g vkj nxkA vè;k; xvi nMkfèkdkjh d le{k dk;okgh d vkjHk l lcfèkr gA èkkjk 204 vknf'kdk tkjh fd;k tkuk ikoèkkfur djrh gA bl èkkjk d vèkhu ;fn nMkfèkdkjh dk er g fd dk;okgh d fy, i;kIr vkèkkj g vkj ekeyk leu ekeyk irhr gkrk g] og vfHk;Dr dh mifLFkfr d fy, leu tkjh djxkA okjUV ekey e] og okjUV tkjh dj ldrk gA bl idkj] vè;k; xiv e of.kr dk;okgh d vkjHk d ckn vè;k; xvi }kjk vkPNkfnr dk;okgh d vkjHk dk pj.k vkrk gA (ijk 31)

bl idkj] nMkfèkdkjh vFkok U;k;kèkh'k lKku yrk g tc og vijkèk ftl fd;k x;k crk;k tkrk g d lcèk e dk;okgh vkjHk dju dh nf"V l viu food dk bLreky djrk g vFkok vijkèk dk U;kf;d è;ku yrk gA ;g 'kCn ^^lKku** }kjk vftr fo'k"k x.kkFk g vkj bl ogh vFk nuk gkxk tgk dgh Hkh ;g vè;k; xxxvi e vkrk gA ;g nkgjk;k tkuk g fd lKku fy;k tkuk li.kr nMkfèkdkjh dk dR; gA vud dkj.kk l lKku fy;k tkuk foyfcr fd;k tk ldrk gA bl i.kyhxr dkj.kk l Hkh foyfcr fd;k tk ldrk gA bl nMkfèkdkjh d futh dkj.kk l Hkh foyfcr fd;k tk ldrk gA (ijk 34)

;g lR; g fd ikIfxd ikoèkkuk e vLi"Vrk ugh gA fdr] ;g è;ku e j[kk tkuk gkxk fd nOi0l0 e 'kCn ^^lKku** ifjHkkf"kr ugh fd;k x;k gA vr% lokPp U;k;ky; dk bldh 0;k[;k djuk gkxkA bl fun'k dk mUkj ml 0;k[;k d vkèkkj ij vkj 'kCn ^^lKku** }kjk vftr fo'k"k x.kkFk dk è;ku e j[kr g, fn;k x;k gA tc ,d ckj ,lh 0;k[;k Lohdkj dh tkrh gA 'kh"kd d lkFk vè;k; xxxvi dk ml vkykd e le>k tkuk gkxkA ,lh fLFkfr e i;ktukRed vFkkUo;u dk fl)kr ykx fd;k tk ldrk gA vfèkfu;eu dk i;ktukRed vFkkUo;u og vFkkUo;u g tk Ñf=e vFk tgk 'kkfCnd vFk foèkk;h i;ktu d vu:i ugh g ykx djd foèkk;h i;ktu dk iHkko nrk gA ;fn oreku ekey e 'kkfCnd 0;k[;k fdlh :i e foèkk;h vk'k; d fojkèk e irhr gkrh g vFkok crdiu dh vkj y tkrh g] i;ktukRed 0;k[;k viuk;k tkuk gkxkA (ijk 41)

tkikuh lkg] (2007)7 SCC 394] e li{k.k] tgk U;k;ky; u lfoèkku d vuPNn 14 d lnHk e bl fook|d dk ijh{k.k fd;k g vkj 'kkfCnd vFkkUo;u d ctk, ;fDr;Dr vFkkUo;u viuk;k g] vfHki"V fd;k tkrk gA (ijk 46)

26. यह प्रतीत होता है कि दिनांक 22.12.2009 का आदेश और विद्वान सी०जे०एम० द्वारा पारित समस्त पश्चातवर्ती आदेश विधि के अनुरूप नहीं है और इसलिए, दिनांक 22.12.2009 का आदेश और ओ०सी०आर० मामला सं० 185 वर्ष 2009/टी०आर० मामला सं० 682 वर्ष 2009 में पारित समस्त पश्चातवर्ती आदेश एतद् द्वारा अपास्त किए जाते हैं।

27. चाहे जो भी हो, अवर न्यायालय को दं०प्र०सं० की धारा 473 के अधीन और दं०प्र०सं० की धारा 208 के अधीन भी याची द्वारा दाखिल आवेदन, यदि हो, पर याची एवं प्रत्यर्थियों को सुनने के बाद

इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 16 सप्ताह के भीतर विधि के अनुरूप समुचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

28. आगे पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान सी०जे०एम०, पाकुड़ को मामले में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धाराओं 22(A), 22(a) के अधीन अपराधों के संज्ञान के बिंदु पर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

29. संपूर्ण अभियोजन को अभिखंडित करने की प्रार्थना एतद् द्वारा अस्वीकार की जाती है। किंतु, वर्तमान दांडिक रिट याचिका अंशत: अनुज्ञात की जाती है।

30. इस आदेश की प्रति और संपूर्ण अभिलेख विचारण न्यायालय को तुरन्त वापस भेजी जाए।

---

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

कृष्ण नंदन सिंह

cuke

झारखण्ड राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से एवं अन्य

W.P.(S) No. 352 of 2017. Decided on 11th August, 2017.

सेवा विधि–वेतनमान–भेदभाव–सरकारी कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण होना होगा– वर्ग के बीच वर्ग नहीं हो सकता है–याची की सेवा पहले ही नियमित कर दिए जाने से उसके साथ भिन्न रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता है–यह भेदभाव के तुल्य है और इस दशा में, भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 के उल्लंघनकारी है–याची फिल्टर ऑपरेटर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ और इस दशा में याची फिल्टर ऑपरेटर, ग्रेड I के वेतनमान में वेतन का हकदार है–यह नहीं कहा जा सकता है कि याची की सेवा स्थायी नियमित स्थापन की नहीं है और निर्धारित कर्म स्थापन की है और इस दशा में, याची स्थायी/नियमित स्थापन के कर्मचारियों के लिए आशयित उसी वेतनमान का हकदार है–याची का मामला अलग नहीं किया जा सकता है और उसे उसके वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है–प्रत्यर्थियों को याची को तुरन्त पारिणामिक लाभ निर्मुक्त करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2005) 3 JLJR 38; (1979) 4 SCC 440; 2001(2) JLJR 203—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajiv Kumar, Ram Lakhan Yadav, For the Petitioner; Mr. J.C. to A.G, For the Respondents.

डॉ० एस० एन० पाठक, न्यायमूर्ति.–पक्ष सुने गए।

2. याची प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा पारित दिनांक 28.9.2015 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के पास आया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन उन्होंने मामले के अभिलेख एवं मापदंड, जिसे पहले ही वर्तमान विवाद्यक के प्रति अनुपयुक्त संदर्भ रहित निर्णय उद्धृत करके न्यायनिर्णीत किया गया था, के विरुद्ध आदेश पारित किया है। आगे प्रार्थना यह है कि इस तथ्य की दृष्टि में कि दिनांक 12.6.2001 का आदेश डब्लू०पी०(एस०)सं० 4263 वर्ष 2009 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.5.2015 के आदेश के तहत अभिखंडित किया गया था, उसे फिल्टर ऑपरेटर ग्रेड I के रूप में मानने

का निर्देश प्रत्यर्थियों को दिया जाए जैसा सी०डब्लू०जे०सी०सं० 1061 वर्ष 1999 (R) में पारित दिनांक 1.2.2001 के आदेश और एम०जे०सी० सं० 676 वर्ष 1999 (R) में पारित दिनांक 10.4.2001 के आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है।

3. रिट याचिका में वर्णित ताथ्यिक प्रतिपादन यह है कि याची जो आई०टी०आई० होल्डर है को 29.9.1979 को नियुक्त किया गया था और उसने रुक्का फिल्ट्रेशन प्लांट में अस्थायी आधार पर फिल्टर ऑपरेटर के रूप में 11.10.1979 को पदग्रहण किया। वित्त विभाग, बिहार सरकार के निर्णय के निबंधनानुसार दिनांक 30.6.1988 के मेमो सं० 639 में यथा अंतर्विष्ट निर्णय किया गया था कि उन निर्धारित कर्म कर्मचारियों जिन्होंने 1.10.1984 के प्रभाव से स्थापन में पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पूरा किया था को नियमित करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच, बिहार राज्य ने 13.12.1983 को एक एम०जी०डी० की क्षमता वाले फिल्ट्रेशन संयंत्रों के लिए फिल्टर ऑपरेटर ग्रेड I नियुक्त करने का नीतिगत निर्णय लिया था। चूँकि याची का वेतन नियत नहीं किया गया था, उसके द्वारा रिट आवेदन सी०डब्लू०जे०सी० सं० 911 वर्ष 1995 (R) दाखिल किया गया था, जिसे विशेष सचिव–सह–मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बिहार, पटना को याची का वेतनमान नियत करने का निर्देश देते हुए निपटाया गया था क्योंकि याची विधित: नियुक्त कर्मचारी है और उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के निबंधनानुसार प्रश्नगत पद पर कार्यरत है। राज्य ने पुनर्विलोकन आवेदन इस आधार पर दाखिल किया कि उनको प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया था और रिट आवेदन की पुनर्सुनवाई का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, सी०डब्लू०जे०सी० सं० 941 वर्ष 1995 (R) पुन: सुना गया था और दिनांक 7.8.1998 के आदेश के तहत याची को विस्तारपूर्ण अभ्यावेदन विशेष सचिव–सह–मुख्य अभियन्ता, पी०एच०ई०डी० के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया गया था जिन्हें वित्त सचिव, बिहार सरकार ने नीतिगत निर्णय के आलोक में अपनी अनुशंसा करना था। याची का अभ्यावेदन 12.12.1998 को कारणरहित आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया था जो सी०डब्लू० जे०सी० सं० 1061 वर्ष 1999 (R) में चुनौती का विषयवस्तु था और इस न्यायालय ने 1.2.2001 के आदेश के तहत याची को सुनवाई का अवसर देने के बाद नया एवं तार्किक आदेश पारित करके मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश संबंधित प्राधिकारी को देते हुए याची का अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए दिनांक 12.12.1998 का आदेश अपास्त कर दिया। माननीय न्यायालय ने आगे याची को सुनवाई का अवसर देने के बाद दिनांक 7.8.1998 के आदेश में दिए गए निर्णयों के आलोक में मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश प्राधिकारियों को दिया था। तत्पश्चात्, अवमान आवेदन एम०जे०सी०सं० 676 वर्ष 1999, जिसे याची द्वारा दाखिल किया गया था, भी दिनांक 10.4.2001 के आदेश के तहत याची को सचिव, पी०एच०ई०डी०, झारखण्ड राज्य के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया गया था। जिन्हें दो माह के भीतर तार्किक आदेश पारित करके ऐसा अभ्यावेदन विनिश्चित करना था। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 12.6.2001 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है और याची का दावा इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि याची को निर्धारित कर्म कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 23.10.1987 की अधिसूचना के तहत नियमित स्थापन में निर्धारित कर्म कर्मचारी को आमेलित करने पर वर्जना है और प्रत्यर्थियों ने इसी अधिसूचना के अन्य बिन्दु को अनदेखा किया है, जिसमें यह कथन किया गया था कि उन कर्मचारियों, जिन्होंने 23.10.1984 को पाँच वर्षों की सेवा पूरा किया है, को नियमित किया जाना था।

4. याची ने पुन: रिट याचिका डब्लू०पी०(एस०) सं० 3017 वर्ष 2001 दाखिल किया जिसे सुनवाई के लिए ग्रहण किया गया था किंतु गैर–अभियोजन के कारण इसे खारिज किया गया था। तत्पश्चात्, याची

ने एक अन्य रिट याचिका डब्लू०पी० (एस०) सं० 4263 वर्ष 2009 दाखिल किया और यह न्यायालय अस्वीकरण का एकमात्र आधार कि याची को दिनांक 23.10.1987 की अधिसूचना के विपरीत नियमित स्थापन में लिया गया था, ठुकराते हुए इसे अभिखंडित किया गया था और प्रत्यर्थियों–प्रधान सचिव को नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद दिनांक 28.9.2015 का आदेश पारित किया गया है जो वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है।

4A. श्री राम लखन यादव द्वारा सहायित याची के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थियों ने अवैध रूप से एवं मनमाने रूप से याची का दावा अस्वीकार किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि उसी विभाग के अन्य समस्थित व्यक्तियों को उच्चतर वेतनमान प्रदान किया गया है और, इसलिए, याची भी इसी एवं समरूप लाभों का दायी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि दिनांक 23.10.1987 का वित्त विभाग का संकल्प स्पष्टत: 21.10.1984 को कट–ऑफ तिथि के रूप में विनिर्दिष्ट करता है और किसी निर्धारित कर्म कर्मचारी जिसने उक्त कट ऑफ तिथि अर्थात् 21.10.1984 को पाँच वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरा किया है को नियमित स्थापन में आमेलित करना होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दिनांक 28.9.2015 के आदेश को चुनौती देते हुए निवेदन किया कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने डब्लू०पी०(एस०) सं० 4263 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 22.5.2015 के आदेश में किए गए संप्रेक्षण का ख्याल तक नहीं किया है जिसमें दिनांक 12.6.2001 के मेमो सं० 1276 में अंतर्विष्ट आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया गया था और उसी आधार पर आधारित कोई आदेश विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है और इस दशा में उसी अभिवचन कि याची ने नियमित निर्धारित कर्म स्थापन में कार्य किया और मंजूर पद पर काम कभी नहीं किया और नियमित स्थापन में कभी नहीं लिया गया, पर आधारित दिनांक 28.9.2015 का आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता आग्रह करते हैं कि दिनांक 30.6.1988 का मेमो सं० 639 अत्यन्त स्पष्ट है कि यद्यपि उन निर्धारित कर्म कर्मचारियों जिन्होंने ने 22.10.1984 को पाँच वर्षों का संतोषजनक सेवा पूरा किया है को नियमित स्थापन में आमेलित किया जाएगा और याची को कट ऑफ तिथि के पहले पाँच वर्षों की सेवा पूरी करने पर 1.10.1984 के प्रभाव से नियमित स्थापन में लिया गया दर्शाया गया था। दिनांक 23.10.1987 का संकल्प निर्धारित कर्म स्थापन में ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने 21.10.1984 को पाँच वर्षों की निरंतर संतोषजनक सेवा पूरा किया को नियमित करने का राज्य सरकार का निर्णय भी प्रकट करता है। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा उन समस्त पहलूओं को विचार में कभी नहीं लिया गया है और इस दशा में, पूर्व रिट याचिका डब्लू०पी०(एस०) सं० 4263 वर्ष 2009 में मेमो सं० 1276 दिनांक 12.6.2001 (परिशिष्ट 6) अभिखंडित एवं अपास्त किया गया था और मामला प्रतिप्रेषित किया गया था। किंतु पुन: प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने इस पर विचार किए बिना उन्हीं तथ्यों पर आदेश पारित किया है जो विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है और इस दशा में दिनांक 28.9.2015 का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

5. प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है।

प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिका तथ्यों पर एवं विधि की दृष्टि में भी गुणागुणरहित है और, इसलिए, स्वयं ग्रहण के चरण पर खारिज किए जाने की दायी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि स्थायी सरकारी कर्मचारी एवं स्थायी निर्धारित कर्म स्थापन कर्मचारी के बीच अंतर है जिसे दिनांक 28.9.2015 के आदेश में सम्यक रूप से स्पष्ट किया गया है। यह कथन भी किया गया है कि याची को सामूहिक बीमा, अर्जित अवकाश जैसे सेवानिवृत्ति लाभों का

पहले ही भुगतान किया गया है और याची को भुगतेय ग्राह्य वेतनमान पर आधारित पेंशन भी नियत किया गया है। आगे यह कथन किया गया है कि याची का ग्राह्य वेतनमान संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया है और चूँकि याची को फिल्टर ऑपरेटर ग्रेड I के पद पर नियुक्त कभी नहीं किया गया है और स्थायी सरकारी कर्मचारी एवं स्थायी निर्धारित कर्म स्थापन कर्मचारी की सेवा शर्त में अंतर पर विचार करते हुए, स्थायी कर्मचारी के प्रति प्रयोज्य वेतनमान प्रदान नहीं किया जा सकता है और याची के मामला में प्रयोज्य नहीं है क्योंकि याची नियमित निर्धारित कर्म स्थापन कर्मचारी के रूप में अधिवर्षित हुआ है। अत: याची किसी अनुतोष का हकदार नहीं है और रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है।

6. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों का परिशीलन करने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची के मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने सही–सच्चे परिप्रेक्ष्य में याची के मामले पर विचार नहीं किया है। जब पूर्व रिट याचिका अर्थात् डब्लू०पी०(एस०) सं० 4263 वर्ष 2009 में दिनांक 12.6.2001 के मेमो सं० 1276 के अधीन आदेश पहले ही अभिखंडित किया गया है। पुन: इसे विचार में नहीं लिया जा सकता है जो अस्तित्व में बिल्कुल नहीं है। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने रिट याचिका अर्थात् डब्लू०पी०(एस०) सं० 3017 वर्ष 2001 को भी विचार में लिया है जिसे गैर–अभियोजन के लिए खारिज किया गया था और इस दशा में उन्हीं तथ्यों पर आधारित रिट याचिका डब्लू०पी०(एस०) सं० 4263 वर्ष 2009 पोषणीय नहीं है। प्रत्यर्थियों का यह प्रतिवाद भ्रामक है क्योंकि न्यायालय ने गुणागुण पर संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ आदेशों को पारित किया था जिनका अनुपालन प्रत्यर्थियों द्वारा किया जाना चाहिए था। उनको अपील दाखिल करने की छूट थी जिसे समय के किसी बिन्दु पर नहीं किया गया था और इस दशा में, डब्लू०पी०(एस०) सं० 4263 वर्ष 2009 में पारित आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर लिया। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थियों ने डब्लू०पी०(एस०) सं० 4263 वर्ष 2009 में पारित आदेश को विचार में लेने के बाद दिनांक 28.9.2015 का आक्षेपित आदेश पारित किया है। जब याची ने 23.10.1984 को पाँच वर्षों की सेवा पूरा किया है और किसी निर्धारित कर्म कर्मचारी जिसने कट ऑफ तिथि अर्थात् 22.10.1984 के पहले पाँच वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरा किया था को नियमित स्थापन में आमेलित किया जाना होगा और इस दशा में, यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता है कि याची स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं था और बिहार पी०डब्लू०डी० संहिता 59 के अधीन नियुक्त निर्धारित कर्म कर्मचारी था। बिहार पी०डब्लू०डी० संहिता, 59 के संबंध में, निर्धारित कर्म स्थापन पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने **राम प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य,** (2005) 3 JLJR 38, मामले में अपनी पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय में बिहार पी०डब्लू०डी० संहिता के नियम 59 पर विचार किया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> ***^^fcgkj ihO MCyO MhO lfgrk dk fu;e 59*** *fuèkkfjr de LFkkiu ij fopkj djrk g vkj bldk iBu fuEufyf[kr g%&*
>
> *dk; LFkkiu e ,lk LFkkiu lfEefyr gkxk tk okLrfod fu"iknu e fu;kftr g tk fofufn"V dk; ;k fofufn"V ifj;ktuk d mi&dk; d lkekU; vèkh{k.k ;k ,l dk; ;k mi&dk; d lcèk e foHkkxh; Je] LVkj ;k e'khujh d vèkhuLFk i;o{k.k l fHkUu gA tc vLFkk;h LFkkiu e dk;jr depkjhx.k bl iÑfÙk d dk; d fy, fu;kftr g] oru rRle; LFkkiu l iHkkfjr fd;k tk;xkA**
>
> *fu;e 59 dk ukV 3 Hkh iklfxd gku d ukr ;gk uhp m)r fd;k tkrk g%&*

*ukV 3. dk; Hkkfjr LFkkiuk Hkkfjr ink dk ftldh vko';drk vuj{k.k dk;k bR;kfn d fy, ij o"k ;k yEc vfuf'pr vofèk d fy, iMrh g] LFkk;h cuk;k tkuk pkfg, rFkk ljdkj d vueknu l LFkk;h LFkkiu e lfEefyr fd;k tkuk pkfg,A***

जसवन्त सिंह बनाम भारत संघ, (1979) 4 SCC 440 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कर्म स्थापन परिभाषित किया गया है।

यह भी विनिश्चित किया गया है कि समस्त निर्धारित कर्म कर्मचारियों जिन्होंने एक पद पर पाँच वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरा किया है और जिनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं है की सेवाएँ स्थायी/नियमित स्थापन में ले ली जाएँगी। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ तक विभाग की शक्तियों का संबंध है, राज्य द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाने पर राज्य सरकार स्वयं अपने निर्णय को चुनौती नहीं दे सकती है। वस्तुत: झारखण्ड राज्य ने पहले ही 4-2-1949 को जारी दिशा निर्देश स्वीकार किया है जो सांविधिक नियम है और निर्धारित कर्म कर्मचारियों के मामलों पर स्थायी (नियमित) स्थापन में उनकी सेवा ले लिए जाने के बाद विचार करना होगा जैसा तुलसी प्रसाद सिंह मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्धारित कर्म कर्मचारी जिन्होंने पाँच वर्ष की सेवा पूरा किया था, स्थायी (नियमित) स्थापन में अपनी सेवा लिए जाने के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। समरूप दृष्टिकोण **अर्जुन शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 2001(2) JLJR 203 में लिया गया है। दिनांक 4 फरवरी, 1949 का दिशानिर्देश भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन विरचित नियमावली के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था और दिनांक 20 सितम्बर, 1990 के संकल्प सं॰ 5074 के तहत नियम 21 अक्टूबर, 1984 की कट ऑफ तिथि स्वीकार नहीं की गयी थी और न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यपालिका अनुदेश 1949 सांविधिक नियमावली पर अभिभावी नहीं हो सकता है जैसा (2005) 3 JLJR 38 में प्रकाशित पूर्ण न्यायपीठ निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण होना होगा। याची की सेवा के साथ पहले ही नियमित किए जाने के कारण भिन्न रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। यह भेदभाव के तुल्य है और इस दशा में भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 का उल्लंघनकारी है। स्वीकृत रूप से याची फिल्टर ऑपरेटर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ जो दर्शाता है कि याची ने फिल्टर ऑपरेटर के पद पर काम किया और इस दशा में, याची फिल्टर ऑपरेटर ग्रेड I के वेतनमान में वेतन का हकदार है। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में याची फिल्टर ऑपरेटर ग्रेड I के प्रति प्रयोज्य वेतनमान का हकदार है।

7. पूर्वोक्त नियमों, दिशानिर्देशों, न्यायिक उद्घोषणाओं एवं संप्रेक्षण के समेकित प्रभाव के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि याची की सेवा नियमित स्थायी स्थापन की नहीं है और निर्धारित कर्म स्थापन की है और इस दशा में याची स्थायी/नियमित स्थापन के कर्मचारियों के लिए आशयित उसी वेतनमान का हकदार है। याची का मामला लागू नहीं किया जा सकता है और उसे उसके वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका प्रत्यर्थियों को यह विचार में लेते हुए कि याची की सेवा स्थायी नियमित स्थापन की है, याची को पारिणामिक लाभ निर्मुक्त करने के निर्देश के साथ अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

पैट्रिक बारा

cuke

झारखण्ड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1797 of 2004. Decided on 27th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 106 वर्ष 2004 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ I, गुमला द्वारा पारित दिनांक 30 अगस्त, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा 31 अगस्त, 2004 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302 एवं 324–हत्या एवं घोर उपहति–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील–अभियोजन मामला चश्मदीद गवाहों द्वारा पूर्णतः समर्थित किया गया है–घटनास्थल पर घायल गवाहों की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है– गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य डॉक्टर के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः समर्थित किया गया है और उनके द्वारा शवपरीक्षण रिपोर्ट सिद्ध की गयी है–अभियुक्त को सही प्रकार से भा०दं०सं० की धाराओं 302 एवं 324 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और इसके लिए दंडादेश किया गया है–अपील खारिज। (पैराएँ 19 से 22)

अधिवक्तागण.–Mr. D.C. Mishra, *Amicus Curiae,* For the Appellant; Mr. Azeemuddin, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के लिए इस न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान न्यायमित्र श्री डी०सी०मिश्रा एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह सत्र विचारण सं० 106 वर्ष 2004 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी० 1, गुमला द्वारा पारित दिनांक 30 अगस्त, 2004 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 31 अगस्त, 2004 के दंडादेश से व्यथित अपीलार्थी द्वारा दाखिल जेल अपील है जिसके द्वारा एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 324 के अधीन अपराधों का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिंदु पर सुनवाई पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है। अपीलार्थी को 10,000/– रुपयों के जुर्माना का दंडादेश दिया गया है। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

3. यह मामला लगभग दो वर्षीया बालिका की हत्या से संबंधित है और अभियोजन मामला 31.12.2003 को ग्राम कोनकेल, पी०एस० चैनपुर, जिला गुमला में दर्ज मृतका बालिका के पिता माइकेल एक्का के फर्दबयान के आधार पर संस्थित किया गया था। सूचक ने कथन किया था कि वह सुबह में कुछ अत्यावश्यक काम से प्रेमनगर गया था और जब वह पूर्वाह्न लगभग 11 बजे लौट रहा था, उसने देखा कि उसकी माता बलमदीना एक्का को ग्रामीणों द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था क्योंकि वह घायल थी। जाँच पर उसे सूचित किया गया था कि अभियुक्त पैट्रिक बारा ने उसकी लगभग दो वर्षीय पुत्री रीमा एक्का पर उपहति कारित करते हुए कुल्हाड़ी से प्रहार किया था और जब उसकी माता उसको बचाने गयी थी, उस पर भी उसके मस्तक पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया था। उसकी पुत्री की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी थी और माता को ग्रामीणों द्वारा चैनपुर अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसने कथन किया है कि पैट्रिक बारा को अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गाँववालों द्वारा पकड़ा गया था। उसने

कथन किया है कि उसकी पैट्रिक बारा से दुश्मनी नहीं थी। माइकेल एक्का के फर्दबयान के आधार पर चैनपुर पी०एस०केस सं० 62 वर्ष 2003, जी०आर० सं० 828 वर्ष 2003 के तत्सम, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307, 327, 324 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था और अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

4. मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 307 एवं 326 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था और अभियुक्त के निर्दोषिता के अभिवचन और विचारण किए जाने का दावा करने पर उसका विचारण किया गया था। विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से 11 गवाहों का परीक्षण किया गया था।

5. अ०सा० 7 बालमदीना एक्का सूचक की माता है जो भी घटना में घायल हुई थी। इस गवाह ने कथन किया है कि घटना बुधवार को प्रात: लगभग 10–11 बजे हुई थी। वह दूध वाले के घर के निकट थी और एक अन्य वृद्ध महिला भी उसके साथ वहाँ थी जिसका नाम उसे याद नहीं था। बच्चे आसपास खेल रहे थे और रीमा भी वहाँ खेल रही थी। इस बीच, पैट्रिक कुल्हाड़ी से लैस होकर आया और रीमा को धक्का दिया जिस पर वह गिर गयी और उसने उसके मस्तक पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। यह गवाह रोने लगी, जिस पर पैट्रिक ने उसपर भी उसके मस्तक पर प्रहार किया है कि उसे इलाज के लिए चैनपुर लाया गया था और वहाँ से उसके इलाज के लिए राँची ले जाया गया था। उसे याद नहीं था कि किस प्रकार उसे राँची लाया गया था, क्योंकि वह बेहोश थी किंतु उसने कथन किया है कि रीमा की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी थी। उसने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज नहीं किया गया था और उसे जानकारी नहीं थी कि पैट्रिक ने क्यों उन पर प्रहार किया था।

6. अ०सा० 1 जस्टिना मिंज है जिसने कथन किया है कि घटना बुधवार को हुई थी, जो वर्ष का अंतिम दिन था। वह और उसकी बहन बलमदीना बैठी हुई थे और लगभग दो वर्षीया रीमा रोटी खा रही थी। पैट्रिक आया और उसने कुल्हाड़ी से रीमा पर प्रहार किया और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु कारित किया। उसने कथन किया है कि बलमदीना ने उसको बचाने का प्रयास किया जिस पर भी पैट्रिक द्वारा प्रहार किया गया था किंतु वह इसे देख नहीं सकी थी। उसने न्यायालय ने अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि पैट्रिक संबंध में उसका नाती था और घटना उसकी उपस्थिति में हुई थी।

7. अ०सा० 6 माइकेल एक्का मामले में सूचक और मृतका का पिता है। उसने कथन किया है कि घटना 31.12.2003 को हुई थी। रीमा उसकी पुत्री थी जिसकी हत्या जीतराम दूधवाले के घर के निकट हुई थी। घटना प्रात: लगभग 10 बजे हुई थी। यह गवाह प्रेम नगर गया था और जब वह लौट रहा था, उसे सूचित किया गया था कि उसकी पुत्री की हत्या कर दी गयी थी और उसकी माता पर भी प्रहार किया गया था और घायल किया गया था। उस समय तक जब वह गाँव पहुँचा, गाँववाले पहले ही उसकी माता को अस्पताल ले गए थे और गाँववालों ने उसको सूचित किया था कि पैट्रिक बारा ने उन पर प्रहार किया था और उन्होंने उसको पकड़ा था। रक्तरंजित कुल्हाड़ी भी वहाँ थी। पुलिस घटनास्थल पर आयी जिसे और किसी द्वारा नहीं बल्कि अभियुक्त के पिता द्वारा लाया गया था। पुलिस ने उसका फर्दबयान दर्ज किया जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था और एक अन्य गवाह ने भी अपना हस्ताक्षर किया था और उसकी

पहचान पर फर्दबयान पर हस्ताक्षरों को प्रदर्शों 3 एवं 3/1 के रूप में चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि पुलिस अपने साथ पैट्रिक एवं कुल्हाड़ी को ले गयी थी। उसने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया है कि उसने स्वयं घटना नहीं देखा था, बल्कि उसे गाँववालों द्वारा सूचित किया गया था। उसकी पुत्री एवं माता के मस्तक पर उपहतियाँ थी।

8. अ॰सा॰ 2 थॉमस टोप्पो है, जिसने कथन किया है, कि माइकेल की संतान पर पैट्रिक बारा द्वारा प्रहार किया गया था जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी। इस गवाह एवं अन्य व्यक्तियों ने पैट्रिक को पकड़ा था, जिसे पुलिस के समक्ष पेश किया गया था। मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गयी थी और कुल्हाड़ी जिससे हत्या की गयी थी तथा मिट्टी पुलिस द्वारा जब्त की गयी थी और उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर किया था जिसे उसने पहचाना और इसे प्रदर्श 1 एवं 2 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने भी न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। उसने यह कथन भी किया है कि घटना जीतराम दूधवाले के घर के निकट हुई थी और मृतका की दादी पर भी पैट्रिक द्वारा प्रहार किया गया था जब वह मृतका को बचाने गयी। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतका के मस्तक पर प्रहार किया था, किंतु उसने उसे मृतका पर प्रहार करते नहीं देखा था बल्कि वह बाद में घटनास्थल पर पहुँचा था।

9. अ॰सा॰ 3 जेराम खाल्को है, जिसने भी कथन किया है कि घटना दिसंबर के अंतिम दिन प्रातः लगभग 10–11 बजे हुई थी, जब वह अपने घर में था। उसने जीतराम के घर के निकट से आवाज सुनी जिसपर वह वहाँ गया और मस्तक उपहति के साथ रीमा का मृत शरीर देखा। रीमा की दादी भी वहाँ थी और गाँववाले भी वहाँ थे। रीमा की दादी भी अपने मस्तक एवं शरीर पर प्रहार से घायल हुई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया था और वहाँ उपस्थित वृद्ध महिलाओं ने उसको सूचित किया कि पैट्रिक द्वारा बालिका पर प्रहार किया गया था। पैट्रिक घटनास्थल पर पकड़ा गया था। उसे कुल्हाड़ी के साथ पुलिस के समक्ष पेश किया गया था, जो रक्त रंजित था। इस गवाह ने भी न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। उसने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि पुलिस द्वारा उसका बयान दर्ज नहीं किया गया था और उसे घटना के बारे में ग्रामीणों द्वारा सूचित किया गया था।

10. अ॰सा॰ 4 जर्मिना एक्का मृतका की माता है। उसने कथन किया है कि घटना 31 दिसम्बर, 2003 को हुई थी, जब वह घर में थी। उसकी पुत्री रीमा एक्का जीतराम दूधवाले के घर के निकट खेल रही थी, जहाँ बालिका की दोनों दादियाँ भी उपस्थित थी। पैट्रिक बारा आया और टांगी से उसकी पुत्री पर प्रहार किया जिस कारण घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी बड़ी पुत्री दौड़ते हुए घर आयी और घटना के बारे में सूचित किया और यह भी सूचित किया कि दादी भी बेहोश थी, जिसके मस्तक पर भी पैट्रिक द्वारा प्रहार किया गया था। उसने कथन किया है कि उसकी सास का राँची में इलाज किया गया था। उसने कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँची, पैट्रिक भाग गया था, किंतु ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था और उसे परिरूद्ध रखा था और जब पुलिस पहुँची, उसे पुलिस को सौंपा गया था। पुलिस ने भी मृत शरीर देखा था और कुल्हाड़ी जब्त किया था। उसने भी न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है। अपने प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि उसने स्वयं घटना नहीं देखा था।

11. अ॰सा॰ 5 जोहान टोप्पो है जिसने केवल यह कथन किया है कि पैट्रिक बारा को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था और पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पुलिस ने कुल्हाड़ी भी जब्त किया था।

वह अभिग्रहण सूची और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का गवाह है जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर किया था और उसने दोनों दस्तावेजों पर अपना हस्ताक्षर पहचाना है जिन्हें प्रदर्श चिन्हित किया गया था। अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने घटना नहीं देखा था, किंतु उसने मृत शरीर देखा था और पैट्रिक उसका सह ग्रामीण है।

12. अ॰सा॰ 8 डॉ॰ मानवेन्द्र कुमार सिंह है, जो चिकित्सा अधिकारी है जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2003 को अपराह्न 4 बजे मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और मृत शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहति पाया था:–

(i) nk, ifjVk&vkDlhihVy ekM ij ,d fonh.k t[e] vkdkj 3" × 3/4" × vfLFk rd xgjk@nkuk vfLFk;k dk ŸDpj FkkA migfr Vkxh d fiNy fgLlk l dkfjr dh tk ldrh gA

(ii) foPNnu dju ij&efutl ,o cu fV'k fonh.k FkA bVkØfu;y gekVkek ektn FkkA

ân;&leLr pEcj [kkyh FkA cMh ulk dk {kfr igph FkhA iV e vkf'kd ipk Hkktu FkkA vU; leLr vkrfjd vx fuLrt FkA

उन्होंने कथन किया है कि उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित मृत्यु पूर्व प्रकृति की थी और मृत्यु का कारण हेमरेज था। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में शव परीक्षण रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया था। अपने प्रति–परीक्षण में, उन्होंने कथन किया है कि उपहतियाँ चट्टानी सतह पर गिरने से कारित हो सकती थी।

13. अ॰सा॰ 9 डॉ॰ रोयन जे॰ तिरू है जो पी॰एच॰सी॰ चैनपुर के चिकित्सा अधिकारी है और जिन्होंने 31.12.2003 को प्रात: 10 बजे बालमदीना एक्का की उपहतियों का परीक्षण किया था जो निम्नलिखित थी:–

(i) eLrd d ck, ijkbVy {k= d mijh Hkkx ij 2" × 1/4" × Ropk rd xgjk dVu dk t[eA

(ii) ihB d nk, Hkkx ij 2" × 2" dk [kjkpA

उन्होंने कथन किया है कि दोनों उपहतियाँ सरल प्रकृति की थी। उपहति सं॰ (i) कुल्हाड़ी जैसे तेज धारवाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी और उपहति सं॰ (ii) कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से जैसे कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की जा सकती है। उन्होंने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में उपहति रिपोर्ट पहचाना है जिसे प्रदर्श 5 चिन्हित किया गया था।

14. अ॰सा॰ 10 योगेन्द्र कुमार पुलिस सब–इंसपेक्टर है, जिसने कथन किया है कि 31.12.2003 को वह चैनपुर पुलिस थाना में पदस्थापित था, ए॰एस॰आई॰ श्री डी॰के॰मिश्रा ने पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को फर्दबयान सौंपा था। उसने फर्दबयान को ए॰एस॰आई॰ डी॰के॰मिश्रा के हस्तलेखन में पहचाना है जिसे प्रदर्श 6 चिह्नित किया गया था। उसने औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 7 चिन्हित किया गया था और उसने अभिग्रहण सूची भी सिद्ध किया है, उसने कथन किया है कि ए॰एस॰आई॰ डी॰के॰ मिश्रा ने पुलिस थाना में अभिग्रहण सूची प्रस्तुत किया था, जो उसके लेखन एवं हस्ताक्षर में था और उसने अभिग्रहण सूची सिद्ध किया है, जिसे प्रदर्श 8 चिन्हित किया गया था। उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 9 चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने कथन किया है कि उसे अन्वेषण का प्रभार सौंपा गया था। उसने सूचक का पुनर्बयान दर्ज किया और घटनास्थल का दौरा भी किया, जिसका विवरण दिया गया था। उसने कथन किया है कि घटनास्थल पर रक्त के धब्बे पाए गए थे। उसने गवाहों के बयानों को दर्ज किया ग्रामीणों ने अभियुक्त को पकड़ा था

जिसे पुलिस के समक्ष पेश किया गया था। उसने 21.1.2004 को अन्वेषण का प्रभार सौंपा। उसने कथन किया कि ए०एस०आई० डी०के० मिश्रा द्वारा मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था।

15. अ०सा० 11 देवेन्द्र कुमार मिश्रा पुलिस का ए०एस०आई० है जिसने कथन किया है कि 31.12.2003 को वह चैनपुर पुलिस थाना में पदस्थापित था। उसने घटना के बारे में जानकारी पाया और प्रभारी अधिकारी के अनुदेश पर वह घटना स्थल पर गया, जहाँ उसने सूचक माइकेल एक्का का फर्दबयान दर्ज किया, जिसे भी उसने पहचाना है और इसे पहले प्रदर्श 6 चिह्नित किया गया था। उसने कथन किया कि उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया था, जिसे उसने सिद्ध भी किया था तथा पहले प्रदर्श 9 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया है कि अपराध का हथियार अर्थात् रक्तरंजित कुल्हाड़ी और रक्तरंजित मिट्टी भी उसके द्वारा जब्त किया गया था और उसने जब्ती सूची तैयार की थी, जिसे भी उसने सिद्ध किया है, जिसे पहले प्रदर्श 8 चिन्हित किया गया था। उसने कथन किया कि उसने रीमा एक्का के मृत शरीर को शवपरीक्षा के लिए भेजा था। उसने घटनास्थल के निकट अभियुक्त को गिरफ्तार किया और पुलिस थाना लौटा, और समस्त दस्तावेजों को प्रभारी अधिकारी को सौंपा। अपने प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि अपराध का हथियार न्यायालय में मौजूद नहीं है।

16. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी को पूर्वोक्तानुसार विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था।

17. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान न्याय मित्र ने निवेदन किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है, क्योंकि न्यायालय में परीक्षण किए गए गवाहों ने कथन किया है कि पुलिस द्वारा उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था यद्यपि उन्होंने अभियोजन मामला का समर्थन किया है। विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह निवेदन किया गया है कि घटना के केवल दो चश्मदीद गवाह हैं, जो मृतका की दादी अ०सा० 7 बलमदीना एक्का तथा अ०सा० 1 जस्टिना मिन्ज है। यद्यपि इन गवाहों ने अभियोजन मामला का समर्थन किया है, किंतु इन गवाहों के साक्ष्य में अंतर है, क्योंकि अ०सा० 1 जस्टिना मिन्ज ने कथन किया है कि घटना के समय मृतका रोटी खा रही थी, जबकि अ०सा० 7 बलमदीना एक्का ने कथन किया है कि उस समय मृतक अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि यद्यपि बालमदीना एक्का ने कथन किया है कि प्रहार के कारण वह बेहोश हो गयी थी, किंतु डॉ० रोयन जे०तिरू अ०सा० 9 का साक्ष्य और उनके द्वारा प्रदर्श 5 के रूप में सिद्ध की गयी उपहति रिपोर्ट स्पष्टत: दर्शाती है कि उस पर केवल सरल उपहतियाँ थी और इस दशा में कथन कि वह बेहोश हो गयी, विश्वसनीय नहीं है। यद्यपि उसने और मृतका की माता अ०सा० 4 जर्मिना एक्का ने कथन किया है कि उसका राँची में इलाज किया गया था, किंतु राँची में इस घायल गवाह के इलाज का साक्ष्य नही है। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि साक्ष्य विरोधाभास से भरे हैं, उनका साक्ष्य विचार में नहीं लिया जाता है और इस मामले के तथ्यों में अपीलार्थी कम से कम संदेह के लाभ का हकदार है।

18. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है क्योंकि चश्मदीद गवाह अ०सा० 7 बलमदीना एक्का भी घटना में घायल हुई थी, इस दशा में घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उसने विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि जब बालिका अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, अभियुक्त पैट्रिक कुल्हाड़ी से लैस होकर आया और उसके

मस्तक पर प्रहार किया, जिस कारण घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी। उस पर भी प्रहार किया गया था और अभियुक्त द्वारा घायल किया गया था। उसका साक्ष्य एक अन्य चश्मदीद गवाह अ०सा० 1 जस्टिना मिंज द्वारा भी समर्थित है जो भी वहाँ उपस्थित था। यह तथ्य कि अभियुक्त अपीलार्थी ने हत्या किया था, अन्य गवाहों अर्थात् अ०सा० 2 थॉमस टोप्पो, अ०सा० 3 जेराम खालको, अ०सा० 4 जर्मिना एक्का, मृतका की माता, द्वारा भी समर्थित है, क्योंकि ये गवाह घटना के तुरन्त बाद घटना स्थल पर पहुँचे थे और ग्रामीणों ने अभियुक्तों को पकड़ा था और उसे रक्तरंजित कुल्हाड़ी के साथ परिरूद्ध रखा था और रक्तरंजित कुल्हाड़ी के साथ पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था। अ०सा० 10 योगेन्द्र कुमार जिसने मामले का अन्वेषण किया था ने घटनास्थल पर रक्त के धब्बों को पाया था। चश्मदीद गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य अ०सा० 8 डॉ० मानवेन्द्र कुमार सिंह के चिकित्सीय साक्ष्य और उसके द्वारा प्रदर्श 4 के रूप में सिद्ध शवपरीक्षण रिपोर्ट तथा अ०सा० 9 डॉ० रोयन जे०तिरू के साक्ष्य तथा उनके द्वारा प्रदर्श 5 के रूप में सिद्ध की गयी उपहति रिपोर्ट से पूर्णत: संपुष्ट किया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में अवैधता नहीं है।

19. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन मामला चश्मदीद गवाहों अ०सा० 7 बलमदीना एक्का, अ०सा० 1 जस्टिना मिन्ज द्वारा पूर्णत: समर्थित है और अ०सा० 7 बलमदीना एक्का घटना में घायल भी हुई थी और इस दशा में घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यद्यपि उनके साक्ष्य में कुछ अंतर हो सकता है किंतु, इन दोनों गवाहों ने स्पष्टत: कथन किया है कि अभियुक्त पैट्रिक बारा कुल्हाड़ी से लैस होकर घटना स्थल पर आया और कुल्हाड़ी से बालिका पर प्रहार किया जिससे उसकी तुरन्त मृत्यु हो गयी। जब दादी बलमदीना एक्का ने उसको बचाना चाहा, उस पर भी प्रहार किया गया था और वह घटना में घायल हुई अन्य गवाहों अर्थात् अ०सा० 2 थॉमस टोप्पो, अ०सा० 3 जेरम खलको एवं अ०सा 4 जर्मिना एक्का भी घटना के तुरन्त बाद घटनास्थल पर पहुँचे और उन्होंने मृतका का मृत शरीर एवं घायल दादी को देखा और अभियुक्त पैट्रिक बारा अपने हाथ में रक्त रंजित कुल्हाड़ी के साथ घटनास्थल पर पकड़ा गया था और गाँववालों ने उसे परिरूद्ध किया था और घटना के हथियार के साथ पुलिस के समक्ष पेश किया गया था। इन गवाहों का चाक्षुक साक्ष्य अ०सा० 8 डॉ० मानवेन्द्र कुमार सिंह के चिकित्सीय साक्ष्य तथा उनके द्वारा प्रदर्श 4 के रूप में सिद्ध की गयी शवपरीक्षण रिपोर्ट से पूर्णत: समर्थित है, जिन्होंने मृतका बालिका के मस्तक पर मृत्यु पूर्व ब्रेन की विदीर्णता कारित करने वाली उपहति पाया। अ०सा० 7 बलमदीना एक्का पर उपहति अ०सा० 9 रोयन जे०तिरु द्वारा सिद्ध की गयी है और इस तथ्य की दृष्टि में कि उसके शरीर पर केवल सरल उपहति पायी गयी थे, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 326 एवं 307 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया है और उसे खतरनाक हथियार से बलमदीना एक्का पर प्रहार करने तथा उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है। हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सक्षम हुआ है और अभियुक्त को सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 324 के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और इसके लिए दंडादेश दिया गया है।

20. पूर्वोक्त कारणों से, हम सत्र विचारण सं० 106 वर्ष 2004 में अपीलार्थी पैट्रिक बारा को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 324 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित करते

हुए विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी० 1, गुमला द्वारा पारित दिनांक 30 अगस्त, 2004 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दिनांक 31 अगस्त, 2004 के दंडादेश को एतद् द्वारा संपुष्ट करते हैं। अपीलार्थी अभिरक्षा में है और दंडादेश भुगत रहा है।

21. इस निर्णय से अलग होने के पहले, हमें दर्ज करना होगा कि हमें इस न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान न्यायमित्र श्री डी०सी०मिश्रा द्वारा सक्षम सहायता दी गयी है। हम सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटि को विद्वान न्यायमित्र को विहित पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। इस निर्णय की प्रति सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

22. परिणामस्वरूप, यह अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख संबंधित न्यायालय को तुरन्त प्रेषित किया जाए।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkun lu] U;k;efrx.k

सबीला खातून

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 319 of 2007. Decided on 6th November, 2017.

एस॰ टी॰ संख्या 620 वर्ष 2003 में 18वें अपर न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा पारित दिनांक 21.2.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 24.2.2007 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 436 एवं 302–हत्या तथा अग्नि द्वारा रिष्टि–आजीवन कारावास–घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है–मामले के अन्वेषण पदाधिकारी को परीक्षित नहीं किया गया है–अन्य मृतक का पोस्टमार्टम परीक्षण करनेवाले चिकित्सक की भी परीक्षा नहीं की गयी है–न तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट न ही उसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध की गयी है–इसके अभिलिखित किये जाने तथा मृतका की बाद में होनेवाली मृत्यु के बीच इतने लंबे अंतराल के कारण फर्दबयान को मृतका की मृत्यु कालिक घोषणा के तौर पर नहीं मानी जा सकती है–इसी कारण से, ऐसा कथित करनेवाले गवाहों के बयान भी कि उन्हें मृतका द्वारा सूचित किया गया था कि यह अभियुक्त था जिसने उसे आग लगायी थी, मृत्युकालिक घोषणा के तौर पर नहीं लिये जा सकते हैं क्योंकि गवाहों के समक्ष मृतका के ऐसे बयान तथा मृतका की मृत्यु के बीच लंबा अंतराल था–अन्वेषण पदाधिकारी की अपरीक्षा ने बचाव पक्ष को गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है–अभियोजन अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में विफल रहा है–इस प्रकार, अभियुक्त अपीलार्थी उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने की हकदार है–अपील अनुज्ञात।

(पैराएँ 10, 11, 13 से 17)

अधिवक्तागण.–M/s Rajiv Ranjan, Manoj Kumar, Deepankar, For the Appellant; Mr. Vijay Shankar Prasad, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

2. यह अपील एस॰ टी॰ संख्या 620 वर्ष 2003 में विद्वान 18वें अपर न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा पारित दिनांक 21.2.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 24.2.2007 के दंडादेश से उद्भूत है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 436 एवं 302 के अधीन अपराधों के लिये एकमात्र अपीलार्थी को दोषी पाया गया है तथा दोषसिद्ध किया गया है। दंडादेश के बिन्दु पर सुनवाई करने पर, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिये आजीवन कारावास भुगतने तथा भारातीय दंड संहिता की धारा 436 के अधीन अपराध के लिये 10 वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया गया है, तथा दोनों दंडादेशों के साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

3. मृतक शरफुल अंसारी के फर्दबयान, जिसे 18.4.2003 को तब अभिलिखित किया गया था, जब वह आर॰ आई॰ एम॰ एस॰, रांची में जीवित था जहां उसका इलाज चल रहा था, के आधार पर अभियोजन मामला संस्थित किया गया था। अपने फर्दबयान में, उसने कथित किया है कि 16.4.2003 की रात्रि में वह अपने घर में अपनी पहली पत्नी शहनाज खातून तथा दूसरी पत्नी सबीला खातुन (अभियुक्त) के साथ सो रहा था तथा जब सूचनादाता एवं उसकी पहली पत्नी सोये हुए थे, अभियुक्त सबीला खातून ने बिस्तर पर तथा अपने पति एवं पहली पत्नी के शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया था, उन्हें आग लगा दी थी एवं एक बक्से से 25,000/- रुपये चुराकर भाग गयी थी। जब उनको आग लगाना प्रारंभ हुआ था, पति दरवाजा तोड़ते हुए कमरे से बाहर आ गया था एवं चीख पुकार किया था, जिसपर निकट के व्यक्ति आ गये थे एवं आग को बुझा दिया था तथा पति एवं पत्नी दोनों को आर॰ आई॰ एम॰ एस॰, रांची लाया गया था, जहां उन्हें 16.4.2003 को भर्त्ती कराया गया था। सूचनादाता शरफुल अंसारी के फर्दबयान के आधार पर, जी॰ आर॰ संख्या 1420 वर्ष 2003 के तत्सम मंदार पुलिस थाना केस सं॰ 24 वर्ष 2003 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 324, 326, 307 एवं 379 के अधीन अपराधों के लिए संस्थित किया गया था तथा अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। सूचनादाता एवं उसकी पहली पत्नी की बाद में दाह उपहतियों के कारण मृत्यु हो गयी थी, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ दी गयी थी। अन्वेषण के उपरान्त, पुलिस ने अभियुक्त सबीला खातून के विरूद्ध मामले में अभियोग पत्र दाखिल किया था।

4. मामला सत्र न्यायालय भेजे जाने के उपरान्त, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 436 एवं 302 के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त सबीला खातुन के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था, तथा अभियुक्त के दोषी न होने का अभिवचन करने तथा विचारण किये जाने का दावा करने पर, उसका विचारण किया गया था। विचारण के अनुक्रम में, अभियोजन ने ग्यारह गवाहों को परीक्षित किया है, जिनमें से अ॰ सा॰ 6 पंखारासियस टोपो पक्षद्रोही हो गया है तथा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। मामले के अन्वेषण पदाधिकारी की भी परीक्षा नहीं की गयी है तथा औपचारिक गवाहों अ॰ सा॰ 10 बद्री प्रसाद, एक अधिवक्ता लिपिक तथा अ॰ सा॰ 11 राजेश मंडल, पुलिस की एक जमादार द्वारा फर्दबयान तथा प्राथमिकी को क्रमशः प्रदर्श 5 तथा प्रदर्श 4 के तौर पर सिद्ध किया गया है। मृतक व्यक्तियों, जब वह जीवित थे, की जांच करनेवाले चिकित्सक, तथा मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण करनेवाले चिकित्सक की भी अभियोजन द्वारा परीक्षा नहीं की गयी है।

5. अ॰ सा॰ 3 सतन अंसारी मृतक शरफुल अंसारी का पिता है। उसने कथित किया है कि उसका छोटा पुत्र शरफुल अंसारी 16.4.2003 को अपने घर में अपनी दोनों पत्नीयों के साथ सोया हुआ था। लगभग 2 से 2.30 बजे पूर्वाह्न में, रात्रि में उसके कमरे से एक शोर सुनाई दिया था तथा जब वह कमरे तक गया था, उसने कमरे को बाहर से बंद पाया था एवं शरफुल अंसारी तथा उसकी पत्नी घर के अंदर

थे। उसने दरवाजा खोल दिया था एवं कमरे के अंदर गया था तथा देखा था कि शरफुल अंसारी तथा उसकी पत्नी को आग लगा दी गयी थी। उसने तथा उसके एक अन्य पुत्र ने आग बुझाई थी तथा उस समय तक अन्य व्यक्ति भी वहां पहुंच गये थे। दोनों को पुलिस थाना ले जाया गया था एवं उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था। उसका पुत्र अस्पताल में तीन महीने तक रहा था तथा जब उसकी हालत और खराब होने लगी थी, उसे घर ले आया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसकी पुत्रबधु को भी उसके पिता द्वारा उसके घर ले आया गया था, जहां उसकी भी मृत्यु हो गयी थी। उसने कथित किया है कि उसके पुत्र ने पुलिस थाना में अपना बयान दिया था, जहां उसने उसपर अपने हस्ताक्षर किये थे, तथा उसने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है, जो प्रदर्श 1 के तौर पर अंकित था। उसने यह भी कथित किया है कि शरफुल अंसारी ने उसे सूचित किया था कि जब वह सो रहा था, उसकी दूसरी पत्नी ने उसे तथा उसकी पहली पत्नी को आग लगा दी थी एवं भाग गयी थी। उसने न्यायालय में अभियुक्त सबीला खातून की शिनाख्त की है। अपने प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथित किया है कि गांव वालों के दबाव पर उनके बीच अनैतिक संबंध के कारण सबीला खातुन का विवाह उसके मृतक पुत्र के साथ किया गया था। तत्पश्चात्, दोनों पुत्रवधु एक ही घर में रह रहे थे। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथित किया है कि फर्दबयान पुलिस थाना में दर्ज किया गया था जहां उसने अपने हस्ताक्षर किये थे। उसने मामले में अभियुक्त को झूठमूठ फंसाये जाने के सुझाव से इनकार किया है।

6. अ॰ सा॰ 1 असरफुल खातुन तथा अ॰ सा॰ 4 मेहरूनिस्सा अ॰ सा॰ 3 सतन अंसारी की अन्य पुत्रवधु हैं, तथा अ॰ सा॰ 5 शराफत अंसारी मृतक शरफुल अंसारी का भाई है। इन सारे गवाहों ने अ॰ सा॰ 3 सतन अंसारी द्वारा यथा कथित अभियोजन मामले का भी समर्थन किया है, ऐसा कथित करते हुए कि उन्हें मृतक शरफुल अंसारी द्वारा सूचित किया गया था कि इस अभियुक्त सबीला खातून ने अपने पति तथा उसकी पहली पत्नी को आग लगा दी थी तथा भाग गयी थी। अ॰ सा॰ 5 सराफत अंसारी ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथित किया है कि मृतक का फर्दबयान पुलिस थाना में दर्ज किया गया था।

7. अ॰ सा॰ 8 मनीरूद्दीन अंसारी तथा अ॰ सा॰ 9 जमीला खातून मृतक शरफुल अंसारी की पहली पत्नी मृतका शहनाज खातून के क्रमशः पिता एवं माता हैं, तथा उन्हें अ॰ सा॰ 3 सतन अंसारी द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था, जिसपर वह RIMS, रांची पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाया था कि उनकी पुत्री तथा दामाद का दाह उपहतियों के लिए इलाज चल रहा था। इन दोनों गवाहों ने कथित किया है कि उन्हें उनकी पुत्री द्वारा सूचित किया गया था कि अभियुक्त सबीला ने उन दोनों को जला दिया था, तथा बाद में दाह उपहतियों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी थी। इन गवाहों ने न्यायालय में अभियुक्त की शिनाख्त की है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, अ॰ सा॰ 8 मनीरूद्दीन अंसारी ने कथित किया है कि उसका दामाद शरफुल अंसारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था।

8. अ॰ सा॰ 2 लॉरेन्स रोधो वह पड़ोसी है जो शोर सुनकर घटना स्थल पर पहुंचा था एवं पति एवं उसकी पहली पत्नी दोनों को जलती हुई अवस्था में देखा था। उसने कार की व्यवस्था की थी एवं उन्हें पुलिस थाना ले गया था तत्पश्चात् अस्पताल ले गया था। उसने कथित किया है कि उसे इसको लेकर कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें कैसे जला दिया गया था।

9. अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ शम्भू शरण हैं, जिन्होंने 30.6.2003 को मृतक शरफुल अंसारी के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था एवं निम्नांकित उपहति पायी थी:–

> *Bhd gk tku d fpUgk d lkFk Mjek ,ihMjey nkg rFkk pgjk] xnu] Nkrh d vx ik'o] Nkrh d ihN] nkuk Åijh Hkktvk ij eokn ektnA*

उन्होंने कथित किया है कि दाह उपहति के परिणामत: सेप्टीसिमिया होने से मृत्यु हुई थी। उन्होंने अपने हस्ताक्षर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शिनाख्त की है, जिसे प्रदर्श 3 के तौर पर अंकित किया गया था।

10. जैसा कि पहले कथित किया गया था, मामले के अन्वेषण पदाधिकारी की परीक्षा नहीं की गयी है तथा अन्य मृतक का पोस्टमार्टम परीक्षण करनेवाले चिकित्सक की भी परीक्षा नहीं की गयी है। न तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, न ही उसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध की गयी है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, यथा पूर्वोक्त अपराधों का अवर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त–अपीलार्थी को दोषी पाया गया था, जो सिद्ध किया गया था एवं दंडादेश सुनाया गया था।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश पूर्ण रूप से अवैधानिक है तथा विधि की दृष्टि में टिक नहीं सकता है क्योंकि अभियोजन अभियुक्त–अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है। यह निवेदन किया गया है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध एकमात्र सामग्री RIMS, रांची में अभिलिखित उसके फर्दबयान के रूप में मृतक शरफुल अंसारी की अभिकथित मृत्युकालिक घोषणा है, तथा जैसा कि गवाहों द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया था कि उन्हें मृतक द्वारा सूचित किया गया था कि वर्तमान अभियुक्त ने उसे तथा उसकी पहली पत्नी को आग लगा दी थी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि घटना अभिकथित रूप से 16.4.2003 को घटित हुई थी, परन्तु फर्दबयान 18.4.2003 को RIMS, रांची में अभिलिखित किया गया था। तथापि, दो गवाहों, अर्थात्, अ॰ सा॰ 3 सतन अंसारी एवं अ॰ सा॰ 5 शराफत अंसारी ने अपने साक्ष्य में कथित किया है कि मृतक का बयान पुलिस थाना में दर्ज किया गया था। फर्दबयान में भी, जो कथित रूप से RIMS, रांची में अभिलिखित किया गया था, ऐसा दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि इसे किसी चिकित्सक की उपस्थिति में दर्ज किया गया था ऐसा प्रमाण देते हुए कि मृतक अपना बयान देने की स्थिति में था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि यद्यपि फर्दबयान 18.4.2003 को दर्ज किया गया था, परन्तु प्राथमिकी एक महीने से अधिक समय बाद 24.5.2003 को दर्ज की गयी थी, तथा इतने लंबे विलम्ब के उपरान्त प्राथमिकी दर्ज करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जबकि प्राथमिकी भी 24.5.2003 को दर्ज की गयी थी, इसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रांची के न्यायालय में 29.5.2003 को भेजा गया था, तथा इस असामान्य विलम्ब का भी अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अन्वेषण पदाधिकारी की भी इस मामले में परीक्षा नहीं की गयी है, जो इन असामान्य विलम्बों को स्पष्टीकृत कर सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अ॰ सा॰ 8 मनीरूद्दीन अंसारी, मृतक शरफुल अंसारी के ससुर के इस साक्ष्य की दृष्टि में कि अस्पताल में वह बोलने की स्थिति में नहीं था, फर्दबयान का दर्ज किया जाना ही संदिग्ध बन जाता है, तथा चूँकि इसे ऐसा प्रमाण देनेवाले चिकित्सक की मौजूदगी में अभिलिखित नहीं किया गया था कि मृतक अपना बयान देने की स्थिति में था, फर्दबयान अभियुक्त की दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिये मृतक की मृत्युकालिक घोषणा के तौर पर आधार बनाये जाने के लिए भरोसा उत्पन्न नहीं करता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मामले के तथ्यों में यह स्पष्ट दोषमुक्ति का एक मामला है।

12. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आग्रह का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि गवाहों ने पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन किया है ऐसा कथित करते हुए कि अपनी मृत्यु के पहले मृतक ने उन्हें सूचित किया था कि यह अभियुक्त सबीला खातून थी, जिसने अपने पति तथा उसकी पहली पत्नी को आग लगा दी थी, जिसके परिणामत:, दोनों

मृतकों की मृत्यु हो गयी थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस अभियुक्त के पति की मृत्यु अ॰ सा॰ 7 डॉ॰ शम्भू शरण के चिकित्सीय साक्ष्य तथा अ॰ सा॰ 3 के तौर पर उनके द्वारा सिद्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट द्वारा भी समर्थित है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है तथा अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।

13. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा अभिलेख का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सभी गवाहों ने कथित किया है कि शोर सुनने पर वे मृतक शरफुल अंसारी के कमरे तक गये थे। अ॰ सा॰ 3 सतन अंसारी ने कथित किया है कि दरवाजा बाहर से बंद था, जिसे उसने खोला था एवं इसके बाद वे कमरे में प्रवेश किये थे। फर्दबयान, प्रदर्श 5 में, यह कथित किया गया है कि मृतक ने स्वयं दरबाजा खोला था तथा वह कमरे से बाहर आ गया था एवं संत्रास किया था, जिसपर सभी व्यक्ति वहां पहुंच गये थे। स्थिति चाहे जो भी हो, यह तथ्य शेष रह जाता है कि अभियोजन गवाहों में से कोई भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। मामला केवल मृतक की मृत्युकालिक घोषणा पर निर्भर है, जो या तो गवाहों के समक्ष की गयी थी, या फर्दबयान में दर्ज है, जिसे यद्यपि RIMS, रांची में दर्ज दर्शाया गया है, परन्तु फर्दबयान में ऐसा दर्शाने के लिये कुछ भी नहीं है कि इसे इलाज करनेवाले चिकित्सक की मौजूदगी में दर्ज किया गया था, ऐसा प्रमाण देते हुए कि मृतक अपना बयान देने की स्थिति में था। यह सही है कि अ॰ सा॰ 8 मनीरूद्दीन अंसारी, जो मृतक शरफुल अंसारी का ससुर तथा अन्य मृतका शहनाज खातुन का पिता है, का साक्ष्य है, जिसने कथित किया है कि मृतक सूचनादाता अपना बयान देने की स्थिति में नहीं था। अ॰ सा॰ 3 सतन अंसारी तथा अ॰ सा॰ 5 शराफत अंसारी के साक्ष्य दर्शाते हैं कि यह फर्दबयान RIMS, रांची में अभिलिखित नहीं किया गया था, बल्कि इसे पुलिस थाना में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, फर्दबयान भी अतिसंदिग्ध है तथा इसे मृतक की मृत्युकालिक घोषणा मानते हुए इससे अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है। वास्तव में, फर्दबयान दर्ज किये जाने तथा मृतक की मृत्यु के बीच लम्बा अंतराल है, क्योंकि फर्दबयान 18.4.2003 को दर्ज किया गया था तथा अ॰ सा॰ 3 सतन अंसारी, मृतक के पिता ने कथित किया है कि उसका पुत्र तीन महीनों तक अस्पताल में रहा था तथा जब उसकी अवस्था खराब होनी प्रारंभ हो गयी थी, उसे घर लाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श 3 दर्शाती है कि पोस्टमार्टम 30.6.2003 को, अर्थात्, फर्दबयान दर्ज किये जाने के दो महीनों से अधिक समय बाद किया गया था। इस प्रकार, इस फर्दबयान को इसके अभिलिखित किये जाने तथा बाद में मृतक की होनेवाली मृत्यु के बीच इतने लंबे अंतराल के कारण मृतक की मृत्युकालिक घोषणा नहीं माना जा सकता है। इसी कारण से, गवाहों के ऐसा कथित करनेवाले बयानों को भी कि उन्हें मृतक द्वारा सूचित किया गया था कि यही वह अभियुक्त थी जिसने उन्हें आग लगायी थी, मृत्युकालिक घोषणा नहीं माना जा सकता है क्योंकि गवाहों के बीच मृतक के ऐसे बयान तथा मृतक की मृत्यु के बीच लंबा अंतराल था।

14. इसके अलावा, यद्यपि फर्दबयान कथित रूप से 18.4.2003 को अभिलिखित किया गया था, परन्तु प्राथमिकी एक से अधिक महीने उपरान्त, अर्थात्, 24.5.2003 को दर्ज की गयी थी, तथा पुनः इसे एक असामान्य विलम्ब के उपरान्त संबंधित न्यायालय को भेजा गया था, जहां यह 29.5.2003 को प्राप्त हुई थी, तथा तीन असामान्य विलम्बों को स्पष्टीकृत करते हुए अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अन्वेषण पदाधिकारी की अपरीक्षा ने वर्तमान मामले में बचाव पक्ष को गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है। यह तथ्य भी शेष रह जाता है कि अन्य मृतक शहनाज खातुन, अर्थात्, शरफुल अंसारी की पहली पत्नी की मृत्यु भी सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध नहीं की जा सकी थी क्योंकि इस मृतका की अभिलेख पर कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट नहीं है।

15. उपरोगामी कारणों से, हमारी सुविचारित राय है कि यह ऐसा निर्णीत करने के लिए एक उपयुक्त मामला है कि अभियोजन अभियुक्त-अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे सिद्ध करने में विफल रहा है तथा इस मामले के तथ्यों में, अवर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विधि की दृष्टि में टिक नहीं सकता है। इस प्रकार, अभियुक्त अपीलार्थी उसके विरूद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किये जाने की हकदार है।

16. पूर्वोल्लिखित परिचर्चाओं की दृष्टि में, एस॰ टी॰ संख्या 620 वर्ष 2003 में विद्वान 18वें अपर न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा पारित दिनांक 21.2.2007 के दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दिनांक 24.2.2007 के दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किये जाते हैं। परिणामत:, अभियुक्त सबीला खातून को दोषी नहीं पाया जाता है तथा उसे आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त दंडादेश भुगतते हुए हिरासत में है, उसे तत्काल छोड़ा जाय तथा स्वतंत्र किया जाये, अगर किसी अन्य मामले में उसकी निरूद्धता अपेक्षित नहीं है।

17. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। अवर न्यायालय के अभिलेखों को इस निर्णय की एक प्रति के साथ तत्काल संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाय।

---

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

प्रभा देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 5911 of 2017. Decided on 6th November, 2017.

सेवा विधि–वेतन–ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आधार पर असंदाय–याची को उसके वेतन से वंचित करने के लिये उसके विरूद्ध झूठा अभिकथन लगाया गया है तथा यह प्रखंड विकास पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट द्वारा झुठलाया जाता है–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संचालित की जानेवाली जांच की अनुशंसा की थी, इसका संचालन किया था तथा पाया था कि याची आरोपों की दोषी नहीं है तथा, अतएव, आरोप पूर्ण रूप से झूठे सिद्ध हुए थे–किसी आरोप के न होने से, याची समूची अवधि के वेतन का हकदार है। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Sunil Singh, For the Petitioner; Mr. Srijit Choudhary, For the Respondents.

आदेश

याची अगस्त, 2015 से आजतक की अवधि के लिये वेतन विमुक्त किये जाने के एक आग्रह के साथ इस न्यायालय के पास आयी है, जिसे प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा अवैधानिक रूप से रोक रखा गया है। पिपरा केन्द्र के पोषाहार के धन को विमुक्त करने का भी आग्रह किया गया है क्योंकि बिना किसी कारण इसे रोक रखा गया है।,

तथ्यपरक आधार तत्व

2. याची को वर्ष 1985 में चयन की समूची प्रक्रिया का अनुसरण करने के उपरान्त पिपरा आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये आंगनवाड़ी सेविका के पद पर नियुक्त किया गया था। याची ने पिपरा आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। याची उपयुक्त रूप से तथा

बिना किसी अवरोध के लगातार कार्य कर रही थी तथा उपयुक्त रूप से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रही थी। बाद में वर्ष 2015 में हरिहरगंज प्रखंड में विभिन्न केन्द्र के पोषाहार के धन की विमुक्ति की अवैधानिकता के संबंध में याची तथा CDPO, हरिहरगंज के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। तत्पश्चात्, अगस्त, 2015 से याची के वेतन तथा पोषाहार के संबंध में याची द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों के भुगतान को तत्कालीन CDPO, हरिहरगंज द्वारा विमुक्त नहीं किया गया है।

3. याची का यह भी मामला है कि तत्पश्चात् उसने अपने चिकित्सीय उपचार के आधार पर छुट्टी प्रदान किये जाने के लिये 4.6.2016 को अपना आवेदन किया था, जब तत्कालीन CDPO, हरिहरगंज द्वारा छुट्टी स्वीकृत नहीं की गयी थी, तब याची ने छुट्टी के लिये जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, मेदनीनगर के समक्ष छुट्टी के लिए 6.6.2016 को एक आवेदन किया था जिसपर विचार किया गया था एवं याची को 6.6.2016 से 11.6.2016 तक छुट्टी प्रदान कर दी गयी थी। याची का मामला यह है कि जब उसे अपनी चिकित्सीय उपचार के लिए छुट्टी प्रदान की गयी थी, तब CDPO, हरिहरगंज ने पत्र संख्या 87 दिनांक 7.6.2016 के तहत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सेविका के पद से याची को अवमुक्त कर देने की अनुशंसा किया था। CDPO, हरिहरगंज की उक्त अनुशंसा के आधार पर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, मेदिनीनगर ने दिनांक 30.9.2016 के पत्र संख्या 1361 के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज को एक जांच करने के लिए तथा अपनी रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश निर्गत किया था। तत्पश्चात्, प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज ने पत्र संख्या 750 दिनांक 28.11.2016 के तहत एक सम्परीक्षण के साथ अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी कि तत्कालीन CDPO, हरिहरगंज द्वारा यथा अभिकथित कोई अवैधानिकता याची द्वारा कारित नहीं की गयी है। याची को आरोपों का दोषी न निर्णीत करनेवाली जांच रिपोर्ट के बावजूद, अगस्त, 2015 से आज तक याची के वेतन की विमुक्ति के लिये प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये गये थे तथा इस कारण वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील सिंह तर्क देते हैं कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने अवैधानिक रूप से तथा मनमाने ढंग से अगस्त, 2015 से अबतक याची का वेतन रोक रखा है, विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से CDPO द्वारा किये गये अभिकथन को झुठलाती है। यह भी तर्क दिया गया है कि CDPO के याची के साथ अच्छे संबंध नहीं थे तथा इस प्रकार उसके विरूद्ध झूठे अभिकथन लगाये गये थे जो जांच रिपोर्ट द्वारा झूठे साबित हुये थे। विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क देते हैं कि जांच रिपोर्ट की दृष्टि में तथा इस तथ्य की दृष्टि में कि याची को आरोपों का दोषी निर्णीत नहीं किया गया है, अगस्त, 2015 से आज तक याची के समूचे वेतन की विमुक्ति के लिये एक आदेश पारित किया जाये।

5. तत्प्रतिकूल, कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। वरीय स्थायी अधिवक्ता–III की कनीय अधिवक्ता श्रीमती भारती सिंह जोरदार ढंग से याची के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध करती हैं तथा तर्क देते हैं कि चूंकि याची केन्द्र में उपस्थित नहीं थी, कोई भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं है। वह उपयुक्त ढंग से इस बिन्दु पर सहमत हैं कि चूँकि मामले की प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जांच की गयी है, इसपर उच्चतर प्राधिकारों द्वारा विचार किया जाना है तथा अगर जांच रिपोर्ट उच्चतर/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है, याची का वेतन विधि के अनुसार विमुक्त कर दिया जायेगा।

6. स्थिति चाहे जो भी हो, पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी निवेदनों का अवलोकन करके इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याची के मामले पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। याची को उसके वेतन

से वंचित करने के लिये उसके विरूद्ध झूठा अभिकथन लगाया गया है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट द्वारा यह झूठलाया गया है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संचालित की जानेवाली जांच की अनुशंसा की थी, इसका संचालन किया गया था एवं पाया गया था कि याची आरोपों की दोषी नहीं है तथा, इस प्रकार, आरोप पूर्ण रूप से झूठे सिद्ध हुये थे। किसी आरोप के अभाव में याची समूची अवधि, अर्थात्, अगस्त, 2015 से आज तक के वेतन की हकदार है।

7. पूर्वोक्त तथ्यों/सम्परीक्षणों/नियमों/दिशा निर्देशों के एक संचयी प्रभाव के तौर पर, मैं एतद्द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को इस आदेश की एक प्रति की प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अगस्त, 2015 से आज तक की अवधि के याची के समूचे वेतन को विमुक्त करने का निर्देश देता हूँ।

8. परिणामतः, वर्तमान रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

मुकुंद प्रसाद झा एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 7133 of 2006. Decided on 5th September, 2017.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश XXII, नियम 3–प्रतिस्थापन–अगर वाद ऐसे स्वरूप का है कि सभी वादीगण का वाद भूमि में हिस्सा है, मृतक के वैधानिक प्रतिनिधियों के समय के भीतर प्रतिस्थापित न किये जाने पर भी वाद का उपशमन नहीं होगा–वर्तमान मामला एक विभाजन वाद से उद्भूत है–एक अपीलार्थी की मृत्यु होने तथा मृतक अपीलार्थी के वैधानिक वारिस के प्रतिस्थापित न किये जाने मात्र से, समूचे वाद का उपशमन नहीं हो जायेगा–आयुक्त का आदेश अपास्त तथा शेष अपीलार्थीगण/याचीगण के साथ मामले में कार्यवाही करने के लिये मामला आयुक्त को प्रतिप्रेषित। (पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–Mr. Amar Kumar Sinha, For the Petitioners; Mr. Vineet Prakash, For the State-Resps.; None, For the Resp. Nos. 5 to 16.

अधिवक्तागण.–(2016) 2 SCC 82—Relied.

आदेश

याची के लिए श्री अमर कुमार सिन्हा उपस्थित हैं तथा प्रत्यर्थी संख्याओं 1 से 4 के लिये विद्वान स्थायी अधिवक्ता (एल॰ एण्ड सी॰) के कनीय अधिवक्ता श्री विनीत प्रकाश उपस्थित हैं। तथापि, निजी प्रत्यर्थी संख्याओं 5 से 16 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

2. दिनांक 28.8.2017 के आदेश के तहत, निजी प्रत्यर्थी संख्याओं 5 से 16 को उपस्थित होने तथा वर्तमान रिट याचिका का प्रतिवाद करने के लिये अंतिम अवसर दिया गया था, जिसमें विफल होने पर याचीगण तथा राज्य प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की सुनवाई करने के उपरान्त रिट याचिका का फैसला कर लिया जायेगा।

3. सिविल (द्वितीय) अपील संख्या 27 वर्ष 1988 में आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका (प्रत्यर्थी संख्या 2) द्वारा पारित दिनांक 19.9.2006 के आदेश को निरस्त करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा याचीगण की अपील इस आधार पर खारिज कर दी गयी है कि अपीलार्थी संख्या 4 के वैधानिक प्रतिनिधियों को समय रहते प्रतिस्थापित नहीं किया गया था तथा इस प्रकार वाद का उपशमन हो गया था।

4. मामले का तथ्यपरक पृष्ठभूमि यह है कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने वाद संपत्ति में 2/3 हिस्से का दावा करते हुये विभाजन के लिये उसमें एक डिक्री का आग्रह करते हुए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, देवघर के समक्ष प्रतिवादी/याचीगण के विरूद्ध एक अभिधान वाद संख्या 135 वर्ष 1979/31 वर्ष 1981 दाखिल किया था। विद्वान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने दिनांक 8.4.1983 के निर्णय के तहत वाद खारिज कर दिया था। वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने प्रभार पदाधिकारी, दुमका के समक्ष अभिधान अपील संख्या 12 वर्ष 1983 दाखिल किया था, जिसे दिनांक 9.9.1988 के आदेश के तहत अनुज्ञात कर दिया गया था। प्रतिवादी/याचीगण ने सर्वामंगला देवी (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के साथ आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 27 वर्ष 1988 दाखिल किया था। अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी संख्या 4 (सर्वामंगला देवी) की वर्ष 2000 में मृत्यु हो गयी थी, तथापि, मृतका सर्वामंगला देवी के वैधानिक वारिसों के नाम के प्रतिस्थापन के लिये 31.3.2003 को प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया था। 2.11.2004 को विलम्ब की माफी के लिये एक आवेदन भी दाखिल किया गया था, परन्तु दिनांक 19.9.2006 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपील खारिज कर दी गयी थी ऐसा निर्णीत करते हुये कि चूँकि 90 दिनों के गुजर जाने के उपरान्त प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया है, अपील का समग्र रूप से उपशमन हो चुका है।

5. याचीगण के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तकनीकी आधार पर याचीगण की याचिका अस्वीकार कर दी है। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण/याचीगण द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन याचिका अस्वीकार करते समय विद्वान अवर न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके पश्चात् 'सि॰ प्र॰ सं॰' के तौर पर निर्दिष्ट) के आदेश XXII, नियमों 3 एवं 9 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का गलत अर्थांवयन किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इसपर विचार करने में विफल रहा था कि अपीलार्थीगण में से एक की मृत्यु हो जाने की दशा में, शेष अपीलार्थीगण के लिए मुकदमा करने का अधिकार विद्यमान रहता है तथा न्यायालय लंबित अपील में कार्यवाही करने में सक्षम है। यह भी निवेदन किया गया है कि पक्षकारों के बीच विवादित मामले का न्यायनिर्णयन करने के लिये आदेश में उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये विद्वान अवर न्यायालय को विलम्ब माफ करने के उपरान्त प्रतिस्थापन अनुज्ञात कर देना चाहिए था।

6. तत्प्रतिकूल, राज्य प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 120 के साथ पठित सि॰ प्र॰ सं॰ के आदेश XXII नियम 3 के अनुसार, मृतक–अपीलार्थी के वैधानिक वारिसों को मृत्यु के 90 दिनों के भीतर प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए, परन्तु वर्तमान मामले में मृत्यु के तीन वर्षों के उपरान्त प्रतिस्थापन के लिये याचिका दाखिल किया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि विलम्ब की माफी के लिये याचिका मृत्यु की तिथि से 90 दिनों के भीतर दाखिल नहीं की गयी थी तथा अतएव, इसका समग्र रूप से उपशमन हो गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उचित रूप से याचीगण की अपील खारिज कर दी है। यह भी निवेदन किया गया है कि याचीगण ने वैधानिक वारिसों के प्रतिस्थापन के लिये कार्रवाई करने में लापरवाही दर्शायी है तथा इस प्रकार अपील का उचित रूप से उपशमन हो जाने का निर्णय किया गया था।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन किया। वर्तमान रिट याचिका में उठाये गये विवाद के स्वरूप पर विचार करते हुये, किसी पक्षकार के अधिकार के विवरणों पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वीकार्यतः, अपीलार्थीगण में से एक, अर्थात्, सर्वामंगला देवी की वर्ष 2000 में मृत्यु हो गयी थी तथा प्रतिस्थापन आवेदन 31.3.2003 को, अर्थात्, मृत्यु के लगभग 3 वर्षों के बाद दाखिल किया गया था। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 120 उपबंधित करता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन मृतक–वादी के वैधानिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की समय सीमा 90 दिन है। सि॰ प्र॰ सं॰ का आदेश XXII, नियम 2 उपबंधित करता है कि जहां एक से अधिक वादीगण या प्रतिवादीगण हैं तथा उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती

है, तथा मुकदमा करने का अधिकार शेष वादीगण तथा प्रतिवादीगण के लिये विद्यमान रह जाता है, तब वादीगण या प्रतिवादीगण में से किसी की मृत्यु के उपरान्त, न्यायालय इस प्रभाव की एक प्रविष्टि कारित करायेगा तथा शेष वादीगण या प्रतिवादीगण की निशानदेही पर कार्यवाही करेगा। सि॰ प्र॰ सं॰ का आदेश XXII, नियम 3 यह भी उपबंधित करता है कि अगर शेष वादी या वादीगण के लिये मुकदमा करने का अधिकार शेष नहीं रह जाता है, मृतक वादी के वैधानिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिस्थापन के आवेदन पर, उसे/उन्हें पक्षकार बनाया जायेगा तथा न्यायालय उनके साथ कार्यवाही करेगा। तथापि, नियम 3 का खंड 2 उपबंधित करता है कि जब प्रतिस्थापन के लिये आवेदन इसके लिये विहित समय के भीतर नहीं किया गया था, वाद का उपशमन हो जायेगा जहां तक मृतक वादी का संबंध है तथा प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय प्रतिवादीगण को वाद का खर्च अधिनिर्णीत कर सकता है। उक्त प्रावधानों से, यह स्पष्ट है कि अगर प्रतिस्थापन आवेदन विहित समय के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, केवल मृतक वादी के संबंध में वाद का उपशमन हो जायेगा तथा अन्य वादीगण के लिये नहीं। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सि॰ प्र॰ सं॰ के प्रावधानों का दोषपूर्ण अर्थांवयन किया था एवं अपील को खारिज करने की कार्यवाही की थी इस आधार पर कि चूँकि समय रहते प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल नहीं किया गया था, समूची अपील का उपशमन हो गया था।

(2016) 2 SCC 82 में रिपोर्ट किये गये **प्रधान सचिव के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम प्रताप करण एवं अन्य** के मामले में पैरा 40 में निम्नवत् निर्णीत किया गया था:–

> *^^40. iLrr ekey e] oknhx.k ,d lkFk tM x; Fk rFkk okn Hkfe d lcèk e Lokfe;k rFkk dCtk j[kuokyk d rkj ij viu ukek dk lekfo"V djd jktLo vfHky[k dk lèkkju d fy; okn nkf[ky fd;k Fkk vU; d lkFk bl vkèkkj ij fd mud fgr iokfèkdkjh] tk Lohdk;r% iVVnkj rFkk [kkrknkj Fkk] dh eR; d mijkUr oknhx.k u [kkrknkj d i= gku d ukr v'kèkkjdk d rkj ij tk;nkn mÙkjkfèkdkj e iklr dh FkhA vr,o] fufooknr% oknhx.k dk mud iokfèkdkfj;k }kjk NkMh x;h okn lifÙk e cjkcj fgLl FkA vr,o] oknhx.k e l fdlh dh eR; gku dh n'kk e] ifjlEink dk okn lifÙk d Lokfe;k d rkj ij vU; v'kèkkjdk }kjk i.kr% ,o rkfRod :i l ifrfufèkRo gkrk gA vr,o] gekjh jk; g fd* ***erd oknhx.k d oèkkfud ifrfufèk (ifrfufèk;k) d vifrLFkkiu d dkj.k] ftudh mPp U;k;ky; e vihy d yfcr jgu d nkjku eR; gk x;h Fkh] leph vihy dk mi'keu ugh gk tk;xkA erd dh tk;nkn e fuf'pr v'k j[kuoky 'k"k v'kèkkjh vihy dk mi'keu g; fcuk vihy dk vkx c<ku d gdnkj gkxA*** *vr,o] ge vihykFkhx.k d fy, mifLFkr gkuoky fo}ku vfèkoDrk }kjk fd; x; fuonu d lkFk lger gku dk dkb dkj.k ugh ikr gA***

8. पूर्वोक्त निर्णय से, यह स्पष्ट है कि अगर वाद ऐसे स्वरूप का है कि सभी वादीगण का वादभूमि में बराबर हिस्सा है, तब मृतक के वैधानिक प्रतिनिधियों के समय के भीतर प्रतिस्थापित न किये जाने पर भी वाद का उपशमन नहीं होगा। अब **प्रताप करण (ऊपर)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित अनुपात को लागू करने पर, यह उद्भूत होगा कि वर्तमान मामला एक विभाजन वाद से उद्भूत है, जिसमें वादीगण/प्रत्यर्थीगण वाद संपत्ति में 2/3 हिस्से का दावा कर रहे थे, परन्तु इसे खारिज कर दिया गया था। अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी अपीलार्थीगण को संयुक्त रूप से समूची संपत्ति का 1/3 हिस्सा आवंटित करते हुये दिनांक 9.9.1988 का निर्णय पारित किया था तथा इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष सभी अपीलार्थीगण वास्तव में इसमें अंतर्ग्रस्त थे। इस प्रकार, मात्र एक अपीलार्थी की मृत्यु होने से तथा मृतक अपीलार्थी के वैधानिक वारिस के अप्रतिस्थापन से, समूचे वाद का उपशमन नहीं हो जायेगा।

9. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अधीन, सिविल (द्वितीय) अपील संख्या 27 वर्ष 1988 में पारित आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका (प्रत्यर्थी संख्या 2) का दिनांक 19.9.2006 का आदेश अपास्त किया जाता है तथा शेष अपीलार्थीगण/इसमें याचीगण के साथ मामले में कार्यवाही करने के लिये मामला प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10. पूर्वोक्त सम्परीक्षणों तथा निर्देशों के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkun lu] U;k;efrx.k

अवधेश सिंह

cuke

श्रीमती बेबी सिंह

F.A. Nos. 32 of 2016 with I.A. No. 6240 of 2016. Decided on 25th August, 2017.

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955–धारा 13(1)(i-a), (i-b) तथा (iii)–तलाक–क्रूरता तथा अधित्याग तथा पत्नी का मानसिक विकार–यद्यपि प्रत्यर्थी पत्नी के विरूद्ध अपनी सास तथा विधवा ननद पर प्रहार किये जाने का विनिर्दिष्ट अभिकथन है, परन्तु अवर विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को उल्लिखित किया है कि यद्यपि वे दोनों जीवित थे, परन्तु उनमें से किसी को भी पति द्वारा परीक्षित नहीं किया गया था–इस प्रकार, प्रत्यर्थी पत्नी के विरूद्ध यह अभिकथन कि वह उनके साथ झगड़ा किया करती थी, या उन्हें मारा-पीटा करती थी, सिद्ध नहीं किया जा सका था–साक्ष्य में न तो कोई चिकित्सीय नुस्खा प्रस्तुत किया गया था, न ही याची-पति द्वारा किसी चिकित्सक को परीक्षित किया गया था इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यर्थी-पत्नी किसी मानसिक विकार से ग्रस्त थी–हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a), या (i-b) के अधीन, अर्थात्, क्रूरता के आधार पर या अधित्याग के आधार पर विवाह भंग किये जाने का भी कोई मामला नहीं बनता है–अपील खारिज। (पैराएँ 15 से 20)

अधिवक्तागण.–M/s Ritu Kumar, Samavesh Bhanj Deo, For the Appellant; Mr. P.C. Tripathy, For the Resp.-Op. Party.

आदेश

याची–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी वैवाहिक वाद संख्या 80 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवघर द्वारा पारित दिनांक 20.1.2016 के निर्णय तथा डिक्री द्वारा व्यथित है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा त्याग किये जाने तथा क्रूरता बरते जाने के आधारों पर, तथा उसकी मानसिक विकार के आधार पर भी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)((i-a), (i-b) के अधीन तलाक की डिक्री के लिए पक्षकारों के बीच विवाह भंग किये जाने के लिए पति-अपीलार्थी द्वारा दाखिल वैवाहिक वाद प्रतिवाद पर खारिज कर दिया गया है।

3. यह कथित किया जा सकता है कि इस आक्षेपित निर्णय के पहले, अपीलार्थी अपनी पत्नी के विरूद्ध तलाक की एक एकपक्षीय डिक्री प्राप्त करने में सक्षम रहा है, जिसे इस न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था तथा, तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा वाद का प्रतिवाद किया गया है, जिसे प्रतिवाद पर खारिज कर दिया गया है।

4. दिनांक 28.3.2017 के आदेश द्वारा, JHALSA, रांची में एक प्रशिक्षित मध्यस्थ के हाथों पक्षकारों के बीच वैवाहिक विवाद के सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किया गया था, जो प्रशिक्षित मध्यस्थ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विफल हो गया है। इस प्रकार गुणावगुणों पर इस मामले का निर्णय किया जा रहा है।

5. अपीलार्थी–पति के मामले के अनुसार, पक्षकारों के बीच 27.6.2004 को हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया गया था। पति द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि पत्नी मानसिक विकार से ग्रस्त थी तथा उसके माता पिता द्वारा यह तथ्य छिपाया गया था। विवाह के उपरान्त, जैसे ही वह अपने दाम्पत्य गृह आयी थी, उसने असामान्य ढंग से व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था तथा पति को विवाह पूर्ण करने नहीं दिया था। पति का यह विनिर्दिष्ट मामला है कि जब कभी भी वह विवाह को संपूर्ण बनाना चाहता था, प्रत्यर्थी–पत्नी हिंसक हो जाया करती थी एवं उसकी तथा उसके परिवार के सदस्यों की ओर बर्तन, पत्थर इत्यादि फेंका करती थी, जिसने पति का जीवन नरक बना दिया था। पति ने प्रत्यर्थी–पत्नी का चिकित्सीय रूप से उपचार कराने का भी प्रयास किया था एवं उसके इलाज के लिए प्रत्यर्थी पत्नी के माता–पिता की सहायता लेने का प्रयास किया था, परन्तु उसने इनकार कर दिया था एवं उसके माता–पिता ने भी उक्त आग्रह ठुकरा दिया था। यह भी कथित किया गया है कि वह बुढ़ी सास तथा अपनी विधवा ननद को भी मारा–पीटा करती थी। यह भी कथित किया गया है कि प्रत्यर्थी–पत्नी ने अंततः फरवरी, 2007 के महीने में अपीलार्थी–पति को छोड़ दिया था, तथा अपने माता–पिता के साथ रहना प्रारंभ कर दिया था एवं तभी से वह उसको छोड़ चुकी थी। मुख्यतः इन अभिकथनों के साथ पक्षकारों के बीच विवाह भंग किये जाने के लिये याची–पति द्वारा वाद दाखिल किया गया था।

6. प्रत्यर्थी पत्नी ने अपना लिखित कथन दाखिल किया था, जिसमें पक्षकारों के बीच विवाह का होना स्वीकार किया गया था, परन्तु उसके द्वारा क्रूरता बरते जाने तथा उसके द्वारा परित्याग कर दिये जाने के अभिकथनों, या इस अभिकथन से कि वह मानसिक विकार से पीड़ित थी, पूर्णतः इनकार किया गया है। यह कथित किया गया था कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ थी तथा अपने विवाह के उपरान्त उसने अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन गुजारा था एवं विवाह पूर्ण भी किया गया था, परन्तु उन्हें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका था। प्रत्यर्थी–पत्नी का यह मामला है कि इस तथ्य के कारण कि उसने गर्भ धारण नहीं किया था, उसके पति द्वारा उसका चिकित्सीय रूप से उपचार भी कराया गया था। उसके विरूद्ध पति द्वारा लगाये गये मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता के अभिकथनों से लिखित कथन में भी इनकार किया गया था तथा यह कथित किया गया था कि उसके पति तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न ढंग से उसके साथ मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की क्रूरता एवं यातना बरती जा रही थी, तथा दहेज की मांग के लिए भी ऐसा हो रहा था, जिनके कारण उसके पास भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपने पति के विरूद्ध दांडिक मामला दाखिल करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था तथा उसने घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन भी एक मामला दाखिल किया था। यह अभिकथन कि उसने अपने पति का त्याग कर दिया था, भी पूर्ण रूप से झूठा था क्योंकि वह लगातार रूप से अपने दाम्पत्य गृह में जीवन यापन कर रही थी एवं निवास कर रही थी। उसने यह भी कथित किया है कि न्यायालय के साथ छल करके, उसके पति ने तलाक की एक एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली थी, जिसे दिनांक 29.1.2015 के आदेश के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था, तथा उसने अपने पति तथा उसके परिवार के सदस्यों को मारने पीटने, या उनके साथ झगड़ने के अभिकथन से भी इनकार किया है। उसने यह भी कथित किया है कि वह अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सदैव तैयार है।

7. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा अभिकथित क्रूरता तथा परित्याग किये जाने, एवं प्रत्यर्थी पत्नी की मानसिक अस्वस्थता से भी संबंधित मुद्दा समेत अवर न्यायालय द्वारा मुद्दों को विरचित किया गया था। तथापि, इस चरण में यह कथित करना उपयुक्त होगा कि आज के दिन यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी–पत्नी अपने दाम्पत्य गृह में रह रही है जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है।

8. अवर न्यायालय में पति द्वारा छह गवाहों को परीक्षित किया गया था, जिनमें से अ॰ सा॰ 5 सुबल कुमार अपनी प्रतिपरीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुआ था तथा, तद्नुसार, उसका सक्ष्य विचार में नहीं लिया गया था। अन्य गवाह, जिन्हें अपीलार्थी द्वारा परीक्षित किया गया था, स्वयं अपीलार्थी, उसके पड़ोसी, उसके भाई, उसके गोत्र भाई तथा मधुपुर की महिला समिति के एक सदस्य थे। दूसरी ओर, पत्नी ने भी स्वयं तथा अपने भाई समेत चार गवाहों को परीक्षित किया था।

9. याची–पति ने अवर न्यायालय के समक्ष अ॰ सा॰ 1 के तौर पर स्वयं को परीक्षित किया था तथा उसने कथित किया है कि उसके माता–पिता द्वारा इस तथ्य को छिपाकर प्रत्यर्थी विपक्षी के साथ उसका विवाह सम्पन्न किया गया था कि विपक्षी मानसिक विकार से ग्रस्त है। उसने यह भी कथित किया है कि उसे कभी भी विवाह को पूर्ण बनाने नहीं दिया गया था, जिसके परिणामत: उसका पारिवारिक जीवन खराब हो गया था। उसने कथित किया है कि विपक्षी उसके बड़े भाई की पत्नी से झगड़ा किया करती थी जिसके कारण उसके बड़े भाई ने घर छोड़ दिया था तथा वह अपनी पत्नी के साथ पटना चला गया था। उसने यह भी कथित किया है कि विपक्षी सड़क पर शोर मचाया करती थी तथा वह घर में खाना नहीं बनाया करती थी तथा उसकी माता एवं विधवा बहन को खाना बनाने का निर्देश देती थी एवं वे बरतन धोया करते थे। उसने विनिर्दिष्टत: कथित किया है कि विपक्षी ने उसे कभी भी अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने नहीं दिया था तथा उसके अनुमति के बिना प्राय: अपने माता–पिता के घर जाया करती थी। उसने यह भी कथित किया है कि उसने उसका चिकित्सीय उपचार कराने का प्रयास किया था, परन्तु वह इसके लिए सहमत नहीं हुई थी तथा इसके लिए विपक्षी के माता–पिता से उसके द्वारा आग्रह किये जाने पर, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने कथित किया है कि उसने उसे वर्ष 2007 में छोड़ दिया था तथा तभी से वह लगातार अपने माता–पिता के घर पर रह रही थी तथा वह उसके साथ उसके घर पर रहने के लिए तैयार नहीं थी, जिसने उसे तलाक के लिये यह वाद दाखिल करने पर विवश कर दिया था। उसने यह भी कथित किया है कि उसके लिए उसकी पत्नी के साथ रहना संभव नहीं है। अपनी प्रति परीक्षा में, इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी के माता–पिता के आग्रह पर, वह अपनी पत्नी को संतानोत्पत्ति के लिए उसके उपचार हेतु दिल्ली में किसी चिकित्सक के पास ले गया था, जहां चिकित्सक द्वारा उसका उपचार भी किया गया था, परन्तु वह उसकी पत्नी को संतान न उत्पन्न होने का कारण नहीं बता सका था।

10. अ॰ सा॰ 2 पिनाची बिश्वास अपीलार्थी का एक पड़ोसी है तथा इस गवाह ने याची पति के मामले का समर्थन करने के अलावा, इसे इस बिन्दु पर भी परीक्षित किया गया है कि पक्षकारों के बीच विवाह पूर्ण नहीं हो सका था। उसने यह भी कथित किया था कि फरवरी, 2007 से पत्नी अपने माता–पिता के घर पर रह रही थी तथा वह अपने दाम्पत्य गृह नहीं लौटी थी।

11. अ॰ सा॰ 3 अंजनी कुमार अपीलार्थी का गोत्र भाई है, इसने भी अपीलार्थी के मामले का समर्थन किया है। उसने कथन किया है कि विपक्षी ने अपने साथ याची को शारीरिक संबंध बनाने नहीं दिया था, तथा इस कारण याची को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। उसने यह भी कथित किया है कि विपक्षी फरवरी, 2007 से ही अपने माता–पिता के घर पर रह रही थी तथा उसके पति द्वारा आग्रह किये जाने के बावजूद वह कभी भी अपने दाम्पत्य गृह नहीं लौटी थी। उसने अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि वह अपीलार्थी की माता एवं विधवा बहन पर विपक्षी द्वारा किये गये प्रहार की तिथि या समय नहीं बता सकता है, न ही यह तथ्य कि कब उसे यह मालूम हुआ था कि पक्षकारों के बीच शारीरिक संबंध नहीं था।

12. अ॰ सा॰ 4 रमेश सिंह याची का बड़ा भाई है, तथा उसने भी पति के मामले का समर्थन किया है तथा उसने कथित किया है कि विपक्षी ने उसके विरूद्ध भी बलात्संग का एक मामला दाखिल किया था।

13. अ॰ सा॰ 6 सुनीता जायसवाल मधुपुर की महिला समिति की एक सदस्य है, तथा उसने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वर्ष 2004 में विवाह के उपरान्त, विपक्षी अपने पति तथा ससुराल वालों के साथ झगड़ा किया करती थी एवं वह उन्हें मारा-पीटा करती थी तथा उसे भी सूचित किया गया था कि पत्नी ने अपने पति को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने नहीं दिया था। उसने यह भी कथित किया है कि वर्ष 2007-12 से पत्नी पति के घर पर नहीं रह रही थी।

14. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से परीक्षित गवाहों ने उसके मामले का समर्थन किया है। प्रत्यर्थी पत्नी ने वि॰ सा॰ 1 के तौर पर अपने आप को परीक्षित किया था, जिसमें उसने कथित किया है कि 27.6.2004 को याची के साथ उसका विवाह हुआ था तथा उसके बाद उसने अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन गुजारना प्रारंभ कर दिया था। उसने अपने विरूद्ध लगाये गये सारे अभिकथनों से सीधे ही इनकार किया है। उसने कथित किया है कि उसके तथा उसके पति के बीच शारीरिक संबंध था परन्तु दुर्भाग्यवश वह गर्भ धारण नहीं कर सकी थी, अतएव, उसका पति उसे इलाज के लिए वर्ष 2010 में उसे रांची ले गया था तथा तत्पश्चात्, उसे उसके पति द्वारा वर्ष 2012 में इलाज के लिए दिल्ली भी ले जाया गया था, तथा इस प्रकार, यह अभिकथन कि उसने वर्ष 2007 से अपनी पति का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था, पूर्णत: झूठा था। उसने कथित किया है कि विभिन्न ढंग से उसके साथ यातना एवं क्रूरता बरती जा रही थी तथा उसके पति के बड़े भाई ने भी उसके साथ बलात्संग कारित करने का प्रयास किया था। जब वह अपने पति के साथ रह रही थी, उसके पति ने अपने पक्ष में तलाक की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली थी तथा जब उसे उक्त तथ्य के बारे में जानकारी हुई थी, वह उच्च न्यायालय के पास गयी थी तथा तलाक की एकपक्षीय डिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त करा दिया था। उसने कथित किया था कि वह अभी भी अपने पति से गहन रूप से प्रेम करती है तथा उसके साथ रहना चाहती है एवं वह अपने साथ बरती गयी प्रत्येक यातना को भूलने के लिए तैयार है। अपनी प्रति परीक्षा में उसने कथित किया है कि उनके इलाज के दौरान उसके पति में कुछ कमियां पायी गयी हैं परन्तु उसका पति दवाईयां लेना नहीं चाहता था। उसने उसके द्वारा अपने पति तथा उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध दाखिल दांडिक मामले के बारे में भी कथित किया है। अन्य गवाहों, जिनमें उसका भाई सम्मिलित है तथा जिन्हें विपक्षी की ओर से परीक्षित किया गया है, पूर्ण रूप से विपक्षी के मामले का समर्थन किया है।

15. आक्षेपित निर्णय से हम पाते हैं कि यद्यपि प्रत्यर्थी पत्नी के विरूद्ध अपनी सास तथा विधवा ननद को मारे पीटे जाने का विनिर्दिष्ट अभिकथन है, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को उल्लिखित किया है कि यद्यपि दोनों अभी भी जीवित हैं, परन्तु उनमें से किसी को भी पति द्वारा परीक्षित नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी पत्नी के विरूद्ध यह अभिकथन कि वह उनके साथ झगड़ा किया करती थी, या उन्हें मारा-पीटा करती थी, सिद्ध नहीं किया जा सका था।

16. अवर न्यायालय में विपक्षी 1, अर्थात्, प्रत्यर्थी पत्नी का अभिसाक्ष्य स्पष्टत: दर्शाता है कि अस्वस्थ दिमाग के किसी व्यक्ति द्वारा अभिसाक्ष्य नहीं दिया गया था, क्योंकि वह अपना अभिसाक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से देती हुई प्रतीत होती है, तथा वह प्रतिपरीक्षा में भी अतिसक्षम रूप से खरी उतरती हुई प्रतीत होती है। अवर न्यायालय ने न्यायालय में उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान किसी असामान्यता के बारे में उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि याची-पति का यह विनिर्दिष्ट मामला है कि प्रत्यर्थी-पत्नी मानसिक विकार से ग्रस्त थी, परन्तु साक्ष्य में न कोई चिकित्सीय नुस्खा प्रस्तुत किया गया था, न ही याची-पति द्वारा किसी चिकित्सक को परीक्षित किया गया था इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये कि प्रत्यर्थी पत्नी किसी मानसिक विकार से ग्रस्त थी। इस संबंध में किसी चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में, हमारी सुविचारित राय में अपीलार्थी पति इस तथ्य को सिद्ध करने में विफल रहा है कि प्रत्यर्थी पत्नी किसी मानसिक विकार से ग्रस्त थी इस सीमा तक कि याची से अपनी पत्नी के साथ रहना युक्तिसंगत रूप से अपेक्षित नहीं किया जा सकता था, तथा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(iii) के अधीन विवाह भंग किये जाने का कोई मामला नहीं बनता है।

17. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, अवर न्यायालय इस तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि याची–पति अपने इस मामले को सिद्ध करने में विफल रहा है कि प्रत्यर्थी–पत्नी ने वर्ष 2007 से अपने पति को छोड़ दिया था। जैसा कि पहले कथित किया गया है, अपीलार्थी–पति द्वारा अब यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी पत्नी अपने दाम्पत्य गृह में रह रही है। यह तथ्य कि अपीलार्थी पति अपनी पत्नी को इलाज के लिये दिल्ली ले गया था, पति की प्रतिपरीक्षा में भी स्वीकार किया गया है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि अपनी पत्नी के माता–पिता के आग्रह पर, वह अपनी पत्नी को संतानोत्पत्ति हेतु उसके इलाज के लिए दिल्ली में किसी चिकित्सक के पास ले गया था, जहां उसका चिकित्सक द्वारा इलाज भी किया गया था, परन्तु वह उसकी पत्नी से संतान उत्पन्न न होने का कारण कथित न कर सका था। अपीलार्थी पति द्वारा साक्ष्य का यह हिस्सा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसके द्वारा विवाह को सम्पूर्ण बनाने की अनुमति न देने का अभिकथन पूर्ण रूप से झूठा है। प्रत्यर्थी पत्नी का साक्ष्य, जिसने वि॰ सा॰ 1 के तौर पर स्वयं को परीक्षित किया था, स्पष्टत: दर्शाता है कि ऐसे उपचार के लिए उसका पति उसे वर्ष 2010 में रांची ले गया था तथा तत्पश्चात्, उसे वर्ष 2012 में भी उसके पति द्वारा दिल्ली ले जाया गया था। चूँकि पति की प्रतिपरीक्षा में उसके द्वारा इस उपचार को स्वीकार किया गया है, इस तथ्य के साथ कि स्वीकार्यत: पत्नी अभी भी अपने वैवाहिक गृह में रह रही है, वर्ष 2007 से परित्याग किये जाने का अभिकथन भी सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार, न तो क्रूरता के आधार पर, न ही परित्याग के आधार पर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a), या (1-b) के अधीन भी विवाह भंग किये जाने का कोई मामला नहीं बनता है।

18. उपरोगामी कारणों से, हम पाते हैं कि दाम्पत्य वाद संख्या 80 वर्ष 2009 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवघर द्वारा पारित दिनांक 20.1.2016 के आक्षेपित निर्णय तथा डिक्री में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य कोई अवैधानिकता नहीं है।

19. हमने भरण पोषण के लिये अंतर्वर्ती आवेदन–आई॰ ए॰ संख्या 6240 वर्ष 2016–में प्रत्यर्थी द्वारा उठाये गये प्रश्न का अवलोकन नहीं किया है, क्योंकि आक्षेपित निर्णय में यह सामने आया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कुछ निर्वाहिका उसे अनुज्ञात किया गया था। तथापि, प्रत्यर्थी पत्नी हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन अवर कुटुम्ब न्यायालय में उपयुक्त आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगी।

20. तद्नुसार, किसी गुणावगुणों से रहित होने के कारण यह अपील खारिज की जाती है। आई॰ ए॰ संख्या 6240 वर्ष 2016 भी निस्तारित किया जाता है।

---

ekuuh; ,p lh feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

पवन पासवान

cuke

झारखंड राज्य

Criminal (Jail) Appeal (DB) No. 144 of 2010. Decided on 21th July, 2017.

सत्र मामला सं॰ 101 वर्ष 2004 में श्री अनंत कुमार सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश–I, साहेबगंज द्वारा पारित दिनांक 22.3.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं 23.3.2005 के दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 304 B/34 एवं 316/34–दहेज मृत्यु एवं अजन्में संतान की मृत्यु कारित करना–सामान्य आशय–आजीवन कारावास–अभियोजन मामला दस

गवाहों द्वारा समर्थित है–मृतका गर्भवती थी जब उसकी अपने ससुराल में हत्या हुई थी–मृतका की मृत्यु गला घोंटने से हुई–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः समर्थित है–अभियोजन ने अपीलार्थी द्वारा मृतका स्त्री की हत्या जिसे गला घोंटकर किया गया था के बारे में समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे स्पष्टतः स्थापित किया है–यह भी सिद्ध किया गया है कि गर्भ में भ्रूण की मृत्यु भी मृतका स्त्री की मृत्यु के कारण हुई–अपीलार्थी भा०दं०सं० की धाराओं 304 B/34 तथा 316/34 के अधीन अपराध करने का दोषी है–अपील खारिज।

(पैराएँ 15 से 28)

अधिवक्तागण.–Mr. P.K.Deomani, Amicus Curiae, For the Appellant; A.P.P., For the State.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B/34 तथा 316/34 के अधीन अपराध करने के लिए दोषसिद्ध किए जाने के बाद अपीलार्थी ने कारा प्राधिकारी के माध्यम से यह अपील दाखिल किया है।

2. अपर सत्र न्यायाधीश I, साहेबगंज ने सत्र विचारण सं० 101 वर्ष 2004 में 22.3.2005 के निर्णय के तहत इस अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B/34 तथा 316/34 के अधीन अपराध करने के लिए इस अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है और दिनांक 23.3.2005 के आदेश के तहत उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304B/34 के अधीन अपराध करने के लिए आजीवन कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 316/34 के अधीन अपराध करने के लिए 5000/– रुपयों के जुर्माना के साथ सात वर्षों का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है। आगे आदेशित किया गया था कि जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में अपीलार्थी दो वर्षों का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। किंतु, दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया था।

3. सूचक प्रभु पासवान (अ०सा० 2) के फर्दबयान के मुताबिक, अभियोजन मामला यह है कि सूचक की पुत्री मृतका रीता देवी का विवाह चार वर्ष पहले वर्तमान अपीलार्थी पवन पसवान के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद, दहेज मांग के लिए अपीलार्थी (पति) सहित उसके ससुरालवालों द्वारा उसकी पुत्री को यातना दी जाती थी और प्रहार किया जाता था। मृतका रीता देवी प्रायः अपने माता–पिता से अपने ससुराल वालों के उक्त व्यवहार के विरुद्ध परिवाद करती थी। यह अभिकथित किया गया है कि 30.9. 2003 की रात में इस अपीलार्थी का बड़ा भाई अर्थात सुबोध पासवान सूचक के घर आया और उसको जगाने के बाद उसको सूचित किया कि रीता देवी की मृत्यु हो गयी है। उसने सूचित किया कि उक्त तिथि को 1 बजे रात में उसने रीता देवी की चीख सुनी जिससे वह जाग गया और रीता देवी का दरवाजा खटखटाया जहाँ मृतका अभियुक्त पवन पासवान के साथ सोयी हुई थी। कुछ समय बाद दरवाजा खोला गया था और वह अपने माता एवं पिता रीता देवी के सास–ससुर) को अपने भाई रीता देवी के पति के साथ देख सका था। रीता देवी मृत पड़ी थी। तत्पश्चात सूचक घटना स्थल पर गया जहाँ सूचक की छोटी पुत्री प्रीति कुमारी जो अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी ने कथन किया कि अपीलार्थी ने रीता देवी का गर्दन दबाया और उसकी हत्या की और ससुराल वाले उसका हाथ–पैर पकड़े हुए थे और हत्या करने में इस अपीलार्थी की मदद कर रहे थे।

4. उक्त फर्दबयान के आधार पर बोरियो (एम०) पी०एस० केस सं०–102 वर्ष 2003 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 120B तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज किया गया था।

5. पुलिस ने मामला का अन्वेषण किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B एवं 120B के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के अधीन भी क्योंकि मृतका गर्भवती थी, आरोप–पत्र

दाखिल किया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन भी आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। चूँकि मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B/34, 316/34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4, 316/34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन अपराध के लिए 11.8.2004 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था। अपीलार्थी ने विचारण किए जाने का दावा किया क्योंकि उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया।

6. अभियोजन ने मामला सिद्ध करने के लिए कुल दस गवाहों का परीक्षण किया और अनेक दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया। अ०सा० 1 प्रीति कुमारी है। अ०सा० 2 प्रभु पासवान (सूचक) है। अ०सा० 3 भोला पासवान है। अ०सा० 4 मोती पासवान है। अ०सा० 5 डॉ० ललित मोहन प्रसाद है। अ०सा० 6 शमशाद अली (अन्वेषण अधिकारी) है। अ०सा० 7 बौना पासवान है। अ०सा० 8 अंबिका पासवान है। अ०सा० 9 सुबोध पसवान है। अ०सा० 10 रामचंद्र कोरा है।

7. अभियोजन ने इस मामले में अनेक दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया है। प्रदर्श 1 फर्दबयान पर सूचक प्रभु पासवान का हस्ताक्षर है। प्रदर्श 1/1 फर्दबयान पर संतोष कुमार सिन्हा का हस्ताक्षर है। प्रदर्श 1/2 दिनांक 5.6.2003 का पत्र है। प्रदर्श 1/3 दिनांक 31.5.2003 का पत्र है। प्रदर्श 2 शव परीक्षण रिपोर्ट है। प्रदर्श 3 फर्दबयान है। प्रदर्श 3/1 मामला संस्थित करने के लिए उमेश राम द्वारा फर्दबयान की फॉरवार्डिन्ग है। प्रदर्श 3/2 बोरियो पुलिस थाना के ओ०/सी० द्वारा फर्दबयान पर पृष्ठांकन है। प्रदर्श 4 इस मामले की औपचारिक प्राथमिकी है।

8. अभियोजन का साक्ष्य बंद करने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था। बचाव की ओर से गवाह पेश नहीं किया गया था।

9. विचारण न्यायालय ने अभियोजन की ओर से दिए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद एवं अभिलेख का परिशीलन करने के बाद दिनांक 22.3.2005 के अपने निर्णय एवं 23.3.2005 के दंडादेश के तहत इस अपीलार्थी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 B/34 तथा 316/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 316/34 के अधीन अपराध के लिए 5000/- रुपयों के जुर्माना के साथ सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

10. दोषसिद्धि के उक्त निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी जो अभिरक्षा में है ने कारा प्राधिकारी के माध्यम से वर्तमान अपील दाखिल किया है।

11. अपीलार्थी की ओर से न्यायालय की सहायता करने के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री पी०के० देवमनि को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था।

12. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान न्यायमित्र और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक सुने गए और अवर न्यायालय अभिलेख एवं मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

13. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान न्यायमित्र निवेदन करते हैं कि संपूर्ण मामला अ०सा० 1 एवं 9 के साक्ष्य पर टिका है। वह निवेदन करते हैं कि यदि इन दो गवाहों के बयान का सावधानीपूर्वक संवीक्षण किया जाता है, यह केवल इस निष्कर्ष की ओर ले जाएगा कि वे चश्मदीद गवाह नहीं हैं और इसलिए इस अपीलार्थी के विरूद्ध संपूर्ण मामला विफल होता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि साक्ष्य के मुताबिक प्रीति कुमारी अपनी मृतका बहन के साथ उसके ससुराल में रहती थी, जो विश्वसनीय नहीं है और उसका साक्ष्य भी सुझाता है कि उसने घटना नहीं देखा है। वह आगे निवेदन करते हैं कि अ०सा०

9 सुबोध पासवान जो अपीलार्थी का भाई है ने कथन नहीं किया है कि उसने हत्या की कारिता देखा है। वस्तुत:, उसका बयान सुझाता है कि उसने मृतका को बिस्तर पर मृत पड़ा भी नहीं देखा है। वह आगे निवेदन करते हैं कि किसी भी गवाह ने दहेज मांग की कथा का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने निवेदन किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन इस अपीलार्थी को दोषसिद्ध करना पूर्णत: दोषपूर्ण है। अंत में, वह निवेदन करते हैं कि यह अपीलार्थी अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों से विमुक्त किए जाने का दायी है।

14. दूसरी ओर, विद्वान ए०पी०पी० निवेदन करते हैं कि संपूर्ण अभियोजन गवाहों के साक्ष्य के परिशीलन से एकमात्र निष्कर्ष जिसे निकाला जा सकता है, इस अपीलार्थी का दोष है। वह निवेदन करते हैं कि अ०सा० 1 चश्मदीद गवाह है और घटना स्थल पर उसकी उपस्थित अन्य गवाहों के साक्ष्य से संपुष्ट की गयी है। आगे यह तर्क किया गया है कि इस गवाह ने स्वयं अपनी आँखों से हत्या देखा है और उसके बयान पर अविश्वास करने के लिए कुछ नहीं है। वह आगे निवेदन करते हैं कि अ०सा० 9 का साक्ष्य सूचक (अ०सा० 2) के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है। यह निवेदन भी किया गया है कि तात्विक साक्ष्य संपूर्ण अभियोजन मामला का समर्थ कर रहा है और इस प्रकार, इस अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूर्णत: न्यायोचित है और उसकी अपील खारिज किए जाने की दायी है।

15. जैसा पहले उल्लिखित किया गया है, इस मामले में दस अभियोजन गवाह हैं। अ०सा० 1 प्रीति कुमारी मृतका की छोटी बहन और सूचक (अ०सा० 2) की पुत्री और घटना की चश्मदीद गवाह है। अपने साक्ष्य में, उसने कथन किया है कि वह अपनी मृतका बहन के साथ उसके ससुराल में रह रही थी। उसने कथन किया कि अपीलार्थी सहित समस्त ससुराल वाले रंगीन टेलीविजन और धन दहेज के रूप में मांग रहे थे। उसने कथन किया कि मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण इस अपीलार्थी एवं उसके माता-पिता द्वारा उसकी बहन को प्राय: यातना दी जाती थी। उसने आगे कथन किया कि दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में वह जमीन पर सोयी थी और उसकी बहन खाट पर सो रही थी। रात में हल्ला सुनने पर जब वह जागी, उसने इस अपीलार्थी को अपनी बहन का गला दबाते देखा और उसके सास-ससुर उसकी बहन का हाथ-पैर पकड़े हुए थे। उसने कथन किया है कि इस अपीलार्थी द्वारा उसकी बहन का गला दबाए जाने के कारण मृतका की मृत्यु हो गयी। उसने कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसको यह तथ्य किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया था। उसने आगे कथन किया कि उसका पिता रात में ही आया और उसने अपने पिता को सारी कहानी बताया। उसने कथन किया कि घटना के दो दिन पहले वह अपनी बहन के घर आयी थी। उसने कथन किया कि वह जागी और उसने अपनी बहन के ससुराल वालों को अपीलार्थी के साथ कमरा में देखा।

16. अ०सा० 2 सूचक प्रभु पासवान है जिसने कथन किया कि उसकी पुत्री रीता देवी का विवाह चार वर्ष पहले इस अपीलार्थी के साथ हुआ था। दहेज के रूप में कलर टेलीविजन तथा 25,000/- रुपयों की लगातार मांग की जा रही थी और उसकी पुत्री उसको कहा करती थी कि उसके पति सहित ससुराल वाले दहेज मांग पूरा नहीं किए जाने के कारण उसे परेशान करते थे और यातना देते थे। उसने कथन किया कि चूँकि उसकी पुत्री गर्भवती थी, उसकी छोटी पुत्री प्रीति कुमारी (अ०सा० 1) उसकी देखभाल करने मृतका के घर गयी थी। उसने कथन किया कि 30.9.2003 को रात्रि लगभग 1 बजे इस अपीलार्थी का भाई आया और इस गवाह को सूचित किया कि उसने मृतका के कमरे से आती चीख सुना। ऐसी चीख सुनने पर वह गया और मृतका को मृत पाया और ससुराल वालों सहित मृतका का पति वहाँ खड़े थे। ऐसी सूचना पाने पर सूचक घटनास्थल पर गया और अपनी पुत्री का मृत शरीर पाया और उसकी

छोटी पुत्री प्रीति कुमारी ने उसको सारी कहानी बताया कि इस अपीलार्थी ने मृतका का गला दबाया और उसके माता-पिता ने उसकी सहायता की। उसने कथन किया कि उसने पुलिस के समक्ष उसका बयान दर्ज किया है, जो फर्दबयान है और उसने प्रदर्श 1 के रूप में अपना हस्ताक्षर प्रदर्शित किया। उसके द्वारा फर्दबयान पर किसी संतोष कुमार सिन्हा का हस्ताक्षर भी प्रदर्शित किया गया था।

प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि विवाह के बाद वह अपने पुत्री को अपने घर लाया, जहाँ वह दो माह रही और दो माह की उस अवधि के दौरान मृतका के पति एवं सास-ससुर द्वारा धन एवं कलर टेलीविजन की मांग की गयी थी। उसने कथन किया कि दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण मृतका को निरंतर यातना दी जाती थी और प्रहार किया जाता था। उसने यह कथन भी किया कि उसकी छोटी पुत्री प्रीति उसकी बड़ी पुत्री के साथ रह रही थी। न्यायालय के प्रश्न के प्रति उसने उत्तर दिया कि घटना के ठीक दो दिन पहले प्रीति कुमारी उसकी बड़ी पुत्री के घर गयी थी।

17. अ०सा० 3 भोला पासवान मृतका का चाचा है। उसने कथन किया कि मृतका ने उसको भी बताया कि यह अपीलार्थी और उसके ससुराल वाले धन एवं कलर टेलीविजन मांग रहे थे जिसके लिए उसे यातना दी जाती थी। उसने आगे कथन किया कि घटना के 2-3 दिन पहले मृतका रीता देवी अपने माएके आयी थी जहाँ उसने इस गवाह को बताया कि पवन पासवान (पति), दूलो देवी (सास) और राजेन्द्र हाजरा (ससुर) धन एवं कलर टेलीविजन मांग रहे थे और उस पर प्रहार भी कर रहे थे और उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। उसने कथन किया कि वह मृत्यु की खबर सुनने के बाद रीता के घर गया और मृतका का शरीर खाट पर देखा और प्रीति को भी घटनास्थल पर देखा क्योंकि प्रीति मृतका की देखभाल करने पहले वहाँ गयी थी क्योंकि मृतका गर्भवती थी। उसने भी कथन किया कि प्रीति ने उनको बताया कि इस अपीलार्थी ने मृतका का गला घोंटा और उसके माता-पिता मृतका का हाथ पैर पकड़े थे जब अपीलार्थी हत्या कर रहा था।

प्रतिपरीक्षण में, उसने संपुष्ट किया कि मृतका ने दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के लिए यातना एवं प्रहार के बारे में उसे सूचित किया है। उसने प्रतिपरीक्षण में यह कथन भी किया कि सुबोध पासवान (अपीलार्थी का भाई) ने उसको बताया कि रीता के कमरा से चीख सुनने पर वह वहाँ गया और रीता को मृत पड़ा देखा।

18. अ०सा० 4 मोती पासवान ने कथन किया है कि सूचक ने उसे रीता देवी की मृत्यु के बारे में बताया। वह अ०सा० 2 के साथ मृतका के घर गया और प्रीति कुमारी से मिला जिसने उनको संपूर्ण घटना बताया। उसने आगे कथन किया कि अ०सा० 2 ने उसको बताया कि कलर टेलीविजन एवं धन की मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण उसकी पुत्री को यातना दी जाती थी और प्रहार किया जाता था। उसने संपुष्ट किया कि मृतका का विवाह चार वर्ष पहले हुआ था।

19. अ०सा० 5 डॉ० ललित मोहन प्रसाद है जिन्होंने मृतका के शरीर का शव परीक्षण किया। उन्होंने निम्नलिखित उपहति पाया:–

^^(1) xnu d nk, Hkkx ij 1/2" × 1/2" dk [kjkp

(2) xnu d ck, Hkkx ij 3/4" × 1/2" dk [kjkp

(3) ck, ?kVu d ihN 1" × 3/4" dk [kjkp

foPNnu ij%

leLr ,cMkfeuy ,o Fkkjkfld foljk dtLVM ik;h x;hA ân; dk nk;k pEcj dky rjy jDr l MkbyVM Fkk] ck;k pEcj [kkyh FkkA iV e vèkip Hkktu

*dk yxHkx 8 vkm l FkkA CyMj [kkyh FkkA cu dtLVM FkkA yxHkx 5 ekg vkdkj dk xHkk'k; xfoM FkkA i;Dr inkFk dMk ,o HkkFkjk Fkk***

उन्होंने मत दिया कि मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप दम घुटने से कारित हुई थी, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने आगे कथन किया कि रीता देवी की मृत्यु के कारण गर्भ के भ्रूण की मृत्यु भी हो गयी। उन्होंने आगे मत दिया कि उपहति सं॰ (3) गला घोंटने से कारित हो सकती है।

20. अ॰सा॰ 6 शमशाद अली मामले का अन्वेषण अधिकारी है, जो सूचना पाने के बाद घटनास्थल पर गया और सूचक से मिला। उसने सूचक का फर्दबयान दर्ज किया। फर्दबयान प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया था। उसके द्वारा फॉरवार्डिन्ग रिपोर्ट भी प्रदर्शित किया गया है, जिसे प्रदर्श 3/1 चिन्हित किया गया है। उसके द्वारा औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध और प्रदर्श 4 के रूप में चिन्हित की गयी थी। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा। उसने दं॰प्र॰सं॰ की धारा 161 के अधीन गवाहों का बयान दर्ज किया। अन्वेषण पूरा करने के बाद, उसने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया। उसने घटना स्थल का विस्तृत वर्णन दिया।

प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया कि उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन मंजूरी आदेश प्राप्त नहीं किया है। उसने कथन किया कि मृतका का शव कमरा में खाट पर पाया गया था। उसने सूचक द्वारा उसको दिया गया बयान संपुष्ट किया।

21. अ॰सा॰ 7 बौना पासवान है जो इस अपीलार्थी का पड़ोसी है। उसने कथन किया कि वह चीख सुन कर जाग गया और चीख पवन पासवान (अपीलार्थी) के घर से आ रही थी। उसने कथन किया कि वह वहाँ गया और पवन की पत्नी को खाट पर पड़ा देखा और पवन एवं उसके अन्य संबंधी रो रहे थे। यह देखने के बाद, वह अपने घर लौटा और सुबह में उसे पता चला कि पवन पासवान की पत्नी की मृत्यु हो गयी थी। उसने कथन किया कि घटना की तिथि के पहले कुछ अवसर पर अपीलार्थी एवं मृतका के बीच झगड़ा हुआ था प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया कि उसने पुलिस के समक्ष कोई बयान नहीं दिया है। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

22. अ॰सा॰ 8 अंबिका पासवान है जो इस अपीलार्थी का पड़ोसी है। उसने कथन किया कि घटना की रात में मृतका की चीख सुनने पर वह मृतका के घर गया और मृतका को खाट पर मृत पड़ा देखा। उसने कथन किया कि उसने पवन पासवान (अपीलार्थी) से मृत्यु के कारण के बारे में पूछा जिसका उसने उत्तर दिया कि दवा लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी। उसने कथन किया कि ससुरालवालों एवं मृतका के बीच विवाद नहीं था। यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

23. अ॰सा॰ 9 सुबोध पासवान है जो अपीलार्थी का भाई और वह व्यक्ति है, जिसने मृतका की मृत्यु के बारे में सूचक को सूचना दिया था। उसने मृतका एवं अपीलार्थी के बीच विवाह का तथ्य स्वीकार किया और यह तथ्य भी स्वीकार किया कि मृतका की मृत्यु हो गयी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह गया और सूचक को मृतका की मृत्यु के बारे में रात में सूचित किया। उसने कथन किया कि चीख सुनने पर वह कमरा तक गया और खिड़की से उसने देखा कि मृतका खाट पर मृत पड़ी थी। उसने कथन किया कि वह कमरा में नहीं घुसा था। उसने कथन किया कि मृतका एवं ससुरालवालों के बीच झगड़ा नहीं था। उसने कथन किया कि प्रीति कुमारी (अ॰सा॰ 1) प्रायः मृतका में घर में रहती थी। उसे भी पक्षद्रोही

घोषित किया गया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि मांग किया जा रहा था और मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण मृतका को यातना दी जाती थी।

24. अ०सा० 10 रामचंद्र कोरा है। उसने कथन किया कि वह चीख सुनने पर घटना की रात में अपीलार्थी के घर गया और पूछने पर, उसे इस अपीलार्थी द्वारा सूचित किया गया था कि मृतका की मृत्यु हो गयी थी। इसके सिवाए, इस गवाह ने कुछ भी कथन नहीं किया है।

25. अभियोजन की ओर से दिए गए साक्ष्य से, यह स्थापित होता है कि मृतका की छोटी बहन अ०सा० 1 घटना के समय पर मृतका के घर में रह रही थी। इस तथ्य का कथन न केवल अ०सा० 1 द्वारा बल्कि मृतका के पिता अ०सा० 2 और उसके चाचा अ०सा० 3 द्वारा किया गया था। अ० सा० 9, अपीलार्थी के भाई ने भी कथन किया कि मृतका की बहन अ०सा० 1 प्राय: मृतका के घर रहती थी। सूचक अ० सा० 2 ने कहा है कि अ० सा० 1 मृतका के घर में रहा करती थी क्योंकि मृतका गर्भवती थी और उसे देखभाल की जरूरत थी। यह तथ्य कि मृतका गर्भवती थी, शवपरीक्षण रिपोर्ट से भी समर्थन पाता है। इस प्रकार, घटना स्थल पर अ०सा० 1 की उपस्थिति संपुष्ट होती है। अ०सा० 1 ने सजीव वर्णन किया है कि किस प्रकार मृतका की हत्या की गयी थी। उसने कथन किया कि उसने अपीलार्थी को मृतका का गला घोंटते देखा था। यह तथ्य अ०सा० 1 द्वारा अ० सा० 2 तथा 3 को भी बताया गया था। अ०सा० 2 एवं 3 ने भी पूर्वोक्त तथ्य संपुष्ट किया। चिकित्सीय साक्ष्य भी इस तथ्य की संपुष्टि करता है कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने से हुई थी। गवाह अर्थात अ०सा०7 एवं 8 जो इस अपीलार्थी के पड़ोसी हैं, यद्यपि उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था, ने कथन किया कि चीख सुनने पर वे अपीलार्थी के घर गए और उन्हें सूचित किया गया था कि मृतका की मृत्यु हो गयी थी। इस प्रकार, यह तथ्य स्थापित होता है कि मृतका की मृत्यु अपने ससुराल में हुई थी। धन एवं कलर टेलीविजन की मांग पर साक्ष्य भी संगत है। अ०सा० 1, 2 एवं 3 ने उक्त तथ्य का समर्थन किया है। अ०सा० 7 जो अपीलार्थी का पड़ोसी है और यद्यपि उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किन्तु उसने स्वीकार किया है कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा था। इस अपीलार्थी का भाई अ०सा० 9 यद्यपि पक्षद्रोही हो गया है, किंतु अपने मुख्य परीक्षा में यह तथ्य स्वीकार किया है कि वह गहरी रात रीता देवी की मृत्यु के बारे में सूचित करने सूचक अ०सा० 2 के पास गया। डॉक्टर ने गला घोंटे जाने का संकेत पाया और मत दिया कि मृत्यु गला घोंटने के कारण कारित हुई थी। उसने यह मत भी दिया कि रीता देवी की मृत्यु के कारण भ्रूण की मृत्यु भी हो गयी।

26. इस प्रकार, उक्त साक्ष्य के विश्लेषण के बाद, अ०सा० 1 के बयान पर अविश्वास करने के लिए कुछ नहीं है। घटनास्थल पर अ०सा० 1 की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अ०सा० 2 एवं 3 तथा अ०सा० 9 भी घटनास्थल पर इस गवाह की उपस्थिति सुझाते हैं। इस प्रकार, अभियोजन ने समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे इस अपीलार्थी द्वारा रीता देवी की हत्या स्पष्टत: स्थापित किया है जिसे गला घोंटकर किया गया था। यह भी सिद्ध किया गया है कि रीता देवी की मृत्यु के कारण गर्भ में भ्रूण की मृत्यु भी हो गयी। संपूर्ण साक्ष्य के परिशीलन से, मैं पाता हूँ कि अ०सा० 1 एवं 2 का साक्ष्य संगत है और बचाव प्रति परीक्षण में इसे भंजित नहीं कर सका था।

27. इस प्रकार, अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य से संदेह के परे यह सिद्ध किया जाता है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B/34 तथा 316/34 के अधीन अपराध करने का दोषी है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304

B/34 एवं 316/34 के अधीन दोषसिद्ध किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 316/34 के अधीन 5000/- रुपयों के जुर्माना के साथ सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है। आक्षेपित निर्णय में अवैधता नहीं है जिसे मान्य ठहराने की आवश्यकता है और मान्य ठहराया जाता है। अपीलार्थी कारा में है, वह अपना शेष दंडादेश भुगतेगा।

28. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

29. निर्णय से अलग होने के पहले यह गौर किया जाना है कि विद्वान न्यायमित्र श्री पी०के० देवमनि ने सक्षमतापूर्वक इस न्यायालय की सहायता किया है। सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी को एतद् द्वारा उनकी सक्षम सहायता के लिए विद्वान न्यायमित्र श्री पी०के० देवमनि को विहित पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। आवश्यक कार्रवाई के लिए इस निर्णय की प्रति सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमिटी को भेजी जाए।

30. इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित न्यायालय को भेजे जाएं।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; vfuy dekj pkèkjh] U;k;efr

अनिल जौली

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No.468 of 2008. Decided on 26th July, 2017.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420/406/409-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—लोक सेवक द्वारा छल एवं न्यास का दांडिक भंग—कुल राशि जिसका भुगतान याची अभियुक्त ने परिवादी सूचक को किया है पर आने में गणितीय गलती हुई है—यह मानते हुए कि परिवाद—प्राथमिकी में किए गए प्रकथन सत्य हैं, फिर भी याची अभियुक्त केवल 21,650/- रुपयों की राशि का भुगतान करने का दायी है जब परिवादी सूचक को स्वीकृत रूप से 7,00,000/- रुपयों का भुगतान किया गया है—याची के विरूद्ध विनिर्दिष्ट कथन नहीं है कि अभियुक्त याची का संव्यवहार के ठीक आरंभ से ही कोई आपराधिक आशय था—यह सुयोग्य मामला है जहाँ प्राथमिकी और उस पर आधारित दांडिक कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य है। (पैराएँ 10, 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.—AIR 1992 SC 604; (2002) 1 SCC 241; (2000) 4 SCC 168; (2014) 13 SCC 553—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Rajesh Kumar, For the Petitioner; Addl. P.P., For the State; M/s Indrajit Sinha, A.K. Sah, For the Opp. Party No.2.

आदेश

याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकार सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायित राज्य के विद्वान ए०पी०पी० सुने गए।

2. यह दांडिक विविध याचिका झरिया पी०एस० केस सं० 199 वर्ष 2006, जी०आर०सं० 1779 वर्ष, 2006 के तत्सम, जिसे भा०दं०सं० की धाराओं 420/406/409 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए

संस्थित किया गया है, की समस्त कार्यवाही सहित संपूर्ण प्राथमिकी के अभिखंडन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दाखिल की गयी है।

3. परिवाद में, जिसे दं०प्र०सं० की धारा 156(3) के अधीन पुलिस को न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के बाद प्राथमिकी के रूप में बाद में दर्ज किया गया था, परिवादी सूचक जो इस याचिका में विरोधी पक्षकार सं० 2 है का मामला संक्षेप में यह है कि परिवादी कोयला व्यवसायी है। याची जो परिवाद में एकमात्र अभियुक्त है ने स्वयं का परिचय बिचौलिए/एजेन्ट के रूप में दिया और यह आश्वासन देते हुए कि वह 20-25 दिनों के बीच भुगतान करेगा, वह परिवादी सूचक से कोयला ले रहा था और समय-समय पर भुगतान भी कर रहा था। परिवाद में यह उल्लिखित किया गया है कि याची-अभियुक्त ने कुल 4,50,000/- रुपयों का भुगतान किया है किंतु याची अभियुक्त द्वारा परिवादी सूचक को देय एवं भुगतेय 2,71,650/- रुपया बकाया है। याची अभियुक्त ने एक या दूसरे बहाना पर बकाया राशि का भुगतान प्रास्थगित किया। वह परिवादी द्वारा जारी कानूनी नोटिस प्राप्त करने से बचता रहा और इसको लौटाने में सफल हुआ, अत: यह परिवाद किया गया है।

4. सुनवाई के समय पर याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान ब्रीफ के पृष्ठ सं० 24 जो परिवाद-प्राथमिकी का आंतरिक पृष्ठ सं० 4 है की ओर आकृष्ट किया और निवेदन किया कि उसमें यह उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त ने परिवादी-सूचक को 4,50,000/- का भुगतान किया है और उसके बाद 2,71,650/-रुपया अभियुक्त याची द्वारा परिवादी सूचक को देय एवं भुगतेय है। इस प्रकार, स्वीकृत रूप से, 7,21,650/- रुपया कुल राशि थी जिसे परिवादी सूचक को याची से प्राप्त करना था। आगे, याची के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान ब्रीफ के पृष्ठ सं० 23 जो उक्त परिवाद-प्राथमिकी का आंतरिक पृष्ठ सं० 3 है की ओर आकृष्ट किया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त याची ने 1,00,000/- रुपयों का भुगतान किया ओर कुछ दिन बाद 1,50,000/- रुपयों का भुगतान किया और कोयला भेजने के डेढ़ माह बाद अभियुक्त याची ने आगे 1,50,000/- रुपयों का भुगतान किया है और दस दिन तत्पश्चात उसने 1,50,000/- रुपयों का भुगतान किया और परिवाद प्राथमिकी के आंतरिक पृष्ठ सं० 4 जो ब्रीफ का पृष्ठ सं० 24 है में आगे यह उल्लिखित किया गया है कि 25 दिन तत्पश्चात अभियुक्त याची ने 1,00,000/-रुपयों का भुगतान किया और दो माह तत्पश्चात अभियुक्त याची ने 50,000/-रुपयों का भुगतान किया। इस प्रकार, स्वीकृत रूप से अभियुक्त याची द्वारा परिवादी सूचक को 7,00,000/- रुपयों की कुल राशि का भुगतान किया गया है। किंतु गणितीय गलती के कारण, अभियुक्त याची द्वारा परिवादी सूचक को अभियुक्त याची द्वारा भुगतान की गयी कुल राशि गलत रूप से परिवाद प्राथमिकी के उक्त आंतरिक पृष्ठ सं० 4 में 4,50,000/- रुपयों के रूप में उल्लिखित की गयी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवाद में किया गया प्रकथन चित्रित करता है कि पक्षों के बीच सरल व्यवसायिक संव्यवहार थे। कोई अभिकथन नहीं है कि अभियुक्त याची का संव्यवहारों के आरंभ होने के चरण पर ही कोई कपटपूर्ण अथवा बेइमान आशय अथवा आपराधिक आशय था। अत:, अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के लिए और प्राइवेट एवं निजी दुश्मनी के कारण उसका अपमान करने की दृष्टि से द्वेषपूर्वक संस्थित किया गया था। अत:, प्राथमिकी एवं उस पर आधारित दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की जाए।

5. विद्वान ए०पी०पी० एवं विरोधी पक्षकार सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्राथमिकी का बचाव किया और निवेदन किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक ही वाद हेतुक के लिए सिविल विवाद एवं दांडिक मामला दोनों संस्थित किया जा सकता है और इसलिए, याची के विरोधी पक्षकार सं०2 के साथ छल करने पर इस दांडिक विविध याचिका में गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाए।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, AIR 1992 SC 604,** में पैराग्राफ 108 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"108. vè;k; XIV d vèkhu lfgrk d vud çklfxd çkoèkkuk dh 0;k[;k vkj vuPNn 226 d vèkhu vlkèkkj.k 'kfDr vFkok lfgrk dh èkkjk 482 d vèkhu vrfufgr 'kfDr d ç;kx l lcfèkr fu.k;k dh J[kyk e bl U;k;ky; }kjk çfrikfnr fl)krk dh i"BHkfe e] ftl geu mij fudkyk ,o m) r fd;k g] ge mnkgj.kLo#i ekeyk dh fuEufyf[kr dkfV;k nr g ftue fdlh U;k;ky; dh çfØ;k d n#i;kx dk jkdu d fy, vFkok vU;Fkk U;k; dk mí'; ikIr dju d fy, ,lh 'kfDr dk ç;kx fd;k tk ldrk Fkk ;|fi fdlh lVhd] Li"V :i l ifjHkkf"kr ,o i;kIr :i l puyÑr ,o dBkj ekinM vFkok dBkj Qkeyk dk vfèkdfFkr djuk vkj vud çdkj d ekeyk dh lokxh.k lph nuk lHko ugh gk ldrk g ftue ,lh 'kfDr dk ç;kx fd;k tkuk pkfg,%

1. tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFku] Hky gh mUg T;k&dk&R;k fy;k tkrk g vkj mudh li.krk e Lohdkj fd;k tkrk g] çFke n"V;k fdlh vijkèk dk xfBr ugh djr g vFkok vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh cukr gA

2. tgk çkFkfedh rFkk çkFkfedh e lyXu vU; lkexh] ;fn gk] e vfHkdFku] flok, lfgrk dh èkkjk 155(2) d dk;{k= d vrxr nMkfèkdkjh d vkn'k d vèkhu] èkkjk 156(1) d vèkhu ifyl vfèkdkfj;k }kjk vUo"k.k dk U;k;kfpr Bgjkr g, lK; vijkèk çdV ugh djr gA

3. tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, v[kfMr vfHkdFku vkj bld leFku e lxfgr lk{; fdlh vijkèk dh dkfjrk çdV ugh djr g vkj vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh cukr gA

4. tgk çkFkfedh e fd, x, vfHkdFku lK; vijkèk xfBr ugh djr g fdr doy vlK; vijkèk xfBr djr g] nMkfèkdkjh d vkn'k d fcuk ifyl vfèkdkjh }kjk vUo"k.k dh vuefr ugh nr g tlk lfgrk dh èkkjk 155(2) d vèkhu vuè;kr fd;k x;k gA

5. tgk çkFkfedh vFkok ifjokn e fd, x, vfHkdFku bru crd vkj vrfufgr :i l vufèklHkk0; g ftud vkèkkj ij dkb food'kh 0;fDr bl fu"d"k ij dHkh ugh igp ldrk g fd vfHk;Dr d fo#) vxlj gku d fy, i;kIr vkèkkj gA

6. tgk ekey d lLFkkiu vkj dk;okgh tkjh j[ku d çfr lcfèkr vfèkfu;e (ftld vèkhu nkfMd dk;okgh lfLFkr dh x;h g) vFkok lfgrk d çkoèkkuk e l fdlh e mRdh.k dkb vfHk0;Dr fofèkd otuk ugh g vkj@vFkok tgk 0;fFkr i{k dh f'kdk;r d fy, çHkkodkjh çfrrk"k çkoèkkfur djrk g lfgrk vFkok lcfèkr vfèkfu;e e fofufn"V çkoèkku gA

*7. tgk nkfMd dk;okgh Li"V :i l vlnHkkoi.k g vkj@vFkok tgk dk;okgh vfHk;Dr l çfr'kkèk yu d vrjLFk gr d lkFk vkj çkboV ,o futh n'euh d dkj.k mldk viekfur dju dh nf"V l }"kiod lfLFkr dh x;h gA***

7. एस॰डब्लू॰ पलानीत्कर बनाम बिहार राज्य, (2002)1 SCC 241, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

^^8- mud ijLij x.kkx.kk ij ijLij ifroknk dk ijh{k.k dju d igy] ge fofèkd voLFkk è;ku e yuk lefpr le>r gA U;kl d iR;d Hkx dk ifj.kke U;kl d nkfMd Hkx d nkfMd vijkèk e ugh gk ldrk g tc rd diVi.k nfofu;kx d ekufld dR; dk lk{; ugh gA U;kl d Hkx dk dR; flfoy nk"k vrxLr djrk g ftld lcèk e xyr l ihfMr 0;fDr flfoy U;k;ky; e udlkuh d fy, viuk ifrrk"k bfllr dj ldrk g fdUr vkijkfèkd eu¼fLFkfr d lkFk U;k; dk Hkx nkfMd vfHk;ktu dh mnHkr djrk gA**

8. हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, (2000)4 SCC 168, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 15 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^15- ;g i'u fofuf'pr djr g, ;g è;ku e j[kk tkuk gkxk fd lfonk d Hkx ek= rFkk Ny d vijkèk d chp lfHkUurk l{e gA ;g mRij.k d le; ij vfHk;Dr d vk'k; ij fuHkj djrh g ftl mld i'pkrorh vkpj.k l fu.khr fd;k tk ldrk g fdr flok, bld ;g i'pkrorh vkpj.k ,dek= ijh{kk ugh gA lfonk dk Hkx ek= Ny d nkfMd vfHk;ktu dk mnHkr ugh dj ldrk g tcrd l0;ogkj d vkjHk e gh diVi.k ,o cbeku vk'k; ugh n'kk;k x;k g vFkkr le; tc vijkèk fd;k x;k crk;k tkrk gA vr% vk'k; vijkèk dk lkj gA fdlh 0;fDr dk Ny dk nk"kh vfHkfuèkkfjr dju d fy, ;g n'kkuk vko';d g fd mldk oknk dju d le; ij diVi.k vFkok cbeku vk'k; FkkA ckn e oknk ijk dju e mldh foQyrk ek= l vkjHk e gh ,l vkijkfèkd vk'k; vFkkr tc mlu oknk fd;k] mièkkfjr ugh fd;k tk ldrk gA**

9. रश्मि जैन बनाम उ०प्र० राज्य एवं एक अन्य, (2014)13 SCC 533, में उस मामले के तथ्य एवं परिस्थिति निम्नलिखित थे:–

^^vkond 22-3-2009 dk vfHk;Dr l ckt kjxt ljk; rjhu d ckt kj e feyk vkj mll 'k"k jkf'k ekxk] fdr vfHk;Dr u nk0;fDr;k dh mifLFkfr e bldk Hkxrku dju l lkQ euk dj fn;k vkj vkond dk èkedh nh fd ;fn mlu iu% Hkxrku ekxk] mldh gR;k dj nh tk,xh vkj dFku fd;k fd re e> ugh tkur gkA tc eu ncxk dk Hkxrku ugh fd;k g] re dku gkA e> rel rEgkjk èku gMiuk Fkk vkj eu ,lk fd;kA rc og dkj e pyh x;hA**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 6 में अभिनिर्धारित किया:–

^^gekj er e] iokDr idFku doy 'k) r% flfoy fookn dk vihykFkh }kjk vfHkdfFkr :i l fd, x, nkfMd dR; e lifjofrr djd vihykFkh ij nkfMd nkf;Ro Fkkiu d fy, fd;k x;k gA vfHkdFku budk n[kr gh crd ,o vthckxjhc g(iFker% vihykFkh efgyk] foèkok g ftld lkFk vfHkdfFkr ?kVuk d le; ij dkb ugh Fkk(f}rh; r% mlu] ;|fi og fnYyh dh fuoklh g] vud ncxk d lkFk n0;ogkj fd;k ftud lkFk mlu ekjknkckn e igy 0;olkf;d l0;ogkj fd;k FkkA gekj er e] ; vfHkdFku n[kr gh fdlh ;fDr;Dr 0;fDr }kjk xHkhjrkiod ugh fy, tk ldr gA mPp U;k;ky; u vihykFkh }kjk nkf[ky nkfMd ;kfpdk [kkfjt dju e vfèkdkfjrk dh xyrh bl vkèkkj ij fd;k g fd ;g rF; d fookfnr i'uk dk vrxLr djrk g ftu ij doy fopkj.k U;k;ky; }kjk fopkj fd;k tk ldrk gA**

और उक्त निर्णय के पैरा 11 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^gekj er e] ;kph }kjk vfHkopfur ekeyk ijh rjg l Hktu yky ekey (Åij) dh ifriknukvk 5 ,o 7 dh ifjfèk d vrxr vkrk gA**

10. जैसी चर्चा उपर की गयी है, मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं विधि पर विचार करते हुए यह सुस्पष्ट है कि कुल राशि जिसका भुगतान याची अभियुक्त ने परिवादी सूचक को किया है पर आने में गणितीय गलती हुई है। परिवाद प्राथमिकी में किए गए प्रकथनों को सत्य मानते हुए भी, याची अभियुक्त केवल 21,650/- रुपयों की राशि का भुगतान करने का दायी है जब उसने स्वीकृत रूप से परिवादी-सूचक को 7,00,000/- रुपयों का भुगतान किया है। याची के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है कि अभियुक्त याची का संव्यवहार के आरंभ से कोई दांडिक आशय था। निश्चय ही, केवल 21,650/-रुपयों का पुनर्भुगतान करने में याची अभियुक्त की ओर से विफलता के लिए, जब उसने परिवादी सूचक को 7,00,000/- रुपयों का भुगतान स्वीकृत रूप से किया है, ऐसा आपराधिक आशय आरंभ से ही अर्थात जब उसने परिवादी सूचक से कोयला लिया, उपधारित नहीं किया जा सकता है।

11. पूर्वोल्लिखित कारणों से मेरा मत है कि यह ऐसा मामला है जहाँ प्राथमिकी एवं उस पर आधारित दांडिक कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य है।

12. तद्नुसार, याची द्वारा दं॰प्र॰सं॰ की धारा 482 के अधीन दाखिल याचिका अनुज्ञात की जाती है और उस पर आधारित आरंभ की गयी दांडिक कार्यवाही झरिया पी॰एस॰ केस सं॰ 199 वर्ष 2006, जी॰आर॰सं॰ 1779 वर्ष 2006 के संबंध में अभिखंडित की जाती है।

---

ekuuh; inhi dekj ekgUrh] e[; U;k;kèkh'k ,o vkuUn lu] U;k;efr

याकूब खान एवं एक अन्य (711 में)

मसरूद्दीन खान (761 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (D.B.) Nos. 711 with 761 of 2012. Decided on 7th June, 2017.

एस॰ टी॰ सं॰ 75 वर्ष 1994 में सत्र न्यायाधीश, गढ़वा द्वारा पारित दिनांक 11.6.2012 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 313–हत्या–दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध अपील–इसका खंडन करने का अवसर अपीलार्थियों को दिए बिना अभिलेख पर अपराध में फँसाने वाली सामग्री लायी गयी–न्यायालय उन दस्तावेजों पर विश्वास नहीं कर सकता है–शव परीक्षण नहीं किया गया था–उपहति की सीमा एवं प्रकृति सिद्ध नहीं की गयी है–अपीलार्थियों को भा॰दं॰सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है–किंतु, संगत साक्ष्य है कि अपीलार्थी हत्या करने के आशय से तेज धार वाले हथियार से अ॰सा॰ 6 के पति पर प्रहार कर रहा था–दोषसिद्धि एवं दंडादेश उपांतरित किया गया। (पैराएं 20 से 27)

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, J.K. Mazumdar, For the Appellants; Mr. Sanjay Kumar Srivastava, For the State.

आदेश

एक ही निर्णय से उद्भूत होने वाले दोनों दांडिक अपीलों को साथ सुना जा रहा है और इस एक ही निर्णय से निपटाया जा रहा है।

2. दोनों दांडिक अपीलें एस०टी०सं० 75 वर्ष 1994 में सत्र न्यायाधीश, गढ़वा द्वारा पारित दिनांक 11.6.2012 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा समस्त अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन आरोप का दोषी पाए जाने पर उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आजीवन कारावास भुगतने और प्रत्येक को 2000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और उसके व्यतिक्रम में छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि रात्रि लगभग 10 बजे सूचक का पति राहर फटकने के बाद अपने मित्र राजू यादव के साथ घर के बाहरी बरामदा में एक ही चारपाई पर सोया हुआ था। सूचक का लगभग 10 वर्षीय बड़ा पुत्र भी बाहरी बरामदा में तख्त पर सोया हुआ था और बाहरी बरामदा के ठीक पीछे सूचक अपनी पुत्री के साथ दरवाजा बंद करने के बाद सो रही थी। पूर्वाह्न लगभग 1 बजे उसने कुछ लोगों का फुसफसाहट सुना, वह जाग गयी और डिबरी की रोशनी में देखने लगी। उसने अभियुक्त मसरूद्दीन खान को तेज धार वाले छुरा से अपने पति का गला काटते देखा और अन्य अभियुक्तगण अर्थात मनौर खान, याकूब खान एवं जुबैर खान उसके पति का हाथ-पैर पकड़े हुए थे। उसने आगे अभिकथित किया कि इसी समय पर उसका पुत्र वहाँ आया और उसने अपने पुत्र के साथ शोर किया जिस पर अभियुक्तगण उसके पति की हत्या करने के बाद भाग गए। उसने आगे अभिकथित किया कि उसके पति के मित्र राजू यादव ने मृतक को बचाने का प्रयास किया किंतु अभियुक्तों द्वारा उसके हाथ पर भी प्रहार किया गया था। शोर सुनने पर गाँव वाले अर्थात अमरुद्दीन, जफर खान, शकील खान एवं कुछ अन्य लोग वहाँ आए जिनको उसने घटना के बारे में बताया। उसने संदेह किया है कि अपराध की कारिता में अभियुक्त फैसुद्दीन खान अंतर्ग्रस्त हो सकता है क्योंकि एक वर्ष के पहले अभियुक्त फैसुद्दीन खान एवं उसके परिवार के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें उक्त फैसुद्दीन खान की पत्नी एवं पुत्री घायल हुई थी और इस कारण से फैसुद्दीन खान ने षडयन्त्र रचकर अन्य अभियुक्तों के साथ उसके पति की हत्या की।

4. सूचक के फर्दबयान के आधार पर, मंझियांव पी०एस० केस सं० 17 वर्ष 1990 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 109/34 के अधीन दर्ज किया गया था। मामला दर्ज करने के बाद अन्वेषण किया गया था और मृतक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद, मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था।

5. अन्वेषण के समापन पर, अपीलार्थियों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था एवं अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/109/34 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया था और तत्पश्चात इसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। बाद में, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप अपीलार्थियों के विरूद्ध विरचित किए गए थे जिनके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

6. अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल सात गवाहों का परीक्षण किया है। अभियोजन मामला बंद होने के बाद, अपीलार्थियों के बयान दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए थे। किंतु, इस मामले में किसी बचाव गवाह का परीक्षण नहीं किया गया था।

7. यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान न तो इस मामले में डॉक्टर का परीक्षण किया गया था और न ही शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शित किया गया था। किंतु, अलग किए गए मामले एस०टी०सं० 113 वर्ष 2006 में डॉक्टर का परीक्षण किया गया था। इस प्रकार, अभियुक्त को डॉक्टर का प्रति परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। इसी प्रकार से, इस मामले में अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

8. साक्ष्य के विश्लेषण पर, विचारण न्यायालय ने अ०सा०, 5, 6 तथा 7 के परिसाक्ष्य पर अपना अंतर्निहित विश्वास करके अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और तद्नुसार, दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया और अपीलार्थियों को दंडादेश दिया जो चुनौती के अधीन है।

9. दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 711 वर्ष 2012 में, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए०के० कश्यप ने आक्षेपित निर्णय का विरोध मुख्यत: इस आधार पर किया है कि अ०सा० 2 का प्रतिपरीक्षण समय बीतने के कारण प्रास्थगित कर दिया गया था किंतु वह अपने आगे प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुआ था। इस प्रकार, इस गवाह का साक्ष्य विधि की दृष्टि में पूर्ण नहीं है और मिटा दिए जाने योग्य है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अ०सा० 5 एवं अ०सा० 6 जो क्रमश: मृतक के पुत्र एवं पत्नी हैं अत्यन्त हितबद्ध गवाह हैं और इसलिए उनके परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया कि वर्तमान मामले के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है जिसने अपीलार्थी के मामले पर प्रतिकूलता कारित किया। विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर भी निर्णय का हमला किया कि डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया का परीक्षण नहीं किया गया है और इसलिए, संपूर्ण अभियोजन मामला संदेहपूर्ण बन जाता है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण अपीलार्थियों पर प्रतिकूलता कारित हुई है क्योंकि अनेक विरोधाभास नहीं निकाले जा सके थे। उन्होंने आगे निवेदन किया कि इस मामले में डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया है और शव परीक्षण रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं की गयी है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि दं०प्र०सं० की धारा 273 के प्रावधानों की दृष्टि में, साक्ष्य अभियुक्तों की उपस्थिति में दर्ज किया जाना है। चूँकि डॉक्टर का साक्ष्य अभियुक्तों की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया गया था, अलग किए गए एक अन्य सत्र मामला में दर्ज उसके अभिसाक्ष्य का उपयोग इन अपीलार्थियों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि शव परीक्षण रिपोर्ट जिसे अभिलेख पर लाया जाना चाहिए था, इस मामला विशेष में, अभिलेख पर नहीं लाया गया है और इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन मामला संदेहपूर्ण बन गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि इन अपीलार्थियों ने मृतक के शरीर पर घातक वार नहीं किया है। अंत में उन्होंने निवेदन किया कि अन्य गवाह अर्थात अ०सा० 7 जो चश्मदीद गवाह है और जिसे घटना के समय पर मृतक के साथ बताया गया है ने इनमें से किसी अपीलार्थी का नाम प्रकट नहीं किया है।

10. दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 711 वर्ष 2012 में अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता के तर्कों को अपनाते हुए, दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 761 वर्ष 2012 में अपीलार्थी मशरूद्दीन खान का प्रतिनिधित्व करती विद्वान अधिवक्ता श्रीमती जे० मजुमदार ने भी निवेदन किया कि शव परीक्षण रिपोर्ट एवं डॉक्टर के साक्ष्य की अनुपस्थिति में, अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गयी है और इस प्रकार, तथ्य कि क्या मृतक द्वारा अभिकथित रूप से पायी गयी उपहति घातक थी या नहीं, संदेहपूर्ण है और इस प्रकार संदेह का लाभ देते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यद्यपि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गयी है, विचारण न्यायालय ने इन गवाहों के परिसाक्ष्य पर विश्वास करते हुए पूर्वोक्तानुसार परिस्थितियों को विचार में नहीं लेकर दोषसिद्धि दर्ज करने में अवैधता किया है और इसलिए अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

11. दूसरी ओर, विद्वान ए०पी०पी० श्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने अपीलार्थियों की ओर से किए गए निवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया कि मृतक के साथ संबंध मात्र गवाहों का परिसाक्ष्य त्यक्त करने का आधार नहीं है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आई०ओ० का गैर परीक्षण मामले के प्रति घातक

नहीं है क्योंकि अ०सा० 5 एवं 6 ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन मामला का समर्थन किया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अपीलार्थियों को झूठा आलिप्त करने का गवाहों की ओर से कारण नहीं है और घटना का चश्मदीद गवाह होने के नाते अ०सा० 6 एवं 7 का साक्ष्य त्यक्त नहीं किया जा सकता है और अ०सा० 1 से 5 ने घटना की उतपत्ति का समर्थन किया है।

पूर्वोक्त निवेदनों के आधार पर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में दुर्बलता नहीं होने के नाते विचारण न्यायालय द्वारा पहुँचे गए निष्कर्ष में इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन किया है और अभियोजन गवाहों के साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

13. अ०सा० 1 अब्दुल राशिद खान जो अनुश्रुत गवाह है ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन प्रातः लगभग 8.45 बजे वह सूचक के घर आया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस ने रक्तरंजित मिट्टी जब्त किया और उसने इस पर हस्ताक्षर किया और प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित अपना हस्ताक्षर पहचाना है।

14. अ०सा० 2 आफताब खान भी अनुश्रुत गवाह है जिसने अभिसाक्ष्य दिया कि 'रोजा' के कारण वह अपने घर के दरवाजा पर था, और उसने पूर्वी भाग से हल्ला सुना और देखा कि अपीलार्थी मसरूद्दीन अपने हाथ में छुरा लिए दक्षिण की ओर भाग रहा था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया और उस पर डंडा से वार भी किया किंतु उसके हाथ में छुरा देखकर वह भाग गया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह मृतक के घर गया जहाँ उसने खाट पर पड़ा मृत शरीर देखा जिसकी गर्दन कटी हुई थी। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया कि पीछा करते समय अपीलार्थी मसरुद्दीन उससे दस कदम दूर था और इसलिए वह उसको पकड़ नहीं सका था। उसने आगे कथन किया कि जब उसने हल्ला किया, उसके परिवार के सदस्य वहाँ आए और इस अपीलार्थी को भागते देखा।

15. अ०सा० 3 शेख अमरूद्दीन ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी उपस्थिति में सूचक का फर्दबयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और उसने गवाह के रूप में फर्दबयान पर हस्ताक्षर किया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसके अलावा किसी शेख अशरफ (अब मृत) ने भी गवाह के रूप में फर्दबयान पर हस्ताक्षर किया था। इस गवाह एवं शेख अशरफ के हस्ताक्षरों को क्रमशः प्रदर्श 2 एवं 2/1, चिन्हित किया गया है। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि घटना स्थल से रक्त रंजित मिट्टी जब्त की गयी थी और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी, जिसपर भी उसने हस्ताक्षर किया था और इसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया है। पुलिस ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी तैयार किया है और उसने गवाह के रूप में इस पर हस्ताक्षर किया है और उसका हस्ताक्षर प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया है। उसने शेख अशरफ (परीक्षण नहीं किया गया, अब मृतक) का हस्ताक्षर पहचाना और शेख अशरफ का हस्ताक्षर प्रदर्श 4/1 चिन्हित किया गया है। अपने प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया कि उसने हल्ला नहीं सुना है और घटना की रात वह गाँव से बाहर था और केवल अगले दिन प्रातः लगभग 8 बजे वह गाँव लौटा।

16. अ०सा० 4 इस्लामुद्दीन जो भी अनुश्रुत गवाह है ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने सुना कि किसी ने मृतक की हत्या कर दी है। उसने मृत शरीर देखा है और उसकी गर्दन कटा पाया है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि उसे घटना की निजी जानकारी नहीं है।

17. अ०सा० 5 सबीर खान मृतक का पुत्र एवं घटना का चश्मदीद गवाह है और अभिसाक्ष्य दिया है कि उस रात वह अपने घर के बरामदा में सोया था और उसका पिता भी किसी राजू यादव के साथ

वहाँ सो रहा था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि पूर्वाह्न लगभग 1 बजे कुछ आवाज सुनकर उसकी माता ने दरवाजा खोला और उसको बुलाया, तब वह जाग गया। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि बरामदा में रोशनी थी और उसने अपीलार्थी मसरूद्दीन खान को तलवार से अपने पिता की गर्दन काटते देखा और अपीलार्थियों याकूब खान एवं जुबैर खान तथा एक और व्यक्ति अर्थात मुनव्वर भी उसके पिता के हाथ-पैर पकड़े हुए थे। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त फसीउद्दीन भी वहाँ उपस्थित था और उसके पिता की हत्या करने के लिए कह रहा था और तत्पश्चात वे सब वहाँ से भाग गए। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि पुलिस ने डिबरी जब्त नहीं किया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसके पिता एवं अभियुक्त फसीउद्दीन के बीच पूर्व दुश्मनी थी।

18. अ०सा० 6 वाजदा बीबी जो मृतक की विधवा एवं इस मामले में सूचक है ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन रात में उसका पति सिराजुद्दीन खान (मृतक), उसका दोस्त राजू यादव (अ०सा० 7) और उसका पुत्र सबीर खान (अ०सा० 5) घर के बरामदा में सो रहे थे और वह अपनी पुत्री के साथ कमरा के अंदर सो रही थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि पूर्वाह्न लगभग 1 बजे वह कुछ आवाज सुनकर जाग गयी और कमरा का दरवाजा खोलने के बाद डिबरी के प्रकाश में बाहर देखने लगी और अभियुक्तों मुनव्वर खान, याकूब खान एवं जुबैर खान को अपने पति का हाथ-पैर पकड़े देखा और अपीलार्थी मसरुद्दीन खान अपने हाथ में लिए बड़े चाकू से उसकी गर्दन काट रहा था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह और उसका पुत्र (अ० सा० 5) वहाँ रोने लगे और जब उसके पति के मित्र (राजू यादव) ने उसके पति को बचाने का प्रयास किया, अभियुक्तों द्वारा उस पर भी प्रहार किया गया था और उसके बाद अभियुक्तगण भाग गए। हल्ला सुनने पर, गाँववाले अर्थात अमरुद्दीन, जफर खान एवं अन्य लोग वहाँ जमा हुए जिसे उसने घटना बताया। उसने आगे अभिकथित किया कि अभियुक्त फैसीउद्दीन खान का घटना में हाथ था क्योंकि एक वर्ष पहले फैसुद्दीन खान एवं उसके पति के परिवार के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें फैसुद्दीन की पत्नी एवं पुत्री घायल हो गयी और उस कारण से बदला लेने के लिए उनके द्वारा घटना की गयी है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कहा कि हल्ला होने पर पहले अमरूद्दीन (अ० सा० 3) तथा इसके उपरान्त जफर खान, सकीर तथा इसलामुद्दीन (अ०सा० 4) और अंत में चौकीदार एवं अन्य लोग वहाँ आए। उसने आगे कथन किया कि वह फुसफुसाहट सुन कर जाग गयी और दरवाजा खोला और उसी समय पर राजू यादव एवं सबीर जाग गए और घटना देखा।

19. अ०सा० 7 राजू यादव चश्मदीद गवाह एवं मृतक का मित्र है जिसने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन पर वह सिराजुद्दीन खान (मृतक) के गाँव गया और उसके साथ एक ही खाट पर घर के बरामदा में सोया हुआ था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि रात में लगभग 1 बजे वह कुछ आवाज सुनकर जाग गया और एक व्यक्ति को छुरा से मृतक पर प्रहार करते देखा और जब उसने उसे बचाने का प्रयास किया, अभियुक्त ने उस पर भी छूरा से उसके दाएं अग्रमस्तक पर प्रहार किया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने मृतक की गर्दन काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। हल्ला सुनने पर, मृतक की पत्नी अ०सा० 6 घर के बाहर आयी और अपीलार्थी मसरूद्दीन खान को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने उसके पति की हत्या की है। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने कथन किया कि उसने अ०सा० 6 से अपीलार्थी मसरूद्दीन खान का नाम जाना।

20. अभियोजन गवाहों के साक्ष्य की छानबीन करने पर यह न्यायालय पाता है कि अ०सा० 6 मृतक की पत्नी है, अ०सा० 5 सबीर खान मृतक का पुत्र है और अ०सा० 7 राजू यादव चश्मदीद गवाह है जो मृतक के साथ एक ही खाट पर सो रहा था। अ०सा० 6 ने कहा है कि उसने मुनव्वर खान, फैसुद्दीन

खान, याकूब खान एवं जुबैर खान को मृतक को पकड़े और अपीलार्थी मसरूद्दीन खान को बड़े से चाकू से उसके पति-मृतक की गर्दन काटते देखा था। जब अ०सा० 6 ने आवाज सुना, उसने दरवाजा खोला और डिबरी के प्रकाश में घटना देखा। मृतक के पुत्र अ०सा० 5 ने कथन किया कि (दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 761/2012 में) अपीलार्थी मसरूद्दीन खान तलवार से उसके पिता की गर्दन काट रहा था और अन्य उसको पकड़े हुए थे। अ०सा० 5 एवं 6 ने भी कथन किया है कि अपीलार्थियों एवं उसके परिवार के सदस्यों के बीच काफी पहले से विवाद था। अ०सा० 7 राजू यादव जो चश्मदीद गवाह है ने कथन किया है कि जब वह मृतक के साथ सो रहा था, उसने एक व्यक्ति को छुरा से मृतक पर प्रहार करते देखा किंतु उसने अपीलार्थियों का नाम नहीं लिया था। उसने आगे कथन किया कि मृतक को बचाते हुए उसे भी घायल किया गया था। यद्यपि उसने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया किंतु उपहति सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है। उसने कथन किया है कि घटना के तुरन्त बाद, मृतक की पत्नी अ०सा० 6 ने उसको प्रकट किया कि (दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 761/2012 में) अपीलार्थी मसरूद्दीन खान ने मृतक का गर्दन काटा। जैसा पहले उल्लिखित किया गया है कि शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं की गयी थी और न ही आई०ओ० अथवा डॉक्टर का इस मामले में परीक्षण किया गया था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं की गयी है। केवल मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर प्रदर्श 4/1 चिन्हित किया गया था। एस०टी०सं० 113 वर्ष 2006 वाले अलग किए गए मामले में अ०सा० 6 के रूप में डॉक्टर का परीक्षण किया गया था और इन अपीलार्थियों को डॉक्टर का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिए बिना उस मामले में शव परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी।

चूँकि सामग्रियों को, जो अपीलार्थियों के विरूद्ध है अभिलेख पर अपीलार्थियों को इनका खंडन करने अथवा गवाह का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिए बिना लाया गया है, यह न्यायालय उन दस्तावेजों पर विश्वास नहीं कर सकता है और इस प्रकार यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इस मामले में शव परीक्षण रिपोर्ट नहीं है।

21. चश्मदीद गवाहों अर्थात अ०सा० 5 एवं 6 के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने (दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 761/2012 में) अपीलार्थी मसरूद्दीन खान को मृतक पर हथियार से प्रहार करते और गला काटते देखा था। इसी प्रकार से, अ०सा० 7 ने भी कथन किया है कि उसने एक व्यक्ति को छूरा से मृतक की गर्दन पर प्रहार करते देखा था। उपहति की सीमा एवं प्रकृति क्या थी, यह इस मामले में सिद्ध नहीं किया गया है।

22. जहाँ तक दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 711/2012 में अपीलार्थियों याकूब खान एवं जुबैर खान का संबंध है, यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने मृतक पर प्रहार नहीं किया था बल्कि अ०सा० 5 एवं 6 के बयानों के मुताबिक केवल दांडिक अपील (डी०बी०सं० 761/2012) में अपीलार्थी मसरूद्दीन खान ने मृतक पर प्रहार किया था।

23. इस प्रकार, पूर्वोक्तानुसार, साक्ष्य से, दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 711/2012 में अपीलार्थियों याकूब खान एवं जुबैर खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से, दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 761/2012 में अपीलार्थी मसरूद्दीन खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए इस तथ्य के कारण दोषसिद्ध किया जा सकता है क्योंकि संगत साक्ष्य है कि यह अपीलार्थी हत्या करने के आशय से तेज धार वाले हथियार से अ०सा० 6 के पति पर प्रहार कर रहा था।

24. यहाँ उपर की गयी चर्चा से, दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 761/2012 में अपीलार्थी मसरूद्दीन खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और दस वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है।

25. यह सूचित किया गया है कि दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 761/2012 में अपीलार्थी मसरूद्दीन खान कारा अभिरक्षा में है और तद्द्वारा उसने दस वर्ष से अधिक अभिरक्षा में पहले ही भुगत लिया है। अतः अपीलार्थी मसरूद्दीन खान को अभिरक्षा से तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

26. जहाँ तक दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 711/2012 में अपीलार्थियों याकूब खान एवं जुबैर खान का संबंध है, उन्हें उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 711/2012 में अपीलार्थीगण याकूब खान एवं जुबेर खान अभिरक्षा में हैं, उन्हें तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है।

27. परिणामस्वरूप, दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 711/2012 अनुज्ञात की जाती है और दांडिक अपील (डी०बी०) सं० 761 वर्ष 2012 अंशतः अनुज्ञात की जाती है।

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

संतू मिरधा एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 83 of 2005. Decided on 10th July, 2017.

दा॰ अपील सं॰ 15 वर्ष 1987/382 वर्ष 2001 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, 4, एफ॰ टी॰ सी॰, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 22.12.2004 के निर्णय के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 147 एवं 323—घोर उपहति—दोषसिद्धि एवं दंडादेश—अधिकांश अभियोजन गवाह अनुश्रुत गवाह हैं—अधिकांश गवाहों ने प्रहार के कारण सूचक को आयी उपहति के बारे में कथन किया है—किंतु, उपहति रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं लायी गयी है न ही डॉक्टर जिसने सूचक का इलाज किया था का परीक्षण किया गया है—मामले के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण भी नहीं किया गया है और घटना स्थल भी स्थापित नहीं किया जा सका था— पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी है और ऐसी तथ्यपरक स्थिति में दांडिक मामला में याचीगण को झूठा आलिप्त किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है—अभियोजन द्वारा सिद्ध किए जाने पर उपहति की अनुपस्थिति, अभियोजन द्वारा घटनास्थल स्थापित नहीं किया जाना ओर पक्षों के बीच विद्यमान पूर्व दुश्मनी इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है—आक्षेपित निर्णय अपास्त। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.—None, For the Petitioner; Mr. Shekhar Sinha, For the Opposite Party.

आदेश

याची की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है। किंतु, राज्य के विद्वान ए०पी०पी० श्री शेखर सिन्हा उपस्थित हैं।

2. चूँकि मामला एक दशक से अधिक से लंबित है, इसे अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर निपटाया जा रहा है।

3. यह आवेदन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश 4, एफ०टी०सी०, जामतारा द्वारा दांडिक अपील सं० 15 वर्ष 1987/382 वर्ष 2001 में पारित दिनांक 22.12.2004 के निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन टी०आर० सं० 1276 वर्ष 1986 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 20.12.1986 का दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश, जिसके द्वारा याची को भा०दं०सं० की धाराओं 147 एवं 323 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और तीन माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है, अभिपुष्ट किया गया है।

4. अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि 13.2.1984 को जब सूचक दं०प्र०सं० की धारा 107 के अधीन मामला में उपस्थित होने जा रहा था, याची सं० 1 ने उसका रास्ता रोका था और याची सं० 5 ने उसका पैर तोड़ने का आदेश दिया था। यह अभिकथित किया गया है कि समस्त अभियुक्तों ने सूचक पर लाठी, मुक्कों, लातों से प्रहार किया जिस कारण वह कुछ उपहति से पीड़ित हुआ। यह निवेदन भी किया गया है कि साइकिल एवं कुछ अन्य वस्तुएँ छीन ली गयी थी। पूर्वोक्त अभिकथन के आधार पर जी०आर० सं० 45 वर्ष 1984 संस्थित किया गया था। अन्वेषण का परिणाम आरोप-पत्र की दाखिली में हुआ और संज्ञान लिए जाने के बाद आरोप विरचित किया गया था और विचारण अग्रसर हुआ।

5. विचारण के क्रम में, अभियोजन की ओर से पाँच गवाहों का परीक्षण किया गया था। अ०सा० 1 विजेन्द्र सिंह औपचारिक गवाह है। अ०सा० 2 विनोद मंडल ने कथन किया कि उसने अन्य के साथ पुलिस को सूचित किया कि अभियुक्तगण सूचक पर प्रहार कर रहे थे। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि विगत 5-6 वर्ष से याची सं० 1 एवं सूचक के बीच वाद चल रहा था और याची सं० 1 द्वारा धारा 107 के अधीन मामला भी संस्थित किया गया था। अ०सा० 3 कैलाश मंडल ने कथन किया था कि उसने सूचक को घायल दशा में देखा था और सूचक ने उन व्यक्तियों के बारे में प्रकट किया था जिन्होंने उस पर प्रहार किया। अ०सा० 4 फटीक मोंडल ने कथन किया है कि उसने घटना देखा है और उसने अ०सा० 2 एवं 3 के साथ पुलिस को सूचित किया। इस गवाह ने सूचक के शरीर पर उपहति भी देखा है। अ०सा० 5 बीरबल मोंडल सूचक है जिसने अभियोजन मामला का समर्थन किया है और दोनों पक्षों के बीच विद्यमान पूर्व दुश्मनी के बारे में भी कथन किया है।

6. यह प्रतीत होता है कि अधिकांश अभियोजन गवाह अनुश्रुत गवाह हैं क्योंकि यह कहा गया है कि सूचक ने अपने उपर प्रहार करने के याचीगण के कृत्य के बारे में प्रकट किया था। अधिकांश गवाहों ने प्रहार के कारण सूचक द्वारा पायी गयी उपहति के बारे में कथन किया है। किंतु उपहति रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं लायी गयी है और डॉक्टर जिसने सूचक का इलाज किया था का परीक्षण नहीं किया गया है। इसके अलावा, मामले के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण भी नहीं किया गया है और घटनास्थल स्थापित नहीं किया जा सका था यद्यपि यह कथन किया गया है कि घटना महाबीर महली की दुकान के सामने हुई, किंतु अभियोजन द्वारा उक्त गवाह का परीक्षण भी नहीं किया गया था। याचीगण की दोषसिद्धि सूचक अ०सा० 5 एवं तथाकथित चश्मदीद गवाह फटिक मोंडल (अ०सा० 4) के परिसाक्ष्य पर आधारित है। यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षों के बीच पूर्व दुश्मनी विद्यमान है और ऐसी तथ्यपरक स्थिति दांडिक मामला में याचीगण को झूठा आलिप्त किए जाने से इनकार नहीं कर सकती है। अभियोजन द्वारा सिद्ध किए जाने पर उपहति की अनुपस्थिति में, घटनास्थल स्थापित नहीं किए जाने पर और पक्षों के बीच विद्यमान पूर्व दुश्मनी इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अथवा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

7. अतः, ऐसी परिस्थितियों में, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और दिनांक 20.12.1986 तथा 22.12.2004 के आक्षेपित आदेशों को एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। याचीगण को उसके जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

---

ekuuh; Mkñ ,l ñ ,uñ ikBd] U;k;efr

नवलेश कुमार सिन्हा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S). No. 86 of 2010. Decided on 24th July, 2017.

सेवा विधि–प्रोन्नति–प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध प्रोन्नतियों एवं वरीय चयन ग्रेड के लाभों को देने के लिए विचार किए जाने के संबंध में याची का दावा अस्वीकार किया गया है– शायद, समय के किसी बिन्दु पर खादी बोर्ड अपनी वित्तीय संकट के कारण समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ देने की अवस्था में नहीं था किंतु आज की तिथि पर खादी बोर्ड पूरे देश में नंबर वन है और किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है–कोई अवसर नहीं है कि क्यों समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ जो याची को प्रोद्भूत हुआ उसको प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए–जिला अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची को समयबद्ध प्रोन्नति के कारण यथा प्रोद्भूत लाभों के भुगतान के लिए याची के मामला पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया और यदि याची को ऐसी प्रोन्नति के लिए योग्य पाया जाता है, उसे प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकता है।

(पैराएँ 8, 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Binod Kumar, For the Petitioner; Mr. Sunil Singh, For State of Jharkhand; Mr. Ranjit Kumar, For State of Bihar.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची दिनांक 30.10.2007 के पत्र सं॰ 663 (परिशिष्ट 6) के अभिखंडन के लिए इस न्यायालय के पास आया है जिसके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध प्रोन्नति एवं वरीय चयन ग्रेड से लाभों को देने के लिए विचार किए जाने के संबंध में याची का दावा अस्वीकार कर दिया गया है। आगे क्रमशः 1.4. 1981 तथा 13.5.1986 के प्रभाव से प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध प्रोन्नति के लाभ तथा वरीय चयन ग्रेड के लाभ का प्रदान करने की प्रार्थना आगे की गयी है।

ताथ्यिक मैट्रिक्स

3. रिट याचिका में दिया गया ताथ्यिक विवरण यह है कि याची को आरंभ में 12.5.1961 को सेल्समैन के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में, उसे प्रबंधक के संवर्ग में प्रोन्नत किया गया था तथा जब याची प्रभारी प्रबंधक के रूप में कार्यरत था, वह 30.4.2001 को सेवा निवृत्त हुआ और तद्नुसार याची को अवमुक्त किया गया था और एक अन्य प्रभारी प्रबंधक ने प्रभार लिया जैसा दिनांक 18.4.2001 के पत्र से स्पष्ट होगा। तत्पश्चात, प्रत्यर्थियों ने दिनांक 15.2.2001 के अपने पत्र के तहत प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध प्रोन्नति के लिए याची के मामला पर विचार किया किंतु उसे आज की तिथि तक इसे प्रदान नहीं किया गया है।

4. तत्पश्चात, याची ने सेवानिवृत्ति लाभों तथा 1.4.1981 तथा 13.5.1986 के प्रभाव से क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध प्रोन्नति के लाभ के भुगतान के लिए और याची को वरीय चयन ग्रेड के लाभ के लिए रिट याचिका डब्लू॰पी॰ (एस॰) सं॰ 2506 वर्ष 2004 दाखिल किया। पूर्वोक्त रिट याचिका याची के मामले पर विचार करने तथा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर समस्त भुगतान करने के निर्देश के साथ दिनांक 11.5.2014 के आदेश के तहत निपटायी गयी थी। जब न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया, याची ने अवमान मामला (सी॰) सं॰ 162 वर्ष 2005 भी दाखिल किया जिसे भी संप्रेक्षण कि ''यदि याची को अभी भी समायोजन एवं अन्यथा के संबंध में कोई शिकायत है वह शिकायत दूर करवाने के लिए समुचित प्राधिकारी के पास जा सकता है निपटाया गया था।''

5. अवमान आवेदन में किए गए संप्रेक्षणों की दृष्टि में, याची ने दिनांक 2.8.2007 के अभ्यावेदन के तहत प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया। प्रत्यर्थियों ने दिनांक 30.10.2007 के पत्र सं॰ 663 के तहत याची का मामला अस्वीकार कर दिया और इसलिए, अस्वीकरण के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट आवेदन दाखिल किया गया है।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बिनोद कुमार निवेदन करते हैं कि याची के अभ्यावेदन के अस्वीकरण के लिए कारण जिन्हें आक्षेपित आदेश में दिया गया है, विधि की दृष्टि में मान्य नहीं हैं। एकमात्र कारण जिसे आक्षेपित आदेश में दिया गया है, यह है कि चूँकि प्रत्यर्थीगण वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे, प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध प्रोन्नति के लाभ के भुगतान के लिए याची के मामला पर विचार नहीं किया जा सका था। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के पूर्व आदेशों के बावजूद अवैध एवं मनमाने रूप से याची के मामला पर विचार नहीं किया है और इसे अस्वीकार कर दिया है।

7. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील सिंह निवेदन करते हैं कि स्वयं प्रति शपथपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय संकट के कारण प्रत्यर्थी खादी बोर्ड समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ देने की अवस्था में नहीं था और इस दशा में आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है। तदनुसार, झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील सिंह तथा बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने आक्षेपित आदेश को न्यायोचित ठहराया।

8. चाहे जो भी हो, पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों का परिशीलन करने पर इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि याची के मामला पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद, प्रति शपथपत्र में किए गए प्रकथन और आक्षेपित आदेश में दिए गए कारण इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं हैं। शायद, समय के उस बिंदु पर खादी बोर्ड अपने वित्तीय संकट के कारण समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ देने की अवस्था में नहीं था किंतु आज की तिथि पर खादी बोर्ड पूरे देश में नंबर एक है और किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है और इसलिए, मैं कोई अवसर नहीं पाता हूँ कि क्यों समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ जो याची को प्रोद्भूत हुआ, उसे प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा नहीं दिए जाने चाहिए।

9. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों, सिद्धांतों, दिशानिर्देशों के समेकित प्रभाव के कारण, मैं एतद् द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 4, जिला अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची को समयबद्ध प्रोन्नति के कारण यथा प्रोद्भूत लाभों के भुगतान के लिए याची के मामला पर पुनर्विचार करने का निर्देश देता हूँ और यदि याची ऐसी प्रोन्नति के लिए योग्य पाया जाता है, इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उसको प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकता है।

10. यह कहना अनावश्यक है कि याची पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है और प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने पहले ही उसके सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान कर दिया है, अत: समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ उसे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्र दिया जाए।

11. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका निपटायी जाती है।

12. इस मामले से अलग होने के पहले, मैं झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील सिंह एवं बिहार राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार, यद्यपि वे प्रत्यर्थी खादी बोर्ड के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं, द्वारा दी गयी सक्षम सहायता की सराहना दर्ज करना चाहूँगा।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

चरण बोइपाई एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 63 of 2005. Decided on 10th July, 2017.

जी॰ आर॰ केस सं॰ 747 वर्ष 1991 (टी॰ आर॰ सं॰ 205 वर्ष 1996) में विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, सदर, चाईबासा द्वारा पारित निर्णय एवं दोषसिद्धि के आदेश तथा दण्डादेश को अभिपुष्ट करते हुए दा॰ अपील सं॰ 56 वर्ष 1996 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 16.7.2004 के निर्णय के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 326–घोर उपहति–दोषसिद्धि एवं दंडादेश–याचीगण द्वारा किए गए प्रहार के तरीके और सूचक द्वारा पायी गयी उपहतियों के संबंध में अ०सा० के साक्ष्य संगत हैं–अ०सा० 2, 3 एवं 6 के साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करते हैं और उनके साक्ष्य की पृष्ठभूमि में अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण महत्वहीन बन जाता है क्योंकि गवाहों ने स्पष्टत: घटनास्थल के बारे में कथन किया है और इसके संबंध में अंतर उद्भूत नहीं हुआ था–भा०दं०सं० की धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उनको दोषसिद्ध करते हुए याचीगण के विरूद्ध पारित निर्णय पोषित किया गया–याचीगण भी अभिरक्षा में लंबी अवधि बिताए प्रतीत होते हैं–तीन उपहतियों में से दो सरल प्रकृति की पायी गयी थी और सूचक के अंगूठा पर केवल एक गंभीर उपहति पायी गयी थी जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग नहीं है–याचीगण पर अधिरोपित दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित किया गया। (पैराएँ 7, 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–Mr. R.P. Gupta, For the Petitioners; Mr. Shekhar Shina, For the State.

न्यायालय द्वारा.–याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री आर॰ पी॰ गुप्ता एवं राज्य के विद्वान ए॰पी॰पी॰ श्री शेखर सिन्हा सुने गए।

2. यह आवेदन विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चाइबासा द्वारा दांडिक अपील सं॰ 56 वर्ष 1996 में पारित दिनांक 16.7.2004 के निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन जी॰आर॰ केस सं॰ 747 वर्ष 1991 (टी॰आर॰सं॰ 205 वर्ष 1996) में विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, सदर, चाइबासा द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश जिसके द्वारा याचीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और तीन वर्षों के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है, अभिपुष्ट किया गया है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सुझाया गया है कि गवाहों के बयान में अनेक अंतर हैं जिन्हें विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा समुचित रूप से अधिमूल्यित नहीं किया गया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है और इसलिए घटनास्थल स्थापित नहीं किया जा सका था। यह निवेदन भी किया गया है कि डॉक्टर जिनका परीक्षण अ०सा० 7 के रूप में किया गया था ने स्पष्टत: मत दिया था कि तेज धारदार हथियार पर गिरने से उपहतियाँ कारित की जा सकती थी, अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि याचीगण ने सूचक पर उपहतियाँ कारित की थी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रभाव का एक वैकल्पिक तर्क किया गया है कि यदि यह न्यायालय दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है, इस तथ्य पर विचार करते हुए दंडादेश की अवधि घटायी जा सकती है कि याचीगण कुछ समय से अभिरक्षा में बने रहे हैं और वर्ष 1991 से अभियोजन की कठोरता का सामना कर रहे है।

4. राज्य के विद्वान ए०पी०पी० ने याचीगण की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. प्राथमिकी संस्थित की गयी थी जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि सूचक पूजा के लिए किसी रामसिंह बारी के घर में गया था। यह अभिकथित किया गया है कि जब वह रामसिंह बारी एवं पांडु बारी से बात कर रहा था, दोनों याचीगण ने फरसा एवं तलवार से सूचक पर प्रहार करना शुरू किया था जिसके परिणामस्वरूप सूचक ने अपने बायाँ कंधा एवं अंगूठा पर कटने की उपहति पाया।

6. अन्वेषण का परिणाम आरोप-पत्र की दाखिली में हुआ और संज्ञान लिए जाने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन आरोप विरचित किया गया था। विद्वान सब डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, सदर, चाइबासा ने दिनांक 23.8.1996 के निर्णय के तहत याचीगण को दोषसिद्ध किया था और उनको तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया था। याचीगण ने दांडिक अपील सं० 56 वर्ष 1996 दाखिल किया जिसे विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चाइबासा द्वारा 16.7.2004 को खारिज कर दिया गया था।

7. विचारण के क्रम में अभियोजन ने मामला के समर्थन में कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया था। अ०सा० 1 मो० वाहिद हसन औपचारिक गवाह है। अ०सा० 2 रामसिंह बारी घटना का चश्मदीद गवाह है जिसने प्रकट किया था कि याची सं० 1 तलवार लिए था जबकि याची सं० 2 फरसा लिए था। इस गवाह ने सूचक पर किए गए प्रहार के बारे में कथन किया था। उसने आगे कथन किया है कि उसने एवं अ०सा० 3 ने जबरन याचीगण से फरसा एवं तलवार छीन लिया। यह कथन भी किया गया है कि सूचक एवं याचीगण के बीच विद्यमान पूर्व दुश्मनी नहीं है। अ०सा० 3 पांडुबारी भी चश्मदीद गवाह है जिसने याचीगण द्वारा निभायी गयी भूमिका के अतिरिक्त यह कथन भी किया था कि उसने अ०सा० 2 के साथ याचीगण से तलवार एवं फरसा छीन लिया था। अ०सा० 4 जैना बारी अभिग्रहण सूची का गवाह है। अ०सा० 5 चंद्र मोहन बारी भी अभिग्रहण सूची का गवाह है। अ०सा० 6 जेना मुंडारी वर्तमान मामले का सूचक है जिसने कथन किया था कि जब वह अ०सा० 2 एवं अ०सा० 3 के साथ बात कर रहा था, याचीगण अचानक तलवार एवं फरसा से लैस होकर आए थे और उस पर प्रहार करना शुरु कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप उसे कटने की उपहति आयी। अ०सा०7 डॉ० बी०डी० सिन्हा को सदर अस्पताल, चाइबासा में पदस्थापित किया गया था और उसने सूचक का परीक्षण किया था। इस गवाह ने कथन किया था कि उसने सूचक के शरीर पर तीन उपहति पाया जो तलवार द्वारा हो सकती थी। उन्होंने आगे कथन किया है कि दो उपहतियाँ सरल प्रकृति की पायी गयी थी जबकि अंगूठे की उपहति घोर करार दी गयी

थी। अ०सा० 8 पियूष भेंगरा औपचारिक गवाह है। इस प्रकार, अभियोजन मामला अ०सा० 2, अ०सा० 3 एवं अ०सा० 6 के साक्ष्य पर आधारित है। सूचक जिसका परीक्षण अ०सा० 6 के रूप में किया गया है ने तलवार एवं फरसा से याचीगण द्वारा किए गए प्रहार की संपूर्ण घटना का विवरण दिया है और उसने अपने कंधा एवं अंगूठा पर उपहति पाया था। अ०सा० 6 का साक्ष्य अ०सा० 2 एवं अ०सा० 3 जो उपस्थित थे जब घटना हुई थी और जिन्होंने तलवार एवं फरसा छीन कर सूचक को आगे हानि पहुँचाए जाने से उनको रोका था के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट की गयी है। अ०सा० 2, 3 एवं 6 के साक्ष्य याचीगण द्वारा प्रहार के तरीके के बारे में और सूचक द्वारा पायी गयी उपहतियों के बारे में संगत हैं। इस प्रकार, अ०सा० 2, 3 एवं 6 का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है और उनके साक्ष्य की पृष्ठभूमि में अन्वेषण अधिकारी का गैर–परीक्षण महत्वहीन बन जाता है क्योंकि गवाहों ने स्पष्टत: घटनास्थल के बारे में कथन किया है और इसके संबंध में अंतर उद्भूत नहीं हुआ था। उपहतियाँ जो तेज धार वाले हथियार पर गिरने के कारण हो सकती है के संबंध में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है किंतु अ०सा० 2, 3 एवं 6 के बयान की दृष्टि में यह संदेह के परे स्थापित किया गया है कि याचीगण ने ही तलवार एवं फरसा से सूचक पर प्रहार किया था जिसने सूचक पर कटने की उपहतियाँ कारित किया जिसे चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है। अत:, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए याचीगण को दोषसिद्ध करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी परिस्थितियों पर सही प्रकार से विचार किया गया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर अपील खारिज कर दिया। अन्यथा निष्कर्षित करने का कोई कारण नहीं होने के चलते याचीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए उनके विरुद्ध पारित निर्णय एतद् द्वारा पोषित किया जाता है।

8. किंतु जहाँ तक याचीगण पर अधिरोपित दंडादेश का संबंध है, यह प्रतीत होता है कि याचीगण 1991 से अभियोजन की कठोरता का सामना कर रहे हैं याचीगण अभिरक्षा में लंबी अवधि बिताए हुए प्रतीत होते हैं। तीन उपहतियों में से दो उपहतियाँ सरल प्रकृति की पायी गयी थीं और केवल एक घोर उपहति सूचक के अंगूठा पर पायी गयी थी जो शरीर का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ निश्चय ही याचीगण को उन पर अधिरोपित दंडादेश पर पुनर्विचार किए जाने का हकदार बनाती हैं। तद्नुसार, पूर्वोक्त तथ्यों की दृष्टि में याचीगण पर अधिरोपित दंडादेश एतद् द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक उपांतरित किया जाता है।

9. दंडादेश में पूर्वोक्त उपांतरण के साथ यह आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñlhñ feJk ,o vkuUn lu] U;k;efrx.k

सीताराम महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 1377 of 2003. Decided on 18th July, 2017.

सत्र विचारण सं॰ 110 वर्ष 1995 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰–IV, बोकारो श्री गौतम महापात्र द्वारा पारित दिनांक 20.8.2003 एवं 28.8.2003 के क्रमश: दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34–हत्या-सामान्य आशय–आजीवन कारावास–अभियोजन गवाह घटना स्थल की सही चौहद्दी/वर्णन नहीं कर सके थे–घटनास्थल की चौहद्दी/वर्णन के संबंध में प्रत्येक अभियोजन गवाहों का अभिसाक्ष्य एक दूसरे से एवं अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से भिन्न है–समस्त अभियोजन गवाह एक-दूसरे से संबंधित हैं–अभियोजन गवाहों ने स्वीकार किया है कि उन्हें उसी घटना से उद्भूत होने वाले प्रति मामला के संबंध में अभिरक्षा में लिया गया था–अपीलार्थियों पर उपहतियाँ जो गंभीर प्रकृति की थी को अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है यद्यपि अभियुक्त के शरीर पर गंभीर उपहतियों को स्पष्ट करने का कर्तव्य अभियोजन का है–अभियोजन अपने कर्तव्य का पालन करने में बुरी तरह विफल रहा है जो अभियोजन के लिए घातक है–भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन मामला में, समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष सिद्ध करना अभियोजन का कर्तव्य है–अपनी निर्दोषिता सिद्ध करना अभियुक्त का कर्तव्य नहीं है–अभियुक्त से अभियोजन मामला के बारे में संदेह सृजित करने की उम्मीद की जाती है और जब एक बार अभियुक्त सफलतापूर्वक अभियोजन मामला के बारे में संदेह सृजित करता है, उसका काम पूरा हो जाता है–अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 16 से 21)

अधिवक्तागण.–Mr. Yogesh Modi, For the Appellants; Mrs. Vandana Bharti, For the State; M/s Sanjay Thakur, Subhash Chandra Prakash, For the informant.

आनन्द सेन, न्यायमूर्ति.–यह दांडिक अपील विद्वान अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी० IV, बोकारो द्वारा चास पी०एस० केस सं० 43 वर्ष 1993, जी०आर० सं० 823 वर्ष 1993 के तत्सम, से उद्भूत होने वाले सत्र विचारण सं० 110 वर्ष 1995 में पारित क्रमशः दिनांक 20.8.2003 तथा 28.8.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने अपीलार्थियों को हत्या करने का दोषी पाने पर उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उनको आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. सूचक दुर्गा प्रसाद माँझी के फर्दबयान के आधार पर अभियोजन का मामला यह है कि 25.7.1993 को प्रातः लगभग 7.30 बजे वह जेलू मांझी, चुनु मांझी, छोटू मांझी एवं कोला मांझी के साथ ''जोरिया पहाड़ी'' के निकट अपने खेत में हल चला रहा था। उस समय उसका पिता खेत की मेंड़ पर टहल रहा था। इस बीच, अभियुक्तगण अर्थात सीताराम महतो, कनकू महतो, भीष्म महतो, सरवारी महतो एवं सीताराम महतो की पत्नी एवं माता के साथ घातक हथियारों से लैस होकर वहाँ आए और उनके पिता रघुनाथ मांझी को घेर लिया। वे उसको गाली देने लगे और समस्त चार पुरुष अभियुक्तों ने उस पर फरसा एवं टांगी से प्रहार किया। सूचक के पिता ने अपनी दायीं हाथ तथा अपनी आँख के ठीक नीचे अग्रमस्तक पर उपहति पाया और वह जमीन पर गिर गया। सूचक गाँव वालों की मदद से अपने पिता को इलाज के लिए तुरन्त अस्पताल ले गया।

पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर, समस्त अभियुक्तों के विरूद्ध भा०दं०सं० की धराओं 147, 148, 149, 341, 324, 307 के अधीन चास पी०एस० केस सं० 43 वर्ष 1993 दर्ज किया गया था। इलाज के दौरान घायल रघुनाथ मांझी की मृत्यु हो गयी, अतः, बाद में भा०दं०सं० की धारा 302 जोड़ी गयी थी। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने समस्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जिसे एस० टी० केस सं० 110 वर्ष 1995 के रूप में दर्ज किया गया था।

3. वर्तमान अपीलार्थियों सहित पाँचों अभियुक्तों के विरूद्ध भा०दं०सं० की धाराओं 147, 148, 149, 307, 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे जिनके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया है जो निम्नलिखित है:–

1- v0 lk0 1 xkjk pn ek>h u ?kVuk dk p'enhn xokg gku dk nkok fd;kA

2- v0 lk0 2 txy ek>h u Hkh ?kVuk dk p'enhn xokg gku dk nkok fd;kA

3- v0 lk0 3 NkV ek>h u Hkh ?kVuk dk p'enhn xokg gku dk nkok fd;kA

4- v0 lk0 4 tiy ek>h u ?kVuk dk p'enhn xokg gku dk nkok fd;kA

5- v0 lk0 5 pke ek>h mQ HkVj ek>h u Hkh ?kVuk dk p'enhn xokg gku dk nkok fd;kA

6- v0 lk0 6 nxk ilkn ek>h erd dk i= g vkj ekey dk lpd g vkj p'enhn xokg gku dk nkok fd;k gA

7- v0 lk0 7 Mk0 vouh'k dekj pkèkjh u erd d 'kjhj dk 'ko ijh{k.k fd;kA

8- v0 lk0 8 cyno ikM ekey dk vUo"k.k vfèkdkjh gA

5. शव परीक्षण रिपोर्ट एवं फर्दबयान जैसे दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे और क्रमशः प्रदर्श 3 एवं 2/1 चिन्हित किए गए थे। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर प्रदर्शित किए गए थे और प्रदर्श 1 एवं 1/1 चिन्हित किए गए थे और फर्दबयान में दुर्गा प्रसाद मांझी (सूचक) का हस्ताक्षर भी प्रदर्शित एवं प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया था। फर्दबयान में पृष्ठांकन प्रदर्शित एवं प्रदर्श 2/2 चिन्हित किया गया था।

6. बचाव पक्ष ने भी तीन गवाहों को पेश किया है। वे ब०सा० 1 भीष्म महतो, ब०सा० 2 डॉ० रतन केजरीवाल एवं ब०सा० 3 विख्य कुमार मंडल हैं। बचाव द्वारा किराया रसीद भी प्रदर्शित किया गया है जिसे प्रदर्श A चिन्हित किया गया है। जी०आर० सं० 824 वर्ष 1993 (प्रति मामला) में प्राथमिकी की प्रमाण पत्रित प्रति भी प्रदर्शित की गयी थी और प्रदर्श B चिन्हित की गयी थी। अभियुक्तों की उपहति रिपोर्ट की छाया प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गयी थी एवं प्रदर्श X1 एवं X2 चिन्हित की गयी थी।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के बाद, दं०प्र०सं० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए थे।

8. विचारण न्यायालय ने पक्षों की ओर से तर्कों को सुनने के बाद एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के बाद दिनांक 20.8.2003 के निर्णय के तहत अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उनको आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। क्रमशः दिनांक 20.8.2003 तथा 28.8.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को चुनौती देते हुए इन अपीलार्थियों ने इस अपील को दाखिल किया है।

9. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलार्थीगण निर्दोष हैं और अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। वह आगे निवेदन करते हैं कि साक्ष्य से यह सुस्पष्ट है कि घटना की उत्पत्ति सद्भावपूर्ण भूमि विवाद है, जिसके

लिए अपीलार्थियों को भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता थ। वह यह निवेदन भी करते हैं कि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दूर-दूर तक यह सुझाने के लिए अभिलेख पर सामग्री उपलब्ध नहीं है कि मृतक की हत्या करने का आशय था और इसलिए ऐसे आशय की कमी के कारण भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि पूर्णत: दोषपूर्ण है। आगे यह निवेदन किया गया है कि गवाहों के अभिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है, जो स्पष्टत: सुझाते हैं कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं और सच नहीं बोल रहे हैं। वह यह निवेदन भी करते हैं कि समस्त गवाह हितबद्ध व्यक्ति हैं और वे एक दूसरे से संबंधित है और उसी गाँव के निवासी नहीं है जो घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में गंभीर संदेह सृजित करती हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन द्वारा सच्ची कथा का दमन किया गया है और वस्तुत: सूचक पक्ष हमलावर था और अपीलार्थीगण ने संपत्ति एवं शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया और प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग करते हुए, यह घटना हुई। अंत में निवेदन किया गया है कि अभियोजन अभियुक्तों के शरीर पर उपहति स्पष्ट करने में विफल रहा, जो अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण चूक है और इस आधार पर अपीलार्थियों के अधिवक्ता अपीलार्थियों को दोषमुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

10. दूसरी ओर, विद्वान अपर पी०पी० निवेदन करते हैं कि यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि पर काबिज थे। वह आगे निवेदन करते हैं कि इस मामले के तथ्यों पर और बचाव द्वारा दिए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वर्तमान मामले में आधार नहीं हो सकता है। वह यह निवेदन भी करते हैं कि समस्त चश्मदीद गवाहों ने स्पष्टत: अभियोजन मामला का समर्थन किया है और मात्र इसलिए कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं, उनका अभिसाक्ष्य ठुकराया नहीं जा सकता है। अंत में वह निवेदन करते हैं कि इस मामले में एकत्रित चाक्षुक साक्ष्य के चिकित्सीय साक्ष्य से संगत होने की दृष्टि में यह अपील खारिज किए जाने की दायी है।

11. हमने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अवर न्यायालय अभिलेख का परिशीलन किया है और अभिलेख पर उपलब्ध प्रदर्शों एवं साक्ष्य का छानबीन किया है।

12. जैसा पहले उल्लिखित किया गया है, इस मामले में आठ अभियोजन गवाह हैं जिनका परीक्षण किया गया है।

<u>अ०सा० 1 गोरा चंद मांझी</u> घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय पर वह ग्राम वृंदावनपुर के जोरिया के निकट अपने पशुओं को चरा रहा था। उस समय पर, रघुनाथ मांझी रिज पर टहल रहा था। जपलू, चुन्नु, भोटू, दुर्गा प्रसाद मांझी एवं जगलू बीज बोने के लिए खेत तैयार कर रहे थे। इस बीच, सीताराम महतो ने टंगला (तेज धार वाला हथियार) से रघुनाथ मांझी के मस्तक पर एवं कनकू महतो ने टंगला से मस्तक के दाएँ भाग पर प्रहार किया। तत्पश्चात, भीष्म महतो ने फरसा से पीछे से उसकी छाती पर प्रहार किया। सरवनी महतो फरसा लिए था और वह रघुनाथ महतो पर प्रहार कर रहा था जब वह गिर गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि सीताराम महतो की पत्नी एवं माता भी वहाँ थी और उन सबों ने रघुनाथ मांझी को घेर लिया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हो गयी।

प्रति-परीक्षण में, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय पर वह घटनास्थल से लगभग 10-15 फीट दूर अपना पशु चरा रहा था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसके एवं रघुनाथ मांझी के सिवाए वहाँ कोई नहीं था। झगड़ा होने पर, सीताराम महतो की माँ तथा पत्नी वहाँ आए। घटना स्थल के निकट

सीताराम महतो एवं अन्य अभियुक्तों का खेत है। उसने कथन किया कि पक्षों के बीच भूमि विवाद था और वह नहीं जानता है कि जमीन किसके नाम से दर्ज है। उसने यह कथन भी किया कि उसी घटना के लिए सीताराम महतो ने दुर्गा मांझी, उसके पिता, रघुनाथ मांझी एवं उसके पाँच कजिन के विरूद्ध प्रतिमामला दर्ज किया था।

अ०सा० 2 जंगलू मांझी है जो भी घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह बीज बोने के लिए खेत तैयार कर रहा था और रघुनाथ मांझी खेत के मेढ़ पर था। इस बीच, सीताराम महतो टांगला से लैस होकर, कनकू महतो टांगला से लैस होकर, सरवनी महतो एवं भीष्म महतो फरसा से लैस होकर, सीताराम की पत्नी लाठी से लैस होकर और सीताराम की माता कोई हथियार लिए बिना रघुनाथ मांझी को घेर लिया और उसे गाली देने लगे। सीताराम महतो ने टंगला से रघुनाथ मांझी के मस्तक पर प्रहार किया। कनकू महतो ने टांगला से रघुनाथ मांझी की आँख के दाएं भाग पर प्रहार किया। भीष्म महतो ने फरसा से मृतक की छाती पर प्रहार किया। प्रहार के बाद मृतक जमीन पर गिर गया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने एवं महेश्वर मांझी ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया था जिसे प्रदर्श 1 एवं 1/1 चिन्हित किया गया है।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसी घटना के लिए उसे गिरफ्तार भी किया गया था किंतु मामले में उसे निर्मुक्त किया गया था। उसने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल के चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का कथन करते हुए घटना स्थल की चौहद्दी दिया है जहाँ रघुनाथ मांझी की भूमि है।

अ०सा० 3 छोटू मांझी भी घटना का चश्मदीद गवाह है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय पर वह जेलू मांझी, चुन्नु मांझी, जेलू मांझी एवं रोबिन मांझी के साथ रघुनाथ मांझी के खेत में काम कर रहा था और बीज बोने के लिए खेत तैयार कर रहा था। इस बीच, सीताराम महतो, कनकू महतो, सरवनी महतो, भीष्म महतो, सीताराम महतो की पत्नी एवं माता हथियारों के साथ आए और रघुनाथ मांझी को घेर लिया और उसे गाली देने लगे। सीताराम महतो ने टंगला से रघुनाथ मांझी के अग्रमस्तक पर प्रहार किया। कनकू महतो ने रघुनाथ मांझी के ललाट पर टंगला से वार किया। भीष्म महतो ने फरसा के पिछले हिस्से से रघुनाथ महतो की छाती पर प्रहार किया। सरवनी महतो ने फरसा से रघुनाथ महतो की दोनों कोहनियों पर प्रहार किया। रघुनाथ महतो की मृत्यु इलाज के क्रम में हो गयी।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि भय के कारण उन्होंने घटना के समय पर हल्ला नहीं किया था। वह नहीं जानता था कि क्या सीताराम महतो एवं कनकू महतो भी उसी घटना में घायल हुए थे। पुलिस ने उसी घटना के संबंध में उसे एवं दुर्गा मांझी को गिरफ्तार किया था।

अ०सा० 4 जपलू मांझी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के समय पर वह खेत जोत रहा था। उसी समय सीताराम महतो टंगला लिए, कनकू महतो टंगला लिए, भोगेन्द्र उर्फ भीष्म फरसा लिए, सरवनी महतो फरसा लिए, सीताराम की पत्नी लाठी लिए और सीताराम की माता हथियार के बिना खेत में आए और रघुनाथ मांझी पर प्रहार किया। सीताराम महतो एवं कनकू महतो ने टंगला से रघुनाथ मांझी के मस्तक एवं आँख पर प्रहार किया। रघुनाथ मांझी ने अपनी छाती, हाथ एवं शरीर पर भी उपहति पाया।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि सीताराम महतो ने टंगला से रघुनाथ मांझी के अग्रमस्तक के दाएँ भाग पर प्रहार किया। कनकू महतो ने टंगला से रघुनाथ मांझी के दाएँ आँख के उपर प्रहार किया। जब रघुनाथ मांझी जमीन पर गिर गया, सरवनी महतो ने फरसा से उसकी छाती पर प्रहार

किया। सरवनी महतो ने रघुनाथ मांझी पर फरसा के पिछले हिस्सा से उसके हाथ पर प्रहार किया। सरवनी महतो ने भी कुछ उपहति पाया था। रघुनाथ मांझी बेहोश हो गया और उसे खाट पर गाँव ले जाया गया था। वह नहीं जानता था कि क्या सीताराम महतो एवं कनकू महतो ने कोई उपहति पाया था या नहीं।

अ०सा० 5 चामू मांझी उर्फ भुटुर मांझी चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि सीताराम महतो, कनकू महतो, भीष्म महतो, सरवनी महतो, सीताराम महतो की पत्नी एवं माता आए और रघुनाथ मांझी को घेर लिया। सीताराम महतो एवं कनकू टंगला लिए थे। भीष्म एवं सरवनी फरसा लिए थे और सीताराम की पत्नी लाठी लिए थी। सीताराम ने रघुनाथ के अग्रमस्तक पर प्रहार किया। कनकू महतो ने टंगला से रघुनाथ की दायीं आँख के निकट प्रहार किया। भीष्म महतो ने फरसा के पिछले भाग से उसकी छाती पर प्रहार किया। सरवनी महतो ने फरसा से मृतक की हाथ पर प्रहार किया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि चार व्यक्तियों ने मृतक पर प्रहार किया था और शेष उसे गाली दे रहे थे।

अ०सा० 6 दुर्गा प्रसाद मांझी है जो मृतक का पुत्र तथा मामले का सूचक है। वह भी इस मामला का चश्मदीद गवाह होने का दावा करता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के दिन पर वह जंगलू मांझी, छोटू मांझी, जेलू मांझी एवं कोका मांझी के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। इस बीच, सीताराम महतो एवं कनकू महतो टंगला लिए, भीष्म महतो एवं सरवनी महतो फरसा लिए वहाँ आए। सीताराम की पत्नी लाठी लिए थी और सीताराम की माता भी वहाँ आयी और रघुनाथ मांझी को घेर लिया। सीताराम ने रघुनाथ के अग्रमस्तक के दाएं भाग पर प्रहार किया। कनकू महतो ने टंगला से दायीं आँख के नीचे प्रहार किया और इस प्रकार, वह गिर गया। तत्पश्चात, भीष्म महतो ने फरसा के पिछले भाग से मृतक की छाती पर प्रहार किया। सरवनी महतो ने फरसा से मृतक के हाथ पर प्रहार किया। अगले दिन, इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हो गयी। उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 2 चिन्हित किया गया है।

प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह अपने पिता (मृतक) के निकट पहुँचा, अभियुक्तगण भाग गए थे। वह नहीं कह सकता था कि क्या सीताराम महतो एवं कनकू महतो घायल हुए थे या नहीं। उसने कथन किया कि वह उसी घटना के लिए कारा गया था। प्रतिपरीक्षण में, उसने भूमि की चौहद्दी दिया जहाँ घटना हुई थी। उसने कथन किया कि उसका भतीजा भी उसी घटना के लिए अभिरक्षा में गया।

अ०सा० 7 डॉ० अवनीश कुमार चौधरी ने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया। उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया है। उन्होंने दो बाह्य जख्म पाया:–

(i) [kkiMh d okYV d nk, Hkkx ij yxHkx 5" × 1/2" ×, Øfu;y dfoVh rd xgjk dVu dk t[eA

(ii) vxeLrd d nk, Hkkx ij gekVkek@foPNnu ij ÝVy vfLFk d ,Vjk ikLVhfj;yh vofLFkr MhiLM ÝDpj fonh.krk ,o dV;tu d :i e cu d nk, ÝVy ykc dk migfr;k d lkFk nk, ÝVy lkbul e tkrk nk, Hkkx e n[kk x;kA

डॉक्टर का मत निम्नलिखित है:–

(i) migfr;k rt èkkjoky gfFk;kj }kjk dkfjr eR; io FkhA

(ii) cu d vnj fo'kky vkrfjd ,o ,DlVk Øfu;y gejt d ifj.kkeLo:i vk?kkr ,o dkek d l;Dr iHkko d dkj.k eR; gb FkhA cu dk migfr ugh gb FkhA

(iii) eR; l 'ko ijh{k.k rd chrk le; 24 ?kVk d Hkhrj A

<u>अ०सा० 8 बलदेव पांडे</u> मामले का अन्वेषण अधिकारी था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि दुर्गा मांझी अपने घायल पिता जिसे अस्पताल भेजा गया था के साथ पुलिस थाना आया था। उसने अस्पताल में दुर्गा मांझी का बयान दर्ज किया। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि घटनास्थल खाता सं० 22, क्षेत्रफल 7 एकड़, मौजा भागाबंध की सीताराम महतो (अपीलार्थी सं० 1) की रिक्त भूमि है। उसने कथन किया कि पक्षों के बीच भूमि विवाद है क्योंकि सूचक भूखंड के पश्चिम भाग से खेत जोतने का प्रयास कर रहा है। वह घटनास्थल का निम्नलिखित वर्णन देता है: उत्तर–रघुनाथ मांझी की भूमि; दक्षिण–सीताराम महतो (अपीलार्थी सं०1) की भूमि; पूर्व–सीताराम महतो की भूमि और वन विभाग का खाली भूखंड और पश्चिम–सीताराम महतो की भूमि और तत्पश्चात नहर भूखंड के पश्चिम दक्षिण कोना पर पैर के निशान थे जिससे यह प्रतीत हुआ कि यहाँ घटना हुई थी। उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सिद्ध किया जिसे प्रदर्श 1/2 चिन्हित किया गया है। उसने औपचारिक प्राथमिकी भी सिद्ध किया जिसे प्रदर्श 4 चिन्हित किया गया है। उसने आगे फर्दबयान एवं फर्दबयान पर दुर्गा मांझी का हस्ताक्षर सिद्ध किया है जिसे क्रमशः प्रदर्श 2/1 एवं 2 चिन्हित किया गया है। उसने फर्दबयान में किया गया पृष्ठांकन भी सिद्ध किया जिसे प्रदर्श 2/2 चिन्हित किया गया है।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने घायल का बयान नहीं लिया था। उसने घटनास्थल पर रक्त नहीं देखा था। उसने घायल का वस्त्र एवं हथियार जब्त नहीं किया था। उसने कथन किया कि उसी घटना के लिए प्रति मामला चास पी०एस०केस सं० 44/1993 दर्ज किया गया था जिसमें दुर्गा मांझी एवं अन्य को अभियुक्त बनाया गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्तों सीताराम महतो एवं कनकू महतो का भी अस्पताल में इलाज किया गया था। गवाहों अर्थात जेलू मांझी, जंगलू मांझी, चुन्नु मांझी एवं छोटू मांझी का बयान कारा में दर्ज किया गया था। पैराग्राफ 24 में, उसने कथन किया कि जेलू, जपलू, चुन्नु एवं छोटू ग्राम परटांड के निवासी हैं और वे सगे भाई हैं और वे भी गाम वृंदावनपुर में निवास करते हैं। उसने कथन किया कि वह नहीं कह सकता है कि क्या इन गवाहों की ग्राम वृंदावनपुर में कोई भूमि है या नहीं।

13. बचाव ने भी तीन गवाहों का परीक्षण किया है जो निम्नलिखित है:–

<u>ब०सा० 1 भीष्म महतो</u> ने अभिसाक्ष्य दिया कि हल्ला सुनकर वह घटना स्थल पर आया और देखा कि सीताराम महतो एवं कनकू महतो खेत में पड़े थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि दुर्गा मांझी, जेलू मांझी, जगलू मांझी, चुन्नु मांझी उर्फ चुनुर मांझी, छोटू मांझी, लेबिन मांझी ने सीताराम एवं कनकू पर प्रहार किया। जब वर्तमान गवाह घटना स्थल पर आया, उसने सूचक पक्ष को घटनास्थल से जाते देखा।

प्रति परीक्षण के दौरान, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि वह दस मिनट बाद घटनास्थल पर आया था।

<u>ब०सा० 2 डॉ० रतन केजरीवाल</u> है जिन्होंने अभियुक्तों अर्थात सीताराम महतो (अपीलार्थी सं० 1) का परीक्षण किया और निम्नलिखित उपहति पाया:–

(i) BMMh ij 1cm × 0.3 cm × 0.5 cm dk fonh.k t[e

(ii) ycknk d fudV lfXxVy LVpj d ck, ik'o ijhVy vfLFk ij 2.5cm × 0.03 cm × 0.5cm dk fonh.k t[e

(iii) vkDlhiUV ij dVu dk t[e& 2 cm × 0.4 cm × 0.5 cm (pkIM)

(iv) vfLFk ij lkeu vkr ,likU;jkfll d bjktu d lkFk lfXxjy LVpj d lekukrj ,o lfXxjy LVpj d nk, ik'o ifjVy vfLFk ij 3.5 cm × 0.5cm dk dVu dk t[e (pkSM)

(v) ck, dèkk tkM ij 2cm dh [kjkp] xkykdkj

(vi) nk, ckg feM tku ij 3cm dh [kjkp] xkykdkj

(vii) nk, Ldkiyk mijh vkèkk d ehfM;y lkbM ij 4 cm × 2 cm dk [kjkp@ nk, Ldkiyk d uhp 3cm × 2cm dk [kjkpA

उन्होंने मत दिया कि उपहति सं॰ 3 एवं 4 तेज धारवाले हथियार के कारण हुई है और उपहति सं॰ 4 गंभीर प्रकृति की है।

उन्होंने कनकू मांझी (अपीलार्थी सं॰2) का भी परीक्षण किया और निम्नलिखित तीन उपहतियाँ पाया:–

(i) ,likU;jkfll d botu d lkFk vkDlhiUV ij 4cm × 5cm dk dVu dk t[e (plM)

(ii) MyVok;M ij nk, dèkk tkM ij 2cm × 2cm dk [kjkp

(iii) ck, Ldkiyk d mijh tku ij 2cm × 1 cm dk [kjkpA mUgku er fn;k fd migfr lO 1 xHkhj idfr ,o rt èkkjoky gfFk;kj d dkj.k gA

<u>ब॰सा॰ 3 विख्य कुमार मंडल</u> है। इस गवाह ने भूमि जहाँ घटना हुई का लगान रसीद प्रस्तुत किया जिसे प्रदर्श A चिन्हित किया गया है। यह रसीद अपीलार्थी के पक्ष में है।

14. इस प्रकार, साक्ष्य के विश्लेषण से हम पाते हैं कि अभियोजन गवाहों ने कथन किया है कि अपीलार्थी सं॰1 सीताराम महतो ने टंगला से रघुनाथ मांझी के मस्तक पर प्रहार किया और अपीलार्थी सं॰ 2 कनकू महतो ने टंगला से मस्तक के दाएँ भाग पर प्रहार किया और जब रघुनाथ जमीन पर गिर गया, भीष्म महतो ने फरसा के पिछले हिस्से से मृतक की छाती पर प्रहार किया और सरवनी महतो ने भी फरसा से मृतक पर प्रहार किया। अन्य गवाहों के बयान भी समरूप हैं। इस प्रकार, अभियोजन गवाहों के बयान के मुताबिक मृतक के मस्तिष्क पर दो, छाती पर एक एवं दोनों कोहनियों पर भी प्रहार किया गया था। मृतक के मस्तक पर प्रहार टंगला (तेज धार वाला हथियार) से किया गया था तथा छाती पर एवं दोनों कोहनियों पर फरसा के पिछले हिस्सा से प्रहार किया गया था।

15. चाक्षुक गवाहों का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य अर्थात अ॰सा॰ 7 (डॉक्टर) के साक्ष्य द्वारा पूर्णत: संपुष्ट नहीं किया गया है। डॉक्टर अ॰सा॰ 7 ने केवल दो उपहतियाँ पायी, एक खोपड़ी के दाएँ भाग पर कटने का जख्म एवं मृतक के अग्रमस्तक के दाएँ भाग पर हेमाटोमा किंतु उन्होंने कोहनियों के किसी भाग पर अथवा छाती पर कोई उपहति नहीं पाया था।

16. आगे अभियोजन गवाह घटना स्थल की सही चौहद्‌दी/वर्णन नहीं दे सके थे। घटनास्थल के चौहद्‌दी/वर्णन के संबंध में प्रत्येक अभियोजन गवाह का अभिसाक्ष्य एक–दूसरे से और अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से भिन्न है। अन्वेषण अधिकारी ने भूमि का स्पष्ट विवरण दिया और कथन किया कि यह अपीलार्थी सं॰ 1 की है। यह स्थापित किया गया है कि समस्त अभियोजन गवाह एक–दूसरे से संबंधित हैं। अन्वेषण अधिकारी अपने साक्ष्य में कहता है कि अभियोजन गवाह विभिन्न गाँव के हैं यद्यपि वे उस

गाँव में रह रहे हैं जिसमें घटना हुई है। आई०ओ० ने अपने साक्ष्य में अभिसाक्ष्य दिया कि वह सत्यापित नहीं कर सका था कि क्या इन अभियोजन गवाहों की ग्राम वृंदावनपुर में कोई अचल संपत्ति है जहाँ घटना हुई हैं। बचाव ने साक्ष्य के दौरान सुझाया है कि अभियोजन गवाह विभिन्न गाँवों से घटना स्थल पर आए थे। यह सुझाता है कि बचाव का अभिवचन यह है कि गवाह विभिन्न गाँवों से घटना स्थल पर आए और वे ग्राम वृंदावनपुर के निवासी नहीं है और वस्तुत: उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

17. अभियोजन गवाहों ने स्वीकार किया है कि उन्हें उसी घटना से उद्भूत होने वाले प्रति मामला के संबंध में अभिरक्षा में लिया गया था। इस प्रकार, यह तथ्य कि प्रति मामला दर्ज किया गया है, अभियोजन गवाहों द्वारा स्वीकार किया गया है।

18. इस मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह अन्वेषण अधिकारी है जो घटनास्थल का विवरण देता है और उसने अभिसाक्ष्य दिया कि भूमि जिसके लिए घटना हुई है, अपीलार्थी सं० 1 की है और ब०सा० 3 द्वारा प्रदर्शित लगान रसीद भी उक्त तथ्य का समर्थन करता है। आगे हम पाते हैं कि अपीलर्थी सं० 1 एवं 2 के शरीर पर उपहतियाँ थी। आगे, आई०ओ० ने कथन किया है कि अपीलार्थी सं० 1 एवं 2 अस्पताल में थे और उनका इलाज किया गया था क्योंकि उन्होंने उपहतियाँ पायी थी। उक्त प्रहार के लिए, प्रति मामला दर्ज किया गया था जो स्वीकृत तथ्य है। डॉक्टर (ब०सा० 2) जिन्होंने अपीलार्थी सं०1 एवं 2 का परीक्षण किया ने अपीलार्थी सं० 1 एवं 2 पर गंभीर उपहतियाँ पाया किंतु इन उपहतियों को अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजन सही तथ्य के साथ नहीं आया है। उन्होंने कुछ दबाने का प्रयास किया जो मामला की जड़ तक जाता है।

19. भा०दं०सं० की धारा 302 के अधीन मामला में, समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त का दोष सिद्ध करना अभियोजन का कर्तव्य है। अपनी निर्दोषिता सिद्ध करना अभियुक्त का कर्तव्य नहीं है। अभियुक्त से अभियोजन मामला के बारे में संदेह सृजित करने की उम्मीद की जाती है और जब एक बार अभियुक्त सफलतापूर्वक अभियोजन मामला के बारे में संदेह सृजित करता है, उसका काम पूरा हो जाता है।

20. इस मामला में, आई०ओ० के साक्ष्य से, अभियोजन मामला में संदेह घुस गया है। आई०ओ० के साक्ष्य के मुताबिक, यह सुस्पष्ट है कि भूमि अभियुक्तों की है और अन्य अभियोजन गवाहों से भी, यह स्पष्ट है कि उसी घटना के लिए एक प्रति मामला था। आगे, अपीलार्थी सं०1 एवं 2 घायल हुए थे और उनकी कुछ उपहतियाँ गंभीर प्रकृति की थी और यह इस संभावना को उद्भूत करता है कि अपीलार्थियों पर ही सूचक दल द्वारा हमला किया गया था जिसने अपीलार्थी सं०1 एवं 2 के शरीर पर गंभीर उपहतियाँ कारित किया और अपना जीवन एवं संपत्ति बचाने के लिए उन्होंने (अपीलार्थियों ने) प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया जिसका परिणाम मृतक रघुनाथ मांझी की मृत्यु में हुआ। आगे, हम पाते हैं कि अपीलार्थियों पर उपहतियों, जो गंभीर प्रकृति की थीं, को अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है यद्यपि अभियोजन पर अभियुक्त के शरीर पर उपहतियों को स्पष्ट करने का कर्तव्य है। अभियोजन अपने कर्तव्य का पालन करने में बुरी तरह विफल रहा है जो अभियोजन के प्रति घातक है। यह इस धारणा को जन्म देता है कि सच्चे तथ्य एवं मामला की उत्पत्ति का अभियोजन द्वारा दमन किया गया है।

21. इस प्रकार, उपर जो चर्चा की गयी है, उससे हम पाते हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है, जो समस्त अभियुक्तों को दोषमुक्ति का

हकदार बनाता है। इस प्रकार, निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है। अभियुक्तों को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी सं॰ 2, 3 एवं 4 अर्थात क्रमशः कनकू महतो, भीष्म महतो एवं सरवनी महतो जमानत पर हैं, उन्हें उनके जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अपीलार्थी सं॰1 सीताराम महतो जो अभिरक्षा में है तुरन्त निर्मुक्त किया जाए यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है। निर्णय एवं अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त संबंधित विचारण न्यायालय को भेजे जाएँ।

22. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती हैं।

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.—मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jkt 'k 'kdj] U;k;efr

अजय मुंडा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 3750 of 2006. Decided on 1st August, 2017.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 46 (4A)(a)—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 11—भूमि का पुनर्स्थापन—अनिर्णीत विषय के आधार पर पुनर्स्थापन मामला की खारिजी—सी॰पी॰सी॰ की धारा 11 के निबंधनानुसार अनिर्णीत विषय का सिद्धांत भी अधिनियम के अधीन कार्यवाही में प्रयोज्य नहीं है—मूल आवेदक प्रत्यर्थियों के विरूद्ध उसी भूमि के लिए अपने द्वारा लायी गयी दो क्रमवार कार्यवाहियों को गवाँ दिया था और पूर्व कार्यवाहियों में पारित आदेश अंतिम बन गए हैं—सह आवेदक द्वारा लायी गयी प्रश्नगत भूमि के पुनर्स्थापन के लिए नयी कार्यवाही जिसमें मूल आवेदक को सह आवेदक के रूप में मध्यक्षेप करने की अनुमति भी दी गयी थी, अनिर्णीत विषय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है—पुनर्स्थापन मामला 12 वर्षों की परिसीमा अवधि के परे दाखिल किया गया था—अनिर्णीत विषय के सिद्धांत द्वारा वर्जित होने के नाते आवेदन, अपील एवं पुनरीक्षण अस्वीकार करते हुए अवर न्यायालयों द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होते है—रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 18, 23, 26, 27 एवं 28)

निर्णयज विधि.—2010 (4) JLJR 415; 2004 (3) JLJR 205; 1999 (3) PLJR 977; 2008 (2) JLJR 538—Distinguished; 2010 (4) JCR 51 (Jhr); 2004 (1) JCR 237—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. M.L.K.Chitra, For the Petitioner; Mr. J.C to S.C (L&C), For the Respondent Nos.1-4; Mr. A.K.Sahani, For the Respondent Nos.5-9; Mr. N.Mahto, For the Respondent No.10.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 21/1999 में प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 46(4A) (a) के अधीन पारित दिनांक 27.7.2000 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 3) भूमि पुनर्स्थापन अपील सं॰ आर॰ए॰एन॰ 13/2000 में प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा अपील में पारित दिनांक 8.8.2001 का आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 4) और भूमि पुनर्स्थापन पुनरीक्षण सं॰ 124/2001 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 24.1.2006 का आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 5) के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है।

2. मामले की ताथ्यिक पृष्ठभूमि यह है कि रामसती मुंडा और भथुआ मुंडा ने विवादित भूमि का कब्जा वापस पाने के लिए बिगल महतो एवं माया राम महतो के विरूद्ध 1.12.1966 को अभिधान वाद

सं॰ 1069/1966 दाखिल किया। उक्त वाद बिगल महतो एवं माया राम महतो (वर्तमान प्रतिवादीगण) का कब्जा अभिपुष्ट करते हुए पक्षों के बीच सुलह के आधार पर दिनांक 4.5.1967 के आदेश के तहत निपटाया गया था। बाद में, रामसती मुंडा द्वारा बिगल महतो एवं अन्य के विरूद्ध भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 297/1974 संपूर्ण भूमि के पुनर्स्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 46(4A) (a) के अधीन दाखिल किया गया था। उक्त मामले में, भथुआ मुंडा (याची का पिता) ने दिनांक 12.12.1974 का शपथपत्र अन्य बातों के साथ यह कथन करते हुए दाखिल किया कि रामसती मुंडा उसका सगा भाई है। इसके अतिरिक्त, उसके द्वारा दाखिल पुनर्स्थापन आवेदन पोषणीय नहीं है और बिगल महतो एवं माया राम महतो विगत 30 वर्षों से उक्त संपत्ति पर लगातार काबिज बने हुए हैं। भथुआ मुंडा ने यह भी स्वीकार किया कि वाद में दाखिल सुलह याचिका वास्तविक थी और कपट नहीं किया गया था। भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 297/1974 की कार्यवाही में भूसुधार उपसमाहर्ता, हजारीबाग के आदेश पर अंचल निरीक्षक, रामगढ़ द्वारा 15.9.1974 को इस प्रभाव का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कि विरोधी पक्षकार (बिगल महतो एवं अन्य) अनेक वर्षों से प्रश्नगत भूमि पर काबिज थे और उनके नाम भी अंचल कार्यालय, रामगढ़ में रजिस्टर II (अभिधृति लेजर रजिस्टर) में नामांतरित किए गए थे। तद्नुसार, दिनांक 13.1.1975 के आदेश के तहत रामसती मुंडा की प्रेरणा पर संस्थित भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 297/1974 परिसीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज किया गया था क्योंकि पुनर्स्थापन के लिए उक्त आवेदन 12 वर्ष की अवधि के भीतर दाखिल नहीं किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया गया था।

3. वर्ष 1980 में, रामसती मुंडा द्वारा 7.82 एकड़ माप वाली भूमि के पुनर्स्थापन के लिए एक अन्य भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 98/1980 उक्त अधिनियम की धारा 46(4A)(a) के अधीन दाखिल किया गया था और दिनांक 1.11.1980 के आदेश के तहत उपायुक्त, सदर, हजारीबाग ने उक्त पुनर्स्थापन आवेदन खारिज कर दिया।

4. भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 98/1980 में पारित दिनांक 1.11.1980 के आदेश से व्यथित होकर, रामसती मुंडा ने भूमि पुनर्स्थापन अपील सं॰ 13/1980 दाखिल किया और दिनांक 5.11.1982 के आदेश द्वारा अपर समाहर्ता, हजारीबाग ने दिनांक 1.11.1980 का आदेश अभिपुष्ट करते हुए उक्त अपील खारिज कर दिया जिसके द्वारा भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 98/1980 खारिज किया गया था। किंतु, रामसती मुंडा द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया गया था। बाद में, प्रकाश मुंडा (रामसती मुंडा का पुत्र) द्वारा माया राम महतो एवं अन्य के विरूद्ध एक अन्य भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 21/1999 दाखिल किया गया था जिसमें भथुआ मुंडा, याची का पिता (रामसती मुंडा का भाई) ने मध्यक्षेपी याचिका दाखिल किया जिसे दिनांक 17.7.2000 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। अंततः, दिनांक 27.7.2000 के आदेश के तहत भू सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने न्यायनिर्णीत एवं परिसीमा द्वारा वर्जित के आधार पर भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 21/1999 खारिज कर दिया।

5. भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 21/1999 में पारित दिनांक 27.7.2000 के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रकाश मुंडा ने कोई अपील दाखिल नहीं किया था, बल्कि भथुआ मुंडा (याची का पिता) ने भूमि पुनर्स्थापन अपील सं॰ 13/2000 दाखिल किया जिसे अपर समाहर्ता, हजारीबाग द्वारा दिनांक 8.8.2001 के आदेश के तहत खारिज किया गया था।

6. मूल न्यायालय एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से व्यथित होकर, भथुआ मुंडा ने भूमि पुनर्स्थापन पुनरीक्षण सं॰ 124/2001 दाखिल किया जिसे भी आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर डिविजन, हजारीबाग द्वारा दिनांक 24.1.2006 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज किया गया था कि पुनर्स्थापन आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है क्योंकि भथुआ मुंडा ने भूमि

पुनर्स्थापन मामला सं॰ 297/1974 में दाखिल अपने शपथ पत्र में प्राइवेट, प्रत्यर्थियों का 30 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कब्जा स्वीकार किया था जिसे अंचल निरीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट द्वारा अभिपुष्ट किया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.1.2006 के अपने आदेश में यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि उक्त पुनर्स्थापन आवेदन न्यायनिर्णीत के सिद्धांत द्वारा भी वर्जित था क्योंकि प्रश्नगत भूमि के पुनर्स्थापन से संबंधित विवाद्यक पहले ही पूर्व कार्यवाही में अंतिमता प्राप्त कर चुका है।

7. यह विवादित नहीं है कि रामसती मुंडा एवं भथुआ मुंडा सगे भाई हैं। वर्तमान रिट याचिका भथुआ मुंडा द्वारा मूलत: दाखिल की गयी थी। किंतु, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, भथुआ मुंडा की मृत्यु हो गयी और उसे उसके पुत्र अजय मुंडा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

8. याची के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य निवेदन यह है कि यद्यपि भथुआ मुंडा (याची का पिता) द्वारा दाखिल मध्यक्षेप याचिका प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 21/1999 में अनुज्ञात की गयी थी, फिर भी उसे अपना कारण बताओ उत्तर दाखिल करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और इसलिए उक्त पुनर्स्थापन मामला की न्यायनिर्णीत के आधार पर खारिजी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। याची के विद्वान अधिवक्ता **रामप्यारे उपाध्याय एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** 2010(4) JLJR 415, में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हैं।

9. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि जब प्रश्नगत संपत्ति दो भाईयों अर्थात रामसती मुंडा एवं भथुआ मुंडा की थी और पुनर्स्थापन मामला केवल रामसती मुंडा द्वारा संपूर्ण भूमि के लिए दाखिल किया गया था, एक अन्य भाई अर्थात भथुआ मुंडा का अधिकार न्यायनिर्णीत का सिद्धांत लागू करते हुए वापस नहीं किया जा सकता है और भूमि के अपने भाग का पुनर्स्थापन इप्सित करने से रोका नहीं जा सकता है। यह निवेदन भी किया गया है कि ऐसी तथ्य परक स्थिति के अधीन प्रतिकूल कब्जा का तथ्य भी लागू नहीं होगा, चूँकि प्रश्नगत भूमि पर भथुआ मुंडा का हित समाप्त नहीं हो सकता है। अपने उक्त निवेदन के समर्थन में, याची के विद्वान अधिवक्ता **रंजीत थियोडोर बनाम रामावतार राम,** 2004(3) JLJR 205, मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हैं।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता **श्रीकृष्ण कुमार कंठ बनाम श्रीमती इंदुलाल देवी एवं अन्य,** 1999(3) PLJR 977 मामले में तथा **महेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** 2008(2) JLJR 538 में भी इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हैं।

11. तद्नुसार, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 24.1.2006 का आदेश, प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित दिनांक 8.8.2001 का आदेश और प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित दिनांक 27.7.2000 का आदेश गलत होने के कारण अपास्त किए जाने के दायी हैं।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं॰ 5 से 9 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 से 9 अथवा उनके पूर्वज स्वीकृत रूप से 12 वर्ष से अधिक से प्रश्नगत भूमि पर काबिज बने हुए हैं। रामसती मुंडा द्वारा कब्जा की वापसी के लिए लाया गया अभिधान वाद सं॰ 1069/1966 भी प्रत्यर्थी सं॰ 5 से 9 के पूर्वजों का कब्जा स्वीकार करते हुए सुलह के आधार पर निपटाया गया था। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि भथुआ मुंडा (मूल रिट याची) को 12 वर्ष से अधिक के लिए प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 46(4A) (a) स्पष्टत: प्रावधानित करती

है कि पुनर्स्थापन याचिका पोषणीय है यदि इसे बेदखली की तिथि से 12 वर्षों की अवधि के भीतर लाया गया है। उक्त तथ्यों की दृष्टि में, समस्त अवर न्यायालयों ने संगत रूप से अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम की धारा 46(4A)(a) के अधीन दाखिल पुनर्स्थापन आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है।

13. प्रत्यर्थी सं॰ 5 से 9 के विद्वान अधिवक्ता **जगन बेदिया एवं अन्य बनाम कामेश्वर नारायण सिंह एवं अन्य, 2010(4) JCR 51(Jhr)** और **गड़िया ओराँव बनाम झारखंड राज्य, 2004(1) JCR 237** में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विश्वास किया है।

14. प्रत्यर्थी सं॰ 10 की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से दिए गए तर्कों को अपनाते एवं निवेदन करते हैं कि समस्त आक्षेपित आदेश विवेक के गैर इस्तेमाल से पीड़ित है और इस दशा में अपास्त किए जाने के दायी हैं।

15. प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित आदेशों का समर्थन करते हुए निवेदन करते हैं कि समस्त विद्वान अवर न्यायालयों ने सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि प्रकाश मुंडा (रामसती मुंडा का पुत्र) द्वारा वर्ष 1999 में दाखिल पुनर्स्थापन आवेदन न्यायनिर्णीत के सिद्धांत तथा परिसीमा विधि द्वारा वर्जित था।

16. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि रामसती मुंडा एवं भथुआ मुंडा ने बिगल महतो एवं माया राम महतो के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि पर कब्जा की वापसी के लिए अभिधान वाद सं॰ 1096/1966 दाखिल किया। उक्त वाद पक्षों के बीच सुलह के आधार पर बिगल महतो एवं माया राम महतो का कब्जा अभिपुष्ट करते हुए निपटाया गया था। तत्पश्चात, रामसती मुंडा द्वारा बिगल महतो एवं अन्य के विरूद्ध संपूर्ण भूमि के पुनर्स्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 46(4A)(a) के अधीन भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 297/1974 दाखिल किया गया था जिसमें भथुआ मुंडा ने दिनांक 12.12.1974 का शपथपत्र यह कथन करते हुए दाखिल किया कि रामसती मुंडा उसका सगा भाई है और उसके द्वारा दाखिल पुनर्स्थापन आवेदन पोषणीय नहीं है, क्योंकि बिगल महतो एवं अन्य 12 वर्ष से अधिक से वाद संपत्ति पर काबिज रहे हैं। भथुआ मुंडा ने भी अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया कि वाद में पक्षों के बीच हुआ सुलह वास्तविक था और कपट नहीं किया गया था। उक्त तथ्य भूमि पुनर्स्थापन पुनरीक्षण 124/2001 में पारित दिनांक 24.1.2006 के आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट 5) से प्रकट है। भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 297/1974 में अंचल निरीक्षक, रामगढ़ ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि बिगल महतो एवं अन्य प्रश्नगत भूमि पर काबिज थे और उनके नाम भी अंचल कार्यालय, रामगढ़ में रजिस्टर II में भी नामांतरित किए गए थे। तद्नुसार, रामसती मुंडा द्वारा दाखिल भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 297/1974 दिनांक 13.1.1975 के आदेश के तहत उक्त अधिनियम की धारा 46(4A)(a) के प्रावधानों के अधीन परिसीमा द्वारा यथावर्जित खारिज किया गया था। यहाँ यह ध्यान में लेना महत्वपूर्ण है कि भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 297/1974 में पारित दिनांक 13.1.1975 के आदेश के विरूद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया गया था। किंतु, रामसती मुंडा ने उक्त अधिनियम की धारा 46(4A)(a) के अधीन एक अन्य भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 98/1980 दाखिल किया जिसे पुनः उपसमाहर्ता, सदर हजारीबाग द्वारा दिनांक 1.11.1980 के अदेश के तहत खरिज किया गया था। तत्पश्चात, रामसती मुंडा ने भूमि पुनर्स्थापन अपील सं॰ 13/1980 दाखिल किया, जिसे अपर समाहर्ता, हजारीबाग द्वारा दिनांक 5.11.1982 के आदेश के तहत भूमिपुनर्स्थापन मामला सं॰ 98/1980 में पारित आदेश को अभिपुष्ट करते हुए खारिज किया गया था। रामसती मुंडा ने भूमि पुनर्स्थापन अपील सं॰ 13/1980 में पारित आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया

था। तत्पश्चात, वाद का तृतीय चक्र प्रकाश मुंडा (रामसती मुंडा का पुत्र) द्वारा माया राम महतो एवं अन्य के विरूद्ध भूमि पुनर्स्थापन मामला सं० 21/1999 दाखिल करके शुरू किया गया था। यहाँ गौर करना महत्वपूर्ण है कि उक्त पुनर्स्थापन मामला में भथुआ मुंडा ने मध्यक्षेप याचिका दाखिल किया, जिसे भूसुधार उप समाहर्ता द्वारा दिनांक 17.7.2000 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। अंतत:, उक्त पुनर्स्थापन मामला न्यायनिर्णीत एवं परिसीमा के आधार पर दिनांक 27.7.2000 के आदेश के तहत खारिज किया गया था।

17. उक्त ताथ्यिक पृष्ठभूमि के अधीन, भथुआ मुंडा (मूल याची) अभिधान वाद सं० 1069/1966 में पारित आदेश के बारे में तथा साथ ही इस तथ्य के बारे में अनभिज्ञ होने का अभिवचन नहीं कर सकता कि उसने भूमि प्रत्यावर्तन मामला सं० 297/1974 में दिनांक 12.12.1974 को शपथ-पत्र अन्य बातों के साथ यह कथन करते हुए दाखिल किया कि बिगल महतो एवं अन्य 12 वर्ष से अधिक से प्रश्नगत भूमि पर काबिज थे। यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 1999 में जब भूमि पुनर्स्थापन मामला सं० 21/1999 प्रकाश मुंडा (प्रत्यर्थी सं० 10) द्वारा दाखिल किया गया था, प्रत्यर्थी सं० 5 से 9, 30 वर्ष से अधिक से प्रश्नगत भूमि पर काबिज थे।

18. आगे, उक्त अधिनियम की धारा 265 के प्रावधानों की दृष्टि में, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को प्रयोज्य बनाया गया है। इस प्रकार, सी०पी०सी० की धारा 11 के निबंधनानुसार न्यायनिर्णीत का सिद्धांत भी उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही के प्रति प्रयोज्य है। स्वीकृत रूप से, भथुआ मुंडा प्रत्यर्थी सं० 5 से 9 के विरूद्ध उसी भूमि के लिए अपने द्वारा लायी गयी दो क्रमवार कार्यवाहियों को खो दिया और पूर्व कार्यवाहियों में पारित आदेशों ने अंतिमता प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, प्रकाश मुंडा (प्रत्यर्थी सं० 10) अर्थात रामसती मुंडा के पुत्र द्वारा लायी गयी प्रश्नगत भूमि के पुनर्स्थापन के लिए कार्यवाही जिसमें भथुआ मुंडा को सह आवेदक के रूप में मध्यक्षेप करने की अनुमति दी गयी थी, न्यायनिर्णीत सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

19. रंजीत थियोडोर बनाम रामावतार राम (ऊपर) मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सहदायिक अन्य सामुदायिक की सहमति के बिना अपना अविभाजित हित मूल्य के लिए भी अन्य संक्रांत नहीं कर सकता है जब तक अन्य संक्रामण विधिक आवश्यकता अथवा पूर्ववर्ती ऋण के भुगतान के लिए नहीं है। उक्त निर्णय भिन्न ताथ्यिक संदर्भ में दिया गया था, जिसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर प्रभाव नहीं है।

20. श्रीकृष्ण कुमार कंठ बनाम श्रीमती इंदुलाल देवी एवं अन्य (ऊपर) मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि प्रतिवाद करने वाला व्यक्ति वाद का पक्ष नहीं है, तब न्यायनिर्णीत का सिद्धांत लागू नहीं होगा। उक्त निर्णय बँटवारा वाद में सी०पी०सी० की धारा 11 के प्रभाव पर विचार करते हुए दिया गया था जिसे वर्तमान मामले के ताथ्यिक संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है।

21. राम प्यारे उपाध्याय एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (ऊपर) मामले में दिए गए निर्णय की वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि उक्त मामले में पुनरीक्षण प्राधिकारी (आयुक्त) ने उक्त मामले के याची को सुनवाई का अवसर दिए बिना रहस्यमय तरीके से पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया था।

22. इसके अतिरिक्त, **महेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (ऊपर)** मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में उक्त मामले के तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पूर्व पुनर्स्थापन कार्यवाही में पारित आदेश भूमि के सह अंशधारियों के विरूद्ध न्यायनिर्णीत के रूप में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्य से पूर्णत: भिन्न हैं। जैसा यहाँ

उपर चर्चा की गयी है कि भथुआ मुंडा ने भूमि पुनर्स्थापन मामला सं० 297/1974 में प्रत्यर्थी सं० 5 से 9 के पूर्वजों का कब्जा संपुष्ट करते हुए कि 12.12.1974 को शपथपत्र दाखिल किया। आगे वह भी अभिधान वाद सं० 1069/1966 में पक्ष था। केवल यही नहीं, भथुआ मुंडा ने भूमि पुनर्स्थापन मामला सं० 21/1999 में सह आवेदक होने के लिए मध्यक्षेप याचिका (रिट याचिका का परिशिष्ट 2) भी दाखिल किया जिसे भी भू सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा 17.7.2000 को अनुज्ञात किया गया था।

23. पूर्वोक्त ताथ्यिक पृष्ठभूमि में, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि प्रत्यर्थी सं० 10 द्वारा वर्ष 1999 में दाखिल आवेदन एवं भथुआ मुंडा (मूल रिट याची) द्वारा दाखिल अपील एवं पुनरीक्षण न्यायनिर्णीत के सिद्धांत द्वारा वर्जित था और इसलिए, आवेदन, अपील एवं पुनरीक्षण को न्यायनिर्णीत के सिद्धांत द्वारा वर्जित होने के नाते अस्वीकार करते हुए अवर न्यायालयों द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होते हैं।

24. गडिया ओराँव बनाम झारखंड राज्य (ऊपर) मामले, में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सांविधिक प्राधिकारियों ने 17 वर्ष बीतने के बाद द्वितीय पुनर्स्थापन आवेदन ग्रहण करने में सांविधिक प्रत्यर्थियों ने विधि की गलती किया जब अभिलिखित अभिधारी द्वारा दाखिल प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन पहले ही स्वीकार कर दिया गया था और उक्त अस्वीकरण आदेश समय के क्रम में एवं किसी अपील की अनुपस्थिति में अंतिम बन गया है।

25. आगे, **जगन बेदिया एवं अन्य बनाम कामेश्वर नारायण सिंह (ऊपर)** मामले में, न्यायनिर्णीत के सिद्धांत एवं परिसीमा पर विचार करते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 46(4A) (a) के प्रावधानों के प्रति लागू होता है, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^5. tgk rd vihykFkh l0 5 l 8 dk lcèk g] Hky gh mud lg v'kèkkjh gku d dkj.k U;k;fu.khr dk fl)kr iR;{kr% i;kT; ugh gk ldrk g] fdr Jherh jcuh noh }kjk iuLFkkiu nkf[ky dju dk rF; minf'kr djxk fd 1977 d igy mUg Hkfe l cn[ky fd;k x;k FkkA ;g l;Dr èkfr d ekey e lHko ugh g fd doy dN lgv'kèkkfj;k dk rrh; i{kk }kjk cn[ky fd;k tk ldrk gA***

*6- cn[ky fd, tku ij vkj ,d lg v'kèkkjh }kjk ,d d ckn ,d nk Hkfe iuLFkkiu vkonu nkf[ky fd, tku ij vU; lg v'kèkkfj;k tk iFke ,o f}rh; iuLFkkiu vkonuk dk HkkX; 'kkfriod n[kr g, cB jg ,o 20 o"k chr tku fn;k dk U;k; fu.khr dk fl)kr ykx dj iuLFkkiu d fy, vkonu nu dh vuefr ugh nh tkuh pkfg, D;kfd ;g okn dk rrh; pØ dk vkjHk vuKkr djd U;k;ky; dh ifØ;k d n#i;kx d rY; gkxkA fdr] ;gh ,d ek= vkèkkj ugh g ftl ij ge vihy [kkfjt dju d bPNd gA***

7- tgk rd vihykFkh l0 5 l 8 dk lcèk g] ;g lgh idkj l vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g fd 1977 d igy cn[ky dj fn, tku ij 1996 e fn;k x;k mudk iuLFkkiu vkonu NkVkukxij vfHkèkfr vfèkfu;e dh èkkjk 46(4A) (a) d iFke ijUrd }kjk fofgr 12 o"kk dh vuK; vofèk d ij gA Rofjr fun'k d fy, mDr ijUrd uhp m)r fd;k tkrk g%&

46(4A) (a)%&mik;Dr bl vkèkkj ij fd vrj.k miètkk (1) d f}rh; ijUrd d [kM (a) d mYy?ku e fd;k x;k Fkk] vrj.k fujflr dju d fy, vfèkHkkxh j;r tk vulfpr tutkfr dk lnL; g }kjk mld le{k nkf[ky vkonu ij vFkok Lo; viu çLrko ij ;g fofuf'pr dju d fy, fofgr rjhd

l tkp djxk fd vrj.k mièkkjk (1) d f}rh; ijUrd d [kM (a) d mYy?ku e fd;k x;k gA

ijUrq ;g fd mik;Dr }kjk ,l vkonu xg.k u fd;k tk, tc rd bl mldh èkfr vFkok mld fdlh Hkkx d vrj.k dh frfFk l ckjg o"kZ dh vofèk d Hkhrj vfèkHkkxh j;r }kjk nkf[ky ugh fd;k tkrk gA

*ijUrq vkx ;g fd bl mièkkjk d [kM (b) vFkok [kM (c) d vèkhu dkb vkn'k ikfjr dju d igy mik;Dr lcfèkr i{k dk ekey e luokbZ dk ;fDr;Dr volj nxkA***

26. यहाँ उपर चर्चा किए गए तथ्यों के आधार पर यह सामने आया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 से 9 के पूर्वज 12 वर्ष से अधिक से प्रश्नगत भूमि पर काबिज रहे थे, जबकि पुनर्स्थापन याचिका भथुआ मुंडा (मूल याची) द्वारा वर्ष 1999 में अर्थात लगभग 33 वर्ष बाद दाखिल किया गया था। अधिनियम की धारा 46(4A) (a) के अधीन पुनर्स्थापन याचिका दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि 12 वर्ष है। समस्त अवर न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्य का अधिमूल्यन किया गया था। इस प्रकार, मैं भूमि पुनर्स्थापन मामला सं॰ 21/1999 में प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित दिनांक 27.7.2000 के आक्षेपित आदेश, भूमि पुनर्स्थापन अपील सं॰ 13/2000 में प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित 8.8.2001 का आदेश और भूमि पुनर्स्थापन पुनरीक्षण सं॰ 124/2001 में प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पारित दिनांक 24.1.2006 के आदेश में परिसीमा के बिन्दु पर भी दुर्बलता अथवा अवैधता नहीं पाता हूँ।

27. परिणामस्वरूप, मैं आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

28. तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; iEkFk iVuk;d] U;k;efr

आनन्द प्रकाश एवं अन्य (6427 में)

विकाश कुमार पासवान एवं अन्य (6482 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P.(S) Nos. 6427 with 6482 of 2016. Decided on 7th July, 2017.

झारखंड लोक सेवा आयोग प्रक्रिया के नियम, 2002–नियम 5 (3)(d)–झारखंड खनन अभियांत्रिकी सेवा नियमावली, 2011–नियम 8–सहायक खनन अधिकारी के लिए साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों का संक्षिप्त सूचीकरण–उम्मीदवारों का संक्षिप्त सूचीकरण प्रक्रिया नियमावली, 2002 के नियमों के अनुकूल किया गया है और याचीगण जो उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची में स्थान नहीं पाते हैं को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का अजेय अधिकार नहीं है–याचीगण मामला बनाने में विफल रहे हैं कि उन्हें भेदभाव के अध्यधीन किया गया है अथवा अलग किया गया है क्योंकि जे०पी०एस०सी० ने एकरूप प्रक्रिया अपनाया है जो समस्त उम्मीदवारों पर प्रयोज्य है–याचीगण जे०पी०एस०सी० द्वारा चयन प्रक्रिया में किसी मनमानेपन अथवा शत्रुतापूर्ण भेदभाव अथवा प्रक्रिया नियमावली, 2002 का उल्लंघन प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं जो हस्तक्षेप आवश्यक बनाए–रिट याचिकाएँ खारिज। (पैराएँ 12, 13 एवं 14)

निर्णयज विधि.–(2004) 6 SCC 786; (2007) 8 SCC 100; (2009) 5 SCC 1; AIR 2006 SC 2339—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Kumar Vaibhav (in 6482), For the Petitioners; Mr. Rajesh Kumar, For the Respondent-State; M/s Anil Kumar Sinha, S. Piparwall, For the Respondent-JPSC.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–चूँकि दोनों रिट याचिकाओं में इप्सित अनुतोष सदृश हैं, परस्पर अधिवक्ताओं की सहमति से दोनों रिट याचिकाएँ साथ सुनी गयी और इस एक ही आदेश/ निर्णय द्वारा निपटायी जाती हैं।

2. पूर्वोक्त रिट आवेदनों में याचीगण जो दिनांक 5.8.2016 के विज्ञापन सं॰ 7/2016 के अनुसरण में सहायक खनन अधिकारी के पद पर उम्मीदवार थे ने उक्त पद के लिए साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूचीकरण की वैधता तथा औचित्यता को चुनौती दिया है जैसा झारखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक बेबसाइट में प्रकाशित किया गया है, जिसमें साक्षात्कार की नियत तिथि 10.11.2016 तथा 11.11.2016 है। याचीगण ने आगे चयन प्रक्रिया का अभिखंडन एवं उक्त नियुक्ति के प्रयोजन से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार सहित चयन प्रक्रिया में उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का प्रत्यर्थियों को निर्देश भी इप्सित किया है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने चयन प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दिया है कि जे॰पी॰एस॰सी॰ द्वारा संचालित प्रक्रिया झारखंड लोक सेवा आयोग नियमावली एवं प्रक्रिया 2002 और झारखंड खनन अभियांत्रिकी सेवा नियमावली, 2001 तथा नियमावली के संशोधन की दिनांक 20.1.2015 की पश्चातवर्ती अधिसूचना का उल्लंघन है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि लिखित परीक्षा संचालित करने के लिए विज्ञापन में दिए गए प्रावधान को दरकिनार करने में प्रत्यर्थी सं॰ 2 की कार्रवाई शक्ति का अवैध एवं मनमाना प्रयोग है और झारखंड खनन अभियांत्रिकी सेवा नियमावली, 2011 और इसके पश्चातवर्ती संशोधन से असंबद्ध है। अपना निवेदन सिद्ध करने के लिए याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **(2004)6 SCC 786 (इंदर प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू तथा कश्मीर राज्य एवं अन्य)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसके पैराग्राफ 28 पर प्रासंगिक उद्धरण यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *^^28---- èkkjk 133 d vèkhu lxf.kr ekeyk ij ykd lok vk;kx d lkFk ijke'k dju dh vko';drk gA fdr] p;u ifØ;k l xtjr g, vk;kx dk bekunkjhiod {k= e ioÙk lkfofèkd fu;ek dk vulj.k djuk gkxkA ,lk gk ldrk g fd dfri; i;ktu l] mnkgj.kLo:i] lphdj.k dju d i;ktu l] ;g Lo; viuh ifØ;k vfèkdfFkr dj ldrk gA fdr] vk;kx dk dBkjrkiod lkfofèkd fu;ek d vu:i ifØ;k vfèkdfFkr djuk gkxkA ;g dkb dkjokb ugh dj ldrk g tk vfuok;r% lkfofèkd fu;ek dk mYy?kudkjh gkxk vFkok tk bl leLr vk'k; ,o rkRi; l vioÙk cukrk gA lf{kr lphdj.k d i;ktu l Hkh] vk;kx fdlh idkj dk dV vkQ vd fu;r ugh dj ldrk gA***

4. प्रत्यर्थी झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित श्री एस॰ पिपरवाल द्वारा सहायिक विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने प्रत्यर्थी सं॰ 3 एवं 4 द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र को निर्दिष्ट करके निवेदन किया है कि खान एवं भूगर्भशास्त्र विभाग, झारखंड सरकार द्वारा भेजे गए तलब के अनुसरण में, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची ने विभिन्न कोटियों में 13 पदों के विरूद्ध खनन अधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू किया। 468 आवेदन फार्म वैध पाए गए थे और प्रक्रिया

नियमावली, 2002 के नियम 5(3)(a) एवं (b) के निबंधनानुसार जे०पी०एस०सी० ने मैट्रिकुलेशन से आवश्यक न्यूनतम अर्हता के स्तर तक प्रत्येक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को संक्षिप्त सूचीबद्ध किया। विभिन्न कोटियों के 13 पदों के विरूद्ध उम्मीदवारों की संख्या के पाँच गुने अर्थात 65 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की आवश्यकता थी और इस दशा में, प्रक्रिया नियमावली, 2002 के नियम 5(3)(b) के निबंधनानुसार 65 उम्मीदवारों को विभिन्न कोटि में साक्षात्कार के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध किया और तदनुसार 10.11.2016 तथा 11.11.2016 को संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों को साक्षात्कार संचालित करने का निर्णय किया। तत्पश्चात, जे०पी०एस०सी० ने साक्षात्कार के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों का रॉल नंबर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया और इस प्रभाव की सूचना भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उम्मीदवारों को जे०पी०एस०सी० द्वारा दी गयी थी। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया गया है कि वे आयोग की वेबसाइट से अपने साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं तथा साक्षात्कार की तिथि 10.11.2016 तथा 11.11.2016 निर्धारित की गयी है। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया गया था कि यदि संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों की सूची के विरूद्ध कोई आपत्ति है, वे आयोग के समक्ष 27.10.2016 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 10.11.2016 से 11.11.2016 तक सहायक खनन अधिकारी के संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों का साक्षात्कार भी संचालित किया और परीक्षा संचालित करने के बाद जे०पी०एस०सी० ने साक्षात्कार बोर्ड द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर वर्तमान चयन प्रक्रिया का परिणाम भी तैयार किया और केवल राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी जाती है। विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि चूँकि वर्तमान चयन प्रक्रिया के वैध आवेदन फॉर्म की संख्या 500 से न्यून थी और इस दशा में जे०पी०एस०सी० ने प्रक्रिया नियमावली, 2002 के नियम 5(3)(a) एवं (b) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के निबंधनानुसार साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को संक्षिप्त सूचीबद्ध किया और इस दशा में पूर्वोक्त प्रक्रिया के नियमों के प्रावधानों की दृष्टि में साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों के संक्षिप्त सूचीकरण में अवैधता नहीं है।

5. अपना निवेदन पुख्ता करने के लिए प्रत्यर्थी जे०पी०एस०सी० के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **(2007)8 SCC 100 (भारत संघ एवं अन्य बनाम विनोद कुमार एवं अन्य)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें पैराग्राफ 18 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:–

*^^18- ;g Hkh lLFkkfir g fd o mEehnokj tks mle vfèkdfFkr ifØ;k dk vPNh rjg tkurs g, p;u ifØ;k e Hkkx fy;k Fkk] bl pukrh nu d gdnkj ugh FkA***

6. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **(2009)5 SCC 1 (आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम बालोजी बध्वाथ एवं अन्य)** में निर्णय को निर्दिष्ट किया है जिसमें पैराग्राफ 25 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

^^25- vk;kx fdl idkj mEehnokjk dh eèkk fu.khr djxk] ;g bldk dk; gA tc rd bld }kjk viuk;h x;h ifØ;k euekuh vFkok fu"i{krk d lKkr fl)krk d fo:) vfHkfuèkkfjr ugh dh tkrh g] mPprj U;k;ky; mle euekuk :i l gLr{ki ugh djxA jkT; u ,lO tQj lkgc e mPp U;k;ky; d fu.k; d vkykd e fu;ekoyh fojfpr fd;kA vfuok;r%] blu dkb voèkrk ugh fd;kA tlk ;gk igy xkj fd;k x;k g] mDr fu.k; dh 'k)rk vfrerk iklr dj yu ij pukrh d vèkhu ugh gA fdr] ekeyk fHkUu gkxk ;fn mDr fu;ekoyh vfuok;r% Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 16 dk mYy?kudkjh ik;h tkrh gA fdlh dk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 16 d fucèkuku lkj fu;Dr fd, tku dk dkb ey vfèkdkj ugh gA ;g ek= mld fy, fopkj fd, tku dk vfèkdkj ikoèkkfur djrh gA ,l

*vfèkdkj ij fopkj dju dk <x ,o rjhdk vfèkdfFkr dju d fy, fodfl r dh x;h ifØ;k e gLr{ki doy rc fd;k tk ldrk g tc ;g eueku] HknHkkoi.k vFkok i.kr% vufpr gA***

7. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **AIR 2006 SC 2339 (के एच॰ सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय एवं अन्य)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी निर्दिष्ट किया है जिसमें पैरा 54 पर अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^54- gekj er e] lk{kkRdkj in fo'k"k d fy, mEehnokj dh mi;Drrk fuèkkfjr dju dk lokÙke <x gA ;|fi fyf[kr ijh{kk mEehnokj d ,dMfed Kku dk ifjl{; nxh] doy ekf[kd ijh{kk lrdrk] llkèku liUurk] fuHkju;rk] ppk dju dh {kerk] fu.k; yu dh l{kerk] urRo x.k vkfn tl mldh lex ckf)d ,o futh x.kk dk idV dj ldrh g tkU;kf;d vfèkdkjh d fy, vko';d gA***

8. राज्य के लिए उपस्थित जी॰पी॰ V श्री राजेश कुमार ने प्रतिशपथ पत्र में लिए गए आधारों को दोहराया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के मुताबिक कोई व्यक्ति चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का हकदार नहीं है जब एक बार उसने इसमें भाग लिया है और केवल इस आधार पर वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने झारखंड खनन अभियांत्रिकी सेवा नियमावली, 2011 तथा दिनांक 20.1.2016 की संशोधित अधिसूचना को निर्दिष्ट करके निवेदन किया है कि संशोधित अधिसूचना अन्य बातों के साथ अनुबंधित करती है कि यदि आवेदनों की संख्या पर्याप्त नहीं पायी जाती है, जे॰पी॰एस॰सी॰ को प्रक्रिया नियमावली, 2002 के प्रावधान के मुताबिक चयन प्रक्रिया संचालित करने का स्वविवेक होगा। इस दशा में, यह प्रकट है कि जे॰पी॰ एस॰सी॰ में वर्ष 2016 में यथा संशोधित प्रक्रिया नियमावली, 2002 अपनाने की शक्ति एवं प्राधिकार स्वयं 2011 नियमावली द्वारा निहित की गयी है।

9. परस्पर विरोधी निवेदनों का उल्लेख करने के पहले, झारखंड लोक सेवा आयोग, प्रक्रिया नियमावली, 2002 के नियम 5(3)(d) को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है;–

*^^5(3)(d) tgk mEehnokjk dh l[;k 500 d ij g] mEehnokjk dk oLrijd idkj d i'uk d vkèkkj ij lpkfyr dh tku okyh LØhfux ijh{kk d ekè;e l lk{kkRdkj d fy, lf{kIr lphc) fd, tk,x vkj mldk eY;kdu vk0,e0vkj0 }kjk vk;kx d ifjlj e fd;k tk,xkA***

10. झारखंड खनन अभियांत्रिकी सेवा नियमावली, 2011 के नियम 8 को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*^^fu;e 8- **iR;{k Hkjrh d fy, ifØ;k-&** iR;{k Hkjrh }kjk Hkj tku d fy, >kj[kM ljdkj d [kku ,o HkxHk'kkL= foHkkx }kjk ;Fkk ryc lok e fjfDr;k dh ,l l[;k ml rjhd l foKkfir djxk tlk ;g lefpr le>rk g vkj lok e fu;fDr d fy, fu;e 4 ,o 7 d vèkhu ik= mEehnokjk l vkonu ikIr djxk%*

*ijUr vkx ;g fd [kku ,o HkxHk 'kkL= foHkkx vk;kx dk fjfDr;k dk vxlkfjr dju d igy jkT; ljdkj d vkj{k.k ikoèkkuk d erkfcd vulfpr tkfr] vulfpr tutkfr ,o fiNM ox dh mEehnokjk dh dkfV e fjfDr;k dh l[;k d lcèk e dkfed] i'kklfud lèkkj ,o jktHkk"kk foHkkx l ijke'k djxk***

11. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं पश्चातवर्ती संशोधन सहित, प्रासंगिक सामग्रियों और प्रक्रिया नियमावली, 2002 तथा भरती नियमावली, 2011 पर विचार करने पर जे॰पी॰एस॰सी॰ द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया भेदभाव अथवा किसी पक्षपात के दुर्गुण से पीड़ित प्रतीत नहीं होती है। चूँकि जे॰पी॰एस॰सी॰ से समस्त निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से कृत्य करने की उम्मीद की जाती है, यदि आयोग की कार्रवाई शक्ति के मनमाने प्रयोग से भरी पड़ी है, उस संभाव्यता में न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप कर सकता है।

12. वर्तमान मामले में, उम्मीदवारों का संक्षिप्त सूचीकरण प्रक्रिया नियमावली, 2002 के अनुरूप किया गया है और याची जिनके नाम उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची में स्थान नहीं पाते हैं को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का कोई अजेय अधिकार नहीं है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है। याचीगण मामला बनाने में विफल रहे हैं कि उन्हें भेदभाव के अध्यधीन किया गया है अथवा अलग किया गया है क्योंकि जे॰पी॰एस॰सी॰ ने एकरूप प्रक्रिया अपनाया है जो समस्त उम्मीदवारों पर प्रयोज्य हैं।

13. इन परिस्थितियों के अधीन, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया गया है क्योंकि याचीगण जे॰पी॰एस॰सी॰ द्वारा चयन प्रक्रिया में मनमानापन अथवा शत्रुतापूर्ण भेदभाव प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक बना सके।

14. परिणामस्वरूप, रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkt'k 'kdj] U;k;efr

श्रीमती मीना देवी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 6434 of 2006. Decided on 28th August, 2017.

संथाल परगना अभिधृति (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949–धारा 42–नामांतरण–रद्दकरण–बेदखली आदेश–विनियम III वर्ष 1872 की धारा 27 का उल्लंघन करने वाले अंतरिती को अधिनियम की धारा 42 के अधीन किसी समय पर बेदखल किया जा सकता है जब तक उसने अधिनियम 1949 अर्थात 1.11.1949 से प्रभाव में आने से पहले 12 वर्षों तक निरंतर खेती करते हुए काबिज बने रहकर प्रतिकूल कब्जा द्वारा अभिधान अर्जित नहीं किया है–वर्तमान मामले में, उक्त भूमि पर कब्जा सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है–भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि याचीगण वर्ष 1938 के बाद किसी समय पर भूमि पर काबिज हुआ, वर्ष 1949 के पहले 12 वर्ष तक निरंतर खेती करते हुए काबिज बने रहकर प्रतिकूल कब्जा का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है–रिट याचिका खारिज की गयी।

(पैराएँ 7, 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–1985 PLJR 1—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Ram Prakash Singh, For the Petitioners; Mr. Vineet Prakash, For the Respondent nos. 1, 2, 3; M/s Prashant Pallav, Manoj Kumar, For the Respondent nos. 4 & 5.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका आर०एम०ए०सं० 24/1983–84 में प्रत्यर्थी सं०2 द्वारा पारित दिनांक 23. 5.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा याची की अपील अस्वीकार की गयी थी और आगे आर०ई०केस सं० 124/82 में प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा नामांतरण आदेश रद्द करके याचीगण के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया था के अभिखंडन के लिए प्रार्थना की गयी है।

2. रिट याचिका में यथा कथित मामले का ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि मौजा खुटाहारी, थाना सं० 26, पी०एस० जारमुन्डी की जमाबन्दी सं० 30 के अधीन भूमि (इसमें इसके बाद 'उक्त भूमि' के रूप में निर्दिष्ट) रघु मांझी के पुत्र हरदयाल मांझी के नाम में दर्ज की गयी थी। रघु मांझी के पुत्र हरदयाल मांझी द्वारा पारिवारिक व्यवस्था द्वारा वर्ष 1936 में महाराज दूबे एवं धीरज दूबे के नाम में उक्त भूमि अंतरित की गयी थी। याचीगण द्वारा दावा किया गया है कि उनके पूर्वाधिकारी उक्त भूमि पर काबिज थे एवं जमीन्दारी निहित किए जाने तक हंडवा एस्टेट को लगान के भुगतान पर इस पर खेती कर रहे थे। वर्ष 1965–66 में महाराज दूबे एवं धीरज दूबे के पुत्रों ने नामांतरण के लिए नामांतरण केस सं० 14 वर्ष 1965–66 के तहत आवेदन दाखिल किया था और नामांतरण कार्यवाही लंबित रहने के दौरान महाराज दूबे की मृत्यु हो गयी जिस पर अंचलाधिकारी, जरमुन्डी ने दिनांक 21.3.1967 के आदेश के तहत याचीगण के पक्ष में नामांतरण के लिए आदेश दिया। और तत्पश्चात याचीगण ने उक्त भूमि के लगान का भुगतान किया। जब मौजा खूटाहारी बंदोबस्ती ऑपरेशन में था, खानापूरी स्टाफ की रिपोर्ट के आधार पर सहायक बंदोबस्ती अधिकारी, नूनीहाट ने संथाल परगना अधिधृति (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 की धारा 42 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए आर०ई०केस सं० 124 वर्ष 1982 के माध्यम से याचीगण की बेदखली के लिए कार्यवाही आरंभ किया और अंतत: बेदखली आदेश पारित किया गया था जिसे 5.7.1983 को संसूचित किया गया था। याचीगण ने पुनरीक्षण विविध अपील (आर०एम०ए०) सं० 24 वर्ष 1983–84 दाखिल किया, किंतु इसे भी यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज किया गया था कि अपीलार्थीगण 1.11.1949 के पहले उक्त भूमि पर निरंतर खेती करते काबिज होने के 12 वर्षों को स्थापित करने में विफल रहे। रिट याचिका लंबित रहने के दौरान, दिनांक 17.7.2007 का नोटिस याचीगण पर तामील किया गया था जिसके द्वारा उन्हें उक्त भूमि पर खेती करने से रोका गया था और इस दशा में, आई०ए०सं० 3192 वर्ष 2007 जिसे दिनांक 30.1.2008 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था, दाखिल करके उक्त नोटिस को भी चुनौती दी गयी है।

3. याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उक्त भूमि पारिवारिक व्यवस्था द्वारा याची के पूर्वजों द्वारा वर्ष 1936 में अर्जित की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण ने संथाल परगना बंदोबस्ती विनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन उक्त भूमि पर अधिभोग अधिकार अर्जित किया है। संव्यवहार काफी पहले 46 वर्ष पहले हुआ था और इस दशा में इसे उस तरीके से नहीं किया जा सकता था जैसा परिसीमा विधि के प्रश्न पर किसी निष्कर्ष के बिना वर्तमान मामले में किया गया है।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उक्त भूमि संथाल परगना गैर–अंतरणीय कृषि भूमि है और अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, अत: याचीगण को सही प्रकार से प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया गया है। विद्वान बंदोबस्ती अधिकारी, दुमका सही प्रकार से इस निष्कर्ष पर आए हैं कि 1.11.1949 के पहले उक्त भूमि पर याचीगण का 12 वर्ष का निरंतर कब्जा

स्थापित नहीं किया जा सका था। याचीगण ने पहले दावा किया है कि उक्त भूमि उनको दानपत्र के रूप में अंतरित की गयी थी, किंतु वे इसे अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। रिट याचिका में, याचीगण प्रार्थना कर रहे हैं कि भूमि पारिवारिक व्यवस्था के रूप में प्राप्त की गयी थी।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पहले बेदखली (अन्य संक्रामण) सं॰ 990/1937-38 गैन्टजर जमाबन्दी सं॰ 30 की संपूर्ण भूमि के संबंध में सबडिविजनल अधिकारी, दुमका के न्यायालय में था और केवल भूखंड सं॰ 253 के संबंध में भांगी दूबे को 12 वर्ष से अधिक से काबिज पाया गया था और अन्य असंक्रामणकों को बेदखल किया गया था और भूमि प्रधानी जोत में संपरिवर्तित की गयी थी। शेष भूमि प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं 5 के पिता हरदयाल मांझी की जमाबंदी रैयत को पुनर्स्थापित की गयी थी जिसके विरूद्ध अपील दाखिल नहीं की गयी थी और यह अंतिमता प्राप्त कर चुका था। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अधिभोग अधिकार नहीं हो सकता है जब तक ऐसा कब्जा 1.11.1949 के पहले 12 वर्ष से अधिक का नहीं है जब अधिनियम प्रभाव में आया। यह निवेदन भी किया गया है कि व्यक्ति जो प्रतिकूल कब्जा का दावा कर रहा है को उस तिथि को उल्लिखित करना होगा जिस तिथि से वह काबिज है और ऐसे कब्जा के प्रमाण का भार उस पर है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया। यह प्रतीत होता है कि भूमि रघु मांझी के पुत्र हरदयाल मांझी के नाम में दर्ज की गयी थी। याचीगण द्वारा दावा किया गया है कि इसे रघु मांझी के पुत्र हरदयाल मांझी जो महाराज दूर्बे एवं धीरज दूर्बे की माता का कजिन है, द्वारा पारिवारिक व्यवस्था के रूप में वर्ष 1936 में याचीगण के पूर्वजों को अंतरित की गयी थी और तब से याचीगण के पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज थे और जमीन्दारी निहित किए जाने तक हंडवा एस्टेट को लगान के भुगतान पर इसपर खेती कर रहे थे। अचानक, बंदोबस्ती ऑपरेशन के दौरान, अधिनियम की धारा 42 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें बेदखली आदेश पारित किया गया था और याचीगण की अपील एवं पुनरीक्षण भी यह अभिनिर्धारित करके खारिज किया गया था कि याचीगण 1.11.1949 के पहले उक्त भूमि पर 12 वर्ष का निरंतर खेती करता कब्जा स्थापित करने में विफल रहे है। **देवनारायण सिंह बनाम भागलपुर डिविजन आयुक्त,** 1985 PLJR 1, में पटना उच्च न्यायालय (एकीकृत बिहार की अवधि के दौरान) की पूर्ण न्यायपीठ ने पैरा 20 एवं 21 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

> *^^20 ikIfxd lkfofèkd ikoèkkuk d fnXn'ku ij] fl)kr ij ,o iokDr ioknkgj.k d vkykd e] ;g irhr gkxk fd rhu lfHkUu fLFkfr;k ifrdy dCtk }kjk vfHkèkku i[rk dju d lnHk e mnHkr gk ldrh g tgk ey vrj.k lfofèk d mYy?ku e gA Li"Vrk d ykHk d fy, mu ij myV dkyØeku lkj 0;fDrxr :i l fopkj fd;k tk ldrk gA*
>
> *(i) vfèkfu;e dh èkkjk 20 dh mièkkjk (1) vFkok (2) d mYy?ku e vrj.kA Li"Vr% ,Ik vrj.k vifjgk;; :i l uoEcj 1] 1949 dk vfèkfu;e d ioru d ckn gkxkA Lo; èkkjk 20 dh mièkkjkvk (3)] (4) ,o (5) d Li"V ikoèkkuk dh nf"V e vkj mDr èkkjk d lcfèkr ikoèkkuk èkkjkvk 42] 64] 65 ,o 69 vkj Hkkjhyky tu ekeyk (AIR 1973 Pat 1) (mij) e ifriknuk (v) e i.k U;k;ihB d U;k;fu.k;u dh nf"V e] bl lnHk e ifrdy dCtk }kjk vfHkèkku d fdlh vtu vFkok bldk i[rk dju dk i'u mnHkr fcydy ugh gk ldrk gA*

(ii) fofu;e III o"k 1872 dh èkkjk 27] ftld lcèk e 12 o"kk dh fpjHkkx vofèk 1 uoEcj] 1949 dk ugh chr x;h g] d mYy?ku e vrj.kA ,l ekey e ifrdy dCtk }kjk vfHkèkku i[rk dju dk le; fofèk e uoEcj 1] 1949 dk vfèkfu;e d ioru dh frfFk l :d tk,xk vkj ;fn mld igy 12 o"k dh fpjHkkx vofèk ijh ugh dh x;h g] vfèkdkj vFkok vfHkèkku vi.k jgxk vkj rRi'pkr ifrdy dCtk d QyLo:i i[rk ugh fd;k tk ldrk gA ;g Hkkjhyky tUl dl (Åij) e i.kU;k;ihB dh ifriknuk (iv) l vulfjr gkxkA ,l ekey e mik;Dr vfèkfu;e dh èkkjk 42 lgifBr vU; ikIfxd ikoèkku d vèkhu fdlh le; ij Lo; viu iLrko ij vFkok mldk fn, x, vkonu ij vrj.k lfofèk d mYy?ku e vfHkfuèkkfjr djr g, vrfjrh dk cn[ky dju okyk vkn'k ikfjr dj ldrk gA

(iii) fofu;e III o"k 1872 dh èkkjk 27 d mYy?ku e vrj.k ftle vrfjrh 1 uoEcj] 1949 d igy fujrj [krh djr ifrdy dCtk e jgk gA mDr fofu;e dh èkkjk 27 dh mièkkjk (3) d ijUrd d [kM (a) dh nf"V e] oreku vrfjrh cn[kyh l mUeDr gk x;k] ;fn og 12 o"kk d fujrj [krh djr dCtk e jgk FkkA bl idkj ml ifrdy dCtk d :i e viuk vfHkèkku i[rk dju dh vuefr nh x;h FkhA ;g leku :i l Hkkjh yky tUl ekeyk e ifriknuk (v) l vulfjr gkrk g ftlu vfèkdfFkr fd;k fd èkkjk 20 d ikoèkku iHkko e Hkfo";y{kh Fk vkj u fd Hkry{kh vkj ifj.kkeLo:i o vfèkfu;e dh èkkjk 20 }kjk 1 uoEcj] 1949 dk bld fujlu ,o ifr LFkkiu d ckotn fofu;e III o"k 1872 d vèkhu ifrdy dCtk }kjk igy gh i[rk fd;k x;k vfHkèkku vfofèkekU; ugh djxA

*21. vfre :i l fu"df"kr djr g,% vkjHk e iN x, i'u dk mÙkj ldkjkRed e fn;k tkrk g vkj ;g vfHkfuèkkfjr fd;k tkrk g fd ifrdy dCtk }kjk vfHkèkku i[rk dju dh fpjHkkx vofèk (,l vrj.k d ekey e tk eyr% fofu;e III o"k 1872 dh èkkjk 27 d mYy?ku e Fkk) 1 uoEcj] 1949 dk vfèkfu;e d ioru dh frfFk l pyuh :d tk,xhA***

7. देवनारायण सिंह (ऊपर) के पूर्वोक्त निर्णय में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया कि विनियम III वर्ष 1872 की धारा 27 के उल्लंघन में अंतरिती अधिनियम की धारा 42 के अधीन किसी समय पर बेदखल किया जा सकता है जब तक उसने अधिनियम, 1949 के 1.11.1949 को प्रभाव में आने के पहले 12 वर्ष का निरंतर खेती करते कब्जा द्वारा अभिधान अर्जित नहीं कर लिया है। वर्तमान मामले में, उक्त भूमि पर कब्जा सिद्ध करने के लिए याचीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वे दावा कर रहे हैं कि अंचलाधिकारी, जरमुन्डी ने दिनांक 21.3.1967 के आदेश के तहत उनके पक्ष में नामांतरण प्रदान किया था और तत्पश्चात उन्होंने सरकार को उक्त भूमि के लगान का भुगतान किया। दूसरी ओर, प्राइवेट प्रत्यर्थीण ने निवेदन किया है कि गैन्टजर जमाबंदी सं॰ 30 की संपूर्ण भूमि के संबंध में बेदखली (अन्य संक्रामण) केस सं॰ 990/1937-38 शुरू की गयी थी और 4 बीघा 16 धूर माप वाले भूखंड सं॰ 397, 250 एवं 241 का प्रधानी जोत के रूप में संपरिवर्तन अनुज्ञात किया गया था और शेष भूमि को अभिलिखित अभिधारी को पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया गया था और उक्त मामले में याचीगण के पूर्वजों का नाम चित्र में नहीं था। इस दशा में, भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि याचीगण वर्ष 1938 के बाद किसी समय पर भूमि पर काबिज हुए, 1949 के पहले 12 वर्षों का निरंतर खेती करता कब्जा में होने का प्रतिकूल कब्जा का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

8. पूर्वोक्त कारणों से, आर०एम०ए० सं० 24/1983-84 में प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा पारित दिनांक 23.5.2006 का आक्षेपित आदेश तथा आर०ई०केस सं० 124/82 में प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा पारित आदेश प्रासंगिक प्रावधानों एवं **देवनारायण सिंह (ऊपर)** मामले में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि के अनुरूप प्रतीत होता है।

9. तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सुरेश लाल साव एवं अन्य

cuke

नियामत हुसैन एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 581 of 2002. Decided on 18th April, 2016.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 406, 420, 467, 468, 323, 504 एवं 120B–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482–अवक्रय–किस्तों के गैर-भुगतान के कारण रिसीवर के एजेन्टों द्वारा वाहन पर पुनर्कब्जा–अवक्रय करार मध्यस्थता करार सम्मिलित करता है–वाहन की जब्ती की ओर ले जाता विवाद सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है–अन्यथा भी, याची सं० 3 एवं 4 भागीदार थे और याची सं० 3 एवं 4 के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी। (पैराएँ 6, 9, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–(2001) 7 SCC 417; 2007 (3) JCR 443 (Jhr)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Krishna Murari, For the Petitioners; Mr. Dipak Kumar, For the Opp. Parties.

आदेश

इस आवेदन में याचीगण ने विद्वान ए०सी०जे०एम०, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 16.7.2001 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468, 323, 504, 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है सहित परिवाद मामला सं० 248 वर्ष 2000 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

2. परिवाद मामला संस्थित किया गया था जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि परिवादी ने याची सं०2 से ट्रक खरीदा था। यह कथन किया गया है कि याची सं०1 वाहन के लिए वित्त प्रदान करने का व्यवसाय चला रहा था और उसकी एम० एल० गुप्ता एवं अन्य तथा जे०जे० लीजिंग एवं हाई रिन्ड लि० नाम एवं शैली में दो कंपनियाँ थी। यह अभिकथित किया गया है कि ट्रक की खरीद के लिए सहमत हुई कुल राशि छह नए टायरों के साथ 3,30,000/- रुपया थी और नए टायर के बिना इसे 2,80,000/- रुपया नियत किया गया था। एक अवक्रय करार किया गया था और 40,000/- रुपयों के अग्रिम का भुगतान किया गया था और मांग पर 79,000/- एवं 9500/- रुपयों की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया था जिसके बाद रजिस्ट्रेशन सं० WB 11 1851 वाला ट्रक परिवादी को सौंपा गया था और उक्त ट्रक याची सं० 1 के नाम में था। बाद में, एक और राशि जमा की गयी थी किंतु ट्रक का स्वामित्व परिवादी के नाम पर अंतरित नहीं किया गया था। बाद में परिवादी के पिता को जानकारी हुई कि वाहन के लिए याची सं०1 के नाम में जे०जे० लीजिंग एन्ड हाई रिन्ड लि० द्वारा वित्त दिया गया था और कंपनी के नाम

में ड्राफ्ट एवं नगद द्वारा कतिपय राशि के भुगतान पर भी कागजात अंतरित नहीं किए गए थे। यह अभिकथित किया गया है कि पंचायती की गयी थी और बाद में परिवादी के पिता ने वाहन परिवादी एवं उसके भाईयों में से एक के नाम में दर्ज करवाया था। किंतु, 28.10.1999 को अभियुक्तों ने वाहन जब्त कर लिया और इसे नवादा पुलिस थाना में रखा गया था और तत्पश्चात इसे अभियुक्त सं०5 के पक्ष में निर्मुक्त किया गया था। बाद में, परिवादी जान सका था कि अभियुक्तों ने पहले ही विविध मामला सं० 1557 वर्ष 1998 में सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय, सियालदह से आदेश प्राप्त कर लिया था। परिवाद केस सं० 248 वर्ष 2002 दर्ज किए जाने के बाद, दं०प्र०सं० की धारा 202 के अधीन जाँच की गयी थी जिसके अनुसरण में विद्वान ए०सी०जे०एम०, कोडरमा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 467, 468, 323, 504, 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 16.7.2001 को संज्ञान लिया गया था।

3. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी एवं विरोधी पक्षकार सं०2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार सुने गए।

4. आरंभ में ही याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान याची सं०1 एवं 2 दोनों की मृत्यु हो गयी जिसे पूरक शपथपत्र के माध्यम से अभिलेख पर लाया गया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि संपूर्ण अभिकथन याची सं०1 एवं 2 के विरूद्ध किए गए हैं और परिवाद याचिका में याची सं० 3 एवं 4 के विरूद्ध अभिकथन नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कोडरमा जिला में घटना नहीं हुई थी और कोडरमा में किसी वाद हेतुक की अनुपस्थिति में विद्वान न्यायालय संज्ञान लेने एवं विचारण का सामना करने के लिए समन करने से अपवर्जित किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि संपूर्ण विवाद सिविल प्रकृति का है क्योंकि परिवादी के पिता एवं एम०एल० गुप्ता एवं अन्य के बीच अवक्रय करार हुआ था। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि माध्यस्थम करार भी विद्यमान था। यह निवेदन किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं०2 के पिता ने अवक्रय करार के अनुसरण में किस्तों का भुगतान नहीं किया था और विकल्प नहीं होने पर रिसीवर की नियुक्ति के लिए मामला दाखिल किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 12.6.1998 के आदेश के अनुसरण में किसी श्री मुरारी चक्रवर्ती को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया था और चूँकि परिवादी के पिता ने किस्तों का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया था, रिसीवर के एजेन्टों ने वाहन जब्त कर लिया था जिसे बाद में नवादा पुलिस थाना द्वारा अभियुक्त सं० 5 के पक्ष में निर्मुक्त किया गया था। अतः, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि केवल याचीगण दबाव डालने के लिए इसे आपराधिकता का रंग देते हुए परिवाद मामला संस्थित किया गया है यद्यपि परिवाद के संस्थापन की ओर ले जानेवाली पृष्ठभूमि अन्यथा सुझाती है।

5. समानांतर स्तंभ में, विरोधी पक्षकार सं०2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार ने निवेदन किया है कि याची सं०3 एवं 4 को उनके दांडिक दायित्व से विमुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्वीकृत रूप से वे कंपनी के भागीदार थे जिसके साथ करार हुआ था। यह निवेदन किया गया है कि परिवादी को प्रलोभित करने का अभियुक्तों की ओर से बेइमान आशय था और उसके पिता ने तात्विक तथ्यों को दबा कर विपुल राशि जमा किया और बाद में यथा सहमत किस्तों के गैर-भुगतान के बहाना पर वाहन जब्त किया गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि 30.8.2010 को पंचायती की गयी थी जिसमें अभियुक्तगण उपस्थित हुए थे और मामले के ऐसे दृष्टिकोण में कोडरमा के विद्वान

न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकरिता प्रकट हो जाती है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि याची सं॰ 3 एवं 4 के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। वर्तमान आवेदन खारिज किए जाने का दायी है।

6. यह प्रतीत होता है विवाद ट्रक की खरीद एवं अवक्रय करार करने से संबंधित है जिसमें परिवादी का पिता पक्षों में से एक है। बाद में वाहन उक्त अवक्रय करार से उद्भूत होने वाले किस्तों के गैर-भुगतान के कारण रिसीवर के एजेन्टों द्वारा जब्त किया गया था और वाहन जिसे नवादा पुलिस थाना में रखा गया था, बाद में अभियुक्त सं॰5 के पक्ष में निर्मुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, जहाँ तक याची सं॰3 एवं 4 का संबंध है, संव्यवहार के आरंभ से ही उनकी अंतर्ग्रस्तता न्यूनतम प्रतीत होती है क्योंकि केवल याची सं॰1 एवं 2 के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन किए गए हैं।

7. चरणजीत सिंह चड्डा एवं अन्य बनाम सुधीर मेहरा, (2001)7 SCC 417, में यह विचार करते हुए कि क्या अवक्रय करार के निबंधनानुसार कब्जा वापस लिया जाना दांडिक अपराध के तुल्य होगा या नहीं, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

> *^^17- voØ; djkj fofèk e foØ; dh fu"iknkRed lfonk g vkj HkkMk ij yu oky ij locèkh vfèkdkj inÙk ugh djrk g tc rd mldk lifÙk dk vrj.k dju d fy, 'kr ifji.k ugh dh tkrh gA vr%] ekyk ij iudCtk djkj d fucèkuk d erkfcd fdlh nkfMd vijkèk d rY; ugh gk ldrh gA djkj (ifjf'k"V PI) u fofufn"Vr% okgu ij iudCtk dju d fy, vihykfFk;k dk ikfèkdkj fn;k vkj mud ,tVk d fdlh lifÙk vFkok Hkou e ?klu dk vfèkdkj fn;k x;k g tgk ekVjokgu j[k tku dh lHkkouk FkhA voØ; djkj d vèkhu] vihykFkhx.k okgu d Lokeh cu jg g vkj Hky gh mud fo:) li.k vfHkdFku lR; eku tkr g] mud fo:) vijkèk ugh curk FkkA fo}ku ,dy U;k;kèkh'k xHkhj :i l viu fu.k; e xyr Fk vkj vihykfFk;k d fo:) vkjHk dh x;h dk;okgh vfHk[kfMr ugh djd viu e fufgr vfèkdkfjrk dk i;kx dju e foQy jgA vr%] ge bl vihy dk vuKkr djr g vkj vk{kfir fu.k; vikLr djr gA ifjokn vkj ,l ifjokn d vulj.k e vkjHk dh x;h dkb vU; dk;okgh vfHk[kfMr dh tkrh gA***

8. चंद्रकांत गोपालका बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, 2007(3) JCR 443 (Jhr.) में इसी दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया था जिसने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया:–

> *"8- fuLlng] iudCtk yuk cyiod vFkok fdlh fofèk fo:) i)fr }kjk ugh fd;k tk ldrk g vkj doy fofèk dh lE;d ifØ;k }kjk lgkjk fy;k tk ldrk g fdr tgk ekey d rF; ,o ifjfLFkfr;k minf'kr ugh djr g fd dkb cy i;kx ugh fd;k x;k Fkk vkj u gh fdlh fofèk fo:) i)fr dk mi;kx fd;k x;k Fkk] okgu dk iudCtk yu d fy, foÙknkrk d fo:) nkfMd nkf;Ro vkd"V ugh gk ldrk gA ;kph d ifrokn fd io prkouh d lkFk fd ;kph voØ; okgu dk iudCtk fy, tku d fy, lfonk d vèkhu viu vfèkdkj dk i;kx dju d fy, etcj gkxk] n;k dk iuHkxrku g, ifjoknh dk ckj&ckj ukfVl tkjh fd;k Fkk] l fojkèkh i{kdkj l0 2 }kjk viu ifr'kiFk i= e budkj ugh fd;k x;k gA vr% ;g idV g fd HkkMk ij fy, x, okgu ij iudCtk ;kph }kjk mld ,o ifjoknh }kjk vkj mud chp g, lfonk d vèkhu viu vfèkdkj d i;kx e*

*vuK; fofèkd i)fr;k dk lgkjk yu d ckn fd;k x;k FkkA ;g irhr gkrk g fd fojkèkh i{kdkj l0 2 dk ifjokn nkf[ky djd nkfMd dk;okgh nt dju dh xyr lykg nh x;h Fkh vkj ifjokn nkf[ky dju e vlnHkko dk rRo Li"Vr% ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k l irk pyrk gA ;g vfHkopu fd ;kph lfgr vfHk;Drk ifjokfn;k d okgu dh pkjh dkfjr dj fn;k Fkk vkèkkjghu g D;kfd ;kph u djkj d vèkhu viu vfèkdkj d i;kx e okgu ij iudCtk fd;kA ;kph dh vkj l ,lk dR; pkjh d rY; ugh g D;kfd cbeku vk'k; d vko';d rRo dh deh gA***

9. अवक्रय करार जिसमें एम०एल०गुप्ता एवं अन्य को स्वामियों के रूप में दर्शाया गया है, मध्यस्थता करार भी सम्मिलित करता है जिसमें परिवादी का पिता हस्ताक्षरकर्ता है। सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय के समक्ष विविध मामला सं० 1557 वर्ष 1998 संस्थित किया गया था जिसमें वाहन की जब्ती के लिए रिसीवर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था और इसके अनुसरण में रिसीवर नियुक्त किया गया था और उसने आगे एजेन्टों को नियुक्त किया जिन्होंने याची के कब्जा से वाहन जब्त किया था। बाद में वाहन नवादा पुलिस थाना द्वारा निर्मुक्त किया गया था और जैसा याचीगण ने कथन किया है यह रिसीवर की सुरक्षित अभिरक्षा में था।

10. अत: वाहन की जब्ती की ओर ले जाने वाला विवाद सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है। अन्यथा भी याची सं०3 एवं 4 भागीदार थे किंतु याची सं० 3 एवं 4 के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है।

11. उपर जो कथित किया गया है, उसकी दृष्टि में मैं इस आवेदन में पर्याप्त गुणागुण पाता हूँ। तद्नुसार यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। विद्वान ए०सी०जे०एम०, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 16. 7.2001 के आदेश सहित परिवाद मामला सं० 248 वर्ष 2000 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित एवं आपास्त की जाती है।

---

ekuuh; ieFk iVuk;d] U;k;efr

मो० शमशाद खान (542 में)

अजय कुमार चौरसिया (3740 में)

रूपेश कुमार (1816 में)

शत्रुघन प्रसाद सिंह (6605 में)

कौशल कुमार सिंह (1820 में)

हरीश चंद्र पाल भगत (2062 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P.(S) Nos. 582, 1816, 6605 of 2014; 3740 of 2013; 1820, 2062 of 2015. Decided on 7th July, 2017.

सेवा विधि–बर्खास्तगी–याचीगण लम्बी सेवा दिए जाने पर जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर बर्खास्तगी दंड का आदेश दिया गया है–मामले की उत्पत्ति याचीगण द्वारा झूठी प्राथमिकी की दाखिली से संबंधित है जिसमें विभागीय प्राधिकारियों द्वारा जाँच की गयी थी और बाद में विभागीय कार्यवाही में जाँच अधिकारी ने याचीगण को आरोपों का प्रथम दृष्टया दोषी

पाया यद्यपि जाँच अधिकारी द्वारा निश्चयात्मक निष्कर्ष नहीं दिए गए हैं–दो अधिकारी जिन्हें अभिकथनों के उसी संवर्ग पर आलिप्त किया गया है को लघुतर दंड के साथ छोड़ दिया गया है, जबकि याचीगण को सेवा से बर्खास्तगी के मुख्य दंड के अध्यधीन किया गया है–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और मामला दंड की मात्रा पर याचीगण के मामला पर विचार करने के लिए और समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रत्यर्थियों को भेजा गया। (पैराएँ 8 से 12)

निर्णयज विधि.–(2010) 2 SCC 772; AIR 1969 SC 983; (2009) 12 SCC 78—Referred; (2013) 3 SCC 73; (2013) 12 SCC 372—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Anil Kr. Sinha (in 582); M/s Rajiv Ranjan, Shrestha Gautam (in 3740); Mr. Rajeev Kumar (in 1816); Mr. Krishna Murari (in 2062); Mr. Mukesh Kumar Sinha (in 6605), For the Petitioners; M/s Chanchal Jain, Ashish Kr. Shekhar, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–चूँकि समस्त रिट याचिकाओं में इप्सित अनुतोष कमोबेश सादृश्य हैं, परस्पर अधिवक्ता की अनुमति से समस्त रिट याचिकाओं को साथ सुना गया था और इस एक ही आदेश/निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. डब्लू०पी०(एस०) 582 वर्ष 2014 में याची ने दिनांक 18.5.2009 की जाँच रिपोर्ट पर आधारित दिनांक 15.9.2011 के जाँच अधिकारी के निष्कर्षों सहित संपूर्ण विभागीय कार्यवाही के अभिखंडन के लिए और अपील तथा पुनरीक्षण के अस्वीकरण द्वारा अनुसरित दंड के आदेश, यद्यपि उसी मामले में किसी नंद बिहारी सिंह की अपील अपास्त की गयी थी, के अभिखंडन के लिए भी उत्प्रेषण रिट जारी किया जाना और हवलदार के पद पर याची को समस्त पिछली मजदूरी के साथ पुनर्बहाल करने का प्रत्यर्थियों को निदेश इप्सित किया है।

3. रिट आवेदन में याची द्वारा यथा प्रकट संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को पदमा ओ०पी०, हजारीबाग में हवलदार के पद पर पदस्थापित किया गया था जब उसे सेवा से बर्खास्त किया गया था। यह कथन किया गया है कि याची झूठा मामला संस्थित करने वालों में से एक था और उसके विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन यह है कि उसने वरीय नियंत्रक अधिकारी की प्रेरणा पर अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर किया था। यथा अभिकथित उत्तरदायित्व नियत करने वाले विभाग ने अपराध शाखा से इसका अन्वेषण करवाया और याची एवं अन्य के विरूद्ध कार्यवाही आरंभ की गयी है। याची आगे कथन करता है कि दिनांक 25.7.2008 के जिला आदेश सं० 2020 के तहत उसे अन्य के साथ बरही (पदमा) पी०एस० केस सं० 158/2007 के संबंध में अभिग्रहण गवाह के रूप में इंसपेक्टर हरिशचंद्र पाल भगत की सहायता करने के लिए निलंबनाधीन किया गया था। आगे यह कथन किया गया है कि रिट याचिका के परिशिष्ट 3 के तहत दिनांक 24.8.2008 के मेमों के तहत याची पर आरोप पत्र तामील किया गया था। याची को दिनांक 15.9.2011 के पत्र (परिशिष्ट 5) के तहत आरोपों का उत्तर दाखिल करने के लिए कहा गया है। याची ने परिशिष्ट 6 के तहत 14.12.2011 को अपना कारण बताओ उत्तर दाखिल किया किंतु दिनांक 27.1.2012 के आदेश के तहत उसे सेवा से बर्खास्त किया गया था। तत्पश्चात, याची ने अपील दाखिल किया किंतु इसे महानिदेशक, झारखंड द्वारा दिनांक 24.11.2012 के आदेश के तहत अभिपुष्ट किया गया था जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट-13 से स्पष्ट है।

4. डब्लू०पी०(एस०) सं० 3740 वर्ष 2013 में याची ने सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना और तात्विक गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने का कोई अवसर दिए बिना जाँच रिपोर्ट के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी से संबंधित दिनांक 27.1.2012 के आदेश के अभिखंडन के लिए और दिनांक 31.1.2013

के आदेश जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष याची द्वारा दाखिल की गयी अपील खारिज की गयी थी, के अभिखंडन के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाना इप्सित किया है।

5. रिट आवेदन में यथा प्रकट संक्षिप्त तथ्य यह है कि 2.8.2007 को रजिस्ट्रेशन सं० JH3A 1456 वाला कोई मार्शल जीप जो 40 बैग कोयला से लदा था इचक वन के निकट तीन पुलिस अधिकारियों अर्थात देवानंद यादव, रूप नारायण सिंह एवं शत्रुध्न सिंह द्वारा बीच रास्ते में रोका गया था। आगे यह कथन किया गया है कि पूर्वोक्त पुलिस अधिकारियों ने उनमें से एक अर्थात लल्लू कुमार से अवैध परितोषण मांगा और जब उक्त लल्लू कुमार ने इसका भुगतान करने में अपनी अक्षमता दर्शायी, पुलिस अधिकारी ने याची को अवैध रूप से कोयला ले जाने वाले वाहन के बारे में सूचित किया। तत्पश्चात, याची ने उक्त वाहन जब्त किया और अभिग्रहण मेमो तैयार किया और लल्लू कुमार एवं उसके दो कर्मचारियों अर्थात चंदन ठाकुर एवं पिंटू के विरूद्ध प्राथमिकी कोयला का 40 बैग चुराने के आरोप पर भा०दं०सं० की धाराओं 414 एवं 34 के अधीन तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन भी बरही पी०एस०केस सं० 158 वर्ष 2007 दर्ज की गयी थी। आगे यह कथन किया गया है कि अभियुक्त लल्लू कुमार के भाई ने डी०जी०पी०, झारखंड को यह कथन करते हुए आवेदन भेजा कि उसके भाई को पूर्वोक्त मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। पूर्वोक्त परिवाद अग्रसर करने में प्रत्यर्थी सं० 5 द्वारा अन्वेषण किया गया था जिन्होंने 23.6.2008 को रिपोर्ट (परिशिष्ट 1) प्रस्तुत किया और कथन किया कि पूर्वोक्त परिवाद आधारहीन एवं असत्य है। जब याची पदमा चौकी प्रभारी के रूप में पदस्थापित था, उस पर दिनांक 5.7.2008 का नोटिस (परिशिष्ट 2) तामील किया गया था जिसके द्वारा उसके विरूद्ध आरोप लगाया गया था कि उसने कोयला ले जा रहे कुछ व्यक्तियों को विधिविरूद्ध गिरफ्तार एवं निरूद्ध किया है क्योंकि वे कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा की गयी अवैध मांग से सहमत नहीं थे। याची ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। पूर्वोक्त आरोपों पर याची के विरुद्ध जाँच आरंभ की गयी थी किंतु याची को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए जाँच अधिकारी द्वारा कभी नहीं बुलाया गया था और न ही याची पर नोटिस तामील किया गया था। आगे यह कथन किया गया है कि समवर्ती विभागीय कार्यवाहियों में अवचारियों द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर जाँच अधिकारी ने दिनांक 20.12.2009 का कार्यवाही निर्लंबित कर दिया था और कार्यवाही अभिलेख प्रत्यर्थी सं० 5 के कार्यालय को लौटा दिया था। संचालन करने वाले अधिकारी ने कार्यवाही जारी रखी और गवाहों के बयानों तथा अन्य तात्विक साक्ष्य के आधार पर याची को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित किया गया था। याची के विरूद्ध 15.3.2011 को द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके द्वारा यह सूचित किया गया था कि किसी श्री नौशाद आलम को रिट आवेदन के परिशिष्ट 5 के तहत जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जाँच अधिकारी ने याची के विरूद्ध साक्ष्य देने के बाद परिशिष्ट 5/A के तहत दिनांक 15.4.2010 का रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसने सुझाया कि याची अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी था। याची ने रिट आवेदन के परिशिष्ट 7 के तहत दिनांक 6.10.2011 का उत्तर यह कथन करते हुए दाखिल किया कि जाँच सुनवाई एवं तात्विक गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिए बिना संचालित की गयी थी और उस पर नोटिस भी तामील नहीं किया गया था। याची पर दिनांक 19.10.2011 का एक अन्य कारण बताओ नोटिस तामील किया गया था, जिसमें उसे 15 दिनों के भीतर अपने बचाव में बयान देने के लिए निर्देश दिया गया था जिसका उत्तर उसने दिनांक 8.12.2011 के पत्र के तहत दिया। किंतु दिनांक 27.1.2012 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं० 4 ने याची को सिद्ध आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया। तत्पश्चात याची ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल किया और इसे भी दिनांक 31.1.2013 के आदेश (परिशिष्ट 13) द्वारा खारिज कर

दिया गया था। यह कथन भी किया गया है कि याची के विरूद्ध दांडिक मामला भी सदर केस सं० 693 वर्ष 2008 के तहत संस्थित किया गया था जो न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग के न्यायालय में लंबित है और उक्त दांडिक मामला उन्हीं गवाहों के परिसाक्ष्य के आधार पर उन्हीं आरोपों के लिए संस्थित किया गया है। याची आगे कथन करता है कि कोई राधे श्याम दास जो सदर केस सं० 693 वर्ष 2008 के तहत पूर्वोक्त दांडिक मामला में सह अभियुक्त है विमुक्त और अपील में प्रत्यर्थी सं०3 द्वारा पारित दिनांक 22.11.2012 के आदेश के मुताबिक सेवा में पुनर्बहाल किया है। आक्षेपित आदेशों से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, याची कोई प्रभावकारी एवं वैकल्पिक उपचार नहीं होने पर अपनी शिकायत दूर करवाने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के पास आया है।

6. डब्लू०पी०(एस०) सं० 1816 वर्ष 2014 में, याची ने संपूर्ण विभागीय कार्यवाही सं० 44 वर्ष 2008 (परिशिष्ट 1) जिसके द्वारा याची को बर्खास्तगी अनुशंसित की गयी है के अभिखंडन के लिए और दिनांक 16.9.2012 के पत्र (परिशिष्ट 5) के तहत आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग द्वारा जारी दंड के अभिखंडन के लिए और दिनांक 3.7.2013 के पत्र (परिशिष्ट 7) के अभिखंडन के लिए भी उत्प्रेषण रिट जारी किया जाना इप्सित किया है। याची ने आगे समस्त पिछली मजदूरी के साथ सेवा में पुनर्बहाल करने का निर्देश प्रत्यर्थियों को देने की प्रार्थना की है।

7. रिट आवेदन में यथा प्रकट संक्षिप्त तथ्य यह है कि याची झूठा मामला संस्थित करने वालों में से एक था और उसके विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन यह था कि उसने अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया। यह कथन भी किया गया है कि दांडिक मामला भी सदर केस सं० 693 वर्ष 2008 के तहत याची के विरूद्ध संस्थित किया गया है और सी०आई०डी० ने अन्वेषण शुरू किया है और रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और याची को अभिकथित घटना में दोषी पाया। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची को अन्य अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया है और याची के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए हैं। रिट याचिका के परिशिष्ट 1 के तहत आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग के समक्ष दिनांक 6.6.2012 को प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के आधार पर याची को अभिकथित आरोपों का दोषी पाया गया है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर याची पर रिट याचिका के परिशिष्ट-1 के तहत 25.8.2012 को कारण बताओ नोटिस तामील किया गया था। याची ने 9.9.2012 को कारण बताओ का उत्तर दाखिल किया जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 से स्पष्ट है, किंतु दिनांक 12.9.2012 के आदेश के तहत आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग (प्रत्यर्थी सं०5) ने अभिकथित आरोपों पर रिट आवेदन के परिशिष्ट 4 के तहत बर्खास्तगी के लिए दंड का आदेश पारित किया। तत्पश्चात, याची ने आरक्षी उपमहानिरीक्षक, हजारीबाग के समक्ष अपील दाखिल किया किंतु इसे दिनांक 3-7-2013 के आदेश के तहत अभिपुष्ट किया गया था जैसा रिट आवेदन के परिशिष्ट 7 से स्पष्ट है। याची ने आरक्षी महानिदेशक, झारखंड के समक्ष 13.7.2013 को पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया किंतु इसे अस्वीकार किया गया था।

8. डब्लू०पी०(एस०) सं० 6605 वर्ष 2014 में याची ने प्रत्यर्थी सं०6 द्वारा पारित रामगढ़ जिला आदेश सं० 791/2011 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 23.10.2011 के आदेश जिसके द्वारा याची को सेवा से बर्खास्त किया गया है के अभिखंडन के लिए और दिनांक 26.3.2012 के आदेश जिसके द्वारा याची द्वारा दाखिल अपील अस्वीकार की गयी है के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है। याची ने आगे समस्त पिछली मजदूरी के साथ याची को सेवा में पुनर्बहाल करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश के लिए भी प्रार्थना किया है।

9. रिट आवेदन में यथा प्रकट संक्षिप्त तथ्य यह है कि याची का अभिकथित घटना के समय पर आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग के साथ पुलिस ड्राइवर 602 के रूप में पदस्थापित किया गया था। यह कथन

किया गया है कि याची ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ तीन व्यक्तियों को निरूद्ध किया था और उनके विरूद्ध झूठा मामला बड़ही पी०एस०केस सं० 157 वर्ष 2007 भा०दं०सं० की धाराओं 414 एवं 34 के अधीन एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन भी दर्ज किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि डी०आई०जी०, हजारीबाग के समक्ष दिनांक 17.9.2007 के परिवाद के आधार पर एस०डी०पी०ओ० बड़ही द्वारा जाँच की गयी थी और जाँच रिपोर्ट के आधार पर याची के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग द्वारा दिनांक 11.10.2008 के आदेश (परिशिष्ट 3) के तहत याची को निलंबनाधीन किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग ने दिनांक 15.9.2011 के मेमो (परिशिष्ट 5) के तहत याची पर अपना उत्तर दाखिल करने के लिए द्वितीय कारण बताओ नोटिस तामील किया। याची ने रिट याचिका के परिशिष्ट 6 के तहत अपने विरूद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से इनकार करते हुए 6.10. 2011 को अपना उत्तर दाखिल किया किंतु आरक्षी अधीक्षक, हजारीबाग ने दिनांक 23.10.2011 के आदेश (परिशिष्ट 7) के तहत याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया जिसे प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा परिशिष्ट 8 के तहत दिनांक 26.3.2012 के आदेश के तहत अभिपुष्ट किया गया था। याची ने मेमोरियल के शीघ्र निपटान के लिए दिनांक 13.8.2013 का अभ्यावेदन भी दिया।

10. डब्लू०पी० (एस०) सं० 1820 वर्ष 2015 में याची ने प्रत्यर्थी सं० 4, एस०पी०, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 17.10.2011 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा याची को कॉन्सटेबल सं० 292 के पद से सेवा से बर्खास्त किया गया है और डी०आई०जी०, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 26.3.2012 के आदेश जिसके द्वारा याची द्वारा दाखिल अपील अस्वीकार की गयी है के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना की है। याची ने आगे समस्त पिछली मजदूरी के साथ सेवा में याची की पुनर्बहाली का निर्देश प्रत्यर्थियों को दिए जाने के लिए प्रार्थना किया है।

11. रिट आवेदन में यथा प्रकट संक्षिप्त तथ्य यह है कि याची के काँसटेबल के रूप में पदस्थापित रहते हुए प्राथमिकी बड़ही (पदमा) पी०एस०केस सं० 158 वर्ष 2007 भा० दं० सं० की धारा 414/34 सह पठित वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन दर्ज किया गया था। यह कथन किया गया है कि डी०जी०पी० झारखंड के समक्ष समानांतर परिवाद किया गया था और दिनांक 25.7.2008 के मेमो के तहत याची सहित आठ व्यक्तियों को निलंबित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि डी०एस०पी० एवं एस०पी०, हजारीबाग द्वारा पूर्वोक्त मामला का अन्वेषण किया गया था और चूँकि याची को छापा मारने वाली टीम में औपचारिक पक्ष पाया गया था, उसे निलंबन के संहरण के बाद गढ़वा स्थानांतरित किया गया था। दिनांक 24.8.2008 के आदेश के तहत याची पर आरोप ज्ञापन तामील किया गया था और आगे परिशिष्ट 5 के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू करना अनुध्यात किया गया था। याची ने डी०एस०पी० (मुख्यालय) के समक्ष दिनांक 3.9.2008 को उत्तर उसमें उनसे कार्यवाही प्रास्थगित रखने का अनुरोध करते हुए दाखिल किया क्योंकि तथ्यों के उसी संवर्ग के विरूद्ध सी०आई०डी० द्वारा दर्ज समानांतर दांडिक कार्यवाही सदर पी०एस० केस सं० 693/2008 विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 17.10.2011 के आदेश (परिशिष्ट 10) के तहत उत्तर पर विचार किए बिना और जाँच रिपोर्ट में भी स्पष्ट निष्कर्ष नहीं होने पर बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश पारित किया जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 26.3.2012 को रिट आवेदन के परिशिष्ट 11 के तहत अभिपुष्ट किया गया था।

12. डब्लू०पी०(एस०) सं० 2062 वर्ष 2015 में याची ने प्रत्यर्थी सं० 4 द्वारा पारित दिनांक 27.1.2016 के आदेश जिसके द्वारा याची को पुलिस सब इंसपेक्टर के पद से सेवा से बर्खास्त किया गया है के अभिखंडन के लिए और प्रत्यर्थी सं०3 द्वारा पारित दिनांक 22.11.2012 के आदेश, जिसके द्वारा याची द्वारा दाखिल अपील अस्वीकार की गयी है के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है। याची ने आगे समस्त पिछली मजदूरी के साथ याची को पुनर्बहाल करने का निर्देश प्रत्यर्थियों को देने की प्रार्थना भी किया है।

13. रिट आवेदन में यथा प्रकट संक्षिप्त तथ्य यह है कि याची बड़ही पी०एस० के अधीन पदमा ओ०पी० में एस०आई० के रूप में पदस्थापित रहते हुए प्राथमिकी सदर (पदमा) पी०एस०सं० 158 वर्ष 2007 भा०दं० सं० की धारा 414/34 तथा वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन दर्ज किया गया था। यह कथन किया गया है कि डी०जी०पी०, झारखंड के समक्ष समानांतर परिवाद किया गया था और दिनांक 25.7.2008 के मेमो के तहत याची सहित आठ व्यक्तियों को निलंबित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि डी०एस०पी० द्वारा एवं एस०पी०, हजारीबाग द्वारा भी मामला का अन्वेषण किया गया था और चूँकि याची छापा मारने वाली टीम का औपचारिक पक्ष था, उसे गढ़वा स्थानांतरित किया गया था। विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के अनुध्यान के साथ दिनांक 24.8.2008 के आदेश (परिशिष्ट-5) के तहत आरोप मेमो याची पर तामील किया गया था। याची ने डी०एस०पी० (मुख्यालय) के समक्ष दिनांक 28.8.2008 का उत्तर उसमें उनसे दांडिक कार्यवाही प्रास्थगित रखने का अनुरोध करते हुए दाखिल किया क्योंकि तथ्यों के उसी संवर्ग के विरूद्ध सी०आई० डी० द्वारा दर्ज समानांतर दांडिक कार्यवाही सदर पी० एस०केस सं० 693/2008 विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष विचाराधीन थी। अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 27.1.2012 के आदेश (परिशिष्ट 13) के तहत उत्तर पर विचार किए बिना और जाँच रिपोर्ट में भी स्पष्ट निष्कर्ष नहीं होने पर बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश पारित किया जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 22.11. 2012 को रिट आवेदन के परिशिष्ट 14 के तहत अभिपुष्ट किया गया था।

14. याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान जोरदार निवेदन किया है कि बर्खास्तगी के दंड का आक्षेपित आदेश इस तथ्य के कारण संपोषणीय नहीं है क्योंकि दंड अधिरोपित करने के पहले कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि जाँच रिपोर्ट के पैरा 3 में जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि जाँच अधिकारी ने अभियोजन की ओर से कृत्य किया है और वह स्वयं अपने निष्कर्षों का न्यायाधीश तथा अभियोजक भी नहीं हो सकता है, अत: जाँच रिपोर्ट विकृत है। इस संबंध में याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **(2010)2 SCC 772** में प्रकाशित **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि परिशिष्ट 10 के परिशीलन पर यह सुस्पष्ट होगा कि सह अवचारी को लघुतर दंड दिया गया है जबकि याची को मुख्य दंड दिया गया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि जाँच रिपोर्ट गवाहों के बयान पर आधारित है जिनका परीक्षण याची के पीठ पीछे किया गया था। इस संबंध में याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **AIR 1969 SC 983** में प्रकाशित **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया लि० बनाम प्रकाश चंद जैन** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। अत:, प्रक्रियात्मक अनियमितता की गयी है, जिसने तात्विक रूप से जाँच के परिणाम को प्रभावित किया है क्योंकि याचीगण को गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। व्यवहार की समतुल्यता के सिद्धांत पर याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि किसी कॉन्सटेबल नंद बिहारी सिंह जिसकी बर्खास्तगी का आदेश एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि को वापस रोके जाने में संपरिवर्तित किया गया है, अत: आक्षेपित आदेश घोर रूप से अननुपातिक, अत्यधिक एवं सिद्ध आरोपों के अनुरूप है, अत:, विधित: संपोषणीय नहीं है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि याचीगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप अस्पष्ट है क्योंकि आरोप प्राथमिकी दर्ज किए जाने से संबंधित है और यह लांछन की कमी से पीड़ित है। इस संबंध में याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **(2009)12 SCC 78** में प्रकाशित **भारत संघ एवं अन्य बनाम ज्ञान चंद चत्तर** (पैरा 35-36) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

पर विश्वास किया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता अगे निवेदन करते हैं कि जाँच अधिकारी द्वारा निश्चयात्मक मत नहीं दिया गया है ताकि याचीगण पर दोष प्रभाजित किया जा सके। जाँच अधिकारी ने केवल मत दिया है कि प्रथम दृष्टया याचीगण को दोषी पाया गया है।

15. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों द्वारा रिट आवेदन में किए गए प्रकथनों से इनकार करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रति शपथ पत्र में, यह निवेदन किया गया है कि याचीगण शुद्ध हृदय से इस न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं और तात्विक तथ्यों को दबाया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण ने अपनी आधिकारिक हैसियत का दुरुपयोग किया है और प्राथमिकी में उल्लिखित अभियुक्तों के विरूद्ध गलत रूप से प्राथमिकी बढ़ही (पदमा) पी०एस०सं० 158 वर्ष 2007 दर्ज किया है। याचीगण ने किसी महेश कुमार से विधिविरूद्ध मांग किया और मांग पूरा नहीं किए जाने के कारण याचीगण द्वारा अभियुक्तों को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया था। प्रतिशपथ पत्र में यह निवेदन किया गया है कि लल्लू कुमार द्वारा याचीगण के विरूद्ध दाखिल परिवाद में कथन किया गया है कि वह व्यवसायी है और उसका भिन्न-भिन्न धातुओं से बर्तन बनाने का अपना उद्योग है और वह अपने स्टाफ के साथ सं० JH 13A 1456 वाले मार्शल द्वारा हजारीबाग जा रहा था और कुछ धातु के बर्तन भी 2,25,000/- रुपया मूल्य वाले उस वाहन में लादे गए थे। उक्त परिवाद में यह भी उल्लिखित किया गया था कि हजारीबाग तक अपनी यात्रा के दौरान एम०सी०सी० बंद के कारण वह कोडरमा में रूका, जहाँ उसका संबंधी अरूण कुमार कसेरा रहता था और अगले दिन परिवादी ने हजारीबाग तक अपनी यात्रा शुरु किया और वाहन बोलेरो द्वारा अंतर्रूद्ध किया गया था और 5-6 व्यक्ति उतरे और उन्होंने परिवादी और उसके स्टाफ से ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एक नोकिया मोबाइल और 2350/- रुपया छीन लिया और उनकी निर्मुक्ति के लिए 10,00,000/- रुपया भी मांगा। प्रत्यर्थी आगे निवेदन करते हैं कि 3-4 दिन बाद याचीगण द्वारा परिवादी एवं उसके स्टाफ के विरूद्ध बढ़ही (पदमा) पी०एस० केस सं० 158 वर्ष 2007 संस्थित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि पुलिस विभाग के उच्च पदाधिकारियों द्वारा विभागीय कार्यवाही/जाँच संस्थित की गयी थी इस कार्यवाही के दौरान याचीगण को अनेक नोटिस जारी किए गए थे। किंतु इन सबके बावजूद याचीगण संचालन अधिकारी के समक्ष उपस्थित कभी नहीं हुए और याचीगण ने उनको प्रदान किए गए अवसर का लाभ नहीं लिया था। तत्पश्चात अनेक गवाहों एवं परिवादी लल्लू कुमार का परीक्षण किया गया था और याचीगण ने भी संचालन अधिकारी के समक्ष अपना बचाव रखा। संचालन अधिकारी के मत तथा अन्य सामग्री जिन्हें डी०आई०जी०, हजारीबाग के समक्ष विचार के लिए लाया गया था पर विचार करने के बाद डी०आई०जी०, हजारीबाग ने याचीगण को दोषी पाया और इस दशा में याचीगण को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

16. प्रत्यर्थियों द्वारा पूरक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि विभागीय कार्यवाही दिनांक 23.6.2008 की जाँच रिपोर्ट के बाद आरंभ की गयी थी। उक्त जाँच रिपोर्ट के पहले विभागीय कार्यवाही विद्यमान नहीं थी और पूर्वोक्त जाँच के बाद विभागीय कार्यवाही सं० 35 वर्ष 2008 आरंभ की गयी थी।

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने डब्लू० पी० (एस०) सं० 582/2014 में 26.10.2016 को दाखिल प्रतिशपथ पत्र में किए गए निवेदन को दोहराया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान जोरदार निवेदन किया है कि सी०आई०डी० द्वारा याचीगण के विरूद्ध भा०दं०सं० की धाराओं 342/386/379/469//471/120B/34 के अधीन दिनांक 29.7.2008 की प्राथमिकी सदर पी०एस०केस सं० 693 वर्ष 2008 दर्ज किया गया है और याचीगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप यह है कि उन्होंने अमित कुमार उर्फ लल्लू कुमार, चंदन ठाकुर एवं पिंटू साव के विरूद्ध झूठा मामला दर्ज किया है और

उनको बढ़ही पी०एस०केस सं० 158 वर्ष 2007 में अभियुक्त बनाया है। आगे आरोप ये है कि उन्होंने अमित कुमार उर्फ लल्लू कुमार, चंदन ठाकुर एवं पिंटू साव को धमकी दिया है और उद्दापन राशि मांगा है और पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A के मुताबिक उन्हें अत्यधिक शारीरिक यातना के अध्यधीन किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 29.7.2008 के सदर पी०एस०केस सं० 693 वर्ष 2008 में दिनांक 18.6.2012 के आरोप-पत्र के तहत याचीगण के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि पहले याचीगण की प्रेरणा पर अमित कुमार उर्फ लल्लू कुमार, चंदन ठाकुर एवं पिंटू साव के विरूद्ध प्राथमिकी बढ़ही पी०एस०केस सं० 158 वर्ष 2007 दर्ज की गयी है। उक्त झूठी प्राथमिकी इस कारण दर्ज की गयी है क्योंकि अमित कुमार उर्फ लल्लू कुमार, चंदन ठाकुर, एवं पिंटू साव ने याचीगण का मांग पूरा नहीं किया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि आरोप-पत्र बढ़ही (पदमा) पी०एस०केस सं० 158 वर्ष 2007 में दिनांक 18.6.2008 के आरोप-पत्र के तहत दाखिल किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दोनों मामलों में दांडिक कार्यवाही अवर न्यायालय के समक्ष लंबित है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण को जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और कारण बताओ का उत्तर देने और गवाहों का प्रति परीक्षण करने के लिए नोटिस दिए गए थे और वायरलेस संदेश भी याचीगण को भेजा गया था। गवाहों अर्थात अनन्त कुमार सिंह एवं टी०ए० मलिक तथा गाजी सफदर हयात ने 25.10.2008 को अभिसाक्ष्य दिया किंतु याचीगण ने उनका प्रतिपरीक्षण नहीं किया था। पुनः 15.1.2009 को जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने एवं गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने के लिए नोटिस भेजे गए थे। गवाहों अर्थात लल्लू कुमार उर्फ अमित कुमार, महेश कुमार एवं पिंटू साव ने 25.1.2009 को अभिसाक्ष्य दिया किंतु याचीगण ने उनका प्रतिपरीक्षण नहीं किया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा राधे श्याम दास एवं नंद बिहारी सिंह के मामले में बर्खास्तगी का आदेश दो वेतनवृद्धियों को वापस रोकने में संपरिवर्तित किया गया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र दोहराते हुए निवेदन किया है कि याचीगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध किए गए हैं और याचीगण को पर्याप्त अवसर देने के बाद दंड का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है और समुचित विभागीय जाँच संचालित की गयी है। चूँकि याचीगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रतीत होते हैं, आरोपित दंड का सिद्ध किए गए आरोपों के साथ संबंध है।

18. परस्पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और प्रासंगिक अभिलेखों के परिशीलन पर, विभिन्न रिट आवेदनों में याचीगण की सेवा से बर्खास्तगी के दंड के आक्षेपित आदेश में यहाँ नीचे कथित कारणों से हस्तक्षेप करना आवश्यक है:-

(I) याचीगण के अत्यधिक सेवावधि पूरी करने पर जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी के दंड का आदेश अधिरोपित किया गया है। मामला की उत्पत्ति याचीगण द्वारा झूठी प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित है, जिसकी जाँच विभागीय प्राधिकारियों द्वारा की गयी थी और बाद में विभागीय कार्यवाही में जाँच अधिकारी ने याचीगण को प्रथम दृष्टया आरोपों का दोषी पाया है यद्यपि जाँच अधिकारी द्वारा निश्चयात्मक निष्कर्ष नहीं दिए गए हैं।

(II) आधारों में से एक जिस पर यह न्यायालय दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक है यह है कि दो अधिकारियों, एक इंसपेक्टर राधे श्याम एवं काँसटेबल नंद बिहारी सिंह, जिन्हें अभिकथनों के उसी संवर्ग पर आलिप्त किया गया, को लघुतर दंड के साथ छोड़ दिया गया है, जबकि याचीगण को

सेवा से बर्खास्तगी के मुख्य दंड के अध्यधीन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **राजेन्द्र यादव बनाम म०प्र० राज्य, (2013)3 SCC 73,** में निर्णय निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा जिसमें पैराग्राफ 9 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^9 lekurk dk fl)kr leLr tk leku :i l fLFkr g d ifr ykx gkrk g] mu 0;fDr;k d chp Hkh ftUg nk"Vh ik;k x;k gA 0;fDr ftUg nk"Vh ik;k x;k g Hkh 0;ogkj dh lekurk dk nkok dj ldr g] ;fn o nM vfèkjkfir fd, tkr g, HknHkko LFkkfir dj ldr g tc o leLr ,d gh ?kVuk e vrxLr gA lg&vopkfj;k d chp lerY;rk Hkh cuk;h j[kh tkuh gkxh tc nM vfèkjkfir fd;k tk jgk gA lg&vopkfj;k tk ,d gh l0;ogkj vFkok ?kVuk d i{k g dh vrxLrrk dh ryuk djr g, nM vuuikfrd ugh gkuk pkfg,A vu'kklfud ikfèkdkjh nM vfèkjkfir ugh dj ldr g tk vuuikfrd g vFkkr xHkhj vijkèk d fy, y?krj nM vkj y?krj vijkèk d fy, dBkj nMA^^*

(III) यह **(2013)12 SCC 372** में प्रकाशित **लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम राजेन्द्र सिंह** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा जिसमें पैराग्राफ 17 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^17 ;fn ekey d nkuk loxk e i.k lerY;rk g] fHkUu nM vfèkjkfir djuk lefpr ugh gkxk D;kfd ,d ekeyk e dkb@mPprj nM vfèkjkfir djuk HknHkkoi.k gkxk vkj Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 14 e ifr"Bkfir lekurk d fl)kr d mYy?ku d rY; gkxkA ;gk igy gh mij xkj fd, x, jkt Un ;kno ekeyk dk fu.k;kèkkj Hkh ;gh gA nljh vkj] ;fn dN vrj g] fHkUu nM fn;k tk ldrk g vkj nM dh ek=k D;k gkuh pkfg,] bl vihyh; ikfèkdkjh ij NkMk tk ldrk gA fdr] ,lk nM vopkj dh xHkhjrk d vu:i gkuh pkfg, vkj vkèkkji.k :i l vuuikfrd ugh gk ldrh gA vkcV (ikO) fy0 ekey d fu.k;kèkkj d erkfcd Hky gh depkfj;k d nk loxk }kjk fd, x, vopkj dh idfr ,d gh g] nk"k Lohdkj dju oky vkj uje nf"Vdk.k dk vfHkopu dju oky depkfj;k dk ,d lox dk vkpj.k vU; depkfj;k tk budkj ij dk;e cu jg dh ryuk e y?krj nM U;k;kfpr Bgjk,xk ft ldk ifj.kke gkxk fd vrr% mud fo:) lpkfyr li.k dk;okgh e vkjki fl) fd, x,A ml fLFkfr e] ,l vipkjh depkjh ij mPprj nM vfèkjkfir fd;k tk ldrk gA ;g vulfjr gkxk fd vkjki dk ifrokn dju dk ekdk puu ij ,l depkjh ihN ugh gV ldr g vkj ugh dg ldr g fd mud ekeyk e nM ml nM l vfèkd ugh gk ldrk g ftl vU; depkfj;k ij vfèkjkfir fd;k x;k g ftUgku 'krgh u {kek;kpuk djd vkjHk e gh vkjki Lohdkj fd;kA^^*

19. पूर्वोक्त कारणों की दृष्टि में, परिशिष्ट 5 (डब्लू०पी०एस०सं० 582 वर्ष 2014 में); परिशिष्ट 10 एवं 13 (डब्लू०पी०एस०सं० 3740 वर्ष 2013 में) परिशिष्ट 1, 5 एवं 7 (डब्लू०पी०एस०सं० 1816 वर्ष 2014 में); परिशिष्ट 7 एवं 8 (डब्लू०पी०एस०सं० 6605 वर्ष 2014 में); परिशिष्ट 10 एवं 11 (डब्लू०पी०एस०सं० 1820 वर्ष 2015 में) और परिशिष्ट 13 एवं 14 (डब्लू०पी०एस०सं० 2062 वर्ष 2015 में) के तहत पूर्वोक्त रिट आवेदनों में पारित बर्खास्तगी के दंड के आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किए जाते हैं और आदेश की प्रति की प्राप्ति/संसूचना की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर दंड की मात्रा पर याचीगण के मामला पर नए सिरे से विचार करने और समुचित आदेश पारित करने के लिए मामला प्रत्यर्थियों को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

20. पूर्वोक्त निर्देश के साथ रिट आवेदन अनुज्ञात किए जाते हैं।